राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक : 2] बारहवीं विधान सभा के दूसरे सत्र का सोलहवां दिवस [संख्या : 6

गुरूवार,

15 जुलाई, 2004

(राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई)

(श्रीमती सुमित्रा सिंह, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री जुबेर खान (रामगढ़) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूं, आजकल टी.वी. और अखबारों में रावी-व्यास का मामला चल रहा है, माननीय मुख्य मंत्री महोदया कल दिल्ली गयी थीं, तो यह सदन जानना चाहता है कि इस मामले में क्या डवलपमेंट्स हुए हैं और माननीय मुख्य मंत्री महोदयाजी की प्रधानमंत्रीजी से क्या बात हुई है, यह सरकार बता दे। कब इस बारे में सदन को अवगत कराएंगे? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : यह क्वेश्चन आवर है, यह प्रश्न काल है। माननीय सदस्य, यह प्रश्न काल है, जानना है तो इसके बाद जानना। जो कुछ जानना है इसके बाद जानना। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक) : हां,-हां, बताएंगे।

श्री जुबेर खान : मंत्री महोदय मौजूद हैं, क्योंकि सदन का अधिकार है यह जानने का, जब सारा सदन इसमें एकमत है और सदन का यह अधिकार है, इस बारे में सदन को बताया जाए कि सरकार की ओर से क्या-क्या कार्यवाही की जा रही है।

श्री अध्यक्ष : यह प्रश्न काल है, इसके बाद जानिएगा, आपको जो कुछ जानना है।

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री) : माननीय मुख्य मंत्री महोदया जयपुर पधार रही हैं, आने के बाद जो भी बातचीत हुई उसके बारे में सदन को अवगत कराया जाएगा।

श्री जुबेर खान : ठीक है।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न संख्या 94. श्री रामलाल शर्मा।

चौमूं की मिसिंग सड़कें

94. श्री रामलाल शर्मा (चौमूं) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरकार विधान सभा क्षेत्र चौमूं की उदयपुरिया मोड़ से नीमकाथाना तक स्टेट हाइवे 37(ए) सड़क की केन्द्रीय सड़क निधि (सेंट्रल रोड फण्ड) द्वारा चौड़ाई बढ़ाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? व नहीं, तो क्यों?

(2) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र चौमूं में आस्टी से इटावा, तिगिरया से जगतपुरा तथा नांगल बगड़ी से खाटूश्यामजी मिसिंग सड़कों को जोड़ने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री राजेन्द्र राठौड़) : (1) जी नहीं। वर्तमान में सीमित वित्तीय संसाधनों के कारण सड़क को चौड़ा करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(2) जी नहीं।

श्री रामलाल शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने उत्तर दिया है कि सीमित वित्तीय संसाधनों के कारण सड़क को चौड़ा करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं एक ओर राज्य सरकार 100 दिवस के अन्दर 700 गांवों को जोड़ने का संकल्प लेकर 986 गांवों को जोड़ने की बात करती है, दूसरी ओर माननीय मंत्री महोदय यह कहते हैं। मैं आपसे निवेदन करूं, जिस उदयपुरिया मोड़ से नीमकाथाना स्टेट हाइवे नं. 37(ए) की बात की जा रही है, इस समय आप सर्वे कराकर देख लीजिये, आये दिन एक-दो एक्सीडेंट इस रोड के ऊपर होते हैं। इस सड़क के ऊपर यातायात साधनों का दबाव देखकर, मैं तो माननीय मंत्री महोदय से इतना चाहता हूं और यही आशा करता हूं, मैं तो पहली बार जीतकर आया हूं, शायद मंत्री महोदय यह आश्वासन मुझे जरूर देंगे कि महीने या दो महीने के अन्दर वित्तीय संसाधनों को जुटाकर यह रोड जरूर चौड़ी कर दी जाएगी। कृपया मंत्री महोदय यदि आश्वासन दें तो बहुत बढ़िया रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जिस सड़क की चर्चा की है, यह स्टेट हाइवे नं. 37 है। अध्यक्ष महोदय, यह 16 किलोमीटर 200 मीटर लम्बी सड़क है। अध्यक्ष महोदय, इस सड़क पर यातायात का जो सर्वे हमने करवाया. उसके अनुसार भी यहां यातायात का कुछ दबाव है। इस सड़क पर 10 किलोमीटर आगे एक नदी है और नदी से आगे जाने का रास्ता नहीं है। इसलिये, अध्यक्ष महोदय. प्रयास यह रहेगा कि इस सड़क के बारे में तखमीना बनाकर क्योंकि हमारे पास स्टेट हाइवे का और मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड के लिये सी.आर.एफ. का पैसा है, वह सारी राशि...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : तो सीधा ही कह दो न आप उन्हें कि, भाई बना दिया जाएगा। पैसा तो है ही आपके पास।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, आपकी भावना है तो निश्चित तौर पर मैं प्रयास करूंगा। उसका तखमीना बनाकर वित्तीय संसाधनों को देखते हुए पूरी कोशिश करेंगे कि माननीय सदस्य ने जिस सड़क के बारे में सवाल उठाया, उसको पूरा करें।

श्री रामलाल शर्मा : अध्यक्ष महोदय. मंत्री महोदय ने...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अब आपकी बात तो पूरी हो गयी। हरिमोहन शर्मा।

श्री रामलाल शर्मा : नहीं, मंत्री महोदय ने प्रश्न में जो बताया है उससे मैं सन्तुष्ट हूं। लेकिन प्रश्न के खण्ड-2 में जिन रोडों का उल्लेख किया गया है-आस्टी से इटावा, तिगरिया से जगतपुरा...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अब सन्तुष्ट हो गये आप। आप तो सन्तुष्ट हो गये। श्री हरिमोहन शर्मा।

श्री रामलाल शर्मा : दो रोडों का इससे जुड़ा हुआ एक प्रश्न है, माननीय अध्यक्ष महोदय।

श्री नवरतन राजोरिया (फुलेरा) : आस्टी से हस्तेड़ा के बारे में मैं भी इनका पड़ोसी हूं, दस बरसों से यह पैंडिंग पड़ी हुई है।

श्री रामलाल शर्मा : दस बरसों से यह सड़क अभी तक नहीं बनी और यह दो गांवों को जोड़ने वाली सड़क नहीं, दो विधान सभा क्षेत्रों को जोड़ने वाली सड़क है, अध्यक्ष महोदय।

श्री नवरतन राजोरिया : इसका डामरीकरण क्यों नहीं हुआ, अब तक क्यों नहीं पूरा हुआ, कब तक पूरा हो जाएगा, यह जानकारी मैं भी चाहता हूं क्योंकि फुलेरा विधान सभा क्षेत्र से मैं भी जुड़ा हुआ हूं। यह दोनों की सड़क है।

श्री रामलाल शर्मा : नांगल-बगड़ी से खाटूश्यामजी की रोड दो जिलों को जोड़ने वाली रोड है, माननीय अध्यक्ष महोदय. इसके बारे में यदि माननीय मंत्री महोदय आश्वासन दें तो अच्छा रहेगा।

श्री अध्यक्ष : आपकी बात मान तो ली उन्होंने। अब नैक्स्ट क्वेश्चन पुकार लिया मैंने। श्री हरिमोहन शर्मा।

हिण्डौली एवं नैनवां की सिंचाई रहित सिंचित भूमि

95. **श्री हरिमोहन शर्मा** (हिण्डौली) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र नैनवां एवं हिण्डौली के अन्तर्गत चल रही लघु एवं मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के अन्तर्गत प्रस्तावित कमाण्ड क्षेत्र में से कितनी-कितनी कृषि भूमि पर उक्त योजनाओं के निर्माण से आज तक सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध कराई गईं तथा कितनी भूमि सिंचाई से आज तक वंचित है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सिंचाई से वंचित कृषि भूमि को डि-कमाण्ड करने हेतु सरकार को किसानों की तरफ से ज्ञापन मिले हैं? यदि हां, तो उन पर अब तक क्या कार्यवाही की गई? उक्त भूमि को अब कब तक डि-कमाण्ड कर दिया जाएगा?

सिंचाई मंत्री (श्री सांवर लाल) : (1) विधान सभा क्षेत्र नैनवां, हिण्डौली में चल रही लघु एवं मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के अन्तर्गत प्रस्तावित कमाण्ड क्षेत्र, विगत वर्ष में सिंचित क्षेत्र की सूची एवं सिंचाई से शेष भूमि का विवरण परिशिष्ट-अ सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(2) जी हां। प्रस्तावित कमाण्ड क्षेत्र की भूमियों में से सिंचाई से वंचित कृषि भूमि को सिंचित करने हेतु विभाग प्रयासरत है जिसके अन्तर्गत प्रथम चरण में भीमलत (अभयपुरा), बूंदी का गोठड़ा एवं गुढा मध्यम सिंचाई परियोजना तथा पेच की बावड़ी, पाईवालापुरा लघु सिंचाई योजना पर विश्व बैंक की मदद से नहरों का

(श्री सांवर लाल)

सुदृढ़ीकरण कार्य करवाया जा रहा है। शेष रही योजनाओं में भी असिंचित रही भूमि में पानी पहुंचाने के प्रयास किये जा रहे हैं। डी-कमाण्ड के सम्बन्ध में विचार कर फैसला शीघ्र होगा।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-1 देखें)

श्री हरिमोहन शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मेरा पहला प्रश्न है कि इन बांधों का निर्माण कौन-कौन से साल में हुआ? दूसरा मेरा आपसे निवेदन है कि...(व्यवधान)

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : आपको जानकारी होगी। खुद को ही पता होगा यह।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : खुद को ही पता होगा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आप ही बता दो हमें। आप ही बता दो।

डा. सी. पी. जोशी : फिर आप राज क्यों कर रहे हो?

श्री हरिमोहन शर्मा : फिर तो मेरा यह प्रश्न लगाना ही बेकार था। मैं लगाता ही नहीं, खुद ही समझ लेता।

श्री सांवर लाल : कमाण्ड और नान-कमाण्ड से सम्बन्धित है क्या, कब बना, कब नहीं बना?

श्री हरिमोहन शर्मा : दूसरा जो आपने असिंचित क्षेत्र का रकबा दिया है इसमें, यह बांधों के निर्माण से अब तक का एवरेज में जहां पर मैक्सिमम इर्रिगेशन हुआ है वह बताया है या किसी पर्टीकुलर ईयर में मैक्सिमम इर्रिगेशन हुआ है केवल उसको ही आपने आधार बनाकर बाकी की शेष भूमि को असिंचित क्षेत्र में बताया है?

तीसरा मेरा निवेदन करना है, अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से कि डी-कमाण्ड करने की जो सिफारिश जिला कलक्टर ने आपको सन् 2001-02 में की है, उन्होंने कितनी-कितनी एकड़, कितनी-कितनी हैक्टेयर और कितनी-कितनी बीघा जमीन डी-कमाण्ड करने के लिये आपके यहां सिफारिश की है?

श्री सांवर लाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, पहला सवाल है, कब बने। अगर आप पूछते तो यह जानकारी भी दे देते। इसका कोई कमाण्ड से सम्बन्ध नहीं है। आप चाहोगे तो आपको बता देंगे डिटेल कि यह बांध इस तारीख को शुरू हुआ और इस तारीख को बांध बन गया. इस तारीख को केनाल शुरू हुई और इस तारीख को बन गयी।

श्री हरिमोहन शर्मा : मैंने इसमें लिखा है बांधों के निर्माण से, नया प्रश्न नहीं है।

श्री सांवर लाल : दूसरे का जवाब है। दूसरा आपने कहा कि जो एरिया बताया सिंचित, तो वह तो मैक्सिमम एरिये में जब भी पानी पहुंचा वह लिया गया। जिसमें आज तक पानी नहीं पहुंचा वह एरिया अलग है और जिसमें पहुंच गया, चाहे किसी भी वर्ष में पहुंचा, उसको हमने लिया है। तीसरा अनकमाण्ड, अगर आप करवाना चाहते हो, हमारे विभाग का तो प्रयास है और हमारा भी यह है। कमाण्ड में आने के लिए लोग तड़पते हैं कि हमारा एरिया कमाण्ड में आ जाए, आप चाहते हो, पानी नहीं पहुंच रहा है, हम कोशिश कर रहे हैं, फिर भी आप अगर चाह रहे हो कि डी-कमाण्ड होना चाहिये, आपके किसान चाहेंगे तो मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि जल्दी कमेटी बनाकर इसके ऊपर फैसला करवा दिया जाएगा।

श्री हरिमोहन शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने जो एरिया दिया है वह पर्टीकुलर एक वर्ष में मैक्सिमम जो इर्रिगेशन हुआ है, उसका दिया है। बांधों को बंधे हुए 15-20 साल के आसपास हो गये, हजारों बीघा जमीन में आज तक बांधों के निर्माण से सब प्रयासों के बावजूद पानी नहीं पहुंचा। मैडम, इसका जो रिएक्शन है वह यह है कि किसानों को उस पर पैनल्टी देनी पड़ती है और अलाटमेंट उसका नहीं हो पाता। अलाटमेंट अगर उस का हो तो उनको प्राइस देना पड़ता है, राज्य सरकार ने निर्धारित दर कर रखी है तो किसानों के पास हजारों बीघा जमीन अनइर्रिगेटेड, इनके रेकार्ड से इर्रिगेटेड, होने के बाद न तो वह अलाट हो सकती है और न किसानों को उसका कोई लाभ है। निर्माण से आज तक उन जमीनों पर एक बिस्वा पर पानी नहीं पहुंचा। तो मेरा आपके माध्यम से. अध्यक्ष महोदय, अनुरोध है कि इन कारणों से जब पानी निर्माण होने से आज तक नहीं पहुंचा तो आप यह कल्पना मत कीजिए। आपके और हमारे प्रयासों के बावजूद भी उन जगहों पर, जहां हजारों बीघा जमीन, जो डी-कमाण्ड के लिए आप लिख रहे हो, उसमें पानी पहुंचने की कोई गुंजाइश नहीं है। आप तो मेहरबानी करके उसमें डी-कमाण्ड कमेटी बनवा दें, जो भी कर दें. लेकिन टाइम लिमिट फिक्स कर दें कि विदिन थ्री मन्थ या फिर फोर मन्था आप इस काम को कब तक करवा देंगे?

श्री अध्यक्ष : जवाब आने दें।

श्री सांवर लाल : अध्यक्ष महोदय, मैंने सारी बातें बता दीं। अब आप से ज्यादा खेती मैं करता हूं, कमाण्ड में आने के लिए क्या कोशिश करते हैं, आपको पता नहीं। हमने आने के बाद प्रयास शुरू किये, इस बार भी राजस्थान केनाल का टेल तक पानी पहुंचाया।

श्री हरिमोहन शर्मा : आप तो मेरा जवाब दीजिए।

श्री अध्यक्ष : आप राजस्थान केनाल की बात छोड़ो, यह बताओ।

श्री सांवर लाल : आपने जो पूछा, इसका तो जवाब मैंने वैसे पहले ही दे दिया कि नहीं पहुंचा पानी, वहां पर हम कोशिश कर रहे हैं। नहरों का सुदृढ़ीकरण कर रहे हैं, ठीक करवा रहे हैं। फिर भी अगर आप चाहते हैं डी-कमाण्ड हो और आपके किसान चाहेंगे हैं तो मैं कमेटी बनवा कर. और अगर वहां के किसान चाहेंगे तो, 6 महीने के अन्दर-अन्दर जो-जो चाहेगा उसको डी-कमाण्ड करवा दिया जाएगा।

श्री हरिमोहन शर्मा : किसान चाहते हैं जब तो कलक्टर...(व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं, मंत्रीजी ने अपने उत्तर में कहा है कि विश्व बैंक के वित्त पोषण के माध्यम से तीन मध्यम सिंचाई एवं दो लघु सिंचाई योजनाओं की नहरों के उन्नयन का काम चल रहा है। इन 5 जगहों पर जो नहर उन्नयन का काम चल रहा है उसमें फर्स्ट माइल स्टोन का काम पूरा होने की आखिरी तारीख क्या थी? इन 5 जगहों पर फर्स्ट माइल स्टोन की अंतिम तिथि तक काम पूरा नहीं हुआ, उसके लिए ठेकेदारों के खिलाफ आपने क्या कार्यवाही की है?

श्री सांवर लाल : अब मैंने तो आपके एरिया में भी ठेकेदारों ने काम नहीं किया तो कार्यवाही कर दी उनके खिलाफ।

श्री संयम लोढ़ा : आपने भट्ठा बैठा दिया पूरी योजना का।

श्री सांवर लाल : अब भट्ठा तो आप बैठा रहे हो। उधर बैठ गये हो भट्ठा बैठा कर आप।

श्री संयम लोढ़ा : पूरा भट्ठा बैठा दिया है। अध्यक्ष महोदय, फरवरी... (व्यवधान)

श्री सांवर लाल : अगर आप काम करते तो यह योजना दौड़ती आज तक।

श्री संयम लोढ़ा : ...अंतिम पूरी होने की तिथि थी, आज 4 महीने गुजर गये, 736 करोड़ रुपये का लोन राजस्थान की सरकार ने लिया है।

श्री सांवर लाल : अभी, अध्यक्ष महोदय, और आएगा...(व्यवधान)...मुख्य मंत्रीजी का और आपका...(व्यवधान)...

श्री संयम लोढ़ा : 10 फीसदी काम किसी सिंचाई परियोजना पर नहीं हुआ है। और यदि हुआ हो तो आप रेकार्ड सदन के पटल पर रख दो। पूरे राजस्थान के अन्दर अगर एक भी कहीं काम हुआ हो, फर्स्ट माइल स्टोन की जो लास्ट डेट थी और उतना काम हुआ हो तो आप रेकार्ड सदन पटल पर रखो। आप कुछ कर ही नहीं रहे हो।

श्री अध्यक्ष : यह प्रश्न नैनवां और हिण्डौली से सम्बन्धित है।

श्री संयम लोढ़ा : मैं हिण्डौली का ही पूछ रहा हूं, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : आपका अलग से प्रश्न है।

श्री संयम लोढ़ा : अध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी ने जो विश्व बैंक का हवाला दिया है, वित्त पोषण का हवाला दिया है, तीन मध्यम सिंचाई परियोजना का हवाला दिया है, मैं उसी के बारे में पूछ रहा हूं। मैं कोई अपने क्षेत्र का मामला नहीं पूछ रहा हूं।

श्री सांवर लाल : अब आपने पूछा जो बता दिया न, और क्या चाहते हो आप?

श्री संयम लोढ़ा : मैं यह कह रहा हूं कि आपने कोई कार्यवाही की क्या? (व्यवधान)

श्री सांवर लाल : जो भराव नहीं करेगा, उसके पैनल्टी का प्रावधान है, वह लगा रहे हैं हम बराबर। आपके राज के ये बिगड़े हुए हैं सारे, ठीक मैं कर रहा हूं इनको। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : क्या की, बताओ? आपने क्या पैनल्टी की इन 5 जगहों पर, यह बताओ? (व्यवधान) किस ठेकेदार को क्या किया आपने, आप यह बताओ? (व्यवधान)

श्री सांवर लाल : और ऐसा ठीक करेंगे...(व्यवधान)

श्रीमती ममता शर्मा (बूंदी) : ठेकेदारों को आप आश्रय दे रहे हैं। ठेकेदार काम नहीं कर रहे हैं। (व्यवधान) प्रथम चरण का जो होंना था वह अभी तक नहीं हुआ है।

श्री संयम लोढ़ा : इतने महत्वपूर्ण सवाल को राजस्थान सरकार के मंत्री हलके ढंग से लेते हैं. इससे बड़े अफसोस की बात नहीं है। (व्यवधान)

श्रीमती ममता शर्मा : मैं गरड़दा सिंचाई परियोजना की बात कर रही हूं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : यह नया सुर कहां से आया?

श्रीमती ममता शर्मा : यह नया सुर ऐसे ही आएगा, रोज आएगा। (भारी व्यवधान) माननीय मंत्रीजी. आपकी सरकार ने सिंचाई के लिए कुछ नहीं किया है। कृपया आप बैठ जाइये। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : मित्रों, अभी आपके शपथ लेने में समय है।

श्रीमती ममता शर्मा : सवा अरब रुपया हमारी सरकार ने हाड़ौती क्षेत्र को दिया।

श्री हरिमोहन शर्मा : जिसकी बात कर रहे हैं, वह हमारी सरकार का ही है। आपका तो कुछ भी नहीं है। (व्यवधान)

श्रीमती ममता शर्मा : सवा अरब रुपया हमारी सरकार ने दिया है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, एक-एक सवाल का मंत्रीजी जवाब देना चाहते हैं, ये तीन-तीन एक साथ खड़े हो जाते हैं। अध्यक्ष महोदय, हम कुछ करते हैं तो...(व्यवधान)

श्रीमती ममता शर्मा : अध्यक्ष महोदय, अब यह मंत्री बन गये। अब आप मंत्री बन गये, कृपया बीच-बीच में खड़े न हों।

श्री संयम लोढ़ा : तैयारी करके आया करो। अगर बिना तैयारी के उठ कर आ जाते हो। तैयारी करके आया करो सदन में सवाल की। (व्यवधान) बताइये, आप क्या किया आपने?

श्री सांवर लाल : आप से ज्यादा बार आ गया हूं, ज्यादा +++ करने की जरूरत नहीं है। हर सवाल का जवाब है मेरे पास। जबरदस्ती।

श्री संयम लोढ़ा : तो बताओ न, बताओ।

श्रीमती ममता शर्मा : आप सत्ता पक्ष में बैठ कर यह भूल गये हो कि आप विपक्ष से उठ चुके हैं। इसलिए कृपया इस बात का ध्यान रखें।

श्री सांवर लाल : ए बी सी डी जानते नहीं हो। (व्यवधान)

श्रीमती ममता शर्मा : मंत्रीजी जवाब देंगे, आपको बोलने का तो कोई हक ही नहीं था।

श्री अशोक बैरवा "खण्डार" : जवाब देना चाहते हैं मंत्रीजी।

श्री हरिमोहन शर्मा : आप तो कुश्ती लड़ने को तैयार हो जाते हो। यह क्या करते हो, मंत्रीजी? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कृपया एक-एक बोलें।

श्री अशोक बैरवा "खण्डार" : ममताजी, बोलो। (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा : आपने जो यह जोड़ बताया है, इसमें आपने जो जवाब दिया है न सिंचित क्षेत्र से वंचित क्षेत्र, यह तो अलग-अलग बताया और नीचे जोड़ आपने 569 हैक्टेयर ही बताया और ऊपर आपने सैकड़ों हैक्टेयर बता दिया। यह जोड सही है या क्या बात है? यह जो जोड़ है इस कागज में, सिंचाई से वंचित क्षेत्र (हैक्टेयर) में, इसमें योग बताया है 569.

श्री संयम लोढ़ा : सोनिया गांधीजी ने शिलान्यास किया था इस स्कीम का पूरे राजस्थान में।

श्री हरिमोहन शर्मा : और आपने यहां जो आंकड़े लिखे हैं, किसी को 1848 बताया है, 1136 बताया है, 206 बताया है, जो वंचित हैं, और जोड़ केवल 569 ही बताया है, यह मामला क्या है?

श्री अध्यक्ष : जोड़ गलत हो गया।

श्री हरिमोहन शर्मा : तो वह बता दें कि जोड़ गलत हो गया। इतनी सरकारी मशीनरी है, चीफ इंजीनियर हैं, इर्रिगेशन सैक्रेटरी हैं, मंत्री महोदय हैं, जोड़ भी नहीं देखा क्या इन्होंने कि जोड़ सही है कि गलत है?

श्री सांवर लाल : अब आप बिराज जाओ तो जोड़-बाकी मैं आप कहोगे जो बता दूंगा. एकाउंटेंसी पढ़ी है मैंने।

श्री संयम लोढ़ा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करता हूं...

श्री अध्यक्ष : देखिये, आप मुझ से निवेदन करें उससे पहले एक की बात खतम होने दें।

श्री संयम लोढ़ा : आपने ही अलाउ किया था. अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से ही तो खड़ा हुआ हूं मैं।

श्री अध्यक्ष : अलाउ किया तो मूल प्रश्नकर्ता खड़े हो गये।

श्री सांवर लाल : अध्यक्ष महोदय, आपने जो सवाल किये उनका मैंने पाइंटेड जवाब दे दिया। जबरदस्ती किसी बात को उलझा रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : मूल प्रश्नकर्ता खड़े हो गये. मेरी मजबूरी है, मूल प्रश्नकर्ता को पहले यह प्राथमिकता दी जाएगी।

श्री संयम लोढ़ा : ठीक है, मैं बाद में पूछूंगा।

श्री रामचन्द्र सराधना : अध्यक्ष महोदय, मैं एक निवेदन करना चाहता हूं। मेरा प्रश्न यह है, मंत्रीजी ने बड़े उत्साह से जवाब दिया कि डी-कमाण्ड करने के लिए हम जल्दी से जल्दी कार्यवाही कर देंगे आप चाहेंगे तो, तो मेरा निवेदन आपसे यह है कि...

श्री नन्दलाल बंशीवाल (दौसा) : आपने तो घोषणा कर दी थी मेरी डी-कमाण्ड की आपके राज में, सुनो आप...

श्री रामचन्द्र सराधना : किसान न तो कोई जानता है, किसान न कोई समझता है कि डी-कमाण्ड क्यों करवाना चाहता है।

श्री नन्दलाल बंशीवाल : अध्यक्ष महोदय, जब ये सत्ता में थे तब दौसा की, जमवारामगढ़ की...(व्यवधान)...उसको डी-कमाण्ड घोषित कर दिया था।

श्री रामचन्द्र सराधना : मंत्रीजी यह बात सही कह रहे हैं कि काश्तकार को कमाण्ड एरिया में जाने के लिए बड़ा प्रयत्न करना पड़ता है और प्रयत्न करने के बावजूद कमाण्ड में...(व्यवधान)

श्री नन्दलाल बंशीवाल : डी-कमाण्ड करने के बाद भी आपने उसके अन्दर कोई कार्यवाही नहीं की। यह क्या कहना चाह रहे हैं आप?

श्री अध्यक्ष : दौसा से आने वाले माननीय सदस्य, आप मंत्री थोड़े ही हैं? (व्यवधान)

श्री अशोक बैरवा "खण्डार" : इनको और मंत्री बना दो।

श्री अध्यक्ष : दौसा से आने वाले माननीय सदस्य, आप कैसे खड़े हैं?

श्री नन्दलाल बंशीवाल : आप खुद ने कर्म किये हैं इसलिए वहां बैठ गये। घोषणाएं करने के बाद उनकी क्रियान्विति नहीं की, इसलिए वहां बैठ गये।

श्री रामचन्द्र सराधना : यह क्या हो रहा है, अध्यक्ष महोदय? फिर हमारी तरफ आप उंगली ज्यादा करती हैं। उधर क्या हो रहा है यह? यह मेरा एक्यूरेट प्रश्न है।

श्री जुबेर खान : अध्यक्ष महोदय, यह सदस्य और मंत्रीजी के बीच का मामला है, यह क्यों खड़े हो गये? यह कोई तरीका है?

श्री रामचन्द्र सराधना : मेरा एक्युरेट प्रश्न है, मंत्रीजी ने कहा कि डी-कमाण्ड करने के लिए बड़े उत्साह से हां भरी है, लेकिन मेरा कहना इसमें यह है कि काश्तकार की बड़ी पीड़ा होती है, कमाण्ड एरिया में जाने के लिए बड़े प्रयत्न करने पड़ते हैं, डी-कमाण्ड में जाने के लिए बड़े मजबूर होकर बात करते हैं। जिस उत्साह से डी-कमाण्ड की हां भरी, उस उत्साह से हां भरें और यह जवाब दें और उसकी समय सीमा तय करें, कब तक उनको पानी पहुंचा देंगे? यह उत्साह दिखाएं अपना, डी-कमाण्ड के लिए क्या उत्साह दिखा रहे हैं?

श्री अध्यक्ष : इन्होंने कहा है अतिशीघ्र। उन्होंने ज़वाब दिया है।

श्री रामचन्द्र सराधना : आप यह तय करें कि कब तक उनको पानी पहुंचा देंगे। आप स्वयं काश्तकार हैं, काश्तकार की पीड़ा को समझते हैं, आपको चाहिए कि समय सीमा तय करें, उनको पानी पहुंचाने की बात करें।

श्री अध्यक्ष : भाषण नहीं, प्रश्न पूछें।

श्री सांवर लाल : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों की चिंता स्वाभाविक है, किसान के खेत को पानी मिलना चाहिए। अब आपने सवाल किया कि कब तक पानी पहुंचा दोगे? अध्यक्ष महोदय, बरसात हो जाए, मानसून हो जाए, तालाब भर जाएं जब ही तो नहरों में पानी भरेगा।

श्री रामचन्द्र सराधना : मानसून तो आ रहा था। (व्यवधान) आपने देवताओं से छेड़छाड़ करके सारा खाता बिगाड़ दिया।

श्री सांवर लाल : हमने तो सारे देवताओं को हिन्दू, मुस्लिम, सिख, ईसाई को मना लिया, पांच साल हम तो यहां प्रार्थना करते रहे, आपके मुख्य मंत्रीजी ने तो किसी को ही नहीं मनाया।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट क्वेश्चन। श्रीमती राजकुमारी शर्मा। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान के किसानों के भविष्य अंधकारमय कर रही है सरकार। (व्यवधान) 736 करोड़ रुपये की योजना है, इनके नाकारापन के कारण दम तोड़ रही है, अध्यक्ष महोदय। (व्यवधान) भट्ठा बैठा दिया है पूरे सिंचाई विभाग का।

एक माननीय सदस्य : श्रीमती सोनिया गांधीजी ने इसका शिलान्यास किया था।

श्री संयम लोढ़ा : एक तरफ तो पंजाब वाले पानी ले जा रहे हैं, दूसरी तरफ काम कराने के आप के लक्खण नहीं हैं।...(व्यवधान)

श्री अशोक बैरवा "खण्डार" : अब तक जो हमारे नेताओं ने किया उनको बंद करने का प्रयास कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : पूरा भेदभाव...(भारी व्यवधान) जवाब देते हैं तो दादागीरी से देते हैं, सदस्यों को डराते हैं आप। (व्यवधान)

श्री अशोक बैरवा: "खण्डार" :हमारा सदस्य डरा हुआ है, संरक्षण दो। (व्यवधान)

श्री ओम बिरला : अध्यक्ष महोदय, सदस्यों को बोलते समय सही बोलना चाहिए। यह कभी कहते हैं भट्ठा बैठा दिया, लक्खण नहीं हैं, यह कोई सदन की गरिमा नहीं है। सदस्य को बोलते समय सदन की गरिमा का ध्यान रखना चाहिए।

श्री संयम लोढ़ा : बर्बाद कर दिया राजस्थान का भट्ठा क्या बैठाया। 736 करोड़ रुपये विश्व बैंक से लिये हैं, ब्याज लग रहा है राजस्थान की जनता पर।

श्री अशोर बैरवा "खण्डार" : माननीय सदस्य. अभी आप नये आये हो, भट्ठा ऐसा बैठेगा कि आप देखते रह जाओगे। (व्यवधान)

श्री सांवर लाल : अध्यक्ष महोदय, यह किस बात पर भाषण हो रहा है? कौनसे नियम से हो रहा है?

श्री संयम लोढ़ा : क्या काम किया आपने?

श्री ओम बिरला : बर्बाद किया कांग्रेस की सरकार ने, करोड़ों रुपये...(व्यवधान)

श्री अशोक बैरवा "खण्डार" : हामी मत भरा करो, बाद में दिक्कत आपको भी आएगी। हम भी ऐसे ही हां भरते थे। हम भी जवाब देते हुए हां भर देते थे।

श्री कालूलाल गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, दूसरा क्वेश्चन लिया जाए।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें। जब मंत्रीजी खड़े हुए हैं, जवाब देना चाह रहे हैं, आप एक साथ इतने खड़े होकर अपनी अलग-अलग बात कहते हैं। न तो मैं सुन पाती हूं, न मंत्रीजी सुन पाते हैं, जवाब क्या देंगे आपको? आप क्या हाथ ऐसे कर करके बात करते हैं, आप इस तरह से किसको डरा रहे हैं? यह क्या बात हुई? मंत्रीजी, आप कुछ कहना चाहते हैं?

श्री सांवर लाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, जितने सवाल किये सबके जवाब दे दिये। एक दूसरा सवाल किया है सिरोही से आने वाले ने...

श्री हरिमोहन शर्मा : जवाब आया नहीं।

श्री अध्यक्ष : कृपया बीच में नहीं बोलें।

श्री हरिमोहन शर्मा : मैं नया नहीं कर रहा, मेरा जवाब आया नहीं। ये जो आंकड़े इन्होंने दिये हैं मैक्सिमम इर्रिगेशन के, गुढा बांध के तो दिये हैं सन् 1985-86 में...

श्री अध्यक्ष : जोड़ गलत था।

श्री हरिमोहन शर्मा : अगर 1985-86 में मैक्सिमम इर्रिगेशन हुई थी, 1986 में देख लो आप, 2004 को देख लो, जबके तो आंकडे दिये हैं इन्होंने। ऐसे ही जो बूंदी का गोठड़ावाला है उसमें 1987-88 के आंकड़े दिये हैं इन्होंने। जो भीमलक का है, खैर। भीमलक में तो यह प्राब्लम नहीं है, पेच की बावड़ी में 1987-88 के आंकड़े दिये हैं कि हमने जब इतनी सिंचाई की थी। आज 13-14-15 साल की बात है, अभी उसकी क्या पोजिशन है, यह तो बताओ?

श्री सांवर लाल : अध्यक्ष महोदय, मैंने जवाब दिया है। जब भी माननीय सदस्य को कहा कि जिस वर्ष में अधिकतम सिंचाई हुई है वह एरिया लिया है तो इसमें विवाद किस बात का है? जो आप कह रहे हो वही मैंने कहा है।

दूसरी बात, आपका मुख्य मुद्दा यह है कि जहां पर पानी नहीं पहुंचा, सरकारें तो बदलती रहती हैं, पहले आपकी सरकार थी जब भी नहीं पहुंचा। हमने यह कहा कि वर्ल्ड बैंक की योजना आपकी सरकार के समय शुरू की है और उस समय प्रावधान पर्याप्त न होने के कारण धीरे-धीरे चली है। छह महीने में हमने इसको काफी स्पीड-अप किया है।

श्री हरिमोहन शर्मा : मार्डनाइजेशन आपके पहले ही चालू हो गया।

श्री सांवर लाल : पूरा तो सुन लो। अब जहां-जहां भी ठेकेदारों ने धीमी गति से काम किया. जो भी प्रावधान हैं हम कार्यवाही कर रहे हैं। बाकी इसकी एक समय सीमा -दो साल, तीन साल अगर इसमें पूरा नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से उनके ऊपर जो पैनल्टी होनी चाहिए, लगेगी।

डी-कमाण्ड का सवाल है, मैंने पहले ही कह दिया कि अगर चाहेंगे तो छह महीने के अन्दर करा देंगे। और कौनसा स्पेसिफिक पीरियड चाहते हो आप?

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट क्वेश्चन। राजकुमारी शर्मा।

श्री कल्याण राजकीय चिकित्सालय, सीकर में आवश्यक सुविधाएं

96. श्रीमती राजकुमारी शर्मा (सीकर) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) श्री कल्याण राजकीय चिकित्सालय, सीकर में विशेषज्ञ/वरिष्ठ विशेषज्ञ चिकित्सकों के कितने पद किस-किस श्रेणी के स्वीकृत हैं तथा इनमें से कितने पद रिक्त हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त चिकित्सालय में विशेषज्ञ/वरिष्ठ विशेषज्ञ चिकित्सकों के नये पद सृजित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कौन-कौन से और नहीं, तो क्यों?

(3) वर्तमान में उक्त चिकित्सालय में भर्ती मरीजों के लिए कौन-कौनसी जांच

(श्रीमती राजकुमारी शर्मा)

सुविधाएं उपलब्ध हैं? क्या सरकार उक्त चिकित्सालय में जांच सुविधाओं का विस्तार करने एवं नवीन जांच सुविधाएं उपलब्ध कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कौन-कौनसी एवं कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री (डा. दिगम्बर सिंह) : (1) श्री कल्याण राजकीय चिकित्सालय सीकर में वरिष्ठ विशेषज्ञ एवं कनिष्ठ विशेषज्ञों के स्वीकृत एवं रिक्त पदों का विवरण परिशिष्ट ''अ'' पर उपलब्ध है।

(2) जी नहीं। वित्तीय वर्ष 2004-05 में राज्य योजनान्तर्गत नए पदों के सृजन हेतु वित्तीय प्रावधान उपलब्ध नहीं होने के कारण इस वित्तीय वर्ष में नए पद सृजित करवाया जाना सम्भव नहीं होगा।

(3) श्री कल्याण चिकित्सालय, सीकर में सोनोग्राफी, एक्सरे, ई.सी.जी. तथा प्रयोगशाला से सम्बन्धित जैसे...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कृपया शांत रहें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : माहिर आजाद का टेलीफोन बजा है।

श्रीमती ममता शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, लगातार मोबाइल बोल रहे हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, इस बार उधर से बजा है।

श्री अध्यक्ष : मैं सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष दोनों के मुख्य सचेतकों को इस बात की चेतावनी दे रही हूं कि वह अपने-अपने सदस्यों को पहले बता दें, वरना मैं यहां पर उनका सीज कर लूंगी जिस किसी का होगा. इसलिए दोनों ही मुख्य सचेतक इस बात का ध्यान रखें।

डा. दिगम्बर सिंह : यह आवाज तो कांग्रेस के मोबाइल जैसी लग रही थी।

श्री अध्यक्ष : अपने सदस्यों को इस बात के लिए पाबन्द कर दें कि वह मोबाइल को आफ करके यहां बैठें।

मोहम्मद माहिर आजाद : मेरा सुझाव तो यह है कि सदन में लाने ही नहीं देना चाहिए, बाहर ही रखना चाहिए। सबसे अच्छा तरीका यह है। जब आपने चिट्ठी भेज दी,

(मोहम्मद माहिर आजाद)

नियम बना दिये कि मोबाइल लेकर नहीं आएंगे तो बाहर ही सुरक्षा प्रहरी मोबाइल रख ले. हाउस में लेकर ही नहीं आए कोई। यह राजेन्द्र जी राठौड़ खुद लाते हैं और दूसरे के ऊपर इशारा करते हैं।

श्री ओम बिरला : माननीय अध्यक्ष महोदय. मैं इस बात का समर्थन करता हूं सदन के अन्दर मोबाइल न रहें। बार-बार चेतावनी के बाद भी अगर सदन में अनुपालना नहीं होती तो यह गम्भीर विषय है।

श्री जुबेर खान : हमारे पास तो है नहीं, इन्हीं के बजते रहते हैं और एक और है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, यह जो आवाज इस बार आयी है यह कांग्रेस के मोबाइल की थी।

मोहम्मद माहिर आजाद : अध्यक्ष महोदय. यह संसदीय कार्य मंत्री तो फोटो वाला मोबाइल और लेकर आते हैं।

डा. दिगम्बर सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन यह है कि मोबाइल कैसे आफ करते हैं इसकी एक बार ट्रेनिंग दे दी जाए।

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी जवाब देना जारी रखें।

डा. दिगम्बर सिंह : श्री कल्याण चिकित्सालय, सीकर में सोनोग्राफी, एक्सरे, ई.सी.जी. तथा प्रयोगशाला से सम्बन्धित जैसे खून, मलमूत्र आदि की जांच की सुविधाएं वर्तमान में उपलब्ध हैं।

ग्यारहवें वित्त आयोग अनुदान से श्री कल्याण चिकित्सालय, सीकर में निम्नलिखित जांचों की सुविधाएं उपलब्ध करवाए जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है :-

(अ) रक्त की विभिन्न जांचों की सुविधा हेतु उपकरण

(1) ब्लड सेल काउंटर

(2) ऐलिजा रीडर

(3) ब्लड गैर एनलाइजर

(4) कोगुलो मीटर

(डा. दिगम्बर सिंह)

(5) आटो एनलाइजर

(ब) पेशाब की जांच हेतु यूरिन रीजेण्ट स्ट्रिप रीडर

(स) ह्रदय की जांच हेतु

(1) स्ट्रेस टेस्ट सिस्टम (टी.एम.टी.)

(2) मल्टी चेनल ई.सी.जी. मशीन

(3) कॉरडियक मोनिटर विथ डेफीबिलेटर

(4) पल्स आक्सीमीटर

(5) मस्तिष्क की जांच हेतु डिजिटल ई.ई.जी. सिस्टम

उपरोक्त के अतिरिक्त सी.टी. स्कैन मशीन भी उपलब्ध करवाया जाना प्रक्रियाधीन है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-2 देखें)

श्रीमती राजकुमारी शर्मा : सर्वप्रथम तो माननीय अध्यक्षजी को धन्यवाद प्रदान करती हूं कि इन्होंने मुझे राज्य के सर्वोच्च सदन में बोलने का अवसर प्रदान किया। साथ ही मैं माननीय चिकित्सा मंत्रीजी को भी धन्यवाद देना चाहती हूं कि सीकर के इस जनहित के महत्वपूर्ण मुद्दे पर अपनी सोच रखते हैं।

माननीय अध्यक्षजी, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहती हूं, कल्याण चिकित्सालय, सीकर राज्य का ''ए'' ग्रेड चिकित्सालय है और चार जिलों का मुख्यालय चिकित्सालय है। सीनियर पैथोलोजिस्ट इसमें नहीं है, इसमें रेडियोलोजिस्ट भी नहीं है और महिलाओं के लिए गायनिक चिकित्सा भी नहीं है। इसमें आंख-कान के लिए ई.एन.टी. का स्पेशलिस्ट नहीं है जबकि इन डाक्टरों की आवश्यकता लगभग सभी चिकित्सालयों में होती है। मेरा प्रश्न महत्वपूर्ण है, चिकित्सालयों में इन डाक्टरों की नियुक्ति करवाने का विचार रखते हैं? यदि नहीं तो क्यों? और रखते हैं तो कब तक?

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहूंगी, चिकित्सालय राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है इसलिए दुर्घटना होने की सम्भावना रहती

(श्रीमती राजकुमारी शर्मा)

है, इसमें ट्रोमा यूनिट कहा जाने वाली यूनिट आज तक भी कोई नहीं है। 85 परसेंट दुर्घटना के मरीज जयपुर लाते-लाते अपना दम तोड़ देते हैं। इस ट्रोमा यूनिट के लिए अभी हमारी माननीय मुख्य मंत्री साहिबा ने भी कहा था, इसके लिए विचार रखते हैं तो कब तक और नहीं तो क्यों?

माननीय अध्यक्षजी, मैं जानकारी माननीय मंत्रीजी को देना चाहती हूं, चिकित्सा रोगी जो शैय्याएं हैं वहां पर 300 तक की हैं, 500 तक की आप इनको विचाराधीन रखें।

श्री अध्यक्ष : वह भूल जाएंगे, आप इतनी बात ही रखो। वह भूल जाएंगे क्या क्या पूछा, आप अपनी ही रखो, इतने प्रश्न बहुत हैं।

डा. दिगम्बर सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस अस्पताल की माननीय सदस्या बात कर रही है, मैं निवेदन करना चाहूंगा. उसमें रेडियोलोजिस्ट का पद भी है, उसमें गायनालोजिस्ट का पद भी है।

श्रीमती राजकुमारी शर्मा : वहां पर महिला चिकित्सक नहीं है और पचास प्रतिशत मोहम्मडन महिलाएं आती हैं, आप इस तरह की सुविधा कीजिए कि महिला चिकित्सक...

डा. दिगम्बर सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, गायनिक एक सब्जैक्ट है जो महिला रोगों से ही सम्बन्धित है। अब इसमें मेल डाक्टर्स भी हो सकते हैं। महिला चिकित्सक ही हो गाइनोलोजिस्ट, यह कोई जरूरी नहीं है। आप अगर महिला चिकित्सक केवल महिला को मानती हों तो कोई भी एम.बी.बी.एस. महिला या पोस्ट ग्रेजुएट महिला उपलब्ध हो गयी तो वहां पर उसको लगा दिया जाएगा, बाकी गायनोलोजिस्ट एक पोस्ट सीनियर स्पेशलिस्ट की वहां पर है और वहां पोस्टेड है। उसी तरह से रेडियोलोजिस्ट का पद भी वहां स्वीकृत है और पोस्टेड है।

श्रीमती राजकुमारी शर्मा : मंत्रीजी, वहां पैथोलोजिस्ट जो खून की जांच करता है, जहां पैथोलोजिस्ट है ही नहीं तो वहां तो वह खून की जांच क्या करेगा? पांच साल से पहले जो हमारे यहां के मुख्य मंत्री थे कांग्रेस के. उन्होंने एक आश्वासन दिया था कि वहां पर एक महिला चिकित्सक और एक पैथोलोजिस्ट दोनों रखेंगे, आज तक

(श्रीमती राजकुमारी शर्मा)

उपलब्ध नहीं हुए हैं। यहां की मुख्य मंत्री साहिबा महिला हैं, हमारी अध्यक्षजी महिला हैं और मैं सीकर से महिला हूं, इसलिए आपसे निवेदन करना चाहती हूं कि एक महिला वहां पर गायनोलोजिस्ट रखें। और पैथोलोजिस्ट की वहां सुविधा बिलकुल नहीं है...(व्यवधान)

डा. दिगम्बर सिंह : अध्यक्ष महोदय, यह सवाल पूछने वाली सदस्य भी महिला हैं...माननीय मुख्य मंत्रीजी भी महिला हैं और सौभाग्य से मैं भी महिलाओं का ही डाक्टर हूं...

श्री अमराराम (धोद) : आपको ही लगा दो।

डा. दिगम्बर सिंह : पैथोलोजी का आप जो बता रहे हैं, वरिष्ठ विशेषज्ञ का पद सीकर चिकित्सालय में है। परन्तु यह सच है कि स्पेशलिस्ट अवेलेबल नहीं होने के कारण, केवल सीकर की बात नहीं, कई जगह पोस्ट वेकेंट है। उसकी व्यवस्था में पोस्ट ग्रेजुएशन करके हमारे मेडिकल आफिसर उस स्पेशलिटी के आ रहे हैं, उनको लगाने का काम शुरू है। पैथोलोजिस्ट की डी.पी.सी. अभी ड्यू है, डी.पी.सी. होते ही पैथोलोजिस्ट की एक पोस्ट सीकर में पोस्टिंग कर दी जाएगी।

दूसरा आपने ट्रोमा यूनिट की बात कही थी, ट्रोमा यूनिट की आवश्यकता सीकर में आपके अस्पताल में नहीं है। ए श्रेणी का अस्पताल...

श्रीमती राजकुमारी शर्मा : राष्ट्रीय राज मार्ग में ए ग्रेड का है यह हास्पिटल।

डा. दिगम्बर सिंह : सारी सुविधाएं उपलब्ध होती हैं ए श्रेणी में, इसलिये अलग से ट्रोमा यूनिट की उसमें कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आर्थोपेडिक सर्जन की कमी हो तो मैं सदन के माध्यम से, अध्यक्ष महोदय, के माध्यम से आश्वासन देना चाहता हूं कि पी.जी. स्टूडेंटस की आपके यहां नियुक्ति कर दी जाएगी जिससे आपके यहां असुविधा दूर हो जाएगी।

डा. चन्द्रशेखर बैद : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह एक बहुत महत्वपूर्ण बात है वार्डो से जुड़ी हुई। इसी पेशे से...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्री अमरारामजी। (व्यवधान) तारानगर से आने वाले माननीय सदस्य, आप स्थान ग्रहण करें। अमरारामजी पूछ रहे हैं।

श्री अमराराम (धोद) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा, श्री कल्याण चिकित्सालय, सीकर के वार्डों की यह हालत है कि वहां न तो बैड और न बैडशीट ठीक से है और न वहां शौचालय है। सौ साल पहले की बिल्डिंग है और आज वहां एक भी पेशेंट नहीं है।

दूसरा मैं यह जानना चाहूंगा कि वहां के कर्मचारी, हास्पिटल के आस-पास जो मेडिकल स्टोर चलाते हैं, इस तरह की अराजकता कर रखी है, क्या मंत्री महोदय इसकी जांच कराएंगे? अस्पताल की व्यवस्था सुधारने के लिये ए क्लास है जिसके वार्डों में पेशेंट निरोगी होने के बजाय उनके पास रहने वाले रोगयुक्त हो जाते हैं, इस पर विचार करके ठीक करने का इरादा रखते हैं?

श्रीमती राजकुमारी शर्मा : मंत्री महोदय, महिला गाइनिक के लिये आप हमें आश्वासन दें कि शीघ्रातिशीघ्र आप लगाने का विचार रखते हैं?

श्री जोगेश्वर गर्ग : जब तक महिला चिकित्सक नहीं लगाएं तब तक डाक्टर साहब खुद साप्ताहिक रूप से वहां विजिट करें। (व्यवधान)

श्रीमती लक्ष्मी बारूपाल : मेरे विधान सभा क्षेत्र में भी महिला चिकित्सक का पद नहीं है।

श्री अध्यक्ष : आपका अलग से प्रश्न आए तो ही पूछ लीजिये। (व्यवधान) यहां दूसरी बात चल रही है।

श्रीमती लक्ष्मी बारूपाल : कृपया जहां से महिला विधायक जीतकर आई हैं वहां उनके विधान सभा क्षेत्र में महिला चिकित्सक का पद सृजित किया जाए। चिकित्सा मंत्रीजी इस सम्बन्ध में क्या कर रहे हैं? सभी महिलाओं को इसमें रियायत दी जाए। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : अगला क्वेश्चन। नैक्स्ट क्वेश्चन। श्री रामचन्द्र सराधना। (व्यवधान)

श्रीमती राजकुमारी शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी कि बीकानेर राष्ट्रीय राजमार्ग पर चार सौ किलोमीटर तक का एक सीकर में ए ग्रेड का हास्पिटल है। अध्यक्ष महोदया, आप भी जानती हैं...(व्यवधान) जवाब ही नहीं दिया...(व्यवधान) मंत्री महोदय, आप हमें आश्वासन तो दें कि कब तक लगा देंगे?

श्री अमराराम (धोद) : अध्यक्ष महोदय, इसका उत्तर तो दें। वहां जिस तरह से अराजकता है, वहां का स्टाफ जब किसी दुकान से ले जाते हैं तो वापस कर देते हैं। यह हालत ए क्लास अस्पताल की है जिसमें एक करोड़ के करीब खर्च होते हैं और जिसमें पेशेंट की रहने लायक स्थिति नहीं है।

श्री अध्यक्ष : तो जवाब सुनिये। आप बोलिये...(व्यवधान) कहिये। अब सुनिये आप...(व्यवधान) माननीय सदस्य, आप बिराजिये। स्थान ग्रहण करें।

डा. दिगम्बर सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदया, माननीय सदस्य ने जैसा कहा कि अस्पताल में बैड्स या बैड्स पर चद्दर नहीं है, बैड्स खराब हैं, चद्दर खराब हैं साफ सफाई की व्यवस्था ठीक नहीं है, मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं कि हर अस्पताल में मेडिकल रिलीफ सोसायटी के पास बहुत पैसा है। इसी बात के लिये है कि हास्पिटल के जो रैकरिंग एक्सपेंडीचर्स हैं...(व्यवधान) उसमें बहुत पैसा है, उनको खर्च नहीं कर रहे हैं। कलक्टर्स की अध्यक्षता में उनकी कमेटी बनायी हुई है। चद्दर, बैड्स की व्यवस्था तो वहीं से हो सकती है। अगर इसमें कोई कमी होगी तो निश्चित रूप से उसकी जांच करवा कर उसको सही कराया जाएगा।

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी, आप जिला कलक्टर को लिख सकते हैं कि मेडिकल रिलीफ सोसायटी के मार्फत वह इन सब चीजों की व्यवस्था करें। आप लिख सकते हैं उनको।

श्री अमराराम (धोद) : अध्यक्ष महोदय, सीकर की रिलीफ सोसायटी में इतना बजट है ही नहीं। सौ साल पुरानी वह बिल्डिंग है जिसमें सेनिटेशन की कोई व्यवस्था नहीं हैं, बदंबू आती है। परन्तु सबसे बड़ी प्राब्लम यह है कि...(व्यवधान)

श्रीमती राजकुमारी शर्मा : अध्यक्ष महोदय, बजट तो वहां पर बहुत है लेकिन वहां राजनीति बहुत हावी है, इसीलिये हमारे अधिकारी वहां लगाना नहीं चाहते हैं। मंत्री महोदय से भी मैं निवेदन करना चाहता हूं कि वहां पर बहुत सारे ऐसे मुद्दे उठे हुए हैं तो आप उसकी जांच करवाइये, कौन-कौन वहां पर इसको शीघ्रता से देखते हैं और कौन नहीं।

डा. दिगम्बर सिंह : अध्यक्ष महोदय, अभी माननीय सदस्य ने जो सवाल उठाया बड़ा अहम सवाल है। हास्पिटल्स में जहां पुरानी बिल्डिंग है, सही बात है कि उनकी

(डा. दिगम्बर सिंह)

मेंटिनेंस पुअर है। पर अभी हमारा हैल्थ मैनेजमेंट प्रोजेक्ट सितम्बर से चालू हो रहा है और मैं समझता हूं कि इस प्रोजेक्ट के माध्यम से हम राजस्थान के मेडिकल सिस्टम में निश्चित रूप से परिवर्तन करने की स्थिति में होंगे। जिस हास्पिटल में बिल्डिंग की कमी है, खराब है, आउटडेटेड है. सिविल वर्क के लिये भी काफी उसमें प्रावधान है। सारी प्रिप्रेशन जिले के हिसाब से कर ली गयी है...

श्री रामसिंह विश्नोई : माननीय मंत्री महोदय इतना बड़ा जवाब दे रहे हैं। छोटी सी बात है, एक लाइन का जवाब है, जिसके अन्दर आधा घंटा हो गया।

श्री अमराराम (धोद) : सीकर का बता दें, सीकर में कब तक हो जाएगा?

डा. दिगम्बर सिंह : आप पेशेंस से रहे हैं या आप पूछें नहीं, और पूछते हैं तो आप सुनिये।

श्री रामसिंह विश्नोई : एक गाइनिकी का डाक्टर लगाने के लिये बात आपको कहनी है, और क्या था इसमें? क्या सुनना था इसमें? एक गाइनिकी का डाक्टर लगाना है, बस, और बाकी तो फिर पूछते रहेंगे लोग...।

डा. दिगम्बर सिंह : आप अगर कोई पूछते हैं माननीय सदस्य तो उसे सुनने की हिम्मत भी करो।

श्री रामसिंह विश्नोई : काहे का सुनना है आपका? आप तो बता दो।

डा. दिगम्बर सिंह : आप मत सुनो, आप अपने कान में उंगली डाल लो।

श्री रामसिंह विश्नोई : यह डिबेट थोड़े ही है मेडिकल पर। (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : डा. साहब. आप तो यह बताओ कि सीकर का कितने करोड़ में...(व्यवधान) सीकर के हास्पिटल की बिल्डिंग सौ साल से भी ज्यादा पुरानी है. मंत्रीजी. आप जानते हैं। राजेन्द्रजी भी उधर से गुजरते हैं। ऐसी बिल्डिंग है जो आज की हालत में रहने लायक नहीं है...

श्री अध्यक्ष : आप तो गये हैं वहां।

श्रीमती राजकुमारी शर्मा : इसमें भारतीय जनता पार्टी का कोई हाथ नहीं है। चालीस साल तक कांग्रेस का राज रहा है; इस तरह की हालत हो गयी है। अब यह हमारे सुधार में आया है हमारी सरकार जब बनी है तो।

श्री अमराराम (धोद) : मेडिकल स्टोर चलाते हैं, जिस तरह का कर रखा है, मेडिकल स्टाफ आपका उसमें किस तरह से लोगों को चीट कर रहा है। दूसरा बिल्डिंग का रिनोवेशन का।

डा. दिगम्बर सिंह : मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं, इस प्रोजैक्ट में केवल रिनोवेशन नहीं है, अगर नयी बिल्डिंग की भी आवश्यकता हो तो नयी बिल्डिंग बनवायी जाएगी। पूरे राजस्थान में सर्वे करवा कर नयी बिल्डिंग...(व्यवधान)

श्रीमती राजकुमारी शर्मा : माननीय मंत्रीजी आप तो यह बता दीजिये, गाइनिकी महिला डाक्टर आप कब तक लगा देंगे?

श्री संयम लोढ़ा : माननीय मंत्रीजी, आपने सीकर चार एस.एस. अगेंस्ट दी पोस्ट लगा रखे हैं, राजस्थान में आप अगेंस्ट दी पोस्ट डाक्टर लगाने की व्यवस्था खतम करना चाहते हैं क्या?

डा. दिगम्बर सिंह : मैंने जिस दिन इस विभाग को देखा, कांग्रेस के समय से 92 स्पेशलिस्ट आपने...

श्री संयम लोढ़ा : हमने तो किया खोटा काम, आप सही करोगे क्या?

श्रीमती राजकुमारी शर्मा : हां, अब सही करेंगे। खोटा काम है।

श्री संयम लोढ़ा : आप सही करोगे?

डा. दिगम्बर सिंह : कांग्रेस शासन में चिकित्सा विभाग की जितनी दुर्गति आप लोगों ने की है, आज तक किसी ने नहीं की।

श्री संयम लोढ़ा : आपको राज इसलिये नहीं दिया कि आप हमको सुनाते रहें। आपको सेवा करने के लिये दिया है। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : आपने खोटे किये हैं, यह सुधार रहे हैं. यह तो बहुत अच्छी बात है।

श्री संयम लोढ़ा : आप अगेंस्ट दी पोस्ट सिस्टम खतम करोगे क्या? (व्यवधान)

डा. दिगम्बर सिंह : देखिये, आपने जो परिपाटी डाली उसमें से भ्रष्टाचार को निकालकर बाकी सारी व्यवस्थाएं जो जनहित में हो सकती हैं, करने का पूरा मन है।

श्रीमती राजकुमारी शर्मा : धन्यवाद, मंत्री महोदयजी। आप तो यह बता दीजिये कि महिला चिकित्सक गाइनिकी आप कब तक लगाएंगे?

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट क्वेश्चन। श्री रामचन्द्र सराधना। (व्यवधान)

डा. चन्द्रशेखर बैद : अध्यक्ष महोदय, इस सबके बारे में मैं एक बहुत इम्पोर्टेंट बात कह रहा हूं, यह सारी जो...(व्यवधान)

श्रीमती राजकुमारी शर्मा : आप महिला गाइनिकी कब तक लगा देंगे, यह बता दें मंत्री महोदय?

श्री अध्यक्ष : स्थान ग्रहण करें। मैंने दूसरा क्वेश्चन पुकार लिया है। कृपया स्थान ग्रहण करें।

डा. चन्द्रशेखर बैद : मैं तो, अध्यक्ष महोदय, आपकी परमीशन से ही खड़ा हुआ हूं। इसी सवाल से जुड़ी हुई बहुत महत्वपूर्ण चीज बताने जा रहा हूं। एक मिनट।

शिक्षाकर्मियों के अन्य सेवाओं में उपयोग से प्रभावित शिक्षण कार्य

97. श्री रामचन्द्र सराधना (जमवारामगढ़) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) गत तीन वर्षों में सरकार ने राजकीय विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों, शिक्षाकर्मी सहयोगियों, पैराटीचर्स व अन्य शिक्षकों से उनके अध्यापन कार्य के अतिरिक्त अन्य क्या-क्या कार्य करने के आदेश कब-कब प्रसारित किये? आदेशों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या अध्यापकों द्वारा उक्त कार्य करने के कारण उनका अध्यापन कार्य प्रभावित होता है? यदि हां. तो इसके लिये भविष्य में क्या कदम उठाये जाएंगे?

शिक्षा मंत्री (श्री घनश्याम तिवाड़ी) : (1) राजकीय विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों से उनके अध्यापन कार्य के अतिरिक्त राष्ट्रीय महत्व के कार्यों को करने के आदेश

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

दिनांक 23.04.2003, 30.05.2003 व 30.09.2003 के द्वारा निम्न कार्य करने के निर्देश दिये गये :-

1. साक्षरता एवं सतत् शिक्षा कार्यक्रम
2. चुनाव
3. राष्ट्रीय जनगणना
4. आर्थिक गणना
5. राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम
6. पल्स पोलियो जैसे महत्वपूर्ण अभियान

जारी आदेशों की प्रति संलग्न है

(2) जी हां।

अतिरिक्त कक्षाएं तथा अतिरिक्त समय में छात्रों की अध्यापन व्यवस्था पूर्ण की जाती है।

(प्रतियों के लिए परिशिष्ट-3 देखें)

श्री रामचन्द्र सराधना (जमवारामगढ़) : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न बड़ा संवेदनशील था। समाज के हर तबके से जुड़ा हुआ प्रश्न है। माननीय मंत्री महोदय ने छ: कार्य लिखे हैं कि अध्यापकों से छह कार्य करवाये जाते हैं। क्या इसके अलावा ग्राम सभा, अकाल राहत के कार्यों में अध्यापकों को नहीं लगाया जाता, नम्बर एक?

दूसरा, क्या आज भी अध्यापक तहसील कार्यालय, पंचायत समिति कार्यालय और शिक्षा अधिकारी के कार्यालयों में लिपिक का काम नहीं कर रहे हैं? यदि हां, तो क्या सरकार इन्हें वापस अपने विद्यालयों में भेजने का विचार रखती है? विचार रखती है तो कब तक, और नहीं तो क्यों?

तीसरा, आपने जवाब दिया है कि अतिरिक्त कक्षाएं लगाकर अतिरिक्त समय में छात्रों की अध्यापन व्यवस्था पूर्ण करवायी जाती है। अध्यक्ष महोदय, प्राथमिक शिक्षा से सब परिचित हैं और इन कार्यों में सबसे ज्यादा अध्यापक लगाये जाते हैं प्राथमिक शिक्षा से. प्राथमिक शिक्षा में कहीं पर अतिरिक्त कक्षाएं यदि लगी हों. एक भी जन

(श्री रामचन्द्र सराधना)

प्रतिनिधि ईमानदारी से बता दे कि उनके विद्यालयों में अतिरिक्त कक्षाएं लगी हों। आप उन छोटे-छोटे मासूम बच्चों को क्या शिक्षा देना चाहते हैं? एकल अध्यापक विद्यालयों से भी अध्यापकों को इन कार्यों में लगा दिया गया है राष्ट्रीय महत्व का समझकर, लेकिन उस राष्ट्रीय महत्व के कार्य को नकार दिया गया है। क्या इस व्यवस्था को आप बदलना चाहेंगे? और अतिरिक्त कक्षाएं लगाने का यदि कोई उदाहरण हो तो वह मुझे फर्मा दें, मुझे बता दें। जमवारामगढ़ विधान सभा क्षेत्र का आपको उदाहरण देता हूं, 5 वर्ष में, 10 वर्ष में, 15 वर्ष में प्राइमरी विद्यालयों में अतिरिक्त कक्षाएं नहीं लगी हैं। यह आपका जवाब बिलकुल सत्य से परे है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बात सही है, माननीय सदस्य ने जो कहा है, कि इन कार्यों के अलावा भी पहले अध्यापकों को ग्राम सभाओं में तथा अन्य कार्यों में लगा देते थे। अभी बाद में राजस्थान हाई कोर्ट में रिट हुई-राजस्थान शिक्षक संघ रिट नम्बर 2779/2001, राज्य शिक्षक संघ बनाम राज्य सरकार, उसमें 13.02.2003 को एक निर्णय हुआ। उस निर्णय में ये जो मैंने छह कार्य बताये हैं इनके अलावा अन्य कार्यों में अध्यापकों को नहीं लगाया जाए, इस बात के निर्देश हुए थे। अध्यक्ष महोदय, मेरे कार्यभार सम्भालने के बाद शिक्षक संघ के एक अधिवेशन में साफ-साफ कह दिया था कि जो कार्य राजस्थान उच्च न्यायालय की डी.बी. ने हमको बताये हैं उनके अलावा अध्यापकों को अन्य किसी भी कार्य में राज्य सरकार नहीं लगाएगी। यह नीति-संगत फैसला हमने कर लिया है।

रहा सवाल पहले का कि पहले कक्षाएं पूर्ण हुई या नहीं हुई, अब उन सब बातों के भूतकाल में जाने से कोई मतलब नहीं है। आगे मैं यह व्यवस्था कर रहा हूं कि आज के बाद में राजस्थान उच्च न्यायालय ने जो छह काम बताये हैं उनके अलावा अध्यापकों को अन्य कामों में नहीं लगाया जाए।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट क्वेश्चन, रामसिंहजी विश्नोई।

श्री हेमाराम चौधरी : लोक जुम्बिश के जो सिविल वर्क्स हैं, रिपेयरिंग वर्क्स हैं, वे भी आप अध्यापकों के माध्यम से करवा रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : अब आप समाप्त करें।

श्री हेमाराम चौधरी : एक अध्यापक लोक जुम्बिश में जाता है और बिल्डिंग बनाने में लगा हुआ है, पढ़ाने का काम कौन करता है?

श्री अध्यक्ष : अब आप समाप्त करें। आप बोलें।

श्री हेमाराम चौधरी : यह इन छह कामों के अलावा है न, आप पता करवा लें। अगर यह बात सही है तो आप क्या कार्यवाही करेंगे? नहीं है तो ठीक है।

श्री रामचन्द्र सराधना : अध्यक्ष महोदय, मेरा एक सवाल है, मेरा जवाब नहीं आया। क्या मंत्री महोदय उन अध्यापकों को जो लिपिक का काम कर रहे हैं अलग-अलग कार्यालयों में, उन्हें क्या वापस अपने विद्यालयों में भेजना चाहते हैं? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : उन्होंने जवाब दे दिया है। हाई कोर्ट के आदेश के मुताबिक छह कामों के अलावा और कोई काम अध्यापकों से नहीं करवाये जाएंगे, यह स्पष्ट कर दिया गया है। स्पष्ट बता दिया है और अब मैंने दूसरा प्रश्न पुकार लिया। रामसिंहजी विश्नोई का जवाब आने दें।

श्री रामचन्द्र सराधना : नहीं, नहीं, जवाब नहीं आया।

श्री हेमाराम चौधरी : लोक जुम्बिश में जो बिल्डिंग के लिए पैसा दिया. बिल्डिंग का काम सारे अध्यापक करवा रहे हैं। नयी बिल्डिंग बनवानी है, चाहे रिपेयरिंग का काम है, सब अध्यापक करवा रहे हैं। लोक जुम्बिश के कार्यालय और स्कूल के बीच में ही उनका आने-जाने का काम है, इस काम में ही लगे हुए हैं, उन्होंने पढ़ाई का काम छोड़ दिया है।

श्री अध्यक्ष : मैंने नैक्स्ट क्वेश्चन पुकार लिया।

श्री रामचन्द्र सराधना : अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का जवाब नहीं आया। मैं यह पूछना चाह रहा था, इतना महत्वपूर्ण प्रश्न था, कि जो अध्यापक प्रतिनियुक्ति पर अन्य कार्यालयों में बाबू का काम कर रहे हैं, उन्हें विद्यालयों में सरकार भेजना चाहती है कि नहीं?

श्री अध्यक्ष : मैंने नैक्स्ट क्वेश्चन पुकार लिया है।

श्री रामचन्द्र सराधना : सरकार तक जाने ही नहीं देना चाहती। अध्यक्ष महोदय, बड़ी कृपा है आपकी, उन अध्यापकों को रिलीव करवाकर विद्यालयों में पहुंचाएं।

श्री अध्यक्ष : मैंने नैकस्ट क्वेश्चन पुकार लिया है, माननीय मंत्रीजी जवाब दीजिये।

श्री रामचन्द्र सराधना : माननीय शिक्षा मंत्री जवाब देना चाह रहे हैं।

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय, जवाब आना चाहिए। (व्यवधान)

श्री रामचन्द्र सराधना : जवाब नहीं दिया।

श्री हेमाराम चौधरी : कहां दिया? प्रतिनियुक्ति वाला सारा रह गया। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप बोलें, रामसिंहजी विश्नोई।

फसल बीमा योजनान्तर्गत सम्मिलित कृषि जिन्स

98. श्री रामसिंह विश्नोई (लूनी) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) प्रदेश में फसल बीमा योजना कब से लागू की गई थी? विभिन्न फसलों पर इसकी दर क्या है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि फसल बीमा योजना में समस्त प्रकार की जिन्सों को शामिल नहीं किया गया है? यदि हां, तो क्यों?

(3) फसल बीमा योजना के अन्तर्गत काश्तकारों को पूरा लाभ पहुंचाने के लिये इस योजना की क्या प्रक्रिया है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

कृषि मंत्री (श्री प्रभुलाल सैनी) : (1) राज्य सरकार द्वारा राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना खरीफ, 2003 से राज्य में प्रारम्भ की गई। प्रीमियम की दर निम्नानुसार है:-

मौसम	फसलें	प्रीमियम दर
खरीफ	बाजरा एवं तिलहन	बीमित राशि का 3.50 प्रतिशत
	अन्य फसलें (अनाज एवं दलहन)	बीमित राशि का 2.50 प्रतिशत
रबी	गेहूं	बीमित राशि का 1.50 प्रतिशत
	अन्य फसलें (अनाज, दलहन, तिलहन)	बीमित राशि का 2.00 प्रतिशत
खरीफ एवं रबी	वार्षिक नकदी फसलें	वास्तविक दर

(2) जी हां। खरीफ 2003 में छह मुख्य फसलों का चयन किया। खरीफ, 2004 में

(श्री प्रभुलाल सैनी)

14 फसलों को योजनान्तर्गत अधिसूचित कर दिया गया है। जिन फसलों में बोया गया क्षेत्र तुलनात्मक रूप से कम है, उन्हें फसल बीमा योजना में संसूचित नहीं किया गया है।

(3) क्षति का आकलन तहसीलवार फसल कटाई प्रयोगों के आधार पर किया जाता है। इस आकलन के आधार पर तहसील स्तर पर औसत उपज के गारंटी उपज से कम होने पर क्षतिपूर्ति देय होती है।

श्री रामसिंह विश्नोई (लूणी) : अध्यक्ष महोदय, प्रदेश में 60 और 80 लाख के बीच में खरीफ और रबी के काश्तकार हैं। जब राष्ट्रीय फसल बीमा योजना लागू हुई उसमें पिछली सरकार ने 6 फसलों पर बीमा योजना लागू की थी और इस बार आपने 14 फसलों के लिये किया है। मैंने पूछा था कि फसल के नुकसान होने के बाद आप उन काश्तकारों को क्या रिलीफ दे रहे हैं। आपने प्रीमियम दिया है, मैंने प्रीमियम का नहीं पूछा है। एक किसान जो 5 एकड़, 15-20 एकड और 50 एकड में फसल बोता है, उसका नुकसान आप किस आधार पर देंगे? और प्रीमियम राज्य सरकार भरेगी या केन्द्र सरकार भरेगी? या कितना प्रतिशत कौन भरेगा? या काश्तकार भरेगा कोआपरेटिव के माध्यम से भरेगा, प्राइवेट भरेगा? इस तरह की बात पूछी है, कृपया उसका जवाब दें।

दूसरा, आपने जो तहसीलवार दिया है कि हम तहसीलवार निकालेंगे, आपको मालूम है कि जब बरसात होती है तो बैल के एक सींग पर बरसात होती है और दूसरा सूखा रह जाता है। तहसील में तो दो सौ गांव होते है तो फिर आप गांव-गांव में जहां अकाल की स्थिति बन जाती है, ऐसी स्थिति में आप उसका आकलन किस आधार पर करेंगे?

तीसरा, मेरा प्रश्न यह है कि जो काश्तकार, अभी मान लो कि बहुत अच्छी बरसात लगभग 15-20 तारीख को होने वाली है. लेकिन खुदा ना खास्ता बरसात नहीं हुई, मैं अकाल का कैसे कह दूं, मैं अकाल का तो कह नहीं सकता...।(व्यवधान) बरसात हो जाएं, लेकिन मान लो बरसात नहीं होती है, फिर आप किस आधार पर उन काश्तकारों को रिलीफ देंगे? फसल बीमा योजना के अन्तर्गत इसको भी आप बताएं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मूल प्रश्नकर्ता का जवाब आने दीजिये।

श्री प्रभुलाल सैनी : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य द्वारा चाही गयी सूचना इस प्रकार है। आपका प्रश्न था कि आधी तहसील में बारिश हो जाती है और आधी में बारिश नहीं हो तो राज्य सरकार किस प्रकार से उनके मूल्य का निर्धारण करेगी, उनका प्रीमियम प्राप्त करके उनका मुआवजा कैसे भुगतान किया जाएगा।

दूसरा यह था कि राशि निर्धारण के मापदण्ड क्या हैं, इसके बारे में सूचना चाही गयी है।

मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना राजस्थान में खरीफ 2003 में लागू की गयी थी। उस समय खरीफ की 6 फसलों मक्का, बाजरा, ग्वार, ज्वार, कपास और मूंगफली को सम्मिलित किया गया था और उसमें यह निर्धारित किया गया था कि इनडेक्निटी के स्तर पर खरीफ में किस प्रकार से इन फसलों का कितना-कितना मुआवजा तय किया है, यह राज्य सरकार द्वारा तय किया गया था। उसमें मक्का का 90 प्रतिशत से अधिक खराबा होने तक राज्य सरकार द्वारा उनको इस योजना का लाभ दिलाने का प्रावधान था। बाजरा 80 प्रतिशत, ग्वार 60 प्रतिशत, ज्वार 60 प्रतिशत, कपास 60 प्रतिशत, मूंगफली 60 प्रतिशत था। मैं आपके माध्यम से यह भी जानकारी देना चाहूंगा कि खरीफ 2003 में 20610 किसानों को इस योजना में लिया गया था जिसमें से लघु और सीमान्त कृषकों की संख्या 6666 थी और 13944 अन्य कृषक थे जिन्हें फसल बीमा योजना से जोड़ा गया था।

मैं सदन को यह भी जानकारी देना चाहूंगा कि फसल बीमा योजना में अब तक जितने भी आंकड़े विभाग के माध्यम से प्राप्त हुए हैं उनमें सारे के सारे वे बीमित हुए हैं जिन्होंने बैंकिंग संस्थाओं से ऋण लिया। उन लोगों को ही इसके लिए पात्र माना गया था। इस बारे में मैं आपसे यह भी निवेदन करना चाहूंगा इस सदन के माध्यम से कि राजस्थान की कुल 232 तहसीलों को राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना में सम्मिलित किया गया और सम्वत् 2003 में कुल प्रभावित तहसीलें 9 हुई। जहां पर समुचित कटाई की व्यवस्था हुई उन तीन तहसीलों-खाजूवाला, फलौदी, सपोटरा... (व्यवधान) माननीय सदस्य, मैं वहीं आ रहा हूं। आप यह कहना चाह रहे हैं...(व्यवधान) मैं भी काश्तकार हूं और, माननीय सदस्य, मैं तो वह सब बता रहा हूं...(व्यवधान)।

श्री अध्यक्ष : आप जवाब दें। (व्यवधान)

श्री प्रभुलाल सैनी : आपका यह प्रश्न था कि इसकी राशि का निर्धारण किस प्रकार किया जाता है। इस प्रश्न के जवाब में मेरा आपसे निवेदन है कि पिछले पांच वर्षों की फसल का आकलन किया जाता है कि पिछले पांच वर्षों में किस प्रकार से कितना-कितना फायदा हुआ, नुकसान हुआ। गेहूं की फसल का इन्होंने तीन साल का लक्ष्य रखा है। यदि फिर भी नहीं हो पाता किसी फसल का, तो समर्थन मूल्य के आधार पर उसको भुगतान करने की व्यवस्था राज्य सरकार द्वारा की गई है।

श्री अध्यक्ष : यह फिर बजा किसी का मोबाइल। यह इधर बजा है। (व्यवधान) बहुत बड़ी गलत बात है यह।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (संसदीय कार्य मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, आवाज सुन लो। (व्यवधान) आवाज सुन लो, अध्यक्ष महोदय।

श्री जुबेर खान : संसदीय कार्य मंत्री महोदय, स्वयं अध्यक्ष महोदय कह रही हैं कि आपके उधर बज रहा है और आप इधर-उधर इशारा कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : आप खड़े होकर दोषी को बचाना चाहते हैं, सत्ता पक्ष के मुख्य सचेतक महोदय, मैं आपसे कुछ कह रही हूं, आपके यहां पर किसी का मोबाइल बजा है और आपकी जिम्मेदारी है। मैं आपका सीज करूंगी, आपका मोबाइल सीज करूंगी।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक) : हां, इधर बजेगा तो मेरी जिम्मेदारी है। (व्यवधान)

श्री रामसिंह विश्नोई : आप तो जाने दो इसको।

श्री प्रभुलाल सैनी : आप माननीय सदस्य सहमत हैं, पहले प्रश्नकर्ता...

श्री हंगामी लाल मेवाड़ा (आसीन्द) : अध्यक्ष महोदय, ये प्रश्न से परे जा रहे हैं। रामसिंहजी ने यह पूछा कि किसानों की जो फसल बीमा योजना है उसमें तहसील की इकाई को यूनिट मानकर कर रहे हैं, इस सम्बन्ध में आप बताओ। आप भाषण देते जा रहे हो। आप पूरा तहसील को यूनिट मानते हैं जबकि वहां के किसानों के हर गांव को यूनिट मानें। बाकी यह फसल बीमा एक पूरा धोखा देने वाली स्कीम अपना रखी है। जो बैंक से लोन लेगा या ऋण लेगा तो बीमा करने वाले को तो सारी प्रीमियम जाएगी और किसान को कुछ नहीं मिलेगा। पूरे जिले में 8 तहसीलें हैं और एक यूनिट मान एग्रीकल्चर का अधिकारी वहां के 15 किसानों का चयन करेगा।

श्री अध्यक्ष : आप प्रश्न पूछिए। भाषण न करें।

श्री हंगामी लाल मेवाड़ा : यह प्रश्न बिलकुल किसानों का महत्वपूर्ण मामला है, यह प्रश्न से सम्बन्धित है।

श्री अध्यक्ष : आप मंत्रीजी, जवाब दीजिए।

श्री हंगामी लाल मेवाड़ा : यह प्रश्न से सम्बन्धित है, बहुत बड़ा इश्यू है, एक पूरी धोखे वाली स्कीम कर रखी है बीमा कम्पनियों को फायदा देने के लिए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : हो गया हुकुम, प्रश्नकर्ता संतुष्ट हो गए मैडम, दूसरा प्रश्न लें। (व्यवधान)

श्री रामसिंह विश्नोई : मंत्री महोदय, आप जवाब तो दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, मुझे कोई शिकायत नहीं है। माननीय सदस्य ने जो बात कही है, वह मैंने पूछ रखी है। आपको जवाब वही दो-तीन बातों का देना है। आप पूरी हिस्ट्री बता रहे हैं, मतलब उससे कोई नहीं है। अधिकारियों से आपने पहले डिस्कस किया नहीं।

मैं यह पूछ रहा था कि आपने सबसे पहले गांव को यूनिट माना है, तहसील को। गांव के अन्दर आपको मालूम है कि जब बरसात होती है तो दो गांवों में हो जाती है, चार में नहीं होती है, दस में नहीं होती, तो इसका आंकलन आप कैसे करेंगे? एक तो यह मामला था। दूसरी, यह जो प्रीमियम है, मान लो, कोआपरेटिव बैंक का मैम्बर है या भूमि विकास बैंक का मैम्बर है, जहां से ऋण लिया है, उसको ही आपने फसल बीमा में लिया है किसान जिसने ऋण नहीं लिया है, सादा किसान है, उसके पास पैसा चाहे नहीं हो लेकिन खेती के लायक पैसा है और उसकी फसल खराब हो जाती है, उसको आपने फसल बीमा से जोड़ने के लिए क्या रास्ता अपनाया है? तीसरा, जब बरसात ही नहीं होगी पूरे प्रदेश में खुदा न खास्ता तो उसको किस तरह से इसमें बीमा योजना से जोड़ेंगे? ये तीन बातें ही तो आपको बतानी थीं। (व्यवधान)

श्री हेमाराम चौधरी (गुढामालानी) : माननीय अध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न...

श्री प्रभुलाल सैनी : पहले इनका जवाब दे दूं।

श्री अध्यक्ष : पहले इनका जवाब आने दो, मूल प्रश्नकर्ता का जवाब आने दीजिए।

श्री रामसिंह विश्नोई : क्यों लम्बा करते हो?

श्री हेमाराम चौधरी : 2003 में आपने फसल बीमा योजना लागू की उसमें कितने किसानों को आपने कितना मुआवजा का भुगतान किया? वह तो सम्मिलित किये हैं लेकिन मुआवजा दिया है क्या किसी को? आपने प्रीमियम कितना लिया और मुआवजा कितना दिया, यह बता दो?

श्री प्रभुलाल सैनी : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य द्वारा किये गये प्रश्न का जवाब इस प्रकार से है। आपका प्रश्न यह है कि निर्धारण किस प्रकार से किया जाता है नुकसान का, उसके बारे में मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा कि कृषि बीमा योजना में एक तहसील क्षेत्र को, सम्पूर्ण को एक यूनिट माना है। और सम्पूर्ण तहसील क्षेत्र में उसका मुआवजा निर्धारित करने के लिए क्राप कटिंग के रूप में तहसील के माध्यम से 16 ऐसे स्थानों से क्राप कटिंग करके मूल्यों को निर्धारित किया जाता है। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : यह जवाब सही नहीं है। (व्यवधान)

श्री प्रभुलाल सैनी : एक बात और बताऊं कि उस क्राप कटिंग के बाद में क्राप कटिंग किसी भी क्षेत्र की नहीं होती, बाकी पूरे तहसील क्षेत्र को ही चिन्हित करके वहां पर राजस्व विभाग द्वारा कटिंग की जाती है।

श्री अमराराम (धोद) : क्राप होगी ही नहीं तो कटिंग क्या करेंगे? जब बोई ही नहीं जा रही है तो कटिंग क्या होगी?

श्री रामलाल (बनेड़ा) : बीमा काहे का होगा? (व्यवधान)

श्री प्रभुलाल सैनी : माननीय सदस्य, मेरी बात को आप सुनिए। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, अगला प्रश्न ले लें. यह बहुत इम्पोर्टेंट है।

श्री प्रभुलाल सैनी : मेरी बात को आप सुनिए, माननीय सदस्य, आपको पूरा मौका दिया जाएगा। (व्यवधान)

श्री रामसिंह विश्नोई : फसल बो रखी है।

श्री प्रभुलाल सैनी : आपने कहा कि वहां फसल ही नहीं होगी तो कटिंग काहे की की जाएगी, ऐसा विषय राज्य सरकार के समक्ष अभी नहीं आया। जहां भी कटिंग करने वाले गये हैं, राजस्व अधिकारियों ने रिपोर्ट दी है कि कटिंग में ये परिणाम आये हैं। परिणाम आने के बाद में आपने कितने लोगों को मुआवजा...

श्री अमराराम (धोद) : बाजरो सिट्टो ही कोनी काढ्यो. कटिंग कर लेस्यो थे?

श्री प्रभुलाल सैनी : एक मिनट, मेरी बात सुन लें आप। हो सकता है आप लोग...

श्री अमराराम (धोद) : बाजरा बो दिया और बाजरे से सिट्टा ही नहीं निकलेगा तो कटिंग काहे से करेंगे आप? बीमा इस बात का है कि बाजरा बोया गया है बाजरे की पैदावार ही नहीं हुई? यह बीमा केवल बीमा कम्पनियों को फायदा पहुंचाने के लिए है।

एक माननीय सदस्य : मंत्री महोदय, प्रश्न यह है कि एक गांव और दूसरे गांव बरसात ही नहीं हुई तो आप क्या करेंगे?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी ने संतोषजनक जवाब दे दिया है, रामसिंहजी विश्नोई बैठ गये हैं, नैक्स्ट क्वेश्चन ले लें। (व्यवधान) नैक्स्ट क्वेश्चन ले लें।

श्री रामसिंह विश्नोई : दो मिनट बाकी रहे हैं, जवाब तो इनसे दिया जाता नहीं. इसको आप पोस्टपोन कर दो।

श्री अमराराम (धोद) : पोस्टपोन कर दो, साहब।

श्री रामचन्द्र सराधना (जमवारामगढ़) : बहुत बड़ा इश्यू है।

श्री नरपत सिंह राजवी (उद्योग मंत्री) : स्थगित किस बात के लिए? सारे जवाब आ गये हैं। (व्यवधान)

श्री रामलाल (बनेड़ा) : क्या जवाब आ गया? जवाब बिलकुल नहीं आया है। (व्यवधान) क्या पता चलेगा कि तहसील में कितने किसानों को नुकसान हुआ है? (व्यवधान) आपने प्रीमियम कितना लिया; लोगों को फायदा कितना दिया? आज एक खेत पर बरसात होती है, दूसरे खेत पर नहीं हो रही हैं, आप क्या बीमा कर रहे हैं? (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : पूरी तहसील की फसल नष्ट हो गई, 90 प्रतिशत नष्ट हो गई, उसका मुआवजा देंगे क्या? ऐसी बीमा योजना से तो नुकसान होगा किसान को, इसलिए स्थगित करके आधा घण्टे की चर्चा की जाए।

श्री रामलाल (बनेड़ा) : किसानों से धोखाधड़ी करके पैसा वसूल करने की कार्यवाही कर रहे हैं। लोगों की वाहवाही लूटने के लिए काम कर रहे हैं।

श्री नरपतसिंह राजवी : स्थगित करने का प्रश्न ही नहीं है।

श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, पूरा जवाब दे रहे हैं। (व्यवधान)

(12.00 बजे)

श्री रामसिंह विश्नोई : अध्यक्ष महोदय. मुझे आपकी शिकायत नहीं है। मंत्री महोदय, आप नाराज न हों, शिकायत नहीं है आपसे।

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकाल समाप्त हुआ। प्रश्नकाल समाप्त हुआ।

श्री रामसिंह विश्नोई : प्रश्न का क्या होगा, 60 लाख 80 लाख काश्तकारों का क्या होगा?

श्री अध्यक्ष : 15 मिनट हो गये हैं।

श्री सी. डी. देवल : अध्यक्ष महोदय, सब काश्तकारों के हित का मामला है।

श्री रामसिंह विश्नोई : अध्यक्ष महोदय, यह आपकी जिम्मेदारी होती है आसन की।

श्री अमराराम (धोद) : अध्यक्ष महोदय, आप उत्तर से संतुष्ट हो तो आप कह दो।

श्री रामसिंह विश्नोई : यह आसन की जिम्मेदारी होती है, वो जवाब सही ढंग से दिलवाए। आप संतुष्ट हैं या नहीं हैं, यह आपको देखना है।

श्री अमराराम (धोद) : क्या आप जवाब से संतुष्ट हैं? फसल बीमा योजना जिसका प्रचार किया जा रहा है, क्या आप उससे संतुष्ट हैं? तो हम बात को मान जाएंगे। जिस फसल बीमा का प्रचार किया जा रहा है, किसानों को लाभ होगा?

श्री रामलाल (बनेड़ा) : अध्यक्ष महोदय, हमारे भीलवाड़ा के एग्रीकल्चर आफिसर, जिला कलक्टर ने इसको रिफ्यूज किया है, उसकी चिट्ठी सरकार को लिखी है। उनका ट्रांसफर कर दिया इन्होंने। (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : जवाब से आप संतुष्ट हैं? रामसिंहजी ने पूछा है... (व्यवधान) यूनिट कैसी होगी, फसल कैसे काउंट होगी?

श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा) : जवाब से संतुष्ट नहीं हैं। आप संतुष्ट हैं तो ठीक है।

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी (व्यवधान) सुनिए तो सही आप। अब आप विशेषज्ञ खड़े हो गये। (व्यवधान) श्रवण कुमारजी विशेषज्ञ खड़े हो गये। माननीय मंत्रीजी, प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, मैं चाहूंगी आप इस समय इस विषय में... (व्यवधान) नहीं, पहले बात तो सुनिए। आप निर्देश देने लग गये आसन को ही। अब मैं क्या करूं? मैं निवेदन कर रही थी प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, किसानों से जुड़ा हुआ है, आप भी...(व्यवधान)

श्री रामसिंह विश्नोई : आप बोलने नहीं देते हैं, कमाल के आदमी हैं, आप इनका टाइम खराब करते हो। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मैं सत्ता पक्ष में आये हुए जो नये विधायक हैं उनके बारे में स्वीकार कर सकती हूं कि उन्हें नियमों की जानकारी नहीं है, लेकिन आप सब तो धुरधंर बैठे हुए हैं प्रतिपक्ष में। (व्यवधान) सुनिए, आप लोग नियमों का पालन नहीं करते हैं। आसन कुछ कहने जा रहा था, आप बीच में सब बोलने लग जाते हैं। आसन को पूरी बात कहने नहीं देते हैं। मैं समझती हूं यह उचित नहीं है और आपको इस बारे में इस बात का खासतौर से ध्यान रखना चाहिए। अब यह तो सब चलता है, लेकिन आप अपना स्वयं का सोचिये, जो कुछ हो रहा है। तो मैं निवेदन यह कर रही थी प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, राजस्थान की दो तिहाई जनता से जुड़ा हुआ प्रश्न है इसलिए आप इस विषय में पूरी जानकारी करिएगा और पूरी जानकारी...(व्यवधान) अब आप, देखिए, क्या हो गया? आप लोगों को क्या हो गया? मैं कुछ कह रही हूं, मुझे पहले पूरी बात कर लेने दीजिए, उसके बाद कहिएगा आपको जो कुछ कहना है। आप पूरी जानकारी कर लें और जानकारी करने के बाद में किसी और तरीके से यदि प्रतिपक्ष आता है तो आप उन्हें सैटिस्फाई करिएगा सब बातों से। पूरी जानकारी करिए और जानकारी करने के बाद ही पूरी बातों के लिए स्वयं स्पष्ट होइए और फिर बता दीजिएगा जैसा भी है।

श्री प्रभुलाल सैनी : मुझे स्वीकार है।

श्री अध्यक्ष : यदि कोई दूसरे तरीके से आते हैं तो। यदि ये लोग दूसरे तरीके से आते हैं।

श्री रामसिंह विश्नोई : अध्यक्ष महोदय, आप इतनी एक्सरसाइज कराना चाहती हैं तो एक प्रश्न को स्थगित करने में क्या लगता है? यह करो, वो करो, इतना काहे को करती हैं आप?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आसन को इस तरह से सम्बोधित करते हैं...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं, आपको नियमों की, प्रक्रिया की जानकारी है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, आसन को इस तरह से सम्बोधित करना, (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, यह आसन सर्वोपरि है, यह आसन हम सबके लिए आदर योग्य है, इस आसन का हम सब सम्मान करते हैं, एक वरिष्ठ सदस्य आसन को इंगित करके इस तरह से कहे, अध्यक्ष महोदय, इनको प्रताड़ित कीजिए।

श्री रामसिंह विश्नोई : क्या बोला मैंने? क्या बोला है, यों ही बात करते हो? क्या बात बोली है मैंने?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : प्रताडित कीजिए इनको आप।

श्री रामसिंह विश्नोई : बड़ा सम्मान करते हैं हम आपसे ज्यादा। हम आपसे ज्यादा सम्मान करते हैं आसन का।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आसन सबको संरिक्षत करता है और आसन को इस तरह से सदन में...(व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, वे भी कहें...(व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, आसन को इस तरह से...(व्यवधान)

श्री कालूलाल गुर्जर : अध्यक्ष महोदय. यह करो. वो करो, यह तो आसन का अपमान है। माननीय सदस्य इतने पुराने हैं और इस तरह से बात कर रहे हैं आप।

श्री रामसिंह विश्नोई : पुराना होना मना है क्या? क्या आपके जैसे हो जाएंगे? (व्यवधान)

श्री कालूलाल गुर्जर : पुराने होने के नाते आ''को यह मालूम नहीं कि अध्यक्षजी को क्या बात कही जाए? अध्यक्ष महोदय को कैसे सम्बोधित करते हैं. पुराने होते हुए भी नहीं समझते। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : पुराने हैं तो क्या हुआ? (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय. मेरा पाइंट आफ आर्डर है। अध्यक्ष महोदय. मेरा व्यवस्था का सवाल है। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : आपके और उनके सम्बन्ध व्यक्तिगत भी हैं इसलिए व्यक्तिगत सम्बन्धों को यदि सदन में...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आसन का किसी से कोई व्यक्तिगत सम्बन्ध नहीं होता है। आसन का कोई व्यक्तिगत सम्बन्ध नहीं होता है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, आसन सबके लिए आदरणीय है।

श्री महावीर प्रसाद जैन : मैं निवेदन करता हूं, प्रक्रिया में व्यवस्था है... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आसन का कोई व्यक्तिगत सम्बन्ध नहीं है।

श्री महावीर प्रसाद जैन : आसन ने यह व्यवस्था दी है, यदि आप कोई व्यवस्था मांगेंगे तो सरकार तैयार है। (व्यवधान)

श्री रामसिंह विश्नोई : आपको क्या हो गया? आसन सक्षम है मुझे हिदायत देने के लिए। आसन मुझे हिदायत देने के लिए सक्षम है और मैं इनकी हिदायत को मानने के लिए तैयार हूं, आपको बीच में पंचायत करने की आवश्यकता नहीं है।

श्री कालूलाल गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, आसन का स्थान गरिमामय है, प्रत्येक सदस्य की जिम्मेदारी है कि आसन की गरिमा को बनाये रखे। आप चाहे कहें या न कहें, लेकिन सारा सदन कह रहा है और सारा सदन मानता है कि आपको इस तरह सम्बोधित नहीं करना चाहिए कि ऐसे-वैसे, ऐसे-वैसे। ऐसे-वैसे क्या है?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, इस आसन से हम सारे लोग संरक्षित हैं, आप हम सबको संरक्षण प्रदान करते हैं। आपके कारण से इस पूरे सदन के अन्दर नियमों और प्रक्रिया से सम्बन्धित सदस्यों को हिदायत भी देते हैं, लेकिन वरिष्ठ होने का मतलब यह नहीं कि किसी को यह अधिकार मिल गया। आसन सर्वोपरि है, आसन को जिस तरह इंगित करके इन्होंने बात कही, इनको प्रताड़ित करना चाहिए आपको।

श्री रामसिंह विश्नोई : नहीं, नहीं, सबसे पहले आपको करना चाहिए। आप हमेशा बीच में बोल जाते हो। आप जैसा आदमी जो हमेशा बीच में बोलता है, पूरे सदन का समय खराब करता है, ऐसे आदमी को निष्कासित किया जाना चाहिए।

श्री कालूलाल गुर्जर : इनको खेद प्रकट करना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य बहुत वरिष्ठ हैं, अनुभवी हैं, प्रक्रिया को जानते हैं, नियमावली का उन्हें मालूम है, सब उन्होंने पढ़ रखी है, वो इस प्रश्न के जवाब से संतुष्ट नहीं हैं तो दूसरे हिसाब से आएंगे, सदन में प्रश्न का जवाब देंगे, कहां दिक्कत है?

श्री रामसिंह विश्नोई : यह। आप समझा करो।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : अध्यक्ष महोदय, इन्होंने नियमावली पढ़ी नहीं, लिखी है।

श्री रामसिंह विश्नोई : दिमाग में नियमावली लिखी हुई है, मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : लिखी है आपने, मैं यही कह रहा हूं।

श्री रामसिंह विश्नोई : आपको पढ़नी चाहिए, मैं तो सब पढा हुआ हूं।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें।

(प्रश्नकाल समाप्त)

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष : मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है:-

(1) श्री मोहम्मद माहिर आजाद एवं 6 अन्य सदस्यों की ओर से राज्य की निजी शिक्षण संस्थाओं एवं आवासीय विद्यालयों में अनुसूचित जाति/जनजाति के विद्यार्थियों के प्रवेश पर कथित रोक से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(2) श्री अमराराम धोद, सदस्य की ओर से जिला नागौर के थाना मारोठ के ग्राम सोलाया में एक संन्यासी की दिन-दहाड़े अपहरण कर हत्या करने की कथित घटना के सम्बन्ध में।

(3) श्री जीतमल खांट एवं श्री फतेह सिंह, सदस्य की ओर से थाना महवा क्षेत्रान्तर्गत दिनांक 6 जून, 2004 को हुए श्री हनुमान सिंह गुर्जर हत्याकाण्ड के सम्बन्ध में।

(श्री अध्यक्ष)

(4) श्री बाबूलाल नागर, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र दूदू के विद्यालय शिक्षकों के स्थानान्तरण से शिक्षकविहीन हो जाने के सम्बन्ध में।

उपरोक्त प्रस्ताव गृह एवं शिक्षा विभाग से सम्बन्धित हैं, दोनों ही विभागों की मांगों पर सदन में आगे चर्चा होगी, अत: अस्वीकार किये जाते हैं। चर्चा के समय माननीय सदस्यों को उपरोक्त विषय उठाने का अवसर रहेगा। अमराराम (धोद) की तो इसी सम्बन्ध में पर्ची भी है इसलिए इस सम्बन्ध में भी...(व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : मैंने तो दी ही नहीं।

श्री अध्यक्ष : सारी, बाबूलाल नागर की इस सम्बन्ध में पर्ची भी है इसलिए वे अपनी बात उस समय भी कह सकते हैं।

नियम 295 के अन्तर्गत प्राप्त विशेष उल्लेख की सूचनाएं

(1) श्री कान्तिप्रसाद मीणा, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र थानागाजी में कृषकों को कृषि विद्युत कनेक्शन नहीं दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(2) श्री हरीश कुमावत, सदस्य की ओर से तहसील नावां के ग्राम भावता एवं कुचामनसिटी के 33 के.बी. सब स्टेशन पर पावर ट्रांसफार्मर लगवाने के सम्बन्ध में।

(3) श्री नन्दलाल पूनिया, सदस्य की ओर से रामगढ़ (चूरू) में बस स्टेण्ड के लिए भूमि का आबंटन करने के सम्बन्ध में।

(4) श्री प्रभुलाल वर्मा, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र पीपल्दा के कितपय कस्बों की सड़कों की दशा खराब होने के सम्बन्ध में।

(5) श्री (डा.) समरजीत सिंह, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र भीनमाल के राऊता गांव में स्वीकृत 33 के.बी. सब स्टेशन को शुरू करवाने के सम्बन्ध में।

(6) श्रीमती वन्दना मीणा, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र उदयपुर ग्रामीण में स्थापित फैक्ट्रियों द्वारा फैलाये जा रहे प्रदूषण को रोकने के सम्बन्ध में।

(7) श्री पुष्पेन्द्र सिंह, सदस्य की ओर से अनुसूचित जनजाति बाहुल्य माडा चयनित वाली विधान सभा क्षेत्र के गांव-ढाणियों में बालिका शिक्षा की स्थिति में सुधार करने के सम्बन्ध में।

(श्री अध्यक्ष)

(8) श्री रामलाल शर्मा, सदस्य की ओर से कृषि कार्यों के लिए थ्री-फेस विद्युत कनेक्शनों के साथ-साथ सिंगल फेज विद्युत कनेक्शन जारी कर आर्थिक भार कम करने के सम्बन्ध में।

(9) श्री मुरारीलाल मीणा, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र बांदीकुई के विद्यालयों में शिक्षकों के पद रिक्त होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(10) श्री खुशवीर सिंह, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र खारची में फ्लोराइडयुक्त पेयजल उपलब्ध होने से मानव स्वास्थ्य पर हो रहे विपरीत प्रभाव के सम्बन्ध में।

माननीय सदस्यों को उनके द्वारा दी गई सूचना को पढ़ने की अनुमति होगी।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

सोलाया (नागौर) में संयासी की दिन दहाड़े हत्या

श्री अमराराम (धोद) : अध्यक्ष महोदय, आपने व्यवस्था दी है पर्ची शायद उनकी दूसरे सम्बन्ध में है। मेरा जो प्रश्न है वह सोलाया गांव का एक सवाल है जिस पर वहां के लोग उद्वेलित हैं। वहां के उस मन्दिर में पिछले तीन तारीख से लेकर आज तक सेवा नहीं हो रही है, लोग इस बात से भी उद्वेलित हैं। उस घटना में, अध्यक्ष महोदय, जिस तरह से मिहलाओं को घरों से निकाल निकाल कर पुलिस ने अपनी गलती को छिपाने के लिए किया है, और न केवल एक बल्कि दो-दो 307 के केस पुलिस अपने नाजायज लाठी चार्ज को छिपाने के लिए, उस सोयला गांव में जिसमें पिछले 25 साल से ज्यादा मुकदमे क्रिमिनल नहीं है, ऐसे शांत प्रभाव, जिस सन्यासी को घसीट कर, जीप से बांधकर, जिसका पीछा गांव वालों ने किया, मुल्जिमों को नहीं पकड़ कर पुष्कर के पास ले जाकर उस सन्यासी का पूरा चेहरा जलाकर, सारे गांव के आस-पास, लोगों के पास में भी नहीं, हरियाणा या जन्मा हुआ था उसको पुलिस अपनी गलती छिपाने के लिए वहां नहीं लाकर सीधा हरियाणा ले गये। आज भी लोग इतने भयभीत हैं 307 के मुकदमे से। वहां उनको प्रोटेक्ट करती है, मारकर पुष्कर में डालकर वापस यहां आ जाते हैं और दिन के एक बजे उनको सरेआम गांव के बीच में से मन्दिर में से उठाकर रस्से से बांधकर जीप से घसीटकर ले जाते हैं, गांव वाले पुलिस के साथ...

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य महोदय, इस सम्बन्ध में आप मुझसे मेरे चैम्बर में मिलें, मैं सारी जानकारी करने के बाद में गृह मंत्रीजी से बात करूंगी, वह आपको इस बारे में कुछ कहना चाहेंगे, बाद में इस पर चर्चा होगी।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा जो स्थगन प्रस्ताव था कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के बच्चों को विद्यालयों में प्रवेश नहीं दिया जा रहा है, आपने व्यवस्था दी है कि शिक्षा विभाग की जिस रोज मांग हो, उस रोज हम इस मुद्दे को उठा सकते हैं। एजुकेशन डिपार्टमेंट की जो डिमाण्ड है वह रखी है 23 जुलाई को और प्रवेश की जो अन्तिम तिथि है वह 20 जुलाई है, तो मुझे आप यह बताइये कि उसके बाद तो समय निकल जाएगा, हजारों अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के बच्चे प्रवेश लेने से रह जाएंगे, उनका साल खराब हो जाएगा, भविष्य खराब हो जाएगा. उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? इसलिए मेरा आपसे निवेदन है...

श्री अध्यक्ष : सुनिए, माननीय सदस्य, ऐसा है कि जब आपने स्थगन प्रस्ताव भेजा है तो राज्य सरकार के पास जाएगा और राज्य सरकार निश्चित तौर से प्रवेश की अन्तिम तिथि तय करने से पहले कुछ न कुछ मेरी समझ में इस सम्बन्ध में कोई न कोई कार्यवाही करेगी।

मोहम्मद माहिर आजाद : तो यह शिक्षा मंत्रीजी कह दें कि इनको तिथि निकलने के बाद उससे वंचित नहीं रखा जाएगा।

श्री अध्यक्ष : हां, आप थोड़ी देर देख लें।

मोहम्मद माहिर आजाद : कोई दिक्कत नहीं है, हम उस रोज कर लेंगे, शिक्षा मंत्रीजी कह दें।

एक माननीय सदस्य : आसन ही निर्देश दे दे उनको।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री) : किसी भी प्राथमिक शिक्षा में न तो अनुसूचित जाति, जनजाति या ओ.बी.सी., हमने पहली बार यह भेद समाप्त कर दिया है कि राजस्थान में पहली से लेकर 12वीं तक पढ़ने वाले सभी बच्चे जो सरकारी स्कूलों में आना चाहेंगे, उनको भर्ती भी करेंगे, उनको किताबें भी फ्री देंगे और उनके लिए भवन की भी व्यवस्था करेंगे और मास्टरों की व्यवस्था भी करेंगे। कोई चिन्ता करने की जरूरत नहीं है।

श्री अध्यक्ष : ठीक है। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : आपको पता ही नहीं खुद को ही। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : 295 के प्रस्ताव। श्री कांतिप्रसाद मीणा।

मोहम्मद माहिर आजाद : निजी शिक्षण संस्थाओं की बात है, माननीय शिक्षा मंत्रीजी। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : किसके लिए कह रहे हैं यहां पर?

मोहम्मद माहिर आजाद : माननीय अध्यक्ष महोदय. यह मुद्दा निजी शिक्षण संस्थाओं का है और आप जो हैं सरकारी स्कूलों की बात कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : नहीं, ठीक कहा है उन्होंने, जब उनको राजकीय में प्रवेश मिलेगा तो निजी में क्यों जाएंगे वह?

श्री घनश्याम तिवाड़ी : राजकीय लिखा है इसमें।

श्री अध्यक्ष : क्यों जाएंगे? वहां उनको स्कालरशिप मिलेगी, किताबें फ्री मिलेंगी तो वहां क्यों जाएं? वह ठीक कहा है उन्होंने बिलकुल।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा) : अध्यक्ष महोदय, इश्यू यह है कि जो एस.सी., एस.टी. के बच्चे हैं उनको पब्लिक स्कूल में भर्ती करने का रिजर्वेशन था उसको सरकार ने खतम कर दिया, उसके सम्बन्ध में अपने को चर्चा करनी है। सरकार का जवाब दे दिया, इनके सम्बन्ध में चर्चा करने की बात है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : हां, तो करो न। लाओ प्रस्ताव, लाओ करो।

डा. सी. पी. जोशी : ले ही नहीं रहे। आपका, सरकार का कोटा फिक्स था कि हर साल इतने विद्यार्थियों को जो एस.सी. के विद्यार्थी हैं, उनको पब्लिक स्कूल में भर्ती करने के लिए भेजेंगे। उनके कोटे को आपने समाप्त किया, उस पर चर्चा करने की बात है, यह सरकार का विषय है। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : अनुसूचित जाति और जनजाति को आरक्षण देने का हमारा विषय है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : सरकार ने तो यह फैसला भी किया कि किसी भी मंत्री का बच्चा उसमें नहीं पढ़ेगा।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : अध्यक्ष महोदय, न तो कोई कोटा खतम किया है, न कोई बात की है, फालतू की बात है। अगर माननीय सदस्यों को कोई चर्चा करनी हो, तो तथ्यों के आधार पर किसी भी समय जब भी आप अनुमति देंगे, मैं चर्चा करने के लिए तैयार हूं।

डा. सी. पी. जोशी : अध्यक्ष महोदय, मंत्री कह रहे हैं, फालतू चर्चा कर रहे हैं, फालतू की बात है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : अध्यक्ष महोदय जब चाहें जब करा लें। (व्यवधान) किसी भी बात पर सदन में बिना अनुमति के खड़े होकर इस प्रकार की बात करना नितान्त गलत है, इसलिए मैं चाहूंगा कि अगर कोई तथ्य हैं तो तथ्य दें, सरकार जवाब देगी और जब भी आप चाहेंगे, जिस भी समय चाहेंगे, जिस इश्यू पर चाहेंगे उतने समय पर सरकार चर्चा करने के लिए तैयार है।

मोहम्मद माहिर आजाद : स्थगन प्रस्ताव लाये हैं अब हम। (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी : माननीय मंत्रीजी, स्थगन प्रस्ताव लाया हूं जब ही खड़ा हुआ हूं, स्थगन प्रस्ताव लाया हूं। (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी : गलत कह रहे हैं, सरासर गलत कह रहे हैं। सदन को गलत जानकारी दे रहे हैं आप लोग। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : आप तो मनुवादी हो, आप दलितों का हित चाहते ही नहीं हो, मनुवादी हो आप तो। हमने स्थगन प्रस्ताव लगाया या नहीं लगाया? आप चर्चा ही नहीं चाहते उसके ऊपर (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी : हम तो मनुवादी हैं कि नहीं, लेकिन भू-माफिया को संरक्षण देने वाले नहीं हैं, यह बता दूं मैं।

मोहम्मद माहिर आजाद : यह शिक्षा विभाग में भू-माफिया कहां से आ गया? आप दूसरे को फालतू बताते हो।

श्री अध्यक्ष : कान्तिप्रसाद मीणा, 295 पढ़ें।

मोहम्मद माहिर आजाद : आप अनर्गल बात कहते हो।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : आपसे मनुवादी आ गया, वैसे ही भू-माफिया आ गया।

श्री अध्यक्ष : कान्तिप्रसाद मीणा 295 का प्रस्ताव पढ़ें।

नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख

थानागाजी में कृषि कनेक्शन

श्री कान्तिप्रसाद मीणा (थानागाजी) : 295 के अन्तर्गत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव। महोदय विधान सभा क्षेत्र थानागाजी में कृषि कनेक्शन हेतु डिमाण्ड नोटिस 7-8 माह पूर्व जमा करा दिये गये परन्तु अभी तक भी कनेक्शन नहीं दिये जाने के कारण कृषकों को काफी परेशानी हो रही है तथा आक्रोश पैदा होने की स्थिति पैदा हो रही है।

यह भी निवेदन है कि कृषकों को कृषि कनेक्शन नहीं देने से किसानों की पैदावार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है।

अत: श्रीमान् ऊर्जा मंत्रीजी से निवेदन है कि विधान सभा क्षेत्र थानागाजी में जिन कृषकों के डिमाण्ड नोटिस जमा करा दिये गये, अविलम्ब कनेक्शन दिये जाने की व्यवस्था करें ताकि कृषकों को राहत मिल सके।

श्री अध्यक्ष : श्री हरिश चन्द्र कुमावत।

नावां तहसील के ग्राम भांवता में 33 के.वी.ए. सब-स्टेशन पर पावर ट्रांसफार्मर

श्री हरीश चन्द्र (नावां) : अध्यक्ष महोदय, ग्राम भांवता तहसील नावां तथा कुचामन सिटी के 33 के.वी.ए. सब स्टेशन पर पावर ट्रांसफार्मर शीघ्र रखवाने के सम्बन्ध में विधान सभा कार्य संचालन प्रक्रिया नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख प्रस्ताव प्रस्तुत कर रहा हूं।

महोदय, कुचामनसिटी (नागौर) सहायक अभियन्ता, अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड क्षेत्र के ग्राम भांवता में करीब 20 दिनों से 1.6 एम.बी.ए. का पावर ट्रांसफार्मर जल गया है। यहां लोड अधिक है इस कारण यहां 3.15 एम.बी.ए. का 3.15 का ट्रांसफार्मर लगाना उचित मानकर नागोर के अधीक्षण अभियन्ता यह आश्वासन देते रहे हैं। ट्रांसफार्मर मंगवाया जा रहा है। परन्तु अभी तक नहीं लगाया गया है। इसी प्रकार कुचामन शहर में 33 के.वी.ए. सब-स्टेशन अलग से बना हुआ था परन्तु 132 के.वी.ए. एवं 220 के.वी.ए. सब-स्टेशन बनने के बाद कुचामन के 33 के.वी.ए. सब स्टेशन से 3.15 का पावर ट्रांसफार्मर हटा दिया गया व 132 के.वी.ए. सब-स्टेशन से ही सभी फीडरों पर सप्लाई चालू कर रखी है, जहां 6 एम.बी.ए. के दो ट्रांसफार्मरों पर भी लोड अधिक है। कुचामान शहर का लोड 5 एम.बी.ए. को भी उससे जोड़ने से सप्लाई व्यवस्था सुचारू रूप से नहीं चलती है। समस्या के हल के लिए कुचामन सिटी के

(श्री हरीश चन्द्र)

33 के.वी.ए. सब-स्टेशन पर 5 एम.बी.ए. का ट्रांसफार्मर अलग से रखा जाना चाहिए जिसके लिए माह अगस्त, 2003 के तारांकित प्रश्न संख्या 99 के जवाब में सरकार ने आश्वासन दिया है।

इस प्रकार दोनों स्थानों पर पूरी क्षमता के पावर ट्रांसफार्मर के अभाव में उपभोक्ता काफी तकलीफ में है। अत: इन दोनों स्थानों पर यथा शीघ्र ट्रांसफार्मर लगवाये जाकर विद्युत सप्लाई की व्यवस्था यथा शीघ्र करें। मैं इस विशेष उल्लेख प्रस्ताव के माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री नन्दलाल पूनिया।

राजगढ़ (चूरू) में बस स्टैण्ड के लिए भूमि का आबंटन

श्री नन्दलाल पूनिया (सादुलपुर) : अध्यक्ष महोदय. विधान सभा प्रक्रिया एवं कार्य संचालन के नियम 295 के अन्तर्गत राजगढ़ (चूरू) में बस स्टैण्ड के लिए भूमि आबंटन बाबत विशेष उल्लेख।

महोदय, राजगढ़ (चूरू) के नगरपालिका क्षेत्र में नगरपालिका का एक बस स्टैण्ड है जिसमें करीब 150 दुकानें हैं तथा उनके बीच थोड़ी-सी खाली जगह पर परिवहन निगम एवं प्राइवेट मार्ग की बसें खड़ी होती हैं। जगह बहुत कम है तथा राजगढ़ में परिवहन निगम एवं प्राइवेट बसों का लगभग 400 का आना-जाना है जबकि बस अड्डे पर केवल 4-5 बसें ही खड़ी हो सकती हैं। बसें ज्यादा होने के कारण काफी भीड़ हो जाती है जिससे आवागमन में काफी असुविधा होती है। कभी-कभी तो बस अड्डे के आगे 200 फीट के रास्ते की दूरी तय करने में डेढ़ से दो घंटे लग जाते हैं तथा वाहनों की लम्बी कतार लग जाती है। इससे आवश्यक कार्य एवं बीमार व्यक्तियों को अस्पताल तक ले जाने के लिए काफी समय लगता है। बस अड्डे के सामने याचिका अधिकारियों के निवास भी हैं जिससे उन्हें भी असुविधा होती है।

महोदय, राजगढ़ (चूरू) में परिवहन निगम का कोई भी बस स्टैण्ड नहीं है जबकि राजगढ़ में परिवहन निगम की करीब 200 बसें संचालित होती हैं। यहां से अन्तरराज्यीय बसें भी संचालित होती हैं। परिवहन निगम ने पूर्व में भी बस अड्डे के निर्माण हेतु भूमि आबंटन की कार्यवाही की थी लेकिन राज्य सरकार ने निगम को

(श्री नन्दलाल पूनिया)

कीमती भूमि आबंटन करना मंजूर किया था। कीमत ज्यादा होने के कारण एवं परिवहन निगम की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने के कारण निगम ने असमर्थता जाहिर की थी।

अतः मेरा राज्य सरकार से निवेदन है कि टेलीफोन एक्सचेंज एवं वन विभाग के बीच में मुख्य सड़क पर पड़ी करीब 5 बीघा सरकारी जमीन को बस अड्डे के लिए आबंटित करने की कार्यवाही करें। उक्त सरकारी जमीन को नगरपालिका राजगढ़ (चूरू) ने बस अड्डे के निर्माण हेतु जिला कलक्टर, चूरू के वहां आवेदन भी कर रखा है। यदि उक्त जमीन को सरकार ने नगरपालिका राजगढ़ (चूरू) को आबंटित नहीं किया तो अन्य कोई सरकारी जमीन नगरपालिका क्षेत्र में नहीं है। नगरपालिका राजगढ़ (चूरू) उक्त भूमि के आबंटन के पश्चात् बस अड्डे का निर्माण करने के लिए भी सहमत है।

मेरा राज्य सरकार से निवेदन है कि जनता की मांग एवं आवश्यकता को देखते हुए उक्त भूमि को नगरपालिका राजगढ़ (चूरू) को आबंटित करने की कृपा करावें।

श्री अध्यक्ष : श्री प्रभुलाल वर्मा।

पीपल्दा विधान सभा क्षेत्र में सड़कों की मरम्मत

श्री प्रभुलाल (पीपल्दा) : अध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र में इटावा-खातौली एवं मांगरोल कस्बे में रोड्स की दशा बहुत खराब है। जगह-जगह गड्ढे पड़े हुए हैं जिनमें पानी व कीचड़ भरा रहता है जिससे पैदल चलना तो दूर, वाहनों के आने-जाने में भारी परेशानियां होती हैं। यही नहीं, रोज दो-चार मोटर साइकिल सवार तो फिसल कर कीचड़ में गिर जाते हैं। किसी के हाथ टूट जाते हैं तो किसी का सिर फट जाता है। पिछले कई वर्षों से सड़क रिपेयर का कार्य नहीं किया गया है और अगर रिपेयर कार्य किया है तो केवल कागजों में किया है। मैं आपके माध्यम से निवेदन करता हूं कि आज जनता को भारतीय जनता पार्टी की सरकार से बड़ी उम्मीद है कि सरकार आने के बाद रोड्स ठीक होंगे. लेकिन सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारियों की अनदेखी के कारण रोड ज्यों का त्यों ही है। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि विभाग को पाबन्द करके सड़क रिपेयर का कार्य तुरन्त शुरू करने की व्यवस्था करें जिससे आम जनता को राहत मिले। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : डा. समरजीत सिंह।

राऊता (भीनमाल) में 33 के.वी. सब-स्टेशन का निर्माण

डा. समरजीत सिंह (भीनमाल) : अध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया नियम 295 के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र भीनमाल के राऊता गांव में स्वीकृत 33 के.वी. सब-स्टेशन के सम्बन्ध में विशेष उल्लेख।

मान्यवर, विधान सभा क्षेत्र भीनमाल के राऊता गांव में 33 के.वी. सब-स्टेशन दिनांक 24.9.2003 को स्वीकृत हुआ था। इस हेतु राऊता गांव में जमीन एलाटमेंट इत्यादि की कार्यवाही भी हो चुकी है। इसके उपरान्त अभी तक कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ है।

महोदय, राऊता गांव वर्तमान में 33 के.वी. सब-स्टेशन धूम्बड़िया से जुड़ा है व 25-30 किमी. की दूरी पर है। राऊता में 33 के.वी. सब-स्टेशन बनने से आसपास के गांव मोरमीम. नई मोरमीम. खारूआ, पीपली बाडी, देवता का गोलिया, वोटरा, नवापुरा, लाखनी, पाल की ढाणी, चैनपुरा, बिछावाडी. बगोटी. बागोडा इत्यादि गांवों के किसानों को राहत मिलेगी व वी.आर. के कारण अटके कनेक्शन भी रिलीज होंगे।

विद्युत मंत्री महोदय से उम्मीद करता हूं कि कार्य को शीघ्र शुरू कर किसानों को राहत प्रदान करें। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्रीमती वन्दना मीणा।

उदयपुर ग्रामीण में फैक्ट्रियों से प्रदूषण की समस्या

श्रीमती वन्दना मीणा (उदयपुर ग्रामीण) : अध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र उदयपुर ग्रामीण के ग्राम देवारी, उमरडा, कानपुर, पूर्विहिता मांडड़ी कलड़वास, बिछड़ी, साकरोदा आदि गांवों में जिन्स मैटल व रामा फास्फेट द्वारा फैक्ट्री के प्रदूषण द्वारा उपरोक्त सभी गांवों के लोग प्रदूषण होकर बीमार हो रहे हैं। टीवी, श्वांस आदि बीमारियां फैल रही हैं। प्रदूषित चारा खाने से पशु भी बीमार होकर मर जाते हैं। अब तक करीब सैकड़ों पशु मर चुके हैं। प्रदूषण से पानी का रंग लाल हो गया जिसे पशु भी नहीं पी सकते हैं। अन्य जगहों से पानी टैंकरों द्वारा लाया जाता है वही पीने योग्य होता है।

अत: मेरी मांग है कि उक्त फैक्ट्रियों को प्रदूषण फैलाने से रोकने के आदेश फर्मावें। यदि समय रहते उद्योग मंत्रीजी ने प्रदूषण रोकने की व्यवस्था नहीं की तो मजबूरन लोग आंदोलन करेंगे।

श्री अध्यक्ष : श्री पुष्पेन्द्र सिंह राणावत।

बाली विधान सभा क्षेत्र में बालिका शिक्षा की बदतर स्थिति

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (बाली) : महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन के नियम 295 के अन्तर्गत बाली विधान सभा क्षेत्र के अनुसूचित जनजाति बहुल माडा चयनित ग्रामीण क्षेत्रों में अनुसूचित जनजाति वर्ग की बालिकाओं की शिक्षा के पिछड़ेपन, गिरते स्तर बाबत विशेष उल्लेख प्रस्ताव प्रस्तुत कर निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र बाली के माडा चयनित ग्राम पंचायतें क्रमश: गोरिया, काकराडी, कूरण, कोयलवा, भीवाणा, आमलिया, लुन्दाडा, मालनू, नाणा व कोठार के पंचायत हैडक्वार्टर एवं इन पंचायतों के ग्राम-ढाणियों में आदिवासी जनजातियां जैसे- गरासिया, भील, गमेती व मीणा आदि बड़ी संख्या में निवास कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : फिर किसका बजा? बज रहा है तो इसे बन्द तो करो। बन्द करो इसको। है किसका यह?

श्री मोहन लाल गुप्ता : किसी माननीय सदस्य का जब्त किया है वह बजा है।

श्री अध्यक्ष : ठीक है, आप पढ़िये।

श्री पुष्पेन्द्र सिंह : अनूसूचित जनजाति बालिका शिक्षा की दृष्टि से उक्त गांव ढाणी अति-पिछड़ेपन के शिकार हैं। प्रकृति की मार व गिरते भू-जल स्तर से बंजर धरा पर वास कर रहे यहां के आदिवासियों की गरीबी का यह आलम है कि दो समय भरपेट भोजन मिलना भी दूभर हो रहा है। ऐसी परिस्थितियों में अपनी बच्चियों की शिक्षा के प्रति ये आदिवासी ध्यान नहीं दे पाते हैं। कुछेक बच्चियों को भर्ती करवाते भी हैं तो कक्षा दो-तीन या अधिकतम पांचवीं कक्षा तक ही पढ़ा कर स्कूल छुड़वा देते हैं। सैकण्डरी/हायर सैकण्डरी या उच्च शिक्षा तक तो यहां न के बराबर बालिकाएं पहुंच पाती हैं।

इस विशेष उल्लेख प्रस्ताव के जरिये मांग करता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र के अनुसूचित जनजाति बहुल माडा चयनित गांव-ढाणियों में बालिका शिक्षा के पिछड़ेपन को दूर करने, बालिका शिक्षा का अलख जगाने के लिए विशेष अभियान चलायें। यहां के दयनीय आर्थिक स्थिति के अनुसूचित जनजाति परिवार की बालिकाओं के लिए नि:शुल्क शैक्षणिक वातावरण बनाने का अभियान चलाया जाए। बालिका छात्रावासों में

(श्री पुष्पेन्द्र सिंह)

दी जा रही आवासीय सुविधा के अतिरिक्त सभी सुविधाएं वाली विधान सभा क्षेत्र के माडा चयनित गांव-ढाणी कस्बे में संचालित सभी प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक. उच्च माध्यमिक विद्यालयों में दी जाएं। आदिवासी बालिकाओं के अभिभावकों को अपनी बालिका शिक्षा के लिए सरकारी तौर पर अभिप्रेरित किया जाए। इन्हें अपनी बच्चियों को पढ़ाने हेतु विभिन्न प्रकार के पारितोषिक भी दिये जाने की योजना अमल में लायी जाए। बाली विधान सभा क्षेत्र में सर्वप्रथम खेतरली में बालिका छात्रावास खोलने की मांग करता हूं। यहां माध्यमिक विद्यालय भी संचालित है तथा खेतरली बालिका छात्रावास खोले जाने के सभी मापदण्डों की पूर्ति भी करता है।

श्री अध्यक्ष : श्री रामलाल शर्मा।

विद्युत कनेक्शनों पर किसानों का आर्थिक भार कम किये जाने वाले उपाय

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख की सूचना देना चाहता हूं।

भारत की आत्मा गांवों में निवास करती है तथा वर्तमान समय में देश की लगभग 80 प्रतिशत आबादी ग्रामीण क्षेत्र में निवास करती है। ग्रामीण क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों का जीवन स्तर कृषि से जुड़ा हुआ है तथा कृषि से सम्बन्धित लघु उद्योग पर ही उनका व उनके परिवार का जीविकोपार्जन होता है। वर्तमान समय में पानी का स्तर दिन-प्रति दिन गिरता जा रहा है जिससे किसान को आर्थिक रूप से प्रति दिन बोरिंग कराने तथा कभी विद्युत मोटर का लोड बढ़ाने के लिए पैसा खर्च करना पड़ रहा है।

मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि विद्युत विभाग के द्वारा कृषि कार्यों में विद्युत कनेक्शन लेने पर थ्री फेस कनेक्शन लेना अनिवार्य है। अत: मेरा मानना है कि पानी के गिरते हुए स्तर को देखते हुए किसानों का आर्थिक भार कम करने के लिए किसानों को सिंगल फेस कृषि कनेक्शन भी कृषि कार्य हेतु विभाग द्वारा जारी किये जाएं. जिससे किसानों के हो रहे आर्थिक शोषण से मुक्ति मिल सके।

दूसरी ओर, किसानों के कुएं व बोरिंग में पानी सूख जाने पर यदि किसान के द्वारा

(श्री रामलाल शर्मा)

दूसरा कुआं बोरिंग कराया जाता है तो कृषक को नये बोरिंग की दूरी 10 मीटर से अधिक होने पर शिफ्टिंग चार्ज भी विभाग में जमा कराना पड़ता है। यदि कृषक 10 मीटर की परिधि में बोरिंग करता है तो उस बोरिंग के फेल होने की पूरी-पूरी सम्भावना रहती है।

अत: उक्त प्रस्ताव के माध्यम से मेरा माननीय ऊर्जा मंत्री महोदय से अनुरोध है कि वर्तमान में कृषकों को अन्यत्र नलकूप खुदवाने की स्थिति में जो 10 मीटर की सीलिंग लगा रखी है उसे बढ़ाकर 50 मीटर किया जाये जिससे कृषकों पर आर्थिक भार नहीं पड़े। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री मुरारी लाल मीणा।

बांदीकुई के विद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पद

श्री मुरारी लाल मीणा (बांदीकुई) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमावली के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख के प्रस्ताव की सूचना देना चाहता हूं।

मेरे विधान सभा क्षेत्र बांदीकुई के राजकीय माध्यमिक विद्यालय पुंदरपाडा तथा गुल्लाना को क्रमोन्नत हुए दो वर्ष व्यतीत हो गये हैं लेकिन इन विद्यालयों में केवल एक प्रधानाध्यापक ही लगाया गया है तथा शेष अध्यापकों के पद दो वर्ष से रिक्त चल रहे हैं जिसके कारण छात्रों को अध्ययन में काफी परेशानी हो रही है। राजकीय माध्यमिक विद्यालय, बैजूपाड़ा में काफी समय से अध्यापकों के पद रिक्त हैं जिसके कारण से छात्रों की पढ़ाई बिलकुल नहीं चल रही है। नतीजतन परीक्षा परिणाम तीन प्रतिशत रहा है। अत: उक्त विद्यालयों के रिक्त पदों को शीघ्र भरने का श्रम करें ताकि छात्रों को अध्ययन में राहत मिल सके।

मैं माननीय शिक्षा मंत्रीजी का ध्यान इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर दिलाना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री खुशवीर सिंह।

खारची में फ्लोराइडयुक्त पेयजल से मानव स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची) : अध्यक्ष महोदय, मैं विधान सभा क्षेत्र खारची में फ्लोराइड युक्त पेयजल उपलब्ध होने के कारण मानव स्वास्थ्य पर हो रहे विपरीत प्रभाव के सन्दर्भ में विशेष उल्लेख के प्रस्ताव की सूचना देना चाहता हूं।

पाली जिले के विधान सभा क्षेत्र खारची में सूखे व अनावृष्टि के कारण निरन्तर भू-जल स्तर नीचे जाने व अनके ग्रामों में फ्लोराइडयुक्त पेयजल उपयोग में लेने से पेयजल समस्या विकट हो गई है और मानव स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। शुद्ध पेयजल व्यवस्था न होने से जनता में आक्रोश व्याप्त है तथा वहां के नागरिक गांव छोड़कर पलायन कर रहे हैं।

इस क्षेत्र की पेयजल समस्या का स्थायी समाधान तभी सम्भव है जब जवाई बांध से पाली को नहर द्वारा जो पानी उपलब्ध कराया जा रहा है, और पूर्व में जोधपुर को भी पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा था लेकिन जोधपुर में हिमालय के पानी की समुचित व्यवस्था हो जाने के कारण जोधपुर को इसी नहर से जो पानी सप्लाई हो रहा था, बन्द हो जाने से इस पानी को खारची विधान सभा क्षेत्र के उन ग्रामों में जो पहाड़ी क्षेत्र हैं और जहां भू-जल प्रायः समाप्त हो गया है तथा जिन ग्रामों में फ्लोराइडयुक्त पानी है, उन ग्रामों में इसी नहर से पाइप लाइन डालकर पेयजल उपलब्ध कराकर पेयजल समस्या का स्थायी समाधान किया जा सकता है। इस क्षेत्र के लिए रेणिया बांध तथा फलाद बांध का पानी भी पेयजल समस्या के समाधान में सहायक हो सकता है। इसकी योजना भी प्रस्तावित है लेकिन क्रियान्विति में अनावश्यक विलम्ब हो रहा है।

मैं इस सम्बन्ध में माननीय जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित कर इस क्षेत्र की विकट व मानवीय पेयजल समस्या के समाधान की मांग करना चाहता हूं। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री जुबेर खान अपनी पर्ची पर बोलेंगे। लेकिन मैं चारों ही पर्ची के माननीय सदस्य जो वक्ता हैं, उनसे निवेदन करना चाहूंगी. चूंकि आज सामान्य वाद-विवाद पर बोलने वाले बहुत लोग हैं, बहुत सदस्य हैं इसलिए अपनी बात को वे पांच मिनट में समाप्त कर दें। आप पांच मिनट में अपनी बात को समाप्त कर दें ताकि आगे बजट पर चर्चा की जा सके। आगे ध्यानाकर्षण प्रस्ताव भी है।

पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुद्दे

रामगढ़ विधान सभा क्षेत्र में विद्युत संकट

श्री जुबेर खान (रामगढ़) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा ऊर्जा मंत्रीजी से कि रामगढ़ विधान सभा क्षेत्र अलवर का गोविन्दगढ़ उप तहसील क्षेत्र है, उसमें पिछले एक सप्ताह से बिजली का भारी संकट चल रहा है। रोजाना रात को हमारे पास भी फोन आते हैं और अनाप-शनाप शब्द इस्तेमाल किये जाते हैं कि विधान सभा चल रही है और अभी तक बिजली की व्यवस्था नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, यह गोविन्दगढ़ क्षेत्र, इसकी पंचायत समिति और तहसील लक्ष्मणगढ़ लगती है, यहां विद्युत की सप्लाई नगर (भरतपुर) के 132 जी.एस.एस. से है तथा अलवर जिले के किसी अधिकारी का नियंत्रण नहीं रहता है क्योंकि नगर भरतपुर के अण्डर में आता है। वहां का लाइनमैन भी हमारे ए.ईएन. और जे.ईएन की कोई परवाह नहीं करता है। उसकी वजह से गोविन्दगढ़ क्षेत्र में भारी समस्या का सामना लोगों को करना पड़ रहा है।

दूसरा निवेदन है कि वहां पर एक जे.इ एन. की पोस्ट है, जे.ईन. डैपुटेशन पर लक्ष्मणगढ़ में भेजा हुआ है और यहां का एक्स.ई एन. राजगढ़ में लगता है तो इस क्षेत्र की कहीं पर भी सुनवाई नहीं हो पाती है, लोग परेशान होते हैं। मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से, सरकार से निवेदन है कि यह लोक महत्व और जनहित की बात है। एक तरफ तो सरकार कहती है कि हम 16 घंटे बिजली दे रहे हैं और यह गोविन्दगढ़ शहरी क्षेत्र है, ग्रामीण क्षेत्र नहीं है, शहरी क्षेत्र के हिसाब से यहां बिजली के बिल आते हैं, खर्चा आता है इसलिए यहां पर व्यवस्था कराई जाए यहां के पास दो गांव ऐसे हैं जहां आज से 10 साल पहले विद्युतीकृत डिक्लेयर कर दिया गया, 1996 में जो बाढ़ आई थी अलवर-भरतपुर में, लाइन बह गई, खम्भे गिर गये, बाद में विभाग वालों ने लाइन उतरवाकर दूसरी जगह इस्तेमाल कर ली, खम्भों को इस्तेमाल कर लिया, लेकिन आज तक भी उन गांवों में एक भी न तो कोई कृषि कनेक्शन हुए हैं, न घरेलू कनेक्शन हुए हैं। इसलिए माननीय मंत्री महोदय, इन दोनों गांवों को भी, जो 10 साल से कागजों में विद्युतीकृत हैं, लेकिन लाइन आपके विभाग की गलती से नहीं लगाने की वजह से लोगों को परेशानी आ रही है। जब लोग घरेलू बिजली का बिल लगाते हैं तो 11-11 खम्भे दूसरी जगह लगाने का उसका डिमाण्ड नोटिस निकलता है।

(श्री जुबेर खान)

मेरा आपसे निवेदन है कि गोविन्दगढ़ की जनता को रियायत दिलाने के लिए आज ही आप निर्देश करें ताकि वहां पर बिजली की आपूर्ति नियमित हो सके। नगर के स्थान पर 132 जी.एस.एस. को लक्ष्मणगढ़ अलवर से अगर जुड़वाएंगे तो प्रशासनिक दृष्टि से यह महत्वपूर्ण रहेगा और लोगों की समस्या का हल हो सकेगा। अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे मौका दिया, धन्यवाद, जय हिन्द।

श्री अध्यक्ष : धन्यवाद आपको। श्री प्रकाश चौधरी।

साहवा ग्राम पंचायत (चित्तौड़गढ़) में सरपंच द्वारा आबादी भूमि के फर्जी दस्तावेज तैयार कर पट्टे जारी करने बाबत

श्री प्रकाश चौधरी (बड़ी सादड़ी) : माननीय अध्यक्षजी, विधान सभा क्षेत्र चित्तौड़गढ़ की ग्राम पंचायत साहवा के वर्तमान सरपंच ने आबादी की जमीन के फर्जी दस्तावेज तैयार कर फर्जी पट्टे जारी किये हैं। इन पट्टों में मिसल नम्बर, रसीद संख्या व राशि भी अंकित है किन्तु पंचायत में इस तरह का कोई रिकार्ड या उसकी रोकड़ की कोई राशि जमा नहीं है, पंचायत के पास रिकार्ड नहीं है। विकास अधिकारी द्वारा पुलिस थाना शम्भूपुरा में जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ के आदेशानुसार एक एफ.आई.आर. इस सरपंच के खिलाफ की है लेकिन कई दिनों से यह कार्यवाही पैंडिंग है और इसकी एफ.एस.एल. रिर्पोट भी आ चुकी है। उसके खिलाफ कायर्वाही की जाए।

श्री अध्यक्ष : आप भाषण दें, पढ़ें नहीं। भाषण दे लिया आपने? तो आप पढ़ रहे हैं तो पढ़ क्यों रहे हैं, आप बोलिये ना? पर्ची पर बोला जाता है, पढ़ा नहीं जाता है।

श्री प्रकाश चौधरी : नहीं, फर्जी पट्टा है। लेकिन यह सरपंच साहबा के खिलाफ जो मुकदमा दर्ज है, मैं उस मुकदमे में कार्यवाही चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : आप कार्यवाही चाहते हैं? पंचायती राज मंत्रीजी यहां हैं? आप मिल लीजिएगा पचायती राज मंत्रीजी से।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : मैंने नोट कर लिया, साहब।

श्री अध्यक्ष : श्री के.डी. बाबर।

लक्ष्मणगढ़ विधान सभा क्षेत्र (सीकर) में पेयजल समस्या

श्री केसरदेव बाबर (लक्ष्मणगढ़) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे बोलने के लिए इजाजत दी, उसके लिए धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : पंचायती राज मंत्रीजी हैं ही नहीं यहां पर, क्या नोट कर लिया, किसने कर लिया?

श्री घनश्याम तिवाड़ी : अध्यक्ष महोदय, मैंने नोट कर लिया, उनको बता दूंगा।

श्री केसरदेव बाबर : अध्यक्ष महोदय, विधान सभा क्षेत्र लक्ष्मणगढ़, सीकर की जो पेयजल की समस्या है, उसकी तरफ मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

लक्ष्मणगढ़ विधान सभा क्षेत्र में क्षेत्रीय जल प्रदाय योजना ग्राम सेवदड़ा, वहां से करीब दस गांवों को पानी जाता है परन्तु अन्तिम छोर के जो चार-पांच गांव हैं-पुरोहित का वास, चारण का वास, देवरा और नांगल, इन गांवों में पानी बहुत कम पहुंचता है या पहुंचता नहीं है। वहां पर ग्राम सेवदड़ा में तीन-चार ट्यूबवैल बने हुए हैं लेकिन बिजली मात्र छह-सात घंटे ही मिलती है। यदि उस ग्राम सेवदड़ा की जलप्रदाय योजना को सीधा फीडर से जोड़ा जाता है तो पानी की समस्या का समाधान हो सकता है।

दूसरा, प्रधानमंत्री आश्वासन योजना जो है हैण्डपम्प की, उसमें सीकर जिले को मात्र 198 हैण्ड पम्प आबंटन किये गये हैं, वह मांग के अनुरूप काफी कम हैं। उसमें भी हमारे विधान सभा क्षेत्र लक्ष्मणगढ़ को बहुत ही कम दिये गये हैं। मैं सरकार से यह भी मांग करता हूं कि यह टारगेट बढ़ाकर 500 किया जाए ताकि जो ढाणियां हैं, उन सब में हैण्ड पम्प लग सकें।

तीसरा जो बहुत ही उपयोगी बात है, लक्ष्मणगढ़ विधान सभा क्षेत्र में जो पानी की क्वालिटी है उसमें फ्लोराइड, टीडीएस, नाइट्रेट, खारापन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, वह पानी पीने योग्य नहीं है फिर भी वहां की जनता उस पानी को पी रही है। चूरू जिले में आपणी योजना चल रही है, उसका सैकिण्ड फेज सरकार के पास प्रस्तावित है, यदि उस सैकिण्ड फेज में लक्ष्मणगढ़ विधान सभा क्षेत्र के पानी की योजना जोड़ी जाती है तो इस समस्या से छुटकारा मिल सकता है। मेरा निवेदन है कि जो आपकी योजना है इसमें हमारे विधान सभा क्षेत्र की जनता सम्पूर्ण तैयार है और सरकारी से मैं यही मांग करूंगा कि इसी बजट में आपणी योजना का प्रस्ताव तैयार करके हमें लाभान्वित करें। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री बाबूलाल नागर। वैसे तो, नागर साहब. शिक्षा की डिमाण्ड आएगी, लेकिन चूंकि आप पर्ची दे चुके हैं, तो दो मिनट में अपनी बात कह दीजियेगा।

श्री बाबूलाल नागर (दूदू) : पांच मिनट तो, अध्यक्ष महोदय, सबको दिये हैं आपने, पांच मिनट में ही अपनी बात को निश्चित कह दूंगा।

श्री अध्यक्ष : नहीं, दो ही मिनट लिये हैं सब ने। पांच मिनट केवल एक ने लिये हैं, बाकी सब ने दो-दो मिनट ही लिये हैं, जुबेर खानजी ने लिये हैं पांच मिनट।

श्री बाबूलाल नागर : अच्छा, अध्यक्ष महोदय, जितना कम...

श्री अध्यक्ष : नहीं. वह स्थानान्तरण की बात जो है आपको शिक्षा पर पूरा मौका मिलेगा अपनी बात कहने का।

विद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पद

श्री बाबूलाल नागर : अध्यक्ष महोदय. आपके माध्यम से शिक्षा मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाह रहा हूं। शिक्षा मंत्रीजी ने, अध्यक्ष महोदय. इसी सत्र में, इसी हाउस में कुछ दिन पहले कहा कि छात्र-शिक्षक अनुपात हम सही करेंगे। बहुत उम्मीद बनी कि चलो गांवों में जो विद्यालयों में अध्यापक नहीं हैं, शिक्षा मंत्रीजी ने जो हाउस को आश्वासन दिया है, निश्चित रूप से इससे गांवों को लाभ मिलेगा। अध्यक्ष महोदय, 28.6.2004 को जिला शिक्षा अधिकारी, प्राथमिक शिक्षा, जयपुर ने स्थानान्तरण आदेश निकाले। मैं यह कोई आरोप नहीं लगाना चाहता कि कहीं शिक्षा मंत्रीजी को इसमें अपने पद का दबाव था कि जो आसपास के सब विधान सभा क्षेत्रों से अध्यापक स्थानान्तरण कर-करके अपने विधान सभा क्षेत्र सांगानेर में लगा लिये. मैं आप पर कोई आरोप नहीं लगाना चाहता, अध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी पर कोई आरोप नहीं लगाना चाहता, पर मैं इतना जरूर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय. कि मेरे यहां प्राइमरी स्कूलों में पहले से 252 अध्यापक रिक्त चल रहे थे, 252 अध्यापक अकेली विधान सभा में, और अब जो आदेश निकाले हैं स्थानान्तरण के, अध्यक्ष महोदय. उसमें 75 अध्यापक और हटा दिये. और सारे के सारे अध्यापक. 132 अध्यापक. माननीय शिक्षा मंत्रीजी. आपके विधान सभा क्षेत्र सांगानेर में लगा लिये। इससे आठ विद्यालयों का तो इतना बुरा हाल हो गया कि वे अध्यापकविहीन हो गये. आठ विद्यालयों में एक भी अध्यापक नहीं है। 31 विद्यालयों का हाल ऐसा हो गया.

(श्री बाबूलाल नागर)

अध्यक्ष महोदय, कि एक-एक अध्यापक रह गये हैं 31 में। शिक्षा मंत्रीजी, आपका मैं वैसे पडौसी भी हूं, छोटा भाई भी हूं, मैं ऐसी बात नहीं करना चाह रहा कि आपने कोई इसमें गड़बड़ किया है, मैं तो इतना-सा निवेदन करना चाह रहा हूं कि आपके...

श्री अध्यक्ष : यहां भाई-बन्धु कोई नहीं हैं, सब माननीय सदस्य हैं, भाई-बन्धु कोई नहीं हैं, मंत्री हैं वह।

श्री बाबूलाल नागर : हां, माननीय मंत्री महोदय, मेरे विद्यालयों का बहुत बुरा हाल हो गया है। पूरे क्षेत्र में लोगों ने मन बनाया है, मीटिंग की, अभी हजार-आठ सौ लोगों ने दो रोज पहले मीटिंग की कि पूरे विधान सभा के पूरी पंचायत समिति के स्कूलों को इस विरोध में बन्द कर दें, ताला लगा दें। मैंने उनसे हाथ जोड़ कर प्रार्थना की कि मैं इस हाउस में इस बात को कहूंगा, मंत्री महोदय को भी व्यक्तिगत मिलूंगा तब कहूंगा। निश्चित रूप से आप यह अध्यापकों की व्यवस्था कराएं, आपसे मेरा यह निवेदन है। 325 अध्यापक जयपुर जिले में, बाड़मेर, जैसलमेर में भी जहां लोग यह कहते हैं, आप प्रतिबंध लगाते हैं कि वहां से अध्यापक नहीं हटाएंगे, शिक्षा मंत्रीजी, आपके बगल में, आपसे दस किलोमीटर दूर, दस किलोमीटर भी नहीं, बगरू के बाद मेरा क्षेत्र शुरू हो जाता है, आपसे एक किलोमीटर दूर एक पंचायत समिति में 325 अध्यापक प्राथमिक विद्यालयों में रिक्त चल रहे हैं। तो मेरा आपके माध्यम से यही निवेदन है, मेहरबानी करके, शिक्षा मंत्रीजी, मुझे आज यह बता दें जो मैं गांवों के लोगों को, उन्होंने ऐसा निर्णय लिया है कि हम तमाम विद्यालयों को ताला लगा दें, तमाम विद्यालयों को बन्द कर दें, तो मैं उनको यह आपके विहाफ पर आश्वासन दे दूं कि मंत्री महोदय ने हाउस में आश्वासन दे दिया है कि जल्दी ही आपके अध्यापक लगा दिये जाएंगे। मैं आपके यह आग्रह भी करना चाहता हूं, मेहरबानी करके इस बारे में बताएं।

श्री अध्यक्ष : शिक्षा मंत्रीजी, बहुत बेजा बात है छोटे भाई के सारे आप ले गये अध्यापक, आप अपने क्षेत्र में ले गये।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्रीजी) : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य की बात बहुत वाजिब है। हमने यह कहा था कि रिक्त स्थान पर स्वेच्छा से जो

स्थानान्तरण चाहते हैं अन्तर जिले में गांव से गांव में, उनको वह कर दें। तो यह बात सही है कि सांगानेर में भी बहुत खाली थे और आमेर में भी बहुत खाली थे, फुलेरा में और दूदू में इनमें पहले भी किये हैं...

श्री बाबूलाल नागर : शिक्षा मंत्रीजी, एक चीज, एक चीज। प्राथमिक विद्यालय में...

श्री अध्यक्ष : बीच में नहीं। बीच में नहीं बोलेंगे, वह नहीं बोले थे आपके बीच में।

श्री बाबूलाल नागर : एक लाइन। खाली ध्यान आकर्षित करना चाह रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : बीच में नहीं बोलेंगे आप। हां, कहने दीजिये उन्हें।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : तो वहां पर कमी आ गई है निश्चित रूप से। लेकिन अब जो दूसरी सूची विधान सभा के पश्चात् निकलेगी उसमें अन्तर जिला वैकेन्ट पोस्ट पर रूरल टू रूरल ट्रांसफर हैं उसमें 150 लोगों ने दूदू में आने की इच्छा व्यक्त की है तो इनकी जो कमी है वह कमी-पूर्ति हो जाएगी। और बाकी जो कमी है वहां पर मैं गैस्ट फैकल्टी से भरने के लिए भी कह रहा हूं। 12 तारीख को परीक्षा है, बाकी सारे तो राजस्थान भर में सैंतीस हजार अध्यापकों की कमी है तो कमी तो कुछ जगह रहेगी, लेकिन उसको भी निश्चित रूप से जल्दी से जल्दी पूरा करेंगे और आपके विधान सभा क्षेत्र में तो, जयपुर में बहुत लोग आना चाहते हैं, चिन्ता मत करो, तो पूरी हो जाएगी वह कमी।

श्री बाबूलाल नागर : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने कहा...

श्री अध्यक्ष : आपको कह दिया उन्होंने। अब नहीं।

श्री बाबूलाल नागर : कि सांगानेर में अध्यापकों की कमी है, अध्यक्ष महोदय, अभी क्रमोन्नत किये हैं आपने सांगानेर में विद्यालय, मंत्री महोदय...

श्री घनश्याम तिवाड़ी : कमी, नहीं कमी, चलो...

श्री बाबूलाल नागर : बिना बजट और बिना पद आबंटित हुए उन सब विद्यालयों को आपने भर लिया। मतलब, जिनका बजट भी आबंटित नहीं हुआ...

श्री अध्यक्ष : प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली के नियम 131 के अन्तर्गत अब कालीचरण सराफ अपना ध्यान आकर्षण प्रस्ताव रखेंगे।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

जयपुर शहर में पेयजल की समस्या

श्री कालीचरण सर्राफ (जौहरी बाजार) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमावली के नियम 131 के अन्तर्गत जयपुर शहर की पेयजल समस्या के सम्बन्ध में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करता हूं।

श्री अध्यक्ष : जवाब दीजिये, मंत्रीजी।

श्री सांवर लाल (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री) : आपका हुकम हो जाए, पहले भी आपने बिना हुकम के नहीं बोलने दिया।

माननीय अध्यक्ष महोदय, विगत कुछ वर्षों से राजस्थान या हिन्दुस्तान के कुछ प्रदेशों में जहां बरसात लगातार नहीं होने की वजह से तालाबों, बान्धों, एनीकट्स में पानी नहीं आया, पानी का जो उपयोग है वह निरन्तर बढ़ता जा रहा है, इस वजह से ज्यादातर जो पानी पीने के लिए या घरेलू पानी के उपयोग में आता है उसमें भूजल का ही उपयोग किया जाता है, इसलिए निश्चित रूप से यह समस्या बढ़ रही है। पर सरकार भी अपने स्तर पर चाहे पानी परिवहन के द्वारा करना पड़े या नये हैण्ड पम्प, ट्यूबवैल लगाकर, इस व्यवस्था को मेनटेन करने का प्रयास कर रही है। अभी हमारे यहां पर जयपुर में रामगढ़ बांध से लगभग 70 लाख लीटर पानी आता हैं और अब यह समस्या हमारे सामने आई है कि वहां पर पानी एक-दो दिन में लगभग जो सतही जल है वह समाप्त हो जाएगा। उसके बाद राज्य सरकार ने ट्यूबवैल के जरिये पानी उपलब्ध करवाने की व्यवस्था सुनिश्चित करने के प्रबन्ध कर लिये और किसी न किसी प्रकार से हम पानी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध करवाएंगे। जिस प्रकार भूजल का उपयोग हो रहा है, 2011 के बाद में जो रिपोर्टस हमारे पास है. जयपुर में स्थिति असामान्य हो सकती है। इसलिए और कोई न कोई व्यवस्था इस जयपुर में पेयजल के लिए हमको करनी पड़ेगी।

(श्री सांवर लाल)

जहां तक बीसलपुर योजना का सम्बन्ध है, बीसलपुर बांध में पानी की जो आवक है, पूर्ण भराव क्षमता पर 38 टी.एम.सी. पानी है। 38 टी.एम.सी. पानी अधिकतम बांध जब भरता है 315.5 मीटर के लेवल पर, तो उसमें आएगा। तत्कालीन मुख्य मंत्रीजी ने 1999 के अन्दर बिना किसी बजटीय प्रबन्ध के बीसलपुर से जयपुर को पेयजल उपलब्ध कराने की योजना का शिलान्यास किया। जब तक वो राज मे रहे किसी प्रकार की वित्तीय व्यवस्था वो नहीं कर पाये। मैं हमारी मुख्य मंत्रीजी का बहुत-बहुत आभार व्यक्त करना चाहूंगा, धन्यवाद करना चाहूंगा कि उनके पास जब यह महकमा था और उनको जब इस चीज की जानकारी मिली कि माननीय गहलोत साहब ने. पूर्व मुख्य मंत्रीजी ने जिस योजना का शिलान्यास किया है उस पर किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं हुइ, किसी प्रकार की फडिंग की व्यवस्था नहीं हुई, तो माननीय मुख्य मंत्रीजी के निर्देश से सारी व्यवस्थाएं अब हमने कर लीं और मैं अब आपको यह कहने की स्थिति में हूं कि बीसलपुर योजना मे ट्रांसमिशन जो पार्ट है बालावाला तक का, उसके लिए 556 करोड़ की आवश्यकता है, उसके बाद में आगे जो बालावाला से शहर के लिए है उसमें 463 करोड़ रुपये की. टोटल 1019 करोड़ की आवश्यकता है और इसके लिए राज्य सरकार ने एक तो ए.डी.बी. से मदद मांगी है और उन्होंने इस बात की कल ही हमको जानकारी मिली है कि सहमति दे दी है और लगभग 280 करोड़ का ऋण स्वीकृत वो कर देंगे। बाकी 280 करोड़ जो लोन है वो राज्य सरकार को व्यवस्था करनी है इसके लिए भी राज्य सरकार ने हुडको से स्वीकृत करवा लिया है। इसी प्रकार जो बालावाला से आगे का है 463 करोड़ रुपये का. इसके लिए जापान बैंक फोर इंटरनेशनल कारपोरेशन से 343 करोड़ का लोन स्वीकृत हो चुका है, एग्रीमेंट हो चुका है, और 120 करोड़ रुपये हुडको से राज्य सरकार ने अपने अंश का लोन स्वीकार करवा लिया है। इस प्रकार राज्य सरकार ने 400 करोड़ रुपये, जो राज्य सरकार का अंशदान है, हुडको से स्वीकृत करवा लिया है और अभी जून महीने के अन्दर इसके सम्बन्ध में टेण्डर सम्बन्धी कार्यवाही भी हमने करवा ली है। तो मैं आपको यह आश्वस्त करना चाहता हूं कि जयपुर के लिए अलार्मिंग भूजल की जो स्थिति है 2011 में. जयपुर में उससे पहले 2007 तक पानी पहुंच जाएगा। इसी प्रकार राज्य सरकार ने ईसरदा काफर डैम का निर्माण भी शुरू करवा दिया है। इसके लिए

(श्री सांवर लाल)

पांच करोड़ का आबंटनं करवा दिया है, इस वर्ष खर्चा होगा और बाकी 16 करोड़ रुपये अगले साल में देकर इस काफर डैम का निर्माण भी करवा लिया जाएगा। जो भी जयपुर शहर की समस्या है उसके समाधान के लिए इस पानी से समाधान हो जाएगा। इसमें कुछ एरिया जो छूटा हुआ है आगरा रोड-गोनेर रोड का, मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि उस क्षेत्र को भी इस योजना से जोड़ कर लाभान्वित कर दिया जाएगा।

श्री रामसिंह विश्नोई (लूणी) : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने कुछ गलतबयानी की है उसके लिए मैं खुलासा करना चाहता हूं।

श्री कालीचरण सर्राफ : पहले मैं बोल लूं, साहब।

श्री अध्यक्ष : पहले जिन्होंने ध्यानाकर्षण किया है। सुनिये, पहले माननीय सदस्य जिन्होंने ध्यानाकर्षण किया है, प्राथमिकता उनकी है, इसलिए पहले वो पूछेंगे उसके बाद आप बोलें।

श्री रामसिंह विश्नोई : जिन्होंने ध्यानाकर्षण किया है उनकी इमदाद के लिए ही मैं कह रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : मैं आपको अवसर दूंगी लेकिन पहले ध्यानाकर्षण उन्होंने किया, प्राथमिकता उनकी है।

श्री कालीचरण सर्राफ : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मेरी बात प्रारम्भ करूं उससे पहले सबसे पहले तो मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी को इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहूंगा कि जयपुर शहर में पेयजल की इतनी जबरदस्त किल्लत होने के बाद भी उन्होंने मुख्य मंत्री बनते ही जन प्रतिनिधियों और जलदाय विभाग से सम्बन्धित अधिकारियों की गर्मी शुरू होने से पहले ही मीटिंग ली और व्यक्तिगत रूप से इसकी मानिटरिंग की और उसका यह परिणाम रहा कि कहीं पर भी कोई पानी की बड़ी जबरदस्त समस्या इस साल नहीं आयी। हर वर्ष गर्मी के समय कहीं पर धरने. कहीं पर प्रदर्शन, कहीं पर घेराव, कहीं पर रास्ता जाम जो होता था. मेरे ख्याल से जयपुर के इतिहास में यह पहला साल है कि इस बार कहीं पर भी न कोई प्रदर्शन हुआ पानी को लेकर, न कोई धरना दिया गया. न कोई घेराव किया गया और न कोई कहीं

(श्री कालीचरण सर्राफ)

पर रास्ता जाम हुआ। पर माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सब टैम्परेरी व्यवस्था है, जयपुर शहर की पेयजल की समस्या का स्थायी समाधान करने के लिए आवश्यक है कि यहा पर बीसलपुर से पानी जल्दी से जल्दी लाया लाए। आज जयपुर शहर की स्थिति यह है कि जिस तेजी के साथ जलस्तर नीचे जाता जा रहा है और भूजल वैज्ञानिकों ने जिस प्रकार की सर्वे रिपोर्ट दी है, माननीय मंत्रीजी ने कहा कि 20.. तक का पर्याप्त पानी हमारे पास है, मैं आपको बताना चाहूंगा कि बरसात हो नहीं रही है और पानी का रिचार्ज नहीं हो रहा है तो 2010 तक भी जयपुर शहर में अण्डरग्राउण्ड वाटर नहीं रह पाएगा और 2007-2008 तक का ही जयपुर शहर में अण्डरग्राउण्ड वाटर बचा है।

दूसरी समस्या जो सबसे बड़ी समस्या है वो यह है कि जयपुर में शहर में 50% से ज्यादा जो बाहरी कालोनीज हैं, कृषि भूमि पर बनी हुई कालोनीज, उनमें कोई सीवरेज की व्यवस्था नहीं है। जो 60-60, 70-70 फीट गहरे खड्डे खोदे गये हैं, उनसे सीवरेज की व्यवस्था हो रही है। जिस तरीके से जयपुर शहर का पानी प्रदूषित हो रहा है गहराता जा रहा है पानी, नाईट्रेट की उसमें मात्रा बढ़ती जा रही है, फ्लोराइड की मात्रा बढ़ती जा रही है, कहीं ऐसा नहीं हो कि हमारी स्थिति यह हो जाए कि जयपुर में संक्रामक रोग फैल जाए और महामारी की स्थिति हो जाए। आज हम जयपुर शहर को गर्व के साथ कहते हैं कि यह पिंक सिटी है, पर जिस प्रकार से भूजल का दोहन किया जा रहा है उससे मुझे लगता है कि कुछ दिन में कहीं जयपुर डैजर्ट सिटी न हो जाए। जिस प्रकार कनाड़ा के अन्दर कई शहर पानी के कारण डैजर्ट हो गये, कहीं इस प्रकार की स्थिति जयपुर शहर में न आ जाए।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, मेरी सुनिये।

श्री कालीचरण सर्राफ : मैं दो मिनट लूंगा।

श्री अध्यक्ष : मेरी बात तो सुनेंगे पहले आप। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव जो आप लाते हैं उस पर मंत्री अपना वक्तव्य देते हैं, उस बारे में कोई स्पष्टीकरण आपको चाहिए तो आप स्पष्टीकरण ले सकते हैं, कोई प्रश्न उनसे पूछ सकते हैं, बाकी जनरल डिबेट इसमें नहीं होती है।

श्री कालीचरण सर्राफ : माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी तक यही परम्परा रही है, मैं भी चौथी बार बना हूं, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में मैं पूरी बात तो कहूंगा। पांच मिनट तो देंगे आप।

श्री अध्यक्ष : नहीं गलत है। आप परम्परा की जो बात कह रहे हैं ऐसी परम्परा नहीं रही है। नहीं, परम्परा नहीं रही है, मैंने देखा है और मैं आपको पढ़ कर सुना सकती हूं। पढ़ कर सुना दूं। मैंने देखा है उसे ऐसी परम्परा नहीं रही है।

श्री कालीचरण सर्राफ : 5 मिनट तो समय देंगे, मैडम 5 मिनट तो देंगे?

श्री अध्यक्ष : मैंने कहा, आप अपना कोई प्रश्न पूछना चाहें तो वो पूछें, कोई आप इनसे स्पष्टीकरण लेना चाहें तो वो ले लें, लेकिन आप ऐसे भाषण नहीं दे पाएंगे।

श्री कालीचरण सर्राफ : मैं भाषण नहीं दे रहा हूं। मैं तो यही पूछना चाहता हूं माननीय जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्रीजी से, एक तो बताएं क्या यह सही है कि पिछली सरकार ने 1999 में बीसलपुर योजना से पानी लाया जाएगा, यह कह कर इस योजना का शिलान्यास किया? न उसकी कोई वित्तीय स्वीकृति, न कोई बजटीय प्रावधान और 1999 से लेकर आज तक एक इंच भी काम इस पर नहीं हुआ, तो क्या यह सही है? नम्बर-2, अब सरकार जैसे बजट में भी प्रावधान आपने किया है तो मैं यह कहना चाहूंगा कि इसको सुनिश्चित करें और इसके लिए यदि कोई अधिकारियों की टीम लगाने की आवश्यकता है तो उसको भी लगाएं 2007 तक आप यह कह रहे हैं कि पानी निश्चित रूप से जयपुर को पिला दिया जाएगा तो जयपुर शहर में पानी निश्चित रूप से 2007 तक आप ले जाएंगे, इस बात को सुनिश्चित करें। तीसरा मेरा प्रश्न यह है कि यहां जयपुर में कई इस प्रकार की कालोनीज हैं जहां अभी जलदाय विभाग की व्यवस्था से वो कालोनियां जुडी हुई नहीं हैं और उसमें यह कहा जाता है कि अभी तक इन कालोनियों का नियमन नहीं हुआ। जयपुर शहर में या किसी भी शहर में जो व्यक्ति रहता है उसको यह तो निश्चित रूप से अधिकार है, पानी पीने के लिए उसको चाहिए, तो मैं यह आपसे पूछना चाहूंगा कि इस प्रकार के लोग...।

श्री अध्यक्ष : जयपुर शहर में नहीं सब जगह को अधिकार है, कहीं भी रहने वाले को अधिकार है, पानी पीने का जयपुर वालों को अकेले को नहीं है।

श्री कालीचरण सर्राफ : मैं यही कह रहा हूं। जयपुर शहर में जो लोग कालोनियों में मकान बनाकर रह रहे हैं उनके लिए जलदाय विभाग की क्या योजना है, इसके बारे में आप बताएं? एक स्पेसिफिक मैं यह पूछना चाहूंगा कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र में आगरा रोड़ पर हम जब जाते हैं, कानोता पुलिया तक मेरा निर्वाचन क्षेत्र है दोनों तरफ लगभग 50 हजार लोग कालोनियों में निवास करते हैं, वहां कोई भी पानी की व्यवस्था जलदाय विभाग द्वारा नहीं है। क्या आप वहां पानी की व्यवस्था, बीसलपुर से तो पानी अभी 2007 में आएगा...

(13.00 बजे)

श्री अध्यक्ष : यह तो आपके ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में नहीं है, जयपुर शहर की ही है।

श्री कालीचरण सर्राफ : जयपुर शहर ही बता रहा हूं कोई बाहर की थोड़े ही बता रहा हूं। मेरा निर्वाचन क्षेत्र पूरा ही जयपुर शहर में है, वही बता रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : आपका है लेकिन आप चर्चा तो बन्द करें।

श्री कालीचरण सर्राफ : नहीं, मैं बता रहा हूं, आप मुझे बोलने तो दो।

मेरा कहने का मतलब यह है कि जो वह 50 हजार की पापुलेशन रहती है वह जयपुर शहर में ही आती है, वहां आप पानी की क्या व्यवस्था कर रहे हैं? एक मेरा कहना यह है कि जयपुर शहर के नगर निगम क्षेत्र में जो पहले कई गांव थे जैसे खोनागोरियाना, पालड़ी मीणा, घाटी करोलान, इनमें भी आपकी कोई पानी की व्यवस्था नहीं है। क्या वहां पानी की टंकियां बनाकर पानी सप्लाई करने की कोई योजना आप बनाने का विचार रखते हैं? ये जो मैंने 4-5 बातें कही हैं उनके बारे में आप अपना वक्तव्य दें।

दूसरी एक बात मैं और कहना चाहूंगा कि जयपुर शहर में चारदीवारी में और बाहर कई कुए बने हुए हैं जो सूख गये हैं, उनकी सफाई कराकर क्या उनसे पानी पिलाने की व्यवस्था की जाएगी? इसी प्रकार से कई बावड़ियां इस प्रकार की हैं जो तहस-नहस हो गईं या टूट गईं, उनकी मरम्मत कराकर क्या उनसे भी पानी पिलाये जाने की व्यवस्था जयपुर शहर में की जाएगी, यह जरा आप बता दें?

श्री अध्यक्ष : श्री सुरेन्द्र पारीक। (व्यवधान) मिस्टर सुरेन्द्र पारीक, यदि आप भी कुछ कहना चाहें, पूछना चाहें, भाषण नहीं, कुछ पूछना चाहें, स्पष्टीकरण लेना चाहें तो आप भी कह सकते हैं।

श्री लक्ष्मीनारायण बैरवा (फागी) : मैं, अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से आदरणीय मंत्रीजी से पूछना चाहूंगा कि बीसलपुर पानी की जो योजना आ रही है बीसलपुर से जयपुर जा रही है, बीसलपुर से दूदू जा रही है, मेरा विधान सभा क्षेत्र फागी पड़ता है, जो दोनों लाइनें आ रही हैं वे मेरे क्षेत्र के बीच में से ही आ रही हैं।

श्री अध्यक्ष : आप कहां से आ गये बीच में? नाम पुकारा है मैंने सुरेन्द्र पारीक का, आप कहां से आ गये?

श्री लक्ष्मीनारायण बैरवा : अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि बीसलपुर पानी की योजना दूदू और जयपुर में लाई जा रही है, मेरे क्षेत्र में भी 80 प्रतिशत पानी की कमी है, फ्लोराइड युक्त पानी है, क्या मंत्री महोदय बताएंगे कि फागी क्षेत्र को...

श्री अध्यक्ष : कृपया स्थान ग्रहण करें, माननीय सदस्य।

श्री सुरेन्द्र पारीक (हवामहल) : अध्यक्ष महोदय, अभी मंत्री महोदय ने भी यह बात बताई कि रामगढ़ से जो पानी आ रहा है वह दो दिन बाद सप्लाई होना बन्द हो जाएगा। रामगढ़ से जो 80 लाख लीटर पानी रोज आ रहा था उससे मेरे निर्वाचन क्षेत्र के ब्रह्मपुरी और उसके निकट के क्षेत्र कागजीवाड़ा, रामचन्द्रजी की चौकड़ी व गंगापोल में पानी की सप्लाई हो रही थी, अब इसके लिये प्रशासन ने क्या व्यवस्था की है, एक तो उसकी जानकारी चाहिये थी? दूसरा मेरा निवेदन यह था कि जो पानी इस समस हमारे ब्रह्मपुरी में ट्यूबवैल से आ रहा था वह कुओं के सूख जाने से, ट्यूबवैल का जल स्तर रोज नीचे जा रहा है, तो जो कुएं सूखे हुए हैं उनके पुनरुत्थान के लिये भी विभाग ने अगर कोई योजना बनाई हो तो उसकी जानकारी भी मंत्री महोदय सदन में देने का कष्ट करें। (व्यवधान)

श्री सांवर लाल : आपका तो गलत बयानी का सवाल है, अलग से पूछना मैं जवाब दे दूंगा।

श्री नाथूसिंह गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, एक एक्सप्लेनेशन मैं भी चाहूंगा।

श्री अध्यक्ष : वह पूर्व मंत्री रहे हैं, शायद उन्हें कोई जानकारी हो तो आप लाभान्वित हो जाएंगे।

श्री सांवर लाल : पूर्व मंत्री महोदय यही कहना चाह रहे थे, इनका तो अलग से हो जाएगा. पहले जो माननीय सदस्य ने पूछा है, वह पूरी जानकारी मैं एक साथ ही दे दूंगा, पहले इनका जवाब दे दें उसके बाद...

श्री रामसिंह विश्नोई : आप बहुत सक्षम मंत्री हैं और आपके खुद का ही काम मैंने किया हुआ है।

श्री अध्यक्ष : भाषण को अलाऊ नहीं करूंगी, कोई जानकारी देनी हो तो दे दीजिए।

श्री रामसिंह विश्नोई : जानकारी चाह रहा हूं और दे रहा हूं इनको। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय जिन्होंने अभी अपने भाषण में जो बात कही है कि पिछली सरकार ने कुछ नहीं किया, मैं आपको बता दूं, सबसे पहले तो ईसरदा बांध के सर्वे का काम, पिछली सरकार ने पैसे जमा करवाये।

श्री अध्यक्ष : ईसरदा नहीं. बीसलपुर।

श्री रामसिंह विश्नोई : ईसरदा, जो इसमें शामिल है, वह उसका सहायक बनेगा। यहां भी पानी होगा और वहां भी होगा।

श्री नाथूसिंह गुर्जर : इसका निर्णय कब लिया गया था?

श्री रामसिंह विश्नोई : सन् 2002 में।

श्री नाथूसिंह गुर्जर : यह नहीं, आप सदन को ठीक जानकारी दीजिए। हमारी सरकार के समय, मैं भी मंत्री था, मुझे मालूम है। बीसलपुर बांध मेरे क्षेत्र में बना हुआ है, मुझे मालूम है, ईसरदा के लिये हमने मांग की. हमने निर्णय लिया।

श्री रामसिंह विश्नोई : नहीं नहीं, उस समय आपके सरकार में सम्भावना ही नहीं थी।

श्री नाथूसिंह गुर्जर : आप मेरी बात सुनिए। अध्यक्ष महोदय. मैं करैक्ट करना चाह रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : आपको कोई जानकारी देनी हो तो बाद में दे देना. वह चूंकि पहले खड़े हुए थे मैं समय दे चुकी थी उन्हें।

श्री नाथूसिंह गुर्जर : ठीक है।

श्री रामसिंह विश्नोई : बहुत जल्दबाजी करते हो तभी तो पीछे रह गये आप।

श्री नाथूसिंह गुर्जर : यह तो उम्र का फर्क है।

श्री रामसिंह विश्नोई : हां, कोई बात नहीं, मैं तो पीछे हूं ही। मंत्री महोदय, यह ईसरदा बांध के सर्वे का काम हमारी सरकार ने किया था। नम्बर दो, तब तत्कालीन मुख्य मंत्रीजी ने उदघाटन किया था उस समय हमारी योजना थी, रेलवे का जहां ट्रैक था उसके हमने पैसे जमा करवाये। उसके बाद 200 करोड़ हमारे पी.एच.ई.डी. विभाग में थे, हम इस काम को एक साल में पूरा करना चाहते थे। मुझे बहुत खेद है कि हमारे कार्यकाल में इसे पूरा नहीं कर सके। अब कोई समस्या नहीं है, रेलवे ट्रैक तैयार है। पहले रेलवे ट्रैक खाली पड़े हैं, वह एक्वायर किया हुआ है, रेलवे को जमा किये हुए हैं। ईसरदा बांध का सर्वे हो चुका है, बीसलपुर बांध से यहां पानी आने में दिक्कत नहीं है। जब हमारा काम लम्बित होने लगा उस समय हमने 200 करोड़ की योजना दूदू के 200 गांवों की बनाई और वहां पर पानी भेजा। मुझे बहुत खेद है कि हम बीसलपुर का पानी जयपुर में नहीं ला सके। हमारी योजना थी और इसमें आपको 2007 तक जाने की जरूरत नहीं है, यह एक साल का काम है, आप टेण्डर कर सकते हो और 12 महीने में पानी आ जाएगा। सीधा सपाट रास्ता पडा है, कोई आपको दिक्कत नहीं है, आप क्यों लम्बित करना चाहते हो?

श्री नाथूसिंह गुर्जर (टोडारायसिंह) : अध्यक्ष महोदय, मैं भी कुछ निवेदन करना चाहूंगा। यह बीसलपुर बांध मेरे विधान सभा क्षेत्र में बना हुआ है और मेरे पास के और मेरे विधान सभा क्षेत्र के लगभग 63 गांव इसकी डूब में आये हैं। अध्यक्ष महोदय, इस बांध से अजमेर जिले के शहर और गांव में पानी जा रहा है। इस बांध के बिलकुल पास में जो गांव है, 1-2-3 किलोमीटर दूरी पर, उनमें फ्लोराइडयुक्त पानी है, उनमें पीने का पानी नहीं दिया जा रहा है और वहीं के पास में ज्यों ही अजमेर डिस्ट्रिक्ट शुरू होता है उस गांव में पीने का पानी जा रहा है। हमारे लोगों में बहुत उत्तेजना है। यही नहीं, जो गुलाबपुरा है जो भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट का शहर पड़ता है उस एरिये में भी इस बांध से पानी जा रहा है। जयपुर में पानी लाने की बात की जा रही है। मैं इसमें विरोध नहीं करना चाहता, मैं यह चाहता हूं कि जब माननीय विश्नोई साहब मंत्री थे आपने निर्णय किया और सूरजपुरा के पास आपने शिलान्यास करने की कोशिश की, हमने और हमारी पूरी जनता ने पुरजोर तरीके से...

श्री अध्यक्ष : आप यह क्या कह रहे हो? आप कहना क्या चाहते हो?

श्री नाथूसिंह गुर्जर : मैं यह कहना चाहता हूं, प्रश्न पूछ रहा हूं कि वहां शिलान्यास नहीं करने देने का जनता ने तय कर लिया था, यह तो उस समय बच गये, गवर्नर साहब थे उनकी डैथ हो गई थी। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं मंत्री महोदय से, क्या आप जयपुर पानी लाने से पहले टोडारायसिंह विधान सभा क्षेत्र के गांवों में पीने का पानी पहुंचाएंगे? मैं आपको यह बताना चाहता हूं, मैं सत्ता पक्ष का एम.एल.ए. हूं, मैं अनुशासन से बंधा हुआ रह सकता हूं लेकिन जनता अनुशासन में नहीं बंधी रह सकती है।

श्री अध्यक्ष : टोडारायसिंह पर यह ध्यानाकर्षण नहीं है, आप टोडारायसिंह पर ध्यानाकर्षण लाओ तब यह जवाब देंगे। अब आप मंत्रीजी भी नहीं है।

श्री नाथूसिंह गुर्जर : जयपुर में पानी लाने का है ना, इसलिए कहा है कि आप वहां भी पानी देंगे। दूसरा जो विश्नोई साहब ने कहा...

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी। (व्यवधान)

श्री नाथूसिंह गुर्जर : विश्नोई साहब को जानकारी देना चाहता हूं कि जिस समय ईसरदा डैम...(व्यवधान) ईसरदा डैम के सर्वे का निर्णय हमारी सरकार ने लिया था, आपकी सरकार ने नहीं लिया।

श्री रामसिंह विश्नोई : हम तो बच गये, इनको मत छोड़ना आप।

श्री मोहन लाल गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, मैं दो मिनट मंत्रीजी की जानकारी के लिये कहना चाहता हूं। कांग्रेस के मंत्रीजी ने कुछ सूचनाएं दी हैं, मैं हमारे माननीय मंत्रीजी को कुछ सूचना देना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : अब नहीं, आज बजट के सामान्य वाद-विवाद पर बोलने वाले 32 माननीय सदस्य हैं, इसमें करीब 7 घंटे लगेंगे, इसलिए मैं इस बारे में अब किसी को अलाऊ नहीं करूंगी।

प्रो. बीरूसिंह राठौड़ : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रस्ताव लगा हुआ है।

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी।

श्री श्रवण कुमार : आपने मेरे को मना कर दिया उसके बाद 3 ने पूछ लिया, यही होता है। हम सरकार में नहीं है।

प्रो. बीरूसिंह राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रस्ताव लगा हुआ है।

श्री श्रवण कुमार : मेरा प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण था पर आप समय ही नहीं दे रही हैं।

श्री सांवर लाल : अध्यक्ष महोदय, हवामहल से आने वाले माननीय सदस्य ने एक चिंता प्रकट की है कि रामगढ़ का पानी खतम होने के बाद राज्य सरकार क्या व्यवस्था कर रही है। अध्यक्ष महोदय, हमने व्यवस्था शुरू कर दी है। (व्यवधान) 22 नलकूप हमने चालू करा दिये हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अंकित नहीं हो। श्री मोहन लालजी का नहीं है।

श्री सांवर लाल : 30 ट्यूबवैल खोदे गये हैं जो सीधे लाइनों से जुड जाएंगे। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बीरूसिंह राठौड़ का है, मोहन लाल गुप्ता का नहीं है। (व्यवधान)

श्री सांवर लाल : इससे लगभग 60 लाख लीटर पानी मिलेगा। इसलिए हम आपको यह आश्वस्त करना चाहते हैं कि इसकी वजह से आपको किसी प्रकार का संकट नहीं आएगा।

श्री कालीचरण सर्राफ : बीरूसिंहजी बोल रहे हैं आप बोलने नहीं दे रही हैं। बीरूसिंहजी का नाम है इसमें।

श्री अध्यक्ष : मैंने बीरूसिंहजी को मना नहीं किया, मैंने मोहन लालजी गुप्ता को ना किया। (व्यवधान) माननीय सदस्य, आप स्थान ग्रहण करें।

श्री श्रवण कुमार : अध्यक्ष महोदय, बहुत इम्पोर्टेण्ट बात है, पूरे सदन के काम आने वाली बात है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : पिलानी से आने वाले माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण कर लें।

श्री श्रवण कुमार : आप देखिये, मंत्रीजी ने सारे पावर अपने पास सीज कर लिये, न तो एडिशनल चीफ काम कर सकता, न एक्स.ईएन. काम कर सकता, फिर क्या फायदा?...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : पिलानी से आने वाले माननीय सदस्य, मुझे मजबूर न करें, आप स्थान ग्रहण करें।

श्री सांवर लाल : यह मंत्री को सोचना है कि किस को काम करना है और कैसे करना है. थोड़ा कानून-कायदे पढ़ो आप। बिना पढ़े-लिखे आ गये, कुछ जानकारी तो है नहीं।

श्री श्रवण कुमार : आप देखिये, पहले वालों ने क्या गलत किया?

श्री अध्यक्ष : आपको नियमों की जानकारी नहीं है, आप नियमों की जानकारी करिये पहले। पहले नियमों की जानकारी करिये। बीरूसिंह राठौड़, आप केवल प्रश्न पूछेंगे या स्पष्टीकरण चाहेंगे?

श्री श्रवण कुमार : सारे काम, पावर सीज हो गये।

श्री सांवर लाल : हो गये सीज, अब क्या करना है आपको? (व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार : माननीय अध्यक्ष महोदय, कोई कुआं खुदवा नहीं सकते हैं, काम कोई हो ही नहीं सकता है। (व्यवधान) 7 महीने के अन्दर पी.एच.ई.डी. का सारा भट्ठा बैठा दिया। कोई काम हो ही नहीं रहा है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अव्यवस्था नहीं फैलाएं, माननीय सदस्य।

प्रो. बीरूसिंह राठौड़ (बनीपार्क) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा जो विधान सभा क्षेत्र है बनीपार्क, इसकी भौगोलिक स्थिति अपने आप में विशेष स्थान रखती है। लगभग 5 लाख मतदाता, 10 हजार कालोनियां, नगर निगम से 70 में से 20 वार्ड, 12 गांव और लगभग 40 ढाणियां हैं। इसमें एक मेरा वार्ड नम्बर 3 है। इस अकेले में लगभग 72 हजार मतदाता हैं। यह दो भागों के अन्दर बंटा हुआ है। एक तरफ वैशाली नगर और दूसरे में पृथ्वीराज नगर, जिसमें लगभग 124 कालोनियां हैं। कोर्ट के माध्यम से यहां स्टे आया हुआ है। उस स्टे की टोटल आपकी 24 पंक्तियां हैं। उसमें केवल यह लिखा गया है कि पृथ्वीराज नगर के अन्दर कोई नवीन काम नहीं किया जाएगा, नये मकान नहीं बनाये जाएंगे। उस स्टे में यह कहीं भी लिखा हुआ नहीं है...

श्री अध्यक्ष : यह मकानों का सवाल नहीं है, यह पानी का प्रश्न है, पानी से सम्बन्धित बात कहें तो उपयुक्त होगा।

प्रो. बीरूसिंह राठौड़ : मैं पानी पर ही आ रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : आ नहीं रहे हैं, आप आ जाइये। (व्यवधान) आ नहीं रहे हैं, आप आ जाइये पानी पर। (व्यवधान)

प्रो. बीरूसिंह राठौड़ : हां, उसी पर आ रहा हूं। उस स्टे में कहीं भी यह लिखा हुआ नहीं है कि पृथ्वीराज नगर की जो 124 कालोनियां हैं उनको पानी नहीं दिया जाएगा। मैं कई प्रकार के पत्र लिख चुका हूं। विभाग से पत्र लिखकर आ जाता है कि यहां पर स्टे आया है। तो मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा, स्टे में पानी के ऊपर कोई भी रोक लगी हुई नहीं है। लगभग 72 हजार व्यक्ति पानी की समस्या से ग्रस्त हैं, प्यासे हैं। डेली मेरे पास लगभग 30 व्यक्ति, 50 व्यक्ति, सौ व्यक्ति आते हैं। मैंने मेरे विधायक कोटे से वहां पर 3 नलकूप लगाने के लिये भी 5-5 लाख रुपये दिये हैं, उसके बाद भी अधिकारियों के माध्यम से वहां पर पीने के पानी की कोई भी व्यवस्था नहीं की गयी है। अत: मेरा मंत्रीजी से निवेदन है कि इसकी पूरी जानकारी करके पृथ्वीराज नगर की जो 124 कालोनियां हैं, जिसमें लगभग 75 प्रतिशत निर्माण का काम हो चुका है, उसमें पानी की तत्काल व्यवस्था की जाए।

श्री सांवर लाल : माननीय अध्यक्ष महोदया, हवामहल से आने वाले माननीय सदस्य ने पूछा कि रामगढ़ का पानी खतम होने वाला है, अगर बरसात नहीं हुई तो, उसकी हमने वैकल्पिक व्यवस्था कर दी है, 22 नलकूप जो प्रताप नगर में हैं...

श्री रामचन्द्र : रामगढ़ का पानी नहीं, रामगढ़ बांध के पानी की बात करो। रामगढ़ का पानी कहां खतम हो गया? रामगढ़ बांध की बात करो। रामगढ़ में पानी मौजूद है। (व्यवधान) रामगढ़ के बांध की बात करो आप।

श्री सांवर लाल : आपके पानी की तो बात नहीं कर रहा हूं, आप क्यों परेशान हो रहे हो? आपका पानी है, अभी मुझे मालूम है, आप क्यों बीच-बीच में कर रहे हो? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बिराजिये, छोटी बात पर फालतू डिस्टर्ब कर रहे हो।

श्री सांवर लाल : तो 22 नलकूप वह चालू करवा देंगे। इसके अलावा मुरलीपुरा में हमने 20 ट्यूबवैल खोदने का निर्णय ले लिया, चालू कर दिया काम, 60 लाख लीटर पानी वहां से मिलेगा। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं, इसमें आपको किसी प्रकार

(श्री सांवर लाल)

की परेशानी हम नहीं आने देंगे। इसी प्रकार से जौहरी बाजार से आने वाले माननीय सदस्य ने पूछा है, यह योजना 2007 तक पूरी हो जाए। जिस प्रकार से बरसात की सम्भावना बनी रहती है, बरसात नहीं होने से जो सम्भावना 2011 को थी कि अण्डरग्राउण्ड वाटर का जिस प्रकार से दोहन हो रहा है, 2011 में स्थिति विस्फोटक होगी, वह पहले हो सकती है, तो हमने इसका टाइम-बाउण्ड प्रोग्राम बना लिया है और मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि 2007 तक हमारा पूरा प्रयास है कि पानी आपको मिले। इसके लिये क्रियान्विति हेतु वांछित 2 टीमें बना दी हैं। आर.यू.आई.डी.पी. के तहत मुख्य अभियन्ता एवं अन्य स्टाफ ट्रांसफार्मर बनाने के लिए हमने लगा दिये हैं। इसी प्रकार से मुख्य अभियन्ता, बीसलपुर एवं अन्य स्टाफ हम लगा रहे हैं जिससे इस योजना को गति मिले। फडिंग के बारे में पहले ही मैंने आपको सारी व्यवस्था बता दी है।

अब जो कुछ कालोनियां इनकी रह गयी हैं, निश्चित रूप से कोई भी व्यक्ति कहीं रहे, पीने का पानी उपलब्ध करवाना सरकार का पहला दायित्व है, तो मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि आपकी किसी भी कालोनी में लोग रहते हैं उनको हम पानी पिलाएंगे। अभी आप कह रहे थे कि पी.एच.ई.डी. की कोई व्यवस्था नहीं है, अभी भी आपके विधान सभा क्षेत्र का जो एरिया आप बता रहे हो, उसमें 82 हैण्ड पम्प हैं, 123 हाइएस्ट जो टंकियां हैं 4-4 हजार लीटर की प्लास्टिक की, वह आपके वहां पर उस एरिये में लगा रखी हैं। 130 टैंकरों के माध्यम से उस क्षेत्र में हम आपके वहां के लोगों को पानी पिला रहे हैं। जब से माननीय वसुन्धराजी मुख्य मंत्री बनी हैं, इस योजना को जिस प्रकार से गति दी है तो निश्चित रूप से यह लगता है कि मुख्य मंत्रीजी की चिन्ता है, हर व्यक्ति को स्वच्छ जल मिले और आपका जो एरिया आता है 50 हजार के लगभग जो पापुलेशन है उसको भी हम उपलब्ध करवाएंगे। अब नगर-निगम के जो गांव आते हैं, पैराफैरी वाले पानी तो उनको भी मिलेगा। पानी हैण्ड पम्प के माध्यम से या अन्य किसी भी स्कीम से, कैसे भी हो सरकार उनको पानी उपलब्ध करवाने की पूरी-पूरी व्यवस्था करेगी।

श्री अध्यक्ष : श्री वीरेन्द्र मीणा, वित्त राज्य मंत्री, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा -परीक्षक के प्रतिवेदन सदन के पटल पर रखेंगे।

प्रो. बीरूसिंह राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, मेरा जो क्वेश्चन था, पृथ्वीराज नगर, उसमें पानी की क्या व्यवस्था की जाएगी, उसका उत्तर नहीं मिला मेरे को। पृथ्वीराज नगर में पानी की क्या व्यवस्था होगी? उसमें 124 कालोनियां हैं, सब लोग प्यासे मर रहे हैं, उनके पानी की क्या व्यवस्था होगी?

सदन पटल पर रखे गये पत्र

नियंत्रक महालेखा परीक्षक के तीन प्रतिवेदन (राजस्व प्राप्ति) (वाणिज्यिक) व (सिविल) वर्ष 2002-2003

श्री वीरेन्द्र मीणा (राज्य मंत्री, वित्त) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से, (1) भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक का 31 मार्च, 2003 को समाप्त वर्ष के लिए प्रतिवेदन (राजस्व प्राप्तियां),

(2) भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक का 31 मार्च, 2003 को समाप्त वर्ष के लिए प्रतिवेदन (वाणिज्यिक), एवं

(3) भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक का 31 मार्च, 2003 को समाप्त हुए वर्ष के लिए प्रतिवेदन (सिविल) सदन की मेज पर रखता हूं।

याचिका का उपस्थापन

श्री अध्यक्ष : श्री अमराराम याचिका का उपस्थापन करेंगे।

श्री अमराराम (धोद) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नांकित याचिकाओं का उप-स्थापन करता हूं :-

(1) पंचायत समिति धोद, जिला सीकर का भवन नहीं बनाने से जनता को हो रही परेशानी बाबत,

(2) जिला सीकर के भूवाला से सेवद छोटी मिसिंग लिंक डामर सड़क बनवाने बाबत.

(3) धोद (सीकर) में 220 के.वी. विद्युत सब-स्टेशन का निर्माण करवाने बाबत।

श्री अध्यक्ष : मैं माननीय सदस्यों से यह निवेदन करना चाहूंगी कि आज 36 माननीय सदस्य बजट पर बोलना चाहते हैं, यदि हम 7 घण्टे भी बैठेंगे तो भी 10

(श्री अध्यक्ष)

मिनट से अधिक समय किसी को नहीं मिल पाएगा। इसलिये अपनी बात सीमित करने की कोशिश करेंगे तो मैं समझती हूं कि ठीक रहेगा। इसलिये अब जो कुछ, सामान्य वाद-विवाद होगा और सबसे पहले...

श्री राजेन्द्र राठौड़ :मुख्य मंत्रीजी का वक्तव्य करवा दें।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : हमारा भी है।

श्री अध्यक्ष : आपका काहे का है?

मोहम्मद माहिर आजाद : हां, वक्तव्य करवा दें। मुख्य मंत्रीजी दिल्ली से होकर आयी हैं, क्या बात करके आयीं, क्या कार्यवाही करके आयीं...

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मांग करने की जरूरत नहीं है, तैयारी है, मुख्य मंत्रीजी तैयार हैं वक्तव्य देने के लिये।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : अजमेर के प्रकरण पर वक्तव्य है।

मोहम्मद माहिर आजाद : हम भी यही कह रहे हैं, क्योंकि यह सबके. पूरे प्रदेश के हितों का मामला है।

श्री अध्यक्ष : ठीक है, बजट पर सामान्य वाद-विवाद से पूर्व मुख्य मंत्रीजी का वक्तव्य हो जाए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : ठीक है।

(13.18 बजे)

(श्री सुरेन्द्र गोयल, सभापति, पदासीन)

श्री सभापति : माननीय मुख्य मंत्रीजी।

शासकीय वक्तव्य

पंजाब विधान सभा द्वारा पारित प्रस्ताव के मद्देनजर रावी-ब्यास नदियों से राजस्थान को मिल रहे हिस्से की सुरक्षा से सम्बन्धित नवीन स्थिति

श्रीमती वसुन्धरा राजे (मुख्य मंत्री) : सभापति महोदय. आपके माध्यम से मैं

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

सदन को रावी-ब्यास जल के सन्दर्भ में पंजाब सरकार द्वारा पारित अधिनियम से उत्पन्न गम्भीर समस्या के सन्दर्भ में नवीनतम स्थिति के बारे में अवगत कराना चाहती हूं। मैंने सदन को दिनांक 13.7.2004 को जारी वक्तव्य के माध्यम से आश्वस्त किया था कि रावी-ब्यास के जल में राजस्थान के अहस्तांतरणीय हितों की सुरक्षा हेतु राज्य सरकार कटिबद्ध है। मेरे द्वारा प्रधान मंत्रीजी से दिनांक 13.7.2004 को वार्ता हुई थी, उसके उपरान्त दिनांक 14.7.2004 को उनसे मेरी मुलाकात भी हुई और उस मसले पर विस्तार से चर्चा भी हुई। साथ में विधि मंत्री भी थे। मैंने प्रधान मंत्रीजी को अवगत कराया कि रावी-ब्यास जल के विभिन्न समझौतों के अन्तर्गत राजस्थान को प्राप्त अधिकार पूर्ण व अहस्तांतरणीय हैं और पंजाब द्वारा उनहें एक-तरफा कार्यवाही करते हुए खतम करना अवैध और असंवैधानिक है। उनको मैंने यह भी अवगत कराया कि राजस्थान में मरुस्थल के सात जिलों में लगभग एक करोड़ लोग इस जल पर सिंचाई और पानी पीने के लिए निर्भर हैं और पानी की उपलब्धि में व्यवधान होने पर इस राज्य के एक बड़े भू-भाग पर गम्भीर संकट उत्पन्न हो जाएगा। मैंने उन्हें सूचित किया कि 1981 में हुए अन्तरराज्यीय नदी जल समझौते के अनुसार राजस्थान के हिस्से का पूरा पानी 8.6 मिलियन एकड फीट लेने के सम्बन्ध में राजस्थान विधान सभा ने एक सर्वदलीय संकल्प भी पारित किया है। पंजाब विधान सभा में नदी जल समझौते रद्द करने सम्बन्धी विधेयक पारित होने के बाद राजस्थान मंत्रिमण्डल की आपात बैठक भी हुई है और सभी ने एकजुट होकर राज्य के अधिकारों की सुरक्षा के लिए संवैधानिक और कानूनी कार्यवाही करने सहित राज्य सरकार द्वारा उठाये जाने वाले किसी भी प्रकार के जरूरी कदम के लिए सहयोग प्रदान करने का फैसला किया है।

मुझे प्रधान मंत्रीजी ने आश्वस्त किया कि राजस्थान के हिस्से का पानी नहीं रोका जाएगा। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि राजस्थान के पानी से सम्बन्धित सभी संवैधानिक अधिकारों पर वे कोई आंच नहीं आने देंगे. राजस्थान के हितों की रक्षा की जाएगी। और बैठक के बाद केन्द्र सरकार ने भाखड़ा-ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड को ये निर्देश दिये कि राजस्थान को मिल रहे पानी में कोई व्यवधान नहीं हो, यह सुनिश्चित करे।

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

उसके बाद अध्यक्ष, भाखड़ा-ब्यास मेनेजमैंट बोर्ड ने प्रमुख शासन सचिव, जल संसाधन को दूरभाष पर अवगत कराया कि राजस्थान को मिलने वाले पानी में कोई व्यवधान नहीं हो, इस हेतु बी.बी.एम.बी. प्रयत्नशील रहेगा और उन्होंने यह भी कहा है कि हरिके बैराज पर बी.बी.एम.बी. का एक अधिशासी अभियन्ता स्तर का अधिकारी तैनात किया जा रहा है, जिससे वहां से राजस्थान को छोड़े जा रहे पानी पर निगाह रखी जा सके।

प्रधानमंत्रीजी से बैठक के बाद मेरी लोक सभा और राज्य सभा के सदस्यों से भी चर्चा हुई। स्थिति की गम्भीरता को देखते हुए राजस्थान के सांसदों ने भी प्रधानमंत्रीजी से मिलकर एक ज्ञापन देने का निर्णय लिया है और उक्त ज्ञापन में मुख्यत: निम्न बात उठायी जाएगी, जिसके ऊपर हम लोगों ने यहां विधान सभा में संकल्प भी लिया है-

ये वे ही तीन बातें हैं-सबसे पहली, पंजाब द्वारा पारित एक्ट, 2004 जो कि गैर-संवैधानिक व राजस्थान के हितों के विपरीत है, को समाप्त करवाया जाकर 12 जुलाई, 2004 के पूर्व की स्थिति को बहाल करवाया जाए।

नम्बर-दो, राजस्थान को रावी-ब्यास में समझौते के अनुसार अपना पूरा हिस्सा 52.69 परसेंट, या 8.60 एम.ए.एफ प्राप्त हो सके, इस हेतु बी.बी.एम.बी. को केन्द्र सरकार द्वारा आवश्यक निर्देश दिये जाएं।

और तीसरा, रोपड़, हरिके तथा फीरोजपुर हैडवर्क्स पर बी.बी.एम.बी. का नियंत्रण हो, इस हेतु आवश्यक कार्यवाही की जाए।

इस गम्भीर विषय पर इसके बाद मैंने उच्च-स्तरीय विधिक राय भी ली। कुछ जाने-माने विधि सलाहकारों की एक टीम भी गठित की है, जो विभिन्न पहलुओं पर विचार करेगी और मुझे आज सायंकाल तक सूचित करेगी। जैसा कि सदन को विदित है, दिनांक 13.7.2004 को एक अन्तरदलीय समिति का गठन हुआ है, जो रावी-ब्यास मामले पर विचार करेगी। उक्त विधिक सलाह प्राप्त होते ही मैं इस समिति की बैठक आयोजित करूंगी, जिससे कि भविष्य की रणनीति पर सर्वसम्मति से एक आम राय हो सके।

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

अन्त में सदन को फिर से यह आश्वस्त करना चाहती हूं कि आप सबके सहयोग से राजस्थान के हितों की रक्षा की जाएगी। सरकार सदैव सजग और प्रयत्नशील रहेगी।

श्री ओम बिरला : माननीय मुख्य मंत्री महोदया को बहुत-बहुत धन्यवाद कि उन्होंने राजस्थान के हितों को दिल्ली में जाकर ठीक से रखा। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति : माननीय श्री गुलाब चन्दजी कटारिया।

मोहम्मद माहिर आजाद : माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री महोदया से यह पूछना चाहता हूं कि...(व्यवधान) यह जानना चाहता हूं कि प्रधान मंत्रीजी के अलावा क्या आपकी कृषि मंत्रीजी, जल संसाधन मंत्रीजी और किसी से भी अगर कोई बात हुई है, किन्हीं नेताओं से या किन्हीं अधिकारियों से, तो उसका भी हवाला दे दें तो ज्यादा अच्छा रहेगा।

श्री सभापति : आपने वक्तव्य में बता दिया है। सभी...(व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : नहीं, नहीं, सिर्फ प्रधान मंत्रीजी का ही बताया है।

श्री सभापति : प्रधान मंत्रीजी से बात होने के बाद सब बातें पूरी हो जाती हैं।

श्री रामसिंह विश्नोई (लूनी) : हम मुख्य मंत्रीजी का धन्यवाद करते हैं, हमारे को कुछ नहीं पूछना है। हम आपका बहुत-बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि आप वहां गईं और प्रधान मंत्रीजी से मिली हैं, हमें बहुत खुशी है और इससे अच्छे रिजल्ट्स आएंगे, हमें यह आशा है। लेकिन मैं आपको इतना ही पूछना चाहता हूं कि पिछले चालीस वर्षों से जब हैडवर्क्स के ऊपर कब्जा नहीं होने दे रहे हैं सैण्ट्रल गवर्नमेंट का या बी.बी.एम.बी. का, तो उन्होंने इस बारे में क्या बात कही? पानी देने का आश्वासन देने की बात तो अलग है, वह आपने ठीक कहा। आपने जो तीन पाइंट्स बताये हैं, उनके ऊपर प्रधान मंत्रीजी ने या जो सम्बन्धित अधिकारी, मंत्री या अधिकारी हैं, उन्होंने क्या आश्वासन दिये हैं और आप उनसे ही संतुष्ट हो जाएंगी? या आपको सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा? इस बारे में क्या आपका माइंड बना है?

श्रीमती वसुन्धरा राजे : सभापति महोदय, मैंने अभी पूरी बात रखी है।

श्री प्रद्युम्न सिंह : एक मिनट और, आप जवाब दे रही हैं...

श्रीमती वसुन्धरा राजे : प्रद्युम्न सिंहजी, मैं नहीं मानती हूं कि इस गम्भीर मसले पर इससे ज्यादा मुझे कुछ कहने की जरूरत है। प्रधान मंत्रीजी से बात हुई है, विधि मंत्रीजी वहां पर खुद थे, उसके बाद जल संसाधन मंत्रीजी से भी बात हुई है और आप अगर पता कर लेंगे तो मैं समझती हूं कि वे बातें सदन में रखने से ज्यादा आप लोगों को वैसे भी मालूम पड़ जाएंगी।

श्री सभापति : धन्यवाद। माननीय श्री गुलाब चन्दजी कटारिया।

अजमेर पुलिस लाइन में कांस्टेबल पवन कुमार सोनवाल द्वारा आत्मदाह का प्रकरण

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री) : माननीय सभापति महोदय, दिनांक 10.07.2004 को सायंकाल 5.30 बजे अजमेर पुलिस आर.आई. आफिस के समक्ष स्थित परेड ग्राउण्ड में एक व्यक्ति आग की लपटों में जलता हुआ देखने पर आर.आई. आफिस में बैठे हुए पुलिस कर्मचारियों ने भागकर उस पर एक कम्बल डालकर आग को बुझाया। देखने पर यह व्यक्ति कांस्टेबल पवन कुमार सोनवाल पाया गया। पूंछने पर उसने बताया कि मैंने शराब पी ली थी और नशे और आवेश में होने के कारण आग लगा ली। घायल कांस्टेबल पुलिसकर्मी को सरकारी वाहन में जे.एल.एन. अस्पताल रवाना किया गया। सूचना मिलने पर अन्य पुलिस कर्मचारी, अधिकारीगण, उनमें अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, शहर भी शामिल थे, अस्पताल पहुंचे। अस्पताल में मजलूम कांस्टेबल ने पर्चा बयान दिया कि प्रातः आर.एस.आई. भंवरलाल सिंघल द्वारा उचित वर्दी में नहीं होने के कारण ग्राउण्ड के सात चक्कर लगवाये गये एवं चार दिन की क्वार्टर-गार्ड ड्यूटी भी लगा दी गयी। उसके साथ हीं कांस्टेबल द्वारा ठीक व्यवहार नहीं करने का जिक्र भी किया गया। उसने यह भी बताया कि सायंकाल 5.00 बजे आर.एस.आई. श्री सिंघल द्वारा उसके विरूद्ध रिपोर्ट लिखने के लिए रोजनामचा आम मंगवाने से वह गुस्सा हो गया। मजलूम इस सम्बन्ध में आर.आई. साहब के पास गया तो वहां से उसे डांट कर भगा दिया गया। इस पर वह अपने कमरे पर जाकर माचिस और पैट्रोल आदि ले आया और ग्राउण्ड में आकर अपने कपड़ों पर आग लगायी। साथी कर्मचारियों ने आग को बुझाया। पूर्व में भी आर.आई. और आर.एस.आई. ने उसके साथ गाली गलौच की थी. परन्तु उसकी रिपोर्ट उच्चाधिकारियों को नहीं दी गयी।

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

श्री पवन कुमार के पर्चा बयान की जांच की जा रही है। जांच में जैसे स्थिति होगी, कार्यवाही की जाएगी। कांस्टेबल पवन कुमार, नम्बर-1461 शराब पीये होने के बारे में जांच हेतु डाक्टर ने खून का नमूना लिया जो एफ.एस.एल. जांच हेतु भेजा गया। मजलूम पवन कुमार को डाक्टर द्वारा जयपुर रैफर करने पर उसको एवं उसके परिजनों को उसी दिन रात्रि 9.30 बजे करीब एक सरकारी एम्बुलेंस मय डाक्टर एवं प्राइवेट एम्बुलेंस में पुलिस कर्मचारियों को जयपुर रवाना किया।

घटना के दिन सायंकाल 6.45 बजे आर.एस.आई. भंवरलाल सिंघल की रिपोर्ट पर एक मुकदमा अन्तर्गत धारा 309, थाना सिविल लाइन, अजमेर में दर्ज किया गया। उन्होंने बताया कि प्रात: गार्ड चैक करने पर मजलूम उचित वर्दी में नहीं था व उसने नेम-प्लेट भी बी.एस. राठौड़ की लगा रखी थी। जिस पर उसके विरुद्ध रोजनामचा आम में रपट अंकित की गयी। सायंकाल 4.20 पर गार्ड कमाण्डर नानकराम हैड-कांस्टेबल ने मजलूम की अनुपस्थिति दर्ज करवायी। उसके बाद साढ़े पांच बजे स्वयं को आग लगा लेने की घटना उसने कारित की। इस रिपोर्ट पर अभियोग संख्या 148/2004, अन्तर्गत धारा 309 पुलिस थाना सिविल लाइन, अजमेर में दर्ज किया जाकर अनुसंधान थानाधिकारी द्वारा किया जा रहा है।

कांस्टेबल पवन कुमार रिकार्ड के आधार पर दिनांक 9.12.2001 को कांस्टेबल के पद पर भर्ती हुआ था। वह कुल 19 बार 82 दिन अनुपस्थित भी हुआ, जिसके 77 दिन असाधारण अवकाश एवं बाकी सी.एल., पी.एल. का निस्तारण किया गया। कांस्टेबल की सेवा की परिवीक्षा अवधि दिनांक 8.12.2003 और 23.3.2003 को तीन-तीन माह के लिए बढ़ाई गई थी। इस अवधि में भी कांस्टेबल कई बार अनुपस्थित हुआ। दिनांक 22.6.2004 को उसका कांस्टेबल के पद पर स्थाईकरण किया गया। गैरहाजिरी के दौरान उन्होंने 3.4.2004 को उपस्थित होकर एक आमद का प्रार्थना पत्र आर.आई. के समक्ष पेश किया जिसमें उसने परिवार के कारण अपने को मानसिक रूप से परेशान एवं टैंशन में रहना तथा नौकरी करने में असमर्थ होने के कारण अनुपस्थित होने का जिक्र किया। पत्र उन्होंने आर.आई. को पेश किया है। इस पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के आमद आदेश थे। आर.आई. को संदेह होने पर उन्होंने सम्बन्धित अधिकारियों से इस बारे में पूछा तो सम्बन्धित अधिकारी ने आमद के आदेश नहीं देना

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

बताया। इस पर कांस्टेबल उक्त पत्र को छोड़कर वहां से चला गया. जो कई दिन बाद उसने 11/4/2004 को आमद कराई। कांस्टेबल ने इस वर्ष 18 आकस्मिक अवकाश लिये हैं। इस माह की 4, 5 और 6 तारीख को भी आकस्मिक अवकाश स्वीकृत किया गया परन्तु 7 तारीख को अनुपस्थित रहकर उसने 8.7.2004 को आमद कराई।

पुलिस अनुशासित बल होने के कारण अनुशासन बनाये रखने के लिये उचित मामलों में अनुशासनहीन कर्मचारियों को अतिरिक्त डील पी.टी.,क्वार्टर गार्ड इत्यादि की ड्यूटी दी जाती है। पुलिस लाइन अजमेर में तैनात कांस्टेबल की छुट्टी के रेकार्ड के अनुसार सभी कांस्टेबलों को बिना किसी भेदभाव के अवकाश और राजपत्रित अवकाश का लाभ समय-समय पर दिया जा रहा है। दिनांक 14.7.2004 को देर सायं थानाधिकारी मोती डूंगरी, जयपुर शहर के माध्यम से एक रिपोर्ट अजमेर के पुलिस अधीक्षक को सम्बोधित करते हुए मजलूम पवन कुमार आर.एस.आई. श्री सिंघल और आर.आई. श्री संग्राम सिंह के विरूद्ध उसे आत्महत्या के लिये प्रेरित करने की लिखी, जिसका परीक्षण किया जा रहा है। दिनांक 14.7.2004 को न्यायिक मजिस्ट्रेट ने बयान रेकार्ड किया जो उनके द्वारा सम्बन्धित न्यायालय अजमेर को भेज दिया गया।

श्रीमान् मैं आपके सामने इन सारे तथ्यों को, जो कुछ मैंने कहा है इसकी अनुपस्थिति का जो 19 बार यह अनुपस्थित रहा और 82 दिन अनुपस्थित रहा, तारीख वाइज इसकी अनुपस्थिति, जो अवैतनिक थी-सबसे पहले 16.3.2003 को, फिर 23.7 को फिर 17.5 को फिर 5.7 को फिर 19.8 को फिर 4.9 को फिर 12.12 को फिर 26.11.2003 और 26.12.2003। इसी तरह 2004 में 21.1.2004 को अनुपस्थित, 6.2.2004 को अनुपस्थित, 18.3.2004 को अनुपस्थित, 24.3.2004 को अनुपस्थित, इसमें दिनों की संख्या अधिक है। हर बार में कभी 10 दिन, 7 दिन, 5 दिन ऐसे मिलाकर 77 दिन अपनी इस ट्रेनिंग पीरियड में यह अनुपस्थित रहा, जिसका रेकार्ड है। इसके साथ ही आकस्मिक अवकाश, जो इसके अधिकार का है वह इसको मिलता है। पिछले साल भी रेकार्ड से इसने अपने 25 में से 25 अवकाश का उपयोग किया है। इस वर्ष भी अभी केवल 6 महीने हुए हैं लेकिन 25 में से 18 अवकाश का उपयोग इसने किया है।

जहां तक कहीं यह सवाल आता है कि इसको शायद ड्यूटी जो लगाते हैं उसमें भेदभाव करते हैं, यह मेरे पास पूरा चार्ट है. इस चार्ट में इसको सभी प्रकार की ड्यूटी

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

जो वहां पुलिस लाइन में रहता है, बाकी कांस्टेबलों को जैसे लगाया जाता है वैसे सब प्रकार की ड्यूटी लगाई हुई है। इसको केकड़ी पेशी पर भेजा हुआ है, सरवाड़ भेजा है, अलग-अलग स्थानों पर जहां भी इसकी आवश्यकता महसूस हुई। यहां तक कि नेशनल हाइवे पैट्रोलिंग के लिये भी जो इसकी अवधि है, वह भी मिला है। छह दिन जरूर इसको क्वार्टर गार्ड की ड्यूटी पर लगाया गया है, यह भी इसके रेकार्ड से सिद्ध है।

यही नहीं, श्रीमान्, इन सारे, जो इसने अपनी छुट्टियों के बारे में जब वापस लौटकर आया तो इसने स्वयं का जो पत्र वहां दिया है, मैं वह पढ़ रहा हूं-

''आमद करवाने बाबत। सविनय नम्र निवेदन है कि प्रार्थी 1461 पवन कुमार आपके अधीन रिजर्व पुलिस लाइन में कार्यरत है। अत: श्रीमान् निवेदन है कि प्रार्थी को कुछ समय से घर की तरफ से परेशानी थी जिसके कारण प्रार्थी हर समय टेंशन में रहता था और नौकरी कर पाने में असमर्थ था तो श्रीमान् जी के सामने अवकाश के लिये पेश हुआ, लेकिन अवकाश नहीं मिलने के कारण प्रार्थी को मजबूरन गैर हाजिर होना पड़ा, अत: अब प्रार्थी पूर्ण रूप से मानसिक रूप से स्वस्थ है और नौकरी कर पाने में समर्थ है, आपसे निवेदन है कि प्रार्थी की गैर-हाजिरी आमद करने की कृपा करें। इस पर भी जो इसने दस्तख्त कराये वह वहां का जो एडिशनल एस.पी. है रणधीर सिंह अजमेर का, उसके दस्तख्त भी उसने फर्जी अपने हाथ से करके अपनी रिपोर्ट दर्ज कराई कि मैं यहां हाजिरी दे रहा हूं और मेरी छुट्टियां स्वीकृत हों।''

इसी तरह से इसके स्वयं के जो इसने अपने बयान जलने के बाद डाक्टर के सामने दिये हैं वे बयान भी सारे के सारे, हूबहू थोड़ा-सा कंटेंट मैंने इसमें लिया, वह मेरे पास है। डाक्टर ने इस रिपोर्ट पर जो बयान उसके जलते ही हास्पिटल में दिया, उस पर दस्तख्त करने के लिये डाक्टर ने मना किया। लेकिन रोजनामचे में डाक्टर की मनाही का कारण भी इंगित किया और इसके साथ जो इसका एक रिश्तेदार था, उसने भी उस रिपोर्ट पर जो सबसे पहले घायल अवस्था में हास्पिटल में जाकर डाक्टर के सामने उसका जो बयान हुआ उसमें मेरे चचेरे भाई श्री राजकुमार, जो पहले पर्चा बयान पर हस्ताक्षर करने को तैयार थे, बयान करने पर नाम, पता अंकित करवा दिया परन्तु हस्ताक्षर करने से मना कर दिया। श्री लोकेश ग्नेनवाल, आर.पी.एस. के आने पर ही,

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

उनके बड़े भाई डी.वाई.एस.पी. हैं तो उनके भाई ने कहा, वह आएंगे तभी मैं इस बयान पर दस्तख्त करूंगा। ड्यूटी पर तैनात एक रेजीडेन्ट डाक्टर और वार्ड में ड्यूटी पर उमा नारायण नाम का डाक्टर और मेडिकल ज्यूरिस्ट श्रीवास्तव साहब ने बयान पर हस्ताक्षर करने से इंकार कर दिया। यह हमारी रोजनामचे की जो रिपार्ट है उसमें इसको अंकित किया कि उन्होंने इस पर दस्तख्त करने से मना किया। घायल व्यक्ति के बयान लेने, हमारा काम बयानों से करने का नहीं, वैरीफाई करने का नहीं है, हमारा काम घायल का पहले इलाज करना और उसके बाद घायल व्यक्ति बयान देने योग्य है या नहीं, की टिप्पणी अंकित करना है। बयान लेना और हस्ताक्षर करना हमारा काम नहीं है। मेडिकल ज्यूरिस्ट का भी इसी प्रकार का वर्शन है जो रोजनामचे में दर्ज किया गया।

इसी के साथ इसने एफ.आई.आर. जो कल लिखाई है वह एफ.आई.आर. का सारा कंटेंट है, जिसमें कहा कि मुझे वहां के आर.आई. से और अधिकारियों से कुछ परेशानी थी। यह सब मिलाकर जो हालात बने थे उसमें इसने अपने आप पर पैट्रोल छिड़ककर आत्महत्या करने का प्रयास किया। वह अभी भी हास्पिटल में है। वैसे 80 प्रतिशत वर्न है, बहुत कम चांसेज हैं। लेकिन वस्तुस्थिति जो भी थीं, मैं सदन के सभी माननीय सदस्यों को. क्योंकि पुलिस लाइन ऐसी जगह है जहां पर ट्रेनिंग पीरियड में भी अगर ट्रेनिंग लेने वाले व्यक्ति को अनुशासन में रखने का प्रयास नहीं करें तो मैं समझता हूं सम्पूर्ण ढांचा चरमरा जाएगा। इस आधार पर आर.आई. ने जरूर उसको क्वार्टर गार्ड की सज़ा भी दी और उस दिन उसको सात राउण्ड ग्राउण्ड के लगवाये, यह सच बात है. इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। इसके बाद भी मान लो इसमें कहीं कोई कमी-कमी रही, मैं भी उसी दिन वहां पहुंच गया था, मौके पर। मैंने मौके पर जाकर पूछताछ की और मैंने उसी समय आर.आई. और दोनों अधिकारियों को तुरन्त वहां से हटाया। हमारे डी.जी. गिल साहब को इसके लिये लगाया। सारा रेकार्ड हमने वहां से सीज किया है कि उसके आधार पर अगर कहीं कोई कमी-खामी या गलती मिलेगी तो जांच के बाद जो भी व्यक्ति दोषी होगा उसके विरूद्ध निश्चित रूप से कार्यवाही की जाएगी। मानवीय आधार पर जो आपका मन है वही मेरा मन है। सरकार की भी यही मंशा है कि अगर किसी कारण से व्यक्ति को इस ओर जाने के

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

लिये मजबूर होना पडा तो निश्चित रूप से इसकी जांच करवाकर जो भी उचित कार्यवाही होगी वह निश्चित की जाएगी। इतना मैं आपको भरोसा दिलाता हूं।

डा. श्रीगोपाल बाहेती : मेरा इसमें कहना यह है कि...(व्यवधान)

श्री सभापति : ऐसा है, माननीय सदस्य, इसमें कुछ बचा नहीं।

डा. श्रीगोपाल बाहेती (ब्यावर) : क्योंकि मैं वहीं का रहने वाला हूं। मेरा आपसे निवेदन यह है कि उस कांस्टेबल को इस बात के लिये बाध्य किया गया कि वह आदमी आत्महत्या करे, क्योंकि उसके फादर इसी सदन में डिप्टी सैक्रेटरी थे, जो 1999 में यहां से रिटायर हुए हैं। उस व्यक्ति को बीमारी की वजह से 15-20 दिन में एक बार जयपुर आना पड़ता था। वह छुट्टी मांगता था तो छुट्टी नहीं मिलती थी, तो वह अनुपस्थित होकर आता था। आमद के लिये वह जाता था तो पुलिस लाइन के अन्दर तो उसकी आमद जान बूझकर तीन दिन, चार दिन, पांच दिन नहीं की जाती थी और उसको मेन्टली टार्चर किया जाता था। इसकी वजह से यह सारी एब्सेन्ट उसकी लगी हुई है, एक बात।

दूसरी बात, जिस दिन उसने आत्मदाह किया है, उस दिन वह अपने आफिसर्स को कह कर गया कि, साहब, मैं आत्मदाह करूंगा, सज़ा आपको होगी। उसके बाद भी उनकी संवेदना नहीं ज़ागी कि जाकर पकड़ लें। इतनी बड़ी पुलिस लाइन है जिसमें सैकड़ों कांस्टेबल होते हैं, पूरा स्टाफ होता है, कि वह उसको रोक लें। स्थिति यहां तक है कि अजमेर के जो सीनियर आफिसर्स हैं पुलिस की उन्होंने यह जरूरत नहीं समझी, माननीय गृह मंत्रीजी जयपुर से अजमेर चले गये परन्तु उन्होंने आवश्यकता नहीं समझी कि वहां से पुलिस लाइन या हास्पिटल जाएं। इन सब बातों से लगता है कि उस कांस्टेबल को प्रताड़ित करने की एक सोची-समझी साजिश थी। इसमें मेरा निवेदन है कि बजाय इसके, आपने जो दस्तावेज रखे हैं उनको मैं नहीं नकारता हूं लेकिन इसके बाद भी इस बात की बहुत आवश्यकता है, पुलिस लाइन जैसी जगह पर ऐसी हरकत हो तो जिस किसी जिम्मेदार अधिकारी को, इसमें जो कोई दोषी है, ट्रांसफर कोई पनिशमेंट नहीं है, इसमें सख्त कार्यवाही करनी चाहिए। मैं आपसे इस बात से बिलकुल सहमत हूं कि पुलिस में अनुशासन बहुत आवश्यक है। अनुशासन के मायने ये नहीं हैं कि हम किसी व्यक्ति की जान ले लें। इसलिए हमने यह बात रखी थी

(डा. श्रीगोपाल बाहेती)

और आपसे हमारा यह निवेदन है कि इसमें सरकार पूरी कोशिश करे उसके इलाज के लिए भी। यह मैं आपसे गुजारिश करता हूं क्योंकि उस परिवार में वह ही ऐसा लड़का था जो माता-पिता की सेवा करता था।

श्री सभापति : ठीक है। धन्यवाद।

डा. श्रीगोपाल बाहेती : और मैं उम्मीद करता हूं कि इसके अन्दर आप डिटेल में जाकर दोषी व्यिक्तयों को पूरी सज़ा देंगे। धन्यवाद।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा) : सभापति महोदय, मैं दो-तीन प्रश्न माननीय गृह मंत्रीजी से पूछना चाहता हूं सुझाव के बतौर। अपेरेन्टली जो रिपोर्ट आपके पास आयी है उस रिपोर्ट को कृपया आप बिलकुल गम्भीरतापूर्वक न लीजियेगा। यह रिपोर्ट आयी है, इसके अन्दर बीमारी और भी गहरी है। रिपोर्ट तो कम्प्लीट है कि दो साल के अन्दर 74 दिन गैर हाजिर रहा। आपने एक्शन क्यों नहीं लिया? Why action was not taken against? यहां सवाल यह आता है कि जो चहेते होते हैं उनको तो बिना आमद के, बिना छुट्टी के आप जाने देते हैं और जिनसे आप नाराज हैं वह एक दिन भी गैरहाजिर हुआ, दो दिन हुआ, आपने चार दिन की डाली, तीन दिन की डाली, आप सज़ा देते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि टाइम पर छुट्टी नहीं मिलती है। यही डिसकन्टेंटमेंट है सबसे बड़ा डिसकन्टेंटमेंट पुलिस के अन्दर है, टाइम से आप छुट्टी दे दें। अपने राजस्थान में अब भी फोर्स बहुत अनुशासित है और अनुशासन रहना एक फोर्स के अन्दर बहुत लाजिमी है, नहीं तो केरल का-सा, बंगाल का-सा हाल होकर अलग होगा जो बड़ा अनफार्चुनेट होगा। मैं आपसे सहमत हूं लेकिन इसमें नहीं, आप इसकी गहराई में जाइयेगा। 74 दिन गैरहाजिर रहा, फिर आपने एक्शन क्यों नहीं लिया? आपने खुद ही वहां पर बैठ कर इनडिसिप्लिन को बढ़ाया। आप से मेरा मतलब है वहां के अधिकारियों से, नथिंग पर्सनल, आपसे मैं कुछ नहीं कह रहा। हालांकि राजनीति में आप बड़े अनुभवी हैं, आपके पास पहली बार महकमा आया है, इसको आप गहराई से देख लें। जैसा पुष्कर से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे मानवीय दृष्टिकोण। तो यहां इसका बाप बीमार हो, बार-बार आ रहा है, अब आप उसको छुट्टी नहीं दें और कह दिया कि मैं तो आत्महत्या करने जा रहा हूं उसके बाद भी लाइटली लिया आपने। समटाइम तो धमकी भी देते हैं, कभी-कभी लोग धमकी भी देते हैं कि मैं ऐसा कर दूंगा, करते-कराते कुछ नहीं हैं।

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

इसमें आपने जिन भी अधिकारी को भेजा है, बहुत सीनियर और बड़े एक्सपीरियंड आफिसर हैं, उनसे कहियेगा कि इस मामले में आप थोड़ा गहराई से देखें। वहां कुछ कांस्टेबल के बयान अलग लें। हालांकि अब कांस्टेबल डरेंगे बयान देने में, लेकिन कुरेद-कुरेद कर पूछना पड़ेगा। मेरे पास दो बार यह महकमा रहा हुआ है, 1980 से 1985 के अन्दर रहा यह महकमा मेरे पास और उसके बाद भी सालभर रहा है। नहीं, तिवाड़ीजी, यह बीमारी आती थी। शायद जयपुर पुलिस लाइन राजस्थान की सबसे बड़ी पुलिस लाइन है, यहां पर सबसे ज्यादा नफरी है, यहां इस सदन के अन्दर मैं नहीं कहना चाहता, रीजनल आधार पर, जाति के आधार पर कई लफड़े हैं यहां पर, इसलिए इसको आप गहराई से देखियेगा, यही मेरा निवेदन है। यह रिपोर्ट तो, सब कागजात तो पूरे हैं आपके पास कि उसने यह कहा, उसने यह कहा, सब पूर्ति कर दी गयी है। पुलिस तो कागजात में आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूं, आप इधर से कहते थे हम उधर से जवाब देते थे, जो हम को देते थे हम उसको उधर से जवाब दिया करते थे, तो इस मामले को आप देख लें प्लीज डोंट टेक इट लाइटली, यही मेरा आपसे निवेदन है।

श्री अमराराम (धोद) : मंत्रीजी, आप साथ ही कह देना।

श्री सभापति : माननीय सदस्य।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : मैं आपकी हर भावना की पूरी इज्जत करते हुए आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मैंने इसको बहुत गहराई से देखा कारण यह है कि इसका जो प्रोवेशन पीरियड था वह मात्र दो साल था, लेकिन इसका प्रोवेशन पीरियड भी दो बार इसको वार्निंग देते हुए बढ़ाया। पहले इसका प्रोवेशन बढ़ाया था 27.12.2003 और इसको तीन महीने का और अवसर दिया। एक-दो दिन नहीं, यह बिना छुट्टी, बिना सूचना के 77 दिन 19 बार में मिला कर एबसेंट रहा। जिस दिन इसने लाइन ज्वाइन की, 21.12.2002 को लाइन ज्वाइन की और मार्च से लेकर उसका यह क्रम चला जो लगातार कोई महीना खाली नहीं गया जब इसने इस प्रकार किया। इस प्रकार से सैकण्ड प्रोवेशन और बढ़ाने के लिए 23.3.2004, फिर इसको तीन महीने का प्रोवेशन बढ़ाने की स्वीकृति दी कि चलो, यह अपने आप को इन परेशानियों से किसी प्रकार से सुधार ले। अवसर देने में ऐसा कोई नहीं है। जबकि इसको इसके बहुत पहले भी इस

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

बात की वार्निंग दी थी वहां के एस.पी. ने। यह सारा रेकार्ड पर है, एस.पी., अजमेर ने चेतावनी दी थी। यह जिस मुल्जिम को पेशी पर ले गया, मोबाइल उसने वहां यूज किया। उसका भी उसमें इन्द्राज किया है।

फिर भी मैं आपकी भावना की बिलकुल कद्र करते हुए अगर इसमें कहीं भी ऐसी कमजोरी मिलेगी जिसमें किसी व्यक्ति विशेष के कारण से इसने अगर परेशान होकर आत्महत्या की तो निश्चित तौर से मैंने जिस अधिकारी को लगाया, वह एक बहुत अच्छी छवि के व्यिक्त हैं, गिल साहब, इस दृष्टि से मैंने यह स कर लगाया कि निश्चित तौर से अगर किसी भी परिवारजन का कोई व्यक्ति इस प्रकार का कृत्य करता है तो उसका दु:ख सब को होता है। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जो कुछ भी मेरे से सम्भव हो सकेगा, मैं उसकी सच्चाई तक पहुंच कर बिलकुल उसके अनुसार काम करूंगा। इतना मैं भरोसा दिलाता हूं।

आय-व्ययक पर सामान्य वाद-विवाद

श्री सभापति : परिवर्तित आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2004-2005 पर सामान्य वाद-विवाद।

माननीय श्री संयम लोढ़ा।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही) : माननीय सभापति महोदय, राजस्थान की माननीय मुख्य मंत्री ने वर्ष 2004-2005 का बजट प्रस्तुत किया है। सामान्य बजटीय दृष्टिकोण से देखें तो यह बजट ठीक ही कहा जाएगा, लेकिन पिछले साल पूरे राजस्थान में घूम-घूम कर राजस्थान के आम-वाम को जो सपने दिखाये गये और पांच साल हमारी जो हुकूमत राजस्थान में रही है, उसने ज़ो क़ाम किया, जिसके काम की पूरे राष्ट्र में सराहना हुई, यहां तक कि देश में हमारी विरोधी पार्टी की सरकार होने के बावजूद उस सरकार के मंत्रियों तक ने इस सरकार के कामकाज की तब सराहना की थी, लेकिन, सभापति महोदय, लोगों के सामने अपनी कठिनाई, अपनी समस्याएं रहती हैं और हमेशा लोग इस बात के इच्छुक रहते हैं कि जो शासन उनको मिला है उससे और अधिक बेहतर शासन प्राप्त हो।

राजस्थान की माननीय मुख्य मंत्री ने कभी गरासिया की ड्रेस पहन कर, कभी

(श्री संयम लोढ़ा)

किसी रैवारण की ड्रेस पहन कर, कभी किसी और जाति की महिला की ड्रेस पहन कर पूरे राजस्थान में एक लुभाने की कोशिश की और एक ऐसा सपनों का जाल राजस्थान की जनता को दिखाया कि हुकूमत में आने पर वह सब काम करूंगी।

श्री बद्रीलाल जाट (कपासन) : आप बजट पर बोल रहे हैं या किस पर? (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, बजट पर बोलिये आप।

श्री संयम लोढ़ा : लेकिन सभापति महोदय, जो बजट राजस्थान की जनता को दिया गया है, क्या यह बजट राजस्थान की जनता की उन इच्छाओं की पूर्ति करता है?

श्री बद्रीलाल जाट : इस तरह की भाषा का इस्तेमाल ठीक नहीं है। सभापति महोदय, मुख्य मंत्रीजी के लिए इस तरह की भाषा उपयोग करना ठीक नहीं है। आप बजट पर भाषण करें, कमेन्ट नहीं करें व्यक्तिगत रूप से।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, मैंने इनको कह दिया है, टोक दिया है।

श्री सांगसिंह भाटी : संयम लोढ़ा, आप अपने बजट पर बोलें। (व्यवधान)

श्री बद्रीलाल जाट : व्यक्तिगत कमेन्ट कर रहे हैं आप। आप बजट पर बोलिये।

श्री कालूलाल गुर्जर : सभापति महोदय, सदन की गरिमाओं का ध्यान रखते हुए बजट में ही बोलें, कहीं व्यक्तिगत इंगित करके नहीं बोलें।

डा. सी. पी. जोशी : सभापति महोदय- यह काम आपका है। यह इर्रिलेवेंट बोल रहे हैं तो आप आदेश दे दीजिये, आप बाहर निकाल दीजिए। यह आपका काम है, आपको पूरा अधिकार है कि कोई भी इर्रिलेवेंट बात है, आप बाहर निकालें। माननीय सदस्य को आप एश्योर करिए कि माननीय सदस्य इनको बीच में इण्टरवीन नहीं करें।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आप बिराजिए।

श्री बद्रीलाल जाट : माननीय सदस्य, व्यक्तिगत कमेंट नहीं करने चाहिए।

श्री सभापति : माननीय संयमजी. आप बजट पर बोलिए।

श्री संयम लोढ़ा : मैं बजट पर ही बोल रहा हूं। सभापति महोदय- यह चुनाव

(श्री संयम लोढ़ा)

घोषणा पत्र है जिसमें राजस्थान की जनता से वादा किया गया था कि विगत दिनों में बढ़ाई गई विभिन्न वर्गों की विद्युत दरों को पुन: तर्कसंगत किया जाएगा। माननीय सभापति महोदय, पिछले पांच साल में चार साल राजस्थान की जनता ने अकाल का सामना किया। राजस्थान के किसान का शरीर पहले से आधा होकर रह गया, उसकी आंखों के सपने धूल-धूसरित हो गये। ऐसे समय में उन्होंने एक यात्रा शुरू करके उन सपनों को पुनर्जीवित करने की कोशिश की और उस किसान को यह सपना दिखाया कि कांग्रेस ने तुम्हें बरबाद कर दिया, हम राज में आए तो हम तुम्हारे कल्याण के लिए बंदोबस्त करेंगे। सभापति महोदय, क्या हुआ उन बढ़ी दरों का? क्या एक पैसा राजस्थान की जनता के लिए, राजस्थान के उन विद्युत उपभोक्ताओं के लिए कम किया गया? अभी तो आपका पहला साल है, आप सत्ता में आए हो और अभी से आपका बजूद टूट रहा है, आपके हौसले टूट रहे हैं।

सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, आप आंध्र प्रदेश का उदाहरण लीजिए. वहां पर नई सरकार आयी. जो वादे उस सरकार ने किये वे पूरे किये। बिजली के क्षेत्र में किसानों को सुविधा दी और 500 करोड़ रुपये का उस गरीब जनता का बोझ सरकार ने अपने कंधों पर लिया। क्या राजस्थान सरकार यह नहीं कर सकती थी? लेकिन आप इस बात का इन्तजार कर रहे हैं कि जनता आपको सबक सिखाए और उसके बाद इस घोषणा पत्र की आपको याद आए, जैसे तमिलनाडू में जनता ने सबक सिखाया जयललिता को और उसको पांच सौ करोड़ रुपये की बिजली की घोषणा करनी पड़ी जनता के लिए।

सभापति महोदय, किसान को जो बुनियादी सपने दिखाये गये थे एक अच्छे भविष्य के, लहलहाती फसल के, कर्जा कम होने के लागत कम होने के, उन फैसलों की पूर्ति क्या यह बजट करता है? उन सपनों की पूर्ति क्या यह बजट करता है? क्या वादे किये थे? राजस्थान के नौजवान को यह कहा था कि कांग्रेस नौजवान विरोधी है और पांच साल में कांग्रेस ने नौजवानों के भविष्य को तबाह करने का काम किया है। इस घोषणा पत्र के पेज 39 पर कहा था प्रति वर्ष एक लाख युवा व्यक्तियों को रोजगार माननीय सभापति महोदय. आप जानते हैं, युवा की शर्त सिर्फ सरकारी नौकरी में रहती है कि इतने वर्ष की सीमा तक. क्या हुआ उस सपने का? इस पहले साल में उस नौजवान के सपने की धज्जियां उड़ाई गयी हैं।

(श्री संयम लोढ़ा)

हमारी हजारों बहनें खून की कमी से पीड़ित हैं, एनीमिया की शिकार हैं और जब गर्भवती होती हैं तो कुपोषण की हालत में बच्चे को जन्म देती हैं। उस कुपोषण के वातावरण में बच्चा पलकर जवान होता है और यह सोचता है कि हुकूमत उसका कोई भला करेगी। ऐसे ही कुपोषण के शिकार लाखों पढ़े-लिखे नवयुवकों की आंखों में सरकारी नौकरी का सपना जगाया, और किया क्या? इस सरकार की केबिनेट ने पहला फैसला किया 58 से 60 साल उम्र करने का, किस पर कुठाराघात किया इस फैसले से? उस नौजवान के सपनों को तोड़ने का काम, उसके सपनों को ध्वस्त करने का काम इस सरकार ने किया है और वह भी पहले साल के अन्दर।

अत्यन्त खेद का विषय है कि जिस 100 दिवसीय कार्य योजना का ढिंढोरा पीट रहे हैं, उस 100 दिवसीय कार्य योजना में वादा क्रिया 31 हजार को सरकारी नौकरियां देने का। आप भी जानते हैं, सभापति महोदय, कि उस 100 दिवसीय कार्य योजना का क्या हश्र किया इन्होंने। सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं निवेदन करना चाहता हूं, हमारी भी हुकूमत थी, हमने भी इस बात की बहुत कोशिश की कि हमारा जो सरकारी अमला है उसके माध्यम से हम आम जनता को लाभान्वित करने का काम करें, पूरी शक्ति से प्रशासन पर चौकसी का काम करें। मेरे खुद के जिले में, सभापति महोदय, पांच साल के राज में प्रशासन के ठीक काम नहीं करने पर बार बार बदलने के अवसर भी दिये गये, लेकिन आज क्या स्थिति है. सब माननीय सदस्य जानते हैं। मैं यह कहता हूं कि हमारे राज में भी कमियां रही होंगी, पर आप एक परिवर्तन का सपना दिखाकर, एक परिवर्तन करने के लिए शासन में आये हैं, राजस्थान की व्यवस्था को बदलने का सोच आपकी मुख्य मंत्री के दिमाग में है तो वैसा शासन उसके अनुरूप बने, यह मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं।

आज एक राशन की दुकान पर एक आम आदमी राशन लेने जाता है वह व्यवस्थापक क्या कहता है? कि नहीं हैं, कल आना, परसों आना। वह ज्यादा कहता है तो उसका कैरोसिन का डिब्बा वह बाहर फैंकता है भग यहां से। एक बस में कंडक्टर क्या कहता है? किस ढंग से बिहेव करता है? क्या हास्पिटल में होता है? और क्या पटवारी का बिहेवियर रहता है? क्या पुलिस थाने में व्यवस्था रहती है? मैं इससे इन्कार नहीं करता कि हमारे वक्त में यह व्यवस्था सुधर गयी थी, लेकिन आपको भी इस

(श्री संयम लोढ़ा)

सच्चाई को स्वीकार करना पड़ेगा, जिस बजट की एक रुपये की रेवेन्यू के बदले 1.06 रुपया इन सरकारी अधिकारी और कर्मचारियों पर हम खर्च करते हैं, उसका जनता को लाभ मिले। उस व्यवस्था को ठीक करने का जनादेश आपको राजस्थान की जनता ने दिया है, उसके अनुरूप काम करने की नीयत, काम करने की सोच आपकी होनी चाहिए। और सरकार को उस दिशा में आगे बढ़ाने की कोशिश होनी चाहिए। एक आम आदमी को लगे, वह अगर बस में बैठे, पुलिस थाने में भी बैठे, हास्पिटल में भी जाए तो उसको यह लगे कि राज के अन्दर हमारी भी भागीदारी है, तब तो आपका यह परिवर्तन का सफर सार्थक हो सकेगा। राजस्थान की जनता जिस उम्मीद से आपकी पार्टी को पहली बार 120 सीटों के साथ सत्ता में लायी है, वह सपना राजस्थान की जनता का तब साकार हो सकेगा।

माननीय सभापति महोदय, अभिभाषण पढ़ा गया था इस सदन के अन्दर, तब राज्यपाल महोदय के माध्यम ये यह कहलवाया गया था कि हम राजस्थान की प्रशासनिक व्यवस्था को ठीक करेंगे। इस बजट के अन्दर भी जो छह अपनी प्राथमिकताएं माननीय मुख्य मंत्री ने दी हैं उसमें भी इस बात को कहा है। क्या कहा था अभिभाषण में? हम तबादला नीति बनाएंगे। बना ली तबादला नीति? जनवरी और फरवरी में अभिभाषण पढ़ा था, आज छह महीने हो गये, कहां गयी आपकी तबादला नीति?

राजस्थान प्रशासनिक सेवा के राजस्थान में 741 पद हैं, छह महीने के अन्दर 741 में 699 अधिकारियों के तबादले इस सरकार ने किये और तबादलों का उद्योग राजस्थान के अन्दर खोल दिया है। एक एक विभाग के अन्दर तबादले जितने हुए, अगर लिस्ट उठाकर देखेंगे तो राजस्थान में किसी हुकूमत ने पूरे साल में इतने तबादले नहीं किये होंगे। माननीय सदस्य जो करौली से आ रहे हैं, वह बता रहे हैं कि एक महीने में तीन कलक्टर बदल दिये। अब आप अन्दाज लगा लें कि इस राज का कोई धणी धौरी भी है कि नहीं है।

माननीय सभापति महोदय, जिस बजट का प्रशस्तिगान हमारे माननीय सदस्य कर रहे हैं और इस सरकार को किसानों की हितैषी, किसान का भला चाहने वाली सरकार बता रहे हैं, कितना पैसा रखा है इस बजट में किसानों के लिए? माननीय सभापति महोदय, जितने की यह स्कीम उतने का बजट कुल है। उसमें से मात्र 2.02

(श्री संयम लोढ़ा)

परसेंट कृषि और सम्बद्ध सेवाओं पर रखा गया है। अपने आपको किसानों की हितैषी और किसानों का झंडा वरदार बताते हैं लेकिन बजट का मात्र 2.02 परसेंट पैसा कृषि एवं सम्बद्ध सेवाओं के लिए रखा गया है, क्या विकास करेंगे किसानों का? क्या किसानों को सुविधाएं देंगे मात्र 142 करोड़ रुपए में?

इसके अलावा, सभापति महोदय, ग्रामीण विकास का बड़ा ढिंढोरा पीटते हैं कि गांवों का कायाकल्प कर देंगे, गांवों के गरीब की सेवा करेंगे, गांवों का विकास करेंगे, इस बजट में कितना परसेंट पैसा रूरल डवलपमेंट पर रखा है? 6.90 परसेंट और जो 491 करोड़ रुपया आपने रखा है उसमें से भी 120 करोड़ रुपया तो एम.एल.ए. लैड का है। क्या विकास का सपना दिखना चाहते हो राजस्थान की जनता को? और जो पंचायती राज संस्थाओं को अनुदान दे रहे हो एस.एफ.सी. की सिफारिश पर. वह 130.40 करोड़ रुपया, क्या विकास करेंगे राजस्थान का?

योजना का आकार तो बढ़ा दिया, काम क्या किया? सभापति महोदय, महिला विकास पर इन्होंने 9.98 करोड़ रुपए का इंतजाम रखा है, जिसमें क्या करेंगे ये? जो स्वयं सहायता समूह हैं 42 लाख रुपए इनके प्रशिक्षण पर और सौ रुपये बाजार मध्यस्थता पर और शिशु पालना गृह 500 खोलेंगे। 164 लाख रुपये से, इससे अन्दाजा आप लगा सकते हैं कि राजस्थान की मुख्य मंत्री महिलाओं को क्या झुन्झुना पकड़ाना चाहती हैं।

(14.00 बजे)

माननीय सभापति महोदय, हमारे वक्त में भी बहुत विपरीत परिस्थितियां थीं, राजस्थान लगातार अकाल का सामना कर रहा था लेकिन तब सर्वोच्च न्यायालय का निर्देश प्राप्त हुआ कि मिड-डे मील स्कीम को लागू किया जाए। हमारे मुख्य मंत्री ने एक दृढ़ता, प्रतिबद्धता दिखाई और पूरे राजस्थान के बच्चों के लिये पूरे 365 दिनों के लिये मिड-डे मील योजना लागू की गयी। हमारी मुख्य मंत्री वसुन्धराजी ने क्या किया? मिड-डे मील मात्र दो सौ दिनों के लिये और पैसे का इंतजाम मात्र 75 करोड़ रुपये। किसलिये मिड-डे मील लाया गया? बच्चों को अच्छा पोषण दिया जा सके। 200 दिन तो वे खाएं और बाकी के 165 दिन? क्या सरकार की जिम्मेदारी नहीं है कि 365 दिन वह इस बात की व्यवस्था करे कि लाखों की संख्या में बच्चों को अच्छा पोषण प्राप्त हो सके? (व्यवधान)

श्री मोहनलाल गुप्ता : 365 दिन होते हैं, क्या? (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : आपने कमीशन एड किया था उसमें। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : सभापति महोदय. दूदू से आने वाले माननीय सदस्य कल-परसों बजट पर बोलते हुए बड़ा दावा कर रहे थे कि कांग्रेस के राज में 60,000 इकाइयां बन्द हो गयीं और इन्होंने अपने घोषणा पत्र में कहा था कि हम ढाचागत औद्योगिक विकास के लिय 250 करोड़ रुपये का प्रावधान करेंगे। क्या है इस बजट में? मात्र ।18 हिस्सा उद्योग एवं खनन के लिये प्रावधान किया गया है जो कुल होता है मात्र 82 करोड़ अब आप बताइये कि मात्र 82 करोड़ में ये कौनसे उद्योगों को पनपाना चाहते हैं, कौनसे खनन को पनपाना चाहते हैं। रोजगार की लम्बी-चौड़ी घोषणा की है कि इतने लाख लोगों का उद्योगों के माध्यम से रोजगार दिलाएंगे, 82 करोड़ रुपये से कौनसे रोजगार दिलाना चाहते हैं? नगरीय विकास के लिये प्रावधान किया है, अत्यन्त खेद का विषय है, 900 करोड़ और उसमें से भी 400 करोड़ तो छह शहरों के लिये और बाकी में पूरा राजस्थान। अल्प आय वर्ग योजना के लिये लाभान्वित लोगों का लक्ष्य निर्धारित किया पूरे राजस्थान का मात्र 112, मध्य आय वर्ग योजना में आवास के लिये लक्ष्य निर्धारित किये हैं मात्र 195, कौनसे राजस्थान का विकास, राजस्थान को आगे लाना चाहते हो? शहरी गंदी बस्तियों के लिये मात्र 14 करोड़, समाज कल्याण में सम्बल में खाली 50 सामुदायिक भवन। बड़ा ढिंढोरा पीटते हैं दलित उत्थान का, आदिवासी उत्थान का. और आपका यह बजट क्या कह रहा है? स्वावलम्बन में अनुसूचित जाति के खाली पाच हजार लोगों के लिये 35 लाख का प्रावधान, मतलब एक साल में एक आदमी को सात सौ रुपये और वह भी पाच हजार लोगों को, यह इनका बजट प्रावधान है। माननीय सभापति महोदय, इस सबसे यह बात साफ जाहिर है कि यह बजट राजस्थान को कोई नयी दिशा देने की स्थिति में नहीं आ सकेगा...

श्री सभापति : माननीय सदस्य. प्रद्युम्न सिंहजी से पूछो। उन्होंने साधुवाद दिया है, धन्यवाद दिया है इस बजट के बारे में।

श्री संयम लोढ़ा : आप आसन पर बैठे हैं. सभापतिजी, कृपया अपनी दलगत प्राथमिकताओं को परे रखें तो ज्यादा उचित होगा।

श्री सभापति : गरिमा बनाना मुझे आता है।

श्री संयम लोढ़ा : माननीय सभापति महोदय. राजस्थान में हुकूमत बनी, राजस्थान के पचास साल के इतिहास में वह नहीं हुआ होगा जो इस दौरान हुआ। लोग वोट देते हैं, जनादेश किसलिये देते हैं? इस उम्मीद में देते हैं कि इनके प्रतिनिधि को शासन में उचित अवसर प्राप्त होगा और हमारे क्षेत्र का विकास होगा। मैं सिरोही जिले से आ रहा हूं, जालौर मेरा संसदीय क्षेत्र है। आठ विधायक हम होते हुए. छह विधायक भारतीय जनता पार्टी के और दो कांग्रेस के, क्या जालौर और सिरोही की जनता के वोट का कोई महत्व नहीं है? आज आठ सीट हैं पर छह भारतीय जनता पार्टी के विधायक होने के बावजूद जालौर और सिरोही जिले का एक भी विधायक राजस्थान के मंत्रिमण्डल में नहीं आ सका। यह अत्यन्त खेद का विषय है कि नहीं? (व्यवधान)

माननीय सभापति महोदय, जिस ढंग के प्रदर्शन हुए हैं, अब तक राजस्थान के इतिहास में मंत्री बनने के लिये ऐसे प्रदर्शन, चार बार से आप भी विधायक हैं, आपने भी नहीं देखे होंगे। शासन में आने के लिये जो जातिगत दुर्भाव पैदा किया गया, जो द्वेष पैदा किया गया, इस सबका ही यह नतीजा है। और इससे भी बुरा क्या हो कि +++ और उसके बाद...(व्यवधान)

श्री बंशीलाल खटीक : यह इल्लीगल आरोप लगाये जा रहे हैं। माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं...(व्यवधान) अनर्गल आरोप यह लगाया जा रहा है हमारे मुख्य मंत्री के ऊपर, ये निकाले जाएं। (व्यवधान) ये निकाले जाएं कार्यवाही से। माननीय मुख्य मंत्री पर अनर्गल आरोप लगाया जा रहा है...(व्यवधान) मुख्य मंत्री के ऊपर इल्लीगल आरोप नहीं लगाये जाएं। (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य. गलत बयानबाजी नहीं करें। (व्यवधान)

श्री बंशीलाल खटीक : इल्लीगल आरोप नहीं लगाये जाएं। बजट के ऊपर अपने रिमार्क्स बोलें...(व्यवधान) बजट के ऊपर बोलें बस। हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, इनको नहीं पूछ रहे हैं हम? (व्यवधान)

श्री अशोक : शासन के बारे में बता रहे हैं. आप सुनो तो सही। (व्यवधान)

श्री बंशीलाल खटीक : आरोप नहीं लगाएं। (व्यवधान) माननीय सदस्य ने जो शब्द कहे हैं इनको सदन की कार्यवाही से निकाला जाए। (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्यगण, बिराजिये। सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य संयमजी...(व्यवधान)

श्री हीरालाल (निवाई) : गरिमा रखी जाए। (व्यवधान)

श्री सभापति : निवेदन है कि आप ऐसी कोई बात नहीं करें जिससे हाउस में माहौल खराब हो...(व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : माननीय सभापति महोदय. पूरे राजस्थान के अखबार कह रहे हैं, राजस्थान की जनता कह रही है...(व्यवधान)

श्री सभापति : जो आरोप लगाये गये हैं। गलत आरोप लगाये गये हैं, उनको कार्यवाही से निकाला जाए। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : +++ (व्यवधान) +++ (व्यवधान)

श्री सभापति : सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य। (व्यवधान)

श्री बंशीलाल खटीक : इनके पास कोई तथ्य हो तो पेश करें, बिना तथ्य के बात नहीं करें। (व्यवधान) इल्लीगल...(व्यवधान)

श्री सभापति : वह मैंने कार्यवाही से निकाल दिये हैं। (व्यवधान)

श्री सी. डी. देवल : +++ पर तो...(व्यवधान) +++ बने हैं, यह आप लोग भूल गये...(व्यवधान)

श्री सभापति : रायपुर से आने वाले माननीय सदस्य, बिराजिये। (व्यवधान)

श्री सी. डी. देवल : उनसे प्रवीण भाई तोगड़िया को एनकाउंटर कराने... (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : यह राजस्थान पत्रिका ने लिखा है +++। यह जनसत्ता में छपा है। देश के अख़बार. प्रदेश के अख़बार लिख रहे हैं, क्या शासन है। मैं कहता हूं कि जी.ए.डी. के बिजनस रूल्स में क्या अमेंडमेंट हुआ है. आप रखो इस सदन के पटल पर। कितने राजस्थान के बाहर के कर्मचारियों को और दूसरे व्यक्तियों को मुख्य मंत्री के सचिवालय में निजी स्टाफ और सी.एम. सैक्रेटेरिएट में लगाया गया, यह लिस्ट सदन के पटल पर रखो। मध्य प्रदेश के लोगों को संविदा के आधार पर मुख्य मंत्री सचिवालय के अन्दर. मुख्य मंत्री के निवास स्थान पर लगाया जा रहा है. क्या राजस्थान के लोगों पर मुख्य मंत्री का कोई भरोसा नहीं है? (व्यवधान)

श्री बंशीलाल खटीक : माननीय सभापति महोदय, अपने विषय से परे न हटें और बजट पर ही बोलने का आप अधिकार दें। आपके माध्यम से माननीय सदस्य को कहना चाहता हूं कि बजट पर ही बोलें न कि किसको लगाना है, क्या लगाना है, क्या लगाना है। हमारे...(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्यगण, बिराजिये। (व्यवधान)

श्री ओम बिरला : माननीय संयम लोढ़ाजी का संयम डिग गया, टूट गया।

श्री सभापति : रायपुर से आने वाले माननीय सदस्य...(व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : जो पैसा संविदा के आधार पर राजस्थान से बाहर के लोगों को मुख्य मंत्री के घर और आफिस में लगाकर दिया जा रहा है, राजस्थान की गरीब जनता का पैसा है, इस बजट से वह पैसा दिया जाएगा। (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय संयमजी। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : और हमें पूरा हक है कि हम राजस्थान की जनता के सामने इस स्थिति को लाएं। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं...

डा. सी. पी. जोशी : असत्य है तो मंत्री खण्डन कर देंगे, आपके बोलने की क्या जरूरत हैं? (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : मैं तो कह रहा हूं सदन के पटल पर रखो आप। (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सी.पी. साहब, यह मुख्य मंत्रीजी का विशेष अधिकार है वह किसको लाएं, किसको नहीं लाएं। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : राजस्थान की गरीब जनता के पैसे का दुरुपयोग नहीं करने देंगे। (व्यवधान)

श्री सभापति : आप बिराजिये, माननीय संयमजी।

श्री ओम बिरला : इस तरीके की अनर्गल बातें करके मुख्य मंत्री पर आरोप लगाये जा रहे हैं। (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी : राजस्थान का बजट मुख्य मंत्री पास नहीं कर रही हैं। राजस्थान की जनता का बजट विधान सभा पास करती है, मुख्य मंत्री पास नहीं करती हैं। मुख्य मंत्री की मर्जी पर नहीं हो सकता, विधान सभा बजट पास करेगी वैसे पास होगा। (व्यवधान) राजस्थान की जनता का बजट विधान सभा पास करती है। (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आसन पैरों पर। (व्यवधान) माननीय सदस्यगण। (व्यवधान)

श्री कन्हैयालाल मीणा : जोशीजी, आप इतने बुजुर्ग होते हुए, समझदार होते हुए फिर भी खड़े होकर बोल रहे हैं। (व्यवधान) संयमजी तो चाहे जैसे बोल लेते हैं, आप भी बोल रहे हैं? (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्यगण, आप बिराजिये। (व्यवधान)

श्री हीरालाल (निवाई) : आप इतने बुजुर्ग और समझदार होते हुए आप भी खड़े होकर बोल रहे हो। (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य से मेरा निवेदन है कि ऐसी बात न बोलें जिससे हाउस में व्यवधान पैदा हो। आप बजट पर चर्चा करें। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : सभापति महोदय, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री के सरकारी निवास 8, सिविल लाइन्स पर जो लाखों रुपये राजस्थान की गरीब जनता के खर्च किये गये उसके एक-एक पैसे का हिसाब सदन के पटल पर रखें। और रखें कि टायलेट पर कितना पैसा खर्च हुआ है। एक करोड़ से ज्यादा राजस्थान की गरीब जनता का पैसा खर्च किया गया है। (व्यवधान)

श्री कन्हैयालाल मीणा : सभापति महोदय, यह हमारा हिसाब मांग रहे हैं, इनका पूर्व का हिसाब कितना है, इन्होंने कितना घोटाला किया। इन्होंने कांग्रेस के राज में कितना घोटाला किया, उसका आप हिसाब दें फिर बाद में हमारे से हिसाब मांगो। (व्यवधान) पांच साल के राज में इतना घोटाला किया है कि वे घौटाले अब निकलेंगे। आपकी फाइल ओपन होगी तब मालूम पड़ेगा कि कितने घोटाले किये गये...(व्यवधान)

श्री ओम बिरला : सभापति महोदय, अशोक गहलोत साहब के टाइम पर अप्रवासी भारतीयों को बुलाकर करोड़ों रुपये खर्च कर दिये गये...(व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा : करोड़ों नहीं हुए हैं...(व्यवधान) अख़बार वालों ने लिखा है।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, टोका-टोकी नहीं करें...(व्यवधान) माननीय सदस्य, बिराजिये। (व्यवधान)

श्री हीरालाल (निवाई) : आज विकास की बात कर रहे हैं...(व्यवधान)

श्री ओम बिरला : उनके महलों पर खर्च नहीं किये...(व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा : यह सही है कि ईश्वर की उन पर कृपा है, महलों में पैदा हुई हैं, लेकिन राजस्थान की जनता 8, सिविल लाइन्स को महल नहीं बना सकती। (व्यवधान)

श्री ओम बिरला : महलों में रहीं, उनका भाग्य है, पर झोंपड़ी तक भी पहुंची हैं हमारी मुख्य मंत्री महोदय झोंपड़ी तक पहुंचकर दु:ख-दर्द सुने हैं उन्होंने वहां। आप अपने गिरहबान में झांकें कि पांच साल में आपने क्या-क्या घोटाले किये...(व्यवधान) क्या-क्या जालसाजियां की। (व्यवधान)

श्री हीरालाल (निवाई) : झोंपड़ी में गरीबों का भी उन्होंने हाल-चाल पूछा है, आप अपने गिरहबान में देखें, फिर हमसे हिसाब मांगे। (व्यवधान)

श्री सभापति : सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य, बार-बार आपसे निवेदन कर रहा हूं। इस प्रकार की बहसबाजी नहीं करें। (व्यवधान)

श्री ओम बिरला : बजट पर बोलें, जनता के हित की बात बोलें। (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा : यह बजट के अनुरूप है...(व्यवधान)

श्री हीरालाल (निवाई) : यह बजट के अनुरूप नहीं है। यह बजट के अनुरूप कैसे है? (व्यवधान)

श्री ओम बिरला : वह महलों में जन्मीं, उनका भाग्य है। (व्यवधान) महलों में जन्में हुए भी उन्होंने झोंपड़ी के गरीब की सुनी है। (व्यवधान) आपके कांग्रेस के राज में पांच साल में आपने क्या किया है, आपके काले कारनामे अब उजागर होंगे। अब उजागर होंगे।

श्री हरिमोहन शर्मा : 8 सिविल लाइन्स में हमारे माननीय उप राष्ट्रपति महोदय तक बिराजें हैं, हिरदेवजी जोशी बिराजें हैं, मोहनलालजी सुखाड़िया बिराजें हैं।

श्री हीरालाल (निवाई) : मुख्य मंत्री पर आप व्यक्तिगत आरोप नहीं लगाएं।

श्री सभापति : अंकित नहीं हो, अंकित नहीं हो।

श्री हरिमोहन शर्मा : +++

श्री हीरालाल (निवाई) : +++

श्री धर्मपाल चाधरी : +++

श्री सभापति : अंकित नहीं हो।

श्री धर्मपाल चौधरी : +++

श्री कन्हैयालाल मीणा : +++

श्री सांवर लाल : +++

श्री सभापति : माननीय सदस्य, मेरा आपसे निवेदन है, पुन: आपसे निवेदन है कि आप इस प्रकार की बातें बोल रहे हैं, तथ्यों से परे जाकर बोल रहे हैं। अगर आपको उस सम्बन्ध में कोई बात करनी है, आप क्वेश्चन के माध्यम से आएं। इस प्रकार आप बोल रहे हैं, उससे हाउस में व्यवधान पैदा हो रहा है।

श्री महावीर प्रसाद जैन : बार-बार हाउस में व्यवधान हो रहा है।

श्री सभापति : आपसे बार-बार निवेदन कर रहा हूं, आप बजट पर बोलिये।

श्री रामप्रताप कासनियां : बचत हुई है, प्राइवेट मकान में रही हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय, वह बचत का काम है।

श्री सभापति : माननीय कासनियांजी, बिराजिये।

श्री संयम लोढ़ा : सभापति महोदय, मैं राजस्थान की जनता के पैसे की बात कर रहा हूं, इस बजट से जो पैसा खर्च होगा उसकी बात कर रहा हूं, तो फिर क्या इनके शब्द मुंह में डालकर बात करें?

श्री सभापति : आप तो ऐसी बात कह रहे हैं जैसे मुख्य मंत्रीजी ने अपने निजी आवास पर खर्च कर दिये हैं, यह सरकारी आवास है।

श्री संयम लोढ़ा : मैंने कहा है सरकारी निवास मुख्य मंत्री का. और मैं आपको कहना चाहता हूं, खबर प्लांट की गयी कि अशोक गहलोत के पांच साल में इतना खर्च हुआ, भैरोंसिंहजी के इतने साल में इतना खर्च हुआ। मैं आपके माध्यम से चुनौती देता हूं कि हर साल 8, सिविल लाइन्स पर जो खर्चा हुआ है, किस-किस मद में खर्च हुआ है, अगर हिम्मत है इस सरकार के अन्दर तो सदन के पटल पर रखें।

श्री सांवर लाल : 8, सिविल लाइन पर किस-किस पर खर्च हुआ है, आपको जानकारी है क्या? (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : आवश्यकता होने पर सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

श्री संयम लोढ़ा : अशोक गहलोत ने खर्च किया है उससे कर्मचारियों के क्वार्टर बने हैं।

श्री सांवर लाल : आवास में लोगों के आने-जाने की व्यवस्था, ठीक से बैठने की व्यवस्था कर दी गयी है। (व्यवधान)

श्री हीरालाल (निवाई) : व्यवस्थाओं पर खर्च है। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : फर्नीचर नहीं लगा. मार्बल नहीं लगा। जिस प्रदेश में 23 लाख लोग गरीबी की रेखा के नीचे जीवन-यापन कर रहे हैं उस गरीब जनता के लाखों रुपये उस +++ में नहीं दे सकते हैं आप। (व्यवधान)

श्री धर्मपाल चौधरी : 23 लाख लोगों के बैठने के लिए ही वहां पर जो व्यवस्था की गयी है उस पर पैसा खर्च हुआ है। (व्यवधान)

श्री सांवर लाल : राजस्थान के कोने-कोने से आने वाले लोगों के ठहरने के लिए, बैठने के लिए, पीने के लिए पैसा खर्च किया गया है, खर्च किया जाएगा।

श्री धर्मपाल चौधरी : अशोक गहलोत ने इस राजस्थान को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। (व्यवधान)

श्री हीरालाल (निवाई) : नाम नहीं है आज तो...(व्यवधान) कभी फूटी कौड़ी नहीं दी। (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आप बिराजें। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : सभापति महोदय, या तो सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य को नियंत्रित कर लें...(व्यवधान) आसन से भी मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह सदन है, इसको मजाक बनाने की कोशिश न करें। नियम और परम्पराओं में यह है कि विद्रोहात्मक, उत्तेजनात्मक भाषण नहीं होंगे और जो भी कार्यवाही होगी वह नियमों के अन्तर्गत होगी। मैं आसन से निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय सदस्य को नियंत्रित करें और समझाइश करें, नहीं तो हम हमारे सदस्यों को रोक नहीं पाएंगे।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : सभापति महोदय, अध्यक्ष महोदय व्यवस्था देकर गये थे, आज बोलने वाले कम से कम 20-22 सदस्य हैं, सब दस-दस मिनट बोलेंगे। आपने आधा घंटा इनको अलाउ कर दिया, उसके बाद...(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : यह बार-बार व्यक्तिगत आरोप लगा रहे हैं, यह ठीक नहीं है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : इनके पास आधार क्या है?

एक माननीय सदस्य : यह जान-बूझकर व्यक्तिगत आरोप लगा रहे हैं।

श्री सभापति : माननीय सिरोही से आने वाले सदस्य, दो मिनट में आप कनक्लूड करिये।

श्री संयम लोढ़ा : सभापति महोदय, मेरे माननीय सदस्यों ने अपना समय मुझे दिया हुआ है...(व्यवधान)

श्री हीरालाल (निवाई) : बैठाइये इनको।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : दूसरा कोई नहीं बोलेगा कांग्रेस का।

श्री सांवर लाल : आपको लोगों ने चुनकर भेजा अपने समय को...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : सभापति महोदय, जो समय आपने आबंटित किया था (व्यवधान) वह समय लगभग समाप्ति की ओर है। अगर यह बोलते हैं तो दूसरे कांग्रेस के सदस्य को नहीं बोलने दिया जाएगा। (व्यवधान)

श्री सभापति : आप बिराजिये, माननीय मंत्री महोदय। मैंने अभी इनको बता दिया है कि समय देना आसन का काम है, आप दो मिनट में कनक्लूड कर लें।

श्री महावीर प्रसाद जैन : नहीं, नहीं हमको नहीं बोलने दिया। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : कल देसूरी से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि अशोक गहलोत हमको तो पानी पिला नहीं पाया, जनता ने उनको पानी पिला दिया। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से जलदाय मंत्रीजी को चुनौती देता हूं कि 1993 से 1998 के बीच में आपकी 5 साल सरकार रही और 1998 से लेकर 2003 तक हमारी सरकार रही, आपसे हमने ज्यादा हैण्ड पम्प खोदे कि नहीं, आपसे हमने ज्यादा ट्यूबवैल खोदे कि नहीं, आपसे हमने ज्यादा पानी के टैंकर चलाये कि नहीं? अगर नहीं हो तो सदन के पटल पर दोनों पांच सालों का रिकार्ड रखें।

श्री ओम बिरला : चुनौती स्वीकार, माननीय सदस्य, चुनौती स्वीकार। (व्यवधान)

श्री सांवर लाल (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री) : आपने कुएं तो खोदे पर पानी नहीं निकला।

श्री संयम लोढ़ा : मेरी चुनौती है, मेरे चुनौती है आपको। (व्यवधान)

श्री अशोक बैरवा (खण्डार) : ये व्यवधान उत्पन्न कर रहे हैं।

एक माननीय सदस्य : साथ में यह जांच भी करवाएं कि कितने हैण्डपम्प फेल हुए, कितना घोटाला हुआ। यह भी जांच कराओ- लाखों रुपए खा गये।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आपका समय समाप्त हो गया। (व्यवधान)

श्रीमती लक्ष्मी बारूपाल (देसूरी) : केन्द्र सरकार ने पूरी मदद की है, इसमें टैंकरों से पानी पिलाया है। केन्द्रीय सरकार जो अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में थी, उन्होंने पूरी मदद की आपकी, आपकी जानकारी हो तो।

श्री अशोक बैरवा (खण्डार) : सभापति महोदय, दो मिनट का समय दे रहे हो, यह व्यवधान उत्पन्न कर रहे हैं, दो मिनट में पूरा कैसे होगा? आप इनको बोलने दीजिए। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : कांग्रेस के राज में सड़कें बनी नहीं और पैसा खा गये।

श्री सभापति : माननीय सदस्य से मेरा निवेदन है कि बिराजें। मैंने आपको 36 मिनट दे दिये। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : सभापति महोदय, मेरा निवेदन है कि बहस किस बात पर हो रही है, किस विषय पर बोल रहे हैं, बजट पर बोल रहे हैं?

श्री अशोक बैरवा (खण्डार) : बजट पर, बजट पर।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : यह बजट भाषण है, सभापति महोदय?

श्री अशोक बैरवा (खण्डार) : क्या मुख्य मंत्रीजी द्वारा किये गये खर्चे बजट में नहीं होते? (व्यवधान)

श्री कालीचरण सर्राफ : व्यक्तिगत आरोपों की बात कर रहे हैं।

एक माननीय सदस्य : मुद्दे पर बोलो, मुद्दे पर।

श्री सभापति : माननीय सदस्य से निवेदन है कि बिराजें। माननीय बैरवाजी, बिराजें। माननीय बैरवाजी, बिराजें। माननीय नाथूसिंहजी गुर्जर।

श्री संयम लोढ़ा : माननीय सभापति महोदय, मैं वाइण्ड अप कर रहा हूं।

श्री सभापति : मैंने आपको 35 मिनट से ज्यादा दे दिये हैं।

श्री संयम लोढ़ा : मैं आपकी व्यवस्था के विरोध में वाक आउट करता हूं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : करिये, करिये, वाक आउट करिये। जाइये, जाइये, करिये, (व्यवधान) पधारिये, पधारिये।

श्री सांवर लाल : आपसे बोला जाता नहीं और बाहर चल रहे हो, कोई इश्यू तो है नहीं आपके पास। (व्यवधान)

(कांग्रेस पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा सदन से बहिर्गमन)

श्री सभापति : माननीय नाथूसिंहजी गुर्जर। बोलिए। (व्यवधान) आप बिराजिए।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री) : सभापति महोदय, क्या यह सदन की परम्परा है कि आसन की दी हुई व्यवस्था के विरोध में कोई माननीय सदस्य या दल वाक आउट करे? यह क्या अब तक कोई प्रक्रिया या स्थिति रही है? यह दु:खद स्थिति है कि आसन से दी हुई व्यवस्था के विरोध में और इतने संजीदा लोग और इतनी पुरानी पार्टी इस प्रकार का आचरण करे, इससे ज्यादा दु:ख और कुछ नहीं हो सकता।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री) : सभापति महोदय, मैं आपके सामने व्यवस्था का प्रश्न उठा रहा हूं। सदन में व्यक्तिगत लांछन लगाते समय कम से कम नोटिस देना चाहिए। नोटिस देते तो जिनको जवाब देना हो वह खड़े रहे।

8 नम्बर निजी आवास नहीं है, सरकारी आवास है। सरकारी आवासों में सबमें तरह-तरह की बात होती है। कोई अपने पास घर पर काम करता है, और वह आदमी की उसे छूट है कि मैं पी.ए. किसको रखूं। मैं उसकी नियुक्ति करता हूं तो उसकी छूट है अपने नियमों में तो उसको इस प्रकार से मध्य प्रदेश और राजस्थान का विषय बनाकर अगर इस प्रकार आक्षेप किया जाए तो मैं आपसे आग्रह करूंगा कि इस बारे में एक बार सारी प्रोसीडिंग्स आप देखें।

श्री सभापति : वह मैंने कह दिया है कार्यवाही से निकालने के लिए।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : और बिना सूचना दिए जो आरोप लगाये गये हैं, उन आरोपों के बारे में आप निर्णय करें, अगर हटाने लायक हैं तो उनको हटाया जाए, यही मैं आपसे कहना चाहता हूं।

मोहम्मद माहिर आजाद : सभापति महोदय, मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि कोई भी सदस्य प्रतिपक्ष का बोले, आसन को यह अधिकार है कि वह उसको सही कर सकता है, उसको टोक सकता है, लेकिन सत्ता पक्ष के सदस्य खड़े होकर यह चाहें कि हम वह वाणी बोलें, जो उनको अच्छी लगती हो, यह कैसा अधिकार है?

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आसन के लिए तो चाहे सत्ता पक्ष का हो या प्रतिपक्ष हो, दोनों को निवेदन कर रहा हूं, दोनों को मैं, बैठने के लिए।

श्री महावीर प्रसाद जैन : आप नोटिस दीजिए।

मोहम्मद माहिर आजाद : अब देख लीजिए आप, अभी देख लीजिए। मैं आपसे बात कर रहा हूं और पेट में दर्द इनके हो रहा है। रोज का यही तरीका है। इसलिए पुरानी पार्टी, नई पार्टी का सवाल नहीं है, सवाल यह है कि हाउस को व्यवस्था और नियमों से कैसे चलाया जाए। (व्यवधान)

श्री सभापति : मैं बार-बार आप लोगों से निवेदन कर रहा हूं, यह आसन की व्यवस्था है।

श्री धर्मपाल चौधरी : नियम खुद भी तो रखो, नियम दूसरों को पढ़ाते हो।

श्री सभापति : यह सदन नियमों से, प्रक्रियाओं से और परम्पराओं से चलता है।

श्री धर्मपाल चौधरी (मुण्डावर) : नियम पढ़ाते हो, माहिरजी, खुद तो रखो आप। इस ढंग से बोलते हो, एक साथ सब उठ जाते हो। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : जब भी प्रतिपक्ष का कोई सदस्य बोले, उस पर आपत्ति व्यक्त करें।

श्री धर्मपाल चौधरी : किसी पर व्यक्तिगत आरोप नहीं लगाये जा सकते। आपने व्यक्तिगत आरोप लगाये हैं।

मोहम्मद माहिर आजाद : कल जब अशोक गहलोतजी के बारे में आरोप लगा रहे थे तब क्या हो गया था? तब आप कहां चले गये थे?

श्री धर्मपाल चौधरी : मैं कहता हूं कि कोई व्यक्तिगत आरोप नहीं लगाएगा।

मोहम्मद माहिर आजाद : व्यिक्तगत आरोप वह होता है जिसके बारे में बात की गई है। व्यक्तिगत आरोप क्या होगा? व्यक्तिगत आरोप तो तब होता जब यह कहते कि उन्होंने अपने निजी आवास में लगा लिया। यह होता व्यिक्तगत आरोप। उन्होंने तो कहा कि राशि का दुरुपयोग किया गया है, जो व्यवस्था थी उसमें भी काम चल सकता था। इसमें क्या गलत बात कह दी जिस पर आप छिड़े? (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : माहिर साहब, ये सदन के अन्दर आने लायक चीजे हैं क्या?

श्री महावीर प्रसाद जैन : मंत्री के क्वार्टर में रहे हैं, यह कोई आरोप है?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आप पुराने हैं, इस स्तर की बात कर रहे हैं?

श्री महावीर प्रसाद जैन : आप एम.एल.ए. क्वार्टर की जगह मंत्री के क्वार्टर में रहे हैं, आपको +++ नहीं आई यह कहते हुए?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मेरा आपसे निवेदन है...(व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : आप आसन को ध्यान में नहीं रख रहे।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : क्या इसीलिए आप सदन में आये हैं?

श्री महावीर प्रसाद जैन : आप एम.एल.ए. की जगह मंत्री के क्वार्टर में रहे हैं।

मोहम्मद माहिर आजाद : आप सब तो नम्बर लेना चाहते हैं मुख्य मंत्रीजी से, इसलिए वफादारी जताने के लिए खड़े हो जाते हैं, और कुछ नहीं है इससे ज्यादा।

श्री महावीर प्रसाद जैन : नहीं, नहीं, आप क्या कर रहे हो? (व्यवधान) आप दुरुपयोग कर रहे हो सरकारी जमीन का, आप दुरुपयोग कर रहे हो अपने पद का, आप दुरुपयोग कर रहे हो अपनी हैसियत का।

श्री सभापति : माननीय सदस्यगण, आसन पैरों पर। (व्यवधान) माननीय सदस्यगण, बिराजें।

एक माननीय सदस्य : आप मंत्री के क्वार्टर में रहे हैं।

श्री महावीर प्रसाद जैन : मंत्री के क्वार्टर में रहे हैं तो देना पांच साल का किराया।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, बिराजिए आप। माननीय नाथू सिंहजी, आप बोलिए। आपका समय खतम हो रहा है।

डा. एन. एस. गुर्जर (टोडारायसिंह) : आप हाउस को आर्डर में लाएं तो बोलूं।

श्री सभापति : आप बोलिए। आपका समय खतम हो रहा है।

डा. एन. एस. गुर्जर : हाउस ही आर्डर में नहीं है। (व्यवधान) सभापति महोदय, मैं शुरू ही नहीं हुआ और आप कहते हैं समय खतम हो रहा है।

श्री सभापति : मैंने यह नहीं कहा कि समय खतम हो गया, मैंने यह कहा कि खतम होने जा रहा है। (व्यवधान)

आय-व्ययक पर सामान्य वाद विवाद

डा. एन. एस. गुर्जर : सभापति महोदय, माननीय मुख्य मंत्रीजी ने पहला बजट प्रस्तुत किया है, मैं उनको हार्दिक बधाई देता हूं और हार्दिक धन्यवाद देता हूं। सभापति महोदय, इंग्लिश में एक कहावत है, It is mind which rules, not the muscles. मुख्य मंत्रीजी ने यह बजट बनाते समय अपने मस्तिष्क का पूरा उपयोग किया, अपने ज्ञान का पूरा उपयोग किया, अपने अनुभव और अपनी टीम के साथ कठिन परिश्रम करके इतना लम्बा-चौड़ा बजट तैयार किया है। इस बजट में एक बात ध्यान में रखी कि समाज का कोई भी व्यक्ति. कोई भी तबका अछूता नहीं रहे। सभापति महोदय, इग्लैण्ड में एक बहुत बड़े थिंकर हुए हैं हरबर्ट स्पेंसर, मैं उनको कोट करना चाहूंगा। उन्होंने कहा है, Let epidemic spread in the society rather than vaccinating an individual. वह एक-एक व्यक्ति के बारे में इतना ध्यान रखते थे। इसका मतलब यह नहीं है कि वह कोई सोसायटी को मारना चाहते थे। उनका तात्पर्य यह था कि किसी एक व्यक्ति की आत्मा को भी ठेस नहीं पहुंचे, सर्वोत्तम शासन वह होता है। इसलिए माननीय मुख्य मंत्रीजी ने इस बजट को बनाते समय समाज के हर वर्ग का, हर तबके का, हर व्यक्ति का ध्यान रखा और लीक से हटकर बजट बनाया। उन्होंने दरिद्रनारायण से लेकर करोड़पति तक, झोपड़े से लेकर महलों में रहने वाले व्यक्ति और बेरोजगारी से जूझते बचपन से लेकर कामगारों और कर्मचारियों तक की आंखों में नई रोशनी डालने का प्रयास किया है। यह मैं नहीं कह रहा हूं, सभापति महोदय. एक बहुत अच्छे आर्थिक विश्लेषक हैं लक्ष्मीनारायणजी नाथूरामका, उन्होंने बजट पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए एक आर्टिकल लिखा है। उसमें उन्होंने लिखा है, यह भाजपा सरकार का पहला बजट है। इसमें विकास. कल्याण व वित्तीय सुधारों के कई प्रस्ताव रखे गये हैं, जिनके क्रियान्वयन से राज्य को लाभ होगा। मैं नहीं कह रहा हूं, वह कह रहे हैं, जो इकोनोमिक एक्सपर्ट हैं। आगे उन्होंने कहा है. "बजट में पहली बार

(डा. एन. एस. गुर्जर)

राजकोषीय सुधारों पर विशेष ध्यान दिया गया है। 7 वर्ष में राजस्व घाटा शून्य पर लाने का लक्ष्य घोषित हुआ है, एक दृढ़ इच्छाशक्ति दिखाई गई है इस बजट में, राजकोषीय घाटा शून्य पर लाने की दृढ़ इच्छाशक्ति।" उन्होंने आगे लिखा है, "राज्य में राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबन्धन विधेयक केन्द्र सरकार के 2000 के ऐसे ही अधिनियम की तर्ज पर तैयार किया जा रहा है जो राज्य के वित्तीय सुदृढ़ीकरण का मार्ग प्रशस्त करेगा।" यह मैं नहीं कह रहा हूं, सभापति महोदय, आर्थिक विश्लेषक हैं, एक्सपर्ट हैं, उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया में यह बात कही है।

सभापति महोदय, जितने बजट हैं, मैं बधाई देना चाहता हूं मुख्य मंत्रीजी को, यही कारण है कि वे बारीकी से बजट में गई हैं इसलिए अब तक का यह सबसे बड़ा बजट है जिस पर बोलने में उन्हें बिना पानी पिए, लगातार 2 घण्टे 18 मिनट लगे। इसलिए भी मैं बधाई देना चाहता हूं कि विधान सभा में यह पहला अवसर है जब इतना बड़ा बजट भाषण लगातार पढ़ा गया हो और समाज के हर तबके को छुआ गया हो। इसी तरह से 117 बार तालियां इस सदन में बजट के दौरान बजायी गईं, यह भी एक रेकार्ड है, इसके लिए मैं मुख्य मंत्रीजी को बधाई देना चाहता हूं।

सभापति महोदय, कोई भी व्यक्ति किसी न किसी ग्रंथ का सहारा लेता है, कोई गीता का अपने जीवन की नैया पार करने के लिए, कोई रामायण का, कोई महाभारत का, कोई बाइबिल का, कोई कुरान का। उसी तरह राजनैतिक सरकारों का एक डाकूमेंट होता है उसको कहते हैं विजन डाक्यूमेंट। वे आकर क्या करना चाहते हैं, प्रदेश को, देश को किस रास्ते पर ले जाना चाहते हैं, एक विजन डाक्यूमेंट बनाया कि हम प्रदेश को किस दिशा में ले जाएंगे। कांग्रेस को भी मैंने देखा है, उनकी सरकार को भी, उन्होंने विजन डाक्यूमेंट नहीं बनाया, उन्होंने केवल घोषणा-पत्र तैयार किया। घोषणा-पत्र एक पोलिटिकल पार्टी का दस्तावेज होता है वो सरकार का दस्तावेज नहीं होता। उन्होंने उस बजट में, उस घोषणा-पत्र में 138 वादे चुनाव के समय जनता से किये, उनमें से एक भी वादा पूरा नहीं किया और सरकार आने के बाद मिस-मैनेजमेंट का एक बहुत बड़ा उदाहरण प्रदेश के सामने ही नहीं, देश के सामने रखा। मिस-मैनेजमेंट का ही नहीं इकोनोमिक मिसमैनेजमेंट जिस तरह से राजस्थान में हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर का सत्यानाश जिस तरह से राजस्थान में हुआ, मैं आपको पढ़कर सुनाना चाहूंगा। इन्होंने जो नीकेज था इसको रोकने का प्रयास नहीं किया। करप्शन बढ़ाया। माइंस का

(डा. एन. एस. गुर्जर)

रेवेन्यू आता था उसको घटा दिया। टैक्स रेवेन्यू घट गया, राजस्व घाटा बढ़ गया, फिस्कल डेफेसिट बढ़ा। इसका परिणाम यह हुआ "दी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपोजिट इंडेक्स", यह इंफ्रास्ट्रक्चर कंपोजिट इंडेक्स किसी भी प्रदेश की इकोनोमिक स्थिति को दर्शाता है, इसमें इंक्लूड है-power, irrigation, roads, railway, education, health and banking etc. सभापति महोदय, यह सब इसमें इंक्लूड होता है, लेकिन इन्होंने जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर कंपोजिट इंडेक्स का सत्यानाश किया उसके कारण क्या हुआ-The infrastructure composit index in Rajasthan at 76 is far below other developed States like Punjab at 188. यह जो इंफ्रास्ट्रक्चर कंपोजिट इंडेक्स है यह राजस्थान का सबसे कम था। किस-किस स्टेट की तुलना में, वह मैं बता रहा हूं। पंजाब का 188, गुजरात का 124, वैस्ट बंगाल का 111, जबकि राजस्थान का केवल 76। यहां तक इन्होंने सत्यानाश किया राजस्थान का। इसका परिणाम क्या हुआ कि टैंथ प्लान के टार्गेट भी पूरे नहीं कर पाये। उसके पहले इन्होंने एक काम और किया। जब ये इसके पहले गये, टैंथ प्लान में भी जब ये पास कराने के लिए गये, सभापति महोदय, पहली बार जो टैंथ प्लान में स्टेट्स का पैसा बढ़ाया गया उसमें राजस्थान की क्या स्थिति है, उसकी मैं सदन को जानकारी देना चाहता हूं-The percentage increase of the 10th Plan over the 9th Plan at current prices in Rajasthan was one of the lowest 22% increase in the country. Even lower than 26% of Uttar Pradesh, 43% in Gujarat, 81% in Maharashtra, 85% in Andhra Pradesh, 85% in Karnataka. While the all India increase in the 10th Plan over the 9th Plan was 58%, Rajasthan was slipping far behind with that 22% increase as mentioned above. यानी टैंथ प्लान में जो राशि बढ़ायी, सबसे कम-22 परसेंट। कहीं 85 परसेंट, 81 परसेंट और कहां 22 परसेंट। हम दूसरे स्टेट्स की तुलना में कहां खड़े होते हैं? इन्होंने इकोनोमिक मैश क्रिएट कर दिया राजस्थान में। सभापति महोदय, इसका परिणाम क्या हुआ? जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार राजस्थान में बनी थी, विकास की दृष्टि से राजस्थान 17वें स्थान पर हमको देकर गये और जब हमने वापस सरकार संभलायी, राजस्थान विकास की दृष्टि से पांचवे नम्बर पर इनको देकर गये। पांचवें नम्बर पर था राजस्थान। वापस जब ये सरकार में आये, इनका घोषणा-पत्र पढ़कर मैं सदन का समय खराब नहीं करना चाहता, घोषणा-पत्र में इन्होंने लिखा-मैश कर दी इकोनोमी, भ्रष्टाचार हुआ, अपराध बढ़े, यह कर दिया, वो कर दिया और उसके बावजूद जब ये छोड़कर गये-हम छोड़कर गये तब विकास की दृष्टि से पूरे देश में

(डा. एन. एस. गुर्जर)

राजस्थान पांचवे स्थान पर था और ये छोड़कर गये तो राजस्थान विकास की दृष्टि से आठवें-नौवें स्थान पर जा पहुंचा। कौनसा विकास किया इन्होंने? इसलिए मैं कहना चाहता हूं, इन्होंने राजस्थान का सत्यानाश कर दिया। उसके बाद ये टैंथ प्लान के टार्गेट पूरे नहीं कर पाये जिसके कारण ये अनएम्प्लायमेंट की बात कर रहे थे, बेरोजगारी बढ़ी। यह बेरोजगारी बढ़ने का कारण टैंथ प्लान के टार्गेट को पूरा नहीं करना था इसलिए मजबूरन 60 साल से 58 साल इन्होंने की, हालांकि उसमें ये फंस भी गये। मुझे मालूम है, मैं इकतरफा नहीं कह रहा हूं, बजट का मतलब यह नहीं है कि हम सत्ता पक्ष के हैं तो इकतरफा बात बोलें, वे विपक्ष में हैं तो केवल विरोध करें। उसके कारण थे। पांचवां वेतन आयोग आया. 60 से 58 साल करने पर 1200 करोड़ रुपये का इन पर भार आया। ये सब कारण थे, लेकिन फिर भी मिसमैनेजमेंट के कारण ये टार्गेट पूरे नहीं कर सके और पांच साल तक नौकरियों पर इन्होंने पाबंदी लगाये रखी, किसी को भी नौकरी नहीं दी।

कल जोशीजी बहुत जोर-जोर से बोल रहे थे कि हमने यह नौकरी दे दी, हमने वो नौकरी दे दी, नौकरियों का भी मैं आपको ब्यौरा देना चाहता हूं। सभापति महोदय, नौकरियों का ब्यौरा भी मेरे पास है, इसमें कितने परसेंट क्या-क्या, कब-कब नौकरियां किसमें लगी हैं। कल ये कह रहे थे। सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र में रोजगार के अन्दर, 1997 में जब हमारी सरकार थी तो सार्वजनिक क्षेत्र में 10.13 परसेंट, निजी क्षेत्र में 2.63 परसेंट. यह संख्या लाखों में है, टोटल 12.76 परसेंट। जब इनकी सरकार आई तो, सभापति महोदय, 2001 में 9.55 परसेंट सार्वजनिक क्षेत्र में, 2.47 निजी क्षेत्र में। इसी तरह से 2002 में 9.48 परसेंट सार्वजनिक क्षेत्र में. निजी क्षेत्र में 2.48 परसेंट, कुल 11.96 परसेंट। हम 12.76 परसेंट थे, 2003 में ये 11.78 परसेंट पर आ गये।

सभापति महोदय, ये बहुत कह रहे थे कि हमने रोजगार दे दिया, यह कर दिया, वो कर दिया। कितना रोजगार दे दिया? निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र दोनों के आंकड़े मैंने दिये। इसलिए इन्होंने तहस-नहस कर दिया, बेरोजगारी बढ़ी। इतना ही नहीं, उसका असर क्या हुआ? सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर का अलग-अलग स्टेट्स के अन्दर जो पर कैपिटा प्लान इन्वैस्टमेंट बढ़ा. मैं उसकी जानकारी देना चाहता हूं-Here the plan investment is crucial for economic and social structure needed for growth. Rajasthan still ranks very low amongst major States of

(डा. एन. एस. गुर्जर)

India in its plan investment and that has been lower than the national average since 1966 barring the 8th plan period, i. e. 1992-1997. यह हमारा शासन था। 1966 के बाद केवल 92 से 97 के बीच में राजस्थान लोएस्ट था पर कैपिटा और इसमें Due to a large increase in State Plan-outlay in the 8th Plan, up from 12038 crores to 19315 crores, the per capita plan in Rajasthan had touched Rs. 3400 per capita. यह जो था यंह इतना कम था। नेशनल एव्रेज था वह कम था, दूसरे जो डवलप्ड स्टेट हैं उनका तो कम था ही था। इसलिए, सभापति महोदय, किसी भी तरह से ये खरे नहीं उतर रहे हैं। और इसके कारण क्या हुआ? जब यह सारा मिस मैनेजमेंट इन्होंने कर दिया तो ये 2003-04 में योजना आयोग के सामने गये, 5857 करोड़ की योजना लेकर प्लानिंग कमीशन के सामने गये और इनको इसके कारण केवल, The achievement during the first two year of the 10th Plan thus felt short of even the revised outlay by nearly 10%. This situation was alarming against an annual outlay for 2003-2004 by Rs. 5857 crores. The view of the Government in the Planning Commission was that Rajasthan would never be able to achieve these levels due to resource constraints. यह प्लानिंग कमीशन कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूं। और इसके कारण उन्होंने according to this view point...

श्री रामप्रताप कासनियां : सभापति महोदय, समझ कोनी आवे। (व्यवधान)

डा. एन.एस. गुर्जर : सभापति महोदय, जब ये प्लानिंग कमीशन के सामने गये तो मोबिलाइजेशन में जो कठिनाइयां थी, उन्होंने कहा कि आप इतने रिसोर्सेज इकट्ठे नहीं कर सकते हैं, मैनेज नहीं कर सकते इसलिए 5857 करोड़ रुपये के बजाय उन्होंने इनको केवल 4258 करोड़ का ही प्लान पास करके दिया। इसका तात्पर्य यह है, मैं नहीं कह रहा हूं, यह प्लानिंग कमीशन कह रहा है, इसलिए, सभापति महोदय, इनका फेल्योर इस तरह से है। मैं माननीय, आपका ध्यान...

श्री सभापति : अब आप दो मिनट में कनक्लूड कीजिए।

डा. एन. एस. गुर्जर : दो मिनट में ऐसे, मैंने तो शुरू ही किया है।

श्री सभापति : शुरू क्या, 23 मिनट हो गये। (व्यवधान) आज मेरे सामने 32 आदमी बोलने वाले हैं।

डा. एन. एस. गुर्जर : नहीं, मैंने इर्रलेवेंट बोला हो तो आप मुझे रोक दीजिए।

श्री सभापति : नहीं, आप तो बहुत विद्वान हैं, बहुत रेलेवेंट बोलते हैं, पर आसन की सीमाएं हैं। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : इनको बोलने दो, सभापति महोदय, बहुत बढ़िया बोल रहे हैं। (व्यवधान)

डा. एन. एस. गुर्जर : पर कैपिटा इनकम में भी राजस्थान में इनके समय वही स्थिति रही और हमारे समय में पर कैपिटा इनकम भी बढ़ी। इसी तरह से पर कैपिटा प्लेन एक्सपेंडीचर, इससे यह होता है, सभापति महोदय, राजस्थान के विकास की गति का पता लगता है। जब-जब ये आये, 1999-2000 में, अगर तब से हम देखें तो हमारा जो पर कैपिटा एक्सपेंडीचर था हमारे समय पर उससे इनका कम है। 2002-03 में जहां इनका पर कैपिटा इनकम प्लेन एक्सपेंडीचर 753 रुपया था हमारा पर कैपिटा प्लेन एक्सपेंडीचर 2004-05 में...

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आपस में बात नहीं करें।

डा. एन. एस. गुर्जर : 1318 रुपये हो गया, इसलिए इसमें भी हमने वृद्धि की। नेशनल एवरेज 1133 है, हम नेशनल एवरेज को भी पार कर गये, ऊपर चले गये उससे भी सभापति महोदय, यह सब इसलिए हुआ कि हमारी सरकार ने आते ही माननीय मुख्य मंत्रीजी के नेतृत्व में बैस्ट मैनेजमेंट किया और रेवेन्यू डेफिसिट को कम किया। 1998-99 में जहां रेवेन्यू डेफिसिट 2996 करोड़ रुपये था, 2003-04 में 3933 करोड़ था, वहीं 2004-05 में घटकर 2204 करोड़ रुपया हो गया। यह कम कर दिया, यह घटा, यह बहुत बड़ा मिरेकल है, बिना टैक्स लगाये। रेवेन्यू डेफिसिट 2204 करोड़ रुपये तक कम करना एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है राजस्थान सरकार के लिए। फिस्कल डेफिसिट को भी, यह अर्थशास्त्री जानते हैं कि इसका प्रभाव कितना पड़ता है। फिस्कल डेफिसिट भी 1998-99 में 5156 करोड़ रुपये था, 2002-03 में 6114 करोड़ था, 2003-04 में 7414 करोड़ था, यह घटकर 2004-05 में केवल 6810 करोड़ रुपये रह गया। यह फिस्कल डेफिसिट का कम लोन के मामले में, ये लोन लोन की बात कर रहे हैं, इन्होंने लोन भी बहुत लिया है। लोन के मामले में मैं कहना चाहता हूं, जब कांग्रेस सरकार हमको सरकार देकर गई तो 1990 के बाद ध्यान है, आपको याद दिलाना चाहता हूं, आप भी विधायक होंगे, इस सदन के सदस्य होंगे, 8 हजार करोड़ रुपये का कर्जा हमारे ऊपर छोड़कर कांग्रेस सरकार गई थी। हमने जब वापस इनको शासन संभलवाया तो लगभग

(डा. एन. एस. गुर्जर)

23-24 हजार करोड़ का हमने इनको दिया, लेकिन 18 या 19 हजार करोड़ के बीच में असेट्स भी इनको देकर गये। अब इन्होंने कर्जे को एकदम तेज किया, बढ़ाया, 53 हजार के ऊपर कर्जा ले गये, और असेट्स कितने क्रिकेट किये हैं? राज्यपाल के अभिभाषण में बोल रहा था तो माननीय प्रद्युम्न सिंहजी जो फाइनेंस मिनिस्टर थे उन्होंने आपत्ति की थी और पूछा था मुझसे कि आप बताओ, हमने कितना क्रिएट किया। मैंने कहा था कि सरकार में आप थे, आप बताओ। नहीं बता पाये। अब हम सरकार में हैं, हमने आंकड़े लिये, मैं बता रहा हूं। 25 हजार करोड़ के आसपास आपने असेट्स तैयार किये, कितने में? 53 हजार करोड़ के कर्जे में 25 हजार के असेट्स और हमने केवल 23 हजार करोड़, 24 हजार करोड़ के कर्जे में जिसमें 8 हजार करोड़ का कर्जा उनका था, 18-19 हजार करोड़ के असेट्स तैयार कर दिये। यह है मैनेजमेंट, आर्थिक मैनेजमेंट। उसके बाद जो यह कर्जा बढ़ गया, इस कर्जे को कम करने के लिए माननीय मुख्य मंत्रीजी ने एक तरीका निकाला डैट स्वेप, उसका फायदा उठाया। मार्केटिंग बोरोइंग इसमें हम दिखा रहे हैं, मैं मान रहा हूं, लेकिन डैट जैप में काम आ रहा है। जो मार्केटिंग बोरोइंग ज्यादा लग रही है, यह डैट स्वेप में काम आ रहा है। हमने मार्केट बोरोइंग करके जो ज्यादा ब्याज पर पैसा लिया हुआ था उसको कम ब्याज में हमने कन्वर्ट करवाया जिससे हमारा पैसा कम होगा। पुराना कर्जा हम उस पर चुका रहे हैं और डेस स्वेप में 2002-03 में 1033 करोड़, 2003-04 में 1928 करोड और 2004 में 2973 करोड़ रुपये...

श्री सभापति : माननीय सदस्य, कनक्लूड कीजिए आप।

डा. एन. एस. गुर्जर : कनक्लूड कर रहा हूं, साहब, अभी तो बोल ही रहा हूं।

श्री सभापति : नहीं, बोलना नहीं है। अब माननीय धर्मपालजी चौधरी। (व्यवधान) बोलिए।

डा. एन. एस. गुर्जर : सभापति महोदय, मैं इरैलेवेंट बोलूं तो आप रोकिए मुझे।

श्री सभापति : आसन समय सीमा से बंधा हुआ है।

डा. एन. एस. गुर्जर : हां, बिलकुल समय सीमा में बोल रहा हूं।

श्री सभापति : और माननीय सदस्य भी बोलने वाले हैं, आप कनक्लूड करें।

डा. एन. एस. गुर्जर : मैं अगर कोई ईर्रलेवेंट बात बोलूं तो आप रोक दीजिए।

इसलिए डैट स्वैप से स्टेट को लाभ होगा, 194 करोड़ रुपये का हमको लाभ होगा, यह कम नहीं होता है।

सभापति महोदय, इसी तरह से करों से होने वाली आमदनी, टैक्स रेवेन्यू , हमारी नई सरकार विकास के लिए इनकी तरफ ध्यान दे रही है और उसके साथ साथ अपने संसाधन भी जुटाने का प्रयास कर रही है। करों से होने वाली आमदनी 2002-03 में 6253 करोड़ थी जो 2004-05 में बढ़कर 8221 करोड़ हो जाएगी। नॉन टैक्स रेवेन्यू में भी 5-6 करोड़ की बढ़ोतरी होगी। सभापति महोदय, परिणाम क्या होगा? प्लेन साइज बढ़ गया, 7631 करोड़ के आसपास प्लेन की साइज हो गई इससे निश्चित रूप से बढ़ोत्तरी होगी।

मैं सभापति महोदय. इसके साथ साथ एक निवेदन और करना चाहूंगा, मैं ओवरड्राफ्ट के बहुत आश्चर्यजनक आंकड़े सदन में देना चाहता हूं। जुलाई 3 से दिसम्बर 3 तक जब इनकी सरकार थी. आप देखिये, 86 दिन तक ओवरड्राफ्ट में रहे ये। जबकि नई सरकार आने के बाद जनवरी, 2004 में पांच दिन. फरवरी 2004 में केवल एक दिन और मार्च, 2004 में बिलकुल नहीं रहा ओवर-ड्राफ्ट राजस्थान पर. एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। वो सरकार 86 दिन तक ओवरड्राफ्ट में रही और हम बिलकुल ओवरड्राफ्ट में नहीं रहे, यह बहुत बड़ी इस सरकार की उपलब्धि है।

सभापति महोदय, यह क्यों हो रहा है? इन्होंने जो योजनाओं में कमी की है उसमें मैं ज्यादा नहीं जाना चाहूंगा कि क्या कर रहे हैं, यह क्यों हुआ। इन्होंने माइंस बन्द करा दीं जिसके कारण 21 लाख लोग अपरोक्ष रूप से और परोक्ष रूप से करीब 4-5 सौ लोग बेरोजगार हो गये। 20 हजार खानें बन्द हो गई और उसके पहले भी हजारों खाने बन्द हो गई। उनसे सरकार को आने वाला रेवेन्यू बन्द हो गया। मैं प्रतिपक्ष से पूछना चाहूंगा कि पर्यावरण विभाग से क्या पांच साल में एक भी माइनर को इन्होंने एन.ओ.सी. दी गयी? जबकि केन्द्र सरकार ने राज्य सरकार को अधिकार दे दिया पर्यावरण के लिए एन.ओ.सी.. देने का, इन्होंने एक भी माइंन को एन.ओ.सी. नहीं दी। राजस्थान का बहुत बड़ा रेवेन्यू माइनिंग से आता है, टैक्सेज से आता है, आबकारी से आता है। माइनिंग की एक एन.ओ.सी. पांच साल में नहीं दी. यह सरकार फेल्योर है, और नहीं तो क्या है?

(डा. एन. एस. गुर्जर)

इसी तरह से, सभापति महोदय, आबकारी में 22 प्रतिशत की बढ़ोतरी हमने की, लेकिन पुरानी सरकार के ठेकेदारों में करोड़ों रुपया बकाया चल रहा है। सरकार ने वसूली नहीं की। वसूली इसलिए नहीं की कि इन्होंने चुनाव में चंदा लिया। यह सरकार नहीं चाहती थी। और बाद में उनको कोर्ट में भेज दिया कि तुम जाकर स्टे ले लो। स्टे लेने के बाद में उस स्टे को तुड़वाने के लिए उस सरकार ने कोई प्रयास नहीं किये। हमारी सरकार आई है, हम उस मामले को देख रहे हैं कि क्या किया जा सकता है।

सभापति महोदय, इतना ही नहीं, जितनी भी योजनाएं हैं, हमारी सरकार की दूरदृष्टि है, मैं मुख्य मंत्रीजी को बधाई देना चाहूंगा. दूरदृष्टि यह है कि इन्होंने 27 लाख लोगों को किसान क्रेडिट कार्ड दे दिये लेकिन तुरन्त इस बजट में 15 लाख किसानों को और क्रेडिट कार्ड देने के लिए बढ़ा दिया। यह क्यों बढ़ाया? इसलिए कि पिछली केन्द्र सरकार ने 70 हजार करोड़ रुपये किसान क्रेडिट कार्ड के ऊपर देने का फैसला किया था। अब इस बजट में एक लाख पांच हजार करोड़ किसान क्रेडिट कार्ड पर देने का प्रावधान किया गया है। हम यदि 15 लाख की सीमा नहीं बढ़ाते तो जो 70 हजार करोड़ से एक लाख पांच हजार करोड़ रुपया बढ़ा था इसमें से राजस्थान को कुछ नहीं मिलता, इसलिए मैं मुख्य मंत्रीजी को बधाई देना चाहता हूं।

श्री सभापति : धन्यवाद।

डा. एन. एस. गुर्जर : धन्यवाद कैसे, साहब? एक मिनट, दो मिनट तो सुनिये। ऐसे कैसे, साहब? मैं ईर्रलेवेंट नहीं बोल रहा हूं। एक चीज ईर्रलेवेंट लगे तो आप मुझे रोक देना।

श्री सभापति : आसन के हिसाब से कोई माननीय सदस्य ईर्रलेवेंट नहीं बोलता है।

डा. एन. एस. गुर्जर : न मैं रिपीट कर रहा हूं। सभापति महोदय. न तो मैं कोई पुरानी बोली हुई रिपीट कर रहा हूं और न ईर्रलेवेंट बोल रहा हूं, इसलिए मेरा निवेदन है कि थोड़ा-सा बोलने दें।

बिजली की छीजत 22 प्रतिशत। इन्होंने बिजली का बंटाधार कर दिया। आज मैं आंकड़े पढ़ रहा था. छीजत 42 प्रतिशत से ज्यादा हो गई। इन्होंने कम्पनियां बना दीं और कम्पनियां बनाने के बाद दो काम इन्होंने बहुत बड़े किये। मैं बिजली की डिबेट में डिटेल में जाऊंगा. लेकिन पहला काम इन्होंने किया कि बिजली में जो इंस्पैक्शन सेल

(डा. एन. एस. गुर्जर)

था कम्पनियों में, वह इंस्पेक्शन सेल यह करता था कि जो सामान खरीदा जाता था बिजली कम्पनियों में, उस समय आर.एस.ई.बी. थी, उसका इंस्पैक्शन करता था। वह टैक्निकल लोगों की टीम थी, इन्होंने एक ही आदेश से उसको समाप्त कर दिया। उसका कारण यह हुआ कि इन्होंने जो ट्रांसफार्मर खरीदे उसमें तीन करोड़ का घपला जयपुर की कम्पनी में और 10 करोड़ का घपला अजमेर की कम्पनी में हुआ। कई आफिसर्स सस्पैण्ड हुए। लेकिन सस्पैण्ड होने के थोड़े समय के बाद वापस उनको रि-इंस्टेट कर दिया। इलैक्ट्रोनिक मीटर में घोटाला किया। मैं रामनारायणजी चौधरी नहीं हैं, उनको धन्यवाद देना चाहूंगा। यह तीन करोड़, 10 करोड़ का घपला जब निकला जब वो विद्युत मंत्री बने और उन्होंने उस इंस्पेक्शन सेल को वापस रिवाइज किया, तब जाकर यह घोटाला पकड़ में आया मैं जानना चाहता हूं कि उसी सरकार ने जिनको सस्पैण्ड किया था वापस लाकर क्यों बिठा दिया? उसके कारण हमारी छीजत, कल ही एक सवाल के जवाब में आया है, 42 प्रतिशत से बढ़कर 43.39 प्रतिशत हो गई। लगभग साढ़े 43 प्रतिशत। जबकि जापान में टी एण्ड डी लॉसेस, जिसको छीजत बोलते हैं, केवल 7 प्रतिशत है, अमेरिका में केवल 8 प्रतिशत है और हमारे यहां 43-44 प्रतिशत है। कैसे हम किसानों को बिजली दे पाएंगे? इसलिए मैं कहना चाहता हूं, सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि यह बहुत गम्भीर विषय है, इस पर विचार करे। किसानों को हम बिजली कैसे दे पाएंगे इस पर आप विचार करें।

सभापति महोदय, इतना ही नहीं, मैं एक और निवेदन करना चाहूंगा, आज बिजली में एक तरफ तो हम रेट बढ़ा रहे हैं, पहली बार यह हो रहा है कि एक तरफ तो उपभोक्ता पर बिजली की रेट बढ़ाकर भार डाला जा रहा है। और दूसरी तरफ बिजली कम्पनियों का घाटा और कर्जा दोनों बढ़ते जा रहे हैं। घाटा 1800 करोड़. कर्जा 4200 करोड़। करीब-करीब 6 हजार करोड़ रुपये का घाटा और कर्जा। सप्लाई पूरी नहीं और उधर विद्युत उपभोक्ताओं को लगातार बिजली की रेट बढ़ाई जा रही है। यह उस सरकार की देन है जिन्होंने यह सब कुछ किया है। वर्ल्ड बैंक के दबाव में होकर यह किया है।

सभापति महोदय, गरीबी उन्मूलन की कुछ योजनाएं थीं, आज ही एक आर्टिकल छपा है...

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

(डा. एन. एस. गुर्जर)

साहब, थोड़ा तो बोलने दीजिये।

श्री सभापति : अब नहीं। माननीय धर्मपालजी।

डा. एन. एस. गुर्जर : नहीं, नहीं, सभापित महोदय, एक-दो मिनट मुझे दीजिये।

श्री सभापति : ऐसा है, समय की सीमा है।

डा. एन. एस. गुर्जर : डी.पी.ई.पी. में सभापति महोदय, 2003 के लिए 643 करोड़ रुपये मिले थे राज्य सरकार को, जब इनकी सरकार थी। 643 करोड़ में से इन्होंने केवल 70 करोड़ का खर्चा किया। सिर्फ 70 करोड़ का, जबकि इसमें बाहर का पैसा भी आता है। और इन 70 करोड़ में से 58 करोड़ केवल प्रशासनिक खर्चों पर खर्च कर दिया। गांवों में क्या खर्च किया? इसलिए, सभापति महोदय, कुछ और योजनाएं हैं। श्री श्यामजी आचार्य बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनका नाम मैं यहां सदन में लेना चाहूंगा, उन्होंने एक आर्टिकल लिखा है और आंकड़े दिये हैं। उन्होंने कहा कि सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, अन्त्योदय अन्न योजना, स्वर्ण जयन्ती ग्रामीण स्वरोजगार योजना, अन्नपूर्णा योजना, इन्दिरा आवास योजना, इनमें इस सरकार को कुल पैसा मिला 3519 करोड़ रुपया। ये अलग-अलग 2001, 2002 और मई, 2003 तक के आंकड़े दिये हैं, जब तक यह सरकार नहीं आई थी। उसमें से इन्होंने खर्च किये केवल 1156 करोड़ रुपये। इसलिए मैं कहता हूं कि इन्होंने खर्च नहीं करके गांवों के विकास को अवरूद्ध किया। मैं उसमें नहीं जाना चाहता कि किस तरह डी.पी.ई.पी. का नाम होता था, उसका नाम होता था दारू पीओ और पिलाओ। उसमें घपला किया गया। दूसरा आई.आर.डी.पी. का, आई रकम डकारो प्रोग्राम, ऐसे जुमले चलते थे। यह घोटाला किया। पैसे को गांवों में खर्च नहीं किया तो विकास कैसे होता? इसलिए मैंने आंकड़े दिये हैं।

सभापति महोदय, इनके समय एक साल में केवल 11 किलोमीटर सड़क बनाई जाती थी, आज हमारे यहां रोज, प्रत्येक दिन 11 किलोमीटर सड़क बन रही है। यह हमारी सरकारी की उपलब्धि है। रोज 11 किलोमीटर सड़क बन रही है।

श्री सभापति : माननीय धर्मपालजी। आप बिराजिये अब।

डा. एन. एस. गुर्जर : सभापति महोदय, कल बोल रहे थे, कर्मचारियों के बड़े हितैषी बन रहे थे। बोनस बन्द करके 400 करोड़ रुपये का कर्मचारियों का नुकसान

किया। समर्पित अवकाश का वेतन बन्द किया उसमें 310 करोड़ रुपये का कर्मचारियों का नुकसान किया और आयु सीमा 60 से 58 वर्ष करके 6200 करोड़ रुपये का राजस्थान पर भार डाल दिया। सभापति महोदय, ये किसका भला चाहते हैं? मैं आपको सुझाव देना चाहता हूं, दो मिनट में मैं मेरी बात समाप्त करना चाहता हूं। राजस्थान को फिर भी आपने बजट बहुत अच्छा दिया है, विकासोन्मुखी है, सही दिशा में जाने वाला बजट है। हमारे लिए खुशी की बात है कि हमारे यहां तेल और गैस के भण्डार मिले हैं राजस्थान में। हमें खुशी है कि मुख्य मंत्रीजी प्रयास कर रही हैं और केन्द्र ने उसमें कहा भी है कि इसमें राज्यों को रायल्टी भी देंगे, लेकिन रॉयल्टी बढ़ाई जानी चाहिए और उसमें हमें मांग करनी चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा उसका हिस्सा राजस्थान को मिले ताकि राजस्थान को इसका लाभ हो। केन्द्र से जो करों में राज्यों का हिस्सा मिलता है...

श्री राकेश मेघवाल : रॉयल्टी के मामले में मुख्य मंत्रीजी से पैर पकड़कर यथावत रखवाइये। आप बढ़ाने की बात कर रहे हो, मरवाओगे। पूरा राजस्थान सुन रहा है। आपसे निवेदन है कि ऐसा मत कहिये।

डा. एन. एस. गुर्जर : मैं रॉयल्टी के हिस्से की बात कर रहा हूं, रॉयल्टी बढ़ाने की बात नहीं कर रहा हूं। आप समझे नहीं। इसलिए, सभापति महोदय, मैं कह रहा हूं कि जो रॉयल्टी मिल रही है उसमें राजस्थान का हिस्सा बढ़ाया जाए, यह बात कर रहा हूं मैं।

श्री राकेश मेघवाल : आप तेल की बात बोलिये।

डा. एन. एस. गुर्जर : मैं तेल और गैस दोनों की बात कह रहा हूं। आपके समझ का फर्क है।

श्री सभापति : परबतसर से आने वाले माननीय सदस्य, बीच में मत बोलें।

श्री राकेश मेघवाल : मार्बल मत बोल दीजिये।

डा. एन. एस. गुर्जर : सभापति महोदय, यह बाद में मिल लेंगे तो मैं समझा दूंगा कि क्या बोल रहा हूं।

श्री सभापति : माननीय नाथूसिंहजी।

(15.00 बजे)

डा. एन. एस. गुर्जर : सभापति महोदय, जो केन्द्र से करों में राज्यों को हिस्सा मिलता है अभी उसको बढ़ाकर 30 प्रतिशत कर दिया और केन्द्र ने एक काम और किया है कि इसको 37 प्रतिशत पर कैपिंग कर दिया। कैपिंग कर दिया यह जो राज्यों का हिस्सा मिलता है केन्द्रीय करों में से। मैं चाहता हूं, इस कैपिंग को खतम करके, इस कैपिंग को 50 प्रतिशत पर लाया जाए। राज्यों को जो हिस्सा मिलता है, इसको बढ़ाकर, 37 प्रतिशत कम से कम अभी फिलहाल करें जिससे राज्य को और ज्यादा मिले क्योंकि एक प्रतिशत, पहले 29.1 प्रतिशत था, 30 प्रतिशत करने पर ही, राज्य को 3500 करोड़ की बजाय 4500 करोड़ रुपये मिल जाएंगे इस बार। 1000 करोड़ रुपये बढ़ गये इसलिए मैं चाहता हूं कि राज्यों का हिस्सा केन्द्रीय करों में बढ़ना चाहिए।

सभापति महोदय, इसी तरह केन्द्रीय स्पोन्सर्ड स्कीम जो अभी मैंने गिनाई थी, उसमें ये कुछ खर्च नहीं कर पाये। 3000 करोड़ में से केवल 1100 समथिंग करोड़ रुपये खर्च कर पाये। जब भयंकर अकाल पड़ रहा था, 254 करोड़ रुपये केन्द्र की तरफ से आये, उसको ये खर्च नहीं कर पाये, क्योंकि सेन्ट्रल स्पोन्सर्ड स्कीम कुछ ऐसी हैं जिनमें राज्य को अपना पैसा लगाना पड़ता है। मैं चाहूंगा कि राज्य के बजट में इस तरह का अलग से प्रावधान किया जाना चाहिए ताकि जितनी भी सेन्ट्रल स्पोन्सर्ड स्कीम राज्यों में लागू होती हैं, उसमें हम हमारी हिस्सेदारी दें तो उनका उपयोग हमारे प्रदेश में ले लें।

श्री सभापति : धन्यवाद।

डा. एन. एस. गुर्जर : माननीय सभापति महोदय, एक मिनट, दो मिनट। हमारा जो सेन्ट्रल इन्वैस्टमेंट है...

श्री सभापति : ऐसा है, माननीय सदस्य...

डा. एन. एस. गुर्जर : एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, मेरे सामने समय की सीमा है। अब नेशनल कांग्रेस के लिए 30 मिनट बचे हैं और आपके लिए सिर्फ साढ़े तीन घंटे बचे हैं और मुझे 25 सदस्यों को बुलाना है।

डा. एन. एस. गुर्जर : एक मिनट में खतम कर रहा हूं। आप बिराजिये। मैं एक मिनट में ही खतम कर रहा हूं। (व्यवधान)

स्पेशल पैकेज, हमारे राजस्थान को स्पेशल स्टेटस मिले, हमें इसका भी प्रयास करना चाहिए। स्पेशल पैकेल जिस तरह से बिहार को दिया गया है, उस स्पेशल पैकेज की हमको भी मांग करनी चाहिए, क्योंकि सेन्ट्रल इन्वैस्टमेंट अगर सबसे कम है तो वह राजस्थान में है। सभापति महोदय, इन शब्दों के साथ जो मुख्य मंत्रीजी ने बजट पेश किया है, मैं इनको बधाई देना चाहता हूं और इस बधाई के साथ-साथ यह भी कहना चाहूंगा, मैं चार पंक्तियों के साथ मेरी बात समाप्त करना चाहता हूं :

''सोचे थे कि जन जन के सपनों को सच में बदलकर रख देंगी,

गांव, गरीब और किसान की तकदीर को बदलकर रख देंगी

और मुझे इस बजट को देखकर ऐसा लगा कि

ये राजस्थान की तकदीर को बदलकर रख देंगी।''

सभापति महोदय, बहुत बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति : माननीय धर्मपालजी चौधरी।

श्री रामप्रताप कासनिया : सभापति महोदय, हमारी भी रक्षा। इनके बाद?

श्री सभापति : बिलकुल रखेंगे। आप चिन्ता मत करिये। बैठिये, बिराजिये।

श्री धर्मपाल चौधरी (मुण्डावर) : माननीय सभापति महोदय, आज बजट भाषण पर बहस हो रही है, पूरे राजस्थान के विकास पर चर्चा हो रही है। हमारे प्रतिपक्ष के साथी जिस तरह से सदन से वाक आउट करके गये हैं, उनको इस बजट के बारे में कहने के लिए तो कोई विषय है नहीं। क्योंकि कोई भी सरकार वादों के बाद नई बनती है तो पहले-पहले बजट में नये-नये कर थोपने की आदत रही है क्योंकि चार-साढ़े चार साल बाद चुनाव होते हैं, हर सरकार अपने लुभावने बजट पेश करती है। जो मुख्य मंत्रीजी ने इस बजट को पेश किया, उसके बाद आज इनको और कोई कहने का मौका नहीं मिला। सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे कि एक सरकारी बंगले पर पैसा खर्च हुआ, इतना उत्तेजित होकर और उस बात को लेकर सदन से वाक आउट किया है, यह बड़े शर्म की

(श्री धर्मपाल चौधरी)

बात है। हम सबको मिलकर राजस्थान के विकास की बात करनी चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, राजस्थान में पहली बार एक महिला मुख्य मंत्री बनीं। महिला मुख्य मंत्री बनने के पहले जब ये राजस्थान की हमारी पार्टी की अध्यक्ष बनकर आईं तो पूरे राजस्थान में परिवर्तन यात्रा के माध्यम से इन्होंने दौरा किया और उस परिवर्तन यात्रा में गांव-गांव और ढाणी-ढाणी में घूमकर इस राजस्थान का विकास कैसे हो और राजस्थान में कहां कहां पर क्या-क्या समस्याएं हैं, उनके बारे में जाना। जब यह बजट बनाया तो उससे पहले सभी वर्गों को चाहे औद्योगिक घराने हों, चाहे किसान हों, चाहे व्यापारी हों, चाहे सी.ए. हों, सबको बुलाकर जो बजट हम लाना चाहते हैं उसमें क्या-क्या होना चाहिए, उन सबसे बातचीत करके आज इतना अच्छा बजट दिया है कि सब इसकी प्रशंसा करते हैं। गांव-गांव, ढाणी-ढाणी में सब जगह पहले लोगों को यह था कि डीजल और पैट्रोल के दाम बढ़ेंगे, क्योंकि रोज अखबारों में आता था कि सरचार्ज लगेगा, लेकिन मुख्य मंत्रीजी ने बजट पेश किया है, उसमें उससे कुछ दाम कम ही हुए, बढ़े नहीं, इसकी आम जनता में प्रशंसा है। मुख्य मंत्रीजी ने जो बजट पेश किया है उसमें विजन डाकूमेंट के माध्यम से राजस्थान की जनता के सम्मुख जो अपनी बात को, राजस्थान के विकास को कहना चाहती हैं, उनकी बातें रखी हैं। यह 85 पृष्ठ का जो बजट है, राजस्थान के आम-अवाम की तरक्की के लिए जो बजट पेश किया है, इसकी हम भूरि-भूरि प्रशंसा करते हैं।

माननीय सभापति महोदय, मुख्य मंत्रीजी ने इस बजट में 7031 करोड़ 44 लाख की जो ऐतिहासिक योजना पेश की है, यह पहली बार हुआ है। पिछले चार साल से मैं भी इस विधान सभा में रहा था लेकिन कांग्रेस के राज में कभी भी इतनी बड़ी योजना प्रस्तुत नहीं हुई है। इस वार्षिक योजना का मुख्य बिन्दु है, जितनी बड़ी वार्षिक योजना होगी, उतना बड़ा राज्य का व्यय विभिन्न योजनाओं से गांव-गांव और गरीब किसान का हित हो। निश्चित रूप से मुख्य मंत्रीजी इस संकल्प को पूरा करेंगी, जो उन्होंने अपनी परिवर्तन यात्रा के दौरान पूरे राजस्थान की जनता के सम्मुख वादा किया था। कांग्रेस की सरकार ने पांच साल के राज के अन्दर एक ही ढिंढोरा पीटा कि हमारे पास कोई पैसा नहीं है, संसाधन नहीं हैं। सरकार को कंगाल के रूप में पेश किया और राजस्थान के मान-सम्मान को ठेस पहुंचाई। हमारी नई मुख्य मंत्री इस राजस्थान के पिछड़ेपन को खतम करके अग्रणी प्रदेशों में करना चाहती हैं, उसी को

(श्री धर्मपाल चौधरी)

लेकर यह बजट मुख्य मंत्रीजी ने पेश किया है।

यहां पर पूर्व वित्त मंत्री और राजाखेड़ा से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे कि पांच साल में हमारी सरकार ने यह किया, खुद की सरकार का व्याख्यान कर रहे थे। अपने मुंह मियां मिट्ठू बन रहे थे, हमने यह किया, हमने यह किया। उसमें कहते कहते लास्ट में उन्होंने यह कहा कि 2003-2004 के बजट के अन्दर जो हमारी योजना कम हुई, उसमें अकाल का कारण बताया है कि अकाल के कारण से हमारी योजना कम हुई। जिस तरह से फसल कम हुई, फसल कम होने पर इसको बजट के रूप में बदला। चार साल में कभी भी, या पांच साल का बजट पेश किया कांग्रेस ने, उस बजट में वह कभी खरी नहीं उतरी। राज्यपाल महोदय से जो भी अभिभाषण कराया गया प्रति वर्ष, उसमें राज्यपाल महोदय से कुछ कहलवाया। उसके बाद वास्तविकता में अगर पांच साल के बजट देखें तो इस राजस्थान की जनता के साथ अन्याय हुआ। उसका जो पैसा खर्च होना चाहिए था, वह खर्चा नहीं हुआ जिससे आज यह हालत हुई और उसी का कारण है कि आज वे सत्ता पक्ष की जगह विपक्ष में बैठने लग गये हैं, क्योंकि राजस्थान के अन्दर उन्होंने ऐसे हालात पैदा किये। यह कहते थे कि हमने अकाल के अन्दर इस राजस्थान में अच्छी व्यवस्था की। केन्द्र सरकार की टोटल मदद थी, लेकिन जो गांव के अन्दर, गांव के गरीब के पास में जो केन्द्र सरकार की मदद जानी चाहिए थी, उसको वे पूरी नहीं पहुंचा पाये। अभी तो हमारी सरकार को बने सिर्फ 7-8 महीने हुए हैं और इन 7-8 महीनों के दौरान भी 100 दिनों का हमने प्रोग्राम बनाया, उसके बाद में लोक सभा के चुनाव आ गये, इसलिए अभी तो काम करने का मौका भी नहीं मिला है। इस मौके पर आप जो सबसे पहले लांछन लगाते थे हमारी सरकार के ऊपर, यह तो आप करे हुए कर्म को ढो रहे हो, अभी तो सिर्फ उन्हीं की आदत लग रही है, इसलिए कोई भी बात कहना इनके लिए ठीक नहीं है। लेकिन फिर ये क्योंकि ये विपक्ष में बैठे हैं, कहें कैसे? इनके पास इसके अलावा कोई काम नहीं है?

जब नवीं पंचवर्षीय योजना भैरोंसिंहजी ने बनाई, वह 27650 करोड़ की बनाई। लेकिन 27650 करोड़ रुपये की योजना को इन्होंने जो तीन-चार साल राज किया, 20.000 करोड़ पर लाकर छोड़ा, यानी कोई भी योजना पूरी लागू नहीं होती है। उसका अगर पैसा जनता के बीच में खर्च नहीं होता है तो राजस्थान की जनता पर उसका

(श्री धर्मपाल चौधरी)

ज्यादा असर पड़ता है। ये कर्म इन्होंने किये।

ये अभी जिस तरह से कह रहे थे, पहले भी यह सवाल उठे थे जब शराब के ठेकों की नीलामी से पहले विधान सभा चल रही थी, तो टोडारायिसंह से आने वाले माननीय सदस्य नाथूसिंह जी गुर्जर कह रहे थे कि राजस्थान की सरकार ने अपनी जो नई पालिसी बनाई है, सरकार का बंटाधार हो जाएगा और इस सरकार की रेवेन्यू खतम हो जाएगी। लेकिन मैं बड़े बड़े गर्व से कहता हूं कि पहली बार, पांच साल के कांग्रेस के राज में तो कभी एक प्रतिशत, दो प्रतिशत से ज्यादा रेवेन्यू नहीं बढ़ा, पहली बार 22 प्रतिशत का रेवेन्यू मुख्य मंत्रीजी की नई नीति के कारण से बढ़ा। कांग्रेस की सरकार ने तो जितना भी पैसा सरकार के ऊपर लोगों का बकाया था, एक रुपये के ऊपर दस प्रतिशत पैसा लेकर उनके ब्याज को माफ किया और बकाया को माफ किया। नब्बे प्रतिशत की छूट पहली बार, इतिहास में आज तक नहीं हुई, कांग्रेस के राज में हुई। इस तरह की यह घोटालों की सरकार और आज रोज खड़े होकर कह देते हैं। अभी बड़े-बड़े दोनों तरफ से हाथ खड़े करके हमारे भाई जो सिरोही से आये हैं, कह रहे थे, हमेशा इनकी आदत रहती है। लेकिन जितने घोटाले कांग्रेस के राज में हुए, उससे बड़ा कोई इतिहास नहीं। तीन-तीन मंत्री पकड़े जा चुके हैं और आगे भी, और भी इन्होंने अपनी जितनी कारगुजारियां की हैं, हमारी सरकार उनकी जांच कर रही है और समय आने पर इनको बता दिया जाएगा कि इन्होंने क्या-क्या कर्म किये हैं, कुकर्म कर्म कह लो, इनके तो सब कुकर्म ही कुकर्म रहे हैं।

इसी तरह जब हम राज में आये तो इन्होंने जो योजना बनाई थी 2003-04 की, वह बनाई थी 4258 करोड़ की, हमारी मुख्य मंत्रीजी ने उसको बढ़ाकर किया था 5504 करोड़, लेकिन अन्त में जब वह योजना पूरी हुई तो 6044 करोड़ इसमें करके विकास के सुनहरी अवसर, रास्ते खोले और राजस्थान की जनता पर उस पैसे को खर्च किया।

अब, माननीय सभापति महोदय, किसान पूरे राजस्थान, हिन्दुस्तान के अन्दर सत्तर प्रतिशत गांवों में रहता है और आम गरीब और किसान, दोनों का मेल है। आज अगर किसान के घर में फसल पैदा होती है तो गरीब को, उसके हाथ को काम मिलता है। राज्य की मुख्य मंत्री ने पहली बार एक सबसे बड़ा काम किया फसल बीमा योजना का। हम प्रतिपक्ष में थे, देश के प्रधान मंत्री अटल बिहारी वाजपेयीजी ने इस

(श्री धर्मपाल चौधरी)

योजना को लागू किया था कि 50 प्रतिशत हिस्सा राज्य की सरकार देगी. 50 प्रतिशत हिस्सा केन्द्र की सरकार देगी। लेकिन इस फसल बीमा योजना को इन्होंने लागू नहीं किया। अगर पहले फसल बीमा योजना लागू कर देते अपने राज में, तो किसानों की जो तबाही हुई चार साल में. वह किसानों की तबाही नहीं होती। मैं मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस फसल बीमा योजना को अभी लागू किया। इस फसल बीमा योजना में जो 14 फसलों को रखा है, हम पूर्वी राजस्थान के लोग मांग करते हैं कि हमारे यहां भी दो फसलें. एक सरसों की फसल हमारे यहां सबसे ज्यादा होती है और दूसरी गेहूं की, इन दोनों फसलों को भी इसमें शामिल किया जावे। यह हमारे पूर्वी राजस्थान की मांग है।

उसके बाद किसान क्रेडिट कार्ड, किसान के लिए एक योजना देश के पूर्व प्रधान मंत्री अटल बिहारी वाजपेयीजी ने चलाई कि गांव के गरीब आदमी को सस्ती दर पर ऋण मिले, क्योंकि पहले गांवों में सेठ-साहूकार थे, डेढ़ रुपये और दो रुपये सैकड़ा के ब्याज से पैसा लेना पड़ता था। किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से सात-साढ़े सात प्रतिशत पर पैसा मिलता है, इस योजना को चलाया, लेकिन इनके समय में वह किसान क्रेडिट कार्ड भी ये नहीं दे सके। अब मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी का स्वागत करना चाहता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं कि बचे हुए जितने भी किसान हैं, अगस्त से तीन महीने का अभियान चलाकर पूरे राजस्थान में जितने भी किसान क्रेडिट कार्ड के योग्य हैं उन किसानों को क्रेडिट कार्ड दिये जायेंगे, यह भी बहुत सराहनीय काम है।

स्कूल और शिक्षा, शिक्षा के बारे में भी हमारी मुख्य मंत्रीजी ने सबसे ज्यादा सोचा। नये स्कूल खुले. स्कूल क्रमोन्नत हुए। जो नई स्कूल हैं उनमें दो-दो कमरे बनना, जो स्कूल क्रमोन्नत हुए हैं उनमें चार-चार कमरे बनना, इस तरह पूरे राजस्थान में स्कूलों में शिक्षा की योजना बनाई है। बच्चों को पढ़ने के लिए किताबें जो भैरोंसिंहजी के राज में फ्री में मिलती थीं, कांग्रेस के राज ने आते ही उसको समाप्त कर दिया था. लेकिन मुख्य मंत्रीजी ने वापस इसको लागू किया और प्रत्येक गांव में पढ़ने वाले बच्चों को अब पुस्तकें भी फ्री मिलेंगी। स्कूलों की संख्या में जो बढ़ोतरी की है, इसके लिए भी धन्यवाद है, लेकिन उच्च प्राथमिक. माध्यमिक, उच्च माध्यमिक में क्रमोन्नत स्कूलें हैं, 400 और 200 की संख्या रखी है, हम मुख्य मंत्रीजी से आग्रह करते हैं कि यह

(श्री धर्मपाल चौधरी)

संख्या कम है और इसे बढ़ाया जाना चाहिए।

अब अपने अलवर जिले की तरफ से भी एक मांग करता हूं, आपने घंटी बजा दी, बहुत लम्बे समय से हमारे यहां मत्स्य यूनीवर्सिटी की मांग है। पहली बार हमारे पूर्वी राजस्थान की मुख्य मंत्री बनी हैं। मुख्य मंत्रीजी ने झालावाड़ जिले का भी, जहां से लगातार पांच बार सांसद रहीं, विधायक रहीं, ख्याल किया है, अब हम भी चाहते हैं कि हमारे जिले का भी ख्याल करें क्योंकि वह पूर्वी राजस्थान से हैं। पूवी राजस्थान की एक बहुत बड़ी मांग बहुत लम्बे समय से है मत्स्य यूनीविसर्टी की, अजमेर में, जयपुर में, कोटा में, बीकानेर में, जोधपुर में, सब जगह दो-दो, तीन-तीन यूनीवसिर्टी बनाई हुई हैं, तो हमारे पूर्वी राजस्थान की एक बहुत लम्बे समय से जो मांग चली आ रही है मत्स्य यूनीवसिर्टी की, हम पूवी राजस्थान के सभी विधायकों की तरफ से मुख्य मंत्रीजी से आग्रह करते हैं कि आप पूर्वी राजस्थान की रहने वाली हैं, वहां की महारानी हैं, और इसलिए हमको आशा और उम्मीद है कि आप जब लास्ट में बजट भाषण पर अपना वक्तव्य देंगी तो हमको निराश नहीं करेंगी और इस मत्स्य यूनिवर्सिटी का निर्माण करेंगी।

अन्त में एक बात कहते हुए कि हमारे यहां मुख्य मंत्रीजी ने थानागाजी में एक कालेज खोला, उसके लिए तो हम बहुत धन्यवाद देते हैं लेकिन मैं अपने मुण्डावर क्षेत्र में भी, क्योंकि मेरा क्षेत्र भी काफी पिछड़ा हुआ है और बाकी जगह प्राइवेट कालेज है, वहां पर एक मुण्डावर में भी कालेज खोलने की कृपा करेंगे। अन्त में पुन: इस बजट के बारे में, मुख्य मंत्रीजी द्वारा जो पेश किया गया है...

श्री सभापति : धन्यवाद।

श्री धर्मपाल चौधरी : पूरे राजस्थान में जिस तरह की प्रशंसा है, मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं, और अन्त में मैं इसका समर्थन करता हूं। जय हिन्द, जय भारत।

श्री सभापति : माननीय श्री रामप्रताप कासनिया।

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा) : आज तो, सभापति महोदय, माइक अपने आप ही चालू हो गया है।

श्री धर्मपाल चौधरी : अपने आप हवा से चालू होता है।

श्री रामप्रताप कासनिया : माननीय सभापति महोदय, राजस्थान विधान सभा के अन्दर माननीय मुख्य मंत्रीजी ने वित्त मंत्री के रूप में जो बजट पेश किया है, मैं इसकी किन शब्दों में प्रशंसा करूं, वे शब्द मेरे पास नहीं है। प्रशंसा मुझे करने की आवश्यकता नहीं है, सभापति महोदय, गांवों में, गलियों में, कूचों में, खेतो में,ढाणियों में, सब जगह यही चर्चा हो रही है कि अब की बार जैसा बजट पेश हुआ है देश आजाद होने के बाद में पहली बार ऐसा बजट राजस्थान सरकार ने, माननीय मुख्य मंत्रीजी ने दिया है।

सभापति महोदय, मुझे इस सदन के अन्दर सेम के नाम से पुकारने लग गये, माननीय सदस्य, इसलिए कि इस समस्या को लगातार इस सदन में मैं उठाता आया हूं, परन्तु आज तक इस समस्या का कोई समाधान नहीं हुआ। सभापति महोदय, एक बार पूर्व मुख्य मंत्री माननीय शेखावत साहब ने अपने शासनकाल के अन्तिम वर्ष के अन्दर उस पर काम करवाया, बजट भी दिया और समस्या का कुछ समाधान भी हुआ, परन्तु बदकिस्मती से राजस्थान में सरकार परिवर्तित हो गई और वह स्कीम वहीं की वहीं रह गई। बदले की भावना से कांग्रेस सरकार ने उस स्कीम को रोक दिया। सभापति महोदय, माननीय मुख्य मंत्रीजी मेरी मांग को मानेंगी, कभी यह सोच ही नहीं सकते थे, इस तरह से, क्योंकि मेरी तो आदत थी, हमेशा ही मैं तो इस विधान सभा में चिल्लाता रहता था। मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी से मिला और निवेदन किया कि मुख्य मंत्री महोदय, पचासों गांव बर्बाद हो गये, न खाने का अनाज है, न पशुओं के लिए चारा है, न रहने के लिए मकान है, भयंकर समस्या है, अगर आप इस समस्या का समाधान कर दें तो लोग आपकी पूजा करेंगे। आबियाना माफ करने के लिए निवेदन किया, पी. सी. से पुख्ता आबंटन करने के लिए निवेदन किया। मुझे अचम्भा हो रहा है, माननीय सभापति महोदय, कि तीनों की तीनों बातें बजट के अन्दर सम्मिलित कर ली गईं। अब मैं किन शब्दों में आभार प्रकट करूं। जिस समस्या के लिए लगातार पिछले पन्द्रह-बीस वर्षों से लोग संघर्ष करते आ रहे हैं। सभापति महोदय, इतना ही नहीं, इस राजस्थान की विधान सभा में आज तक किसी भी मुख्य मंत्री ने काश्तकारों का दो-दो वर्ष का आबियाना माफ करने की बात नहीं की, यह पहली मुख्य मंत्री हैं जिन्होंने काश्तकारों की पीड़ा को समझते हुए आबियाना माफ किया है। यह कोई कम बात है? बहुत बड़ी बात है। आज पूरे सिंचित क्षेत्र में इसकी प्रशंसा हो रही है। पिछले पांच वर्षों में काश्तकार की हालत बहुत दयनीय थी,

(श्री रामप्रताप कासनिया)

काश्तकारों को बहुत बड़ी राहत मिली है। माननीय सभापति महोदय, इसके अलावा पुस्तकें मुफ्त देना, फसल बीमा योजना लागू करना, ये भी बहुत बड़ी बात है। पहले कांग्रेस की सरकार थी ये लोग भी कर सकते थे पर सूझ-बूझ होनी चाहिए। राजस्थान के अन्दर सरकार वो ही, बजट वो ही, खजाना वो ही है, पर दिमाग का फर्क होता है। एक गृहिणी तो एक किलो आटे से 40 रोटी पकाती है और एक 16 पकाती है, खाने वाले को ही शर्म आने लगती है, चार रोटी खाये तो एक किलो की 16 हो गयी। और चार आदमियों के लिए और जो चार बनाएंगी उसमें से दो ही आदमी खा सकेंगे दो-दो रोटी। तो मेरा कहने का भावार्थ यह है कि अपनी सूझ-बूझ और बुद्धि से राजस्थान को जिस तरह का बजट दिया है यह बहुत बड़ी उपलब्धि है। सभापति महोदय, कोई नया कर नहीं लगाया कोई नया कर नहीं थोपा। समस्त उपनिवेशन क्षेत्र के अन्दर 31 मार्च, 2004 तक काश्तकारों ने जितने भी आबंटन कराये हैं, किश्तें बाकी हैं उन पर ब्याज की छूट दी गयी है। वर्षों से लम्बित टी.सी. पट्टाधारक जो आबंटन के लिए तरस रहे थे, उनको टी.सी. से पुख्ता करके आदेश दे दिये, यह भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है।

सभापति महोदय, बिजली के मामले में मैं धन्यवाद देना चाहूंगा शिक्षा मंत्रीजी को, कल यहां अपना वक्तव्य दे रहे थे या प्रश्न का उत्तर दे रहे थे। कांग्रेस राज के अन्दर ढाणियों में कनेक्शन देने पर एक किस्म की पाबन्दी लगा दी गयी थी, 40-40, 50-50 हजार रुपये डिमाण्ड नोटिस निकलते थे। कोई भी ग्रामीण ढाणियों के अन्दर बिजली का कनेक्शन नहीं करवा सकता था। अब 1500 रुपये जमा करवाने पड़ेंगे बाकी सारा खर्चा सरकार वहन करेगी, यह भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। पिछले पांच वर्षों से लोग इंतजार कर रहे थे कि हमारी भी ढाणियों में कहीं बल्ब जलेंगे, उनकी भी एक आशा थी, सरकार की तरफ से मुख्य मंत्रीजी की तरफ उनकी आशा की पूर्ति हुई है। कृषि भूमि को अन्य कार्यों में उपयोग लेने के लिए तरह-तरह के कानून बने हुए हैं-पेट्रोल पम्प के, फैक्ट्री के या कोई और काम में ले। अलग-अलग तरह के नियम बने हुए थे, अलग-अलग रूप में चार्ज लगता था, उसमें समानता लाने की बात कही गयी है, यह भी बहुत बड़ी बात है। सभापति महोदय, बजट के बारे में तो मैं क्या कहूं, कोई भी वर्ग...

(समय समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री सभापति : दो मिनट में आप कनक्लूड करें।

श्री रामप्रताप कासनिया : सभापति महोदय, हम तो अनपढ़ आदमी हैं, डरते-डरते कभी कभी तो बोलते हैं, पर इस बोलने में भी इस तरह से टाइम की पाबन्दी।

श्री सभापति : आपका जो समय निर्धारित है...

श्री रामप्रताप कासनिया : सभापति महोदय, हमारा समय है। अभी नाथूसिंहजी दो-दो मिनट में कम से कम 45 मिनट बोल गये जबरदस्ती, तो मैं उतनी जबरदस्ती नहीं करूंगा पर आप थोड़ा गांव का ध्यान रखें।

श्री सभापति : नहीं, नहीं, जल्दी कलक्लूड करें अब।

श्री रामप्रताप कासनिया : सभापति महोदय, जो बजट के अन्दर छूट दी गयी है इससे पूरे राजस्थान की जनता संतुष्ट है, मजदूर से लेकर किसान, व्यापारी, हर वर्ग खुश है। पर, सभापति महोदय, इसके साथ-साथ कुछ बातें कांग्रेस के टाइम की, जो इनके किये हुए खोटे हमें भुगतने पड़ रहे हैं। यह जो टी.सी. आबंटन का निर्णय लिया है यह तो बहुत तारीफ के काबिल है, पर काश्तकार इस आबंटन को नहीं करवाएगा। क्यों नहीं करवाएगा? क्योंकि 1 हजार रुपये प्रति बीघा जमीन भारतीय जनता पार्टी के शासन काल में बारानी जमीन पर लगता था, इन्होंने शासन में आते ही चार हजार रुपये प्रति बीघा के हिसाब से उसकी कीमत बढ़ा दी, एक लाख रुपये प्रति मुरब्बा। सभापति महोदय, दो हजार रुपये बीघा के हिसाब से वो भूमि बिकती है उस जमीन की बात कर रहा हूं। तो, सभापति महोदय, मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि एक तो सरकार के खजाने में पैसा आएगा, लेकिन यही रेट रही तो खजाने में दो पैसे भी नहीं आएंगे, लोग आबंटन भी नहीं करवाएंगे। सच्चाई है यह। इसी तरह नहरी क्षेत्र के अन्दर इन्होंने एक लाख रुपये प्रति मुरब्बा कीमत थी जिसको बढ़ाकर चार लाख रुपये प्रति मुरब्बा कर दिया, तो काश्तकार कैसे आबंटन करवाएंगे उस भूमि को? कैसे राज के खजाने में पैसे आएंगे? फायदा एक तो काश्तकार को, दूसरा राज के खजाने में पैसे आएंगे। पैसे आएंगे तभी, सभापति महोदय, जब यह कीमत कम होगी, नहीं तो भूमि की कीमत के बराबर कोई भी काश्तकार भूमि आबंटन नहीं करवाएगा।

सभापति महोदय, इतना ही नहीं भारतीय जनता पार्टी की पूर्व सरकार ने कुछ

(श्री रामप्रताप कासनिया)

रायसिखों के परिवार थे, सरदारगढ़ पंचायत सूरतगढ़ तहसील के अन्दर पड़ती है जिसमें सवा लाख रुपये मुरब्बा के हिसाब से आबंटन किया था। कांग्रेस सरकार ने पांच लाख रुपये प्रति मुरब्बा लगा दिया और आज वो गरीब दर-दर की ठोकरें खाते फिर रहे हैं। एक-एक मुरब्बे पर 20-20, 30-30 सदस्य हैं। उसकी भी कीमत अगर कम कर दी जाए तो सरकार के खजाने में एक महीने के अन्दर करोड़ों-करोड़ों रुपये आ जाएंगे, इस बात की मैं गारंटी लेता हूं। सभापित महोदय, फसल बीमा योजना जो लागू की है इसके अन्दर गंगानगर जिले और हनुमानगढ़ जिले की मुख्य जो फसलें हैं नरमा, कपास, गेहूं और सरसों इनको भी सम्मिलित किया जाए, यह मेरा माननीय मुख्य मंत्रीजी से निवेदन है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

सभापति महोदय, एक मिनट।

श्री सभापति : माननीय अमरारामजी। समय की सीमा है, माननीय कासनिया जी साहब।

श्री रामप्रताप कासनिया : समय की सीमा हमारे पर ही आकर क्यों लागू हो जाती है?

श्री सभापति : नहीं, आपके लिए नहीं, सबके लिए है बराबर।

श्री रामप्रताप कासनिया : गांव और ग्रामीण के ऊपर इस तरह से, सभापति महोदय, उचित तो नहीं है, समय तो है ही हमारा। एक-एक आदमी एक-एक घंटा बोला है।

सभापति महोदय, फसल बीमा योजना के बारे में मैंने मांग कर ली और बिजली के बारे में छोटी-छोटी बातें हैं। गांव के अन्दर तार हवा में झूल रहे हैं, ऊंट पर बैठा हुआ आदमी बिजली पर चिपक कर मर जाए, इस तरह की अनेकों घटनाएं घटती हैं। इसमें सरकार का कोई विशेष खर्चा नहीं होता, तार खिंचवाने की व्यवस्था सरकार करे। ग्रामीण लोग सहयोग करने के लिए भी तैयार हैं।

सभापति महोदय. इसी तरह पी.डब्ल्यू.डी. के अन्दर कांग्रेस के समय जो शक्कर

(श्री रामप्रताप कासनिया)

भीजी, हमारे गांव में कहते हैं शक्कर भीजी, खेली लुक लगाना नहीं। सीधे कंक्रीट मिलाकर, आर.यू.पी. फर्स्ट और आर.यू.पी. सैकिण्ड, पता नहीं, तरह-तरह की योजना बनाकर जिन सड़कों का निर्माण कराया है वो सड़क बनने से पहले, निर्माण होने से पहले ही, जिस तरह शक्कर के अन्दर घी कम डाला जाता है तो वो शक्कर बिखरती रहती है और घी ठीक डाल दिया जाए तो शक्कर रोटी के टुकडे के साथ आप मर्जी आए उतनी ले सकते हो और घी नहीं डालें तो एक भी डली मुश्किल से टुकड़े के साथ आएगी, यह हालत सड़क की कर रखी है।

सभापति महोदय, इसके अलावा मैं एक बात और कहना चाहूंगा, कृषि भूमि के अन्य कार्यों वाली बात तो आ गयी, मोटे रूप में बजट में छूट तो सब करवाना चाहते हैं पर बजट में आय बढ़े, सरकार की इनकम बढे, इस पर कोई भी व्यक्ति विशेष तौर से ध्यान नहीं देता। इसमें हमारी जिम्मेदारी है। राजस्थान विधान सभा के तमाम सदस्य, सारे के सारे सदस्य अगर मानसिक रूप से तैयार हों और प्रशासनिक अधिकारी तैयार हों तो इस राजस्थान के अन्दर वर्तमान में जितना टैक्स लगा रखा है, चार वर्ष के अन्दर इस राजस्थान का वित्तीय घाटा पूरा हो सकता है। बशर्ते हमारी मानसिकता होनी चाहिए। कोई भी जन प्रतिनिधि चाहे कांग्रेस का हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी का हो और अधिकारी से शिकायत करे कोई टैक्स की या और कोई चोरी की, तो अधिकारी को भी इस बात का ध्यान रखना चाहिये और तुरन्त कार्यवाही होनी चाहिये। सभापति महोदय, यह नहीं होना चाहिये कि सर, दिखवाएंगे हम। वहीं बंटाधार हो जाता है, दिखवाने के नाम पर। मेरा आपके माध्यम से यह निवेदन है कि सरकार का खजाना अगर भरना है तो हमें मानसिक रूप से तैयारी करनी होगी। अभी जैसे नाथूसिंहजी गुर्जर कह रहे थे, 44 प्रतिशत छीजत बिजली में है, यह कोई कम बात नहीं है। बिजली की रेट बढ़ाने की आवश्यकता ही नहीं है। चोरी रोकना हमारी जिम्मेदारी है। हम सब जन प्रतिनिधि अगर एक राय होकर चोरी रोकना चाहें और टैक्स की वसूली कराना चाहें तो राजस्थान में चार वर्षों में वित्तीय घाटा पूरा होने की मैं गारंटी देता हूं।

श्री सभापति : माननीय अमरा रामजी।

श्री रामप्रताप कासनिया : एक अन्तिम बात और कहना चाहूंगा। काश्तकारों के बारे में यहां हमेशा ही बात होती है लाभकारी मूल्य की, सभापति महोदय, अभी तक तो फसल की लागत का भी किसी को पता नहीं है। लागत मूल्य जोड़कर उसमें लाभकारी मूल्य सम्मिलित करके मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करता हूं कि वह केन्द्र सरकार को भेजें और केन्द्र सरकार से यह मांग करें कि लाभकारी मूल्य काश्तकारों को मिलना चाहिये। लागत राजस्थान सरकार अपने हिसाब से जोड़कर केन्द्र से मांग करें। यह कोई मैं राजस्थान सरकार से मांग नहीं कर रहा हूं, यह राजस्थान सरकार के बस की बात भी नहीं है, केन्द्र सरकार की बात कर रहा हूं और मुख्य मंत्रीजी इस काम में सक्षम हैं।

श्री सभापति : माननीय अमरारामजी।

श्री रामप्रताप कासनिया : अभी जैसे पंजाब वाली बात, विधान सभा में जो कानून पास किया, प्रधान मंत्रीजी से जो बात की उसके लिये भी मैं मुख्यमंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहता हूं और इसके साथ-साथ एक चेतावनी भी पंजाब को देना चाहता हूं कि आज तो पानी रोकने की बात कर रहा है, कल को कहेंगे कि पंजाब के ऊपर से हवाई जहाज नहीं निकलना चाहिये, पंजाब में से कोई दूसरे प्रान्त की गाड़ी नहीं निकलनी चाहिये। सभापति महोदय, यह देश तोड़ने वाली बात है। इस देश को संगठित रखने की जिम्मेदारी पंजाब की है। अगर पंजाब को दिलदारी दिखानी है तो सीमा पर पहरा लगाओ, जो पाकिस्तान में पानी बह रहा है उसको रोको। हमारे साथ क्यों माथाफोड़ी कर रहे हो, हम तुम्हारे भाई हैं। पाकिस्तान में जो पानी बह रहा है उसको रोक कर दिखाएं। सभापति महोदय, आपने समय दिया उसके लिये बहुत बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति : माननीय अमरारामजी धोद।

श्री अमराराम (धोद) : माननीय सभापति महोदय, मैं बजट पर अपनी बात रखने से पहले आपसे निवेदन करना चाहूंगा. सत्ता पक्ष के सचतक महोदय यहां विराजमान हैं, कि बजट पर वाद-विवाद में जब तक प्रमुख विपक्षी दल सदन में नहीं होगा तो मैं समझता हूं, वह रोचकता नहीं रहेगी। इसलिए सत्ता पक्ष के सचेतक महोदय को इस बात का प्रयास करना चाहिये कि प्रमुख प्रतिपक्ष जो सदन से बाहर है...(व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (सरकारी मुख्य सचेतक) : हमारे संसदीय कार्य मंत्री महोदय गये हुए हैं, मैं भी प्रयत्नशील हूं, उनसे निवेदन करते हैं। यह लोकतन्त्र के हित में है, उनके हित में भी है कि सदन में चर्चा सार्थक हो। आपके कहने से मैं अभी उनसे और निवेदन करके आता हूं।

श्री अमराराम (धोद) : सभापति महोदय, जहां तक हमारे मुख्य मंत्रीजी और वित्त मंत्रीजी ने इस सरकार का पहला बजट रखा है, उसके रखने के लिये तो मैं उनको धन्यवाद पेश करता हूं। लेकिन जहां बड़े पुल बांधे जा रहे हैं कि ऐसा बजट राजस्थान की विधान सभा के इतिहास में कभी नहीं रखा गया, एक तो मेरा सत्ता पक्ष के सदस्यों से निवेदन है कि पहले जो आपके मुख्य मंत्री श्री भैरोंसिंहजी बने, क्या वह नाकारा थे? वह राजस्थान के बारे में कोई सोच नहीं रखते थे? क्या आप यह कहना चाहते हैं कि वसुन्धराजी से उनका विजन किसी भी रूप में राजस्थान के विकास के लिये नहीं था?

एक माननीय सदस्य : उनसे भी बिढ़या बजट आया है।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास : माननीय सदस्य, आपने बहुत गलत बात कही, प्रश्न यह है कि महिला मुख्य मंत्री होकर ऐसा जोरदार बजट पेश किया है। आपने भैरासिहजी की बात कैसे कर दी?

श्री महावीर प्रसाद जैन : उन्होंने जो कदम बढ़ाया, अग्रिम पंक्ति में आकर जिस प्रकार की स्थापना की है नये रूप में, वह पहले किया है।

श्री अमराराम : आप कह रहे हैं इससे पहले बिढ़या था ही नहीं, यही बढ़िया है।

श्री जोगेश्वर गर्ग : अमरारामजी, आपसे निपटने के लिये तो हमारी सूर्यकान्ताजी ही बहुत हैं। (व्यवधान)

श्री अमराराम : ...(व्यवधान) सत्ता पक्ष प्रतिपक्ष के बारे में तो यह कहे लेकिन अगर आप यह कहते हैं कि राजस्थान में इससे बढ़िया बजट...

श्री सभापति : धोद से आने वाले माननीय सदस्य, एक निवेदन कर दूं, आपके टाइम की सीमा 10 मिनट है और आप इस प्रकार ऐसी बातें करेंगे और समय जाया होगा वह आपका समय जाया होगा। इसलिए मेरा निवेदन है कि आप बजट पर बोलें।

श्री अमराराम : जाया तो वह करेंगे। मैं तो बजट पर ही बोल रहा हूं। सत्ता पक्ष क जितने भी माननीय सदस्य बोले हैं एक का भी रिकार्ड आप उठाकर देख लीजिए. एक-एक सदस्य ने कहा है कि राजस्थान में इससे बढ़िया बजट पहले कभी नहीं रखा गया। मैं समझता हूं इस बजट में कहीं भी राजस्थान के विकास की, कृषि के विकास की, उद्योग और रोजगार की बात नहीं है। शिक्षा की हालत शिक्षा मंत्रीजी के सामने है। किसी भी तरह से राजस्थान को दिखा देने के लिये कोई भी दिशा इस बजट में नहीं है। यह किसान विरोधी है, गांव विरोधी है. गरीब विरोधी है और नौजवान और विद्यार्थी विरोधी बजट है।

मैं कहना चाहता हूं कि केवल बातों से विकास नहीं होगा। हमारी मुख्य मंत्रीजी ने कहा कि पंखों से नहीं, हम हौसलों से उड़ेंगे। राजस्थान का विकास हौसलों से नहीं, योजनाओं से होगा, पैसे से होगा। राजस्थान की 78 प्रतिशत जनता जो गांवों में रहती है, जो खेती पर निर्भर है, उसकी तमाम योजनाओं में आपने प्रतिशत में इस बजट में घटाया है, अब किस तरह से आप विकास कर देंगे? केवल भावनाओं से विकास न प्रदेश का होगा, न किसान का होगा. न गरीब का होगा। हालत क्या है? कि जहां कृषि से सम्बन्धित कार्यों पर पिछली बार 1.97 प्रतिशत था. अब की बार है 12 प्रतिशत 1 पिछली बार प्रतिशत था 15.14. अब का बार है उससे कम। इसी तरह से विशेष कार्यक्रम कृषि पर 0.72 प्रतिशत, अब की बार 0.58 प्रतिशत। सिंचाइ में हम पानी का उपयोग करेंगे, 56 साल में नहीं किया. लेकिन पिछले बजट से भी इस बजट में प्रतिशत के हिसाब से कम है। पिछले बजट में था 33.35, अब की बार है 30.76 । मतलब राजस्थान के किसान का विकास हम किस तरह से करना चाहते हैं? बजट में एलोकेशन कम है, उसका प्रतिशत कम है। किसान को सिंचाई का साधन हो. ग्रामीण विकास हो, उसमें बजट तो कम है और हम विकास की ज्यादा बात कर रहे हैं। तमाम सरकारों ने एक ही काम किया है वह है राजस्थान में कर्जा करने का। निश्चित रूप से कर्जा लिया जाए, इस बात के कोई खिलाफ नहीं है लेकिन जो कर्जा लिया जाए उसको उत्पादन में लगाया जाए, सिंचाई की परियोजनाओं पर लगाया जाए बिजली के उत्पादन पर लगाया जाए। ऐसे उत्पादन कार्यों पर लगाया जाए...

श्री जोगेश्वर गर्ग : पिछले बजट में जो भ्रष्टाचार किया वह बच जाएगा इस बार।

श्री अमराराम (धोद) : आपने उससे ज्यादा भ्रष्टाचार किया है। भ्रष्टाचार की फैक्ट्री लगा रखी है। (व्यवधान) 1998 में 24169 करोड़ था, अब 2003-04 में है 53509 करोड़। यही रफ्तार रहेगी तो पांच साल के बाद जब यह सरकार आखिरी बजट रखेगी तो शायद 75 हजार करोड़ के पास पहुंच जाएगा। सभापति महोदय, मेरा निवेदन यह है कि राजस्थान कैनाल जिसमें 2800 करोड़ रुपया लगा है, वह पैसा अगर हम लोन पर लेते हैं तो निश्चित रूप से जहां 10 हजार करोड़ से ज्यादा हर साल फसल पैदा होती है...(व्यवधान) उससे 10 हजार करोड़ का सालाना उत्पादन होता है, मैं समझता हूं दो साल में ही उससे ज्यादा राजस्थान की सरकार को उसका पुनर्भरण हो जाता है लेकिन यह जो हजारों करोड़ रुपया लिया गया है, आज हम उस बात पर विचार कर रहे हैं कि वह पुनर्निर्माण पर नहीं होकर केवल हम उड़ाये जा रहे हैं। यह सबसे भयंकर काम है।

जहां किसान की बात कर रहे हैं, मैं कहना चाहूंगा, जिन नीतियों का उल्लेख किया है उनसे राजस्थान का और देश का चाहे वह उद्योग हो, चाहे वह कृषि हो, रोजगार की सबसे भयंकर समस्या आई है। यानि उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की नीतियां, वित्त मंत्री के रूप में कहा है कि इन नीतियों को आगे बढ़ाएंगे, ये नीतियां हैं जिन्होंने राजस्थान के कृषि के उत्पादन को गिराया है। राजस्थान के उद्योग के उत्पादन को गिराया है। राजस्थान में बेरोजगारी बढ़ाने का काम किया है। यही वे नीतियां हैं जो राजस्थान को और समस्याओं की ओर ले जाने का काम करेंगी। चाहे आप कृषि के उत्पादन में ले लें, तमाम लगातार इन नीतियों का नतीजा है कि हमारा कृषि का उत्पादन लगातार गिरता जा रहा है। जहां 1997-98 में खाद्यान्न फसलों का उत्पादन 224.22 था, 2002-03 में 110.27 हो गया है। इसी प्रकार टोटल जो उत्पादन कृषि का है 267.27 था, वह 2002-03 में मात्र 133.42 रहा है। लगातार इन नीतियों का नतीजा है। किसान को मिलने वाली सहायता चाहे वह बिजली में है, चाहे खाद में है, चाहे सिंचाई में है, तमाम चीजों को समाप्त करने का काम किया है और यहां बड़ी घोषणाएं की गयी हैं कि हम किसान की तमाम पैदावार को खरीदने का काम करेंगे। अभी प्याज खरीदने का भी बड़ा एलान किया गया है, क्या हालत है? एलान केवल एलान रहा। सीकर और नागौर का...

श्री सुरेन्द्रपाल सिंह टीटी : हमारे तो नहीं है।

श्री अमराराम (धोद) : सरदारजी, आपके तो प्याज होता ही नहीं है, यहां से ले जाते हो, क्या बात है। नागौर से आने वालों से पूछो, सीकर से आने वाले माननीय सदस्य कह दें। जहां अकेली सीकर की मण्डी में 5 सौ क्विंटल से लेकर 7 सौ क्विंटल रोज आता था, आपने मात्र, शायद सौ क्विंटल प्याज खरीदा है।

श्री सुरेन्द्रपाल सिंह टीटी : लेकिन उसके बाद, एक बात सुनें, जब से हमने खरीद शुरू की तो रेट कितनी बढ़ी? आज देख लिया, रेट कितने बढ़ गये?

(15.41 बजे)

(डा. एन. एस. गुर्जर, सभापति पदासीन)

श्री अमराराम (धोद) : सरदारजी, आप क्यों तकलीफ कर रहे हो, मंत्रीजी बैठे हैं। नागौर में आज भी 50 प्रतिशत प्याज किसान के पास पडा हुआ है। 280 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से आपने भाव तय किया था। यह बहुत बड़ा, राजस्थान के फायदे का काम हो सकता है। जहां क्राप पैटर्न बदलने की बात कर रहे हैं, राजस्थान का किसान अपनी मेहनत से क्राप पैटर्न को बदल रहा है। जो बाहर भेजने का काम करें, हम खरीदने का काम करें तो राजस्थान की खुशहाली, न केवल किसान की बल्कि राजस्थान खुद की आर्थिक हालत बदल सकती है। लेकिन जो भी किसान अपनी मेहनत से क्राप पैटर्न बदलकर राजस्थान का विकास करना चाहे, अपना विकास करना चाहे, सरकार मदद करने की बजाय उसको हतोत्साहित करने का काम करती है। जहां 7 सौ क्विंटल रोज आए, हजारों क्विटल रोज आए, वहां पूरी आपकी खरीद में 15 दिन में केवल सौ क्विंटल आया। पूरा आप बता दें जब उत्तर दें, कितना खरीदा गया। बाजरा खरीदने की यही हालत है। न केवल खरीदने में, जब तक उसको हम पैदावार में मदद नहीं करेंगे, उसने जो पैदा किया उसको उचित कीमत नहीं मिलेगी तो राजस्थान की वही हालत होगी जो आन्ध्र-प्रदेश, कर्नाटक और पंजाब में किसान आज आत्म-हत्या के लिये मजबूर हो रहा है। राजस्थान में भी ये घटनाएं शुरू हो गयीं। राजस्थान के बजट में हम वाहवाही लूटते रहें, कुछ जगह के लिये हम घोषणाएं करते रहें तो मैं समझता हूं कि इससे कोई लम्बा-चौड़ा फायदा नहीं होने वाला है।

आबियाना, 4 जिलों का आबियाना हमने माफ कर दिया, लेकिन पूरे राजस्थान का किसान जो आम उपभोक्ता है बिजली का, उस पर हमने 130 करोड़ का सरचार्ज

(श्री अमराराम (धोद)

बढ़ाकर उसको लूटने का काम कर लिया। हम खरीदने के लिये तैयार नहीं। और सबसे अफसोसजनक तो यह हालत है, क्या हालत है हमारे कृषि विभाग की. हमारे कृषि इंजीनियरों की और हमारी सरकार की कि राजस्थान इस देश में सबसे ज्यादा बाजरा पैदा करने वाला है और हमारे राजस्थान में आज तक हम बाजरे का बीज पैदा नहीं कर पाये। हजारों करोड़ों रुपया हर 5 साल में बीज के रूप में हमें दूसरे राज्यों को पेमेंट करना पड़ता है. आंध्र का हो चाहे तमिलनाडु का हो। राजस्थान का एक क्विंटल बीज भी हम पैदा नहीं कर पाये। मैंने कृषि विभाग के अधिकारियों से चर्चा की, कहा कि हमारे यहां बाजरा पैदा होता है इसलिये 500 मीटर की दूरी में बाजरा..., गंगानगर, हनुमानगढ़ और बीकानेर में तो बाजरा पैदा ही नहीं होता, क्या वहां बाजरे का बीज पैदा नहीं किया जा सकता है? हजारों करोड़ रुपयों का फायदा राजस्थान को मिल सकता है। तमिलनाडु और आन्ध्र बाजरे का बीज पैदा कर सकते हैं, लेकिन राजस्थान की हमारी सरकार आज तक इस बात के लिये चिन्तित नहीं है। केवल कुछ घोषणाएं कर दीं, इससे न राजस्थान के किसान का विकास होगा, न राजस्थान का विकास होगा। मैं समझता हूं, यह सबसे बड़ी समस्या है।

आज हमारी सार्वजनिक वितरण प्रणाली, राजस्थान का 30 प्रतिशत, मैं धन्यवाद देता हूं मुख्य मंत्रीजी को, राजस्थान का सबसे पिछड़ा हुआ शाहबाद और कोटड़ा इलाका, उन गरीबों के लिये दो रुपये किलो से आपने प्रोविजन किया, इसके लिये तो धन्यवाद। लेकिन क्या शाहबाद और कोटड़ा के अलावा राजस्थान में 30-35 प्रतिशत गरीब जो गांव में रहता है, जो शहर में रहता है, पिछली सरकारों की नीतियों के चलते हुए पूरी राशन-व्यवस्था को समाप्त कर दिया, कि केवल जो चयनित हैं उनको राशन मिलेगा, बाकी राशन से गायब, उसको कोई राशन नहीं मिलेगा, क्या हमारा दायित्व नहीं है? हमने केवल 10 किलो का एक टोकन सरपंच के हवाले कर दिया। हम खैरात दे रहे हैं? क्यों उस गरीब को हम इस तरह का बना रहे हैं कि वह 10 किलो का एक टोकन सरपंच से लेने के पहले मरने की स्थिति में आए, अपने घर में एक दाना नहीं होने की स्थिति में आए? क्यों नहीं हम...

श्री सभापति : समाप्त करें, प्लीज, समाप्त करें। 10 मिनट से बहुत ज्यादा हो गया। माननीय स्पीकर महोदय ने व्यवस्था दी है 10 मिनट तक बोलने की।

श्री अमराराम (धोद) : बस, उतना ही बोलूंगा जितना आप बोले थे, बाकी ज्यादा नहीं।

श्री सभापति : आपके दल का इतना समय नहीं है, इसलिये आप कृपया समाप्त करिये।

श्री अमराराम (धोद) : कोशिश करूंगा। सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि राजस्थान के उस गरीब का हम बजट में कितना, सबसे बड़ी दिक्कत है उस गरीब को हम काम नहीं दे सकते तो कम से कम राशन देना हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य है। हमने टैक्स नहीं लगाया, टैक्स की छूट दी है। मेरा कहना है कि जो सरकार से नियंत्रित चीजें हैं-सिलिण्डर है, डीजल है, पैट्रोल है, बाकी जितनी भी आपने टैक्स में छूट दी है, निश्चित रूप से उन व्यापारियों को उस छूट का लाभ होगा। उपभोक्ताओं को किसी भी चीज में टैक्स में जो रियायतें दी हैं, एक नये पैसे का फायदा भी राजस्थान की 5 करोड़ जनता को नहीं होगा, फायदा केवल उन व्यापारियों को होगा। सेल्स टैक्स में जो भी छूट दी गयी है उसका फायदा आम जनता को नहीं मिलता, केवल व्यापारी तक को मिलकर रह जाता है। इसलिये मेरा आपसे निवेदन है, हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य है कि हम गरीबों तक निश्चित रूप से काम करने का काम करें कि उस गरीब को हम क्या रियायत पहुंचा सकते हैं। राशन व्यवस्था के नाम बजट घटाया है, पिछले 5 साल में बिलकुल समाप्त हो गया। क्या हमारी सरकार यह इंतजार कर रही है कि कोटड़ा और शाहबाद में जिस तरह से 12-12 बच्चे, स्वासगांव में मौत के घाट उतर गये, राजस्थान के बाकी हिस्से में भी उस तरह से हो और फिर हम इस बात को चालू करना चाहें? सभापति महोदय, सरकार की नीयत चाहे वह शिक्षा है, चाहे स्वास्थ्य है, दोनों में क्या हालत हैं? कभी हमारे शिक्षा मंत्रीजी घोषणा कर रहे थे, सरकारी स्कूल में आएगा उसको हम सबको एडमिशन देंगे, तो कालेज में क्यों नहीं देना चाहते? 67 प्रतिशत प्राप्तांक लेने वाले महाविद्यालयों के चारों और चक्कर लगा रहे हैं। एक तरफ तो शिक्षा को आप बढ़ाना चाहते हैं और कोशिश यह है, दूसरी तरफ पूरे राजस्थान के विद्यालय, आज सुबह ही एक प्रश्न में माननीय सदस्य नागर साहब कह रहे थे कि हमारे विधान सभा क्षेत्र में तमाम खाली हैं। किस विद्यालय में अध्यापक नहीं होगा, गरीब से गरीब आदमी भी अपने बच्चे को किस तरह से उस स्कूल में भेजेगा? पिछले 5 साल से और लगातार 6 महीने के बाद भी सरकार की कोशिश यह है कि जो विद्यार्थी पढ़ने के लिये आते हैं, जो परिवार सक्षम हैं, सरकारी

स्कूल में अध्यापक नहीं होगा और वह बच्चा अपने आप निजी विद्यालय में लुटने के लिये चला जाएगा। आज प्रोत्साहन दे रहे हैं. लेकिन जितने भी ग्रामीण स्वास्थ्य केन्द्र हैं, तमाम पोस्टें खाली मिलेंगी, तमाम ग्रामीण विद्यालयों में पोस्टें खाली मिलेंगी। वहीं निजी विद्यालय में 50 से सौ गुणा फीस है, क्या हालत है?

श्री मदन दिलावर : पीछे वालों से पूछो।

श्री अमराराम (धोद) : अब तो आपके पास है, पीछे वाले तो गये। जहां बेरोजगारी की भयंकर समस्या है। (व्यवधान) पीछे नहीं आगे. आप नारे देकर आये हैं।

नयी नौकरी देने की तो बात अलग है, सभापति महोदय, पैरा-टीचर, शिक्षा सहयोगी. शिक्षाकर्मी. आपकी वसुन्धराजी राजस्थान में परिवर्तन यात्रा में एक-एक विधान सभा क्षेत्र में घूमकर कह रही थीं, इन्होंने 12 सौ रुपये में रखा है, मेरी सरकार आयी तो थर्ड ग्रेड टीचर आपको पहले दिन बना दूंगी। क्या बना दिया आपने हम समाप्त कर देंगे, पैरा नाम की चीज नहीं रहेगी। पैरा टीचर. पैरा नर्सिंग स्टाफ, पैरा कम्पाउण्डर, आज की तारीख में भी हैं। क्यों नहीं आप उनको परमानेंट कर देते? नौकरी देने का कहीं काम नहीं, जो लगे हुए हैं उनको परमानेंट, उनको पूरा वजीफा दिलाने के लिये तैयार नहीं। पूरी की पूरी जिस तरह से आपने...(व्यवधान) इसलिये मेरा तो, सभापति महोदय, एक ही निवेदन है कि राजस्थान एक ही काम में आगे बढ़ रहा है। यह ऐसा ही बजट है। जनसंख्या वृद्धि में हमारा नम्बर सबसे आगे है। मृत्यु दर में हम सबसे आगे हैं, क्योंकि आज भी राजस्थान की ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं हैं, 80 परसेंट स्वास्थ्य सेवाओं में कोई भी मेडिकल स्टाफ गांव में नहीं रहता है। लाख कोशिश करो।

श्री सभापति : कृपया समाप्त करें। बहुत समय ले लिया।

श्री अमराराम (धोद) : इसलिए मेरा तो आपसे निवेदन है कि गांव की जो 80 परसेंट जनता है, चाहे वह कृषि के लिए है, स्वास्थ्य के लिए है, शिक्षा के लिए है, वह तरस रही है और हम केवल वाहवाही ले रहे हैं। 80 परसेंट, 75-76 परसेंट गांव की जनता, दस हजार से ज्यादा गांव आज 56 साल के बाद भी फ्लोराइडयुक्त पानी पी रहे हैं। जयपुर की तो हमको सबको चिन्ता है, निश्चित रूप से होनी चाहिए, उसके

(श्री अमराराम (धोद)

लिए 1100 करोड़ के लिए हम सब धन्यवाद दे रहे हैं, लेकिन राजस्थान के दस हजार गांवों में बैठा हुआ गांव का किसान और गरीब, उसने क्या गुनाह किया है, जो 56 साल बाद आज भी वह फ्लोराइडयुक्त पानी पीने के लिए मजबूर है और उसके लिए हमारी चिन्ता नहीं है? न गांव के लिए चिन्ता है, न बेरोजगार के लिए चिन्ता है। मैं समझता हूं कि यह बजट केवल मात्र शब्द-जाल है जिसमें राजस्थान के विकास की दिशा नहीं है इसलिए मैं इसका विरोध करता हूं और आग्रह करता हूं कि राजस्थान के किसान और आम जनता के लिए सोचने का काम करें, जिससे राजस्थान का विकास हो सके, राजस्थान आगे बढ़ सके। आपने समय दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति : धन्यवाद।

स्पष्टीकरण

मुख्य मंत्री आवास पर हुआ परिवर्तन परिवर्द्धन व्यय

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री) : माननीय सभापति महोदय, पाइंट आफ क्लैरीफिकेशन।

माननीय सभापति महोदय, सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य जब अपनी बात सदन को कह रहे थे, 8, सिविल लाइन्स, मुख्य मंत्री आवास की साज-सज्जा और परिवर्तन/परिवर्द्धन के बारे में इन्होंने यह कहा कि करोड़ों रुपये खर्च हो गये। चूंकि जो विभाग वहां परिवर्तन/परिवर्द्धन करता है, उसका प्रभार मेरे पास है इसलिए मैं चाहूंगा कि रिकार्ड पर दुरुस्त सारी चीज हो जाए और जो तथ्य वास्तविकता लिये हुए हैं वे आपके सामने आ जाएं। (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी : यह भी बता दें कि जी.ए.डी. एक्सपेंडिचर कितना है? पी. डब्ल्यू.डी. मंत्री की हैसियत से आप जवाब दे रहे हैं या जी.ए.डी. मिनिस्टर के हिसाब से जवाब दे रहे हैं? दोनों चीजों को क्लीयर कर लें। Expenditure should include the expenditure by P.W.D. and the expenditure by G.A.D., ये दोनों चीजों को बताकर फिर बोलिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : माननीय सभापति महोदय. मैं निवेदन कर रहा था कि पिछले छह महीने में इस 8. सिविल लाइन्स पर दो स्वीकृतियां जारी सामान्य प्रशासन से हमें प्राप्त हुई हैं। मैं उनकी जो तिथि है वह भी और जो स्वीकृतियां जारी हुई हैं उनके क्रमांक भी निवेदन करना चाहूंगा। क्रमांक: प:(19)(2)स./17-4/95. दिनांक 5.4.2004, विभिन्न कार्या हेतु 17 लाख 11 हजार रुपये। और उसके बाद दूसरी स्वीकृति जारी हुई है, क्रमांक प.19(1) 17-4/2004, दिनांक 16.4.2004, 24 लाख 40 हजार की। कुल 41 लाख 51 हजार की स्वीकृतियां जारी हुई हैं। माननीय सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि दिनांक 20.5.1999 से लेकर 5.8.2003 तक इसी आवास में तत्कालीन मुख्य मंत्री जब उसमें निवास करते थे तब 55 लाख 04 हजार रुपये इसके परिवर्तन और परिवर्द्धन के लिए खर्च हुए। इसके अलावा, माननीय सभापति महोदय, दिनांक 14.5.1990 से लेकर 2.8.1997 तक जब आज के महामहिम उप राष्ट्रपति निवास किया करते थे तब 28 लाख 23 हजार रुपये की स्वीकृति जारी हुई। इसलिए मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहूंगा कि तथ्यों को लेकर आएं। जो मैंने तथ्य रखे हैं वे बिलकुल वास्तविकता लिये हुए हैं, इसलिए अब इस विषय पर और आगे वाद-विवाद नहीं हो।

डा. सी. पी. जोशी : माननीय सभापति महोदय, माननीय मंत्रीजी, आपने जो दोनों कोट किये हैं वे 2004 के हैं। (व्यवधान) सुनिये, ऐसे नहीं। आपने दोनों जो चीज कोट की हैं वह 2004 की सैंक्शन है। सरकार दिसम्बर में बन गयी थी, दिसम्बर से लगाकर मार्च, 2004 का फिगर आपने नहीं दिया है। आप जो दोनों चीज कोट कर रहे हैं, वह 2004 का परिपत्र कोट कर रहे हैं इसलिए आप पुन: सदन के सामने यह बताएं कि आपकी सरकार बनी है दिसम्बर, 2003 में, दिसम्बर, 2003 से...(व्यवधान) यह परिपत्र जो 2004 का आपने दिया है, उसके बीच में कितना खर्च हुआ, यह भी बता दीजिए?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : माननीय सभापति महोदय, मैंने जो तथ्य सदन के सामने रखे हैं, पिछले छह महीनों में जो स्वीकृतियां जारी हुई हैं, स्वीकृतियां जारी होने के बाद काम चलता रहता है, यह जो स्वीकृतियां जारी हुई हैं, इनके अलावा कोई स्वीकृति जारी नहीं हुई। (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी : नहीं, नहीं, यह नहीं है, राजेन्द्रजी। आप पी.डब्ल्यू.डी. मिनिस्टर हो, आप माफ करिये...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : और यह कहना कि मुख्य मंत्री के आवास पर करोड़ों रुपये खर्च हो गये, यह सदन के माध्यम से राजस्थान की जनता को गुमराह करने की बात है।

डा. सी. पी. जोशी : माननीय सभापति महोदय, माफ करिये। जब माननीय मंत्रीजी जवाब दे रहे हैं तो पूरा जवाब दें, अधूरा जवाब नहीं चलेगा। दोनों जो सदन में आपने बातें रखी हैं, आपने रखा है कि पिछले पांच साल में तत्कालीन मुख्य मंत्री ने 55 लाख रुपये खर्च किये, आपने स्वयं ने कह दिया, बहुत अच्छी बात है। जो अभी हमारी नयी मुख्य मंत्री आई हैं, उनके तो दोनों ही परिपत्र आपने दिये हैं, वे परिपत्र दिये हैं 2004 के। मैं फिर आपको प्रश्न पूछ रहा हूं कि दिसम्बर से लगाकर 2004 के पहले तक आपने जो पैसा खर्च किया है, उसका आपने...(व्यवधान) यह भाषण से काम नहीं चलेगा। पत्र रखिये। भाषण नहीं चाहिए, परिपत्र चाहिए। माननीय सभापति महोदय, परिपत्र रखने पड़ेंगे। यहां पर ऐसे काम नहीं चलेगा। सदन को गुमराह करने की आवश्यकता नहीं है।

श्री ओम बिरला : सदन के पटल पर एक करोड़ का आरोप माननीय सदस्य ने लगाया था जिसका उत्तर माननीय मंत्री महोदय ने दे दिया तो आपके पास जवाब नहीं है। एक करोड़ रुपये का आरोप अभी माननीय सदस्य ने लगाया था, मंत्रीजी ने जवाब दे दिया तो इनके पास उत्तर नहीं है।

डा. सी. पी. जोशी : माननीय सभापति महोदय, सदन के सामने फैक्ट्स लाने पड़ेंगे। यहां सदन में आधी-अधूरी बात करें और हम...(व्यवधान) अपने पत्र की बात कर ली, फिर ऐसे काम नहीं चलेगा। 2004 तक के बताइये। आपके पास रिकार्ड ही नहीं है। आपके पास जो कागज हैं वे यहां बता रह हैं, यह दिसम्बर से लगाकर 2004 तक जो दूसरा बजट था उसमें पैसा कितना खर्च हुआ, उसका आप हिसाब दीजिए?

श्री सभापति : बता रहे हैं। बता रहे हैं वह आप बिराजिये, वह बता रहे हैं। आप बिराजिए, वह बता रहे हैं। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : माननीय सभापति महोदय, निश्चित तौर पर मैं एक-एक चीज का आंकड़ा प्रस्तुत करने लगूं तो सदन का समय भी जाया होगा...(व्यवधान)

श्री सी. पी. जोशी : सभापति महोदय, जो कागज दिया वह लेकर रख दिया सदन के अन्दर। (व्यवधान) आपको सदन को इस बारे में हिसाब देना पड़ेगा। यह राजस्थान का सदन है, हमें अधिकार है।

श्री ओम बिरला : माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने कहा था कि एक करोड़ रुपये खर्च हुए, माननीय मंत्रीजी ने जवाब दिया तो इनके पास जवाब नहीं है।

डा. सी. पी. जोशी : आपने खड़े होकर बात की है। आपने खड़े होकर स्वयं बात की है, हमने आपसे बात नहीं की है। हमने आपसे मांग नहीं की है, आपने खड़े होकर खुद कहा है। हमने आपसे मांग नहीं की है।

श्री संयम लोढ़ा : राजस्थान की गरीब जनता के पैसे से साढ़े चार लाख रुपये का टी.वी. लगाया है, साढ़े चार लाख का। (व्यवधान)

श्री ओम बिरला : आपने कहा कि एक करोड़ रुपया खर्च किया, मंत्रीजी ने जवाब भी दे दिया है। एक करोड़ रुपया खर्च नहीं हुआ है, माननीय मंत्रीजी ने सदन के पटल पर बात रख दी है। (व्यवधान)

श्री सभापति : आप बिराजिये। आसन पैरों पर है। आप बैठिये। एक मिनट आप बैठिये।

श्री ओम बिरला : इसका उत्तर आपके पास नहीं है।

श्री सभापति : देखिये, आपने एक मामला उठाया, उस पर इन्होंने इंटरवीन करके एक जानकारी दी। पहले सुन लीजिए, मेरी व्यवस्था सुन लीजिए। मैं चाहता हूं...आप और जानकारी चाहते हैं...(व्यवधान) एब्रप्टली यह मामला अभी आपने डिबेट में उठाया है, मैं चाहता हूं कि किसी और माध्यम आप पूरी जानकारी चाहते हैं तो आप नोटिस दीजिए। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : आप सरकार को निर्देश दीजिए।

श्री ओम बिरला : माननीय सभापति महोदय, आप नोटिस दीजिए, हम सदन के पटल पर बहस करने को तैयार हैं। विशेष उल्लेख का उठाकर सदन के पटल पर बहस हो सकती है लेकिन...(व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी : माननीय सभापति महोदय, हमने माननीय मंत्री महोदय से कोई मांग नहीं की थी, माननीय मंत्री महोदय ने खुद सुओ मोटो ये बातें कही हैं। हमने मांग नहीं की है। हमने आपसे कोई मांग नहीं की थी। हमने आपसे कोई मांग नहीं की थी, आपने सुओ मोटो यह बात उठायी है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : माननीय सभापति महोदय, मैंने सिर्फ पाइंट आफ क्लैरिफिकेशन...(व्यवधान)

श्री ओम बिरला : आपने आरोप लगाये हैं।

श्री सभापति : मंत्रीजी बोल रहे हैं। माननीय मंत्रीजी बोल रहे हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : सभापति महोदय, मैं इस विषय पर कोई वाद-विवाद खड़ा नहीं करना चाहता, यह कोई बहस का मुद्दा भी नहीं है। पर चूंकि रिकार्ड पर एक बात चली गयी कि मुख्य मंत्रीजी के आवास पर करोड़ो रुपये खर्च हो गये, इसलिए जिस विभाग का मैं मंत्री हूं उस विभाग के अधिकारियों से मैंने जानकारी प्राप्त की है कि कितने-कितने रुपये किस-किस समय में खर्च हुए। वह जानकारी मैंने आज सदन के सम्मुख प्रस्तुत की है और मैं समझता हूं कि...(व्यवधान) मेरा निवेदन यह है, माननीय जोशी साहब, यह वाद-विवाद की बात नहीं है। एक बात थी, कुछ जानकारी उधर से दी थी। मेरे पास जो जानकारी थी वह मैंने प्रस्तुत कर दी। (व्यवधान)

श्री सभापति : अब इस पर कोई विवाद नहीं करें। अब कोई विवाद नहीं है इस पर। इस पर विवाद नहीं, प्लीज, अब विवाद नहीं इस पर। आप क्या बोलना चाहते हैं? इस पर विवाद नहीं है, समाप्त हो गया मामला।

श्री ओम बिरला : विवाद समाप्त हो गया।

श्री सभापति : आप क्या बोलना चाहते हैं?

श्री रामसिंह विश्नोई : इनको बोलने की जरूरत क्या पड़ी थी? यह जवाब देने की किसने मांग की थी? माननीय सदस्य ने अपनी बात कही. उसके बाद आप अगर क्लीयर करना चाहते हैं तो आप पूरी बात बताइये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : नहीं. मैंने तो रिकार्ड दुरुस्त करने के लिए कहा है।

श्री रामसिंह विश्नोई : आप पूरी बात बताइये।

श्री ओम बिरला : यह आरोप लगाया था इन्होंने। माननीय सदस्य ने कहा था यह और यह आरोप लगाया था सदन के अन्दर कि एक करोड़ रुपया, रिकार्ड पर आया है, और जब माननीय मंत्रीजी ने जवाब दे दिया तो उसका कोई जवाब आपके पास नहीं है। एक करोड़ का आरोप लगाया था इन्होंने। हमें चुनौती दी थी। (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय मोहम्मद माहिर आजाद।

श्री धर्मपाल चौधरी : टी.वी. और अखबारों में छपने के लिए कहा है। इनसे कोई डरने वाली बात नहीं है। जितना खर्च अशोक गहलोत के राज में हुआ, उतना हो नहीं सकता। 5-5 करोड़ रुपये आपने सम्मेलन में खर्च किये हुए हैं और आज मुख्य मंत्री के बंगले पर पैसे लगा दिये तो...(व्यवधान) बैठ जाओ तो आपके हिसाब से बैठेंगे क्या? ऐसे करते हैं। (व्यवधान)

श्री जीतराम (मालपुरा) : (व्यवधान) जब ट्यूर में आयी थीं 2000 में मालपुरा में, उस वक्त कितना खर्च किया, यह पी.डब्ल्यू.डी. मंत्रीजी, बताइये? यह भी बताइये कि 2000 में सोनियाजी गांधी आयी थीं मालपुरा में, कितना खर्च हुआ? 2000 में आयीं थीं मालपुरा में, कितना खर्च हुआ? 2000 में आयी थीं मालपुरा में, आपको ध्यान होगा?

श्री सभापति : माननीय सदस्य, अब समाप्त हो गया। आसन पैरों पर है।

श्री ओम बिरला : आपके मंत्रियों ने अपने निजी निवास पर भी लगाये हैं।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आसन पैरों पर है।

श्री जीतराम : दो-दो तीन-तीन, एयरकंडीशनर लगाये गये।

श्री सभापति : क्यों बार-बार बोल रहे हैं यह?

श्री जीतराम : 2000 में आयी थीं, तब बताइये।

श्री जोगेश्वर गर्ग : तब आप लूटकर खा गये राजस्थान को सारा। यह तो एक बंगले का हिसाब है, सारे बंगलों का पांच साल का हिसाब कितना होता है, यह भी बताइये आप? (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य।

(16.00 बजे)

श्री घनश्याम तिवाड़ी : माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे एक विनम्र निवेदन कर रहा हूं कि विषय एक बार समाप्त हो गया। एक माननीय सदस्य ने प्रश्न उठाया और उस विभाग के माननीय मंत्रीजी ने थोड़ा-बहुत, कुछ स्पष्टीकरण बीच में देते रहते हैं। एक मिनट सुन लो, भाई, मैं छोटा-सा निवेदन कर रहा हूं। सभापति महोदय 8, मुख्य मंत्री निवास जो हैं उसमें किस-किस मुख्य मंत्री ने कितना खर्चा किया, हमको थोड़ा बहुत उन पूर्व मुख्य मंत्रियों का भी सम्मान करना चाहिये। मैं यह कहना चाहता हूं कि वह केवल मुख्य मंत्रीजी का सरकारी निवास ही नहीं है। विदेश के बहुत से लोग आते हैं। मुख्य मंत्रीजी से मिलते है और भी बहुत-से काम होते हैं। वह सरकारी निवास है इसलिए उसकी गरिमा अपन इसी प्रकार से बनाएं और सदन में इस पर विवाद करके समय खराब नहीं करें। मैं आप लोगों से अपील करता हूं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : थैंक्यू। थैंक्यू।

डा. सी. पी. जोशी : हम आपकी बात से सहमत हैं परन्तु सदन के सामने सही बात रखें। मुख्य मंत्रीजी का स्टेटस बढ़े, हमें कोई तकलीफ नहीं है। हमें कोई तकलीफ थोड़े ही है इसमें, लेकिन सदन के सामने यह बात तो रखें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : थैंक्यू। धन्यवाद। धन्यवाद। (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय माहिर आजाद। प्लीज स्टाप यू। (व्यवधान)

आय-व्ययक पर सामान्य वाद-विवाद

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर) : मैं, सभापति महोदय, लूणी से आने वाले माननीय सदस्य ने जो बात कही थी, माननीय पी.डब्ल्यू.डी. मिनिस्टर साहब ने अप्रैल के नये बजट के आंकड़े दे दिये लेकिन नाथद्वारा से आने वाले सदस्य ने जो बात कही थी कि दिसम्बर से लेकर 31 मार्च तक के चार महीनों में भी तो कोई व्यय हुआ होगा, उसको आपने क्यों नहीं बताया?

श्री सभापति : आप बजट पर बोलें. बजट पर, प्लीज।

मोहम्मद माहिर आजाद : आपको जो चीज अच्छी लगी वह बता दी आपने। (व्यवधान)

श्री सभापति : आप बैठिये न, मैं डील कर रहा हूं। मैं डील कर रहा हूं। प्लीज, माननीय सदस्य, आप बजट पर बोलिये। मैं आपको केवल बजट पर अलाउ कर रहा हूं, और चीज पर नहीं। बजट पर बोलिये। हां, बोलें। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : यह बजट का ही मामला चल रहा है। माननीय सभापति महोदय, मुख्य मंत्री महोदय ने राजस्थान का जो बजट इस सदन में प्रस्तुत किया, बजट के प्लान साइज को बड़ा बताकर वाहवाही लूटने की कोशिश की गयी है। पूर्व में भी, माननीय सभापति महोदय आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, माननीय शेखावत साहब के समय भी बजट के आकार को बढ़ाकर प्रदर्शित किया गया था और बाद में वास्तिवक व्यय उससे कम हुआ। अभी तक.... (व्यवधान)

श्री जोगेश्वर गर्ग : एक भी बता दीजिये।

श्री सभापति : डोंट इंटरप्ट प्लीज। प्लीज डोंट इंटरप्ट। आप जब बोलो तब दे दीजिये। माननीय सदस्य, एक मिनट...(व्यवधान) एक मिनट। माननीय सदस्य, जब वह बोल रहे हैं, आप उनकी बिना इजाजत के बीच में इंटरप्ट नहीं कर सकते नियम से। आपको बोलना है आप पार्टी से समय लीजिये और उसके बाद उनकी बातों को नोट करिये, उसका जवाब दीजिये। बीच में इंटरप्ट मत करिये।

मोहम्मद माहिर आजाद : माननीय सभापति महोदय, 7 हजार 31 करोड़ 44 लाख का बजट इस सदन में प्रस्तुत किया। आप जानते हैं, अभी आप योजना आयोग के सामने नहीं गये, योजना आयोग आपके प्रस्तावों को कितनी मंजूरी देगा, आपका कितना प्लान एप्रूव करेगा, यह चीज इस पर निर्भर करती है। लेकिन आपने तो योजना का आकार बढ़ा दिया और आप उसका काम लेना चाहते हैं, इस योजना के लिये संसाधन कहां से आयेंगे, मदवार इसका ब्यौरा आपने नहीं दिया है। आप एम्प्लाइज प्रोविडेंट फण्ड से कितना पैसा लेंगे? आपकी मार्केटिंग बोरोइंग कितनी और किस ब्याज दर पर होगी? सरकारी उपक्रमों से आप के पास कितना पैसा आएगा? केन्द्र से कितना पैसा आएगा? राज्य सरकार अपने रिसोर्सेज से कितना पैसा जुटाएगी? यह आपने अभी तक ब्यौरा इस सदन को नहीं दिया है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : इसी का नाम तो बजट है।

मोहम्मद माहिर आजाद : माननीय राठौड़ साहब, बजट क्या है वह आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं।

श्री जुबेर खान : आपको मंत्री पद से हटाने के लिये मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करना पड़ेगा।

श्री सभापति : कृपया बैठे-बैठे नो कमेंट्स। This is against the Rules.

मोहम्मद माहिर आजाद : मैं, माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह स्थिति चाहे पिछली सरकार के समय हुई हो और चाहे मौजूदा हो, आज कर्जे की अंर्थव्यवस्था पर हम निर्भर कर रहे हैं। 1990 से जब शेखावत साहब की सरकार बनी, तब से इस चीज की शुरूआत हुई और आज कर्जे के कुचक्र में राजस्थान फंस गया है। हमको चर्चा इस बात पर करनी चाहिये कि इससे राजस्थान को कैसे निकाला जाए। आज राजस्थान डैट ट्रैप की तरफ जा रहा है। आज हमको कर्जे की अदायगी के लिये, कर्जे के ब्याज के चुकारे के लिये भी नया कर्जा लेना पड़ रहा है। यह स्थिति राजस्थान के लिये चिन्ताजनक है। आप देख लीजिये, सन् 2002-03 में हमारा ग्रास कर्जा 18,513 करोड़ था जो 2003-04 में 14,123 करोड़ हो गया और रिवाइज 20 हजार करोड़ के करीब पहुंच गया। आज हमारी जो नैट बोरोइंग है, अभी हमने अनुमान लगाया है, 6,589.22 है और जो संशोधित अनुमान में कर्जा हो जाएगा वह है 7,647.19 बजट एस्टीमेट को आप देख लें, कर्जा बढ़ता चला जा रहा है। आठवीं योजना का आकार जरूरत से ज्यादा था इसलिये खर्चा कम करना पड़ा। योजना के आकार को बेतहाशा बढ़ाने का यह तरीका अच्छा नहीं है। नवीं योजना तक साढ़े सात और आठ हजार करोड़ का कर्जा हो रहा है और आज 20 हजार करोड़ का कर्जा लिया जा रहा है। माननीय सभापति महोदय, ब्यूरोक्रेसी को तो यह सूट करता है कि कर्जा लो। कर्जे की अर्थव्यवस्था बनाना चाहते हैं, यह स्थिति ब्यूरोक्रेसी को सूट कर सकती है लेकिन जन प्रतिनिधियों के लिये और जन कल्याणकारी राज्य के लिये यह अच्छी नहीं है। हमारे नान प्लान एक्सपेंडिचर देख लें, हमारी नैट बोरोइंग देख लें। हमारी नैट बोरोइंग है 6, 476.54 करोड़, उसमें ब्याज की अदायगी कितनी है? माननीय सभापति महोदय, 5166.42 करोड़। यानि हमारी आर्थिक स्थिति आज क्या हो गयी है कि हमारा

(मोहम्मद माहिर आजाद)

फिस्कल डेफिसिट, जो राजकोषीय घाटा है वह बढ़ता चला जा रहा है। इस पर हम सब लोगों को राजनैतिक दृष्टि से ऊपर उठकर एक थिंक टैंक बनाना चाहिये जो राजस्थान के बारे में सोचे कि आखिर राजस्थान को इस डैट ट्रैप से, इस कर्जे के कुचक्र से कैसे निकालें, राजस्थान का कैसे विकास हो।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि हमारी 01 अप्रैल, 2004 तक देनदारियां 2081.47 करोड़ हैं, राजस्व खाते में जो ब्याज की अदायगी है वह 18,877 करोड़ रुपये है और उधार एवं देनदारियां एस्टीमेटेड हैं जो बढ़कर करीब 20 हजार करोड़ हो जाएंगी। यानि जो हमारे पास आ रहा है उससे ज्यादा अदा करने की स्थिति हो रही है। आप बजट भाषण के पेज 84 का अवलोकन करें, आप देखें कि हमारी स्थिति क्या हो गयी है। राजस्व प्राप्तियां 17,384 करोड़ 7 लाख रुपये और हमारा राजस्व व्यय हो रहा है। 19,588 करोड़ 24 लाख। और दूसरी तरफ हमारे पूंजी खाते में प्राप्तियां 18,932 करोड़ और पूंजी खाते में व्यय 17,063 करोड़ 18 लाख रुपये हुआ है। विकासोन्मुखी बजट बताने वाले माननीय सदस्यों से मैं पूछना चाहता हूं कि आप राजस्व घाटे की कमी कहां से पूरी कर रहे हो? पूंजीगत से, यानि विकास के कार्मों को काटकर, इंफास्ट्रक्चर के डवलपमेंट को रोककर आप राजस्थान के इस बजट को विकासोन्मुखी बताना चाहते हो।

मैं, सभापति महोदय, आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो बजट पेश किया है, भारतीय जनता पार्टी का चुनाव घोषणा पत्र मेरे पास है, आपने राजस्थान की जनता को आशवस्त यह किया था कि हम ग्रामीण विकास करेंगे। राजस्थान गावों में रहता है, 35-36 हजार गांव राजस्थान में है। राजस्थान की इकोनोमी कृषि और पशुपालन पर निर्भर करती है। आपने ग्रामीण विकास का सपना राजस्थान की जनता को दिखाया। लेकिन राजस्थान के बजट में स्थिति क्या है? मैं जरा आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, ग्रामीण विकास के लिये सन् 2003-04 में 495.75 करोड़ रुपये व्यय हुआ और आपने अभी जो बजट प्रस्तुत किया है उसमें आपने कितना प्रस्ताव रखा है, 491 करोड़, यानि आप ग्रामीण विकास का पैसा कम कर रहे हैं और फिर राजस्थान के गांवों के विकास की बात करना चाहते हैं। आप चार-पांच

(मोहम्मद माहिर आजाद)

वर्षों में विगत कांग्रेस सरकार के आंकड़े उठाकर देख लें, उसने ग्रामीण विकास की तरफ विशेष ध्यान दिया, हर वर्ष अधिक पैसा खर्च किया। आप पहले साल में आये और गांव के लोगों को आपने यह सबक सिखाने की कोशिश की है कि ग्रामीण विकास बजट में आपने कटौती कर दी।

ऐसा ही नहीं, माननीय सभापति महोदय, परिवहन मंत्रीजी यहां पर बैठे हैं, भारतीय जनता पार्टी के चुनाव घोषणा पत्र में माननीय अटलजी, आडवाणीजी और वसुन्धराजी की फोटो लगा कर यह कहा था कि हम राज्य के महत्वपूर्ण राजमार्गों को राष्ट्रीय राज मार्गों में परिवर्तित करेंगे, इन्हें चार लेन का बनायेगे आपने यह भी कहा था, हम ग्रामीण क्षेत्र में यातायात और परिवहन के साधनों का विकास करेंगे। आपकी स्थिति क्या है? परिवहन के ऊपर 2002-2003 में जो 613.96 करोड़ रुपये का खर्चा किया गया था और 2003-2004 में 502.35 करोड़ रुपये का खर्चा किया गया था, आपने अपने प्रस्ताव में इसको घटा कर 613 से 470.69 करोड़ किया है। मैं पूछना चाहता हूं कि इस परिवहन के बजट में कटौती करके क्या आप राजस्थान के दूरदराज के इलाकों में रहने वाले लोगो को परिवहन सुविधाएं मुहैया करा पाएंगे, परिवहन के साधनों का विकास कर पाएंगे? आप ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर देखिये, क्या स्थिति है। आप जुगाड़ को बन्द कर रहे हैं कि जुगाड़ से बड़ी अव्यवस्था फैलती है। गांव के आदमी के पास साधन क्या हैं? आप जाकर देखें, वह जुगाड़ से अपना काम चलाता है। बसें आप वहां चलाते नहीं, मार्गों का राष्ट्रीयकरण आप करते नहीं, परिवहन के साधन आप उपलब्ध करा नहीं रहे और परिवहन के बजट में आप कटौती कर रहे हैं। गांव के आदमी को आप परिवहन नहीं देते हैं।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

अभी तो दो मिनट हुए हैं, सभापति महोदय।

श्री सभापति : आपको 11 मिनट हुए हैं।

मोहम्मद माहिर आजाद : इतना ही नहीं, राजस्थान के लिए कहा था कि राजस्थान में अपार खनिज सम्पदा है। जो देश के नामवार पूंजीपति हैं, उद्योगपति हैं उनमें दो-तीन राजस्थान के हैं, राजस्थान में औद्योगिक और खनिज क्षेत्र के अन्दर

(मोहम्मद माहिर आजाद)

विकास करके लोगों को रोजगार दिया जा सकता है। उद्योग एवं खनिज पर भी उठा कर देखें, 2002-2003 में जहां 86.62 लाख रुपये व्यय किये गये थे और जिसे 2003-2004 में बढ़ा कर 89.45 लाख रुपये व्यय किया गया, आपने इस उद्योग और खनिज में भी इसको घटाकर 82.78 कर दिया है। सभापति महोदय, मुख्य मंत्रीजी और उद्योग मंत्रीजी के बीच मतभेद हो सकते हैं लेकिन राजस्थान के औद्योगिक विकास को रोकने के लिए इस बजट में जो कटौती की गयी है, यह उचित बात नहीं है।

मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि विशिष्ट योजना संगठन जिसमें माडा योजना आती है, जिसमें डी.डी.पी. स्कीम है, मेवात विकास योजना जहां से मैं आता हूं वह है और डांग विकास क्षेत्र है, इससे बजट में भी आपने कटौती की है। आखिर आप बढ़ा क्या रहे हैं? जो रियायत दे रहे हैं वह गैस सिलेण्डर पर 3 रुपये, पैट्रोल पर 7 पैसे, केरोसीन पर 15 पैसे। सभापति महोदय, मुझे पता नहीं, परन्तु आज तो स्थिति यह है कि खुल्ले पैसे बच्चे और भिखारी भी नहीं लेते। अगर चवन्नी, अठन्नी, रुपया भिखारी को दें तो वह भी कहता है कि तू ही रख ले, और चाहिए तो ले मेरे पास है, और ले ले। ये सुविधाएं देकर, ऊंट के मुंह में जीरा देकर आप वाहवाही लूटना चाहते हैं कि हमने महिलाओं को खुश कर दिया, हमने पुरुषों को खुश कर दिया, हमने उद्यमियों को खुश कर दिया। आपकी इस वाहवाही में कोई दूसरे लोग आने वाले नहीं हैं।

सभापति महोदय, माननीय ऊर्जा मंत्रीजी यहां बैठे हैं, शिक्षा मंत्रीजी हैं, इन्होंने घोषणा पत्र में कहा है कि हम टी एण्ड डी लासेज को कम करके 25 परसेंट तक लाने का प्रयास करेंगे। आपके 7 महीने के आंकड़े उठा कर देख लीजिए, टी. एण्ड. डी. लासेज की क्या स्थिति हो गयी? जरा सदन को बताइये तो सही कि इसको 42 से 25 परसेंट पर कैसे लाएंगे। आपकी छीजत नहीं हो रही है, चोरी हो रही है। प्रभावशाली लोग चोरी कर रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि बिजली की दर बढ़ा दी आपने 15 पैसे प्रति यूनिट, इससे काम चलने वाला नहीं है। अगर आप किसान को बिजली देना चाहते हैं, बिजली की व्यवस्था में सुधार करना चाहते हैं तो आपको टी एण्ड डी लासेज को कम करना पड़ेगा। इसके लिए यदि सख्त कदम भी उठाना पड़े तो भी आप उठाइये, उसमें हम भी आपको सहयोग के लिए तैयार हैं, यह मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं।

सभापति महोदय, बड़े जोर-शोर से कहा था कि राजस्थान में महिला सशक्तीकरण वर्ष है। पहली बार महिला मुख्य मंत्री बनी हैं, आपने रजिस्ट्री का जो मुद्रांक शुल्क था उसको 11 परसेंट से घटा कर 8 परसेंट कर दिया, मैं इसका स्वागत

(मोहम्मद माहिर आजाद)

करता हूं, लेकिन महिलाओं को जो साढ़े पांच परसेंट था, उसको भी तो 4 परसेंट करते। आपने महिलाओं को क्या रियायत दी है? मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप कम से कम महिलाओं की भी साढ़े पांच से 4 परसेंट करें ताकि महिलाओं को न्याय मिल सके।

डा. सी. पी. जोशी : एम.एल.ए. फण्ड।

मोहम्मद माहिर आजाद : एम.एल.ए. फण्ड संसदीय कार्य मंत्रीजी देखते हैं, वह बात करेंगे।

बजट भाषण में माननीय मुख्य मंत्रीजी ने कहा है कि हम राजस्थान की रुग्ण इकाइयों को विशेष पैकेज देकर चालू करने का प्रयास करेंगे। सभापति महोदय, उद्योग मंत्रीजी ने कल ही मेरे एक प्रश्न का उत्तर दिया है, प्रश्न संख्या 103, उद्योग और इसके पैरा दो में उन्होंने लिखा है कि राजस्थान सरकार के पास रुग्ण औद्योगिक इकाइयों को चालू करने का कोई प्रावधान या नियम नहीं है। मैं जानना चाहता हूं कि उद्योग मंत्रीजी की बात को माना जाए या मुख्य मंत्रीजी की बात को माना जाए, कौनसी बात सही है?

कल जौहरी बाजार से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे कि प्रदेश में कांग्रेस के शासन में 66 हजार औद्योगिक इकाइयां बन्द करके छोड़ कर गये हैं, अगर इसमें एक भी कम हो तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। यह आपके पास प्रामाणिक उत्तर है इसके बाद भी आप इस तरह की अनर्गल बात यहां कह कर इल्जाम लगा रहे थे। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि रुग्ण औद्योगिक इकाइयों को आपको बन्द करना चाहिए।

श्री सभापति : प्लीज सम-अप करें।

मोहम्मद माहिर आजाद : सिर्फ दो मिनट में।

सभापति महोदय, इस बजट में नया कुछ नहीं है। जो आपका केन्द्रीय करों में अंशदान बढ़ा है उस पर आपको 1500 करोड़ रुपये की वृद्धि हो रही है, मेरा निवेदन है कि इस 1500 करोड़ रुपये को आप इंफ्रास्ट्रक्चर डवलप करने में लगाते, आप संसाधन जुटाने में लगाते। आने वाले वर्ष में आपने जो लोगों की भावनाएं जगा दीं,

(मोहम्मद माहिर आजाद)

आपने जो कमिटमेंट इस बजट के जरिए राजस्थान की जनता से कर लिया. आज तो आपको यह पैसा एक-मुश्त मिल गया, अगले साल आप क्या करेंगे? इसलिए आपको आगे की सोचनी चाहिए। मेरा निवेदन है कि इसको आप सुविधाएं देने पर नहीं, 30 नयी कारें खरीदी जा रही हैं मंत्रियों के लिए। क्यों? मंत्री पुरानी कार में नहीं बैठ सकते, क्या नयी कार में ही बैठेंगे? और उस पर भी झगड़ा हो रहा है। 27 मंत्री ज्यादा हो गये और गाड़ी कम हैं, किसको दी जाएं, इसके अन्दर भी विवाद चल रहा है। मेरी समझ में नहीं आता, आप गरीब जनता के साथ...

श्री कालीचरण सर्राफ : हमने, माननीय सदस्य, 50 करोड़ रुपये राजस्थानी सम्मेलन में खर्च नहीं किये। हमने तो 30 कारें खरीदी हैं वे इसलिए खरीदी हैं...

मोहम्मद माहिर आजाद : आपका नम्बर तो नहीं है उसमें, आप क्यों बोल रहे हो?

श्री कालीचरण सर्राफ : आप चिन्ता मत करो, मेरा नम्बर भी है। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : आपको तो उसकी स्टेपनी भी मिलने वाली नहीं है, माननीय कालीचरणजी।

श्री सभापति : डोंट इंटरप्ट, प्लीज सम-अप।

श्री वीरेन्द्र मीणा : आपके टाइम नई खरीदी थीं गाडियां और जो आप छोड़ कर गये हो उनको तोड़ कर पटक दीं आप लोगों ने तो। नयी नहीं खरीदें तो क्या करेंगे?

मोहम्मद माहिर आजाद : मंत्रीजी, आसन से परमिशन लेकर बोलना सीखो। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मेवात विकास योजना का बजट नहीं बढ़ाया गया. मदरसों को केवल 2000 रुपये दिये गये हैं, इसलिए इनका बजट बढ़ाया जाना चाहिए।

सभापति महोदय, माननीय मुख्य मंत्री महोदया ने जो शेर सुनाये थे, आपकी इजाजत हो तो दो शेर मैं भी सुनाना चाहता हूं।

श्री सभापति : हां, सुनाइये।

मोहम्मद माहिर आजाद : पहला शेर उन्होंने शुरू किया था, उसका जवाब यह है- ओज कहते हैं आसमान को और पस्ती कहते हैं जमीन को, आकाश और पाताल एक शायर ने सही कहा।

"ओज पस्ती के मकामात बदल सकते हैं,

देखते-देखते हालात बदल सकते हैं,

लोग तो वो ही रहते हैं,

लेकिन उनके खयालात बदल सकते हैं।"

और दूसरा शेर जो आखिर में उन्होंने कांग्रेस को चुनौती देकर आंधी वाला सुनाया था, उसका जवाब भी मैं देना चाहता हूं।

"आंधी मगरूर दरख्तों को पटक जाएगी,

बस वही शाख बचेगी जो लचक जाएगी,

इन्हें आसमां छूने का अंदाज भी हो जाएगा,

जब अगली बार इनकी कुर्सी इनके नीचे से खिसक जाएगी।"

धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री सभापति : श्री मोहनलाल गुप्ता।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल) : सभापति महोदय, राजस्थान की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने का एक प्रयास हमारी माननीय मुख्य मंत्रीजी ने किया है, एक विजन दिया है। बजट बनाने का विजन दिया है कि बजट कैसे बनता है अधिकारियों के सहयोग से, जनता से पूछताछ करके आर्थिक विशेषज्ञों से बातचीत करके, कि किस प्रकार से 21वीं सदी का राजस्थान हम बना सकें।

श्री श्रवण कुमार : घनश्यामजी, एक भी आपका अधिकारी नहीं है देख लो, क्या तो सरकार है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : बजट पर जितने लोग हैं वे सब लोग हैं। हमारे वित्त राज्य मंत्रीजी भी हैं, हम भी आपकी सेवा में है।

श्री श्रवण कुमार : राज्य मंत्री मान लिया है, अधिकारी एक भी है क्या आपका?

श्री घनश्याम तिवाड़ी : अधिकारी हैं, आपकी सेवा में हम हैं।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, बीच बीच में टोका-टाकी नहीं करें। आप पता करके बोलिए, ऐसे नहीं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : दिन की सेवा के लिए तो मैं हूं और दिन के बाद की सेवा चाहिए तो राजेन्द्रजी से सम्पर्क कर सकते हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : यह भार तो उठाना ही पड़ेगा।

श्री श्रवण कुमार : हमने तो दिल दोनों जगह टेक रखा है, आप दोनों सलामत रहना, इनमें खतरा नहीं हो जाए।

श्री सभापति : घनश्यामजी. यह भी बता दीजिए कि सुबह-शाम की सेवा के लिए किससे मिलें?

श्री घनश्याम तिवाड़ी : वह काम आपके जिम्मे कर देता हूं सभापति महोदय।

श्री मोहन लाल गुप्ता : इक्कीसवीं सदी का राजस्थान कैसा हो, उस राजस्थान का विकास कैसा हो. उस राजस्थान में उद्योगों का विकास कैसा हो, कृषि कैसे हो, हमारा किसान किस प्रकार से खेती कर सके और राजस्थान की सम्पूर्ण जनता किस प्रकार से आर्थिक उन्नति के पथ पर चल सके, इस प्रकार का एक बजट प्रस्तुत किया है। मैं राजस्थान की मुख्य मंत्रीको धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने पूर्णतया दूरदृष्टि रखकर यह बजट प्रस्तुत किया है। उनके लिंए कहना चाहूंगा-

"तुम चाहो तो हालात बदल सकते हैं

आंसू फिर भी उनकी आंखों से आएंगे,

झील-सा जीना हमारा मुकद्दर ही सही,

रेत के सागर में तेरा एहसास ही काफी है"

मैं कहना चाहूंगा, इक्कीसवीं सदी का राजस्थान...(व्यवधान)

श्री सभापति : नो इंटरप्शन प्लीज। माननीय सदस्य, खड़े मत होइए. बिराजिए। माननीय सदस्य, प्लीज सिट डाउन. नो इंटरप्शन।

श्री मोहन लाल गुप्ता : हमारा राजस्थान रेगिस्तान है। यहां सागर नहीं है, यहां रेत का सागर है। हमारे यहां कोई समुद्र नहीं है. हमारी अपनी इकोनोमी है। जिस प्रकार से पचास साल के समय में चालीस साल कांग्रेस ने राज किया है, मैं किसी प्रकार का कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं लेकिन अगर राजस्थान की स्थिति देखें, पूर्णतया उसके आंकड़े मैं प्रस्तुत करना चाहूंगा। उसके पहले जिस प्रकार का बजट उन्होंने प्रस्तुत किया है उसके लिए मैं कहना चाहूंगा, जेम्स विल्सन ने बजट के आर्थिक सिद्धान्तों, जो बेसिक प्रिंसिपल्स बजट के हैं उसके बारे में चार लाइनें कही हैं-Finance is not a mere arithmatic. यह कोई आंकड़ों का जाल नहीं है Without sound finance no sound Government is possible and without sound Government no sound finance is possible. साउण्ड फाइनेंस के बिना साउण्ड गवर्नमेंट पासिबल नहीं है और साउण्ड गवर्नमेंट के बिना साउण्ड फाइनेंशियल पोजिशन भी पासिबल नहीं है। एक दूसरे के पूरक हैं, जेम्स विल्सन ने लिखा है। उसी के साथ-साथ उन्होंने यह कहा है, जो छह सिद्धान्त हमारी वसुन्धराजी ने बजट डाकूमैंट में दिये हैं।

मोहम्मद माहिर आजाद : हमारी वसुन्धराजी?

श्री मोहन लाल गुप्ता : अपनी वसुन्धराजी ने दिये हैं। (व्यवधान) उसके बारे में भी दस सिद्धान्त दिये हैं जेम्स विल्सन ने, सुनिए आप। performance of social obligation. सामाजिक सिद्धान्त हमारी सरकार का एक सामजिक दात्यिव भी है। Reduction in economic inequalities. आर्थिक असमानताओं को दूर करना Impact on economic life, आर्थिक विकास पर उस बजट का क्या प्रभाव होना चाहिए Economic growth and stability. मानव संसाधन विकास, इकोनोमिक ग्रोथ Price stability. Full employment पूर्णतया रोजगार Capital formation, Economic Planning, National income and political impoartance. ये दस सिद्धान्त जेम्स बिल्सन जो प्रसिद्ध अर्थशास्त्री हैं, उन्होंने बजट की अवधारणा के बारे में दिये हैं। इन सब दस सिद्धान्तों को ध्यान में रखते हुए माननीय वसुन्धराजी ने...

श्री सभापति : माननीय सदस्य, समय का ध्यान रखें। दस-दस मिनट का समय है।

श्री मोहन लाल गुप्ता : मैंने तो अभी स्टार्ट ही किया है, प्रभु। माननीय सभापतिजी, अभी स्टार्ट ही किया है मैंने। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : यह क्या है? फिर ऊपर वाला क्या है? माननीय सभापति महोदय. यह वसुन्धराजी को हमारी कह रहे हैं, आसन को प्रभु कह रहे हैं, इसीलिए बारिश नहीं हो रही। आप इन्हीं को आका माने बैठे हो, इसीलिए बारिश नहीं हो रही।

श्री महिपाल यादव : यह प्रभु की महिमा बड़ी निराली है। मैं कहना चाहता था कि सभापतिजी अपने आसन पर आ गये. एक घर में दीपावली है, एक घर में अन्धेरा है।

श्री मोहन लाल गुप्ता : जेम्स विल्सन ने जो सिद्धान्त दिये हैं अच्छे बजट को प्रस्तुत करने के, उन सबको दृष्टि में रखते हुए छह सिद्धान्त उन्होंने इसमें प्रस्तुत किये हैं। वे सब मैं वापस दोहराना नहीं चाहता हूं, लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूं, आज पक्ष अपनी बात कह रहा है, विपक्ष अपनी बात कह रहा है, हम राजस्थान की आर्थिक स्थिति को यदि देखें और देश में हमारे राजस्थान की इकोनोमिक स्थिति का क्या स्थान है इसके आंकड़ों की ओर अगर ध्यान देंगे तो एक बहुत ऐसी स्थिति हमारे राजस्थान की है जहां से हमारे विभिन्न राज्यों में हमारा स्थान कहां हैं, उसकी ओर, सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा।

हमारा क्षेत्रफल, देश का सर्वाधिक सबसे बड़ा राज्य है, 10.45 प्रतिशत और जनसंख्या साढ़े पांच प्रतिशत है। हमारी जनसंख्या की दस वर्षीय वृद्धि भारतवर्ष की 21.35 प्रतिशत है लेकिन राजस्थान की जो वृद्धि है वह 28.33 प्रतिशत है। यानि अखिल भारत में सबसे अधिक है। साक्षरता की दर जो अखिल भारत में 65.38 परसेंट है वह राजस्थान में 61.3 परसेंट है। अखिल भारत से नीचे है। हमारी जनसंख्या का घनत्व भी कम है अखिल भारत से, जो आल इण्डिया में 324 है यहां राजस्थान में 165 है। कुल जनसंख्या में शहरी जनसंख्या का अनुपात जो अखिल भारतीय स्तर पर 27.78 प्रतिशत है, वह यहां 23 परसेंट है। यानि ग्रामीण जनसंख्या हमारे यहां ज्यादा रहती है। अनुसूचित जाति की जनसंख्या भी हमारे यहां ज्यादा है। अखिल भारतीय स्तर से मैं कहना चाहूंगा, अखिल भारतीय अनुपात अनुसूचित जाति का 16.33 प्रतिशत है, राजस्थान में यह 17.29 प्रतिशत है। इसी प्रकार अनुसूचित जनजाति का अनुपात भी हमारे यहां डेढ़ा है। अखिल भारत में पूरे भारतवर्ष में 8.1 प्रतिशत लोग रहते हैं लेकिन हमारे राजस्थान में अनुसूचित जनजाति के लोग 12.44 प्रतिशत रहते हैं।

(श्री मोहन लाल गुप्ता)

मैं और बता रहा हूं आंकड़े आपको। प्रति व्यक्ति आय भी जो पूरे भारतवर्ष में 18765 है वह हमारे यहां राजस्थान में 13066 है। अखिल भारतीय स्तर से बहुत कम है। प्रति व्यक्ति आय स्थिर कीमतों पर 1994 के हिसाब से 11014 है और राजस्थान में 7930 है। कुल गांवों में विद्युतीकरण का प्रतिशत. यहां पर हम अधिक हैं, कुल गांवों में विद्युतीकरण का प्रतिशत अखिल भारत में 86 परसेंट है, लेकिन हमारे यहां 93.6 परसेंट है। सड़कों की लम्बाई हमारे यहां 75 किलोमीटर है, पूरे भारतवर्ष में यह 43.11 परसेंट है। राष्ट्रीय औसत का 50 परसेंट प्रति व्यक्ति विद्युत उपभोग 360 किलोवाट है जबकि राजस्थान में 329 है। खाद्यान्न का उत्पादन 212 है और राजस्थान में 13.98 है, अखिल भारत का 6.6 परसेंट। उर्वरकों के उपयोग में तो बहुत कम है। आल ओवर इंडिया का एवरेज है 87.56 किलोग्राम, हमारे यहां का किसान 20.18 किलोग्राम उर्वरकों का उपयोग करता है। औसत कृषि जोत वहां पर 1.57 हैक्टेयर है...

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, समाप्त करें। समाप्त प्लीज।

श्री मोहन लाल गुप्ता : अखिल भारत से ज्यादा है, हमारे यहां 4.11... (व्यवधान) मैंने अभी स्टार्ट ही किया है...

श्री सभापति : स्टार्ट नहीं है, माननीय सदस्य।

श्री मोहन लाल गुप्ता : उद्योगों से प्रति व्यक्ति आय 1549 है और राष्ट्रीय स्तर पर उद्योगों के प्रति व्यक्ति आय 932 है। एक बात और बताना चाहता हूं...

श्री सभापति : माननीय सदस्य, पहले सुन लीजिये। प्लीज सिट डाउन। (व्यवधान) प्लीज सिट डाउन (व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार : माननीय सदस्य, अख़बार में पढ़ने वाली बात मत कहो, कोई नयी बात बताओ। हमने किताब तो पढ़ ली, सब देख लिया। ये आंकड़े हमने सबने देख लिये। (व्यवधान)

श्री सभापति : आप बैठिये।

श्री मोहन लाल गुप्ता : बता रहा हूं न अभी। हमारे यहां प्रति व्यक्ति बैंक में जमा कितना है राजस्थान में? आल ओवर इंडिया में प्रति व्यक्ति बैंक में जमा 11,300... (व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार : हम सबने पढ़ लिया. कोई नयी बात बताइये अब।

श्री सभापति : माननीय सदस्य. आप बैठिये। आप काहे पर बोल रहे हैं? Sit down please. Don't try to interrupt.

श्री मोहन लाल गुप्ता : और राजस्थान में 5500 है। प्रति व्यक्ति ऋण भी बहुत कम है. 6432 रुपये है और यहां पर 2462 रुपया है। यह राजस्थान की आर्थिक स्थिति मैं बताना चाहता हूं।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री सभापति : माननीय सदस्य. समाप्त करें।

श्री मोहन लाल गुप्ता : अभी पूर्व वित्त मंत्रीजी कह रहे थे कि हमारी सरकार को कुछ ऐसी आर्थिक स्थितियां थीं ..

श्री सभापति . I will call the next Hon'ble Member if you will not conclude.

श्री मोहन लाल गुप्ता : मैं आपके ही पद चिन्हों पर चल रहा हूं।

श्री सभापति : Yes. Sum up please.

श्री मोहन लाल गुप्ता : अभी कर रहा हूं। आपके पद चिन्हों पर चल रहा हूं...

श्री सभापति : आप एक तो मेरी बात सुन नहीं रहे हैं...

श्री मोहन लाल गुप्ता : पूर्व वित्त मंत्रीजी ने कहा कि हमारी सरकार को कुछ ऐसी चीजें मिलीं जिसके कारण हमने इतना सुन्दर बजट प्रस्तुत कर दिया। हमें कुछ पैसे मिल गये, हमें कुछ आर्थिक परिस्थितियां ऐसी मिल गयीं. ऋण को स्वैप कर दिया, यह कर दिया, वह कर दिया, मैंने भी पढ़ा। आपको भी बहुत अच्छा मिला था। इलेवथ फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट के हिसाब से टी.एफ.सी. में आपका हिस्सा 5.4 परसेंट से राजस्थान का हिस्सा 5.47 परसेंट कर दिया गया था जो 1995 से 2000 के पांच वर्षों में 10819 करोड़ से 23588 करोड़ आपके लिये किया था, उसका क्या फायदा उठाया? आपके लिये परिस्थितियां अच्छी नहीं थी क्या? आपके लिये भी परिस्थितियां अच्छी थीं। यानि 10.000 करोड़ से 23.588 करोड़. करीब 13588 करोड़ आप लोगों को ज्यादा मिला। उसकी रिकमंडेशन इलेवथ फाइनेंस कमीशन ने की।

श्री सभापति : समाप्त प्लीज।

Sum up please. You have taken 15 minutes.

श्री मोहन लाल गुप्ता : उसके बाद भी आप लोगों ने इसका प्रयास नहीं किया। केवल आप कहते रहे कि दिवालिया हैं, भैरोंसिंहजी दीवालिया कर गये। तेरह हजार करोड़ रुपये ज्यादा मिल गये, उसके बाद भी आपने आर्थिक विकास नहीं किया।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री सभापति : You are repeating.

श्री मोहन लाल गुप्ता : यह कोई जवाब नहीं था। इलेवंथ फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट है, आप देख लीजिये। मैं यह कहना चाहता हूं कि आपने केवल दिवालियेपन का ढोंग रचा और उसके बाद...

श्री सभापति : माननीय सदस्य, समाप्त जल्दी।

श्री मोहन लाल गुप्ता : हां, कर रहा हूं। मैं कर रहा हूं।

श्री सभापति : आप समाप्त कीजिये जल्दी। आप रिपीट कर रहे हैं हर चीज को. समाप्त करिये।

श्री मोहन लाल गुप्ता : अभी मैंने स्टार्ट ही किया है।

श्री सभापति : स्टार्ट नहीं किया है, आप दुबारा बोल लीजिएगा फिर। माननीय जीतमल खांट।

श्री मोहन लाल गुप्ता : कांग्रेस के राज में श्वेत पत्र जारी किया। सभापति महोदय, आपकी आज्ञा चाहूंगा। अभी दो मिनट में कर रहा हूं।

कांग्रेस के राज में जिस प्रकार से आर्थिक दिवालियेपन का एक हौवा बनाया गया, उसके आधार पर आप लोगों को किसी प्रकार का कोई ऋण नहीं मिला। आज राज्य की साख बिगड़ी है। राज्य की बिगड़ी साख का एक उदाहरण देना चाहूंगा। आपने श्री सीमेंट से 20 करोड़ उधार लिया, 80 करोड़ आर.एस.एस.एम. से लिया, 110 करोड़ आर.एस.आर.टी.सी. से उधार लिया, 50 करोड़ आर.एफ.सी. से उधार लिया। और तो और राज्य सरकार ने रीको के मार्फत बांड इश्यू किये 250 करोड़ के। एक महीने तक वे बांड पड़े रहे, आपके राज में केवल 180 करोड़ रुपये मिले। यह आर्थिक

(श्री मोहन लाल गुप्ता)

स्थिति राज्य की क्यों हुई? राज्य सरकार 250 करोड़ के बांड इश्यू करे और एक महीने तक वह सेल न हो, इस प्रकार की आर्थिक स्थिति आपने पैदा कर दी। आर्थिक दिवालियेपन की स्थिति पैदा कर दी। हमको भैरोंसिंहजी दिवालिया घोषित कर गये। हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे पास राज्य के विकास का कोई काम नहीं है, हम किस प्रकार कैसे पैसे लाएं। इस प्रकार की स्थिति बना दी तो किसी ने भी आपको पैसा नहीं दिया। (व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार : सभापति महोदय, जीतमलजी का आपने कह दिया, आदमी खड़ा रहे नाम पुकारने के बाद भी? मना नहीं कर रहे हो आप, यह कोई आसन की आज्ञा है? (व्यवधान) कोई इज्जत करता है क्या? हमारे माननीय सदस्य का आपने नाम पुकार दिया। (व्यवधान) आप आज्ञा दे दें, यह कोई तरीका है? एक बार आपने बोल दिया, दो बार बोल दिया, तीन बार बोल दिया। यह नगर निगम नहीं है, यह विधान सभा है। (व्यवधान)

श्री सभापति : समाप्त प्लीज।

श्री मोहनलाल गुप्ता : कर रहा हूं, अभी कर रहा हूं। बी.जे.पी. के राज में...you have also taken 25 minutes.

श्री सभापति : You have taken seventeen minutes.

श्री श्रवण कुमार : ये 2003 के बजट पर बोल रहे हैं, 2002 पर बोल रहे हैं?

श्री जुबेर खान : यह नहीं मानेंगे। कालीचरणजी से ज्यादा जब तक नहीं बोल लेंगे, यह बैठेंगे ही नहीं।

श्री श्रवण कुमार : यह कौनसे बजट पर बोल रहे हैं? 2003 के बजट पर बोल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के घोषणापत्र पर बोल रहे हैं? (व्यवधान) यह 2002 पर बोल रहे हैं? पिछली बात में बर्बाद करते हैं, 2002 पर बोल रहे हैं। 2004 की बात करो ना? इतनी-सी बात करो। (व्यवधान) 2002 की बात कर रहे हो। (व्यवधान)

श्री मोहन लाल गुप्ता : हां, उसी पर आ रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र है...

श्री श्रवण कुमार : क्या है?

श्री मोहन लाल गुप्ता : बताया न, घोषणा है। बैठिये न आप।

श्री श्रवण कुमार : आप किस पर बोल रहे हो? (व्यवधान) 2002 पर बोल रहे हो, 2003 पर बोल रहे हो, 2004 पर बोलिये न।

श्री मोहन लाल गुप्ता : बोल लूंगा न मैं इस पर, आप बैठिये।

श्री श्रवण कुमार : आप तो बैठ नहीं रहे, दूसरों को बैठा रहे हो। सभापति महोदय, माननीय सदस्य आसन की इज्जत नहीं करते तो यह सदन की तौहीन है। आपने कितनी बार बोल दिया इनको दस मिनट, बीस मिनट, पच्चीस मिनट। पच्चीस मिनट हो गये इनको बोलते हुए। (व्यवधान)

श्री मोहन लाल गुप्ता : सभापति महोदय, समाप्त कर रहा हूं मैं।

श्री सभापति : श्रीमती अनीता भदेल। यस...

श्री जीतमल खांट : मेरा नाम पुकार लिया था।

श्री मोहन लाल गुप्ता : भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणापत्र में जो बातें की थीं वे सब पूरी की हैं।

श्री जीतमल खांट : सभापित महोदय, मेरा नाम पुकार लिया था। आसन से मेरा नाम पुकारा गया...

श्री सभापति : इनके बाद आपका आएगा।

श्री मोहन लाल गुप्ता : वे सब बातें हमने पूरी की हैं। गरीबों को पाठ्य पुस्तकें हमने दी हैं।

श्री जीतमल खांट : आपने मेरा नाम पुकार लिया...

श्री सभापति : उनके बाद आपका ही नम्बर है...

श्री मोहन लाल गुप्ता : समय पर बिजली दी है, राजस्व रिकार्ड का कम्प्यूटरीकरण किया है, राज्य कर्मचारियों को सुविधाएं दी हैं...

श्री सभापति : श्रीमती अनीता भदेल. प्लीज स्टार्ट। इनका रिकार्ड मत कीजिये।

श्री मोहन लाल गुप्ता : xxx

एक माननीय सदस्य : xxx

श्री मोहन लाल गुप्ता : xxx

श्री श्रवण कुमार : xxx

श्री सभापति : अब आपका रिकार्ड ही नहीं हो रहा है। प्लीज सिट डाउन। आपका रिकार्ड नहीं हो रहा है। प्लीज सिट डाउन। आनरेबल स्पीकर की व्यवस्था है You have taken double time. मैंने आपको बीस मिनट दे दिये, उसके बाद भी आप बोले जा रहे हैं।

श्री मोहन लाल गुप्ता : xxx

श्री सभापति : आपका रिकार्ड नहीं हो रहा है। प्लीज, आपका रिकार्ड नहीं हो रहा है। (व्यवधान) श्रीमती अनिता भदेल।

श्री श्रवण कुमार : xxx

श्री मोहन लाल गुप्ता : xxx

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर पूर्व) : माननीय सभापति महोदय, आपने आज मुझे बोलने का मौका दिया उसके लिये मैं आपको धन्यवाद देती हूं। मुख्य मंत्रीजी ने जो बजट सदन के पटल पर रखा, मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी को भी तहेदिल से धन्यवाद देती हूं। उन्होंने यहां 12 तारीख को बजट जो सदन पटल पर रखा, पहली बार वित्त मंत्री के रूप में मुख्य मंत्रीजी ने करों को कम करके लक्ष्य प्राप्त करने की जो चेष्टा की है, वह वास्तव में काबिले तारीफ है।

माननीय मुख्य मंत्रीजी का वित्तीय प्रबन्धन और वित्तीय सोच यदि हम देखें, तो इस बजट में बहुत अच्छे उदाहरण के रूप में उन्होंने प्रस्तुत किया है। मुद्रांक शुल्क में कटौती करके उन्होंने पावर आफ अटार्नी के ऊपर जो दो प्रतिशत शुल्क लगाया है, वह उनकी सोच को दर्शाता है, उनके वित्तीय प्रबन्धन को दर्शाता है। इससे एक ओर तो जहां लोगों को डाकूमेंट को रजिस्टर कराने में आसानी होगी, वहीं जो लोग चोरी करते

(श्रीमती अनिता भदेल)

हैं और जो सरकार को भ्रम में डालकर अपनी सम्पत्तियों का आदान-प्रदान करते हैं उनको भी पकड़ने में आसानी होगी और सरकार को भी जानने में आसानी होगी कि कितना प्रतिशत आदान-प्रदान पावर आफ अटार्नी के माध्यम से किया जाता है। इसके द्वारा माननीय मुख्य मंत्रीजी ने "सौ सुनार की और एक लुहार की" का प्रदर्शन किया है।

सभापति महोदय, माननीय मुख्य मंत्रीजी ने कर बढ़ाने की बजाय करों के दायरे को बढ़ाने की बात की है, कि जितने लोग कर के दायरे में आएंगे उतना ही राजस्व बढ़ेगा। यह राजधर्म भी कहता है। करों को बढ़ाकर जनता पर अनावश्यक लाद देना, जो ईमानदार कर दाता हैं वे देते रहते हैं और चोरी वाले कर दाता नहीं देते जिससे राजस्व की भी हानि होती है और ईमानदार व्यक्ति पर दोहरा बोझ डाला जाता है। इसमें बहुत चतुराई के साथ माननीय मुख्य मंत्रीजी ने जनता को राहत देने के लिए, उद्यमियों को राहत देने के लिए इस तरह का बजट में प्रावधान किया है, इसके लिए भी मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी का बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूं।

सभापति महोदय, माननीय मुख्य मंत्रीजी ने तार्किक और व्यावहारिक बजट बनाने की चेष्टा की है। उन्होंने पैट्रोल, डीजल, रसोई गैस, कृषि के उपकरण, खाद, बीज, सूखे मेवे और अन्य सामानों को सस्ता किया है, उससे जनता को तो राहत अवश्य मिलेगी ही। विशेष रूप से जो खाद्य सामग्री है उससे महिलाओं को बहुत बड़ी राहत उन्होंने पहुंचाई है।

सभापति महोदय, पर्यटन का क्षेत्र आज तक उपेक्षित समझा जाता है। मैं समझती हूं कि यह माननीय मुख्य मंत्रीजी की विशेष रूचि का क्षेत्र है और उन्होंने इस अपनी रूचि के क्षेत्र में बजट को लगभग-लगभग दुगना बढ़ाया है, क्योंकि राजस्थान में पर्यटन की विपुल सम्भावनाएं हैं। राजस्थान में पर्यटन में यदि निवेश किया जाए तो हम रोजगार के बहुत सारे अवसर बढ़ा सकते हैं, लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध करा सकते हैं। इसके अतिरिक्त इन्होंने एक और माध्यम अपनाया है रोजगार के अवसर को तलाशने का. पर्यटन को बढ़ाने का, और वह है अध्यात्म। इसमें भी उन्होंने पर्यटन की सम्भावनाओं को तलाशा है. जिसके तहत उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों

(श्रीमती अनिता भदेल)

में चाहे पुष्कर का ले लें, दरगाह शरीफ ले लें या श्री महावीरजी, इन सभी को एक विशेष पैकेज दिया है और सार्वजनिक के साथ निजी क्षेत्र को भी आमंत्रित किया है कि वे आएं, निवेश करें और रोजगार के अवसर बढाएं, पर्यटन के क्षेत्रों को बढ़ाएं।

सभापति महोदय, जब हम विपक्ष में थे और माननीय अशोकजी गहलोत सत्ता में थे तो उन्होंने बहुत बड़े-बड़े होर्डिंग लगाये थे- "सबको बिजली, सबको पानी, सबको शिक्षा, लेकिन बिजली कैसे मिलेगी, पानी कैसे लोगों तक पहुंचेगा और शिक्षा किस प्रकार से लोगों को प्राप्त होगी, इसका कोई समुचित प्रावधान उन्होंने किया हो, ऐसा मुझे प्रतीत नहीं होगा। मैं सही कह रही हूं। उसके लिए मैं आपको बता भी देती हूं, उन्होंने राजीव गांधी पाठशालाएं खोली हैं उसका एक बहुत अच्छा उदाहरण मैं आपको सुनाना चाहती हूं, हमारे अजमेर जिले के पुष्कर विधान सभा क्षेत्र की बात करती हूं। वहां पर कोटड़ा एक क्षेत्र है वहां राजीव गांधी पाठशाला योजना के तहत एक अध्यापिका नियुक्त की गयी थी। लेकिन उस अध्यापिका को वेतन कहां से मिलेगा, उस अध्यापिका को अन्य सुविधाएं जो पाठ्य सामग्री के लिए आवश्यक होती हैं, भौतिक सुविधाएं कहां से मिलेंगी, बालकों को बैठने के लिए रूम कौन उपलब्ध कराएगा, इसकी कोई व्यवस्था नहीं की। वह अध्यापिका जब मेरे सम्पर्क में आयी तो उन्होंने मुझसे कहा कि आप मेरे लिए व्यवस्था करें और बहुत जोर-जोर से रोने लगी। मैंने उन्हें कहा कि हमारे यहां बजट में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, फिर भी इसके लिए रास्ता निकालती हूं। एक बार पाठशाला का दौरा करके, पाठशाला तक पहुंचकर वहां की स्थिति को देखा जाए, उसके बाद में ही कोई निर्णय लिया जाए तो उचित रहेगा। जब मैं पाठशाला में पहुंची तो एक बालक, लगभग-लगभग 8 से 9 वर्ष का बालक था, तीसरी कक्षा तक उसने नियमित पाठशाला पास की थी, लेकिन किन्हीं परिस्थितियों के कारण वह राजीव गांधी पाठशाला की कक्षा में बैठा था। नोट बुक उसके पास थी, उस नोट बुक में उसने कुछ लिखा हुआ था। जब मैंने उस नोट बुक को उठाकर देखा तो उसमें लिखा हुआ था, प्रश्न और उत्तर, प्रश्न और उत्तर। इस तरह पूरा एक अध्याय जिसमें लगभग-लगभग 10 या 15 प्रश्न थे और उन 10-15 प्रश्नों में से एक प्रश्न और था, उसका उत्तर दिया गया था कि हम 15 अगस्त को गणतंत्र दिवस मनाते हैं। ताज्जुब की बात तो यह थी कि उस अध्यापिका ने उस सारे प्रश्न-उत्तर को राइट

(श्रीमती अनिता भदेल)

करके नीचे अपने साइन किये हुए थे। मैंने उस नोट बुक को लिया और उस अध्यापिका से पूछा तो वह उत्तर देने में असक्षम थी। इससे आप अंदाजा लगाएं कि आठवीं पास जो व्यक्ति है वह हमारे इस राष्ट्र के भविष्य निर्माता बालकों को शिक्षा देगा। उस दिन मुझे महसूस हुआ कि इस राज्य के कर्ता-धर्ता, इस राज्य की सत्ता जिनके हाथ में है, वे इस राज्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, या क्या इस राज्य के प्रति अपने दायित्वों का निवर्हन कर सकेंगे। इसलिए मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी को बहुत -बहुत धन्यवाद देती हूं कि उन्होंने 26 हजार शिक्षकों की भर्ती का प्रावधान इस बजट में किया है। प्रतिपक्ष के एक माननीय सदस्य ने यह शंका जाहिर की थी कि बहुत सारे कोर्ट कैसेज से निकलकर फिर आपको यह नौकरी देनी पड़ेगी. नहीं तो आप भी पांच साल तक ऐसे ही रह जाएं नौकरियां नहीं मिलेंगी। लेकिन उनकी जानकारी के लिए मैं यह बताना चाहूंगी कि ऐसी सभी रूकावटों को दूर करते हुए तुरन्त ही उन तृतीय श्रेणी के अध्यापकों की भर्ती हमारी सरकार करेगी। तब आपको महसूस होगा कि यदि हम भी इस कार्य को कर पाते तो शायद अच्छा होता और आज हमें विपक्ष में बैठने को नहीं मिलता।

सभापति महोदय, मैं एक बात और कहना चाहती हूं विपक्ष में बैठे हुए माननीय सदस्यों से कि आपने इस बजट को पढ़ा, बजट को सुना और केवल बजट की आलोचना ही की। उसमें रचनात्मकता कहां है, उसका केन्द्र बिन्दु क्या है, उसमें छिपा हुआ दर्शन क्या है, राजधर्म के दायित्व को कितना प्रतिशत इसमें वहन किया गया है, इसकी ओर आपने ध्यान नहीं दिया है। मैं इस विषय में एक बात कहना चाहती हूं कि गरीब व्यक्ति को केन्द्र में रखंकर और सम्पूर्ण वर्गों को साथ लेकर-जिसमें नि:शक्तजन हो सकते हैं, राज्य के कर्मचारी भी हैं, महिलाएं भी हैं, बालक भी हैं, युवा भी हैं. किसान भी हैं और बेरोजगार युवक भी, जो वित्तीय प्रावधान किये गये हैं और जो रोजगार के अवसरों को इसमें तलाशा गया है, उसके कारण से मैं मानती हूं कि यह बजट इस समय का सर्वश्रेष्ठ है। आर्थिक विश्लेषक ही यह बता रहे हैं। मैं आर्थिक विश्लेषक तो नहीं हूं। लेकिन थोड़ी-सी सूझबूझ और सोच के साथ थोड़ा-सा जो इस बजट में पढ़ा है उसी को बयां कर रही हूं। माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने महिलाओं के लिए जो इस बजट में प्रावधान किये हैं उसके लिए मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूं कि

(श्रीमती अनिता भदेल)

उन्होंने हर वर्ग की, हर उम्र की महिला का ख्याल रखा है और हर दृष्टिकोण से ख्याल रखा है। बालिका शिक्षा को ही बढ़ावा नहीं दिया, बल्कि बालिकाओं की कार्य कुशलता किस तरह से बढ़े, वे किस तरह से कार्यकुशल हों, उनमें दक्षता किस तरह से आए, उनमें स्किल्स का ड्वलपमेंट किस तरह से हो, इस तरह के कार्यक्रमों के निमित्त, इस तरह से मानव संसाधन को एक सम्पूर्ण विकसित संसाधन बनाने के निमित्त उन्होंने शिविरों का इसमें प्रावधान किया है, मैं वास्तव में इसके लिए उनको तहेदिल से धन्यवाद देती हूं।

आंगनबाड़ी कार्यक्रम में ग्रामीण महिलाओं के सुरक्षित मातृत्व के लिए उन्होंने चिकित्सा सुविधाएं बढ़ाई हैं। इसके अतिरिक्त उन्होंने महिलाओं के लिए बहुत सारी चीजें इस बजट में कही हैं और एक महिला होने के नाते उन्होंने अपने दायित्व को निभाया है। मैं कल्पना भी नहीं कर सकती थी कि वास्तव में यह इतना सुन्दर बजट होगा महिलाओं के लिए, इसलिए राजस्थान की सम्पूर्ण महिलाओं की ओर से मैं महिला होने के नाते माननीय मुख्य मंत्रीजी का बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूं।

मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद करती हूं कि उन्होंने युवाओं का भी ख्याल रखा। उन्होंने युवाओं के विकास के लिए, खेलों के विकास के लिए संसाधन बढ़ाने का इस बजट में अपना प्रयास किया है। इसके अतिरिक्त उन्होंने कई बातें, कई चीजें हमें दी है। चल परियोजनाओं, कृषि के क्षेत्र में बहुत सारे उपकरण उन्होंने सस्ते किये हैं, उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए, रुग्ण इकाइयां जो बन्द पड़ी हैं, उनको नया पैकेज दिया है। इसके साथ-साथ उन्होंने बहुत सारी ऐसी चीजों का उल्लेख किया है इस बजट में कि यह बजट सम्पूर्ण बजट कहलाने के लिए बहुत पर्याप्त है।

लेकिन इसके साथ-साथ मैं, माननीय मुख्य मंत्रीजी. जो यहां सदन में विराजी हैं, एक छोटा-सा आग्रह आपसे करना चाहती हूं। आपने बहुत अच्छा किया जो तकनीकी शिक्षा के लिए और मेडिकल यूनिवर्सिटी की स्थापना के लिए बात कही है। इससे राजस्थान यूनिवर्सिटी पर जो भार पडा है, वह कम होगा और मेडिकल के छात्रों को बहुत रिलीफ पहुंचेगी। अंत में मैं आपसे एक छोटा-सा आग्रह करना चाहती हूं कि अजमेर जो सम्भागीय मुख्यालय है. वहां पर इंजीनियरिंग कालेज भी है और राजकीय कन्या महाविद्यालय भी है, लेकिन दोनों महाविद्यालयों का भवन उनके पास

(श्रीमती अनिता भदेल)

नहीं है, इसलिए यदि इस बजट में उन दोनों महाविद्यालयों के भवनों के सम्बन्ध में प्रावधान कर दिया जाए तो अजमेर के छात्रों को बहुत बड़ी राहत मिलेगी। अंत में मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी का और, माननीय सभापति महोदय, आपका. बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक) : माननीय सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय दो घण्टे बढ़ाया जाए।

श्री सभापति : क्या सदन का समय दो घण्टे बढ़ा दिया जाए?

(स्वीकृत)

सदन का समय दो घण्टे बढ़ाया गया।

श्री जीतमल खांट।

आय-व्ययक पर सामान्य वाद-विवाद

श्री जीतमल खांट (बागीडोरा) : माननीय सभापति महोदय. 12 जुलाई, 2004 को माननीय मुख्य मंत्री महोदया ने वर्ष 2004-2005 का परिवर्तित बजट इस पवित्र सदन में पेश किया। सबसे पहले मैं महिला मुख्य मंत्री एवं वित्त मंत्री के रूप में कुशाग्रता और वाकपटुता का जो परिचय उन्होंने दिया और राजस्थान के इतिहास में अपना एक गौरव हासिल किया, सभापति महोदय, आपके माध्यम से उनको बधाई देना चाहता हूं।

राजस्थान विधान सभा का यह पवित्र सदन राजस्थान की जनता का सदन है। सात महीने पूर्व हमारे माननीय सदस्य अपने-अपने क्षेत्र में चुनाव के समय लोक-लुभावन नारे देकर, वादे करके इस सदन के अन्दर आये और सात महीनों के दरम्यान हमारे राजस्थान का बजट पेश किया गया। इस बजट में मुख्य मंत्री महोदया ने अपनी परिवर्तन यात्रा में गांवों, ढाणियों और मजरों की हालत को देखा. राजस्थान की ढाणी में रहने वाली गरीब महिलाओं की हालत को देखा. राजस्थान के

(श्री जीतमल खांट)

विद्यार्थियों की हालत को देखा, कर्मचारियों की हालत को देखा, इन सब की हालत को देखकर वसुन्धराजी ने राजस्थान की जनता का दिल जीतने का काम किया और आज पूरे राजस्थान का गौरव उन्हें हासिल हुआ कि राजस्थान की प्रथम महिला मुख्य मंत्री बनीं। इस बात की हमें बहुत खुशी है कि तमाम वर्गों को उन्होंने अपने साथ जोड़ने का काम किया है, सबके दु:ख-दर्द को सुनने का प्रयास किया है।

सभापति महोदय, आपकी तरफ से हमें समय बहुत कम दिया गया है, मैं ज्यादा भूमिका में जाना नहीं चाहूंगा लेकिन मैं जिस क्षेत्र से चुनकर आता हूं, वह हमारा दक्षिणी राजस्थान है जिसमें पांच जिले सम्मिलित हैं-बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, झाड़ोल, खैरवाड़ा, कोटड़ा, सराड़ा, सलूम्बर, धरियावद, गिरवा, चित्तौड़ की दो तहसीलें, प्रतापगढ़, अरनोद, सिरोही, आबू रोड। इस क्षेत्र के अन्दर, उदयपुर सम्भाग के अन्दर, 45,14,103 जनसंख्या है, जिसमें जनजाति के 30,93,226 लोग निवास करते हैं। इस पूरे सम्भाग में 68.52 प्रतिशत जनजाति के लोग निवास करते हैं। भारत सरकार ने 1974 और 1975 में इस क्षेत्र को जनजाति उप योजना क्षेत्र के रूप में चिन्हित किया। केन्द्र प्रवर्तित कई योजनाओं का धन इस उदयपुर सम्भाग में जनजातियों की आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक उन्नति के नाम पर आता है, करोड़ों रुपए भारत सरकार से भेजे जाते हैं। 1974-75 से लगाकर अब तक आदिवासियों की आर्थिक हालत में सुधार आना था, सरकार की जो मंशा थी, लेकिन उतना बदलाव नहीं आया है। ऐसी परिस्थिति में देश के उप राष्ट्रपति भैरोंसिंह शेखावत के कार्यकाल में हमारे पूर्ववर्ती मिनिस्टर प्रतापगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य, नन्दलालजी मीणा ने सारे

(17.00 बजे)

महाराष्ट्र, आंध्र, केरल में घूम-फिरकर यह देखा किया कि कौनसे स्टेट में किस तरह की योजना चलती है। इसी को ध्यान में रखते हुए शेखावतजी के कार्यकाल में महाराष्ट्र पैटर्न के नाम पर इस योजना का पूरी गहनता के साथ में अध्ययन किया, निर्णय हुआ। लेकिन निर्णय की सारी प्रक्रिया पूरी होती तब तक राजस्थान के अन्दर सरकार का परिवतर्न हो गया, जिस मंशा से उदयपुर सम्भाग के आदिवासी क्षेत्रों के लिए योजना लागू करनी चाहिए थी, नहीं कर

(श्री जीतमल खांट)

पाये। इस महाराष्ट्र पैटर्न को लागू करने के पीछे इस पैटर्न का तरीका क्या था, किस तरीके से लागू करना था, मैं, सभापति महोदय. आपके माध्यम से सदन को अवगत कराना चाहूंगा। गहलोतजी के कार्यकाल में इस महाराष्ट्र पैटर्न को 1999 के अन्दर राज्य मंत्रिमण्डल ने मंजूरी दी और यह फैसला हुआ कि राज्य का जितना भी योजना का आकार होगा उस योजना के आकार की 8.12 फीसदी राशि जनजाति क्षेत्रों पर खर्च होगी। यह मूल भावना थी। आज हमारी राजस्थान की मुख्य मंत्री महोदया ने योजना का आकार सदन में पेश किया है 7031.44 करोड़ का। इस पैटर्न को लागू होने का मतलब यह है कि इस वार्षिक योजना की 8.12 प्रतिशत राशि जनजाति उपयोजना क्षेत्रों को मिले और इसमें हमारी हिस्सा राशि बनती है 570 करोड़ रुपये। महाराष्ट्र पैटर्न के नाम पर हमारे प्रदेश की मुख्य मंत्री वसुंधराजी ने इस बजट में बताया है, ''दरिद्रता, कुपोषण और भूख से मुक्ति, अशक्त और महिलाओं को सम्बल, मानव संसाधन विकास और सामाजिक आधारभूत सुविधाओं में वृद्धि होगी। राजस्थान का सृजन होगा। अच्छा शासन और राजकोषीय सुधार होगा, आर्थिक आधारभूत सुविधाओं का विकास होगा।'' महाराष्ट्र पैटर्न के तहत हमको दी गई हिस्सा राशि मात्र 30 करोड़ रुपये। मुझे खेद के साथ में यह कहना पड़ रहा है कि राजस्थान में 57 वर्ष तक यह खेल चलता रहा है। बजट कभी कांग्रेस पेश करती है कभी भारतीय जनता पार्टी पेश करती है। हमें दर्द इस बात का है कि 57 साल की आजादी में, वसुंधराजी. आप स्वयं करीब के इलाके में. गांव और ढाणी के इलाके में गई हैं, 57 साल की आजादी में आज भी गरीब अंधेरे में अपनी रात्रि का विश्राम करता है। याद करना चाहिए, हमें आपको आत्मचिन्तन और मनन करना चाहिए कि हमारा मुल्क और हमारा प्रदेश, जब हम किसी के गुलाम थे तब भी हमारी ढाणी, मजरों और बीहड़ में रहने वाला व्यक्ति अंधेरे की जिन्दगी जीता था और आज 57 वर्ष बीतने के बाद भी ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाला आदिवासी क्या जानवर है? क्या वो इंसान नहीं है? क्या कभी आपने चिन्तन-मनन किया? राज आता है और जाता है, यह तो प्रजातंत्र की प्रिक्रया है, लेकिन आपका चिन्तन-मनन करना चाहिए। आरोप-प्रत्यारोप में 57 वर्ष निकल गये चाहे हमारा बांसवाड़ा का इलाका हो, चाहे झाड़ोल. फलासिया का इलाका हो, आज भी आदिवासी की हालत को देखकर हमारी आत्मा रोने लग जाती

(श्री जीतमल खांट)

है। माननीय मुख्य मंत्री महोदया, आप उस ढाणी और मजरे के अन्दर गई हुई हैं, मैं आपका कोई विरोध नहीं कर रहा हूं, लेकिन वहां का जो दर्द है, वहां के दुखड़े हैं वो आपके सामने रख रहे हैं। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आप ऐसा कोई कीर्तिमान कायम करें। 57 साल की आजादी के बाद आज भी हमारा पूरा इलाका अंधेरे में डूबा हुआ है। आप कोई ऐसी योजना बनाएं, एक व्यक्ति एक घर के अन्दर एक लट्टू जलाएगा उसके लिए कोई मिनिमम चार्ज फिक्स कर दीजिए गुजरात की तरह, आंध्र प्रदेश की तरह हम कब तक हाथ फैलाते रहेंगे? महाराष्ट्र पैटर्न के तहत हमें 570 करोड़ रुपये मिलने थे, हमें 30 करोड़ रुपये मिल रहे हैं, हमारा आधारभूत विकास कहां सम्भव हो सकता है, हमारी आर्थिक उन्नति कैसे सम्भव हो सकती है, हमारा सामाजिक बदलाव कैसे सम्भव हो सकता है? सरकारें आती हैं और जाती हैं, यह तो प्रजातंत्र का खेल है। राठौड़ साहब के साथ में हम कभी यहां बैठते थे, राठौड़ साहब के साथ कभी इधर हैं, यह प्रजातंत्र का खेल है, लेकिन मैं आप सभी से निवेदन करना चाहूंगा...

श्री सभापति : समाप्त करें।

श्री जीतमल खांट : मुख्य मंत्री महोदया, महिला होने के नाते आपने पूरे प्रदेश में और देश भर में गौरव हासिल किया है, ट्राइबल सब प्लान में हमें जो राशि दी गई है वो ऊंट के मुंह में जीरा है, मैं चाहूंगा कि आप इस राशि को ज्यादा से ज्यादा देने का काम करें तो निश्चित रूप से हमारे क्षेत्र का विकास होगा, क्षेत्र की जनता आपको याद करेगी। इसी भावना के साथ आपको पूरे मेवाड़ से लगाकर बागड़ तक...

श्री सभापति : समाप्त करें प्लीज।

श्री जीतमल खांट : मेवाड़ से लगाकर बागड़ तक आपका ही झंडा इस बार लोगों ने फहराया है। मैं तो जनता दल का हूं, आपके सामने लोक सभा के उम्मीदवार के रूप में भी लड़ा, कहीं आप नाराज होंगी, लेकिन यह लोकतंत्र की प्रक्रिया है, हम चाहेंगे... (व्यवधान)

श्री सभापति : समाप्त करें प्लीज।

श्री जीतमल खांट : अभी 30 करोड़ रुपया ही सरकार ने दिया है। इस साल हमें 30 करोड़ रुपया दिया है ट्राइबल के बजट के लिए।

श्री सभापति : अब आप समाप्त करिए।

श्री जीतमल खांट : हमने कितनी भी बात कही, हम चुनाव लड़े...

श्री सभापति : आप समाप्त करिए। (व्यवधान)

श्री जीतमल खांट : हम बांसवाड़ा, डूंगरपुर की बात कर रहे हैं, कहां ले जा रहे हैं आप? (व्यवधान) हमारे सी. पी. जोशी साहब जानते हैं, ऐसी बात नहीं है। (व्यवधान)

श्री सभापति : आप इंटरप्ट न करिए, बैठ जाइए।

आप समाप्त करें प्लीज। आपका समय समाप्त हो चुका है।

श्री जीतमल खांट : अन्य विषयों पर हमारे सभी माननीय सदस्यों ने अपने महत्वपूर्ण और मूल्यवान सुझाव दिये हैं, मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदया से यह भी कहना चाहूंगा, बाड़मेर, जैसलमेर के...

श्री सभापति : समाप्त करें प्लीज, आपका समय समाप्त हो चुका है। मैं ज्यादा समय दे चुका हूं आपको।

श्री जीतमल खांट : सभापति महोदय, आपकी आज्ञा का हम पालन करेंगे, लेकिन अंत में एक निवेदन करना चाहूंगा कि हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर जिलों के अन्दर सिंचाई कर की वसूली आपने स्थगित की है और उनका कर भी माफ किया है, हम बांसवाड़ा के लोग भी माही परियोजना से जुड़े हुए हैं, हम तो छोटे-छोटे काश्तकार हैं, किसी के पास पांच बीघा है तो किसी के पास सात बीघा जमीन है...

श्री सभापति : समाप्त करें प्लीज। (समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री जीतमल खांट : जिस तरीके से आपने वहां का कर माफ किया है, आप हमारे बांसवाड़ा जिले को भी इसमें सम्मिलित करें। मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, हमारी जो मूल समस्याएं थीं वे आपके सामने हमने रखी हैं, निश्चित रूप से मुख्य मंत्री महोदया हमारी बात को मानेंगी। आपने समय दिया, धन्यवाद, जय हिन्द।

श्री सभापति : माननीय डा. चन्द्रशेखर बैद।

डा. चन्द्रशेखर बैद (तारानगर) : माननीय सभापति महोदय, 12 तारीख को माननीय वित्त मंत्री और माननीय मुख्य मंत्रीजी ने वर्ष 2004-2005 का बजट प्रस्तुत किया। यह बजट 8 तारीख को सेंटर में किये गये बजट की तर्ज पर प्रस्तुत किया गया। सेंटर में जो बजट प्रस्तुत किया गया वो रिफार्मिस्ट और पापुलिस्ट बजट था, लेकिन यहां पर इन्होंने यह कोशिश की, यह असफल कोशिश की, इसको सिर्फ पापुलिस्ट बजट बनाकर रख दिया। मैं असफल इसलिए कह रहा हूं, मैं आंकड़ों से यह प्रूव करना चाहता हूं कि यह असफल कोशिश है। अभी तक मेरे को बड़ा दु:ख हुआ, इन तीन-चार दिनों से मैं सब लोगों के भाषण सुन रहा हूं, किसी ने इस बजट को डिटेल में नहीं पढ़ा, किसी ने यह जानने की कोशिश नहीं की कि बजट में मूल रूप से आपने जो पर्दा लगाया है कि हमने कोई कर नहीं बढ़ाया, मैं आपको आंकड़े देकर बताऊंगा कि किस तरह से दवाइयों के और मूल आवश्यकता की चीजों के दाम बढ़ गये हैं और उपभोक्ता को ज्यादा पैसे देने पड़े हैं। हुआ यह है कि...

श्री वीरेन्द्र मीणा : माननीय सदस्य, आप गलत कह रहे हैं, बजट तो पढ़ चुके हम पूरा।

एक माननीय सदस्य : अक्षर अक्षर पढ़ा हुआ है। (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी : आपको तो पढ़ना ही था। (व्यवधान)

डा. चन्द्रशेखर बैद : कल सत्ता पक्ष के काफी माननीय सदस्यों ने माननीय मुख्य मंत्रीजी की तारीफ में कई कसीदे पढ़े। वे यह भूल गये, उन्होंने बजट का मूल पाठ नहीं पढ़ा और वे भूल गये, इसके ऊपर मैं यह कहना चाहूंगा-

''पत्थर भी पूजोगे अगर तो देवता हो जाएगा,

इतना मत चाहो उसे, वह बेवफा हो जाएगा।''

आपको मालूम है कि जिन लोगों ने पढ़े, माननीय मुख्य मंत्रीजी ने बड़ी चतुराई से अपने पास तीन सीट खाली रख रखी हैं काम्पीटिशन के लिए। लेकिन लोगों ने उनकी तारीफ में कसीदे पढ़े उनका नम्बर आने वाले साढ़े चार साल में आने वाला नहीं है।

माननीय मुख्य मंत्रीजी ने कहा कि मैंने कोई कर नहीं लगाया। मैं आपको आंकड़ों के हिसाब से यह बताऊंगा कि वह कर कैसे लगाया और कैसे चीजों के दाम

(डा. चन्द्रशेखर बैद)

बढ़े। यह बजट अगर आप ध्यान से देखें तो सबसे ज्यादा फायदा समाज के किस वर्ग को हुआ है? सबसे ज्यादा फायदा धनाढ्य लोगों को हुआ है, सबसे ज्यादा फायदा ज्वैलर्स और बिल्डर्स को हुआ है। वह क्यों हुआ है? क्योंकि ज्वैलर्स ही आजकल बिल्डर्स के काम में कन्वर्ट हो रहे हैं, इसलिए इन लोगों को सबसे ज्यादा इसमें फायदा हुआ है। आप देखिये, 2004-05 में बजटीय घाटा बताया गया। 1394 करोड़ रुपये और उसी के परिवर्तित अनुमान के बाद 334 करोड़ रुपये बताया गया। बहुत बहुत साधुवाद कि आपने बजटीय घाटे को इतना कम कर दिया लेकिन इसमें अगर आप देखें तो पिछले साल के 282 करोड़ रुपये का कहीं कोई जिक्र नहीं किया गया है। अब इस 282 करोड़ रुपये को अगर आप बजटीय घाटे में जोड़ते हैं तो यह 334 करोड़ रुपये न होकर 616 करोड़ रुपये होता है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : डा. साहब, मैं टोकना नहीं चाहता, मैं निवेदन करूं...

डा. चन्द्रशेखर बैद : पर आप तो टोक रहे हो। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मैं निवेदन करूं, आप 2002-03 के बजट को देखें, उसके अन्दर आपका घाटा था 1334 करोड़ रुपये, आप अगले साल नहीं लेकर गये। फिर 2002-03 में आपका घाटा था। आपने आज तक अपना पीछे का घाटा था उसको कैरी फारवर्ड किया क्या? यह तो साधुवाद देना चाहिए।...(व्यवधान)...देखिये, डा. साहब, साधुवाद देना चाहिए चन्दनमलजी बैद साहब को, उन्होंने जो बजट प्रस्तुत किया उसमें कैरी फारवर्ड जरूर किया, बाकी आपके प्रद्युम्न सिंहजी ने जितने बजट पेश किये, पीछे के घाटे को पीछे छोड़ते चले गये और कभी भी कैरी फारवर्ड नहीं किया। (व्यवधान)

श्री जुबेर खान : लेकिन, संसदीय मंत्री महोदय, इस बजट को नहीं, आपका भी तो काम है कि आपके पक्ष के आंकड़े आप रखना, किसलिए मंत्री बनाये हैं?

डा. किरोड़ी लाल : आपको अभी से समझा दो।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मैं तो इनको समझा रहा हूं, मेरे उधर के हैं, हम तो एक ही गांव के हैं। रिकार्ड पर गलत चीज जाएगी, इनकी विद्वता के बारे में प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाएगा। आप तो चाहते हो कि इनकी विद्वता के बारे में प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाए।

डा. चन्द्रशेखर बैद : माननीय मंत्रीजी, मैंने गलत कुछ नहीं बोला, रिकार्ड पर कोई गलत नहीं जा रहा है। मैं जो बोल रहा हूं वह आपने बजट प्रस्तुत किया उसी के आधार पर बोल रहा हूं। दुनिया को दिखाने के लिए 334 करोड़ रुपये का घाटा, लेकिन पिछले साल का 282 करोड़ रुपये का घाटा अगर आप उसमें जोड़ लें तो यह होता है 616 करोड़ रुपये का घाटा। आपने अपने बजट भाषण में लिखा है कि हमारा प्रयास होगा कि बेहतर प्रबन्धन एवं राजस्व वसूली की वृद्धि कर इस घाटे को और भी कम कर सकेंगे। इसका मतलब आप एक चीज तो मानकर चलते हैं कि घाटे को खतम तो नहीं कर सकेंगे, कम ही हो पाएगा। और जब आप 334 करोड़ रुपये के घाटे को कम करने की बात कर रहे हैं तो 616 करोड़ रुपये का घाटा कम होगा या नहीं होगा, इसका अंदाजा आप खुद ही लगा सकते हो। बेहतर वित्तीय प्रबन्धन क्या होगा? क्या बेहतर वित्तीय प्रबंधन होगा। अगर आपको इसमें वास्तव में कोई अच्छा वित्तीय प्रबंधन करना था तो बजट के अन्दर उसको स्पेसिफाई करते, आप उसके अन्दर यह बताते कि हम यह वित्तीय प्रबंधन करेंगे और उसे बजट के अन्दर इनकारपोरेट करते। वसूली भी आपने कहा कि राजस्व वसूली हम ज्यादा करेंगे, कैसे करेंगे? आपकी गवर्नमेंट मशीनरी वही है, कानून वही है। राजस्व वसूली भी वही है, वित्तीय प्रबंधन भी नहीं होगा, 616 करोड़ रुपये का घाटा अपूरित घाटा रहेगा। इस अपूरित घाटे को पूरा करने के लिए अगर आप वास्तव में सदन को कान्फिडेंस में लेना चाहते हैं तो आपको यह स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि इस घाटे को कहां कहां नान प्लान के अन्दर आप कटौती करेंगे। कहीं ऐसा नहीं हो कि हैपहेजर्ड नान प्लान के अन्दर कटौती कर दें और असेशियल सर्विसेज के अन्दर तो घाटा कम हो जाए और जो नान असेंशियल हैं उनके अन्दर न हो। मेरा निवेदन यह है, पहली बात तो यह बिलकुल क्लीयरली डिफाइन और स्पेसिफाई होना चाहिए कि 616 करोड़ रुपये अगर आप वसूल नहीं कर पाते हैं, बेहतर वित्तीय प्रबन्धन से और राजस्व वसूली से तो इसकी कटौती आप किस किस जगह करेंगे और कौन कौन सी चीज की कटौती करेंगे। यह एक साधारण-सा स्टेटमेंट है जो हो सकता है शायद हर भाषण में दिया जाता हो, लेकिन आज हमारी हालत यह है कि इसको आपको स्पेसिफाई करना चाहिए और इसको स्पेसिफाई करेंगे तभी आगे आने वाले बजटों में इस तरह की दिक्कत नहीं होगी। इसमें कोई सजेशंस हो सकते हैं। आपको यह भी स्पेसिफाई करना चाहिए कि आप जीरो बजटिंग करेंगे। आपको यह भी बताना चाहिए कि आप इकोनोमिक कमेटी बनाकर उसके ऊपर रिफार्म करेंगे।

(डा. चन्द्रशेखर बैद)

आपको यह भी बताना चाहिए कि आप दो सौ लोगों को कान्फिडेंस में लेकर इस बजट को पेश करना चाहते हैं तो कौन-सी कमेटी बनाएंगे, किन-किन विधायकों को लेंगे, कौन-कौन से हाई लेवल कमेटी के अन्दर मंत्री होंगे और किस तरह से 616 करोड़ का अपूरित घाटा पूरा किया जाएगा।

10वीं पंचवर्षीय योजना में इस बात की वाहवाही लूटी गई कि हमने प्लान का साइज बहुत बढ़ा दिया। मैं यह खुलासा करना चाहता हूं कि यह प्लान का साइज आपने किस तरह से बढ़ाया है। देखिये, प्लान था आपका 31831 करोड़ रुपये का और इस प्लान को आप पांच हिस्सों में करें डिवाइड, आज तीसरा साल चल रहा है, 60 परसेंट तो आपको वैसे भी खर्च करना था। पहले साल 2002-03 के अन्दर खर्च हुआ 5160, जो कि प्रस्तावित था और व्यय हुआ 4431 करोड़ रुपये। 2003-04 के अन्दर 5504 करोड़ प्रस्तावित था और आपने उसको बढ़ाकर कर दिया 6044 करोड़ रुपये, मतलब कि 1786 करोड़ का प्लान साइज आपने बढ़ा दिया।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अच्छा काम किया न?

श्री चन्द्रशेखर बैद : अच्छा काम कैसे किया? इसमें क्या हुआ? आपका यह प्लान साइज कैसे बढ़ा? इसको आप और ज्यादा कैसे बढ़ा सकते थे? आपकी जगह कोई और भी होता तो भी पांच साल में प्लान में 60 परसेंट तो इस साल तक खर्च करना ही था। अब देखिये, शेयर इन सेंट्रल टैक्स यह बढ़ा है आपका 1012 करोड़ रुपया। सेंट्रल गवर्नमेंट लोन, यह आपने बढ़ाकर कर दिया 203 करोड़ रुपये। पेंशन, 58 साल से 60 साल करके आपने बचत की है 595 करोड़ रुपये की, जिससे दो साल तक जो आप एम्प्लायमेंट देने का वादा करते हो, उस वादे को पूरा नहीं कर पाओगे क्योंकि दो साल के लिए सारे वे स्लाट्स बुक हो गये जो कि आप सर्विस देने का वादा करना चाहते थे। पब्लिक अकाउंट का पैसा जो 1515 करोड़ रुपये है, उसको भी आपने इसमें यूटिलाइज किया। अब इन चारों हैड को अगर आप जोड़ लेते हैं तो वह होता है 3325 करोड़ रुपये और आपने प्लान बढ़ाया है सिर्फ 1786 करोड़ रुपये बाकी पैसा आपने नान डवलपमेंट वर्क में, इन्फ्रास्ट्रक्चर जिसमें डवलप नहीं होता, ऐसे काम के अन्दर डाल दिया। मेरा निवेदन यह है कि यह जो वाहवाही आप लूट रहे हैं कि हमने प्लान

(डा. चन्द्रशेखर बैद)

का साइज बहुत बढ़ा दिया है, इसको तो आप दुगना और बढ़ा सकते थे। और वो भी मिडिल आफ द सैशन बढ़ाया है। अब पता नहीं, प्लान का साइज बढ़ाने के लिए आप इतना पैसा खर्च कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। आप पीछे का इतिहास उठाकर देखें, जब भी प्लान का साइज बढ़ा है तो 60 से 70 प्रतिशत पैसा खर्च हुआ है, उससे ज्यादा पैसा खर्च नहीं हुआ। तो उसका इसमें स्पेसिफाई नहीं किया गया है कि यह पैसा हम प्लान का किस तरह से खर्च करेंगे। बस खाली प्लान का साइज बढ़ाया है। और जनता को यह बताने के लिए कि हमने प्लान का साइज बढ़ा दिया है, बहुत तगड़े प्लान करेंगे, यह अनुचित है।

आप देखिये. मैं एक छोटा-सा उदाहरण देता हूं, आपने बजट के अन्दर फिस्कल डेफिसिट बताया है 6810 करोड़ रुपये। फिस्कल डेफिसिट को आपने कैलकुलेट कैसे किया है? बजटरी घाटा 334 करोड़, शुद्ध उधार 6476 करोड़, दोनों को अगर मिला दें तो हो जाता है 6810 करोड़। अब यह 6810 करोड़ रुपया जो फिस्कल डेफिसिट आपने बताया है, जिसको देखकर आप यह महसूस कर सकते हैं कि हमारा वित्तीय प्रबंधन किस दिशा में जा रहा है, अगर इसको सही तरीके से जो इंटरनेशनल और नेशनल डेफिनिशन बनी हुई है फिस्कल डेफिसिट की, उसमें कैलकुलेट करके देखें तो यह आता है 19211 करोड़ रुपये। कैसे आता है? मैं बताऊं आपको, कैसे आता है। (व्यवधान) आप मेरी बात सुनें। मैं तो आंकड़ों के आधार पर ही बात कर रहा हूं। पूंजीगत प्राप्तियों से उधार, आपने बजट में लिखा हुआ है. आप गौर फर्माएं। यही तो मैं कह रहा था कि आपने इसको ध्यान से नहीं देखा। 18932 करोड़... .

श्री जुबेर खान : अब हमारे पास भी पढ़े-लिखे लोग आ गये हैं।

डा. चन्द्रशेखर बैद : और अन्य प्राप्तियों से होने वाले उधार, यह है टोटल 18932 करोड़ और 334 करोड़ जब आप इसमें जोड़ेंगे तो आएगा 19211 करोड़। अब आप मुझसे यह मत पूछना कि आपने फिस्कल डेफिसिट कैसे कैलकुलेट किया है। मेरे पास फार्मूला है, आप जानना चाहें तो. और सभापति महोदय अगर आदेश दें तो मैं इनको यहां बता दूं, नहीं तो ये बाहर जानना चाहें तो बाहर बता दूं। यह इंटरनेशनली प्रव्ड फार्मूला है फिस्कल डेफिसिट का, मैं अपने घर से उठाकर नहीं लाया हूं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : डाक्टर साहब, यह इकोनोमिक्स का नया फार्मूला बैद फार्मूला है या तारानगर फार्मूला है?

डा. चन्द्रशेखर बैद : मैं आपसे निवेदन करूं, यह कोई बैद फार्मूला नहीं है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : जो इकोनोमिक्स का प्रिंसीपल है वह प्रिंसीपल तो यह कहता नहीं।

डा. चन्द्रशेखर बैद : मैं बैद फार्मूला भी नहीं बता रहा, राठौड़ फार्मूला भी नहीं बता रहा, मैं तो जो संसद के अन्दर एप्रूव्ड फार्मूला है, वह बत्ता रहा हूं। और जिस फार्मूले से मैंने कैलकुलेट किया है वह भी मैं आपसे निवेदन कर दूं। बोरोइंग प्लस अदर रिसीट माइनस बजटरी डेफिसिट, इसके अन्दर जो आया है वह फिस्कल डेफिसिट इनमें कैलकुलेट किया गया है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : वेज एण्ड मीन्स के सारे जोड़ लो आप।

श्री जुबेर खान : देखिये, हमारे विद्वान बोल रहे हैं, आप इनकी टक्कर नहीं ले सकते। या तो उनको वहां लाइये। (व्यवधान)

डा. चन्द्रशेखर बैद : माननीय सभापति महोदय, इसके अलावा जो नैक्स्ट पाइंट मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं वह है रूरल वाटर आप देखिये, पानी का अपने प्रदेश में कितना तगड़ा संकट चल रहा है, मैं पानी के ऊपर दो महत्वपूर्ण बातें आपको बताता हूं जो इस बजट के अन्दर और जो आपने दिये हुए हैं उनके अन्दर लिखी हुई है।

श्री सभापति : कृपया बैठे-बैठे बातचीत नहीं। माननीय मंत्री महोदय।

डा. चन्द्रशेखर बैद : रूरल वाटर सप्लाई को 257 करोड़ रुपये से कम करके आपने 98.78 करोड़ रुपये कर दिया। 257 करोड़ रुपये से कम करके 98 करोड़ रुपये कर दिया रूरल वाटर। माइंड यू रूरल, जिस पानी के लिए पूरे प्रदेश में झगड़ा चल रहा है, सारे लोग भागे-भागे दिल्ली में घूम रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में केस करेंगे, पंजाब से दरख्वास्त करेंगे उसको आपने 257 से घटाकर 98 करोड़ रुपये कर दिया। सोशल वैलफेयर एण्ड पोषाहार, आप देखिये, गरीबों का. बिलो पावर्टी लाइन लोगों का एक ही

(डा. चन्द्रशेखर बैद)

तो सहारा होता है और इस सोशल वैलफेयर एण्ड पोषाहार के अन्दर आपने 1351 करोड़ रुपये से घटाकर 691 करोड़ रुपये कर दिये। यह क्या दर्शाता है? यह यह दर्शाता है कि आपने बजट का ऊपर का झूठा आवरण देने के लिए, उसको पापुलिस्ट बजट बनाने के लिए ये सारे पैसे इन इन सेवाओ से अर्जित किये हैं। ये सेवाएं अगर कम्प्रोमाइज हो गईं तो आप सोच सकते हैं, न तो इन्फ्रास्ट्रक्चर डवलप होगा, न गरीब का भला होगा, न दिलत का भला होगा और न किसान का भला होगा।

ट्रांसपोर्ट के अन्दर अगर आप गौर फर्माएं तो ट्रांसपोर्ट के अन्दर टैक्सेज आन व्हीकल्स जो कभी कम नहीं हो सकते, व्हीकल्स की संख्या बढ़ती जा रही है और टैक्सेज में इतनी कोई खास रियायत नहीं दी गई है, उसमें 852 करोड़ रुपये से घटाकर 805 करोड़ हो गये हैं। साथ में एक्सपेंडिचर आन ट्रांसपोर्ट 296 से घटाकर 246 करोड़ रुपये कर दिये। अब मैं तो यह जानना चाहता हूं कि जब आपने 296 से घटाकर 246 कर दिये तो अपने परिवहन के अन्दर अपनी कोई योजना क्या बन्द करने जा रहे हैं या वहां कोई कर्मचारियों की कटौती कर रहे हैं? या कोई और ऐसी चीज कर रहे हैं जिससे कि यह बचत हो जाएगी 96 से 46 घटा दो तो इतनी बचत कहां से हो जाएगी?

श्री युनूस खान : पिछली बार 8 प्रतिशत बढ़ाकर दिये हैं, डाक्टर साहब।

डा. चन्द्रशेखर बैद : यह आपके उसी में से बोल रहा हूं। आपके जो बजट में लिखा हुआ है उस में से बोल रहा हूं, मैं कोई घर से नहीं लाया हूं इन आंकड़ों को। 59 हजार करोड़ रुपये कर्जा है अपने प्रदेश के ऊपर, और मैं सबसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं, मैं किसी को दोष नहीं दे रहा, यह कर्जा पिछले 25 सालों से लगातार बढ़ता जा रहा है। कांग्रेस की सरकार थी तो भी बढ़ा, बी.जे.पी. की सरकार थी तो भी बढ़ा और आज 7 महीने के अन्दर भी यह कर्जा बढ़ गया है। अब आप देखिये, कर्जा अगर इसी रफ्तार से बढ़ता गया तो आगे आने वाले 5-7 सालों में क्या हाल होने वाला है, मैं इसके ऊपर एक छोटी-सी बात कहना चाहता हूं-

''लड़खड़ाकर गिर पड़ोगे एक दिन, वक्त वो आ जाएगा, तुम देखना।

कर्ज में डूबी हुई सरकार को ब्याज ही खा जाएगा. देखना।''

(डा. चन्द्रशेखर बैद)

खाली ब्याज खा जाएगा इसको। आप अंदाज लगाकर देखें, 59 हजार करोड़ रुपये का ब्याज क्या होता है। अपनी कमाई है एक रुपया और उसमें खर्च कर रहे हैं एक रुपया बीस पैसा, तो कहां से डवलपमेंट वर्क होगा, कहां से इन्फ्रास्ट्रक्चर डवलप होगा?

श्री सभापति : माननीय, समाप्त कीजिये।

डा. चन्द्रशेखर बैद : माननीय सभापति महोदय, मैंने तो अभी शुरू ही किया है। मेरी जो खास बात है वह तो रह ही गई।

श्री सभापति : इसलिए वो बोलिये।

डा. चन्द्रशेखर बैद : 12 वस्तुओं पर बिक्री मूल्य बढ़ाया गया है। मैं आपसे निवेदन करूं कि इन सारी की सारी 12 वस्तुओं में दो चीजों को आप छोड़ देना, उनकी मैं एडवोकेसी नहीं करता हूं, वो हैं पान मसाला और-गुटखा। जिन 12 वस्तुओं पर खुदरा बिक्री मूल्य पर कर बढ़ाया गया है वे हैं-रेडीमेड-गारमेंट्स, ब्रांडेड आइस्क्रीम, ब्रांडेड फुटवियर, दवाइयां-दवाइयों के लिए मैं एक मिनट एक्स्ट्रा लूंगा, आपको बताऊंगा कि दवाइयों के दाम किस तरह बढ़ रहे हैं, टेलीविजन, वाशिंग मशीन, माइक्रोवेव ओवन, टाई, लुब्रिकेंट्स। लुब्रिकेंट्स के बारे में भी मैं बोलना चाहूंगा क्योंकि यह कहा गया है कि पैट्रोल के दाम कम हो गये, डीजल के दाम कम हो गये। जो आदमी गाड़ी रखता है उसके लिए तो पैट्रोल उसको भराना है। पैट्रोल के दाम तो आपने 4-5 पैसे कम कर दिये, पर जो दुपहिया वाहन है उसके अन्दर मोबिल आइल भी डलता है, उस मोबिल आइल के दाम बढ़ गये। कैसे बढ़ गये, यह मैं अभी आंकड़ों के आधार पर बताता हूं। आप देखिये, पानी के ऊपर आपने रूरल वाटर के अन्दर तो कम कर दिया, अब रूरल वाटर कहां से आएगा, भगवान मालिक है उसका। दवाइयों के ऊपर दाम बढ़ा दिये। दवाइयां एक ऐसी चीज है जिसके ऊपर आप अगर ध्यान से देखें तो लिखा हुआ होता है एम.आर.पी. प्लस लोकल टैक्सेज एक्स्ट्रा। खाली दवाइयों पर लिखा हुआ होता है, बाकी जितनी भी दूसरी चीज हैं उनके ऊपर लिखा हुआ होता है एम.आर.पी. इंक्लूजिव आफ लोकल टैक्सेज। सिप्रोफ्लोक्सिन जो सिप्लोक्स या सिफेरान हैं उनसे सब लोग वाकिफ हैं, 100 टेबलेट आती हैं 120 रुपये 12 पैसे की। यह मैं सत्य बात बता

(डा. चन्द्रशेखर बैद)

रहा हूं। अगर कोई भी माननीय सदस्य जाकर इसको कन्फर्म करना चाहे तो कहीं भी केमिस्ट की दुकान पर जाकर कन्फर्म कर ले कि दवाइयों के दाम पिछले 2 दिनों के अन्दर बढ़े हैं या नहीं बढ़े हैं। एम.आर.पी. लिखी हुई होती है उसके ऊपर 700 रुपये। पहले टैक्स लगता था जो स्टाकिस्ट माल खरीदकर लाता था उसके ऊपर। स्टाकिस्ट उसको खरीद लेता था, 120 रुपये के ऊपर टैक्स लगता था। अब एम. आर.पी. के ऊपर जब टैक्स लगने लग गया तो 700 रुपये के ऊपर टैक्स लगेगा और पहले और अब के टैक्स में फर्क पड़ जाएगा। 10 रुपये 12 पैसे पहले लगता था एक साधारण-सी सिप्लाक्स की 100 गोलियों पर और आज की तारीख में वह टैक्स लगता है 63 रुपये देखिये, 6 गुना ज्यादा टैक्स बढ़ गया इसके ऊपर, तो दवाइयों का मूल्य बढ़ेगा या नहीं? दूसरा मैं एक छोटा-सा एग्जाम्पल देता हूं, सारे लोग इससे वाकिफ हैं...

श्री महावीर प्रसाद जैन : ये 700 रुपये और 120 रुपये क्या हैं? 120 रुपये की जगह पर 700 रुपये हैं?

डा. चन्द्रशेखर बैद : मैं बताता हूं, मैं बताता हूं, आपकी समझ में आ जाएगा। 120 रुपये तो है स्टाकिस्ट की प्राइस और 700 रुपये है वह जो उसके ऊपर प्रिटेंड है, एम.आर.पी. है। एम.आर.पी. तो 700 रुपये है, यह जनरल ड्रग है।

श्री महावीर प्रसाद जैन : मतलब 120 रुपये का माल 700 रुपये में बिकता है?

डा. चन्द्रशेखर बैद : आप बैठिये, मैं आपको बताता हूं। एम.आर.पी. का मतलब यह नहीं होता है मैक्सिमम रिटेल प्राइस, आप बाजार में जाकर कोई भी सामान ले लीजिये, उसके ऊपर जितना एम.आर.पी. लिखा हुआ होगा, उससे कम दाम में मिलेगी आपको वह। तो मैं यह जो एग्जाम्पल दे रहा हूं, मैं वह उसी आधार पर दे रहा हूं। अब आपने 14 प्रतिशत कम करके उसके ऊपर टैक्स लगा दिया। पहले वह 100 में से 75 रुपये के ऊपर टैक्स देता था, अब आपने 14 प्रतिशत कर दिया, 86 रुपये के ऊपर टैक्स देगा, तो दवाइयों के दाम बढ़ेंगे या कम होंगे? आप किसी भी दवाई की दुकान पर जाकर पूछें, जो कामन मेडिसिन आती हैं, उसका बिल समेत देख लीजिये, दवाई के दाम बढ़े हैं।

अब पानी की चर्चा हो रही है, एक तरफ तो रूरल वाटर कम कर दिया। मिनरल वाटर के ऊपर क्या लिखा हुआ होता है? एम.आर.पी. 12 रुपये और वह स्टाकिस्ट को

(डा. चन्द्रशेखर बैद)

आता है सात रुपये के अन्दर। जो स्टाकिस्ट की प्राइस उसकी है, वह सात रुपये है। पहले उसके ऊपर सात रुपये पर टैक्स लेते थे, कितना लगता था? सेल्स टैक्स 12 प्रतिशत और सरचार्ज लगता था 15 प्रतिशत दोनों को मिलाकर अगर देखें, 84+13 पैसे तो यह 97 पैसा हो जाता है। अब कम कर दिया आपने और एम.आर.पी. के ऊपर टैक्स लगा दिया। जो उसकी एम.आर.पी. है 12 रुपये, उस 12 रुपये के ऊपर जब उसका टैक्स लगेगा 14 प्रतिशत तो वह लगेगा 1.48 मतलब, 65 प्रतिशत इंक्रीज कर दिया टैक्स के अन्दर, किसके ऊपर? मिनरल वाटर के ऊपर। मिनरल वाटर पर बढ़ गया, दवाइयों के ऊपर बढ़ गया, जिन सारी चीजों का मैंने अभी नाम लिया, सबके ऊपर बढ़ गया। मोबिल आइल पर बढ़ गया, जो आज स्कूटर के अन्दर डलाते हैं मोबिल आइल। पेंट्स के ऊपर बढ़ गया। जितने भी पेंट्स हैं, ब्रांडेड हों चाहे अनब्रांडेड हों, जिनकी कीमतों में स्टाकिस्ट भी हैं और एम.आर.पी. में फर्क ज्यादा है उसके अन्दर ज्यादा बढ़ गया, बाकी में कम बढ़ गया। आपको विश्वास नहीं हो तो कोई भी सदस्य बाहर निकलकर एक पेंट की दुकान पर फोन कर लें, एक केमिस्ट की दुकान पर फोन कर लें, एक जनरल ग्रोसरी की दुकान पर फोन कर लें और एक पैट्रोल पम्प पर फोन कर लें, आप कन्फर्म कर लो, दाम पिछले तीन दिनों में बढ़े हैं कि नहीं बढ़े हैं। तो यह दावा बिलकुल झूठा है कि आपके इस बजट के कारण दाम नहीं बढ़े, दाम 100 प्रतिशत बढ़े हैं। (व्यवधान)

श्री सभापति : सम अप प्लीज। मैंने बहुत टाइम दे दिया माननीय सदस्य को। मैंने समय बहुत दे दिया पहले।

डा. चन्द्रशेखर बैद : मैं एक मिनट और लूंगा, सभापति महोदय।

डा. सी. पी. जोशी : दो ही कटे हैं, उनमें स्लैब कम किये हैं, वह तो बता दो ऐसी जानकारी मिलेगी नहीं। जानकारी तो आने दो। (व्यवधान) बहुत कम अवसर मिलते हैं जब मुख्य मंत्रीजी बैठी हैं और बहस अच्छी हो रही है। फायदा मिलेगा। (व्यवधान)

डा. चन्द्रशेखर बैद : इसी बजट भाषण के पेज नम्बर 61 के ऊपर आपणी योजना का जिक्र किया गया है। आपणी योजना ऐसी जोरदार योजना है जो पूरे देश में खाली चूरू और हनुमानगढ़ जिलों में लागू होती है और इस योजना के आधार पर चूरू और हनुमानगढ़ जिलों के 335 गांवों को पानी मिल रहा है। इसमें लिखा हुआ है कि आपणी

(डा. चन्द्रशेखर बैद)

योजना सफल सिद्ध हुई है। मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि यह सफल सिद्ध हुई है जनवरी के पहले तक। जनवरी के बाद, जितने भी गांव आपणी योजना से लाभान्वित होते हैं, उन सब में सबके पानी का बिल मंगाकर देख लें, उनकी मीटर रीडिंग को देख लें, उनको पानी 5-5. 7-7, 10-10 दिनों तक नहीं मिल रहा है। मेरा निवेदन यह है कि क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि आपणी योजना शुरू की गई थी जर्मन के कोलेबोरेशन से और जैसे ही इसको पी.एच.ई.डी. को हैंडओवर किया गया, उसके बाद से इसका आपरेशन एण्ड मेंटिनेंस बिलकुल खराब हो गया और जिसके कारण से आज गांवों को पानी नहीं मिल रहा है। 335 गांवों में से कम से कम 60 गांव ऐसे हैं जिनको लगातार बेसिस पर पानी नहीं मिल रहा है।

श्री धर्मेन्द्र मोची : सभापति महोदय, आपणी योजना का पानी 24 घंटे उपलब्ध रहता है। यह आप बिलकुल +++ बोल रहे हैं। 24 घंटे उपलब्ध रहता है पानी, हनुमानगढ़ जिले के अन्दर जितने गांव है वहां।

एक माननीय सदस्य : यह +++ शब्द है, इसको कार्यवाही से बाहर निकालना चाहिए।

श्री सभापति : +++ शब्द कार्यवाही से बाहर निकाल दीजिये। समअप प्लीज, सम अप प्लीज।

डा. चन्द्रशेखर बैद : माननीय सभापति महोदय, एस.एम.एस. चिकित्सालय के अन्दर जो दूध देने वाली गाय है, उसको आप यह चाहते हैं कि बाहर बांध कर खड़ा कर दो। जो सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है उसको कहते हैं कि हलाल कर दो। आप अंडा क्यों नहीं खाते? आपको मालूम है, सीटी स्कैन की मशीन जो एस.एम.एस. चिकित्सालय में लगी हुई है, सबसे पुरानी सीटी स्कैन मशीन है और आज भी सरकार को 10 लाख रुपये एक माह के अन्दर वह रेवेंयू जनरेट करती है, 10 लाख रुपये, और यह हालत तो तब है जब महीने में सात दिन वह खराब रहती है। यह हालत तब है जब 40 प्रितशत सीटी स्कैन फ्री करते हैं आप। आप यह कह रहे हो कि इसको प्राइवेट में दे दो। आप लोन लेकर नहीं लगा

(डा. चन्द्रशेखर बैद)

सकते नई सिटी स्कैन मशीन? आप एम.आर.आई. की मशीन नहीं लगा सकते? आप जरा एक बार यह सोचकर देखिये, पिछले पांच सालों में सीटी स्कैन ने कितना फायदा दिया है सरकार को, पिछले पांच सालों में कलर डोप्लर ईको ने कितना फायदा दिया है। सरकार को पिछले पांच साल में कैथ लैब ने कितना फायदा किया है अगर ये सारी चीजें प्राइवेट कर देंगे तो इससे सबसे ज्यादा नुकसान जो होगा, एक तो रेवेंयू का नुकसान होगा आरएमआरएस के अन्दर पैसा नहीं आएगा। दूसरा, पढ़ाई के अन्दर फ़र्क पड़ेगा। आपको जानकर खुशी होगी कि एस.एम.एस. अस्पताल, मेडिकल कालेज और अस्पताल, ऐसे हैं, मुझे गर्व है उनके ऊपर क्योंकि मैं भी वहीं से हूं। दुनिया का कोई कोना ऐसा नहीं है जहां के नामी डाक्टर इस कालेज में पढ़े हुए नहीं हों। जब यह प्राइवेट में दे देंगे तो न तो वे सीटी स्कैन सीख पाएंगे, न एम.आर.आई. सीख पाएंगे, न कैथ लैब सीख पाएंगे। आज आपने चार चीज दे दीं, कल चार और दे देंगे। आने वाले 10 साल के अन्दर एस.एम.एस. चिकित्सालय प्राइवेट अस्पताल में कन्वर्ट हो जाएगा।

श्री सभापति : समाप्त करें प्लीज।

डा. चन्द्रशेखर बैद : आर.एम.आर.एस. का जो पैसा है उसको बिलकुल मिसडाइरेक्टेड डाइरेक्शन में यूज कर रहे हैं। उसमें टाइलें लगा रहे हैं, मार्बल लगा रहे हैं। आपका वैलफेयर स्टेट है, आप वेंटिलेटर लाओ, कार्डियक मानिटर लाओ, कैथ लैब की नई मशीन लाओ, एम.आर.आई. की 25 साल से पुरानी मशीन पड़ी है, वह लेकर आओ। आप ऐसे कैसे कर सकते हैं कि टाइलें लगा रहे हैं? उसको कोई डाइरेक्शन तो होने चाहिए कि किस तरह से इसका पैसा खर्च करना है।

पर्यावरण को बिलकुल एस.एम.एस. अस्पताल के अन्दर ताक में रख दिया। आप ये देखिये, 35 प्रतिशत जमीन का हिस्सा है वह बिल्डिंग में आता है और यहां पर करीब-करीब 75 प्रतिशत काम आ गया। अब इस सरकार को चाहिए कि इस अस्पताल की जगह कोई दूसरा पैरेलल अस्पताल खड़ा करे जिससे कि सुविधाओं को बढ़ाया जा सके।

एक चीज और, आज आप देखिये, बी.पी.एल. को हम कह रहे हैं कि सात लाख रुपये कम करेंगे। बी.पी.एल. के मरीज एस.एम.एस. अस्पताल में हैं, सारे माननीय सदस्यों के मरीज आते होंगे, आज सीटी स्कैन की तारीख 10 दिन बाद की मिलती है,

(डा. चन्द्रशेखर बैद)

बी.पी.एल. जो बड़ी मुश्किल से एस.एम.एस. अस्पताल पहुंच पाता है, सात दिन तक कैसे इंतजार करेगा सीटी स्कैन का? मेरा निवेदन यह है कि जो भी बी.पी.एल. कार्डधारी वहां आए इलाज करवाने, उसकी प्रायोरिटी फिक्स होनी चाहिए कि 30-40 प्रतिशत इनके प्रायोरिटी बेसिस पर इंवेस्टिगेशन किये जाएंगे।

एक आखिरी बात मुझे और कहनी है, उसके बाद मैं सम-अप कर देता हूं। मैं एस.एम.एस. अस्पताल के बारे में ही कहना चाहता हूं। आज जितने पेशेंट बैड के ऊपर हैं, उतने ही बैड के नीचे हैं। 1500 की स्ट्रेंथ है, आप चाहे कार्डियो थोरेसिक वार्ड में चले जाओ चाहे न्यूरो सर्जरी वार्ड में चले जाओ चाहे आर्थोपेडिक वार्ड में चले जाओ। सब लोग जाते हैं, सब लोग देखते हैं इस चीज को, जितने मरीज ऊपर हैं, उतने ही मरीज नीचे हैं। तीन मरीज के ऊपर एक नर्स होनी चाहिए, आपके यहां 15 पेशेंट के ऊपर एक नर्स है। आज अपन बात कर रहे हैं मेडिकल यूनिवर्सिटी बनाने की, मैं ख्वाहिश करता हूं, माननीय मुख्य मंत्री महोदया इसको विश्वस्तरीय चिकित्सालय बनाएं, लेकिन कम से कम इसकी सुविधा तो बढ़ाएं, और तकलीफ क्या है? नर्सिंग स्टाफ है नहीं, टैक्नीशियन है नहीं, बैड स्ट्रेंथ है नहीं और अगर मरीज के साथ कोई ज्यादती हो जाती है तो डाक्टर को लाकर कटघरे में खड़ा कर देते हैं पहली बार में और दूसरा, पूरी सरकार मरीज के साथ में होती है। डाक्टर ने अगर कोई गलती की है तो आप उसको फांसी लगा दो, लेकिन यह तो नहीं हो सकता कि ये सुविधा तो आप दे नहीं रहे हो, इंवेस्टिगेशन वह नहीं कर सकता है, नर्सेज वहां हैं नहीं, टैक्नीशियन वहां हैं नहीं और आप उसको कहते हैं...

श्री सभापति : प्लीज समअप, प्लीज समअप। (व्यवधान) आपकी डिमांड आएगी तब डिटेल में बता देना।

डा. चन्द्रशेखर बैद : यह इतनी इम्पोर्टेंट बात है, अगर आर.एम.आर.एस. का पैसा प्रापरली यूटिलाइज नहीं किया गया...आखिर में मेरा निवेदन है, मैंने जो बोली हैं बातें, उसके बारे में किसी को कोई शंका हो कि यह गलत कैलकुलेशन है या ढग से नहीं बोले, पहली बात, कीमतें बढ़ी हैं, दूसरी बात, कई असेंशियल कमोडिटीज की...

श्री सभापति : समअप प्लीज। डोंट रिपीट इट अगेन, समअप प्लीज।

डा. चन्द्रशेखर बैद : समअप ही कर रहा हूं। समअप में तो रिपीट करना ही पड़ेगा। दूसरी जो असेंशियल कमोडिटीज हैं उनकी कीमत बढ़ी है। कम से कम दवाइयों की कीमत तो नहीं बढ़ी होती। तीसरी बात, जो आपने मोस्ट एनेंशियल सैक्टर की बात की है पानी की, उसके अन्दर सिंचाई के पानी की, रूरल वाटर की, मिनरल वाटर की, तीनों के दाम बढ़ा दिये और जो रूरल वाटर है, उसका प्रोविजन बजट के अन्दर है, वह बहुत कम कर दिया। सिग्लीफिकेंटली कर दिया, 60 प्रतिशत कम कर दिया। तो वह लगेगा 1.48। तो आपने यह जो पुलिन्दा बनाकर पेश किया है, इसका आवरण अगर आप घटा कर देखेंगे, देखिए, मैं आपको एक चीज निवेदन करता हूं...

श्री सभापति : सम-अप प्लीज।

डा. चन्द्रशेखर बैद : मैं लास्ट चीज निवेदन कर रहा हूं कि जो आप इसको दोबारा ध्यान से जाकर देखें, खाली माननीय मुख्य मंत्रीजी की तारीफ करने से काम नहीं होगा। वह आपको टिकट दे सकती हैं लेकिन जनता आपका टिकट काट भी सकती है, यह आप कभी मत भूलना। धन्यवाद।

श्री सभापति : माननीय श्री टीकम चन्द कान्त।

श्री टीकम चन्द कान्त (सिवाना) : सभापति महोदय, मैं तो तारीफ करूंगा इस बजट की। डाक्टर साहब ने तो बहुत कुछ गहराई में जाकर न मालूम क्या-क्या चीज बाहर निकाल दी लेकिन जनता खुश, लोग खुश।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : डाक्टर नाराज।

श्री टीकम चन्द कान्त : एक आशा नई बंधी है इस राजस्थान के अन्दर, शायद अब कुछ दिन बदल जाएं। बहुत देखा है इनका शासन पांच साल तक, बहुत अभाव सहे हैं, बहुत दु:ख देखे हैं, खूब गरीबी सही है, अब एक इस बजट के बाद में कुछ लगा है कि हां, कुछ आशाएं लोगों की बंधी है। मेरा ख्याल है, नाथूरामकाजी आपने नाम लिया था, सभापित महोदय, बहुत अच्छे आर्थिक विश्लेषक हैं और जानकार भी हैं, उन्होंने भी प्रशंसा की है इस बजट की। डाक्टर साहब लेकिन खोद-खोद कर न मालूम कहां से आंकड़े लेकर आ रहे हैं। जिस समय माननीय मुख्य मंत्रीजी बजट पढ़ रही थीं, मैं उस समय इन सीटों पर देख

(श्री टीकम चन्द कान्त)

रहा था कि इनके चेहरे कैसे मुरझा रहे थे। ऐसे मुरझाये हुए चेहरे, ऐसे फीके पड़े हुए चेहरे, इनको सूझ ही नहीं रहा था कि क्या हो गया यह, राजस्थान के प्रत्येक वर्ग, राजस्थान के प्रत्येक क्षेत्र को छुआ जा रहा था इस बजट के अन्दर। मैंने कहा, इस बजट को क्या कहें? दो-तीन-चार मैंने फिर कहा, इस बजट को कहे क्या? मैंने कहा, यह सर्वस्पर्शी है, सर्वोन्मुखी है, यह व्यावहारिक है, यह बजट चिंतनयुक्त है, यह बजट विकासोन्मुखी है, यह बजट गहरा है, यह बजट समस्या समाधानी है, यह बजट नवदिशा सूचक है और इसमें इस शासन का साहस और विश्वास दृष्टिगोचर होताः है। योजनाओं का आकार बढ़ता है तो नुकसान होता है, इस ओर से यह बार-बार कहा जा रहा था। योजनाएं जब इनके पास में आई, योजनाओं का आकार ये घटाते गये। यह सच नहीं है क्या कि राजस्थान का विकास पिछड़ता चला गया? योजनाओं के आकार बढ़ते हैं, अभी कहीं से कहा था कि जिन-जिन प्रदेशों का, जिन-जिन राज्यों की योजनाओं का आकार बढ़ा है वे राज्य आगे बढ़े हैं, उनका विकास हुआ है। और यहां से हमारे पास सलाह यह आ रही है कि योजनाओं का आकार बढ़ने से हानि होती है।

श्री जुबेर खान : किस ने कहा यह? किसी ने नहीं कहा।

श्री टीकम चन्द कान्त : नहीं कहा न? इधर से कहा गया है। जब ये अपनी योजनाओं का आकार घटाते चले गये...(व्यवधान) खर्च तो हुआ है, खर्च तो जितना था, निर्धारित किया था उससे अधिक खर्च हुआ है। (व्यवधान)

श्री जुबेर खान : आप तो मुख्य मंत्रीजी को स्पर्श करना है तो सच बोलकर करिये न। यह किसी माननीय सदस्य ने नहीं कहा, आकार बढ़ना गलत किसी ने नहीं बताया। गलत अगर बताया है तो यह कि विकास का पैसा तनख्वाहों में ले जा रहे हैं विकास का पैसा तनख्वाहों को दे रहे हैं, नान प्लान की तरफ ले जा रहे हैं।

श्री टीकम चन्द कान्त : हां, अब कहिये, ठीक है। खर्च अगर...

मोहम्मद माहिर आजाद : यह नहीं कहा। हमने कहा, यह आप विकास के ऊपर खर्च करिये, माननीय सभापति महोदय। यह नहीं कहा कि वेतन और भत्तों पर ज्यादा बढ़ाएं।

श्री टीकमचन्द कान्त : नहीं-नहीं, इसका मतलब जितना निर्धारित योजनाओं का...

मोहम्मद माहिर आजाद : योजनाओं का आकार और प्लान साइज जो रखा है उस पर व्यय कीजिये उतना, यह कहा है। आप गलत पेश कर रहे हैं। (व्यवधान) गलत कोट कर रहे हैं आप।

श्री टीकम चन्द कान्त : जितनी निर्धारित राशि योजनाओं की है वह अगर...

श्री सभापति : बिराजिये, बिराजिये।

श्री जुबेर खान : यह सरासर गलत है, असत्य है।

श्री टीकम चन्द कान्त : पूरी खर्च होती है तो प्रदेश का विकास होगा। आपने पिछले वर्षों क्या किया?

श्री जुबेर खान : यह परम्पराओं के खिलाफ है और, माननीय सदस्य, असत्य बोल रहे हैं आप।

श्री टीकम चन्द कान्त : और इन्होंने पिछले वर्षों में क्या किया? अब ये स्वीकार कर रहे हैं कि योजनाओं की राशि पूरी खर्च अगर होती है तो प्रदेश विकास करता है, यह राज्य विकास करता है। लेकिन इन्होंने क्या किया था? दसवीं पंचवर्षीय योजना के अन्दर, 2002-03 प्रथम वर्ष था और योजना 5160 करोड़ की थी, पर खर्च कितना हुआ, वास्तविक व्यय कितना हुआ? 4431 करोड़। आप कर नहीं पाये, राजस्थान पिछड़ता गया।

श्री महावीर प्रसाद जैन : ये और ही कुछ करते रहे।

श्री टीकम चन्द कान्त : दूसरा वर्ष था 2003-04 और उसका आकार आपने बनाया था 4258 करोड़। इसके बारे में भी एक कहानी है। माननीय पूर्व वित्त मंत्रीजी अगर बिराज रहे हैं, प्रद्युम्न सिंहजी, सभापति महोदय, आपको शायद याद होगा, कहीं पढ़ा होगा, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के अन्दर, उस साल 2003-04 के, उसमें यह उल्लेख था कि इस वर्ष की वार्षिक योजना पांच हजार करोड़ की है और जब बजट प्रस्तुत हुआ, प्रद्युम्न सिंहजी उस समय वित्त मंत्री थे और उस योजना का आकार बन

(17.46 बजे)

(श्री टीकम चन्द कान्त)

(17.46 बजे)

(श्री रामनारायण विश्नोई, सभापति, पदासीन)

गया 4258 करोड़ का। अभिभाषण में कुछ और. और बजट के अन्दर जो कुछ आकार आपके सामने आया है वह कुछ और। अगर आपके अन्दर क्षमता की बात है, जहां तक प्रदेश को आगे ले जाना चाहते थे तो इस योजना का पैसा पूरा खर्च करते। मौका कब मिला इस सरकार को? दिसम्बर में। वर्ष खतम होने आ गया था। 4258 करोड़ की निर्धारित राशि का आपने खर्च कितना किया? वह किया 2266 करोड़ं दिसम्बर आ गया, और आपने...

मोहम्मद माहिर आजाद : भरा हुआ खजाना छोड़ा।

श्री महावीर प्रसाद जैन : सारा चाट गये।

श्री टीकम चन्द कान्त : हां. भरा हुआ खजाना छोड़ा था। और मैं धन्यवाद दूंगा, मैं तो इस मत का हूं, योजनाओं का आकार अगर जिस प्रदेश का बढ़ गया, योजनाओं का आकार जिस प्रदेश ने बढ़ा लिया, वह प्रदेश विकास की गति के अन्दर आगे बढ़ गया। इस बार मैं मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद दूंगा. मुख्य मंत्रीजी. आपने जो बजट प्रस्तुत किया है, मैं तो उस दिन खुद ही शंका कर रहा था, मैंने कहा यह क्या हो रहा है, इस प्रकार का बजट। फिर ऊपर से आपने कह दिया कि हम तो परों से नहीं. हौसलों से उड़ते हैं। तब हमको मालूम पडा कि वास्तव में आप तो परों से उड़ने वाले हैं। परों से परवाज करने वालों को ऊंचे जाते देखा है, पर हौसलों की परवाज को बुलंदियां छूते देखा है। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : रिपीट. रिपीट। पुन:।

श्री टीकम चन्द कान्त : मैं कोई शायर नहीं हूं, मेरे मन में भाव आ गये, इसलिए मैं कह रहा था। तो परों की परवाज को तो ऊंचे जाते देखा है पर हौसलों की परवाज को बुलंदियां छूते देखा है और यह बजट इस बात का प्रतीक है।

श्री रामचन्द्र सराधना : हमें मालूम है सूरत की हकीकत लेकिन दिल खुश रखने को गालिब यह ख्याल अच्छा है।

श्री टीकम चन्द कान्त : आप भी शायर हैं क्या? बहुत बढ़िया। सभापति महोदय. मेरा ख्याल है यह सी.पी. जोशीजी बोल रहे थे।

मोहम्मद माहिर आजाद : टीकमजी, बुलंदियों पर जाना कोई कमाल नहीं होता है, बुलंदियों पर टिके रहना कमाल होता है। जरा टिके रहना, तब देखेंगे।

श्री टीकम चन्द कान्त : बिलकुल सच कह रहे हैं। सभापति महोदय, इस बजट के 190 पैरा हैं और 190 पैरा में से 4 पैरा ही सिर्फ भूमिका के हैं, तीन पैराओं के अन्दर वित्त आयोग के अध्यक्ष डाक्टर सी. रंगराजन से मुलाकात का हवाला है, वर्णन है। उसके बाद में गैस और तेल के भण्डारों का वर्णन, केन्द्र से पैट्रोल प्रोफिट का पचास प्रतिशत लेने वाली बात यों करके सकल घरेलू उत्पाद की बात, और उसके पश्चात् प्रारंम्भ होती है इस बजट की वह भूमिका, वह दृष्टिकोण बजट देखें हैं हमने, रुपया इधर से आएगा और रुपया इधर जाएगा, लेकिन बजट के अन्दर कोई व्यक्ति, कोई वित्त मंत्री राजस्थान के सारे वर्गों को छू ले, सारे स्थानों को छू ले, तब कहीं जाकर लगता है, यह थोड़ा अद्वितीय-सा है। राजस्थान का एक वर्ग नहीं छूटा। एक बार, पिछली बार मैं बहस करता था लोगों के समक्ष, मैंने कहा, काफी गरीबी अब तो मिट गई होगी। लोगों ने कहा, साहब, गरीबी मिटने की बात कर रहे हैं ये रोज बैठते हैं, रोज बजट आकते हैं रोज बातें होती हैं। सहरिया समाज के लोगों को आपने देखा है, एक लंगोटी पहनता है लकड़ी लेकर सामान लेकर आता है बाजार के अन्दर, अपना राशन लेकर जाता है और शाम को आकर उसी लंगोटी को ओढ़ता भी है, उसके बारे में किसी ने सोचा है आज तक? कहां गरीबी मिट गयी, क्या हो गया? तब लगा मुझे, जब यह सहरिया शब्द आया कि मेरे को किसी ने इस प्रकार से कहा था। तब मैंने कहा, मुख्य मंत्रीजी भले ही भेष बदल कर आप वहां गयी हों, उनसे परिवर्तन यात्रा में मिली हों, लेकिन उनकी दशा आपने देखी है तब कहीं जाकर आज सहरिया समाज की तरफ किसी का ध्यान गया है। उसका उल्लेख इसके अन्दर आया, एक बार नहीं दो-दो बार आया कि वो भूखे नहीं रहे, उनका पोषण हो, वो कुपोषण से मारे नहीं जाएं, उनके पास में राशन पहुंचे, उनकी सौ दिन की मजदूरी मिले, वो जीयें, समाज में वो प्रगति करें, उनके लिए आवासीय विद्यालय बनें, उनके बच्चे पढ़ें। यहां तक ही नहीं, सभापति महोदय, उदयपुर की कथोड़ी जाति को भी नहीं भूला गया। वो भी तो गरीब है। वो भी इस 56-57 साल की आजादी के बाद में, अभी जैसे माननीय सदस्य कह रहे थे, क्या हालात है, मैंने उसका विशेषकर देखा है, उसके लिए भी सौ दिन के रोजगार देने की बात है, उसके लिए भी भोजन और आवास देने की बात है, उस तक हमारा कल्याण पहुंचे, इस प्रकार की बात है। फिर भी कहेंगे हम कि बजट ऐसा है।

(श्री टीकम चन्द कान्त)

बजट के अन्दर एक और दिशा है। सभापति महोदय, मैं नाम नहीं लेता, सब महापुरुष हैं। पूर्व प्रधानमंत्री राजीवजी के नाम पर स्कूल खुलें, कोई दिक्कत नहीं। इन्दिराजी के नाम पर राजस्थान नहर बन जाए, कोई तकलीफ नहीं है। यह सब कुछ स्वीकार है। लेकिन गांधीजी को भूल गये? कस्तूरबा को भूल गये क्या? मैं धन्यवाद देना चाहता हूं मुख्य मंत्री को, वित्त मंत्रीजी को कि आपने एक योजना इस प्रकार की डाली, एक ऐसा विद्यालय खोलने की बात की जिसमें अनुसूचित जाति/जनजाति की बच्चियां पढ़ेंगी, अल्पसंख्यकों की बच्चियां पढ़ेंगी, उनके आवास की व्यवस्था, उनके भोजन की व्यवस्था होगी, उनकी पाठ्यपुस्तकों की व्यवस्था सारा वो करेंगे और वो जो विद्यालय होगा या वो जो आवासीय विद्यालय होगा उसका नाम कस्तूरबा के नाम पर रखा गया है। मैं धन्यवाद देता हूं। मैं एक और धन्यवाद देता हूं, इस देश के अन्दर गुरु गोलवलकर हुए थे, इस देश के समाज को एक दिशा दी, यहां के युवाओं को एक दिशा दी कि राष्ट्रभक्ति कैसे करते हैं, राष्ट्र के लिए त्याग किस प्रकार करना चाहिए, राष्ट्र के लिए क्या करना चाहिए कि इस राष्ट्र की भूमि का कण-कण पूजा जाना चाहिए कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक राष्ट्र एक है। यह वन्दनीय है, यह मातृभूमि है, यह धर्मभूमि है, पितृभूमि है, तर्पण की भूमि है, अर्पण की भूमि है, इस प्रकार के भाव, यह कर्म भूमि भी है इस प्रकार के भाव युवकों के अन्दर भरने वाले व्यक्तित्व का एक नया विचार, राष्ट्र भावना भरने वाले व्यक्ति के नाम पर आपने एक योजना प्रारम्भ की है, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। अब आप क्या मालूम किस-किस का नाम लेते हैं? मुझे माननीय भैरोंसिंहजी की याद आती है, एकलव्य को याद किया जाता था उनके जमाने में। डा. अम्बेडकर को भी याद किया जा रहा था उनके जमाने में। अब कांग्रेस तो डा. अम्बेडकर को शायद ज्यादा याद नहीं करती। इस प्रकार के भाव, इस समाज के लिए कार्य, और यह बजट अंततोगत्वा इस प्रदेश को आगे लाएगा।

आंकड़े मेरे पास भी हैं लेकिन ज्यादा देने की कोशिश नहीं कर रहा हूं क्योंकि बहुत सारे आंकड़े वो दे चुके हैं। कल यह बात आयी थी कि सामाजिक सेवाओं में आपका योगदान कम हो रहा है। मैंने देखा था सामाजिक सेवाओं के बारे में और मुझे उसके अन्दर ज्यादातर दो बातें देखने को मिलीं-अनुसूचित जाति के लिए और जनजाति के लिए। मैंने देखा कि 2000-01 के अन्दर 8802.28 लाख रुपये एक्सपेंडीचर आन सोशल

(श्री टीकम चन्द कान्त)

सर्विसेज के नाम पर था। आज मैंने जाकर नजर डाली 2004-05 में, सभापति महोदय, वो 18713 लाख हो चुका है। 2000-01 की तुलना में आज वो दुगना से भी ज्यादा हो चुका है। यही वो समाज है, अनुसूचित जाति और जनजाति यही तो पीड़ा देख रही है। इसका अगर सीधा कल्याण हो जाए, इस पर अगर ज्यादा बजट आ जाए और समाज का यह कमजोर अंग शक्तिशाली बन जाए तो यह देश शक्तिशाली बन सकता है, सुखी बन सकता है। मैं एक बार जाता हूं वापस उन प्राथमिकताओं की ओर। मैं उसके लिए नहीं कह रहा हूं कि प्राथमिकता जो तय की हैं, उससे क्या होगा इस प्रदेश का, परिणाम क्या होगा उसका। गरीबी, कुपोषण और भूख से मुक्ति अगर हो जाए, इस प्रदेश के अन्दर गरीबी, कुपोषण और भूख अगर चली जाएं तो यह प्रदेश पुष्ट बनेगा, शक्तिशाली बनेगा। इस प्रदेश के अन्दर अगर अशक्तों और महिलाओं को सम्बल मिल जाएगा तो यह प्रदेश शक्तिशाली बनेगा...

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री सभापति : माननीय सदस्य।

श्री टीकम चन्द कान्त : मानव संसाधन विकास और सामाजिक आधारभूत सुविधाओं में अगर वृद्धि हो गयी तो, सभापति महोदय, यह प्रदेश सुखी प्रदेश बन जाएगा। रोजगार सृजन तथा प्राकृतिक व सांस्कृतिक सम्पदा का संरक्षण अगर हो गया। तो यह प्रदेश सुशासित प्रदेश हो जाएगा। और आर्थिक आधारभूत सुविधाओं का अगर विकास हुआ, तो राज्य को ये सारे के सारे आधार विकसित करेंगे। इस प्रकार...बंद करूं? पूरा करूं?

श्री सभापति : माननीय सदस्य, समाप्त कीजिये।

श्री टीकम चन्द कान्त : फिर एक बार मारवाड़ी दोहे के साथ मैं अपनी बात पूरी करता हूं। बजट बहुत देखे हैं, आपके भी देखे हैं लेकिन इस प्रकार का बजट जो साहस लेकर आया है उस बजट के बारे में यह कहा जा सकता है, जो जानते हैं इस बारे में, "लावा तीतर लार हैड़ाऊ हांके घणा"। औ सिंहों तणी शिकार कोई एक नर खेले किशनियां।" इस प्रकार का यह बजट जिस प्रकार से आपने प्रस्तुत किया है उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देते हुए, उसका पूर्ण समर्थन करते हुए अपनी बात पूरी करता हूं। धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री सभापति : श्री देवीशंकर भूतड़ा।

(18.00 बजे)

श्री देवीशंकर भूतड़ा (ब्यावर) : माननीय सभापति महोदय, राजस्थान की प्रथम महिला मुख्य मंत्री श्रीमती वसुन्धरा राजेजी ने जो बजट पेश किया है उस बजट पर सत्तापक्ष ही नहीं बल्कि राजस्थान की सम्पूर्ण जनता खुशी जाहिर कर रही है और मैं तो यहां तक कह सकता हूं कि दबे स्वर में हमारे प्रतिपक्ष के साथी भी इस बात की प्रशंसा कर रहे हैं कि ऐसा बजट हमने आज से पहले नहीं देखा। मैं इसके लिए आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्रीजी का तहेदिल से शुक्रगुजार हूं, उन्हें बधाई देता हूं। आज उन्होंने सम्पूर्ण राजस्थान की जनता के प्रत्येक वर्ग का दिल जीत लिया है। उसके बाद भी जब हम उनके गुणगान की बात करते हैं तो हमारे प्रतिपक्ष के बंधुओं को पेट में दर्द होने लगता है कि आप गुणगान मत कीजिए। हम कहते हैं, जब कोई कुछ करके दिखाता है उसके बाद भी हम गुणगान नहीं करें? आपके नेता कुछ नहीं करें तो भी आप उनके गुणगान करो, उनकी पूजा करो, वह तो सही और हम गुणगान करें तो आपको तकलीफ होती है। मैं प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों को याद दिलाना चाहता हूं कि केन्द्र में माननीय प्रधानमंत्रीजी कौन हैं और किसके इशारे पर राज चल रहा है, उस गरिमापूर्ण पद की क्या हालत है, यह आपसे छिपी हुई नहीं है। आप यह कह रहे हैं... (व्यवधान) माननीय माहिर आजाद साहब, मुझे मालूम है आप बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं और मुझे यह भी मालूम है कि आप बहुत बोलना जानते हैं, लेकिन हमारी भी सुन लो आप। (व्यवधान) अभी हमारे माननीय सदस्य बैद साहब पूछ रहे थे कि साहब, यह घाटे की पूर्ति कैसे होगी। जब हम उन्हें कहते हैं कि हम इस घाटे की पूर्ति कुशल प्रबन्धन से करेंगे तो उनको विश्वास नहीं होता है। उनको विश्वास होगा भी कैसे? सभापति महोदय, उनको शायद पता नहीं है, वह यह कहते हैं कि मशीनरी तो वही है जो पहले थी। हम भी कहते हैं मशीनरी तो वही है जो पहले थी, लेकिन बात यह है कि न तो माननीय वसुन्धराजी आपकी मुख्य मंत्री थीं न उनके जैसा दिमाग आपके पास में था, न उनकी जैसी समझ आपके पास थी, तो आप वित्तीय प्रबन्ध करोगे कैसे, यह सोचने वाली बात है, माननीय सदस्यगण।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन के सामने यह बात रखना चाहता हूं कि आजादी के बाद बजट तो अनेक बने होंगे और बजट पेश भी अनेक हुए

(श्री देवीशंकर भूतड़ा)

होंगे किन्तु यह बजट सामाजिक संरचना के सर्वांगीण विकास का पहला बजट है जिसमें माननीय मुख्य मंत्रीजी ने जनता पर बिना कोई कर लादे सम्पूर्ण जनता के हितों की बात की है। पहली बार शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, कृषि, सिंचाई, ऊर्जा, सड़क, उद्योग, व्यापार, पर्यटन, परिवहन, खेल जगत के साथ-साथ सभी क्षेत्रों में व्यापक सोच की झलक नजर आ रही है। इसी बजट में आम जन की सोच और सहभागिता शामिल है। सभापति महोदय, इसका कारण है माननीय मुख्य मंत्रीजी ने 6 माह पूर्व, इस राजस्थान की बागडोर सम्भालने से पूर्व राजस्थान के चप्पे-चप्पे को छाना। वहां की कौन कौनसी समस्याएं हैं, कौन-कौन सी तकलीफें हैं, किन-किन से राजस्थान की जनता पीडित है, उन सबसे स्वयं रू-ब-रू हुईं। रू-ब-रू होने के बाद उन्होंने वादा किया कि यदि आपने हमें शासन सौंपा, हमें सत्तारूढ़ किया तो हम आपको विश्वास दिलाते हैं हम दिन रात एक करके आपकी इन समस्याओं का समाधान करेंगे और समृद्धशाली राज्य के रूप में इस राजस्थान को पूरे देश में अग्रिम राज्यों में लाएंगे। माननीय सभापति महोदय, वैसे तो नेता चुनाव में जाते हैं तब अनेक अच्छे-अच्छे भाषण, लच्छेदार भाषण बोलते हैं और भूल जाते हैं। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने इस परम्परा को तोड़ा है और एक आदर्श परम्परा शुरू की है। उन्होंने जनता को बताया है कि हम उन नेताओं में से नहीं हैं जो वोट बटोर कर ले जाएं और केवल घडियाली आंसू बहाएं, बल्कि हम उन नेताओं में से हैं जिनकी कथनी और करनी में कोई अन्तर नहीं है। और यह बात इस बजट में साफ नजर आती है।

सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान इस बात की ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि आज से 6 माह पूर्व सत्ता में आने के बाद जो चुनाव हुए और जनता की अदालत में गये और जनता की अदालत में जो हमने काम किया उस कार्य के आधार पर हमने वोट मांगे, उसका रिजल्ट 84 परसेंट लेकर यह बता दिया कि राजस्थान की जनता का आशीर्वाद हमारे साथ है क्योंकि हम अच्छा काम कर सकते हैं। सभापति महोदय, इस बजट से एक बात स्पष्ट झलकती है कि इस बजट में निचले तबके तक के गरीब आदमी का ध्यान रखा गया है। इस बजट में 200 करोड़ रुपये गरीबी उन्मूलन के कार्यों पर व्यय का प्रावधान कर राज्य के गरीब लोगों को बता दिया गया है कि उनका प्रतिनिधित्व आज सही हाथों में है। सभापति महोदय, यह बजट दरिद्रता को दूर करने वाला तथा राज्य को शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में आगे ले जाने के साथ ही रोजगार के

(श्री देवीशंकर भूतड़ा)

नये अवसर पैदा करने वाला बजट है। सभापति महोदय, मुख्य मंत्रीजी का यह बजट गरीबों, असहाय लोगों, मिहलाओं और किसानों को समर्पित बजट है। इस बजट की सबसे सकारात्मक बात यह है कि राजस्व बढ़ाने हेतु करदाताओं को अनावश्यक परेशान किये बिना आवश्यक प्रक्रियाओं में सरलता प्रदान की है। बिक्री कर को सरल व तर्कसंगत बनाकर प्रतिस्पर्द्धा के इस युग में व्यापार व उद्योग जगत को खड़ा रखा है। सभापति महोदय, मैं भी एक व्यापारी होने के नाते माननीय मुख्य मंत्रीजी का तहेदिल से शुक्र गुजार हूं कि पहली बार किसी मुख्य मंत्री ने ईमानदार करदाताओं के प्रति सम्मान प्रकट कर गोल्ड कार्ड देकर सम्मानित करने की बात की है। सभापति महोदय, इस बजट में जनता की मूलभूत आवश्यकताओं का भरपूर ध्यान रखते हुए बिजली, पानी व कृषि, स्वास्थ्य और शिक्षा के प्रति पूर्ण ध्यान देने के साथ ही सबसे बड़ी बात उन स्वायत्तशासी संस्थाओं की ओर ध्यान दिया गया है जिनकी ओर आज तक कभी ध्यान नहीं दिया गया, जिनकी माली हालत खराब हो गई है। जो जनता से सीधी जुड़ी हुई संस्थाएं हैं-नगर परिषद् है, नगरपालिका है, नगर निगम है, उनकी स्थिति इतनी दयनीय है, पहली बार उनके बजट को बढ़ाने के लिये व धनराशि उपलब्ध कराने के लिये मुख्य मंत्रीजी ने इस बजट में व्यवस्था की है जो भी अत्यधिक सराहनीय है। (व्यवधान) अभी बोलूंगा, आप चिंता क्यों कर रहे हो? सब बोलूंगा। आप सुनने की हिम्मत तो रखो, अभी बहुत बोलूंगा।

सभापति महोदय, इस बजट को देखने, सुनने और समझने के बाद हमारे प्रतिपक्ष के माननीय सदस्य श्री टीकमचंदजी बिलकुल ठीक फर्मा रहे थे कि इनको बहुत ही हताशा हुई, क्योंकि इनकी आशा के अनुरूप इन्होंने जो सोचा वह इस बजट में नहीं पाया। इन्होंने सोचा कि माननीय मुख्य मंत्रीजी जब बजट पर बात करेंगी तो वह यह कहेंगी कि केन्द्र सरकार ने हमको कम सहायता दी और ऐसी ही बातें इस बजट में सुनने को मिलेंगी। लेकिन मुख्य मंत्रीजी ने अपने इस बजट में एक बार भी यह बात नहीं की, जिक्र तक नहीं किया। तब जाकर इनको बड़ी पीड़ा हुई। इनको शायद याद है कि इनके पूर्व मुख्य मंत्रीजी ने, मैं समझता हूं, सम्पूर्ण अपने कार्यकाल के अन्दर केवल एक बात का रोना रोया कि हमारे को केन्द्र सरकार पैसे नहीं देती है, हमारे पास बजट नहीं है, हम कंगाल है हम दिवालिया हैं। लेकिन जब यहां से सत्तापक्ष की ओर से यह बात नहीं आयी तो हताशा महसूस हुई।

श्री रघुवीर सिंह : सभापति महोदय, न मुख्य मंत्रीजी ने कंगाली का कहा, न मुख्य मंत्रीजी ने दिवालिया कहा। यह गलत बात है। (व्यवधान) यह गलत बात है। (व्यवधान)

श्री सभापति : आप कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

श्री रघुवीर सिंह : गलत बात है, गलत बात है, यह कभी नहीं कहेंगे क्या? मुख्य मंत्रीजी ने कभी यह नहीं कहा, कंगाल हो गये, या दिवालिया हो गये। (व्यवधान)

श्री ओम बिरला : क्या बात करते हो...(व्यवधान) हमारी मुख्य मंत्रीजी ने दिल्ली से आशा नहीं रखी। (व्यवधान)

श्री रघुवीर सिंह : प्रोसीडिंग्स में गलत आ रहा है, गलत प्रोसीडिंग्स करवाते हो तो अलग बात है। (व्यवधान) परन्तु दिवालिया, कंगाल कभी नहीं कहा।

प्रो. बीरूसिंह राठौड़ : पिछले 5 साल के सारे अख़बार और मैगजीन आप पढ़ लीजिए, इसमें सारे शब्द आपको मिल जाएंगे।

श्री रघुवीर सिंह : आप मत कहना कभी. बिलकुल मत कहना। कभी मत कहना कि दिल्ली मदद नहीं कर रही है।

मोहम्मद माहिर आजाद : सभापति महोदय, ये सत्तापक्ष के सदस्य जब प्रतिपक्ष में थे तो कहते थे रोज भीख का कटोरा लेकर जा रहे हैं, अब देखेंगे, आप परात लेकर जाओगे जब।

श्री महावीर प्रसाद जैन : हमारा खजाना खाली है, हमारा खजाना खाली है, (व्यवधान) इसका मतलब क्या होता है?

श्री देवीशंकर : महावीर प्रसादजी साहब, मैंने इसलिये बात कही क्योंकि यह बात सुनने को आतुर थे। (व्यवधान)

श्री ओम बिरला : अधिकारपूर्वक पैसा लेंगे, दान में पैसा नहीं लेंगे। भीख का कटोरा नहीं है, हमारा अधिकार है राजस्थान का, जो छीनकर अधिकार लेंगे।

श्री हरिमोहन शर्मा : जब दूसरे मुख्य मंत्री मांगने जाते थे अपने अधिकार के तहत तो आपने उनको भीख का कटोरा क्यों बताया? (व्यवधान)

श्री ओम बिरला : वे रोज-रोज मांगते थे, हमने रोज-रोज मांग नहीं की है। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : अभी देखेंगे आपको, आप कौनसी परात लेकर जाओगे। अभी थोड़ा आप तरसो। (व्यवधान) हमारा अधिकार नहीं था क्या उस समय? (व्यवधान)

श्री ओम बिरला : हम भूख से रह लेंगे लेकिन दान नहीं मांगेंगे। (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा : वह आपका अधिकार है, आपकी सरकार हो तो। हमारी भीख है क्या? (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : आपके बेचने के बाट दूसरे और खरीदने के बाट दूसरे, आप खुद फैसला कर लो, कितने ईमानदार हैं।

श्री सभापति : माननीय सदस्यगण, बीच में व्यवधान नहीं डालें। नये सदस्य हैं, और शान्तिपूर्वक बोल रहे हैं, बीच में व्यवधान नहीं डालें। (व्यवधान)

श्री देवीशंकर भूतड़ा : सभापति महोदय, माननीय सदस्य बैद साहब फर्मा रहे थे और केन्द्र सरकार के बजट की तुलना इस बजट से कर रहे थे। मैं तो केवल एक छोटी-सी बात यह कहना चाहता हूं कि हमारे वित्त मंत्रीजी ने जब बजट पेश किया केन्द्र का उससे पहले हमारे माननीय प्रधान मंत्रीजी की धर्म पत्नी ने एक बात कही थी, गैस सिलिण्डर के पैसे मत बढ़ाना। (व्यवधान) सुन तो लें, क्यों नहीं सुन रहे हैं? सुनने की क्षमता तो रखें। (व्यवधान) उन्होंने तो बात नहीं मानी, मैं यह कह रहा हूं, लेकिन हमारी माननीय मुख्य मंत्रीजी ने उनकी पीड़ा को समझा, चाहे 3 रुपये ही कम किये हैं लेकिन गैस के दामों में 3 रुपये भी कम किये। आप में हिम्मत है तो केन्द्र सरकार से निवेदन करिये और गैस के दामों में कमी करवाइये।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र के बारे में बात करना चाहूंगा।

श्री सभापति : 2 मिनट में समाप्त करें, माननीय सदस्य।

श्री देवीसिंह भूतड़ा : 2 मिनट के अन्दर मैं अपनी बात खतम कर लूंगा।

(श्री देवीशंकर भूतड़ा)

समस्याएं अनेक हैं, उन सम्पूर्ण समस्याओं का समाधान केवल एक है, जो मैं आपके माध्यम से मुख्य मंत्रीजी से कहना चाहूंगा। ब्यावर शहर राजस्थान के अग्रणी शहरों में...(व्यवधान) सुनो तो सही, आप बनवाओगे, अपन मिलकर बनाएंगे, सुनो तो सही। सुन तो लो। (व्यवधान)

श्री सभापति : आप अपनी बात कहिये।

श्री देवीशंकर भूतड़ा : 13वां स्थान है, किन्तु आज भी, मैं बिलकुल सत्य बात कह रहा हूं, किसी भी पार्टी की सरकार रही हो, ब्यावर के साथ हमेशा नाइंसाफी की गयी है। जिस शहर को सर्वप्रथम जिला बनाया जाना चाहिए था, उसे आज तक नहीं बनाकर ब्यावर की जन भावनाओं का अनादर किया गया है। सभापति महोदय, मुख्य मंत्रीजी जन भावनाओं का आदर करने वाली और वास्तविकताओं को समझकर क्रियान्वित करने वाली दृढ़ मुख्य मंत्री हैं, इसलिये मैं आपका ध्यान ब्यावर क्षेत्र की ओर केन्द्रित करना चाहता हूं। ब्यावर, जो मापदण्ड तय किये गये हैं, उन मापदण्डों के अनुसार, आज मैंने क्वेश्चन पूछा था, उस क्वेश्चन के अन्दर मुझे बताया गया कि भौगोलिक, आर्थिक, औद्योगिक और व्यापारिक क्षेत्र के साथ ही स्वतंत्रता संग्राम की कर्म-भूमि है, परम-पूजनीय जगदगुरु शंकराचार्य की जन्म-स्थली है। हर दृष्टि से जिले के लिये उपयुक्त होते हुए भी आज तक वह जिला नहीं बना, जबकि उससे छोटे-छोटे बहुत-से शहरों को जिला बना दिया गया।

मोहम्मद माहिर आजाद : अब कौन बनाएगा?

श्री देवीशंकर भूतड़ा : हम बनाएंगे। आगे भी हमने बनाये हैं। आप नहीं बना सकते हैं, आप में दम नहीं है, क्योंकि आपको मालूम है, आपका खजाना हमेशा खाली रहता है, हमारा भरा हुआ रहता है। तो आप बीच में मत उलझो। जब आप बोलते हैं तो हम बीच में नहीं बोलते हैं। इसलिये मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी का तहेदिल से आभार व्यक्त करता हूं कि इतना शानदार, जानदार बजट पेश किया, जिसकी सम्पूर्ण राजस्थान की जनता वाह-वाही कर रही है। और तो और, हमारे प्रतिपक्ष के साथी भी करते हैं, लेकिन अपनी भूमिका निभाने के लिये, यहां ना-नुकर कर रहे हैं। सभापति महोदय, आपने जो मुझे समय दिया, उसके लिये मैं आप को...(व्यवधान) मांग लिया साहब, मैंने मांग लिया।

मोहम्मद माहिर आजाद : जिला शिक्षा अधिकारी है, सी.एम.एच.ओ. है, जिला बनवाने की तो मांग करो। (व्यवधान) मुख्य मंत्रीजी के जाते ही चुप हो गये। (व्यवधान)

श्री देवीशंकर भूतड़ा : मैं वही मांग रहा हूं, आप बैठो तो सही। मैंने तो कर दिया न। सभापति महोदय, यह जो सदन का समय खराब होता है उसके लिये भी एक बार मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, हमारे प्रतिपक्ष के सदस्य कहते हैं कि यहां पर जो लोग आते हैं नये-नये, वे समय खराब कर रहे हैं, जबकि मैं आज पहली बार बोला हूं। आपके माध्यम से मैं यह कहना चाहता हूं कि अधिकांश समय खराब होता है, जितने हमारे वरिष्ठ साथी हैं प्रतिपक्ष के, जिसमें हमारे माहिर आजाद साहब के तो सीटें चैक करवाएं, कहीं स्प्रिंग तो नहीं लगी हुई है, ये हर बात पर, बार-बार उछल-उछल कर किसी को बोलने का मौका ही नहीं देना चाहते हैं, इसलिये मैं इनसे निवेदन करना चाहता हूं कि प्रशिक्षण की हमें जरूरत नहीं है, आपको अत्यन्त आवश्यकता है, हम तो अनुशासित होकर अपना काम कर लेंगे।

ब्यावर को पुन: जिला बनाने की मांग करते हुए कि हर दृष्टि से जिले के लिये उपयुक्त है माननीय मुख्य मंत्रीजी, मैं समझता हूं कि भावनाओं का ध्यान रखेंगी। मैं पुन: आपका बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं कि मुझे बोलने का समय दिया। धन्यवाद।

श्री जुबेर खान : पूरा प्रतिपक्ष आपके साथ है, जिला बनवाने के लिये।

श्री सभापति :-श्री.सुभाष बहेड़िया।

श्री सुभाष चन्द्र बहेड़िया (भीलवाड़ा) : सभापति महोदय, जो यह बजट, एक ऐतिहासिक बजट माननीय मुख्य मंत्रीजी ने रखा, इसके लिये राजस्थान की जनता की और से बहुत-बहुत धन्यवाद। मैंने ऐतिहासिक बजट बोला तो इसके बोलने के पीछे कारण था, कि पहली बार राजस्थान विधान सभा में 2 घण्टे 16 मिनट कोई बजट भाषण बिना रुके, बिना पानी पिये हुए बोला गया। पहले का रिकार्ड है 2 घण्टे एक मिनट और यह 2 घण्टे 16 मिनट। दूसरा. कल मैंने अख़बार में पढ़ा कि इस बजट की तैयारी के लिये मुख्य मंत्रीजी ने 185 घण्टे सिटिंग की। कल एक अख़बार में पढ़ा था. वह कितना सच है, नहीं है, परन्तु 185 घण्टे कार्यपालिका के अधिकारियों के साथ, किसानों के प्रतिनिधियों के साथ. मजदूरों के प्रतिनिधियों के साथ, कर्मचारियों के

(श्री सुभाष चन्द्र बहेड़िया)

प्रतिनिधियों के साथ, व्यापारियों के प्रतिनिधियों के साथ, उद्योगों के प्रतिनिधियों के साथ, कर एवं कानूनी सलाहकारों के प्रतिनिधियों के साथ भी चर्चा की। पिछले करीबन 15 साल में राजस्थान का बजट हो या केन्द्र का बजट हो, प्री-बजट चर्चा होती है उसमें भाग लेने का मौका मिलता रहा है। पर पहली बार यह लगा, इस बार बजट पर प्री-बजट चर्चा थी। कर सलाहकारों वाली मीटिंग में तो यह आदत पड़ गयी थी कि वहां पर जाएंगे, अपना एक मैमोरेंडम बनाएंगे और बात करेंगे, देंगे और वापस आकर उसको भूल जाएंगे। पर पहली बार इस प्री-बजट चर्चा में जो सुझाव आये उनको इम्प्लीमेंट किया गया, ऐसा मेरा खुद का अनुभव है। बजट की चर्चा में सबसे बड़ी बात आयी थी, व्यापारी हो या कर सलाहकार हो या उद्योगपति हो, सबसे एण्ट्री टैक्स के बारे में चर्चा हुई थी और सबको दिक्कत थी। पिछली वाली सरकार से दो बार प्री-बजट चर्चा में हमने पहले भी यह बात रखी थी, पर उस समय कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन इस बार जब प्री-बजट चर्चा में यह बात रखी गयी तो माननीय मुख्य मंत्रीजी ने उस समस्या का समाधान किया और टैक्सेज से एण्ट्री कर को बिलकुल माफ करवा दिया। ऐसा पहली बार हुआ है कि व्यापारियों की राय से, कर सलाहकारों की राय के हिसाब से, जो व्यावहारिक कठिनाई आ रही थी उसको बजट में दूर किया गया और सबको राहत दी गयी। इसके लिए मैं सारे उद्योग जगत की ओर से माननीय मुख्य मंत्रीजी का धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं।

दूसरा, अभी तारानगर से आने वाले माननीय सदस्य बजट पर चर्चा कर रहे थे, उन्होंने बोला कि इस सरकार ने एक नया लोन 18000 करोड़ का लिया है। 18000 करोड़ लोन का बताया नहीं गया पर उन्होंने यह नहीं लिखा है इसमें, या नहीं बोला हो, वे कह रहे थे कि 18000 करोड़ और उन्होंने कहा कि यदि कहीं कोई करैक्शन हो तो आप करवा दीजिए। तो उसके लिए मेरा कहना है कि 2003-2004 में 18539 करोड़ का लोन लिया गया, लेकिन उसके साथ ही जो पुराना लोन इन्होंने लिया था 12434 करोड़ का, उसका रीपेमेंट किया गया तो नैट लोन, माननीय सभापति महोदय हुआ, जो गलत कहा, 6104 करोड़ 85 लाख का अगले साल का अनुमान नैट लोन 4960.99 करोड़ रुपये। अब आप इसका पिछले वर्षों से कम्पेरीजन करें तो 2001-2002 में जो लोन की वृद्धि हुई है, वह हुई 3000 करोड़ की। उसके आगे वाले वर्ष में 2003-2004 से जो वृद्धि हुई

(श्री सुभाष चन्द्र बहेड़िया)

वह हुई है, 1700 करोड़ रुपये। पहली बार केवल 2004-05 में हुई, क्योंकि सरकार ने बजट में यह प्रावधान किया था कि हम कम लोन लेंगे, उस हिसाब से उन्होंने 1000 करोड़ कम नया ऋण लिया। तो यह अपने आप में एक बहुत बड़ा एचीवमेंट सरकार का अपन बता सकते हैं। पहली बार बजट माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने इस ढंग से बनाया कि न किसी को ज्यादा लगे और नया ऋण न लेकर राजस्व घाटे को शून्य किया जाए। उन्होंने यह बोला है बजट में कि अगले आने वाले पांच से सात वर्षों में राजस्व घाटे को शून्य बनाने की कोशिश की जाएगी और इसका प्रयास इस बार शुरू किया। राजस्व घाटा 2003-2004 में जितना था, करीबन 3600 करोड़ रुपये, उसकी जगह 2200 करोड़ रुपये 2004-2005 में प्रस्तावित किया गया, क्योंकि यह प्रयास है। राजस्व घाटा हर बजट में बढ़ता गया, पहली बार इस बार एस्टीमेट किया गया और राजस्व घाटा पहली बार कम करने का प्रयास किया गया। क्योंकि माननीय मुख्य मंत्रीजी ने अपने बजट भाषण में यह घोषणा की कि राजस्व घाटे में कमी की जाएगी। बजट में 2004-2005 के प्रावधानों में 1869.78 करोड़ रुपये का राजस्व घाटा रहेगा, अनुमानत: राजस्व घाटा, जबकि इससे पूर्व जो संशोधित अनुमान हैं 2003-2004 के उनमें 3385.10 करोड़ और उससे पहले वाले 2002-2003 के थे वे 3727.38 करोड़ थे। हर बार राजस्व घाटा 2001-2002 से 2002-2003 में बढ़ा, 2002-2003 से 2003-2004 में बढ़ा, पर 2003-2004 से 2004-2005 में कम एस्टीमेट किया गया। इसका यही कारण है कि माननीय मुख्य मंत्रीजी ने यह सकारात्मक प्रयास किया कि कैसे आने वाले पांच वर्षों में राजस्व घाटे को हम शून्य पर लाने की कोशिश करेंगे।

माननीय सभापति महोदय, अभी सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य बात कर रहे थे। बात हो रही थी कि परिवर्तन यात्रा में क्या हुआ, क्या नहीं हुआ। इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण मैं मेरे जिले का देना चाहता हूं। परिवर्तन यात्रा के समय दो रात माननीय मुख्य मंत्री महोदया भीलवाड़ा में बिराजी थीं और उस समय एक यह चर्चा आयी थी कि यहां पर पानी की समस्या क्या है। भीलवाड़ा की स्थिति यह थी कि वहां चार दिन में एक घंटे के लिए पानी मिलता था और अभी भी मिल रहा है। जैसे ही सरकार आयी तो सबसे पहले उन्होंने कहा कि भीलवाड़ा के पानी की समस्या कैसे दूर की जाए, उनके रिकार्ड में था। उस हिसाब से जो पिछले चार सालों से ककरोलिया घाटी

(श्री सुभाष चन्द्र बहेड़िया)

योजना जिसकी कांग्रेस सरकार ने शुरूआत की थी लेकिन वह किन्हीं कारणों से, उनकी आपसी लड़ाई की वजह से रुक गयी थी, पहली बार इस बजट में यह प्रावधान किया गया कि इस वर्ष के अन्त तक, जनवरी के माह में ककरोलिया घाटी का पानी भीलवाड़ा में आ जाएगा और इस बजट में उसके लिए साढ़े पन्द्रह करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। यह योजना आज से चार साल पहले कांग्रेस के राज में बन चुकी थी लेकिन इनकी आपसी खींचातानी ने, कांग्रेस के दो जो वहां के बड़े नेता हैं, उनकी आपसी लड़ाई की वजह से वह योजना चार साल से भीलवाड़ा को पानी नहीं दे सकी। लेकिन उनको ध्यान था परिवर्तन यात्रा के समय का कि भीलवाड़ा में पीने के पानी की स्थिति बहुत खराब है और इसको कैसे दूर किया जाए। उन्होंने जो वह लम्बित योजना थी, जो किसी कारणवश अटकी हुई पड़ी थी, उस योजना को पूरा करने का प्रण लिया और साढ़े पन्द्रह करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया। उसके साथ ही यह जिम्मेदारी डिपार्टमेंट को दी कि इसको किसी भी स्थिति में जनवरी तक करें ताकि आगे आने वाली गर्मी से पहले यह योजना चालू हो जाए और भीलवाड़ा को पीने का पानी उपलब्ध हो सके।

परिवर्तन यात्रा के समय एक बात और ध्यान में आयी। हम जा रहे थे जहाजपुर से, परोली गांव से जहाजपुर की तरफ जा रहे थे तो वहां बीच में एक खेत देखा। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने अपना रथ वहां पर रोका। खेत में एक किसान जिसके कपड़े बिलकुल फटे हुए थे, उसके पास गयीं। उसके चार बच्चे थे, वह वहां पर रहता था। उन्होंने उससे बात की। उन्होंने कहा कि भाई क्या है? तो उन्होंने कहा कि मेरे यह आठ बीघा जमीन है। मैं अकेला कमाने वाला हूं, ये चार हैं कभी मान लीजिए, क्या हो जाए, बीमार भी हो जाता हूं तो हमारे घर में खाने की भी दिक्कत हो जाती है। माननीय मुख्य मंत्री महोदया के मन में उस समय यह विचार आया होगा और उसी का परिणाम इस बजट में है कि खेत पर काम करने वाला या खेतिहर मजदूर या काम करने वाला, काम करते समय किसी दुर्घटना से उसकी मौत हो जाती है तो पिछली सरकार में जो 30 हजार रुपये मिलते थे, पहली बार उन्होंने उस वाकये को याद रखते हुए इसको पचास हजार रुपये किया। यह अपने आप में बड़ी बात है क्योंकि आज तक किसी ने भी फील्ड में जाकर या व्यवहार में जाकर बजट को नहीं बनाया। अपनी-अपनी जो रिपोर्टस आयीं, अधिकारियों की जो रिपोर्टस आयी, उसी हिसाब से बजट का निर्माण हुआ।

(श्री सुभाष चन्द्र बहेड़िया)

पहली बार बजट वास्तविक धरातल से जुड़ा हुआ है, इसलिए आज सब जगह यही चर्चा हो रही है कि पहली बार राजस्थान का बजट बहुत अच्छा आया है।

अभी माननीय विधायक जो नगर से आते हैं बोल रहे थे। तिजारा से आने वाले माननीय विधायक कल बजट पर बोल रहे थे और उन्होंने एक बात बतायी कि पावर आफ अटार्नी के ऊपर 2 परसेंट शुल्क लगा दिया, जो गलत है। उन्होंने इसकी तो बड़ाई नहीं की कि जो 11 परसेंट सम्पत्ति के ऊपर रजिस्ट्री चार्ज लगता था, स्टाम्प ड्यूटी लगती थी उसको 8 प्रतिशत किया। लेकिन 2 प्रतिशत पावर आफ अटार्नी पर उन्होंने आब्जेक्शन लगाया अपने बजट के भाषण में 1 मैं, माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से उनको ध्यान दिलाना चाहता हूं कि थर्ड पार्टी जो अपने रिलेशन में नहीं है, उसी को केवल 2 प्रतिशत की स्टाम्प ड्यूटी पावर आफ अटार्नी पर देनी पड़ेगी। अपने रिश्तेदारों को, अपने भाई को, अपने पुत्र को, अपने पिता को कोई पावर आफ अटार्नी देता है तो उसमें दो प्रतिशत के शुल्क से उसको माफी दी गयी है। क्योंकि आज जो बाजार में प्रापर्टी का धंधा हो रहा है वह पावर आफ अटार्नी के नाम से हो रहा है। तो पहली बार मुख्य मंत्रीजी ने जहां-जहां गलत ढंग से लोग-बाग़ करों की चोरी कर रहे थे, ड्यूटी की चोरी कर रहे थे उसको रोकने का एक सकारात्मक, बहुत बढिया प्रयास किया। इसके लिये मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं।

अब जिस कार्य कुशलता से बजट का निर्माण हुआ है, आप इसको देखें। कुछ भी नहीं लिखा और कुछ भी नहीं दिया, लेकिन 200 करोड़ रुपये की कमी कर दी इंटरेस्ट के भुगतान में राज्य सरकार के जो महंगे ऋण हैं, उनका री-पेमेंट करके सस्ते वाले ऋण लेकर एक साल में 200 करोड़ रुपये की सरकारी खजाने में एकदम बढ़ोतरी करवा दी। यह अपने आप में बहुत बड़ा कदम है, क्योंकि आज तक और किसी ने इस ढंग से नहीं सोचा कि बजट को शून्य बजट कैसे लाएं। पहली बार यह सकारात्मक प्रयास हुआ है, माननीय सभापति महोदय, हर क्षेत्र में चाहे वह शिक्षा का हो, चाहे वह विद्युत का हो।

अभी नगर से आने वाले माननीय सदस्य बिजली की छीजत की बात कर रहे थे कि बिजली की छीजत कैसे कम करेंगे, क्या कम करेंगे जो 49 प्रतिशत गया है। अभी बजट में प्रावधान किया कि 25 प्रतिशत तक बिजली के जो टी. एण्ड डी. लासेज हैं उनको कम करने की कोशिश करेंगे। इसकी कोशिश के लिये उन्होंने जो फीडर बने हुए

(श्री सुभाष चन्द्र बहेड़िया)

हैं गांवों पर सप्लाई करने के लिये, जिनके कारण टी एण्ड डी लासेज ज्यादा होते हैं, उन सब फीडरों के नवीनीकरण का प्रावधान किया। इस वर्ष के बजट में 600 फीडरों का नवीनीकरण हो जाएगा ताकि उस वजह से टी एण्ड डी के लास हो रहे हैं उनको रोका जा सके।

(समय-समाप्ति-सूचक-घण्टी)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, समाप्त कीजिये।

श्री सुभाष चन्द्र बहेडिया : माननीय सभापति महोदय, पहली बार बोल रहा हूं, एक-दो मिनट ज्यादा लग जाएं तो आपका आशीर्वाद चाहिये। अब ज्यादा न बोलता हुआ अपने एरिये की बात पर आता हूं।

मैं भीलवाड़ा से आता हूं, माननीय सभापति महोदय, एक कोई टैक्निकल गलती की तरफ माननीय मुख्य मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। आपने बजट पेश किया 12 तारीख को, इससे पहले 8 तारीख को केन्द्र सरकार का बजट पेश हुआ और केन्द्र सरकार के बजट की वजह से, केवल उनके एक बजट प्रजेंटेशन की वजह से राजस्थान में कपड़े के ऊपर भी सेल्स टैक्स लागू हो गया। उनकी कोई इच्छा नहीं थी और न बजट के प्रावधानों में इसकी कोई रेवेंयू पकड़ी गयी। इसलिए जब इस बजट की रिप्लाई हो या फाइनेंशियल बिल की रिप्लाई के समय इसका समाधान करें। जब तक पड़ोसी राज्य जो कपड़ा बनाते हैं महाराष्ट्र, गुजरात इनमें सेल्स टैक्स लागू नहीं हो जाए तब तक राजस्थान में सेल्स टैक्स लागू नहीं करें, यह मैं आपके माध्यम से मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं।

दूसरा, भीलवाड़ा शहर की सबसे बड़ी समस्या है वह है मेवाड़ टैक्सटाइल मिल, जिसको राज्य सरकार ने अधिगहित किया हुआ है। वह मिल बंद पड़ी हुई है। उसकी काफी प्रापर्टी है, अगर उन सबको बेचकर और आफिसर लिक्विडेटर से जल्दी लिखाकर सब मजदूरों का हिसाब बकाया जो है वह हो जाए तो वहां पर मजदूरों को जो तकलीफ आ रही है, वहां करीब 1200 की संख्या में मजदूर हैं, वह दूर हो सकेगी। इससे राजस्थान सरकार के एडिशनल रिसोर्सेज जनरेट होंगे क्योंकि उसमें जो चुकाना है उससे ज्यादा की प्रापर्टी है। यह राजस्थान सरकार द्वारा अधिगहित मिल है, उसकी सम्पत्तियों को

(श्री सुभाष चन्द्र बहेडिया)

बेचकर और मजदूरों को चुकाने के बाद, जो बकाया है वह भुगतान करने के बाद भी राज्य सरकार को कुछ न कुछ मिलेगा। तो इसमें थोड़ी जल्दी की जाए, यही मेरा निवेदन है। अन्त में पूरे राजस्थान की जनता की ओर से, सभी वर्गों की ओर से मुख्य मंत्रीजी का धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं और इस बजट का स्वागत करता हूं। धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री सभापति : श्री भरत सिंह।

श्री भरत सिंह (दीगोद) : माननीय सभापतिजी, माननीय मुख्य मंत्रीजी जो हमारी वित्त मंत्री भी हैं, उन्होंने जो बजट पेश किया, मैं उसकी सराहना करता हूं। प्रदेश की वित्तीय हालत की पृष्ठभूमि में उन्होंने जो बजट दिया है उसमें लगभग सभी वर्गों का ध्यान रखकर कुछ न कुछ इस प्रदेश की जनता को देने का प्रयास किया है, मैं इस बात की भी सराहना करता हूं। मैं आंकड़ों में उलझकर अपनी बात को नहीं कहना चाहूंगा, मैं थोड़ा लीक से हटकर अपनी बात का जिक्र करूंगा। एक बात जो राजस्थान के हर बजट में, हर मुख्य मंत्रीजी ने लिखी है और कही है, उन्होंने इस बात का उल्लेख किया है कि हिन्दुस्तान के भू-भाग का दस प्रतिशत हिस्सा राजस्थान में है। हमें विरासत में अकाल मिला है। सतही जल का केवल एक प्रतिशत इस राजस्थान को मिला है। हम सावन के महीने में बात कर रहे हैं, लेकिन वर्षा का अता-पता नहीं है। इस प्रदेश की 76 प्रतिशत जनता गांवों में रहती है और 70 प्रतिशत जनता कृषि पर आधारित है, या तो खेती करती है या खेती से सम्बन्धित कार्य से 70 प्रतिशत आदमी अपना जीवन निर्वाह करते हैं। इस प्रदेश की अर्थव्यवस्था, उसकी बैक-बोन कृषि है और सारी योजना जब तक उस किसान को देखकर, उसकी आर्थिक स्थिति के ऊपर चिन्तन करके, उसको लाभ पहुंचाने की दृष्टि से नहीं होगी तब तक यह प्रदेश तरक्की नहीं कर सकता।

माननीय सभापतिजी, आज राजस्थान में जो सबसे अहम बात है वह यह है कि जो हमारे पास एक प्रतिशत जल है, दुर्भाग्य से हम इन पचास वर्षों के अन्दर इस एक प्रतिशत जल का पचास प्रतिशत भी उपयोग नहीं कर सके हैं। जिस स्थान से माननीय मुख्य मंत्रीजी आती हैं, जिस जिले से आती हैं, सबसे ज्यादा वर्षा उसी जिले में होती है और सबसे ज्यादा व्यर्थ जल भी उसी जिले का बहकर जाता है। 80 प्रतिशत, भीलवाड़ा

(श्री भरत सिंह)

जिले में जो वर्षा होती है वह बहकर व्यर्थ जा रही है। वह पानी समुद्र में जा रहा है सीधा। पंजाब से पानी के लिये हमने संकल्प लिया, सदन की दोनों पार्टियों के लोगों ने एक संकल्प लिया कि हमको पंजाब से पानी मिलना चाहिये। जिस पानी पर हमारा नियन्त्रण नहीं है, जिस पानी की लगाम किसी और के पास है, उस पानी को लेने की हमने चेष्टा की और वह हमारा हक है, उसके लिये हमें लड़ना चाहिये। मगर कुदरत ने जो हमें एक प्रतिशत पानी दिया है उस एक प्रतिशत पानी को लेने में हम सक्षम नहीं हैं, जिसमें हमें किसी और दूसरे प्रदेश से बात नहीं करनी। यह सबसे शर्मनाक बात है। यह मुख्य मंत्रीजी के क्षेत्र की बात है, कोटा सम्भाग में आधे से अधिक पानी जो बरसता है चम्बल बेसिन का, वह व्यर्थ बहकर जा रहा है। आवश्यकता इस बात की है, इस सदन को अगर संकल्प लेना है तो इस बात का संकल्प लेना है कि जो पानी हमारे पास है उसका पूरा उपयोग किया जाए। इस प्रदेश का जो सिंचित क्षेत्र है, जो कुल कृषि भूमि है उसमें से 40 प्रतिशत भूमि से कम में सिंचाई हो रही है और इस 40 प्रतिशत भूमि में भी जो सिंचाई हो रही है उसमें से 75 प्रतिशत क्षेत्र वह है जहां स्थाई जल से सिंचाई नहीं होती। ग्राउंड वाटर लेकर हम सिंचाई कर रहे हैं। कुए तो खैर सूख गये आज. ट्यूबवैल से हम जो सिंचाई कर रहे हैं वह 75 प्रतिशत है। बजट पेश करने वाले को पूरा ध्यान केन्द्रित करना चाहिये उस 75 प्रतिशत पर जो अपने साधन से जमीन से पानी निकाल रहे हैं। दुर्भाग्य की बात है कि सिंचाई की जब बात आती है तो उस वर्ग को छोड़ दिया जाता है जो अपने साधन से सिंचाई कर रहा है। कोई संतुलन नहीं है। सिंचित जमीन के अन्दर जो नहरी सिंचाई हो रहीं है उसका कोई संतुलन नहीं है। काश्तकार अपने इलैक्ट्रिक मोटर लगा कर पानी पम्प कर रहा है। सरकार को अपनी व्यवस्था सुधारनी चाहिए, इसमें समानता लानी चाहिए और जो सतही जल है, उसका उपयोग इसके लिए करना चाहिए कि हमारा भू-जल रिचार्ज हो। सिंचाई योजनाएं जो कॉस्ट-बेनिफिट रेशो के आधार पर हम कर रहे हैं, आज आवश्यकता सिंचाई योजनाओं के ऊपर पानी रोकने की नहीं है, आज आवश्यकता है कि जो हमारी नदियां हैं, पानी बह रहा है, उसको रोका जाए, ग्राउंट वाटर रिचार्ज करने के लिए उसका उपयोग किया जाए।

मैं जिस सम्भाग से आता हूं उस सम्भाग के अन्दर और खास कर मुख्य मंत्री के क्षेत्र में जहां 80 प्रतिशत पानी बह कर जा रहा है, लगभग सभी तहसीलों में गर्मियों के

(श्री भरत सिंह)

अन्दर टैंकरों से पानी की व्यवस्था करनी पड़े तो इससे शर्म की बात नहीं हो सकती। आवश्यकता है कि उस पानी को रोक कर सतही जल को रोकें। उस पानी का उपयोग सिंचाई के लिए नहीं करके जिस प्रकार से आपने बीसलपुर से जयपुर पानी ले जाने की योजना बनायी है, चम्बल की नदियां हैं, कालीसिंध है, उनका पानी रोक कर, नदियों में जगह-जगह एनीकट बना कर जितने भी हमारे कस्बे हैं उनकी पी.एच.ई.डी. की स्कीम को इरिगेशन से लिंक कर दिया जाए।

इस बजट में मुख्य मंत्रीजी ने टयूरिज्म का जिक्र किया है, हाड़ौती सम्भाग की बात की है कि हाड़ौती सम्भाग का क्षेत्र ट्यूरिज्म से वंचित रह गया है, पर्यटन की दृष्टि से उसको बढ़ाना है। पिछली सरकार में राजीव गांधी नेशनल पार्क का प्रस्ताव दिया गया था। मैं आपके माध्यम से मुख्य मंत्रीजी से अनुरोध करूंगा, केबिनेट में डिसीजन लिया जा चुका है और हाड़ौती के अन्दर वे पर्यटन को प्रोत्साहित करना चाहती हैं, आज हमारे यहां दो नेशनल पार्क हैं, स्थिति यह है कि वहां इतनी भीड़ रहती है कि पर्यटक को जगह नहीं मिलती पार्क में जाने के लिए। हमारे पास कोटा में राजीव गांधी नेशनल पार्क है, चम्बल के किनारे पूरे अभयारण्य को डवलप करने की स्थिति है। हमारा ध्यान इस पर केन्द्रित होना चाहिए क्योंकि पर्यटन सरकार का बहुत बड़ा उद्योग है। इस बात पर भी अवश्य ध्यान रखना चाहिए।

प्रदेश के अन्दर उद्योग लगाने की बात कही जाती है, हमें हालात पैदा करने होंगे। माहौल इस प्रकार का पैदा करना होगा कि उद्योग लगाने के लिए प्रदेश में बाहर से लोग आएं। मैं आपको उल्लेख करना चाहता हूं कि इस बजट में हाल ही में जो विद्युत कैपिटव पावर प्लांट के माध्यम से पैदा होती है उस पर 25 पैसा किलोवाट के ऊपर चार्ज लगाया है। 1989 में राजस्थान की सरकार ने यह निर्णय किया था, क्योंकि हमारे प्रदेश में आज भी पावर जनरेशन की कमी है, हमारे पास किसानों को देने के लिए पर्याप्त बिजली नहीं है, उद्योग को प्रोत्साहित किया गया था कि आप अपने कैप्टिव पावर प्लांट लगाएं। लोगों ने कैप्टिव पावर प्लांट लगाये और उद्योगों ने भारी मात्रा में इसमें इंवेस्ट किया। उसमें जो रिलैक्सेशन दिया गया था उसके ऊपर अगर आज हम 25 परसेंट टैरिफ लगाते हैं तो जो एक विश्वास का माहौल इंडस्ट्री में क्रिएट किया था, उस पर आंच आती है। मैं मुख्य मंत्रीजी से अनुरोध करूंगा कि इस प्रकार के टैरिफ को कम करें या इसको

(श्री भरत सिंह)

हटाएं ताकि उद्योग का वातावरण बने। कोटा में पहले ही जो उद्योग लगे हुए हैं, काफी बंद हो चुके हैं और लोगों को बड़ी परेशानी हुई। हम चाहते हैं कि कोटा के अन्दर और उद्योग लगें और इसके लिए अनुकूल माहौल बने, लोगबाग इसमें इंवेस्ट कर सकें। यह मेरा विनम्र निवेदन है, मुख्य मंत्रीजी से अनुरोध है।

एक चीज की ओर मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं। बहुत गम्भीर बात है कि देश की आबादी का 5 प्रतिशत प्रदेश की आबादी है। बेरोजगारी, गरीबी एक गम्भीर समस्या है। जिस क्षेत्र से, जिस इलाके से मैं आ रहा हूं, आज सबसे बड़ी स्वरोजगार योजना सरकार चला रही है, इससे एक सैल्फ एम्प्लायमेंट स्कीम डवलप हो गयी है। बेरोजगारों को अगर हम नौकरी नहीं दे पाएंगे, लाखों की तादाद में जो जनसंख्या का फ्लो है अनएम्प्लायमेंट का, जैसे उसकी संख्या बढ़ेगी. लोगबाग स्वयं अपने रोजगार के लिए मार्ग ढूंढेंगे। मुझे इस बात की चिंता है कि बहुत ज्यादा नवयुवक, बहुत ज्यादा लोगों ने क्राइम को एक रोजगार का साधन बना लिया है। यह चिन्ता का विषय है कि लोग अफीम, स्मैक और इस प्रकार के धंधे में हैं, क्योंकि आसानी से इसमें अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं। लोग उस दिशा में चले हैं। जब तक हम रोजगार के अवसर पैदा नहीं करेंगे, लोग गलत दिशा में भटक जाएंगे और इसकी जिम्मेदारी देश में, प्रदेश में जो राज कर रहे हैं, उन पर होगी। हमें रोजगार के अवसर प्रदान करने चाहिए। कृषि जो अर्थव्यवस्था की बैकबोन है, इसके अन्दर अवसर प्रदान करें। दुर्भाग्य से आज किसान की यह हालत है कि असिंचित जमीन के अन्दर उसकी उपज का ब्रेक ईवन भी नहीं कर पा रहा है। सारी सरकारें, इसके पहले वाली भी और वर्तमान भी किसानों को उसकी उपज का मूल्य नहीं दिला पा रही हैं। धनिये की बात की गयी है, क्रॉप इंश्योरेंस की बात की गयी है, आयल सीड में राजस्थान प्रथम स्थान रखता है, मैं आपकी जानकारी में लाना चाहता हूं कि काश्तकार को कृषि उपज का पूरा मूल्य नहीं मिलता, इसलिए उसकी दौड़ यह रहती है कि मैं एक फसल के बाद दूसरी फसल करूं।

सरसों जो कि राजस्थान की प्रमुख फसल हैं, यह एक क्राप की फसल है, काश्तकार को उसकी उपज का पूरा मूल्य नहीं मिलता। आज इस सदन को. मैम्बर्स ऑफ पार्लियामेंट को, चाहे दिल्ली में किसी की भी सरकार हो, इस बात पर ध्यान देना है। आवश्यकता से अधिक एडीबल आयल. कम से कम 8000 करोड़ रुपये का भारत

(श्री भरत सिंह)

सरकार इम्पोर्ट करती है, पहले बी.जे.पी. की सरकार थी आज कांग्रेस की है। क्रूड आयल है, पाम आयल है, क्रूड फार्म में इम्पोर्ट हो रहा है। अब सरकार ने ड्यूटी बढ़ायी है, मगर रिफाइंड आयल पर बढ़ायी है, क्रूड आयल पर नहीं बढ़ायी इससे हमारा तिलहन उद्योग चौपट हो चुका है। राजस्थान की अर्थव्यवस्था की बैकबोन यह सरसों की फसल है, जितनी अधिक सरसों करेंगे उसी में लोगों को लाभ है। लाभ इसलिए है कि एक फसल करते हैं तो पानी का उपयोग कम होता है। अगर काश्तकार दौड़ में दो फसल करने के लिए मजबूर होता है तो क्योंकि 75 प्रतिशत पानी जमीन में से निकाला रहा है, उसका उतना ही ज्यादा खर्च होता है। इसलिए प्रदेश की सरकार को, विपक्ष को और केन्द्र सरकार को इस बात को एम्फेसाइज करना चाहिए कि जो एडीबल आयल का इम्पोर्ट हो रहा है, उसमें इम्पोर्ट शुल्क बढ़ाए. क्योंकि राजस्थान से ज्यादा इससे कोई भी प्रदेश का किसान प्रभावित नहीं है, इसका लाभ राजस्थान के किसानों को मिले। मैं उम्मीद करता हूं इस पर हमारी सरकार ध्यान देगी। इस एडीबल आयल के ऊपर नियंत्रण हो गया, काश्तकार को उसके वाजिब दाम मिले तो निश्चित तौर से किसान का लाभ होगा।

जितनी ये योजनाएं घोषित की हैं, फसल योजना आदि, इनका मैं स्वागत करता हूं। मगर सबसे बेहतर योजना तो यह है कि काश्तकार को उसकी उपज का बाजार मूल्य सही प्रकार मिल जाए क्योंकि वह पैसा सीधा उसकी जेब में जाता है।

अब शाहबाद के बारे में मैं उल्लेख करना चाहता हूं। मुख्य मंत्रीजी ने 20 करोड़ रुपये से वहां पर हर परिवार को 100 दिन का रोजगार और दो रुपये किलो के हिसाब से अनाज देने की बात कही। यह सही है कि शक्कर से मिठाई बनती है, मगर केवल शक्कर से ही मिठाई नहीं बनती। अगर हलवाई ढंग का होगा तो शक्कर से मिठाई बनेगी। आपका पूरा पब्लिक डिस्ट्रिब्यूशन सिस्टम, 30 हजार फेयर प्राइस शाप्स हैं राजस्थान में, 5000 सहकारी सैक्टर में और 15000 निजी क्षेत्र में लेकिन क्या स्थिति है इन फेयर प्राइस शाप्स की? दो रुपये किलो आप सहरिया को देना चाहते हैं, आपकी नीयत सही है, आप देना चाहते हैं, पर उसको क्या वास्तव में मिलेगा? आप देने की बात कर रहे हैं, आप पैसा दीजिए, सहरिया को दीजिए। न्यूट्रीशन का प्रोग्राम, उसको वहां मुर्गी पालन कराइये, उसकी जो उपज है, अंडे का प्रोड्यूस है उसको खरीदिये और उसी काश्तकार को वहीं दीजिए। वह दलिया की बजाए सहरिया को अंडा ज्यादा पसंद

(श्री भरत सिंह)

करेगा। उसको खिलाना सिखाओ आप, ताकि उसकी मुर्गी का अंडा वह खुद ही खरीदे। यह 20 करोड़ रुपया सीधा आपने अगर अनाज के नाम पर दिया तो चार रुपये किलो में वह व्यापारी उसको ले लेगा, उसको सीधा लाभ नहीं मिलेगा। हमारी योजना सही हो सकती है मगर यह भी देखना होगा कि उस योजना का पूरा लाभ काश्तकार को मिलता है या नहीं मिलता।

आज हमारी सबसे बड़ी चुनौती यह है कि जो हमारा प्रशासनिक तंत्र है उस पर हमारा किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं रहा है। आज हमारा पूरा पैसा इस प्रशासनिक तंत्र पर खर्च हो रहा है। जिसने इस घोड़े पर लगाम कसने की कोशिश की है, घोड़े ने उसको नीचे गिरा दिया। पिछली सरकार ने कोशिश की थी व्यवस्था कायम करने के लिए। सरकार आती है और चली जाती है, उसका गम नहीं, मगर घोड़ा सरकार को गिरा दे और बोले कि मैंने सवार को गिरा दिया। तो आपको लगाम पकड़ कर चलना पड़ेगा। उस घोड़े पर बैठ कर आप सवारी नहीं कर सकते। यह दोनों पार्टियों को, हमको समझना पड़ेगा कि इस व्यवस्था में हम पूरी तनख्वाह इनको दे रहे हैं, क्या वास्तव में ये काम कर रहे हैं? बीस सूत्री कार्यक्रम, दूसरी कमेटी, आपने दुनिया भर की व्यवस्था कर दी है, कोई मीटिंग होती नहीं, स्कूलों में मास्टर जाता नहीं। हम भी कह रहे हैं कि सरकार नौकरी दे और राज़ी होते हैं कि कितने हजार तनख्वाह दे दी। तनख्वाह ले रहे हैं पर दे क्या रहे हैं?

मैं उल्लेख करना चाहूंगा रामायण का। दो पात्र हैं रामलीला में-राम और रावण। मैंने कहा, रावण का महत्व कैसे बढ़ गया? यह रावण-रावण क्यों बन गया जो साधु था? राम का तो समझते हैं पर यह रावण-रावण क्यों बन गया? रावण-रावण इसलिए बन गया कि रावण को यह समझ में आ गया कि मुझे कोई मार नहीं सकता। आज जो हमारे कर्मचारी हैं वे हमारे ऊपर हावी हो गये। उसने वह स्वरूप धारण कर लिया कि मुझे कोई मार नहीं सकता। हम यहां बैठे हैं एक पिंगपोंग बाल की तरह। एक बात कह रहा है दूसरा उसका विरोध कर रहा है। वह कह रहा है हम उसका विरोध कर रहे हैं, टेबल ठोक रहे हैं। पूरी तनख्वाह इनको दे दें। जब तक काम लेने की क्षमता नहीं होगी, जब तक हम इनको मुकाम पर नहीं लगाएंगे, जब तक इसकी अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी, कोई भी व्यवस्था, पुराने टाइम के अन्दर लोग कह चुके हैं कि बिना भय के राज नहीं है।

(श्री भरत सिंह)

भय है तो हम हैं राज करने वाले, क्योंकि कल हमें गद्दी पर से नहीं उतार दें। भयभीत हैं तो हम हैं कि कहीं ऐसी बात नहीं कह दें जिससे हमारा सत्यानाश हो जाए। माननीय सभापतिजी, मैं मेरी बात को...

एक माननीय सदस्य : कोई नोट ही नहीं कर रहे हैं।

श्री सभापति : कर रहे हैं।

श्री भरत सिंह : आपने मुझे समय दिया, आपने घंटी नहीं बजाई, धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री नरेन्द्र नागर, श्री रामलाल शर्मा,

श्री सुभाष चन्द्र : सभापति महोदय, हमको भी मौका दीजिए।

श्री सभापति : आ रहा है नम्बर आपका।

श्री सुभाष चन्द्र : निर्दलीय आदमी को भी मौका दीज़िए।

श्री सभापित : आ रहा है आपका नम्बर। श्री दाताराम गुर्जर, श्री सांगसिंह भाटी।

श्री बीरूसिंह राठौड़ : पहले इनका नाम पुकारा है।

श्री सभापति : आप थोड़ा बिराजिए।

श्री सांगसिंह भाटी (जैसलमेर) : माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से इस बजट की मैं भूरि-भूरि प्रशंसा करता हूं। मैं ही नहीं, पूरी राजस्थान की जनता, हर वर्ग, किसान मजदूर इस बजट का...

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक) : माननीय सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय एक घंटा बढ़ाया जाए।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि सदन का समय एक घंटा बढ़ाया जाए?

(स्वीकृत)

सदन का समय एक घंटा बढ़ाया जाता है।

आय-व्ययक पर सामान्य वाद-विवाद

श्री सांगसिंह भाटी : इस बजट की हर वर्ग ने प्रशंसा की है। गांव-गांव और गली गली के अन्दर प्रशंसा दिन-प्रतिदिन होती जा रही है। जगह-जगह से बधाइयां और संदेश आ रहे हैं। इसलिए राजस्थान की पहली महिला मुख्य मंत्री बार-बार बधाई और साधुवाद की पात्र हैं, मैं बारम्बार बधाई देना चाहता हूं।

इसी के साथ जो बजट पेश किया राजस्थान की पहली महिला होते हुए भी, महिला अपने घर में जिस ढंग से बजट बनाए, जिस ढंग से घर लेकर चले, उस तरीके से पूरे राजस्थान को एक घर मानकर, हर समाज को जोड़कर इस बजट को पेश किया गया है, बहुत सराहनीय बजट है।

कांग्रेस के नेता, प्रतिपक्ष के नेता बीच में कह रहे थे कि पहले तो एक मीटर में करंट आता था, अब करंट आएगा बिजली के बिलों में, मैं प्रतिपक्ष के नेता से निवेदन करना चाहूंगा कि वह करंट जो बिलों में आता था वह बजट के दिन आपके चेहरों पर हमने देखा। अब बोलने का आपके पास कोई सबब नहीं रहा, काश्तकारों को इतनी बिजली में राहत मिली जिसकी कोई सीमा नहीं रही। इसी के साथ मैं एक निवेदन करना चाहूंगा कि कृषि कनेक्शन काश्तकारों के वर्षों वर्षों पैण्डिंग पड़े रहे, अकेले जैसलमेर जिले में कई वर्षों तक कृषि कनेक्शन पैण्डिंग पड़े थे। एक साथ एक जिले में 700 कृषि कनेक्शनों की स्वीकृति मिल चुकी है, इसके लिए भी मुख्य मंत्री को आपके माध्यम से धन्यवाद देना चाहता हूं।

माननीय सभापति महोदय, आज काश्तकारों के हित की बात करते हैं, आज काश्तकार के एक-एक मुद्दे पर ये बोल रहे हैं, मैं एक काश्तकार हूं, काश्तकार के घर में मैंने जन्म लिया है, अगर काश्तकार की आपको पीड़ा होती तो तीन साल तक आपके राज में इन्दिरा गांधी नहर का पानी बन्द रहा और काश्तकारों के सिर पर आप आबियाना तीन साल तक मढ़ते रहे। आपने कभी इस बात पर ध्यान दिया कि तीन साल तक नहरों में पानी नहीं और करोड़ों रुपए का आबियाना काश्तकारों के सिर पर पढ़ा? इस बजट में माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने बजट पेश करते ही चार करोड़ रुपये माफ किये, इसलिए काबिले तारीफ है। हकीकत में यह बजट स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा, राजस्थान के इतिहास में लिखा जाएगा।

श्री श्रवण कुमार : स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा, लास्ट बार पेश कर रहे हो क्या? (व्यवधान) आप तो, हम सोचते हैं लम्बे समय तक करते रहो, हमारी यह भावना है, पर आप यह कह रहे हो कि स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा, इसलिए मैं कह रहा हूं, लास्ट बार पेश कर रहे हो? (व्यवधान) मैं आपकी बात सुनने में सक्षम हूं पर मैं यह कह रहा हूं कि...

श्री सांगसिंह भाटी : सत्य बात कहते ही आपको पीड़ा हो रही है।

श्री ओम बिरला : वह तो स्वर्ण अक्षरों से, हीरे-मोतियों से लिखेंगे, हीरे जवाहरात से।

श्री श्रवण कुमार : मैं वसुन्धराजी के इस बजट का समर्थन करता हूं, नो डाउट, पर मैं यह कह रहा हूं कि स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा, क्या ये स्वर्ण अक्षर लास्ट पाइंट हैं क्या?

श्री संयम लोढ़ा : लास्ट इसलिए है कि अगला बजट दूसरा मुख्य मंत्री पेश करेगा।

श्री श्रवण कुमार : यह कैसे कह रहे हैं कि लिखा है? यह कहो कि बढिया है, पारदर्शी है।

श्री संयम लोढ़ा : ये तय कर लें कौन करेगा इनमें से। घनश्यामजी भी हो सकते हैं, और भी हो सकते हैं (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, माननीय सदस्य।

श्री सांगसिंह भाटी : आपके चेहरों पर दिख रहा है, आने वाले समय में आप इसी स्थान पर बैठे रहेंगे, यह मुझे पता है।

श्री सभापति : आपस में बात मत कीजिए।

श्री श्रवण कुमार : घनश्यामजी, एक मिनट, मैं इस बात का विरोधी नहीं हूं, जिसकी जो मदद बनती है-

''फानूस बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे।

वो शमा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे।''

(श्री श्रवण कुमार)

जिसको मारने वाला बचाता है उसको कोई मार नहीं सकता। हम यह नहीं चाहते बुराई भी करें आपकी तो आप मर नहीं सकते, मरने का समय आएगा तो कोई पूछने वाला नहीं मिलेगा। तो मैं यह कहता हूं, स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा, इसका मतलब लास्ट पाइंट पर पेश कर रहे हो क्या?

श्री ओम बिरला : हीरे जवाहरात।

श्री श्रवण कुमार : हीरे, मोती, यहीं ना-हां करते रहो, 10-15 साल लगातार करते रहना।

श्री सांगसिंह भाटी : आने वाले बजट में फिर आपसे बात करेंगे एक साल बाद, आप शांत रहें। बात को सुनें कम से कम, बीच में व्यवधान क्यों डाल रहे हो?

सभापति महोदय, एक खासियत इन कांग्रेसियों में देखी है, मैं तो पहली बार आया हूं विधान सभा में, गांव में चला चला कर इन्होंने चालीस साल तक राज कर लिया। आखिर जनता ने सोचा कि यह तो चलाने की आदत है, बोलते हैं झूठ-सांच और आज विधान सभा में भी इनको दिखा, दो-चार-पांच आदमी चलाने लगते हैं। वास्तव में इनकी पुरानी आदत है, इनको थोड़ा समझाएं कि ऐसा क्यों कर रहे हैं (व्यवधान) पाठशालाओं में पहली बार...(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आप श्रवण करते रहिए।

(19.00 बजे)

श्री सांगसिंह भाटी : पहली बार पाठशालाओं में पुस्तकें फ्री दी गयी हैं। हर जाति वर्ग को पढ़ाने के लिए पहली बार राजस्थान में ऐसा हुआ है। पहले हुआ क्या? आपने हकीकत में राजीव गांधी पाठशालाएं सोनियाजी को राजी करने के लिए खोलीं। बिलकुल अंगूठा छाप, अनपढ़ फर्जी सर्टिफिकेट देकर राजीव गांधी पाठशालाओं में बिठा दिया, शिक्षा का सत्यानाश कर दिया। यह क्या हालत थी आपके शासन की...

श्री रामनारायण मीणा : माननीय सदस्य, सरकार जिनकी है, माननीय तिवाड़ी साहब, मैं...

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आप बीच में इंटरप्ट नहीं करें। आपको बीच में कोई...

श्री रामनारायण मीणा : मैं इंटरप्ट नहीं कर रहा हूं, मैं तो केवल एक आपसे अर्ज करना चाहता हूं। माननीय तिवाड़ी साहब बैठे हैं शिक्षा मंत्री. आप बार-बार इस बात को कहते हो कि अंगूठा छाप को नौकरी दे दी, कितने केसेज आपने ट्रैप किये? कितने केस एंटर कर लिये हैं? (व्यवधान)

श्री सांगसिंह भाटी : जब आपका समय आए तब बात करना आप। आप बीच में सवाल क्यों कर रहे हैं?

श्री रामनारायण मीणा : एक बहुत अच्छी भावना थी। गांव के व्यक्ति को, अनपढ़ को यदि पढ़ाई के लिये कोई संसाधन जुटाए, वह उसी गांव का टीचर रखा गया। उसकी बार-बार बुराई करना, यदि सरकार को कोई हित...(व्यवधान)

श्री सांगसिंह भाटी : उसी गांव का रखा गया, लेकिन वह पता ही नहीं है...

श्री रामनारायण मीणा : एक केस, मैं आपको चैलेंज करता हूं। सरकार को चैलेंज करता हूं ऐसे पांच केस बता दो जिसमें अंगूठा छाप को टीचर बनाया हो। सब दसवीं पास हैं, महिलाएं आठवीं पास हैं, ग्रेजुएट हैं। आपने तो कहा है कि हम सबको रैगुलराइज कर देंगे, कितनों को किया आपने?

श्री सभापति : माननीय सदस्य, वह अपने विचार रख रहे हैं...

श्री सांगसिंह भाटी : आपका मौका आए आप बोलना।

श्री रामनारायण मीणा : कृपा करके माननीय सदस्य वह बात कहें जो सही हो. (व्यवधान)

श्री हेमराज मीणा : माननीय सदस्य, ऐसे आपंने बताया है हमको कि आपके कार्यकर्ता पढ़ाते नहीं हैं, तनख्वाह ही लेने जाते हैं। तनख्वाह ही लेने जाते हैं, वे पढ़ाते नहीं हैं। ताले लगे हुए हैं सब स्कूलों के। पढ़े लिखे हैं ही नहीं। (व्यवधान)

श्री रामनारायण मीणा : आपने भी हमारे कार्यकर्ताओं को धक्के मारे। जो हमने अपराध किया...(व्यवधान) जिता दिया। सहरियाओं पर कितना पैसा खर्च हुआ, आप उसकी जांच करा लीजिये।

श्री हीरालाल बैरवा (निवाई) : आपके कहने से इनको बैठाओ। आप इनको बोलने दीजिये।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, बोलने दें।

श्री कालीचरण सर्राफ : आप सीनियर विधायक हैं, यह पहली बार आये हैं, इनको बोलने दो।

श्री सांगसिंह भाटी : तीन साल तक का आबियाना राज्य सरकार ने माफ किया, अभी बजट में घोषणा की। गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और हनुमानगढ़, इन तीन-चार जिलों का करोड़ों रुपयों का कर्जा जो कांग्रेस सरकार ने नहरों में पानी बंद था, गलत लिखा, वह राज्य सरकार ने माफ किया, इसके लिये बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं काश्तकारों की तरफ से आभार प्रकट करता हूं।

नयी पाठशालाएं, नयी भर्ती, शिक्षा मंत्री महोदय और मुख्य मंत्री महोदय ने 25000-30000 जो नये अध्यापक लगाने की घोषणा की है, इससे बेरोजगारी घटेगी। आपने पांच साल तक बाहर ही निकाले, एक भी आपने अध्यापक नहीं लगाया। इसका भी कोई आपके पास जवाब है क्या? (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आप सुन लो।

श्री श्रवण कुमार : हमारे यहां वित्त मंत्री ने घोषणा की थी कि बेरोजगारों को भत्ता दिया जाएगा। मैंने सुनकर उस दिन कहा था कि किसी को नहीं दिया जाएगा। दो साल में किसी को भी नहीं दिया। इम्पलीमेंटेशन नहीं होता है तब तक मैं कोई बात को सत्य नहीं मानता हूं। भाषण ही भाषण है।

श्री सभापति : आप इन्तजार कीजिये।

श्री सांगसिंह भाटी : माननीय सभापति महोदय, हमारी सरकार ने काश्तकारों से वादा किया कि आपको आठ घंटे तक बिजली देंगे। आज पूरे राजस्थान में वही हमारे साधन, वही हमारे अधिकारी, वही बिजली के तार, वही बिजली के खम्भे, लेकिन सिर्फ राज बदला, घोड़े का सवार बदला और काश्तकारों को पूरे आठ घंटे बिजली राजस्थान में मिल रही है। इसलिये आपको कहता हूं कि वही अधिकारी, वही घोड़ा लेकिन सवार बदला, घोड़े की लगाम खींची और काश्तकारों को पूरे राजस्थान में आठ घंटा बिजली। आज वाहवाही हो रही है। मैं सही कह रहा हूं...

श्री हेमाराम चौधरी : मेरी बात का विरोध कर रहे हो क्या? 14 से 16 घंटे कहां है इस बजट भाषण में? पढ़ो आप।

श्री सांवर लाल : कृषि के लिये कह रहे हैं...

श्री ओम बिड़ला : आठ घंटे थ्री फेस, 16 घंटे सिंगल फेस।

श्री सांगसिंह भाटी : माननीय सभापति महोदय, मुझे आज कहते हुए दिल में थोड़ा-सा दुःख हुआ। कारण यह है कि मुझे यह पता नहीं था...

श्री हेमाराम चौधरी : बजट भाषण पर बोल रहे हो, यह तो आप इसकी व्याख्या कर रहे हो।

श्री सांगसिंह भाटी : बैदजी से मैं बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ। प्रभावित क्यों हुआ कि सरदारशहर, तारानगर धोरों की धरती में जल रहा है वह व्यक्ति। उन्होंने आज एक शब्द कहा, मुझे तो उस शब्द की थाह नहीं। बोतलों में महंगा पानी आता है, मिनरल वाटर, उनकी कहें। हम तो जानते ही नहीं, गांव में गरीब रहते हैं। बात करें कि मिनरल वाटर की रेट बढ़ गयी। उस जगह तो काश्तकार का बखान करो। हाउस में करोड़पतियों पर टैक्स लग गया। मिनरल वाटर कौन पीता है? वह तो कोई करोड़पति ही पी सकता है, काश्तकार तो मुंह में ही नहीं लाए। इसलिये आपने जो टैक्स की बात की, पूरे में ध्यान देना। कोई गरीब की चीज है, कोई खेतिहर काम ले सकता है, कोई एस.टी., एस.सी. का उस चीज को खा सकता है, ले सकता है? आइसक्रीम पर आ गये, मिनरल वाटर पर आ गये। इसमें तो टैक्स बढ़ा। सुलझे हुए जन प्रतिनिधि हैं। आठ घंटे बिजली, डीजल पर टैक्स कम किया। काश्तकार के हर घर में आज ट्रैक्टर है। टैक्स बढ़ा नहीं, घटा है। केरोसिन पर टैक्स बढ़ा है? घटा है। गैस पर घटा है। जो घटा है उसका तो आपने किसी का नाम ही नहीं लिया और मिनरल वाटर का नाम आ रहा है। इसलिये अब की बार आपके चुनाव में मुझे आना पड़ेगा और मिनरल वाटर का जा-जाकर नाम लेना पड़ेगा।

सभापति महोदय, मैं ज्यादा नहीं कहते हुए जो बजट पेश हुआ है, मुख्य मंत्री महोदया की भूरि-भूरि प्रशंसा करता हूं। मैं इसका समर्थन करता हूं। राजस्थान की मां की तरह बजट पेश किया है। वह शक्ति हैं राजस्थान की और शक्ति का रूप हैं। ये कांग्रेस के जन प्रतिनिधि पांच साल तक मुरझाए रहेंगे। पांच साल तक हम इस जगह सदन में बैठेंगे और इस जगह ये बैठेंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद। सभापति महोदय, एक सैकिण्ड। मेरे सुझाव रह गये।

श्री सभापति : कहिये। दीजिये आप।

श्री सांगसिंह भाटी : शिक्षा मंत्री महोदय बिराजे हैं और मेरे सुझाव बहुत जरूरी है।

जैसलमेर का इतना बड़ा भूभाग है जो आप किसी से छिपा नहीं है। क्षेत्रफल की दृष्टि से केरल स्टेट के बराबर पूरा जिला। एक गांव से दूसरे गांव की दूरी 50-60 किलोमीटर। अब आप अंदाजा लगाओ, उस गांव में आठवीं, पांचवीं और सैकण्डरी स्कूल अगर वहां से 40-50 किलोमीटर की दूरी पर है तो हमारा बच्चा कभी शिक्षित नहीं हो सकता। शिक्षा मंत्री महोदय को मेरा सुझाव है कि आप कम से कम पंचायत मुख्यालय को छुएं। पंचायत मुख्यालय हैडक्वार्टर पर जैसलमेर जैसे जिले में सैकेण्डरी स्कूल तो अवश्य आप दें। आप दूसरा सुझाव स्वास्थ्य मंत्रीजी को है। स्वास्थ्य केन्द्र कम से कम 50-60 किलोमीटर की दूरी पर हैं। गर्भवती मिहला को अगर उस समय स्वास्थ्य केन्द्र पर कोई गोली देने वाला नहीं है, इंजेक्शन लगाने वाला नहीं है तो उस दरम्यान उसकी मौत हो जाती है। हमारे यहां ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। बचाव के लिये स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। स्वास्थ्य केन्द्र होना अति आवश्यक है 50-60 किलोमीटर की दूरी पर रोड, स्वास्थ्य, शिक्षा और बिजली इन चारों चीजों में कम से कम पंचायत मुख्यालयों को जोड़ा ही जाए। उससे सरकार की तरफ से संदेश जाएगा और जनता को बेनिफिट भी मिलेगा।

दूसरा सुझाव मेरा है कि देश आजाद हुए कम से कम 58 साल हो चुके हैं, बैदजी, और मानव को मानव ढो रहा है। कोई विधायक भूल गये होंगे, स्वर्ण नगरी जयपुर में विधायक यहां पर बैठे हैं, इनमें भी कई उस रिक्शे पर बैठकर चले गये होंगे और आदमी आगे बैठा है और पीछे कोई बैठा है। मैं इस विधान सभा में आने से पहले, चुनाव लड़ने से पहले उसी रिक्शे पर बैठकर गया तो मैंने उससे पूछा कि यह तांगा किसका है भाया, उसने कहा कि किराये का दस आदमियों को पूछा. 50 को पूछा, सबने कहा कि किराये के हैं। जागीरी गई, राजाओं का राज गया लेकिन नये जागीरदार पैदा हो गये। वह दिन भर आदमियों का भार ढोते-ढोते 50 रुपये लेकर घर जाता है तो वह जाकर जागीरदार को देता है, किसी सेठ-साहूकार को देता है, कि ये लो आपके पचास रुपये। और उसके पास दो रोटी के पैसे ना बचें। मेरा सुझाव है कि जैसे जागीरदारों की जागीर जब्त की,

(श्री सांगसिंह भाटी)

वैसे तांगा जिसके पास है उसी को मिल जाना चाहिए। वे चलाते रहें ताकि वे आजीविका कमा सकें। अगर वह नहीं हो सके तो सरकार की तरफ से उन गरीबों के लिए यह व्यवस्था हो, उनको तांगा देकर रवाना करें ताकि दिन भर आजीविका तो कमाते रहें। यह हालत है गरीबों की. इसको भी आप ध्यान रखें।

सभापति महोदय, मेरा एक लास्ट सवाल है, बनीपार्क विधान सभा में राज्य सरकार की तरफ से सब सुविधाएं वहां हैं और बाड़मेर में वही हैं...

श्री सभापति : सबसे बड़े जिले के आदमी हैं।

श्री सांगसिंह भाटी : सभापति महोदय, आपकी फलौदी की विधान सभा भी वही है। बनीपार्क की विधान सभा में भी वही व्यवस्था है, जौहरी बाजार में वही है। कालीचरणजी के साथ में गया था तो उनको मैंने पूछा तो उन्होंने कहा कि दो दिन में मैं तो मेरी पूरी विधान सभा में घूम लेता हूं। और मैं छह महीने तक फिरता रहता हूं तो पूरी विधान सभा में फिर नहीं सकता। इसके ऊपर थोड़ा-सा ध्यान दें। आखिर क्राइटेरिया कोई न कोई राज्य सरकार को और इस हाउस को तय करना पड़ेगा। जो भी विधान सभा क्षेत्र हैं, भू-भाग बहुत दूरदराज के हैं उनके अन्दर एक मापदण्ड नहीं होने चाहिए। जैसे अलग-अलग विधान सभा हैं वहां-वहां उनका कोई न कोई क्राइटेरिया तय करना चाहिए। मेरी बात को आपने सुना, सभापति महोदय, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद, जय हिन्द।

श्री सभापति : श्री रामलाल शर्मा।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं) : सभापति महोदय, सत्र 2004-2005 का बजट प्रदेश की मुख्य मंत्री माननीय वसुंधराजी ने सदन में पेश किया, सर्वप्रथम मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने एक ऐसा बजट पेश किया जिस बजट ने सभी वर्ग और सभी क्षेत्रों को प्रभावित किया। सभापति महोदय, तीन रोज से इस बजट पर चर्चा हो रही है, बजट पर बहस हो रही है। प्रतिपक्ष के सदस्यों को जब घड़ी में एक बजते हैं, एक बजे के पहले तो इनका चेहरा इनकी वाणी का साथ देता है लेकिन एक बजे के बाद जैसे ही बजट पर चर्चा शुरू होती है इनका चेहरा वाणी का साथ नहीं देता। मुझे लगता है कि

(श्री रामलाल शर्मा)

इनकी अंतरात्मा भी इस बजट के पक्ष में है, और विरोध करना है इसलिए विरोध कर रहे हैं।

सभापति महोदय, वर्तमान बजट की यदि चर्चा करें और पूर्व बजट की यदि चर्चा करें, पांच साल तक इस प्रदेश में कांग्रेस का राज रहा, पांच साल में माननीय मुख्य मंत्री अशोकजी गहलोत ने जो कहा, वह करके भी दिखाया। उन्होंने कहा, बिजली बचाओ, किसानों को बिजली नहीं दी, व्यापारी को बिजली नहीं दी, बिजली बची। उन्होंने कहा, पानी बचाओ, ग्रामीण क्षेत्रों में पीने के लिए पानी नहीं दिया इसलिए पानी भी बचा। (व्यवधान) सभापति महोदय, सबको पढ़ाओ, जब स्कूलें नहीं खोलीं, स्कूलों को क्रमोन्नत ही नहीं किया तो पढ़ाएंगे कहां? सर्वप्रथम मैं धन्यवाद देना चाहता हूं माननीय शिक्षा मंत्री घनश्यामजी तिवाड़ी को कि उन्होंने जैसे ही पद भार सम्भाला, सर्वप्रथम घोषणा की और जो शिक्षा के क्षेत्र में 37 हजार पद रिक्त पड़े हैं, उनमें 30 हजार पदों को भरने के लिए शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया शुरू करवायी, उनके आवेदन लेने प्रारम्भ करवाये।

सभापति महोदय, शिक्षा संस्कार देती है और संस्कार के हिसाब से हर व्यक्ति इस समाज में अपना व्यवहार करता है, एक दूसरे व्यक्ति के प्रति व्यवहार प्रदर्शित करता है। सर्वप्रथम इस सरकार ने 1261 राजीव गांधी पाठशालाओं को प्राथमिक विद्यालयों में परिवर्तित करने का कार्य किया। लगभग साढ़े सोलह सौ नये प्राथमिक विद्यालय खोले, 715 विद्यालय ऐसे हैं जिनको प्राथमिक से उच्च प्राथमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत किया। जल्दी ही, इस विधान सभा के बाद में और 400 प्राथमिक विद्यालयों उच्च प्राथमिक विद्यालय में तथा 200 माध्यमिक को उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने जा रहे हैं।

सभापति महोदय, शिक्षा के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक कदम जो इस सरकार ने उठाया, इसके लिए मेरे पूर्व वक्ताओं ने कहा। कल चर्चा के दौरान लक्ष्मणगढ़ के माननीय विधायक ने कहा था कि किसान के खेत का जब ट्रांसफार्मर जल जाता है तो वह तीन महीनों तक भी चेंज नहीं होता है। माननीय विधायक अभी उपस्थित नहीं हैं, मैं कहना चाहता हूं कि किसान की पीड़ा को, किसान के रहन-सहन को या उसके

(श्री रामलाल शर्मा)

व्यक्तित्व को उन्होंने नजदीक से नहीं देखा और किसान के बारे में यदि आपको जानकारी नहीं हो तो सदन को भ्रमित भी नहीं करना चाहिए। मैं इस सदन के माध्यम से सभी माननीय सदस्यों से कहना चाहूंगा, एक भी सदस्य खड़ा होकर यह कह दे कि मेरे क्षेत्र में या मेरे विधान सभा क्षेत्र में रहने वाले किसानों का ट्रांसफार्मर जल जाए और वह तीन महीने तक चेंज नहीं हो, क्या यह सम्भव है? कहते हैं, जिनके पैर न फटे बिवाई वे क्या जानें पीर पराई। कभी किसान के घर में जन्म नहीं लिया, किसान के पास बैठे नहीं, उसकी पीड़ा को नजदीक से देखा नहीं, तो उसकी पीड़ा को क्या जान सकते हैं? सभापति महोदय, अभी माननीय सदस्य यहां पर उपस्थित होते तो मैं उनसे पूछता कि किसान खेत में काम करता है, उस किसान के खेत में काम करने वाले संसाधनों में से एक को भी वह परिभाषित कर दें कि फावड़ा क्या होता है, पराती क्या होती है, कुल्हाड़ी क्या होती है, खुरपी क्या होता है, धोरा क्या होता है, नाका क्या होता है, कड़ब क्या होती है तो मैं समझता हूं वे किसान की पीड़ा के बारे में जानते हैं।

सभापति महोदय, स्वास्थ्य के बारे में जो बजट पेश किया गया इसमें पहली बार मेडिकल कालेज, खोलने की जो घोषणा की, माननीय मुख्य मंत्रीजी ने जो साहसिक कदम उठाया वह स्वागत योग्य है। हर गरीब को स्वास्थ्य का लाभ मिले, हर गरीब व्यक्ति के घर तक वे सुविधाएं पहुंचे, हर आम आदमी सरकार की योजनाओं का लाभ उठा सके, इसके लिए सरकार ने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को आदर्श स्वास्थ्य केन्द्रों में परिवर्तित करने का निर्णय लिया, वह स्वागत योग्य है। साथ में, मरु क्षेत्र में लगभग 461 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र ऐसे खुले हैं जहां पर अभी तक भी कोई प्राथमिक सुविधा नहीं है। सभापति महोदय, माननीय मुख्य मंत्रीजी ने जो यह बजट पेश किया, जिस व्यक्ति के लिए या जिस वर्ग के लिए यह बजट पेश किया जा रहा है, उस व्यक्ति और उस वर्ग से मिलकर, बुलाकर उसके विचारों, उसकी भावनाओं के अनुरूप तैयार किया गया। नहीं तो अब से पहले जो भी बजट तैयार हुए हैं, वह ब्यूरोक्रेसी तैयार करती है, उन व्यक्तियों के बारे में या उनकी भावनाओं के बारे में उनको पता मेरे ख्याल से कम ही रहता होगा। इसीलिए यह एक ऐतिहासिक बजट, जिसंको हम कहें पूर्ण बजट, जिसको हम कहें सम्पूर्ण बजट. वह माननीय मुख्य मंत्रीजी ने पेश किया है।

सभापति महोदय. राजस्थान की माननीय मुख्य मंत्रीजी ने जो बजट पेश किया, उसमें छह ट्रोमा हास्पिटल प्रत्येक राष्ट्रीय राजमार्ग पर खोलने का निर्णय किया, वह

(श्री रामलाल शर्मा)

स्वागत योग्य है। आज सड़क नहीं बने, पीड़ा नहीं होती है लेकिन किसी भी व्यक्ति के परिवार में कोई सदस्य बीमार होता है या दुर्घटना घटित होती है तो उस व्यक्ति के मन की पीड़ा को वही व्यक्ति जान सकता है। मैं जिस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता हूं या जिस क्षेत्र का रहने वाला हूं, माननीय सभापति महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि आए दिन उस नेशनल हाईवे रोड पर दुर्घटनाएं घटित होती रहती हैं, उन दुर्घटनाओं के अन्दर किसी व्यक्ति के परिवार का सदस्य हताहत होता है। यदि उनकी स्थिति को हम देखें, नजदीकी से देखें तो मैं मानता हूं कि यह जो 6 ट्रोमा हास्पिटल खोलने की घोषणा माननीय मुख्य मंत्रीजी ने अपने पेश बजट में की है, वह समाज के हर व्यक्ति के लिए सारगर्भित और सार्थक होगी।

सभापति महोदय, कृषि के क्षेत्र में जो पहले राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के तहत 6 फसलें थीं-मक्का, ज्वार, बाजरा, मूंगफली, कपास और ग्वार, पहली बार माननीय मुख्य मंत्री महोदया ने इन 6 फसलों के आकार को बढ़ाकर 14 फसलें किया, यह स्वागत योग्य है, यह किसानों के लिए लाभदायक होगा। राष्ट्रीय कृषि नीति योजना लागू करके माननीय मुख्य मंत्री महोदया ने एक साहसिक कदम उठाया है। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से एक बात कहना चाहता हूं कि संतरा, जीरा और धनिया, ये तीन फसलें बाजार हस्तक्षेप योजना के तहत लागू थीं, पहली बार प्याज. जिस प्याज के बारे में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारीजी वाजपेयी ने कहा था, मैंने एक किताब में पढ़ा था, उनसे पूछा गया कि आपके देश में लोकतंत्र कैसे चल रहा है? तो उन्होंने कहा हमारा लोकतंत्र तो ऐसा है कि जहां प्याज के नाम पर सरकारें चली जाती हैं। मुझे लगा कि शायद प्याज की पहली बार बाजार हस्तक्षेप योजना के तहत खरीद करके इस सरकार ने नई पहल की है, यह किसानों के लिए लाभदायक होगा। किसान जन कल्याण योजना जो राज्य सरकार के बजट में है, वह किसानों के लिए लाभदायक रहेगी। सहकारी बैंकों द्वारा पिछले वर्ष तक 1400 करोड़ का किसानों को ऋण देने की योजना थी, उस योजना को बढ़ाकर 1950 करोड़ रुपए किया गया है, वह किसानों के लिए लाभदायक होगा।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से इस बजट में यदि कोई कमी निकालने का प्रयास भी करूं तो मैं नहीं समझता कि इस बजट में कोई कमी है। मैं इस बजट का पुरजोर शब्दों में समर्थन करता हूं और आशा करता हूं कि यह बजट सभी वर्गों के लिए और सभी क्षेत्रों के निवासियों के लिए सार्थक होगा। दो-तीन बातें मुझे इस बजट में जो लगीं, उनके बारे में मैं अपने सुझाव आपके सामने रखना चाहता हूं।

(श्री रामलाल शर्मा)

सभापति महोदय, इस बजट के अन्दर सभी वर्गों का चाहे व्यापारी हो, चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे कर्मचारी हो, ध्यान रखा गया है। लेकिन मैं समझता हूं कि इस बजट में एक वर्ग छूटा है, जिसको हम कभी तो परिभाषित करते हैं कि यह लोकतंत्र का चौथा स्तम्भ है, कभी परिभाषित करते हैं कि यह तीसरी आंख है। यदि इस वर्ग के लिए भी इस बजट के अन्दर कुछ न कुछ योजना होती तो मैं समझता हूं कि यह सार्थक बजट होता। इसलिए लोकतंत्र के इस चौथे स्तम्भ, मीडिया के लिए मैं कहना चाहता हूं कि इस बजट में योजना समाविष्ट की जाए ताकि यह सम्पूर्ण बजट हो सके।

सभापति महोदय, मेरा दूसरा सुझाव यह है कि यदि जयपुर को केन्द्र मानकर चलें और जयपुर के 30 किलोमीटर की परिधि में जितने भी कस्बे हैं, चाहे वह चौमूं हो, चाहे चाकसू हो, चाहे बगरू हो, चाहे बस्सी हो, चाहे अचरोल हो, नेशनल हाई-वे पर बसे हुए कस्बों में जो भी सामुदायिक केन्द्र हैं या जो भी स्वास्थ्य केन्द्र हैं, यदि इन सामुदायिक और स्वास्थ्य केन्द्रों को सैटेलाइट हास्पिटल में परिवर्तित कर दें तो मैं समझता हूं कि जयपुर के हास्पिटलों पर जो दबाव वर्तमान में बन रहा है, वह दबाव कम होगा। साथ ही एक और सुझाव इस बजट के बारे में मैं देना चाहता हूं कि इस बजट में विद्यार्थियों के लिए कोई विशेष मुझे नहीं लगा। खेलों से सम्बन्धित भी समस्याएं हैं, जैसाकि इस बजट में 1 करोड़ से बढ़ाकर लगभग 7 करोड़ का प्रावधान खेलों की सुविधाओं के लिए, खिलाडियों के लिए आवास और प्रतिभाओं को आगे लाने के लिए किया गया। मैं समझता हूं कि यदि विद्यार्थियों के लिए इस बजट में कुछ समाविष्ट किया जाए या उन विद्यार्थियों के बारे में भी थोड़ा चिंतन और चिंता हम करें तो सार्थक होगा।

सभापति महोदय, जयपुर जिले में यदि सब्जी और दूध का सबसे ज्यादा उत्पादन कोई क्षेत्र करता है तो वह चौमूं और उसके आसपास का क्षेत्र है, मैं आपके माध्यम से एक सुझाव देना चाहता हूं कि चौमूं में उत्पादित होने वाली सब्जी और दूध के लिए या तो डेयरी उद्योग को प्रोत्साहन मिले या सब्जी से जुड़ी हुई किसी भी इण्डस्ट्री को यदि स्थापित किया जाता है तो वह सार्थक होगा, सारगर्भित होगा। आपने मुझे बोलने के लिए मौका दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री सभापति : श्रीमती ममता शर्मा।

श्रीमती ममता शर्मा (बूंदी) : माननीय सभापति महोदय, 12 जुलाई को वर्ष 2004-2005 का माननीय मुख्य मंत्री महोदया द्वारा जो बजट पेश किया गया, बहुत खूबसूरती और बहुत चतुराई से किया गया। बावजूद इसके ऐसा महसूस होता है कि जितना लाभ वह लोगों को देना चाहती हैं, राजस्थान की जनता को, वह शायद नहीं मिल पाएगा। वैसे वह जिस पारिवारिक पृष्ठभूमि से आयी हैं, उसमें सहनशीलता, विशालता... (व्यवधान) आप पहले सुनिए और सुनने की क्षमता नहीं है तो डवलप कीजिए।

ज़िस पारिवारिक पृष्ठभूमि से वह आई हैं, सहृदयता, विशालता, मैं मानती हूं कि उनमें होनी चाहिए। है या नहीं, यह मुझे नहीं पता, लेकिन होनी चाहिए। संस्कृत में कहा है, ''आनो भद्रा कृत्वो यंतु विश्वत:'', अच्छी बातों को किसी भी तरह से ग्रहण करना जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य और सबसे बड़ा कार्य है। इसी को अंग्रेजी में कहा है ''Let noble thoughts come from all sides.'' सद् विचार हमें कहीं से भी प्राप्त हो, हम सभी को इस बारे में विचार करना चाहिए और जो छोटी-छोटी बातें हैं, सदन में आती हैं, उनको त्यागना चाहिए।

जर्मन पॉएट गेटे ने कहा है, चूंकि माननीय मुख्य मंत्री एक महिला हैं, इसलिए मैं जरूर कहना चाहूंगी ''A company of a woman is a foundation of a good manner.'' महिलाओं का साथ, महिलाओं की संगति अच्छे शिष्टाचार की नींव है और मैं मानती हूं कि सदन को उनके मुख्य मंत्रित्वकाल में वह अवश्य मिलेगी। हालांकि यह कहना आवश्यक होगा कि केन्द्र सरकार के बजट के हिसाब से राजस्थान सरकार का बजट आया है। जिन-जिन क्षेत्रों में वहां से पैसा आएगा उन्हीं क्षेत्रों को हमारे मुख्य मंत्री महोदय ने चुना है।

राजस्थान को स्वर्ग बनाने का एक सपना आजादी के बाद से जो भी मुख्य मंत्री आये, उन्होंने देखा। यह भी पता है कि आजादी के बाद से लगातार कांग्रेस की सरकारें आईं। आजादी के समय बिजली पैदा होती थी 13 मेगावाट और उस बिजली को सैकड़ों-हजारों मेगावाट में लाने वाले भी कांग्रेसी हैं, हमें गर्व है। हम यह चाहते हैं कि बिजली का वितरण किसान तक उसी रूप से पहुंचे जितना शहरों में पहुंच रहा है। (व्यवधान) मैं तो चाहती हूं, लेकिन रिपोर्ट जो आप कह रहे हैं वह नहीं है। रिपोर्ट यह है कि हमारे गांवों में आजकल अढ़ाई घंटे बिजली मिल रही है और वह भी किस्तों में मिल रही है-आधे घंटे

(श्रीमती ममता शर्मा)

मिलती है, एक घंटा बंद हो जाती है, एक घंटा मिलती है एक घंटा बंद हो जाती है। ये किस्तें खतम करिए और बिजली इंस्टालमेंट में मत दीजिए। (व्यवधान)

रवीन्द्रनाथ टैगोर जो हमारे महाकवि हैं, उन्होंने कहा है कि छोटी-छोटी दीवारों को हमें तोड़ना चाहिए, पाटना चाहिए। हालांकि ये दो किनारे डेमोक्रेसी में हमेशा रहेंगे, इन दो किनारों को हम खतम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि प्रजातंत्र है, लेकिन नदी जिस तरह से बहती है उस तरह से संवाद हमेशा रहना चाहिए और अच्छे मैनर में रहना चाहिए। उधर से तुम, इधर से तुम। कई बार तो माननीय सदस्य आपस में गधा तक बोल देते हैं, अफसोस होता है। सदन की गरिमा, जहां पांच करोड़ जनता ने आप 200 को चुनकर यहां भेजा है, उसकी गरिमा होनी चाहिए, डेकोरम होना चाहिए। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : गधा शब्द अनपार्लियामैट्री है।

श्रीमती ममता शर्मा : आप निकलवा दीजिए, लेकिन मैं सत्य बोल रही हूं, असत्य नहीं बोल रही हूं। मैं यह चाहती हूं कि हम सब मिलकर यह संकल्प लें कि यह तू-तू, मैं-मैं हाउस में न हो, क्योंकि हाउस की गरिमा सुखाड़िया साहब के टाइम भी, महामहिम भैरोंसिंहजी शेखावत साहब के टाइम भी बनी रही है। हमें खुशी होती है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, उन्होंने यंग ब्लड को मौका दिया है। लेकिन यंग ब्लड उसका दुरुपयोग न करे, यह मैं चाहती हूं। लर्निंग प्रोसेस तो अंत समय तक रहता है। जब तक इंसान की चिता नहीं जल जाती तब तक लर्निंग प्रोसेस रहता है, सीखने का प्रयास करें। बीच-बीच में व्यवधान डालकर मैं सोचती हूं कि हाउस अच्छी तरह से नहीं चल पाएगा। तो हम सबको मिलकर यह संकल्प लेना चाहिए। (व्यवधान)

श्री सभापति : फिर बीच में बोल रहे हो।

श्रीमती ममता शर्मा : तो मैं यही कहूंगी, मैं वापस अपने पाइंट पर आ रही हूं, इन दीवारों को तोड़ें ताकि मूल संस्कार नष्ट न हो, भ्रष्ट न हों।

अब मैं बजट की कुछ बातें कहना चाहूंगी। माननीय सभापति महोदय, मैं यह भी निवेदन करूंगी कि विपक्ष में केवल एक महिला है तो 10 मिनट में घंटी न बजे, यह मेरा आपसे करबद्ध निवेदन है। (व्यवधान)

(श्रीमती ममता शर्मा)

आप जानते हैं कि अरावली की पर्वतमालाओं ने, विंध्याचल की पर्वतमालाओं ने राजस्थान को दो भागों में विभाजित कर दिया है और मैं यह भी बता दूं कि अरावली की पर्वतमालाएं हिमालय से प्राचीन पर्वतमालाएं हैं। जब इसने इसको विभाजित किया तो मरूभूमि के लिए हनुमानगढ़ से लेकर जैसलमेर, बाड़मेर आदि सभी जिलों के लिए इन्दिरा गांधी नहर का निर्माण हुआ और वहां सिंचाई की विपुल सम्भावनाएं पैदा हुईं जिससे वो एरिया, वो क्षेत्र आज सरसब्ज है। लेकिन मैं यह भी बताना चाहूंगी कि जो दूसरा हिस्सा बचा-सिरोही से अलवर, सवाईमाधोपुर, करौली, कोटा, बूंदी, डूंगरपुर, इन पठारी भागों को उतना रोजगार उपलब्ध नहीं हो पाया जितना होना चाहिए था। मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री साहिबा से निवेदन करूंगी कि इसको समृद्ध बनाने के लिए, इनको विकास की गति देने के लिए इन क्षेत्रों की तरफ ध्यान देना पड़ेगा। मेवाड़ के जिले, बागड़ के डूंगरपुर, बांसवाड़ा के आदिवासियों को निर्धनता से मुक्त कराने के लिए स्वरोजगार के साधन उपलब्ध कराने होंगे। सहरियाओं के लिए माननीय मुख्य मंत्री साहिबा ने पैकेज दिया है, लेकिन मैं उनको यह भी अनुरोध करना चाहूंगी कि बूंदी जिले में भी उतने ही ट्राइबल्स हैं जितने वो दूसरी जगह की बात कर रहे हैं। मैं मानती हूं बूंदी जिला इस वक्त कांग्रेस से सराबोर है, लेकिन मैंने पहले ही जिक्र किया है कि माता हृदय विशाल होता है इसलिए उनको यह पार्शल एटीट्यूड न रखकर उतना ही ध्यान बूंदी जिले को देना चाहिए जितना उन्होंने सहरियाओं के लिए, डूंगरपुर के लिए और सब जगहों के लिए दिया है।

मैं एक बात और कहना चाहूंगी कि हाड़ौती क्षेत्र से जितने भी माननीय सदस्य यहां बैठे हैं चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के हों, चाहे कांग्रेस के हों, हमारे लिए गर्व की बात है कि हमारे क्षेत्र से मुख्य मंत्री हैं, लेकिन उनसे कहना चाहूंगी कि हाड़ौती का मतलब केवल कोटा, झालावाड़ व बारां नहीं हैं, जन्म तो बूंदी ने ही दिया है हाड़ौती को। जन्मदात्री तो बूंदी है। तो बच्चों से पहले मां का ध्यान रखना आवश्यक है। चम्बल कमांड एरिया का जहां तक सवाल है, चम्बल कमांड एरिया का नाम बजट में नहीं है। तत्कालीन मुख्य मंत्री माननीय अशोक गहलोत साहब ने सवा अरब रुपये सिंचाई के लिए कोटा-बूंदी क्षेत्र को दिये। 40 करोड़ नहरों के सुदृढीकरण के लिए जो दिये गये, उसमें से 23 करोड़ तो हम केवल बूंदी के लिए ले आये, जिसके लिए आज सुबह प्रश्न

(श्रीमती ममता शर्मा)

लगा था कि अभयपुरा, गोठड़ा, बरदा सारे बांधों के लिए सुदृढ़ीकरण का पैसा आया। 40 करोड़ में से 23 करोड़ अकेला बूंदी जिला ले गया। बूंदी के लिए गरड़दा माध्यम सिंचाई परियोजना के लिए 82.38 करोड़ दिये गये तो उसमें दो विधान सभा क्षेत्र लाभान्वित होंगे हिण्डोली और बूंदी। मैं एक बात यह भी बताना चाहूंगी कि इसमें ज्यादा ट्राइबल हैं, भील समाज के लोग ज्यादा रहते हैं और इसी बात को कंसीडर किया था तत्कालीन मुख्य मंत्री अशोक गहलोत साहब ने। तो मैं चाहूंगी कि उसी तर्ज पर ट्राइबल्स को देखते हुए, एस.सी. के सदस्यों को देखते हुए माननीय मुख्य मंत्रीजी को अवश्य ध्यान देना चाहिए।

हमारे क्षेत्र का बहुत-सा भाग कटाव की वजह से पठारी बन गया है और उस स्टोनी डेजर्ट में आज की तारीख में लोगों के पास कुछ भी करने का साधन नहीं है, रोजगार उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं। खनन क्षेत्र तो है, लेकिन हर व्यक्ति के पास इतना पैसा नहीं है कि वो माइनिंग कर सके। इसलिए उनके रोजगार के लिए साधन उपलब्ध कराएं और जिन नालों का पानी व्यर्थ जा रहा है, वाटर हार्वेस्टिंग के प्रोग्राम्स दें, वाटरशैड के प्रोग्राम दें ताकि वहां पर पानी रुक सके और रोजगार के साधन उपलब्ध हो सकें।

गांधीजी ने आर्थिक स्वराज की कल्पना की थी उसके लिए वर्किंग स्टाइल में चेंज आना चाहिए। युवाओं को बढ़ावा देना चाहिए, रिमोडर्नाइजेशन होना चाहिए कैनाल का। कैनाल्स की बुरी हालत है। हालांकि पिछली सरकार ने अकाल के समय चम्बल कमाण्ड एरिया में बहुत कैनाल्स को साफ करवाया, सुदृढ़ीकरण भी हुआ, बावजूद उसके कार्य अपूर्ण रहे। उनको पूरा करने के लिए मेरा निवेदन है कि माननीय मुख्य मंत्री अवश्य ध्यान देंगी। जिन भी कार्यों की घोषणा हुई हो बजट के दौरान, कल जब मुख्य मंत्री महोदया जवाब देंगी तो मैं यह चाहती हूं कि एक विधायकों की कमेटी बने जो उन सब कार्यों को मानिटर करे। गवर्नेंस के बिना कुछ नहीं होता, जहां गवर्नेंस नहीं है वहां कुछ नहीं है। बजट यहां से चला जाता है, मैं कहने में बिलकुल नहीं हिचकूंगी क्योंकि अधिकारी-कर्मचारी दुरुपयोग करते हैं, बजट का पूरा पैसा उस गरीब तक नहीं पहुंच पाता। किसी समय में स्वर्गीय राजीव गांधीजी ने जो बात कही थी वह गलत नहीं कही

(श्रीमती ममता शर्मा)

थी, कि करोड़ों-अरबों रुपया आता है लेकिन वह उस आखिरी व्यक्ति तक नहीं पहुंच पाता जिसके लिए वह पैसा जाता है। उसकी मानिटरिंग होना अत्यन्त आवश्यक है। इकोनोमिक कैपेसिटी बढ़ाने के प्रयास सरकार को करने होंगे, हम उनके साथ हैं।

मैं पहले भी कह चुकी हूं, एक बार और कहूंगी कि एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति सामने आई और वह यही थी कि बूंदी का नाम नहीं था, लेकिन मेरा मानना यह है और पर्यटन की विपुल सम्भावना को देखते हुए माननीय मुख्य मंत्री साहिबा से जरूर कहूंगी कि एक सर्किट डवलप किया जाए, कोटा, बूंदी, झालावाड़ और बारां सर्किट को डवलप करके वहां भी पर्यटन को अधिक से अधिक बढ़ावा दिया जाए। पर्यटन एक उद्योग है। पर्यटन सिर्फ यही नहीं है कि सैलानी आएंगे और दृश्यों को देखकर चले जाएंगे। यह उद्योग है तो इस उद्योग को डवलप करना अत्यन्त आवश्यक है, इससे लोगों को रोजगार मिलेगा और ऐसा रोजगार मिलेगा जिसकी आप और हम कल्पना भी नहीं कर पा रहे हैं। तो आधी समस्या तो सरकार की वैसे ही हल हो जाएगी। अगर सैलानी आने लगे तो मेरा मानना यह है कि सरकार का आधा फाइनेंशियल बर्डन कम हो जाएगा। वन सम्पदा के साथ स्थापत्य कला, भवन निर्माण कला, फ्रेस्को, भिन्ति चित्र, देश-विदेश से आने वाले सैलानी कहते हैं कि पूरा राजस्थान घूमा लेकिन हाड़ौती क्षेत्र का कोई मुकाबला नहीं है। शैल चित्रों के जो अवशेष मिले हैं उनसे यह पता चलता है कि यह सभ्यता सदियों पुरानी सभ्यता है। डाबी क्षेत्र, धनेश्वर क्षेत्र में गराड़ी महादेव का मन्दिर है जो चम्बल नदी के बिलकुल ऊपर बना हुआ है, दर्शनीय स्थल है। और ऐसे कई स्थल हैं। केशोरायपाटन का जिक्र करना चाहूंगी, माननीय मंत्री महोदय हैं वहां से बाबूलालजी वर्मा साहिब, केशोरायपाटन में तीन हजार वर्ष पुराना केशोराय भगवान का मन्दिर सुब्रतनाथ जैन मन्दिर, ऐसे मन्दिरों का कायाकल्प करके और ऐसी जगह पर्यटन को बढ़ावा देना अत्यन्त आवश्यक है। झालावाड़ में माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने, जब वहां से यह एम.पी. थीं, बहुत ही बढ़िया नदी के तट पर कार्यक्रम कराया था। मैं चाहती हूं कि ऐसा ही कार्यक्रम, ऐसा ही प्रोग्राम ये अपने विशाल हृदय बूंदी जिले और कोटा को भी दें। वहां टाइगर सैंक्चुरी डवलप हो सकती है। झीलों की नगरी है, वाटर स्पोर्टस को डवलप करना चाहिये। पहाड़ों पर ट्रैकिंग रेंज बन सकती है, फोरेस्ट जर्नी भी डवलप हो सकती है, ऐसी जगह के लिए मेरा निवेदन है कि पर्यटन के हिसाब से माननीय मुख्य

(श्रीमती ममता शर्मा)

मंत्री महोदय को ध्यान देना चाहिए। नैनवां अगर आप लेते हैं तो वहां बर्ड सैंक्चुरी डवलप हो सकती है, दुगारी के नाम का एक गांव है जहां बर्ड् आते हैं। मौसम पर तो मैं निवेदन करूंगी कि बर्ड सैंक्चुरी और रामगढ़ गेम सैंक्चुरी को डवलप करना चाहिए, वहां अभी भी करीब 10-12 शेर हैं। जब भी सवाईमाधोपुर में टाइग्रेस की डिलीवरी होने वाली होती है तो वह यहां आकर डिलीवरी करती हैं और वापस चली जाती हैं, इसलिए चाहिए कि इन बातों पर हम ध्यान दें।

जहां तक वनों का सवाल है, वन सम्पदा बूंदी जिले में बहुत ज्यादा है। उसको संवारने के लिए कर्मचारियों को सख्त निर्देश देने चाहिए क्योंकि कर्मचारी पैसा लेते हैं और लकड़ी काटने देते हैं, उससे वन बिलकुल ही साफ हो गये। बारिश क्यों नहीं आती? हमने पर्यावरण की तरफ ध्यान नहीं दिया इसलिए बारिश भी नहीं होती, पेड़ कट चुके हैं तो मैं यह चाहती हूं कि वनों की रक्षा हो। एक दो बातें और वनों के लिए कहूंगी, कि कुछ सड़कें ऐसी हैं जो बरसों से फोरेस्ट में से निकली हुई हैं। उन सड़कों का माननीय पी.डब्ल्यू.डी. मंत्रीजी और वन मंत्रीजी दोनों का काम है, उन सड़कों की आमदनी रेवेन्यू में दिखे और फोरेस्ट की जमीन कहीं और जगह अलाट कर दी जाए ताकि लोगों को आने-जाने की सुविधा प्रदान हो सके। शहरी सड़कों की तो मैं बात कर रही हूं, साथ में यह भी कह रही हूं। माननीय पी.डब्ल्यू.डी. मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करूंगी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मैं तो आकर्षित हूं।

श्रीमती ममता शर्मा : ध्यान, आप नहीं, ध्यान। तो मैं चाहूंगी कि पंचायत हैडक्वाटर्स जहां-जहां भी बचे हुए हैं और सड़कों से नहीं जुड़े हैं, उनको जोड़ने का पूरा पूरा कष्ट करें, क्योंकि किसान बहुत ज्यादा परेशान हैं, तो किसानों को राहत देने के लिए हमें यह कार्य करना अत्यन्त आवश्यक है।

शिक्षा के बजट में बहुत प्रावधान किये थे। (व्यवधान) मैंने तो खुद का भी ध्यान ही आकर्षित किया है और उनका भी ध्यान ही आकर्षण चाहती हूं।

जहां तक शिक्षा का सवाल है, बजट में महिलाओं की शिक्षा के लिए और बालिकओं की शिक्षा के लिए बहुत प्रावधान है. इम्प्लीमेंट कितना हो पाएगा, यह हमको पता नहीं है। अगर इम्प्लीमेंट हो जाता है तो गांवों का कायाकल्प हो जाएगा।

(श्रीमती ममता शर्मा)

वह कैसे हो जाएगा? कि ग्राम वाला को वीर वाला बनाने की अगर सरकार ने ठान ली तो मैं सोचती हूं कि वह अपने कर्तव्यों में परायण मानी जाएगी। कई पाठशालाएं ऐसी हैं जिनके ताले ही नहीं खुलते हैं, स्टाफ नहीं है। ये सोचने वाली बातें हैं। शिक्षा मंत्रीजी यहां नहीं बैठे हुए हैं, लेकिन ग्राम्य चेतना जितनी सबल होगी उतनी ही राज्य की प्रगति होगी। वे केवल लाइट एट मिडनाइट ही बनकर नहीं रह जाएं, उन्हें शिक्षित करना होगा, उनको शिक्षित कर लाइट एट मिडनाइट मिड मोर्निंग बनना चाहिए। यह सब करने के कुछ वर्षों के बाद जो जाग्रति आएगी और जो प्रगति होगी उसके बाद न तो बाल विवाह होंगे, न बलात्कार होंगे और न आत्महत्याएं होंगी, लेकिन जरूरत है एक संकल्प लेकर उसको पूरा करने की। राजस्थान उदय तब ही होगा जब महिलाओं का उदय होगा। भारत उदय की बात करते-करते तो आप चले गये लेकिन राजस्थान उदय तब ही होगा जब कुछ न कुछ कल्याणकारी कार्य होगा महिलाओं के लिए।

श्री महावीर प्रसाद जैन : आपका तो खूब कल्याण किया है।

श्रीमती ममता शर्मा : शिक्षा मंत्रीजी यहां नहीं हैं, माननीय सभापति महोदय, आपका...

श्री कालीचरण सर्राफ : देखिये, हमने तो हमारा लीडर महिला को बनाया, आप भी अपना लीडर महिला को बनवाओ।

डा. एन. एस. गुर्जर : नहीं, स्पीकर भी महिला, लीडर भी महिला, अब आपकी तरफ से लीडर आफ अपोजीशन भी आप बन जाओ।

श्रीमती ममता शर्मा : यह हमारी पार्टी का अन्दरूनी मामला है।

डा. एन. एस. गुर्जर : आप बन जाओ, हम तो अच्छा समझेंगे।

श्री सभापति : आप नहीं बनाने दोगे।

श्रीमती ममता शर्मा : तो मैं आपसे निवेदन कर रही थी कि स्कूल खोलने में, स्कूलों को क्रमोन्नत करने में...

डा. एन. एस. गुर्जर : ममताजी, जो बैठे हैं इनका बहुमत तो आपके साथ है।

श्री अमराराम (धोद) : इन्होंने तो पूरे राष्ट्र की ही बना रखी है, आप भी बना दो वहां।

श्री सांवर लाल : दिल्ली में बना देते तो ही मान जाते हम।

श्रीमती ममता शर्मा : मैं शिक्षा मंत्रीजी से कहना चाहूंगी. माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से कि स्कूल खोलने और स्कूल क्रमोन्नत करने में उन्हें राज धर्म का पालन करना होगा।

श्री धर्मपाल चौधरी : आपने किया था क्या, हम जब वहां बैठे थे?

श्री अमराराम (धोद) : माननीय सभापति महोदय, अपनी सीट से फर्माएं।

श्रीमती ममता शर्मा : राजधर्म का पालन करना होगा।

श्री धर्मपाल चौधरी : एक मिनट, मैं कह रहा था. अमरारामजी चौधरी भी बैठे हैं, हम जब उधर बैठते थे तो जब हमने रोज कहा कि स्कूलें खोलो, चाहे आप अपनी पार्टी के आदमियों के कहने से स्कूलें खोलो. 33 के 33 एम.एल.ए. हम कहते-कहते चले गये लेकिन आपने स्कूल नहीं खोला, राजधर्म आपने नहीं निभाया। हम तो फिर भी राजधर्म निभा देंगे लेकिन राजधर्म नहीं निभाने का कारण है जब आप उधर बैठे हो।

श्री श्रवण कुमार : धर्मपालजी, ''बीती ताहि बिसारिये आगे की सुध लेय।'' जो पीछे बीत गई वह हम भुगत रहे हैं।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री महावीर प्रसाद जैन (सरकारी मुख्य सचेतक) : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय एक घंटा बढ़ाया जाए।

श्री सभापति : क्या सदन का समय एक घंटा और बढ़ाया जाए?

(स्वीकृत)

सदन का समय एक घंटा और बढ़ाया जाता है।

माननीय सदस्या, समाप्त कीजिये। आप बिराजिए।

आय-व्ययक पर सामान्य वाद-विवाद

श्रीमती ममता शर्मा : माननीय सभापति महोदय, प्रकृति का नियम है और सूर्य का नियम, वही नियम सरकार को रखना होगा।

श्री टीकमचन्द कान्त : सभापति महोदय, एक तरीका हो सकता है। इनको प्रायश्चित करना चाहिए कि पिछली बार इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रों को स्कूलें नहीं दीं तो इस बार इनको वो त्याग कर लेना चाहिए। प्रायश्चित करना चाहिए किसी न किसी तरह।

श्री कालीचरण सर्राफ : इनको खुद ही कह देना चाहिए कि आप खोलो अपने इलाके में, हमारे इलाके में अगली बार।

श्री हेमराज मीणा : सभापति महोदय, मुझे ध्यान में है कि पिछली सरकार जब हमारी थी उस समय मदन दिलावरजी ने छात्रावास खोले थे और कांग्रेस की गवर्नमेंट बनते ही सारे छात्रावास रद्द कर दिये। चालू ही नहीं किये, सारी व्यवस्थाएं भंग कर दीं। यह स्थिति इन्होंने ही चालू की है।

श्री सभापति : माननीय सदस्या, समाप्त कीजिये।

श्रीमती ममता शर्मा : माननीय सभापति महोदय, अभी मुझे बोलते हुए 10 मिनट भी नहीं हुआ और मैंनें जो बात कही कि सदन का डेकोरम हमें रखना चाहिए उसको माननीय सदस्य 9 मिनट में ही भूल गये, बड़े अफसोस की बात है।

श्री श्रवण कुमार : कालीचरणजी, आपने कहा कि स्कूलें मत खोलो, यह कोई... (व्यवधान)

श्रीमती ममता शर्मा : जिस तरह सूर्य सब को समान रोशनी देता है उसी तरह से कोशिश करिये। हो सकता है हमने कोई गलती की, इसका मतलब यह नहीं है कि उन्हीं पद चिन्हों पर आपको भी चलना जरूरी है। यह जरूरी नहीं है कि उन्हीं पदचिन्हों पर आप चलें। अच्छी बातें सबकी ग्रहण करनी चाहिए, बुरी बातों को छोड़ देना चाहिए, यह याद रखें।

श्री महावीर प्रसाद जैन : यह उपदेश ठीक है।

श्री ओम बिरला : बोलने दो, हाड़ौती के नेता हैं।

श्रीमती ममता शर्मा : अगर महिलाओं का उत्थान हो जाएगा, राजस्थान उदय होगा तो कोई नहीं कहेगा-"कोउ नृप होई हमें का हानि" कोई नहीं कहेगा। आज पेयजल संकट इतना गहराया हुआ है कि महिलाएं बेहद परेशान हैं। कई बार हम सोचते हैं, मैं माननीय मंत्रीजी से...

श्री महावीर प्रसाद जैन : आपको देखकर तो नहीं लगता है।

श्रीमती ममता शर्मा : क्या फर्माया आपने?

श्री महावीर प्रसाद जैन : ऐसे कहा कि आपको देखकर नहीं लगता कि महिलाएं परेशान हैं।

श्रीमती ममता शर्मा : अकेली महिला नहीं हूं राजस्थान में। उन गरीब महिलाओं की तरफ देखिये जिनके घरों में दिन भर के खाने को भी नहीं है। उन गरीब महिलाओं की तरफ देखिये।

श्री महावीर प्रसाद जैन : मैं तो यही समझ रहा था कि आप प्रतिनिधित्व करते हो उनका।

श्रीमती ममता शर्मा : और वैसे मैथिलीशरण गुप्ता ने कहा भी है :-

अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी

आंचल में है दूध आंखों में पानी।

तो इस आंखों के पानी को पोंछने की कोशिश करिये, इसको और बहाने की कोशिश मत करिये। इसलिए मैं निवेदन करूंगी कि पेयजल संकट जो गहराया हुआ है इसके बारे में सरकार को बहुत गम्भीर विचार और प्रयास करने चाहिए कि किस तरह से इस संकट से हम मुक्ति पाएं।

युवाओं की चिन्ता, युवकों को रोजगार दिलाने की चिन्ता, किसानों की चिन्ता बजट में सब कुछ है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन के बाद ही कुछ कहना होगा।

श्री सभापति : वह युवाओं के लिए छोड़ दीजिये आप।

श्रीमती ममता शर्मा : मैं बूंदी की एक पेयजल समस्या के बारे में बताऊंगी कि बूंदी में आज हम 48 घंटे में शहर को पानी दे रहे हैं, 48 घंटे में केवल एक घंटा पानी दिया जा रहा है। बूंदी के लिए हमारी सरकार के समय प्रोजेक्ट बन गया था, लेकिन प्रोजेक्ट बनने में बहुत देर हो गई इसलिए वह क्लीयर नहीं हो पाया। चम्बल से बूंदी को

(श्रीमती ममता शर्मा)

जोड़ने के लिए एक प्रोजेक्ट बना हुआ रखा है, वह करीब 6 करोड़ 62 लाख का है और उसमें बीच के 22 गांव भी जुड़ेंगे तो कोटा से बूंदी को पानी भी मिलेगा और 22 गांव भी जुड़ेंगे। वैसे मैं एक बात और निवेदन करना चाहूंगी कि गरड़दा सिंचाई परियोजना जिसका मैं जिक्र कर चुकी हूं, उसको दो बातों के लिए लिया गया है, सिंचाई के लिए और बूंदी के ड्रिंकिंग वाटर के लिए। डाबी क्षेत्र जहां गूजर और भीलों की ज्यादातर आबादी है, वहां के लिए 62 लाख की एक स्कीम बनी है। हमारी सरकार उसको सैंक्शन नहीं कर पाई, मुझे अफसोस है। लेकिन वह अगर सैंक्शन होती है तो वहां के लोगों को बहुत ज्यादा रिलीफ मिलेगी। यह सरकार अगर यह लिखकर कह देती है कि इसको आप स्वजलधारा में ले लें तो। सभापति महोदय, 6 लाख रुपया कोई भी गांव वाले नहीं दे सकते और वह स्कीम कभी भी लागू नहीं हो सकती, इसलिए मैं चाहती हूं कि इसको लागू करने के लिए भरसक प्रयास हों। 33 प्रतिशत हैण्डपम्प्स का पानी सूख चुका है, ड्राई हो चुके है, उनके बारे में भी सरकार को चिंता करनी चाहिए। माननीय मंत्री महोदय बैठे हुए हैं, 30 प्रतिशत हैण्डपम्प्स का सूख जाना, इसका मतलब यह है कि गांव में पानी की जबरदस्त किल्लत आ चुकी है।

श्री सभापति : ममताजी, कनक्लूड कीजिये।

श्रीमती ममता शर्मा : सभापति महोदय, मैंने आपको पहले ही कह दिया था कि मैं पांच मिनट आपसे ज्यादा लूंगी। मेरा ज्यादा नहीं है, वैसे अगर आप कहेंगे तो मैं बैठ जाऊंगी। (व्यवधान) आप घड़ी देखना सीख लें पहले। आधा घंटा कौन बोल रहे हैं? माननीय सदस्य, पहले घड़ी देखना सीख लें। अभी आधा घंटा नहीं हुआ, मुश्किल से 15 मिनट हुए हैं और आप बीच-बीच में व्यवधान करेंगे तो आधा घंटा नहीं, पौन घंटा हो जाएगा।

चिकित्सा के क्षेत्र में मैं कहना चाहूंगी, मंत्रीमहोदय यहां बैठे हुए हैं कि घोषणाओं के साथ-साथ इम्प्लीमेंटेशन होना जरूरी है। एक ही लाइन में पूरी बात को खतम करूंगी कि जितने राजस्थान में जिले हैं उन सब जिलों के अस्पताल जो अभी बी ग्रेड हैं या सी ग्रेड हैं, जिला हैडक्वाटर के अस्पतालों को अगर ए ग्रेड कर दिया गया तो आपकी आधी समस्या का समाधान हो जाएगा। ट्रोमा वार्ड की घोषणा हुई है। ट्रोमा वार्ड जो हाइ वे के हास्पिटल्स हैं, उनमें बहुत जरूरी है क्योंकि आये दिन एक्सीडेंट होते हैं। बूंदी से सीधा

(श्रीमती ममता शर्मा)

कोटा के लिए रैफर किया जाता है, इस 35 किलोमीटर ट्रैफिक में जाते हैं तो आधों की तो वैसे ही मौत हो जाती है। तो मैं चाहती हूं कि ट्रोमा और अ श्रेणी का अस्पताल जरूर दिया जाए।

आज सीकर से आने वाली माननीय सदस्या आपसे जिक्र कर रही थीं गायनाकोलोजिस्ट का। गायनाकोलोजिस्ट पंचायत समिति हैडक्वाटर पर अत्यन्त आवश्यक हैं। आप गांवों में मत दीजिये, लेकिन पंचायत समिति हैडक्वाटर पर गायनाकोलोजिस्ट की जहां पोस्ट है वो भी वेकेंट पड़ी हुई है, कम से कम उनको गायनाकोलोजिस्ट देने का कष्ट करें। जहां तक मेल गायनाकोलोजिस्ट का सवाल है, तो यह राजस्थान कलकत्ता चेन्नई, मुम्बई या दिल्ली नहीं बन सकता है, यहां की महिला आज भी पर्दे में शर्म से रहती है। तो बड़े शहरों में तो आप लगा दीजिये, कोटा, जयपुर, उदयपुर, जोधपुर में तो लगा दीजिये लेकिन गांवों में उनका कहना बिलकुल ठीक था, मैं पैरवी करूंगी उनकी कि गांव में महिला चिकित्सक ही होनी चाहिए।

खनन क्षेत्र का जहां तक सवाल है, माननीय सभापति महोदय, मैं कहना चाहूंगी कि कई खानें आज भी बंद पड़ी हैं. उनके लिए सरकार क्या कर रही है? क्योंकि माइंस और एक्साइज दो डिपार्टमेंट ऐसे हैं जो पूरी तरह से रेवेन्यू गवर्नमेंट को देते हैं। तो इनके बारे में जरूर सोचना चाहिए। रायल्टी के ठेके हैं, उनमें अनियमितताएं हैं तो इनको भी खतम करवाना चाहिए। माइन ओनर्स इससे बहुत ज्यादा परेशान हैं। उनको खतम करवाकर डिपार्टमेंट की रेवेन्यू बढ़ानी चाहिए। बूंदी में लाइमस्टोन और सैण्डस्टोन दोनों की खानें हैं।

माननीय मुख्य मंत्री साहिबा ने छोटे उद्योगों के द्वारा जो बिजली पैदा की जा रही है, बिजली में 125 के.डब्ल्यू.एच. तक की छूट दी है, उसके लिए तो मैं उनका साधुवाद कर रही हूं, वो साधुवाद की पात्र हैं, लेकिन राज्य सरकार को बिजली उत्पादन की ओर विशेष ध्यान देना चाहिए। साथ में मैं यह भी कहना चाहूंगी कि बड़े उद्योगों का भी ध्यान रखना चाहिये क्योंकि बड़े उद्योगों का योगदान उत्पादन में, रीमाडर्नाइजेशन में बहुत ज्यादा है। हमारे यहां बड़े उद्योग कोटा में हैं, जे.के. की यूनिट सिक हो चुकी है. तो अगर हम इस पर और ज्यादा टैक्स का भार बढ़ाएंगे,

(20.00 बजे)

मैं उनकी पैरवी नहीं करती लेकिन मैं यह कह रही हूं कि अगर हम इनके ऊपर और

(श्रीमती ममता शर्मा)

ज्यादा टैक्स का भार बढ़ाएंगे तो एक-एक फैक्ट्री पर, मान लीजिये, कोटा फर्टिलाइजर और केमिकल्स है डी.सी.एम. की, वह अकेली 18 करोड़ रुपये साल का देगी और उसको घाटा होगा 18 करोड़ रुपये साल का, ऐसे में यह यूनिट सिक हो जाएगी। इसके बारे में सरकार को पुनर्विचार करना अत्यन्त आवश्यक है। 25 पैसा टैक्स जो लगाया गया है निजी क्षेत्र में, उससे प्रदेश में बिजली का संकट आएगा, तो मेरा निवेदन है कि सरकार इसमें पुनर्विचार करे, उत्पादन की दृष्टि से ध्यान दिया जाना चाहिए, वरना हमारा राज्य दूसरे राज्यों से पीछे चला जाएगा।

कांग्रेस सरकार ने ए.डी.बी. प्रोजेक्ट्स को बढ़ावा दिया था और आज मैंने सुना है कि ए.डी.बी. से और ज्यादा पैसा इस सरकार ने भी लिया है। ए.डी.बी. प्रोजेक्ट्स के लिए कांग्रेस की सरकार ने जिन शहरों को चयनित किया था, उस में बूंदी था, तो एज इट इज सरकार रखे, यह मेरा आपसे निवेदन है।

और एक बात और मैं निवेदन करना चाहूंगी, हालांकि मुझे नहीं पता कि मुझे आज बोलनी चाहिए यह बात या नहीं बोलनी चाहिए. लेकिन मैं मानवता के ग्राउण्ड पर इसको जरूर बोलूंगी। माननीय मंत्री महोदय, हो सकता है हमने भी यह गलती की हो लेकिन इतनी मैसिव गलती नहीं की थी। कि यह तबादलों की जो बाढ़ है, इसको रोकें। इसलिए रोकें, कि किसी के मां-बाप को कैंसर है, कोई हार्ट पेशेंट है, बच्चों की पढ़ाई बीच में है, कोई सातवीं क्लास में बच्चा पढ़ रहा है, आपने उसको उठाकर कोटा से बाड़मेर कर दिया या बाड़मेर से उठाकर झालावाड़ कर दिया। उनकी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए, जो बहुत ज्यादा टाइम से रह रहे हैं, उनको तो करो आप...

श्री पुष्पेन्द्र सिंह : जितनी दया बीजेपी के विधायकों ने की, उतनी शायद कांग्रेस के विधायकों ने नहीं की।

श्री सभापति : ममताजी, आप बैठिये।

श्रीमती ममता शर्मा : मैं आखिर में मुख्य मंत्रीजी को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी कि उन्होंने गोल्फ रिसोर्ट का एक प्रस्ताव रखा है। उसके बारे में कोई नहीं बोला है। उन्होंने गोल्फ रिसोर्ट का प्रस्ताव रखा है, मैं उन्हें धन्यवाद कर रही हूं। उन्होंने गोल्फ रिसोर्ट का प्रस्ताव तो रखा है लेकिन जयपुर में आलरेडी जो गोल्फ कोर्स है, उसके बारे में सरकार ने आंख मूंदकर रखी है। पर्यावरण की दृष्टि से एक बात मैं बताना

(श्रीमती ममता शर्मा)

चाहूंगी आपको कि तत्कालीन मुख्य मंत्री माननीय हरिदेवजी जोशी का फाइल पर नोट है कि यह ग्रीनरी जो सैक्रेटेरिएट के सामने है, ये जयपुर के फेफड़े हैं, जयपुर के लंग्स हैं और इन फेफड़ों का ध्यान अगर हम नहीं करेंगे तो शहर बीमार हो जाएगा। तो मेरा इनसे यह कहना है, यह तो आप लाये ही, लेकिन इस गोल्फ कोर्स को भी सम्भालें। अगर यह रिसोर्ट कोटा में चला जाए तो इससे अच्छी बात और कोई बात नहीं हो सकती, हाड़ौती के लिए यह उनकी एक बहुत बड़ी देन होगी। और कोटा में एक टैक्निकल कालेज की स्थापना होना बहुत जरूरी है। कोई भी कालेज हो, टैक्निकल कालेज कोटा में होना अत्यन्त आवश्यक है। मैं इतना कहकर अपनी बात समाप्त करूंगी। आपने समय दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री सुभाष चन्द्र शर्मा।

श्री सुभाष चन्द्र शर्मा (कोटपूतली) : माननीय सभापति महोदय, बड़ी देर के इंतजार के बाद आपने मुझे मौका दिया, इस बात के लिए तो मैं आपको पुन: धन्यवाद कर रहा हूं। कई बार निर्दलीय की पीड़ा हर आदमी नहीं समझ पाता। बहुत भावनाएं दिल में होती हैं, बहुत मन में उबाल भी होता है और इस प्रकार के विचार भी आते हैं कि बहुत कुछ कहा जाए, कुछ सुझाव भी होते हैं लेकिन कई बार जब मौका नहीं मिल पाता तो मन मसोस कर रह जाता हूं। धन्यवाद देना चाहता हूं आपको कि आपने मुझे मौका दिया।

परिवर्तित बजट वर्ष 2004-2005 के लिए सबसे पहले तो मैं हमारे प्रदेश की माननीय मुख्य मंत्री महोदय श्रीमती वसुन्धराजी राजे को धन्यवाद देना चाहता हूं कि जिस प्रकार का बजट इन्होंने पेश किया, यह निश्चित बात है, जो बात कल से, परसों से सुनी जा रही है, ज्यादातर लोगों ने जो बात कही कि यह अद्वितीय बजट है, मैं भी यही कहता हूं कि यह अद्वितीय बजट है। पूरे बजट का अध्ययन करने के पश्चात् माननीय प्रतिपक्ष के सदस्यगण तीन दिन से लगातार इस चक्कर में लग रहे हैं कि क्या चीज ढूंढकर लाएं और क्या बताएं, लेकिन सदन में जिस तरह के प्रस्ताव रखे गये हैं और जिस तरह से प्रतिपक्ष की तरफ से जवाब आये हैं, मुझे नहीं लगता कि उन्होंने बहुत बड़ी बात कुछ निकालकर दी हो। कहना आसान है, करना बड़ा मुश्किल है। जिस प्रकार की बातें इस बजट में प्रतिपक्ष से कही गईं, पिछली सरकार के समय अगर इन बातों के ऊपर विचार किया जाता तो आज उनकी यह हालत नहीं होती।

(श्री सुभाष चन्द्र शर्मा)

थोड़ी देर पहले सदन में जब चर्चा चल रही थी, कहीं पर जातिवाद की बात आ गई बीच में और कहीं पर क्षेत्रवाद की बात भी आ गई। मैं इतना कहना चाहूंगा...कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई सुनता है या नहीं सुनता है। हमारे अन्दर अगर कैपेबिलिटी होगी तो निश्चित रूप से हम सुनाकर छोड़ेंगे। सरकार के मंत्री भी इस बात को जानते हैं और आप प्रतिपक्ष के लोग भी जानते हैं जो मैं नहीं कहना चाह रहा था लेकिन आपने खड़े होकर उस बात को उद्धृत करने के लिए मुझे मजबूर कर दिया. कि उस जातिवाद का शिकार मैं भी आप लोगों के बीच में हुआ, इस कारण से मुझे आप लोगों को छोड़ना पड़ा। मैं नहीं कहना चाह रहा था इस बात को सदन में। बहुत देर पहले इस बात की बात आई थी कि जातिवाद की बात होती है और क्षेत्रवाद पर विचार चलता है, पर जिस तरह से क्षेत्रवाद और जातिवाद की बात की जा रही है थी, घिनौना खेल खेला जा रहा है प्रदेश के अन्दर कि जातिवाद के नाम पर प्रतिभाओं को धकेलकर पीछे कर दिया जाए और जो योग्य व्यक्ति हैं, जो आगे आकर, सदन में बैठकर समाज का चेहरा बन सकते हैं और समाज के विकास की बात कर सकते हैं, पूरे राजस्थान के विकास की बात कर सकते हैं, उसको पीछे धकेल दिया जाए। अगर मेरे साथ यह घटना नहीं हुई होती तो मैं 1993 में और 1998 में सदस्य बनकर इस विधान सभा के अन्दर आया हुआ होता। मुझे मजबूर होकर आपको छोड़ना पडा और अपना रास्ता अलग अख्तियार करके इस सदन के बीच में आ सका। माननीय कोटपूतली की जनता को धन्यवाद करता हूं, उनका अभिवादन करता हूं कि उन्होंने जातिवाद से ऊपर उठकर मेरे जैसे छोटे-से कार्यकर्ता को चुनकर सदन के अन्दर भेजा है। तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे पी.डब्ल्यू.डी. मंत्रीजी को, किसी समय में आपका आशीर्वाद मुझे मिलता था लेकिन आप भी उस समय मंत्री नहीं थे और कुछ मजबूरियां आपकी भी रही होंगी और हमारे कांग्रेस के भाइयों की कुछ परिस्थितियां भी रही होंगी, उनको हो सकता है कि कोई कार्यकर्ता वहां नहीं मिला होगा, लेकिन सब बातों को छोड़कर जातिवाद की भट्टी में पूरे प्रदेश को झोंक दिया गया। बहुत सारे ऐसे विधान सभा क्षेत्र हैं जहां मेरे जैसे कितने ही कार्यकर्ता दम तोड़कर दफन हो गये। लेकिन माननीय सभापति महोदय, मैंने अपना रास्ता अलग अख्तियार किया और अपने तरीके से आपके बीच में यहां पर विराजमान हूं मेरी माननीय कोटपूतली की जनता की वजह से मैं आज धन्यवाद देना चाहूंगा प्रदेश की माननीय मुख्य मंत्री

(श्री सुभाष चन्द्र शर्मा)

महोदया को. जो कार्यशैली मैंने उनके अन्दर देखी, जो भावनाओं का जज्बा मैंने उनके अन्दर देखा। आज उनका समर्थन करने की बात मेरे दिल में है उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि जो भावना जो दृढ़ संकल्प और जो विचारों की दृढ़ता मैंने उनके अन्दर देखी है, यह मुझे पिछले 15 सालों में नजर नहीं आई। आम आदमी की पीड़ा, आम आदमी को साथ लेकर चलने की भावना, आम आदमी के दु:ख-दर्द में शामिल होना, गरीब से गरीब और सबसे अन्तिम तक न्याय पहुंचे, सबसे अन्तिम व्यक्ति तक मदद पहुंचे, यह भावना मैंने उनके दिल में महसूस की है। यह जो बजट प्रस्तुत हुआ, इस बजट के अन्दर जिस प्रकार से आम वर्ग को, आम व्यक्ति को छूकर उसे लाभ पहुंचाने की बात की है, मैं बार-बार धन्यवाद देता हूं माननीय मुख्य मंत्रीजी को। अभी थोड़ी देर पहले हमारी बहिन चर्चा कर रही थी कि वे जिस परिवार की पृष्ठभूमि से आई हैं, जिधर से आई और उन्होंने प्रदेश की बागडोर सम्भाली है, मैं तो एक बात कहना चाहूंगा कि इन्सान के दिल में अगर मानवता है, इंसानियत है तो चाहे वह किसी भी वर्ग और किसी भी संगठन, किसी भी समाज और किसी भी पारिवारिक पृष्ठभूमि से निकल कर आए, वह समाज का हित ही करेगा। और अगर जज्बा नहीं है तो वह कहीं से भी निकल कर आ जाए, वह गरीब का भला भी नहीं कर सकता। माननीय, जिस प्रकार से छह प्रोग्राम तय करके प्रदेश को सशक्त बनाने के लिए, प्रदेश का वह व्यक्ति जो सबसे पिछड़ा हुआ है उसको मजबूती की स्थिति में लाने के लिए जो योजनाएं बनाई हैं, जो लक्ष्य तय किये हैं, इस बात के लिए मैं बधाई देना चाहूंगा। जो-जो योजनाएं उन्होंने प्रदेश के लिए प्रेषित की हैं, प्रस्तुत की हैं-चाहे उसमें खेलों का हो. चाहे उसमें कृषि का हो. चाहे उसमें महिलाओं के विकास का हो. चाहे बालकों के. बच्चों के विकास की बात हो, चाहे वह सिंचाई और पेयजल की बात हो, चाहे रोजगार और गौवंश संरक्षण की बात हो, चाहे लघु उद्योग और वन विभाग की बात हो. सड़क परिवहन से लेकर आम आदमी की झोंपड़ी तक पहुंच कर उसको मदद किस प्रकार से दी जाए. इसका विचार जो इन्होंने इस पुस्तक के अन्दर प्रस्तुत किया है, वह निश्चित ही अपने आप में एक सराहनीय कदम है। हमारे बहुत सारे साथी कह रहे थे कि योजना का आकार बढ़ा दिया. आमदनी का साधन नहीं रखा. निश्चित बात तो यह है कि अगर योजना का आकार बढ़ाने की क्षमता और दृढ़ विश्वास मन में है तो आय का साधन भी दृढ़ निश्चय से होगा। गुड गवर्नेंस की बात की जा रही थी, मैं तो उदाहरण देना चाहूंगा मेरे विधान सभा क्षेत्र का,

(श्री सुभाष चन्द्र शर्मा)

माननीय सदस्य अभी 44 प्रतिशत और 45 प्रतिशत विद्युत छीजत की बात कर रहे थे, मैंने मेरे सभी अधिकारियों के साथ बैठकर बात की और उसमें यह तय किया कि बिजली की चोरी और बिजली का क्षरण हम कोटपूतली में किस प्रकार से रोक सकते हैं और इसके ऊपर हमने काम शुरू कर दिया। आप ताज्जुब करेंगे, एक महीने बाद अगर निरीक्षण करने के लिए माननीय सदस्य पधारें तो मेरे कोटपूतली विधान सभा क्षेत्र में पधारें कि बिजली की चोरी कैसे रूक रही है, बिजली का कारण कैसे रूक रहा है। किस प्रकार से विद्युत उत्पादन के बराबर की स्थिति में हम प्रदेश को ले जाएंगे, यह माननीय मुख्य मंत्री ने अपने दृढ़ संकल्प से इस बजट प्रस्ताव में प्रस्तुत किया है। अगर प्रदेश में बिजली की चोरी रूक जाए, प्रदेश में बिजली की जो छीजत हो रही है वह रूक जाए तो निश्चित बात मानकर चलिये कि जितना बजट आपने पेश किया, इसका चौथाई हिस्सा आपको उसी में से मिल जाएगा। इसलिए यह संशय रखने की जरूरत नहीं है कि प्रदेश की योजना का आकार इतना बड़ा हो गया तो पैसा कहां से आएगा। पैसे की योजना तो बना ली गई है और चल रही है और निश्चित ही रिकवरी होगी। जिस प्रकार का टैक्स रिलीफ दिया गया, जिस प्रकार से योजनाओं को इकजाई किया गया, आप मानकर चलें कि हमारे करदाता भी इतने ईमानदार बनने हैं जिनको कर चुकाकर सरकार का साथ देना है, निश्चित तौर पर देना है।

माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने कृषि के ऊपर जो योजना लागू की है कृषि बीमा योजना, उस कृषि बीमा योजना का कई सालों से विचार चल रहा था, आपकी सरकार के समय कृषि योजना लागू हुई लेकिन उसको विस्तार दिया. विस्तार की योजना बनाई। निश्चित बात है कि आज किसान को कोई नहीं पूछ रहा। मैं समझता हूं, सदन के जितने लोग यहां बिराजमान हैं, उनमें से अस्सी प्रतिशत से ज्यादा किसान पृष्ठभूमि से निकल कर आये, लेकिन कृषि जिसों की बात, कृषि में जिस प्रकार से बीमा की बात की गई, जिस प्रकार से माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने इसको बढ़ाने का सोच प्रदर्शित किया, बहुत ही स्वागत योग्य है। लेकिन उसके साथ मैं कुछ और भी निवेदन करना चाहता हूं इसमें, जो मेरे सुझाव के रूप में है, कि कृषि में बीमा लागू करते समय किसान की कैसी भी पृष्ठभूमि हो, क्षेत्र कोई भी हो. अगर खेती का नुकसान होता है तो वह एक गरीब का नुकसान होता है, आधी बीघा से लेकर. पांच बीघा. सात बीघा और

(श्री सुभाष चन्द्र शर्मा)

दस बीघा तक के किसान, छोटे सीमांत किसान, अगर उसमें लाभ उनको नहीं दिया गया, उसकी योजना पूरे रूप से तैयार नहीं की गई तो यह बात केवल खोखली नहीं रह जाए। किसानों के हित में बीमा योजना पूरी लागू हो सके, उसके लिए समग्र योजना बनाने की आवश्यकता को मैं महसूस करता हूं। लेकिन जो बात पूरे सदन में किसी ने नहीं कही. मैं कहना चाहता हूं कि किसान के दो धन हैं और दोनों खुले हैं। एक तो कृषि, जो खुले में रहती है, जब तक अनाज पैदा होकर घर के अन्दर नहीं आ जाता, तब तक उसकी फसल के नुकसान का खतरा उसके सर पर मंडराता रहता है। दूसरा धन है उसका पशुधन। जिस प्रकार से कृषि धन में कृषि बीमा योजना लागू की गई है, मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदय से आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस बजट प्रस्ताव में इस चीज को जरूर शामिल करें और जहां पर कृषि बीमा योजना लागू हो रही है उसके साथ किसान के पशुधन का बीमा भी लागू किया जाना चाहिए। आज एक किसान के बीस हजार की भैंस है, बीस हजार का ऊंट है, अगर किसी कारण से वह खतम हो जाता है तो उसके परिवार में एक व्यक्ति के मरने जैसा मातम हो जाता है। इसलिए, माननीय, मैं आपसे इस विश्वास के साथ निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री महोदय इस बात का निश्चित रूप से विचार करके कृषि के साथ पशु धन का बीमा भी लागू करेंगी।

खेलों को बढ़ावा देने की जिस तरह से बात की गई, एक करोड़ के बजाय सात करोड़ रुपये का बजट रखा गया, सात करोड़ उनहत्तर लाख का, यह तो स्वागत योग्य है ही, लेकिन युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए, युवाओं को प्रोत्साहन देने के लिए और ग्रामीण क्षेत्र की प्रतिभाओं को आगे लाने के लिए मेरा सुझाव यह है कि ब्लाक स्तर पर खेलों का उप केन्द्र जरूरत स्थापित किया जाना चाहिए। माननीय, मेरे विधान सभा क्षेत्र में अन्तरराष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी पैदा हुए हैं लेकिन आज खेल के नाम पर वहां कोई गतिविधि नहीं है। इसलिए मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री महोदय से यह निवेदन करना चाहूंगा कि जहां पर अन्तरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी हों और जिस धरती ने, जिस मां न जन्म देकर ऐसे लोगों को बाहर निकाला हो जिससे देश का नाम रोशन हुआ हो, समाज का नाम रोशन हुआ हो, उस क्षेत्र में खेलों को भी बढ़ावा देने के लिए पूरी योजना बनाई जानी चाहिए।

(श्री सुभाष चन्द्र शर्मा)

ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं के लिए जिस प्रकार से प्रसूति केन्द्रों की बात की गई, निश्चित ही हमारे गांव की महिलाएं बड़ी पीड़ित हैं और मैं समझता हूं कि 75 से लेकर 80 प्रतिशत तक प्रसव ग्रामीण परिवेश में होता है। (व्यवधान) दाई की बात कह रहे हैं आप। अकेली दाई से नहीं होता है। पुरानी महिलाएं होती थीं और पुरानी महिलाएं दाई से ज्यादा समझदारी का काम करती थीं। हमारी महिला-बहनें अच्छी तरह इस बात को जानती हैं कि उनके साथ कैसी पीड़ा गुजरती है, और जब दस-पन्द्रह-बीस-तीस-चालीस किलोमीटर तक उनको प्रसूति केन्द्र नहीं मिलेगा तो निश्चित बात है कि उनकी पीड़ा कितनी खतरनाक होगी। जो मातृ मृत्यु दर और बच्चों की मृत्यु दर बढ़ रही है इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि वे सुविधाएं हमारे गांवों में परिवार के नजदीक नहीं है। परिवार के नजदीक अगर पांच किलोमीटर के दायरे में ये सुविधाएं होंगी तो निश्चित रूप से प्रसूति महिलाओं और बच्चों के जीवन की रक्षा हो सकेगी और उनको सही प्रसव हो सके, उसके लिए मदद की जा सकेगी। मेरा सुझाव आपके माध्यम से है कि माननीय मुख्य मंत्री महोदय स्वयं भी महिला हैं, महिलाओं के दर्द और पीड़ा को समझ सकती हैं, वह इन प्रस्तावों को अगर अपने बजट प्रस्तावों मे शामिल करेंगी तो हमारे प्रदेश की महिलाओं को और हमारे प्रदेश के उन बच्चों को बहुत बड़ी राहत मिलेगी।

राज्य की गायों को बचाने के लिए जो भावना माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने प्रेषित की, मैं तो धन्यवाद देना चाहूंगा पूर्व मुख्य मंत्री को भी। लेकिन जिस प्रकार से हमारे भाई कह रहे थे कि केन्द्र से आने वाली मदद से गौशालाओं को और गौधन को बचाने के लिए मिलनी चाहिए थी, वो नहीं मिल पायी। मैं तो यह कहना चाहूंगा कि राजस्थान धर्म प्रवृत्ति का प्रदेश है और बहुत सारे लोग गौ संरक्षण के लिए आगे आये हैं और अपनी-अपनी गौशालाएं स्थापित करके राजस्थान सरकार को गौवंश बचाने में बहुत बड़ी मदद कर रहे हैं। गौवंश को वास्तव में बचाने के लिए बहुत सारी गौ शालाएं हैं, जरूरत केवल इस बात की है कि उन लोगों को प्रोत्साहित किया जाए। प्रोत्साहन के बाद सही सिस्टम के तहत अगर उनमें भावना पैदा की जाए तो वो स्वयं सहयोग करने के लिए आगे आते हैं। लेकिन सरकार की मंशा की जरूरत है। जो भावना माननीय मुख्य मंत्री महोदया ने इसमें प्रदर्शित की है, मैं उम्मीद करता हूं कि गायों के साथ यह अन्याय आगे नहीं हो सकेगा. क्योंकि भैंस पालना ज्यादा पसन्द करता है आदमी और

(श्री सुभाष चन्द्र शर्मा)

गायों को खोल कर भूखा मरने के लिए छोड़ देता है, यह वर्तमान में प्रदेश की स्थिति है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

दो तीन बातों का उल्लेख करके, मैं आपकी समय सीमा को समझ रहा हूं निश्चित रूप से मैं उससे बाहर नहीं जाऊंगा।

प्रधानमंत्री रोजगार योजना में इसको थोड़ा तर्कसंगत बनाने की जरूरत है। बेरोजगारों को 20-20, 30-30 पंचायत समिति में एक-एक पंचायत में ऋण देन की बात कही जाती है। जिला उद्योग केन्द्र के माध्यम से योजनाएं ग्रामीण बैंकों को भेज दी जाती हैं, लेकिन बेरोजगार टोटली ग्रामीण बैंकों के रहमोकरम पर है। ग्रामीण बैंक चाहे जिसको ऋण देता है और चाहे जिसको नहीं देता है। इसलिए मैं आपके माध्यम से यह भी निवेदन करूंगा कि जिला उद्योग केन्द्रों के माध्यम से और खादी ग्रामोद्योग के माध्यम से चलायी जाने वाली योजनाओं में अगर ग्रामीण बैंक को सही डाइरेक्शन दिया जाए तो बहुत रोजगार की सम्भावनाएं हमारे क्षेत्र में पैदा हो सकती हैं और बहुत सारे युवाओं को रोजगार दिलवाया जा सकता है।

वन विभाग के द्वारा जो चलायी जा रही योजनाएं हैं वृक्षारोपण की, ग्राम पंचायतों और ग्रामीण किसानों को अगर उन योजनाओं में शामिल किया जाए तो मैं समझता हूं कि वास्तव में जो वृक्षारोपण की भावना है, सरकार की मंशा है वो निश्चित रूप से सफल होगी। इसमें होता क्या है कि लाखों पौधे लगा दिये जाते हैं लेकिन उनको जीवित रखने की भावना किसी में नहीं है। वन विभाग में भी उन पौधों को जीवित रखने की भावना नहीं है। इसलिए मेरा आपके माध्यम से यह निवेदन है कि जितने पौधे लगाये जाएं, अधिकारियों की यह जिम्मेदारी होनी चाहिए कि वो पौधे जीवित रह सकें। वो पौधे जीवित रहेंगे तो निश्चित बात है कि प्रदेश की भलाई हो सकेगी और प्रदेश को बहुत बड़ा आर्थिक लाभ भी मिल पाएगा।

एक सबसे बड़ा जो इसके अन्दर दिया गया है किसानों के सम्बन्ध में, मैं उस बात को निवेदन करना चाहूंगा। हर्बल गार्डन्स की जो बात माननीय मुख्य मंत्री ने कही है, एक बहुत अच्छी बात है। इसमें उन्होंने कहा है कि स्वयंसेवी संस्थाओं और निजी क्षेत्र की भागेदारी से ये हर्बल गार्डन्स स्थापित किये जाएंगे, लेकिन माननीय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे प्रदेश में बहुत सारे ऐसे पेड़-पौधे होते हैं जो

(श्री सुभाष चन्द्र शर्मा)

ग्रामीण परिवेश में गांवों के नजदीक पहाड़ों में, नदियों में, नलकूपों के पास में पैदा होते हैं, हम अगर उनका संरक्षण करने के काम में किसानों को शामिल कर सकें और हर्बल गार्डन्स स्थापित करने के लिए किसानों को मदद दें तो मैं समझता हूं कि एक बहुत बड़ी उपलब्धि और बहुत बड़ा आर्थिक संसाधन हमारे प्रदेश के लिए हम जुटा सकते हैं। हमारे किसान को जब यह पता लगेगा कि इस हर्बल गार्डन में पैदा हुई चीज जड़ी-बूटी के रूप में हजारों रुपये महंगी बिकती है तो वो फसल के साथ-साथ उस हर्बल गार्डन्स को भी मजबूत करेगा। इसी के साथ किसान की कास्ट आफ प्रोडक्शन की बात भी मैं कहना चाह रहा था कि कास्ट आफ प्रोडक्शन भी किसान को मिलनी चाहिए। जब तक किसान को कास्ट आफ प्रोडक्शन नहीं मिलेगी, प्रदेश का भला नहीं होगा। किसान का जब भला नहीं होगा तो प्रदेश का भला भी नहीं हो पाएगा।

इसी के साथ श्रम प्रधान क्षेत्रों में नियोजित श्रमिकों के कल्याण की समय-समय पर हम बात करते हैं, मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदया से यह निवेदन करना चाहूंगा कि श्रमिकों के लिए जहां तक भी नियोजन की संभावनाएं हैं, उनके कल्याण के लिए भी योजनाएं इस प्रकार की बनाएं, जिससे श्रमिकों का भी हम भला कर सकें।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, समाप्ति कीजिये।

श्री सुभाष चन्द्र शर्मा : सुझाव तो मेरे बहुत हैं, माननीय, लेकिन आपकी समय-सीमा का मुझे ध्यान है।

मैं निवेदन करना चाहता हूं, ग्रामीण पृष्ठभूमि के माननीय घनश्यामजी तिवाड़ी तो जयपुर में आकर रहने लग गये, मैं आपका सम्मान करता हूं, आप तो अपना क्षेत्र भाई रामलालजी को दे आये ग्रामीण क्षेत्र, लेकिन राठौड़ साहब और हमारे माननीय जोगिन्दर सिंहजी और दूसरे मंत्री ग्रामीण पृष्ठभूमि से आ रहे हैं, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। माननीय सदस्य तो मैंने पहले ही कहा, 80% आ रहे हैं, लेकिन जो सरकार चला रहे हैं, जो नियम-कानूनों को लागू करवा रहे हैं, मैं आपसे एक आग्रह करना चाहूंगा कि पीड़ा किसान के दिल में जो है, उसको अगर सही मायने में आप समझेंगे और किसान का हित अगर करना चाहते हैं तो यहां बैठ कर भी आपको वो

(श्री सुभाष चन्द्र शर्मा)

फैसला लागू करवाने की जरूरत है, हिम्मत की जरूरत है। पूरा सदन नि:संदेह आपके साथ होगा, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं। इसी के साथ मैं प्रदेश की माननीय मुख्य मंत्री महोदया की सौहार्दता और उनकी विराट भावना को पूरे हृदय से धन्यवाद करते हुए इस बजट का समर्थन करता हूं और आपका मैं धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे मौका दिया। धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री सभापति : श्री शंकर सिंह राजपुरोहित।

श्री शंकरसिंह राजपुरोहित (आहोर) : माननीय सभापति महोदय, मैं 2004-2005 के बजट पर हमारी आदरणीय मुख्य मंत्री महोदया को बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं। इस बजट के माध्यम से राजस्थान के चप्पे-चप्पे की जो समस्याएं हैं, उनके निवारण के लिए प्रावधान रखा गया है। जिस समय प्रदेशाध्यक्ष बनकर हमारी मुख्य मंत्री महोदया नायिका के रूप में राजस्थान में आयीं. परिवर्तन यात्रा के माध्यम से गांव-गांव, ढाणी-ढाणी जाकर गरीब बस्तियों में गरीबों को उन्होंने अपने गले लगा कर उनकी समस्याओं को सुना और उनके साथ जो टीम गयी थी उस टीम ने उन समस्याओं को अपने रिकार्ड में रखा। उस परिवर्तन यात्रा में लोगों के द्वारा सुनी गयी समस्याओं के आधार पर इस बजट को जो रखा है, इस माध्यम से पूरे राजस्थान की समस्याओं को छुआ है। माननीय सभापति महोदय, इस बजट के दो पक्ष हैं-एक पक्ष है, एक प्रतिपक्ष है। दो नायकों की अगर तुलना की जाए तो पिछली सरकार के नायक ने कहा था कि खजाना खाली है और हमारी वर्तमान सरकार की नायिका ने कहा, खजाने की चिन्ता मत करो। सौ दिन की कार्य योजना में सभी अधिकारियों को...(व्यवधान) हमारे बजट में सर्वप्रथम माननीय मुख्य मंत्री महोदया ने करों का जो सरलीकरण करने के माध्यम से राजस्थान की जनता में एक अपनत्व निर्माण किया और राजस्थान के करदाताओं को यह बताया कि कर देना हमारा कर्तव्य है। अगर राजस्थान की धरती का उपयोग करते हो तो कर देना हमारा कर्तव्य है, इस अपनत्व के साथ करों का सरलीकरण किया। इसका बहुत बड़ा फायदा राजस्व में मिलेगा। माननीय सभापति महोदय. हमारी नायिका वसुन्धरा राजेजी का विदेशों से जो सम्पर्क था, उस सम्पर्क के कारण विदेशों से हमको सहायता मिलती है। पिछली

(श्री शंकरसिंह राजपुरोहित)

सरकार में वह सहायता बहुत कम थी, इस बार हमारी वसुन्धराजी के कारण 560 करोड़ रुपये की बाह्य सहायता मिली, इसके लिये भी मैं उनको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं। पंचवर्षीय योजना के आंकड़ों की चर्चा बहुत हुई है लेकिन खर्च हुए पैसे के ऊपर, 100 दिन की योजनाओं के ऊपर, जो पिछले 6 महीनों में हमारी योजनाओं में खर्च हुआ, हमारी योजनाओं के आकार से कई गुना ज्यादा खर्चा हुआ। इसका मतलब यह है कि हमारी योजनाओं का साकार रूप लेकर हम जनता के सामने जाने वाले हैं। पौने दो हजार करोड़ रुपया खर्च किया गया। यह तो एक ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है, यह हमने दर्शाया है।

(20.31 बजे)

(श्री सुरेन्द्र गोयल, सभापति, पदासीन)

माननीय सभापति महोदय, जब प्रदेश अकाल से जूझ रहा था, हमारे प्रतिपक्ष के सभी बंधु यह कहते हैं कि हमने वह किया आप मत करना, लेकिन यह तो अपने कर्मों का राज है। जब पूरा प्रदेश अकाल से झूझ रहा था, चारों तरफ त्राहि-त्राहि मच रही थी, बच्चा-बच्चा रोटी-पानी के लिये तड़प रहा था, और तो और, राजस्थान का पशुधन चारे और पानी के लिये तड़प रहा था, मर रहा था, उस समय तत्कालीन मुख्य मंत्रीजी को चिंता हुई जोधपुर के फव्वारों की, जोधपुर के ब्यूटिफिकेशन की और उन फव्वारों के ऊपर करोड़ों रुपया खर्च किया गया। उसका यह प्रतिफल मिल गया कि हम इधर हैं और आप उधर हैं। सभापति महोदय, इस बजट में आंकड़े सभी सदस्यों ने दिये हैं। मैं मोटी-मोटी दो-चार बातें कहना चाहूंगा जो निर्णायक हैं, जो वास्तव में पूरे समाज को सीख लेने वाली हैं। हकीकत में, सभी ने कहा है कि माता के रूप का इन्होंने निर्वाह किया है। इस बजट के माध्यम से राजस्थान के चप्पे-चप्पे का जो ध्यान रखा है। जन जीवन का ध्यान तो रखा ही रखा है लेकिन राजस्थान में मूक प्राणी का भी ध्यान रखा है। जब मुख्य मंत्री महोदया अपना बजट भाषण बोल रही थीं. लगभग सभी सदस्यों का सीना गर्व से ऊंचा हो रहा था। उन्होंने कहा कि देश का अर्थतन्त्र गौवंश पर टिका है। यह बात हमारे महापुरुषों ने कही है कि गौवंश बचेगा, देश बचेगा. देश की संस्कृति और सभ्यता बचेगी। हर गौमाता के साथ देश की संस्कृति और सभ्यता जुड़ी हुई है। मैं एक

(श्री शंकरसिंह राजपुरोहित)

वाक्य को इस सदन के सामने रखता हूं। एक महापुरुष सन्त हुए हैं मौर्य पंथजी पिंगले, जिन्होंने एक रिसर्च करके यह कहा है कि बिना दूध देने वाली गाय को भी अगर सही तरीके से घर पर रखा जाएगा, मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदया को यह कहूंगा कि ऐसे समझदार लोगों से. स्पेशलिस्ट लोगों से इस प्रकार का वातावरण बनाया जाए, तो एक गाय एक परिवार को 1500 रुपये महीने की इनकम दे सकती है, दूध के अलावा भी। वास्तव में यह हमारे अर्थतन्त्र का एक सहारा है।

श्री रामसिंह विश्नोई : कितनी गायें चाहिये आपको।

श्री शंकरसिंह राजपुरोहित : जितनी चाहे उतनी आप भेज दीजिए, हम रख लेंगे। आपने तो गौवंश को नहीं बचाया है।

श्री रामसिंह विश्नोई : एक गाय आपसे नहीं पाली जा सकती।

श्री शंकरसिंह राजपुरोहित : हम पाल लेंगे, हमारी ताकत है। (व्यवधान) सभापति महोदय, मैं पहली बार बोल रहा हूं। (व्यवधान)

श्री सभापति : बोलिए, बोलिए।

श्री बंशीलाल खटीक : गौरक्षा का एक्ट...(व्यवधान) माननीय सभापति महोदय, मैं इसका स्पेशलिस्ट रहा हुआ हूं, मेरे ऊपर बिताया हुआ है।

श्री सभापति : माननीय सदस्य. आप अपनी सीट पर जाइए।

श्री बंशीलाल खटीक : माननीय सभापति महोदय, मैं इसका पूर्णत: स्पेशलिस्ट रहा हूं। मैंने प्रयोगात्मक दृष्टि से कई हत्यारों से गायें छुड़वायी हैं। गौ रक्षा एक्ट श्री भैरोंसिंहजी शेखावत साहब ने बनाया, उसको इन्होंने तोड़-फोड़ कर ऐसा संशोधन किया कि राजस्थान की सीमाओं से पार होकर गौवंश जा सके, ऐसा इन्होंने खुल्ला कर दिया ताकि वह कत्लखानों में जा सके।

श्री सभापति : आप बिराजिए अब।

श्री श्रवण कुमार : बचाओ, बचाओ।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री) : यहां भी एक-दो गाय हैं क्या कोई?

श्री रामसिंह विश्नोई : गाय को पालना बहुत मुश्किल काम है। मैं कोई आपकी बात पर एतराज नहीं कर रहा हूं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : मेरे पास 20 हैं, मुझे पता है कैसे पाली जाती हैं।

श्री श्रवण कुमार : घनश्यामजी, 20 हैं, पर ऐसे मानव कितने हैं?

श्री सभापति : श्रवणजी, आप बिराजिए।

श्री शंकरसिंह राजपुरोहित : सभापति महोदय, मैं बजट के माध्यम से जो निर्णायक भूमिका आदरणीय मुख्य मंत्री महोदय ने रखी है...

श्री बंशीलाल खटीक : सभापति महोदय, यह तो इनको ट्रेलर है, अभी फिल्म देखनी बाकी है।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आपको बार-बार खड़े होने की कोई बीमारी लग गई क्या? (व्यवधान)

श्री शंकरसिंह राजपुरोहित : सभापति महोदय, गौवंश के लिये बजट में जो प्रावधान रखा है, पथमेला गौशाला जिसने अकाल के समय 5 लाख गौवंश को बचाकर हिन्दुस्तान में अपने आप में एक इतिहास बनाया था, इसलिए पथमेला गौशाला का भी मैं अभिवादन करता हूं, धन्यवाद देता हूं।

श्री रामसिंह विश्नोई : आप जो कह रहे हैं इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन 5 लाख गायों का कैसे करते थे?

श्री शंकर सिंह राजपुरोहित : मेरे पास आंकड़े हैं। सभापति महोदय, अगर माननीय सदस्य चैलेंज करते हैं तो मेरे पास आंकड़े हैं।

श्री सभापति : आहोर से आने वाले माननीय सदस्य. आपसे निवेदन है कि आंकड़ों के जाल में नहीं फंसना है, आप तो बजट पर बोलो।

श्री शंकरसिंह राजपुरोहित : नहीं, आप कह रहे हैं, मेरे पास आंकड़े हैं।

श्री श्रवण कुमार : एक मिनट का समय लूंगा।

श्री बंशीलाल खटीक : सभापति महोदय. इन माननीय सदस्य का जवाब मैं दे सकता हूं कि कैसे बचाया जा सकता है।

श्री सभापति : आपके जवाब से पूरा सदन संतुष्ट है, आप बिराजो।

श्री श्रवण कुमार : ...उन्होंने कहा कि आंकड़े लेकर आओ। तो अलीपुर गांव के 400 आंकड़े लेकर चले गये। उन्होंने कहा, साहब, आंकड़े ले आये? तो लालसिंहजी ने कहा. आंकडे कौनसे? बोले, यही तो हैं, साहब, टीट तोड़ने वाले आंकड़े। उन्होंने कहा, तुम क्या करते थे, कहां रहते थे, कितने पढ़े हुए हो. वह लेकर आओ। वह बोले, हम पढ़े हुए नहीं हैं, हम तो आंकड़े जानते हैं।

श्री शंकरसिंह राजपुरोहित : ऐसा है कि वह आपके कुटुम्ब में होगा, हमारे कुटुम्ब में यह पर्याय नहीं है।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आप कनक्लूड कीजिए।

श्री शंकरसिंह राजपुरोहित : एक तो हमारा बहुत देरी से नम्बर लगाया और आप सब बीच में टोक रहे हैं।

श्री सभापति : अभी 10 माननीय सदस्य बोलने वाले हैं।

श्री शंकरसिंह राजपुरोहित : ठीक है, सभापति महोदय। इस गौ-वंश के साथ-साथ मुख्य मंत्री महोदय ने वास्तव में कुछ हकीकत के बिन्दुओं को छूकर, राजस्थान की जनता पर एक हकीकत का निर्णय, हकीकत का एक एहसान किया है जो जन सहायता योजना, जन भागीदारी योजना गुरु गोलवलकरजी के नाम से रखी। हकीकत में वे एक महान् दार्शनिक, महान् सन्त थे। 1965 में तत्कालीन प्रधानमंत्रीजी ने, जब देश पर संकट आया, उस समय गुरु गोलवलकरजी को बुलाकर सीमा पर सैनिकों की सहायता के लिये उनसे निवेदन किया। गोलवलकरजी के बिना पीछे देखे. एयरोड्रम तैयार किये, हवाई-पट्टी तैयार की। ऐसा दार्शनिक व्यक्ति, यह वह व्यक्ति है जिसे बहुत अल्प-आयु में जगदगुरू शंकराचार्य की पदवी मिल रही थी, लेकिन वह ठुकराकर सामाजिक जीवन की सेवा के लिये वह आदमी आगे बढ़ा। वह दार्शनिक व्यक्ति, वह महान व्यक्ति जिसने सरदार पटेल के निवेदन पर सभी रजवाड़ों को शामिल कर इस देश की अखण्डता को बचाये रखा. ऐसे महान व्यक्ति के नाम पर जो जन भागीदारी योजना शुरू की है उसके लिये भी मैं मुख्य मंत्रीजी का बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं।

श्री सभापति : धन्यवाद।

श्री शंकरसिंह राजपुरोहित : मेरे एरिये की दो बातें हैं। सबसे पहली बात मैं मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि इस हिन्दुस्तान के इतिहास में 7 बड़े उद्योगपति हैं तो उसमें से 5 उद्योगपति राजस्थान मूल के हैं। आपसे निवेदन है कि उन राजस्थान मूल के उद्योगपतियों को राजस्थान की मूल धरा से जोड़ने की कोशिश करिये, राजस्थान का उद्धार हो जाएगा, राजस्थान का कल्याण हो जाएगा।

जो जल योजना, पेयजल स्कीम में जो हमारी योजना आहोर के लिये बनायी है, एक मिनट में रखकर मैं अपनी बात पूरी करूंगा। मेरे आहोर में 136 गांव हैं, मैं आपके माध्यम से मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करता हूं कि 136 गांवों में पेयजल की समस्या बहुत गम्भीर है। 136 गांवों में से 102 गांव फ्लोराइड और खारे पानी से जूझ रहे हैं। इन गांवों में 40-45 साल के लोगों की कमर झुक जाती है, घुटने मुड़ जाते हैं और ऐसी हालत हो जाती है कि वे नीचे गिर गये तो उनकी टांगें टूटकर काठ की तरह 2 टुकड़े हो जाती हैं। ऐसा जन-जीवन हमारे आहोर की जनता का है। यह हकीकत है कि 5 लीटर के पानी का केन जब कस्बे से लेकर आते हैं, बच्चे रसगुल्ले के जैसे इन्तजार करते हैं मीठे पानी के लिये। चाय में वह पानी डाल देते हैं तो चाय फट जाती है। यह हकीकत है कि उन 40 गांवों के लड़के कुंवारे घूम रहे हैं, उनको लड़कियां नहीं देते हैं क्योंकि वहां पानी नहीं है, लड़कियां क्या दें। यह हकीकत है। मेरे गांव आहोर की जनता बहुत दुःखी है। इसलिये जंवाई बांध से पेयजल की स्कीम बनाकर मुख्य मंत्री महोदय को मैंने निवेदन किया है मेरे आहोर के लिये यह योजना स्वीकृत करें तो धन्यवाद होगा।

श्री सभापति : श्री जयराम जाटव।

श्री शंकरसिंह राजपुरोहित : अन्त में, सभापति महोदय, आपने जो समय दिया, आपका तो धन्यवाद मानना बाकी है। मुख्य मंत्री महोदय को भी बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं।

श्री सभापति : आपको भी बहुत-बहुत धन्यवाद. बिराजो।

श्री शंकरसिंह राजपुरोहित : साथ में मैं फिर इस बजट का पुरजोर समर्थन करता हूं, धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री जयराम जाटव (खैरथल) : सभापति महोदय, 2004-05 के परिवर्तित आय-व्ययक (बजट) का मैं पुरजोर शब्दों में समर्थन करता हूं। सभापति महोदय. यह आय-व्ययक का ब्यौरा जो हमारे सभी माननीय सदस्यों के सामने रखा गया है, जिसको सबके सामने माननीय मुख्य मंत्रीजी ने पढ़कर सुनाया है, इसके लिये उन्हें इसलिये धन्यवाद देना चाहता हूं कि इस पुस्तक को, इस बजट को, जिसको कहा जाता है कि धौले पर काला लिखा गया है, सब लोगों ने, इस सदन में सभी सम्माननीय सदस्यों ने सराहा है। बजट के दूसरे दिन 13 जुलाई कौ सभी अखबारों के माध्यम से पूरे राजस्थान में ही नहीं, पूरे हिन्दुस्तान में इस बजट को क्यों सराहा गया? कई अखबारों ने राजस्थान की साढ़े-पांच, पौने छह करोड़ जनता ने. अधिकांश ने कहा कि यह सुनहरा बजट है। मुझे आज इस सदन में यह कहते हुए फक्र है और मैं शुक्रगुजार हूं माननीय मुख्य मंत्रीजी का हमारे माननीय सदस्य. कुछ कांग्रेस के, जब सदन में बजट के विषय में डिबेट के बीच में बोलते हैं, मैं जब पहली बार आया तो मैं महसूस कर रहा था कि कांग्रेस के माननीय सदस्य बड़े परिपक्व हैं, सदन की गरिमा को मानते हैं, जानते हैं। हमको यह महसूस हो रहा था कि हमको इन सदस्यों से कुछ सीखने के लिए मिलेगा। सभापति महोदय. फिर भी मैं इनको धन्यवाद देना चाहता हूं। अभी बूंदी से माननीय सदस्या ममता शर्मा बोल रही थीं तो उन्होंने कुछ उल्लेख किया था सदन में, जिसमें 8 बातें गिनायी थीं-5 वर्ष में वन खतम हो गये, पर्यटन स्थलों पर कोई कार्यवाही नहीं हुई, पाठशालाओं में ताले लग गये, सड़कें नहीं हैं, पेयजल का संकट गहरा गया है, ये सब बातें क्या अंकित कर रही हैं, यह आप सभी भलीभांति जानते हैं।

श्रीमती ममता शर्मा : मैंने पंचायत हैडक्वार्टर्स को जोड़ने की बात कही थी। मैंने यह नहीं कहा था कि सड़कें नहीं हैं। सड़कें तो बहुत बनी हैं इन 5 वर्षों में। आपने गलत सुना है।

श्री सभापति : माननीय सदस्या यह तो आपकी प्रशंसा ही कर रहे हैं।

श्री जयराम जाटव : माननीय सदस्या ने माननीय मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद भी दिया था कि यह बजट जो पेश किया गया है, यह राजस्थान की पौने छह करोड़ जनता का, सभी समाजों का पक्षधर बजट है। सभापति महोदय, मैं इस बजट के पक्ष में एक बात कहना चाहता हूं कि यह बजट नीति-निर्धारण तय करता हुआ सभी मूलभूत सुविधाओं से सुशोभित बजट है। कुछ माननीय सदस्यों ने अल्पसंख्यकों की

(श्री जयराम जाटव)

मांग को रखते हुए कहा, हमारे सत्तापक्ष के कुछ माननीय सदस्यों ने अनुसूचित जाति की बात कही, कुछ माननीय सदस्यों ने अनुसूचित जनजाति की बात कही। कई ने अपने क्षेत्रों की बात भी कही। लेकिन सभापति महोदय, 85 पृष्ठ का जो बजट है, अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, पेयजल शिक्षा के सम्बन्ध में पूरे राजस्थान को काम देने की बात है, इस बजट में कोई भी वर्ग अछूता नहीं बचा। इसिलये मैं धन्यवाद देना चाहता हूं इस प्रदेश की मुख्य मंत्रीजी को कि लगभग 15 राजकीय अनुसूचित जाति/जनजाति छात्रावास दिये। समाज कल्याण विभाग की तरफ से 15 अनुदानित छात्रावास अनुसूचित जाति के लिये दिये, 10 छात्रावास जनजाति के लिये दिये। मैं धन्यवाद प्रस्तुत करना चाहता हूं मुख्य मंत्रीजी का कि शिक्षा में राजस्थान को 715 प्राथमिक विद्यालय दिये, 400 उच्च प्राथमिक विद्यालय दिये, 200 माध्यमिक विद्यालय दिये और 1661 नवीन प्राथमिक विद्यालय दिये। उसके लिए माननीय शिक्षा मंत्रीजी भी धन्यवाद के पात्र हैं। मैं इस बजट के माध्यम से ज्यादा लम्बी-चौड़ी बात नहीं कहूंगा, लेकिन युवाओं के लिए पहली बार राष्ट्रीय और अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर खेल-कूद के लिए एक करोड़ 62 लाख रुपये का जो प्रावधान रखा गया है, मैं इसके लिए धन्यवाद देना चाहता हूं।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

माननीय सभापति महोदय, मैं पहली बार बोलने के लिए सदन में खड़ा हुआ हूं, बार-बार जो घंटी बजायी जा रही है, मैं आपसे पुन: यह मांग करता हूं कि...

श्री सभापति : बार-बार नहीं, अभी ही बजायी है।

श्री जयराम जाटव : मैं जो साहस जुटाकर बोल रहा हूं उसमें मेरा सहयोग सत्ता पक्ष के ही नहीं प्रतिपक्ष के भी माननीय सदस्य कर रहे हैं, उसके लिए मैं धन्यवाद उनको देना चाहता हूं।

चिकित्सा की दृष्टि में कई माननीय सदस्यों ने एक मांग की थी, कि नेशनल हाई-वे रोड पर अधिकांश एक्सीडेंट जो होते हैं उन घायलों को जयपुर या बड़े शहरों में ले जाने के बीच में उनकी मौत हो जाती है। उनके लिए मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद प्रस्तुत करना चाहता हूं कि 472 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा। बीकानेर.

(श्री जयराम जाटव)

कोटा. उदयपुर, अजमेर. जोधपुर में जो इस तरह की ट्रोमा यूनिट्स स्थापित होंगी. उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

मैं अपनी कुछ और बातें किसानों के पक्ष में कहूंगा, क्योंकि मेरे यहां के पड़ौस के विधान सभा क्षेत्र के माननीय सदस्य भाई धर्मपालजी बैठे हैं और जो गुरूजी के नाम से जाने जाते हैं, माननीय सदस्य श्री समर्थलालजी. राजगढ़ के बैठे हैं। मैं उनसे बहुत ही जूनियर हूं लेकिन उनकी शरण में या उनके आदेश-निर्देश के बीच में रहता हूं। मैं भी किसान हूं, किसान के पक्ष में जो बजट प्रावधान रखे गये हैं, राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना लागू की गयी, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। हमारे पड़ौसी लक्ष्मणगढ़ क्षेत्र के माननीय जगत नाम के जो सदस्य थे, कल वे कह रहे थे कि बिजली के ट्रांसफार्मर तीन-तीन महीने में नहीं बदले जाते। मैं पहली बार सदन में आया हूं, मैं इस बात की गारन्टी यहां तो क्या. जाकर मौके पर गिना सकता हूं। मुझे ऐसा लग रहा है कि वे माननीय सदस्य क्षेत्र में जाते ही नहीं होंगे। 72 घंटे में हमने ट्रांसफार्मर नहीं दिलाये, बल्कि 50 घंटे में ट्रांसफार्मर अब बदले जा रहे हैं। बिजली की बात, हर नेशनल पार्टी अपने चुनाव घोषणा-पत्र के जरिए चुनाव लड़ती है कि हमको इसलिए वोट चाहिए। 1998 का राजस्थान का जो चुनाव था, उसमें कांग्रेस पार्टी का जो घोषणा-पत्र था वह ऐसा अच्छा घोषणा-पत्र पेश किया कि जनता उनके पक्ष में. लुभावने भाषण में आ गयी। सबसे बड़ा नुकसान उस समय अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों के साथ हुआ। पांच साल के कांग्रेस के राज में एक भी वेकेंसी निकाली नहीं, एक भी नौकरी नहीं दी वेकेंसी के माध्यम से। आज मैं कहना चाहता हूं, जो अब 2003 में चुनाव हुए, उसी का परिणाम है कि आज सदन में अनुसूचित जाति के 26 सदस्य हैं और अनुसूचित जनजाति के 22 सदस्य हैं। अनुसूचित जाति का आदमी हो, चाहे जनजाति का आदमी हो. चाहे अल्पसंख्यक जाति का आदमी हो या आदिवासी हो या पिछड़ा वर्ग हो, पूरे पांच साल बिजली का संकट रहा, शिक्षित बेरोजगारों को लूटा गया। अनुसूचित जाति को लुभावने भाषण देते थे कि आपके लिए इस तरह की योजना हम लागू करेंगे। लाये हैं, अबकी बार चुनाव में यह सिद्ध कर दिया। मैं राजस्थान के उस छोर से चुना गया हूं जो हरियाणा से लगता हुआ है, वहां के अल्पसंख्यकों ने भी अबकी बार भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया. जो कांग्रेस की

(श्री जयराम जाटव)

लुभावनी बातों और पक्ष में नहीं आया है। मैं ज्यादा लम्बी बात नहीं कह कर माननीय सभापति महोदय, आपकी इजाजत से मैं बोला उसके लिए मैं पुन: मुख्य मंत्री महोदया को धन्यवाद देता हूं और लास्ट में मैं ज्यादा लम्बी बात नहीं कहकर...

श्री सभापति : समाप्त करिये।

श्री जयराम जाटव : यह 85 पेज का राजस्थान के विकास का शुद्ध दस्तावेज जो हमारे सामने है, उनकी राहत के लिए जो हमको पूरे एक साल में काम मिलेंगे, जो गरीब जनता को काम मिलेगा, जो किसानों को राहत मिलेगी, उन सबके लिए पुन: बार-बार धन्यवाद और, माननीय सभापति महोदय, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिन्द। जय भारत।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री महावीर प्रसाद जैन (सरकारी मुख्य सचेतक) : माननीय सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय एक घंटे के लिए बढ़ा दिया जाए।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, क्या सदन का समय एक घंटे के लिए बढ़ाया जाए?

(स्वीकृत)

सदन का समय बढ़ाया गया।

श्री महावीर प्रसाद जैन : अभी श्रवण कुमारजी को सुनना है, माननीय सदस्य से सारा ज्ञान प्राप्त करना है। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : आधा घंटा या एक घंटा?

श्री सभापति : एक घंटा कहा है उन्होंने. एक घंटा बढ़ाया है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : शेर के साथ शुरूआत. आगाज होना चाहिए।

श्री अमराराम (धोद) : पिलानी से आने वाले माननीय सदस्य के वक्तव्य तक।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : पिलानी से आने वाले माननीय सदस्य का भाषण समाप्त होने तक। पिलानी से आने वाले माननीय सदस्य के वक्तव्य समाप्त होने तक।

आय-व्ययक पर सामान्य वाद-विवाद

श्री श्रवण कुमार (पिलानी) : माननीय सभापति महोदय, वर्ष 2004-2005 के बजट पर दो-तीन दिन से चर्चा सुन रहे हैं। 12 तारीख को इसकी सदन में चर्चा शुरू हुई थी, आज तक एक ही बात की रट लग रही है कि अच्छा है, बुरा है। लेकिन मैं तो यह कहता हूं कि बजट तो वास्तव में ही बढ़िया है-

''भरा नहीं भाव से, बहती जिसमें रसधार नहीं

हृदय नहीं वह पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं।''

जिसका देश के प्रति लगाव होता है, प्यार होता है वही भावना समझता है। वसुन्धराजी के दिल में एक ललक थी, उनके दिल में एक बहुत बड़ी उमंग थी कि राजस्थान का मुख्य मंत्री मुझे बनना है और जनता को एक नया आयाम देना है।

कटारियाजी के बारे में-जब वे यहां पर बोलते थे, अब कटारियाजी कुछ सुस्त रहते हैं तो मेरे दिल में उनके प्रति एक उमंग आती है कि-

''हवाओं में बहने वाला,

समुद्र के झोंकों में बहने वाला,

वो कटारियाजी नहीं चाहिए।

हमें तो तूफान और समुद्र से

टकराने वाला कटारिया चाहिए।।''

आप सुस्त मत हुआ करो, कटारियाजी। आप जब बोलते थे 5 करोड़ 65 लाख जनता के लिए तो मेरे दिल में बड़ी खुशी होती थी कि कटारियाजी के दिल में एक प्यार है और जनता के प्रति उमंग है, पर डिपार्टमेंट ही ऐसा दे दिया आपको कि आपकी उमंग रह नहीं पाएगी। डिपार्टमेंट ही ऐसा दे दिया। डिपार्टमेंट ही ऐसा दे दिया कि आप भावनाओं को जाग्रत नहीं कर सकेंगे। क्यों नहीं कर सकोगे?

मैं मंत्रियों से सबसे पहले हाथ जोड़कर एक विनती करूंगा, जब कई बार बोलते

(श्री श्रवण कुमार)

हैं, कि पार्टी का मामला है। कोई पार्टी नहीं होती है। मंत्र और तंत्र मिलकर एक सूत्र बनता है। उसका शासक और प्रशासक दोनों एक कड़ी बनती है और उसके बाद एक उत्पत्ति होती है, उसका नाम मंत्री होता है और मंत्री सरकार चलाता है। आज कोई आदमी कहे कि मैं पार्टी हूं तो मुझे बड़े खेद और दु:ख के साथ सुनकर दर्द दिल में होता है कि मंत्री कहे कि पार्टी है। आप सरकार हो, सरकार कोई पार्टी नहीं होती है। कोई सीख जाते हैं। झुकते वही हैं जिनमें जान होती है।

''झुकते वही हैं जिनमें जान होती है
अकड़ते वही हैं जो निर्जीव होते हैं।''

अकड़ा मत करो। अकड़ तो वो जाते हैं जो निर्जीव होते हैं। आप तो झुकेंगे, आपके दिल में जान है इसलिए मैं कह रहा हूं कि आपको झुकना चाहिए।

थोड़ी देर पहले राजेन्द्रजी सुबह बात कर रहे थे, मुझे बड़ी खुशी हो रही थी। कोई आदमी झुककर किसी आदमी को सहलाता है तो वह समझता है कि इस आदमी में मानवता कहीं न कहीं अटकी हुई है। इसलिए सरकार की बात आती है। मैं आपको एक छोटी-सी बात कहता हूं, सरस्वती मां. को कहा कि मां, आपकी उपमा सूरज से करूं? तो कहा, नहीं। मां, सूरज गर्म है और आप ठंडी हो। आपकी उपमा सूरज से नहीं कर सकता। फिर कहा कि आपकी उपमा चांद से करूं? फिर कहा कि नहीं, मैं चांद से नहीं कर सकता क्योंकि चांद के दाग है और आप पवित्र हो। फिर कहा कि आपकी उपमा समुद्र से करूं? तो फिर कहा, नहीं, समुद्र का पानी खारा है। मां, आप पवित्र हैं, मीठी हैं। तो मां तो मां है। तो मेरे राजस्थान सरकार के मंत्रियों, आपका कोई विरोध नहीं है, आप राजस्थान सरकार के नुमाइन्दे हो, पांच करोड़ जनता की आशाओं के पात्र हो। थोड़ी देर पहले एक माननीय सदस्य कह रहे थे कि आपने पांच साल तक हमारी स्कूलें नहीं खोलीं,

(21.00 बजे)

कटारियाजी ने वर्ष 1995 में मुझे स्कूलें दीं और भावना के साथ कहा, आपको क्या चाहिये। मैं निर्दलीय हुआ करता था। मेरे दोस्त कह रहे थे कि मैं उठकर ऊपर आया। उसी छलांग से मैं भी आया था। जिस गंगा के किनारे तुम लोटकर आये हो. उसी गंगा में मैं भी आया हूं। और किससे आया था? माननीय सुमित्रा सिंहजी को मैंने ही हराया

(श्री श्रवण कुमार)

था। इसलिए मेरी तरफ कठोर होकर देखती हैं। पर मैं भी क्या कर सकता था? मैं इस बात की भावनाओं को जाग्रत करता हूं कि शक्ति कभी किसी को रोक नहीं सकती। शक्ति कभी रोक नहीं सकती, शक्ति तो शक्ति होती है। बजट पर भाषण मैं शुरू करता हूं।

श्री जुबेर खान : इस सदन में मैं भी यह गर्व से कह सकता हूं कि 1993 से 98 के बीच माननीय गुलाबचन्दजी कटारिया शिक्षा मंत्री थे उन्होंने स्कूल खोलने में कोई भेदभाव नहीं किया। मैं इस सदन में यह बात कहता हूं, कभी भेदभाव नहीं किया। माननीय सदस्य ने कहा तो मेरा भी मन आ गया। कभी हमको यह महसूस नहीं हुआ शिक्षा विभाग में कि हम विपक्ष के एम.एल.ए. हैं। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : आपको यह लग रहा है कि घनश्यामजी करेंगे। (व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार : बात वह नहीं है। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : थोड़ी बहुत तो कसर रहनी चाहिये। (व्यवधान)

श्री सुभाष चन्द्र शर्मा : माननीय घनश्यामजी तिवाड़ी ने तो मेरे यहां भी स्कूल खोल दिये हैं, 10 स्कूल खोल दिये हैं। मेरे यहां भी खोल दिये हैं, भाई. आप क्यों नाराज हो रहे हो?

श्री महावीर प्रसाद जैन : आपकी वाहवाही से हमको क्या मिलेगा?

श्री सभापति : आप इसमें अलग से बात कर लेना। (व्यवधान) हां. बोलो।

श्री श्रवण कुमार : कालीचरणजी सर्राफ कह रहे थे कि पांच साल आप चैन से बैठो। धर्मपालजी भी कह रहे थे। धर्मपालजी, उदार दिल कभी किसी को छलता नहीं है। आप यह भावना मत रखो। कुछ लोगों ने छोटी भावना रखी तभी 156 से 54 पर रुक गये। अगर आप भी करोगे तो 120 से 20 पर आ जाओगे। मत सोचना कभी छोटी बात। उदार दिल रखो। अगर कोई आई.ए.एस. का इंटरव्यू देता है तो आर.ए.एस. बन जाता है और आर.ए.एस. का इंटरव्यू देता है तो तहसीलदार बन जाता है और बाबू का इंटरव्यू देता है तो क्या बनता है, चपरासी बनता है। इसलिए छोटी भावना रखो ही मत। उदार दिल रखो।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : महादेव सिंहजी, इनकी नाड़ी देखना जरा थोड़ी-सी। नाड़ी देखना। (व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार : मेरी? नाड़ी तो आपके हाथ में है।

श्री महादेव सिंह : मैंने नाड़ी देखकर ही इनको खड़ा किया है कि आप इस तरीके से इनको समझाओ। (व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार : मैं निवेदन कर रहा हूं कि हिन्दुस्तान की 75 प्रतिशत जनता गांवों में निवास करती है और देश की आजादी खेत और खलिहान से गुजरती है।

श्री सांवर लाल : चौधरी चरण सिंह...(व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार : चौधरी चरण सिंह का छोटा बेटा हूं मैं, समझ गये न। अजीत सिंह तो बम्बई, कलकत्ता नहीं गये हुए हैं। वह तो बाहर विदेश में रहे हैं। हम खेत और खलिहान से गुजरे हुए आदमी हैं। 80 प्रतिशत खेत और खलिहान से देश की आजादी का प्रारूप गुजरता है। जिस देश का किसान खुश है वह देश स्वत: ही खुशहाली का देश है। अगर किसान की फसल जलती है, वह रोता है। अगर किसान के खेत में फसल लहराती है तो किसान खुश होता है। आज राजस्थान में जहां नहर की बात आती है, झुंन्झुनूं जिला भी बीस साल से इस बात की प्रतीक्षा में आहें भर रहा है कि कब नहर आए और कब किसान का बेटा खेत में पानी देने के लिये जाए।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : हम तो बचपन से ही सुन रहे हैं शीशरामजी का भाषण।

श्री श्रवण कुमार : नहीं, मैं कहना चाह रहा हूं। आपके 'हार्ट इज वन पार्ट इज टू' हूं। आप जो कहना चाहते हो, वही मैं कहना चाहता हूं। मैं कह रहा हूं, 20-25 साल से सुन रहे हैं। अब की बार भी इस बजट में नहर का कोई जिक्र नहीं किया गया है। राजस्थान में तीन लाख कुओं से सिंचाई होती है। 20 प्रतिशत जमीन आज पानी से सींची जा रही है। आज राजस्थान का भाग्य इस पानी की वजह से अधूरा है। अगर राजस्थान में पानी आ जाए तो बाड़मेर, जैसलमेर, भीलवाड़ा, डूंगरपुर, सिरोही, इन इलाकों में खुशहाली के दिन आ जाएं। और किसान अगर खुश है तो पूरा राजस्थान खुश है। आज कृषि के लिये अमरारामजी कह रहे थे, मुझे बड़ी खुशी हो रही थी कि राजस्थान इतना बड़ा प्रदेश है, आज भी उसमें बाजरे का बीज पैदा नहीं किया जा रहा है। आज यहां पर उड़ीसा से बीज लेकर आया जा रहा है, मद्रास से लेकर आ रहे

(श्री श्रवण कुमार)

हैं। यह क्या कारण है? यहां के जो काम करने वालों की भावना है, वह शुद्ध नहीं है। सबसे पहले मैं मंत्रियों से एक ही निवेदन करता हूं कि जो भी मंत्री इस बात पर नियन्त्रण कर पाएंगे कि मेरे डिपार्टमेंट में कौन आदमी काम करने में कामचोर है और कौन आदमी काम करने के प्रति जागरूक है, मैं समझता हूं वह सफलता की कुंजी पर परिपूर्ण है। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : आप मंत्रियों को निर्देश दे रहे हैं। (व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार : ऐसा है, आपको अगर तकलीफ है तो दरवाजे की दूरी सात किलोमीटर नहीं है, दस फीट है। आप जरा घूमकर आ जाओ, फिर बोल दूंगा मैं। आपको तकलीफ नहीं होनी चाहिये। मैं इसलिए चाहता था कि मेरे को अच्छा नहीं लगता।

श्री धर्मेन्द्र कुमार (टी बी) : तो आप हमें आपत्ति भुगता रहे हो?

श्री श्रवण कुमार : आपका नाम आ जाएगा अख़बार में। (व्यवधान)

श्री सभापति : हां, बोलिये, श्रवणजी।

श्री श्रवण कुमार : मैं यह कहता हूं कि पंचायतों को पावर्स दिये गये। उस समय जब पंचायतों को पावर दिये गये, घनश्यामजी, मैं पहला व्यक्ति था जब मैंने कहा था कि जिस आदमी की वजन उठाने की क्षमता बीस किलो है और आप पचास किलो लाद रहे हो, आदमी उठा नहीं सकेगा। जिन पंचायतों का कार्य छोटे रूप में सफल नहीं हो रहा है, जहां आई.ए.एस. अधिकारी बैठते हैं वह बजट को नियन्त्रण नहीं कर सकते, काम का पूरा रास्ता नहीं दिखा सकते। इन्होंने पंचायती राज को शिक्षा, चिकित्सा, पानी, बिजली इतना दे दिया, धन्य है आपको। लेकिन वापस लेकर आपने राजस्थान को नई दिशा दी। अभी बात आई कि दुबारा इसकी कमेटी बनाई जाएगी। मैं इस बात के पक्ष में नहीं हूं। जिस आदमी को जितना काम दिया जाता है, जितना वह कर सकता है उतना ही काम देना चाहिये। आज एक प्रधान ऐसा आदमी बन जाता है जो जनता ही नहीं कि प्रधान की क्या प्रक्रिया होती है। कितनी बड़ी जिम्मेदारी, कितना बड़ा काम। पंचायती राज का जो प्रारूप है वह गांवों की गलियों से गुजरता है और विकास वहीं से शुरू होता है, और वह कर ही नहीं सकता। जहां पांच आई.ए.एस. इस काम

(श्री श्रवण कुमार)

को देखते हैं, एक प्रधान और बी.डी.ओ. देख पाएगा? नहीं देख पाएगा। हम इस बात के समर्थन में नहीं हैं। अगर आप इतना बड़ा कदम उठाकर जनता को अंधेरे में डालते हो, इससे कोई रास्ता अच्छा नहीं मिलने वाला है। वह आदमी यह बात कर सकता है जो दिल्ली, कलकत्ता, मुम्बई और मद्रास में बैठता है, जिसको मालूम नहीं कि राजस्थान की धरती पर विकास की गति कहां से गुजरती है। एक सरपंच क्या काम कर सकता है? चूरू से आने वाले सदस्य, उनियारा से आने वाले सदस्य और टीबी से आने वाले सदस्य कुछ कह नहीं सकते, पंचायत के काम, पंचायत समिति में दस डिपार्टमेंटों का काम समेट सकता है। घनश्यामजी, मैं गलत तो नहीं कह रहा हूं?

श्री घनश्याम तिवाड़ी : सही है, कहे जाओ।

श्री श्रवण कुमार : शिवचरणजी माथुर ने पंचायती राज को शिक्षा का निजी स्कूल दे दिया, प्राइमरी दे दिया। आपको यह मालूम है। फिर स्वत: ही वापस लेना पडा था उनको। आप क्या कहते हैं, सैकण्ड्री और दे दो। "नाच न जाने आंगन टेढ़ा", जिसको नाचना आता ही नहीं होगा वह कहेगा आंगन टेड़ा है। जिसको किसी बात का ज्ञान ही नहीं होगा वह कहेगा, शिक्षा जैसा इम्पोर्टेंट विषय, जो देश की नींव है, जो हर व्यक्ति के जीवन का एक बहुत बड़ा साधन है उसके लिये, कि शिक्षा को ही पंचायत समिति में दे दो। मैं कहता हूं पंचायत तो विकास का बहुत काम कर सकती है। शिक्षा के साथ कुठाराघात करना, यह कोई पंचायत को बढ़ावा देना नहीं है।

शिक्षा की बात आती है। सुबह दूदू से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे, तीन सौ मास्टरों की कमी है। घनश्यामजी, कोई आदमी आगे कदम बढ़ाएगा तभी तो कदम बढ़ेगा। पहले तुम, पहले तुम करते रहोगे, ट्रेन निकल जाएगी। पहले उधर बैठने वाले क्या कहते थे? राजेन्द्रजी से बात करते, गुलाबचन्दजी बात करते थे हम लोग, कि आपने क्या किया, तो धर्मपालजी कहते है हमने कुछ नहीं किया। अब वह आप कहते हो, आपने क्या किया? ऐसे ही करते रहोगे आप, पहले तुम, पहले तुम तो ट्रेन निकल जाएगी, फिर क्या करोगे? ऐसी बात करने की जरूरत ही नहीं है। अगर पांच करोड़ जनता के हित की बात करते हो तो कोई जरूरत नहीं है। हमने बुरा किया, हम भुगत रहे हैं। जो आदमी 302 का मर्डर करेगा वह सज़ा में जाएगा। उसको भगवान भी नहीं बख्शता है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : वाह श्रवण दासजी, जय हो।

श्री श्रवण कुमार : आप लोग यह बात करते हो तो मुझे पीड़ा होती है। अब जनता के हितैषी आप हो, इस समय जनता के रखवाले आप हो, जनता की डोर आपके हाथ में है। अब मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप आगे बढ़कर कदम बढ़ाइये और इन बातों को भूलिये कि हमने क्या किया। आप वह करिये।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

अभी तो है मेरा टाइम।

श्री सभापति : 12 मिनट हो गये आपको।

श्री श्रवण कुमार : पशुओं की बात है। आपने बजट में पशुओं के ऊपर बहुत कम बजट दिया है। किसान की सबसे बड़ी धरोहर पशु है। 52 प्रतिशत पशु हैं तो 50 प्रतिशत मानव हैं। आदमी से दो प्रतिशत ज्यादा पशु हैं। जिसके ऊपर क्या किया है आपने? बजट रखा, "जीरो"। और कृषि पर भी क्या रखा है? 142 करोड़ रुपया। ऊंट के मुंह में जीरा। कृषि जैसे महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट को केवल मात्र 142 करोड़ रुपया रखा है। सभापति महोदय, मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं, सभी से कि मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करके कृषि का बजट बढ़ाएं। क्योंकि पानी की सतह नीचे जा रही है और ड्रिम इरिगेशन सिस्टम से 7 किसान का भला हो सकता है। फव्वारे पर सब्सिडी केवल 10 हजार और 15 हजार है। इसका कहीं भी उल्लेख नहीं किया गया है, इसको बढ़वाओ।

चिकित्सा के सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूं, चाहे कांग्रेस की सरकार रही, हमारी समय में बी.जे.पी. की सरकार भी रही, फिर बी.जे.पी. की सरकार आयी है, पर डाक्टर्स का आज वही ट्रेंड है। कोई भी गांव का हास्पिटल हो, आज भी खाली है। हर डाक्टर की इच्छा यही रहती है कि मैं बढिया शहर में रहूं, गांव का हास्पिटल आज भी खाली है। गांव के बीमार को शहर तक आने के लिए 500 रुपये जीप को देने पड़ते हैं। उस गरीब के पास पैसा हो या नहीं हो, पर मजबूरी में उसको शहर तक पहुंचना पड़ता है। चिकित्सा मंत्रीजी, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप डाक्टर हो, डाक्टर की पीड़ा वही जानता है जो डाक्टर रहता है, हम क्या जानें, जिसके पैर फटे न बिवाई वो क्या जाने पीर पराई। हम क्या जानें डाक्टर क्या होता है? आप इस बात का पक्का इरादा कर लो कि गांव का डाक्टर गांव में रहेगा, गांव की नर्स गांव में रहेगी। जितनी भी सिक यूनिट्स पड़ी हैं उनको आप चालू कराओ। हास्पिटल के पास प्राइवेट इतनी यूनिट्स लगा दीं कि बिजनस का बहुत अच्छा साधन हो गया। कोई गरीब आदमी खून चैक करवाने आता है उसको भी उसी प्राइवेट लेबोरेटरी में 200 रुपये

(श्री श्रवण कुमार)

देने पड़ते हैं। आज राजस्थान सरकार ने इतना बजट रखा है उसके बावजूद भी गरीब के साथ यह अन्याय होता है। मेरा इसमें ज्यादा बुराई करने का मतलब नहीं है। यह जरूर है कि चिकित्सा पर ध्यान नहीं दिया तो गांव का व्यक्ति इस पीड़ा से बहुत ज्यादा पीड़ित है और हम लोगों को बड़ी इस बात की पीड़ा सहन करनी पड़ती है।

श्री सभापति : बस, कनक्लूड करो आप।

श्री श्रवण कुमार : बस दो-तीन बात बोलने दो, सभापति महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपकी दृष्टि मेरे प्रति शांत है।

श्री सभापति : यह दृष्टि आपके शुभ है।

श्री श्रवण कुमार : सभापति महोदय, मैं शिक्षा के लिए निवेदन करना चाहता हूं। शिक्षा का प्राइवेटाइजेशन होने से अब के चुनाव में जितने भी साइड के नेता थे वे सारे प्राइवेट स्कूल खोलने वाले नेता थे। प्राइवेट स्कूलों में चैकिंग हुई नहीं, जितना पैसा ले सके, ले लिया और सब करोड़पति बन गये। सब की भावना कहां आकर रूकीं? कि मैं नेता बन जाऊगा। 200 में से ज्यादा नहीं तो 70-80 चुनाव लड़ने वाले प्राइवेट स्कूलों के मालिक थे। इसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि इस पर सरकार का कोई नियन्त्रण नहीं रहा। अगर इसकी आडिट होती, इसकी सारी प्रक्रिया सरकार के हाथों में 10 प्रतिशत, 20 प्रतिशत होती तो मैं समझता हूं कि किसी न किसी दायरे में उनको अंकुश रहता। इसके लिए आपको इस पर थोड़ा-सा अंकुश लगाना पड़ेगा, वरना प्राइवेट एजूकेशन का मामला सारा का सारा बंटाढार हो जाएगा।

सभापति महोदय, रोडवेज की बात आती है। राजस्थान सरकार रोडवेज में 324 करोड़ रुपये घाटे में चल रही थी, अब कैसे भी समझौते के रूप में आकर बराबर हुई है। मंत्रीजी दिखाई नहीं दे रहे हैं, मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि जितना आप रोडवेज पर ध्यान नहीं दोगे, प्राइवेटाइजेशन का सारा का सारा मामला है। रोडवेज में 23 हजार कृमचारी काम करते हैं, उनके परिवारों को ध्यान में रखते हुए आपको इस बात पर ध्यान देना पड़ेगा, वरना तो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की रोडवेज की जो हालत हुई, वही हालत राजस्थान की हो जाएगी। इस सारे के सारे सिस्टम में आपको एक साहसिक कदम लेना पड़ेगा और साहसिक कदम तब लिया जा सकता है जब उसके प्रति दर्द हो।

श्री सभापति : धन्यवाद। माननीय भंवरलाल राजपुरोहित।

श्री श्रवण कुमार : सभापति महोदय, मैं बिजली की बात कहना चाहता हूं। आज गांव में बिजली 8 घंटे आती है उसके लिए थोड़ा सा जो छीजत हो रही है उस पर ध्यान देना पड़ेगा। बिजली की तो सबसे बड़ी अव्यवस्था जो है वह केवल मात्र व्यवस्था की है। व्यवस्था अगर सही होती तो बिजली की कोई कमी नहीं थी। अब भी राजस्थान में कोई बिजली की इतनी कमी नहीं है जितना हाहाकार मचा हुआ है। मैं सबसे पहले आपको धन्यवाद देना चाहता हूं, आपने बजट में थोड़ी सी एक कमी रखी है, उसमें आपको संशोधन करना पड़ेगा, एम.एल.ए. का जो 60 लाख रुपया किया है उसको एक करोड़ करना पड़ेगा। यह तत्काल सेवा है गांव की।

आज सांवर लालजी भी पी.एच.ई.डी. का प्रारूप, जोशीजी ने जो बनाया था उसी पर चल रहे हैं। पहले एडीशनल चीफ इंजीनियर दो लाख रुपये तक की तत्काल सेवा दे सकता था, हमारे समय जोशीजी ने उसको बंद कर दिया। बंद करने के बाद उस ट्रेंड को चेंज नहीं किया गया। आज अगर गांवों में कहीं पानी की दिक्कत है तो मैं समझता हूं कि फाइल पास होने में पहले एक दिन लगता था, आज एक महीना लगता है। एक महीने में गांव में हाहाकार मच जाएगा पानी का। मैं इस बात को बताना चाहता हूं, आपको इस बात के लिए मैं धन्यवाद दूंगा कि आपने इसमें सख्ती की है, पर सख्ती का मतलब यह नहीं है कि गांव के गरीब आदमी को तकलीफ हो।

श्री सांवर लाल : आपको किसने कह दिया, हैण्ड पम्प नहीं खुदेगा, सैंक्शन नहीं होगी? कहां से लेकर आये हो सूचना, किस अधिकारी ने कह दिया? एडीशनल चीफ ने कि चीफ ने?

श्री श्रवण कुमार : हां, कह दिया।

श्री सांवर लाल : गलत कहा आपको। किसी पर पांबदी नहीं लगायी है। आप रूल्स आफ बिजनस पढ़ा करो। वो जो काम करते हैं उसकी जानकारी मेरे को दें, यह लिखा है।

श्री श्रवण कुमार : मैं यह नहीं कहना चाहता हूं।

श्री सांवर लाल : आप फालतू में ही इस डिबेट में क्यों जाते हो? सरकार जो चलाता है उसको पता है कि हैण्ड पम्प भी समय पर खुदना चाहिए, व्यवस्था ठीक होनी चाहिए, डिपार्टमेंट की जानकारी भी मंत्री को होनी चाहिए। इसके विवाद में आप क्यों पड़ रहे हो? आपको कहीं खोदना हो और कोई मना करे तो मुझे बताना। (व्यवधान) कोई काम करता है, काम की जानकारी सरकार को नहीं होगी, सरकार कैसे करप्शन रोकेगी?

श्री श्रवण कुमार : मेरे को परसों ही मना किया है। उन्होंने कहा है कि हमारे पास...

श्री सांवर लाल : आप अब की बार मंत्री बनना जब आपको पता चलेगा रूल्स आफ बिजनस क्या होता है, लोगों से काम कैसे लेना पड़ता है। ज्यादा अधिकारयों से और कर्मचारियों से...(व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा : माननीय सदस्य, अपनी सीट पर से बोलें।

श्री सभापति : माननीय सदस्य।

श्री श्रवण कुमार : मैं इस बात की बुराई नहीं करता। जो मुझे कहा गया है वह मैंने आपको बताया है। (व्य्रवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा : सभापति महोदय, उनको अपनी सीट पर भेजिये।

श्री सांवर लाल : इस तरह से अख़बार में मैनिपुलेट करके छपवाएं और गलत बात छपवाओ मैं इससे दबने वाला नहीं हूं। मैं डिपार्टमेंट को बहुत पारदर्शिता से चलाऊंगा। मैं आपको यह कहना चाहता हूं...(व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार : अगर आप पारदर्शिता से चलाओगे तो मैं इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा आपको दोबारा, अगर यही बजट दोबारा आएगा, बीच में दोबारा विधान सभा चलेगी। पर मैं इस आश्वासन से खुश नहीं होने वाला हूं। मैं पारदर्शिता को देखूंगा, देखने के बाद चाहे पक्ष का हो, विपक्ष का हो, मैं पारदर्शिता का ग्राहक हूं, दीवाना हूं पारदर्शिता का। पर इस बात को मानूंगा नहीं, मैं भाषण से खुश नहीं होऊंगा। मैं इस बात के लिए आपको धन्यवाद दूंगा कि आपने पारदर्शिता दिखायी है और जनता के सामने प्रदर्शित की है।

श्री सभापति : धन्यवाद।

श्री सांवर लाल : यह आपको पता चल जाएगा, पर दीवाना इतना मत होना कि भूल ही जाओ कि अब क्या देख रहे हो।

श्री श्रवण कुमार : भूलूंगा नहीं। एक बात निवेदन करना चाहता हूं कि भ्रष्टाचार पर जो सरकार की निगाह टिकी हुई है उस पर आप थोड़ा सा अंकुश कर दो. इसके लिए मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। इसके लिए मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद दूंगा।

सभापति महोदय, आपने मुझे समय दिया. मेरी बात सुनी, इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति : माननीय भंवरलालजी राजपुरोहित।

श्री भंवरलाल राजपुरोहित (मकराना) : सम्माननीय सभापति महोदय, मैं मेरी बात कहने से पहले एक बात दूसरी कहूंगा इस वातावरण को देखकर। एक बहुत अच्छे प्रवचनकर्ता थे, वे प्रवचन दे रहे थे। प्रवचन देते-देते धीरे-धीरे लोग उठ-उठ कर रवाना हो गये। दो-चार आदमी, जैसे हमारे मंत्रीजी बिराजे हैं, बचे। तो उस प्रवचनकर्ता ने पूछा कि आप कैसे बैठे हैं? तो कहा, यह दरी हमारी है। यह हालत इस हाउस की मैं देख रहा हूं। इस 200 सदस्यों के हाउस में 45 सदस्य बचे हैं। सभापति महोदय, एक तो वक्ता और संगीतज्ञ है, संगीतज्ञ के सामने आडियंस नहीं होता तो अच्छा नहीं गा सकता वो और वक्ता के सामने यदि आडियंस नहीं हो तो वह अच्छी बात नहीं कह सकता है।

श्री सभापति : आपकी बात को आसन सुन रहा है।

डा. भंवरलाल राजपुरोहित : मैं मेरी बात यहां से शुरू करता हूं। अगर महरूमा से आगे निकल गये और उलझे हुए हैं सुबह की पहली किरण से हम। देश की राजनीति और प्रदेश की डेमोक्रेसी मैं 40 साल से देखता आ रहा हूं। राजनीति में आने के बाद से विधान सभा के गलियारों में बैठा करता था, मैं देख रहा हूं, एक हिन्दुस्तान का प्रजातंत्र है और दूसरा इंग्लैंड और अमरीका का प्रजातंत्र है, उसमें और हमारे में इतना फर्क आ गया है कि "हम उलझे हुए हैं, सुबह की पहली किरण से।" मैंने इसलिए ही यह कहा है। कहां उनकी डेमोक्रेसी कि सत्ता पक्ष का कोई आदमी अपने विश्वास से कोई बात कहता है तो वहां विपक्ष इतना कठोर, सच को झूठ कहने की हिम्मत नहीं करता है। हाउस में आने के बाद देखा, हमारे सदन की नेता, परम आदरणीय मुख्य मंत्री ने जब बजट पेश किया, ऐसी शुद्ध हिन्दी में, ऐसे प्रोनाउंसेशन से और निर्भीकता से जो पेश किया तो मैंने पिछला समय याद किया। मैंने दिवंगत मोहनलाल सुखाड़िया को बजट भाषण प्रस्तुत करते देखा था, फाइनेंस मिनिस्टर थे। वहां से लगाकर हरिदेव जोशी, बरकततुल्ला खां, शिवचरणजी माथुर को दो दफा और आदरणीय भैंरोसिंहजी और अशोक गहलोत, इनके सबके बजट पेश किए देखे मैंने। आदरणीय शिवचरणजी माथुर को जब मैंने बजट पेश करते समय देखा तो मुझे याद है, उस बजट को पेश करते हुए उन्होंने तीन दफा पानी प्रीया था और जब यहां बजट पेश हुआ तो हमारी परम आदरणीय मुख्य मंत्री श्रीमती वसुन्धराजी ने कांस्टेंट सवा

(डा. भंवरलाल राजपुरोहित)

दो घंटे तक, यह सच है, आप जानते हो, कांसटेंट सवा दो घंटे तक शुद्ध हिन्दी में निर्भीकता से उसको पढ़ा। यह दस्तावेज जो उन्होंने हमको दिया, यह सिर्फ कोई आई.ए.एस. अफसरों की तैयारी नहीं है। मैं जानता हूं, मैंने भी चालीस साल तक राजनीतिक जीवन बिताया है, यह एक आई.ए.एस. अफसर का बनाया हुआ बजट नहीं, जैसे लोग बनाते थे। इस बजट में राजस्थान का चप्पा-चप्पा झलकता है। परम आदरणीय मुख्य मंत्री वसुन्धराजी एक-एक गांवों में गयीं, उन्होंने वहां की ज्योग्राफी को देखा उन्होंने वहां की सभ्यता को देखा, उन्होंने वहां के आदमियों को देखा, उन्होंने धर्मावलम्बियों को देखा, उन्होंने मन्दिर को देखा, मस्जिद को देखा, उन्होंने गुरूद्वारे को देखा, जानवरों को देखा, गरीब तबके को देखा, बड़े-बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट को देखा और उन गरीबों को देखा जिनके फटे कपड़े हैं, उनको देखा, सारी स्थिति देखी, बिजली की हालत देखी, पानी की हालत देखी और इन सारी की सारी चीजों का समावेश इस बजट में है। इसका श्रेय हमारी मुख्य मंत्री को जाता है। यह किसी आई.ए.एस. अफसर की बदौलत नहीं हो सकता। उस महिला ने अच्छे अच्छे इकोनोमिस्ट से, अपने अच्छे-अच्छे सहयोगियों से सहयोग लेकर यह दस्तावेज तैयार किया है।

इसमें जो रिलैक्सेशन दिया है, मैंने तो उसी दिन मेरे मन में कहा, This day will be called the day of relaxation. इतना बड़ा रिलैक्सेशन आज तक किसी मुख्य मंत्री ने नहीं दिया है, इसलिए मैं यह कहता हूं कि वह 12 तारीख डे-आफ-रिलैक्सेशन कहलाएगी, चाहे विपक्ष के आदमी कुछ भी कहें। मैंने प्रतिपक्ष के आदरणीय प्रद्युम्न सिंहजी को इस पर कटाक्ष करते हुए देखा था। जब पढ़ रहे थे तब देखा, मैं उनकी तरफ बहुत ध्यान से देख रहा था कि उनका रिएक्शन क्या है। मुझे अच्छी तरह से पता है, वह हंस रहे थे, अन्दर से पुलक रहे थे। एक सदस्य ने यह कहा कि नाराज हो रहे थे। वह नाराज नहीं हो रहे थे, वह उनकी प्रशंसा करते मन ही मन में कि बात तो सही है। लेकिन चूंकि हमारी परम्परा हो गयी है कि चाहे कितना ही बढ़िया से बढ़िया सच कहें, उसका विरोध करना। प्रद्युम्न सिंहजी ने तो यहां तक कह डाला. उन्होंने आंकड़ों का जाल तो बिछाया लेकिन वह तो हम समझ गये। उन्होंने दूसरी बात कही कि हमारी सरकार ने खूब नौकरी लगाई लेकिन हम क्या करते. हाई कोर्ट से

(डा. भंवरलाल राजपुरोहित)

स्टे आ जाता है। तब हमारे माननीय घनश्यामजी तिवाड़ी ने कहा कि यह तो कब का टूट चुका। जिस तरह एक औरत थी, वह एक वृद्ध महिला के पास गयी तो उसने उनको प्रणाम किया। तो उसने कहा, तू म्हारी-सी हो जावे। मतलब, वह तो विधवा थी, म्हा जसी मतलब वही विधवा। मतलब वह यह चाह रहे थे कि हमारी तरह यह सरकार पैण्डुलैट रहे, लटकी रहे। इनके भी हाई कोर्ट के झगड़े रहें ताकि ये भी किसी सरकारी नौकर को एम्पलायमेंट नहीं दे सकें, तो हम इन्हें कह देंगे तुम्हारे में कैसी हुई। हमारे इरादे नेक हैं। आपकी पिछली सरकार ने सचमुच राजस्थान को दिवालिया कर दिया।

एजुकेशन के नाम पर, मैं सत्य कहता हूं, आप इसके गवाह हैं और सत्य भी है, स्कूलों को खाली कर दिया। एक मास्टर तीन सौ लड़के, जैसे लरडियां चराने वाला एक ग्वाला 300 लरड़ियों को लेकर बैठता है, यह स्थिति हमारे गांवों में कर दी। लगाया किसको? पैरा टीचर को। किसको? आठवीं वालों को, दसवीं वालों को। वे पैरा टीचर जिनकी 1200 रुपये तनख्वाह, बड़ी शर्म आती थी कि बी.ए. और ग्रेजुएट को ये पैरा टीचर बनाकर बैठे हैं। इन्होंने शिक्षा का डिवैल्युएशन कर दिया।

मैं यह कह रहा हूं, किस मुंह से बात कर रहे हैं। पानी वाले डिपार्टमेंट में जो लाइनमैन रिटायर हो गया, कोई जगह भरी नहीं गयी। बिजली वाले में कोई जगह भरी नहीं गयी। पुलिस जो बहुत अहम महकमा है, साल में दो-दो, तीन-तीन हजार सिपाही रिटायर हो जाते हैं, वहां भी उनका रिक्रूटमेंट नहीं किया गया, इसलिए ला एण्ड आर्डर खराब हो गया।

मैं, माननीय सभापति महोदय, इस सरकार को यह बात निष्पक्ष रूप से कहना चाहता हूं, कि सत्य बात को सत्य बात क्यों नहीं कहते हो? आज सजेशन दीजिए, मैं जानता हूं कि इस बैंच में बड़े विद्वान लोग बैठे हुए हैं, शिक्षाविद् भी हैं, विचारक भी हैं, वे अपने विचार दें। हम एप्रीशिएट भी करना चाहते हैं। लेकिन मैं यह बात कहना चाहता हूं कि बात को बात कहना चाहिए तब तो है डैमोक्रेसी। यहीं हाउस में आने के बाद देखा कि अध्यक्ष महोदय खड़े हैं और पैरों पर खड़े हैं फिर भी जो समझदार हैं, जिनसे हम आशा करते हैं, जो सीनियर लीडर्स हैं, वे खुद ही उनके ऊपर लीडर खड़े हैं तो भी चिल्लाए जा रहे हैं तो हम उनसे क्या सीखेंगे? मैं इस बात को देखकर बहुत दु:खी हूं। मैं इस बात को नहीं चाहता हूं कि हमारी असेम्बली में यह परम्परा रहे।

(डा. भंवरलाल राजपुरोहित)

मैं मूल बजट पर आता हूं। मान्यवर, इस बजट में सबको सहूलियत दी गयी है। मैं कुछ स्पष्ट करना चाहता हूं, एग्रीकल्चर में तीन-चार डिपार्टमेंट के बारे में एक एक मिनट में संक्षेप में कहूंगा। जो कृषि विभाग है उसमें आज भी ऐसी परिस्थिति है, माननीय कृषि मंत्रीजी, सुनें। हमारे इस विभाग में मैं एक चीज देखता हूं, मैं भी एक काश्तकार का बेटा हूं और पशुपालक भी हूं, मैं यह बात देखता आ रहा हूं कि राजस्थान में कृषि डिपार्टमेंट जरूर है लेकिन उसका बजूद कुछ नहीं है। हमारा ग्राम सेवक गांवों में न तो कोई बढ़िया बीज देता है। और बीज ही तो सब कुछ है। बीज नहीं देता है तो उसकी रीढ़ कमजोर हो जाएगी, काश्तकार रोता रह जाएगा। कोई भी सरकार चिन्तित नहीं है कि समय पर मई, और जून, में अच्छा बीज आ जाए। कोई भी सरकार चिन्तित नहीं है कि ये बीज देने वाले चोर हैं, मिलावट करके दे रहे हैं। उन पर कोई चैकिंग नहीं है। मैं चाहता हूं, हमारी सरकार में यह बात न हो। इसे यदि कम्पलसरी कर दें, बीज बढ़िया ही होगा और ए-वन बीज होगा जिससे हमारा प्रोडक्शन बढ़ेगा, तो हमारी आय बढ़ेगी और किसान का स्तर बहुत बड़ा हो जाएगा।

दूसरी बात मैं पशुपालक की कहना चाहता हूं। हमारे राजस्थान में पशुपालन भी एक इण्डस्ट्री है। 70 प्रतिशत काश्तकारों का यह मूल धंधा है। मैं इस डिपार्टमेंट के बारे में भी कहना चाहता हूं कि यह डिपार्टमेंट भी बिलकुल चुपचाप बैठा है और तनख्वाह ले रहा है। मैं एक बात कहना चाहता हूं, मैं एनीमल हस्वेंड्री का डाक्टर रहा हूं, आप स्पेशली उनको हिदायत दें कि हर गांव में इनसेमिनेशन होना चाहिए। यदि हमारी गाय का दूध दो किलो हो गया तो हम क्यों गाय को अपनाएंगे? इसीलिए तो हम भैंसों को अपना रहे हैं। ये भैंसें ज्यादा क्यों आ रही हैं? गायों को खतम किया जा रहा है, लोग उसको पालना नहीं चाहते, उसका भी एक बहुत बड़ा इकोनोमिक कारण यह भी है। यदि गाय को जैसे पचमढ़ी आपने नाम दिया जालौर में एक बहुत बड़ी गौशाला थी, जिसमें हमारे एक बहुत बड़े संत हैं, एक लाख गायें रखते थे. उन्होंने चार-पांच लाख वाली बात जो कही वह तो अतिशयोक्ति थी। मैं वहां गया हूं एक लाख गायें हैं. हम उस पैटर्न को मानकर...(समय-समाप्ति-सूचक घंटी) मैं दो मिनट में बात कहना चाहता हूं, पूरी बात कहना चाहता हूं। सबको आपने आधा-आधा घंटा दिया. मेरी बात भी सुनिए।

निवेदन है कि आपको जाना चाहिए वहां-एक लाख गायों का ऐसा पालन होता है,

(डा. भंवरलाल राजपुरोहित)

उनको समय पर चराना, उनका समय पर ट्रीटमेंट करना, उनके काफ का ध्यान रखना। उनका जो गोमूत्र होता है वह यूं ही इकट्ठा किया जाता है और लाखों रुपये का गोमूत्र आई ड्राप में काम में लिया जाता है, कम्पोस्ट और बिजली के काम में लिया जाता है। हमको उसका अनुसरण करना चाहिए। एनीमल हस्वैंड्री को कहना चाहिए कि आप जाइए और वह पैटर्न अपनाइए। राजस्थान में आज जो गायें हैं उसमें सबसे बड़ा अनइकोनोमिक एक ही कारण है कि गांवों में, इनसेमिनेशन का स्थान नहीं है। गायों को यदि आप टाइम पर, जिस दिन हीट पर आती हैं उसी दिन इनसेमिनेशन करा देंगे तो गैप कम रहेगा और वह आपके फायदेमंद रहेगी। नहीं तो गाय आज हीट पर आयी और उसके बाद कंसीव होती है। पांच-पांच महीने ब्याहती नहीं है तो वह उसके लिए भार बन जाती है। इसलिए, माननीय सभापति महोदय, मैं मंत्रीमहोदय से कहना चाहता हूं कि वह इसके ऊपर निर्देश दें, यह हमारी इकोनोमी पर असर करने वाली बात है।

आज इसके साथ साथ मैं माइनिंग के बारे में कहना चाहता हूं, राजस्थान में जो माइनिंग है, आज मंत्री नहीं हैं और स्टेट मंत्री बैठे हैं, यदि सरकार चाहती है तो जितनी भी माइन्स हैं उनके आगे-पीछे जितनी जमीनें पड़ी हुई हैं, खाली हैं उनको अलाट करना चाहिए। उस अलाटमेंट में सरकार को करोड़ों का फायदा होगा, करोड़ों का प्रोडक्शन होगा। जैसे आज हमारे नागौर जिले में एक गांव है, वहां पर एक माइन निकली है, कोल माइन है, काफी बड़ा भारी पचास बैल्ट का एरिया है। मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि उसमें अनाप-शनाप पानी है उसको टेक आउट करे जिससे पानी की सप्लाई होगी।

मैं इन तीन-चार बातों को कहना चाहता हूं, ये हमारी इकोनोमी से सम्बन्धित बातें हैं। मैं यह बात भी एक मांग के रूप में कहता हूं क्योंकि मैं वहां का विधायक हूं और एक अहम बात को निवेदन करना चाहता हूं। मकराना नागौर राजस्थान का दूसरा बहुत बड़ा जिला है, मैं उस जिले के लिये कहना चाहता हूं। इसका हैडक्वार्टर दूसरे हैडक्वार्टर से बिलकुल जुदा है। एक पिश्चम में है और हम उसके टेल पर हैं। मैंने कई दफा निवेदन किया है, पूर्व सरकार को भी मैंने निवेदन किया है, मैंने गवर्नर को भी ज्ञापन दिया है, मैं यह चाहता हूं कि जिस तरह भैंरोसिंहजी ने

(डा. भंवरलाल राजपुरोहित)

राजस्थान में चार-पांच अलग जिले क्रीएट किये थे, मकराना भी जिला डिक्लेयर किया जाए। उसका एक कारण है। सत्ताइस लाख की वहां की संख्या है, सत्ताइस लाख की संख्या हमारी चार तहसीलों को मिलाकर। मकराना इस साइड में पड़ता है, ईस्ट में परबतसर पड़ता है, वैस्ट में कुचामन पड़ता है, साउथ में बिलाड़ा पड़ता है, इन चारों की जनसंख्या मिला कर बारह लाख होती है। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि दो-चार जिले जो आपने डिक्लेयर किये हैं उनकी संख्या आठ लाख, नौ लाख से ज्यादा नहीं है। मकराना विश्व का समृद्ध शहर है, मेन लैंड ब्राडगेज पर है, वहां सब है। पूर्व सरकार हमारे भैरोंसिंहजी ने डिस्ट्रिक्ट जो डिक्लेयर किये थे वह भी उसी पैटर्न पर है, मकराना एक अलग जिला बनाया जाए, यह मेरी मांग है।

दूसरी मांग, मकराना में एक माइंस वाला मामला है, वहां कलर्ड स्टोन आता है। कलर्ड माल पर पहले ही टैक्स लगकर आता है, स्टेट मंत्री सुनें, रायल्टी लगकर आती है, फिर भी दुबारा लिया जाता है जो वहां की जनता के साथ और व्यापारियों के साथ बहुत बड़ा अन्यांय है। उससे आय में अनस्टेबिलिटी बनी रहती है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री सभापति : माननीय हेमराज मीणा। (अनुपस्थित)

श्री सुरेश चौधरी।

डा. भंवरलाल राजपुरोहित : एक मिनट में बोल रहा हूं।

मकराना में ए.डी.जे. कोर्ट खोलने का है। मकराना नागौर जिले का सबसे बड़ा शहर है, उसके आस-पास कुचामन भी लगता है। ए.डी.जे. कोर्ट वहां खोला जहां संख्या सिर्फ बीस हजार है। मैं सरकार से आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि वहां फिजिबल है, डेढ़ लाख आदमी वहां पेशी कराने आते हैं। अभी यह बिलकुल फिजिबल नहीं है, इसलिये मकराना में ए.डी.जे. कोर्ट खोला जाना चाहिये।

नागौर जिले में सबसे बड़ी पंचायत मकराना के साथ बोरावड़ है, वहां पूर्व सरकार थाना खोलने की घोषणा करते-करते पहले रह गयी, बोरावड़ में यह पुलिस थाना खुलना चाहिये।

(डा. भंवरलाल राजपुरोहित)

इन्हीं शब्दों के साथ कि आपने मुझे मौका दिया. धन्यवाद देता हूं। माननीय मुख्य मंत्रीजी को दिल से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने एक ऐतिहासिक दस्तावेज पेश किया, इसमें चहुंमुखी हमारे राजस्थान का विकास होगा। इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

मकराना में एक कन्या महाविद्यालय की मैं मांग करता हूं। हमारी बीस तहसीलों में महाविद्यालय हैं। हमारी तीन तहसीलें ऐसी हैं जहां सर्वाधिक मजदूर और कन्याएं रहती हैं। हम जमीन देने को तैयार हैं। सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि हम कन्या महाविद्यालय खोलना चाहते हैं, यह मेरी पुरजोर मांग है। धन्यवाद।

डा. सुरेश चौधरी (भादरा) : माननीय सभापति महोदय, काफ़ी देर से दिये गये समय के लिये मैं सबसे पहले तो आपको धन्यवाद देता हूं। अगर दिन में कुछ पहले वक्त मिल जाता, प्रतिपक्ष के काफी स्थान, और काफी क्या करीब-करीब स्थान खाली हैं।

मेरी राजनीति की शुरूआत जितनी भी डेढ़ दशक की हुई, मैं शुरू से ही इस पार्टी के साथ रहा हूं, इन लोगों के साथ रहा हूं। पिछले तीन दिन में कानून और व्यवस्था के नाम पर, शिक्षा के नाम पर जिस तरह सदन में व्यवधान पैदा किया, अगर ये बैंचें भरी होती तो आज मैं बताता कि आपने कानून व्यवस्था का क्या हाल किया था। मैं शिकार रहा हूं आपकी कानून व्यवस्था का। आपके राज में और सिर्फ आपके ही राज में यह होता था। माननीय संसदीय कार्य मंत्री एक बार जाएं नहीं, यह गवाह हैं उस चीज के। यह गवाह हैं उस घटना के। जो कांग्रेस का कार्यकर्ता यह कहता था कि उसके ख़ून की एक-एक बूंद भी तिरंगी है, उस कांग्रेसी कार्यकर्ता पर जब-जब भी जुल्म हुए, कांग्रेस की सरकार में हुए। उस एक घटना के जो शुरूआती घटना थी, आपने पिछली बार 1998 से लेकर 2003 तक बार-बार कहा कि हम संवदेनशील और पारदर्शी प्रशासन देंगे। जिस श्रीमुख से ये शब्द सबसे पहले निकले थे, आज इस सदन के माननीय सदस्य हैं, उस समय गृह मंत्री हुआ करते थे। माननीय शिक्षा मंत्रीजी को याद हो, न हो, 1988 89 की बात है, जब मेडिकल हास्टल में इनके राज में पुलिस घुसी थी। आप लोग रात को बारह-बारह बजे जाकर हमें सम्भालते थे। यह इनकी संवेदनशीलता है।

(डा. सुरेश चौधरी)

उसके बाद 1993 से 1998 के बीच में फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आयी, कांग्रेस का कार्यकर्ता होने पर बार-बार हमें निर्देश दिये गये कि भारतीय जनता पार्टी की जो सही भी नीतियां हैं, उनका भी कोई न कोई बहाना निकाल कर विरोध करो। निष्ठावान कार्यकर्ता, समर्पित कार्यकर्ता होने के नाते वह बात हम मानकर चलते थे। उस समय भी राजनीतिक कार्यकर्ताओं पर, राजनीतिक आन्दोलनकारियों पर इस तरह लाठीचार्ज नहीं होता था जिस तरह आपने आपकी सरकार में आपके कार्यकर्ताओं पर करवाये। आप बात कर रहे थे कानून व्यवस्था की। आप बात कर रहे थे कि आज के वक्त में आन्दोलनकारी सुरक्षित नहीं है, आज के वक्त में आम आदमी सुरक्षित नहीं है।

मैं नवम्बर, 2000 की बात बताऊं. उस समय के हालात। माननीय संसदीय कार्य मंत्रीजी भी भादरा, नोहर पधारे थे। वहां का पुलिस प्रशासन जबरदस्ती करता है। वहां सरेआम गुंडागर्दी फैल रही थी और उसका विरोध करने के लिये कांग्रेस का एक कार्यकर्ता आगे आता है तो उस कार्यकर्ता को इतनी ज्यादा प्रताड़ना दी जाती है कि उसको पुलिस कस्टडी में पीटा जाता है। कांग्रेस के ही नेता षड्यंत्र करके उसको पुलिस एनकाउंटर में मरवाने की कोशिश भी करते हैं। यह गवाह हैं इस चीज के। मैं इसलिये दावे से कह रहा हूं कि वह पीडित कार्यकर्ता मैं रहा हूं। इसीलिये मुझे आखिर में आपको छोड़ना भी पड़ा।

दूसरी बात हो रही थी, मैं पिछले दिनों सुन रहा था। सादुलपुर से आने वाले माननीय सदस्य वहां बैठे हैं, उस समय भादरा में जो पुलिस अधिकारी थे जिनको दण्डित किया गया, पनिशमेंट दिया गया, सस्पेंड किया गया डी.जी. और कमिश्नर की इंक्वायरी के बाद, सादुलपुर मेरी एडजाइनिंग कांस्टीट्यूएंसी है, सस्पेंशन से बहाल होने के बाद उस अधिकारी को, उस डी.एस.पी. को कांग्रेस के ही सदस्य सबसे पहले डिजायर देकर लेकर गये। आज आप बात करते हो संरक्षण देने की भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कि ये लोग संरक्षण देते हैं आपराधिक प्रवृत्ति वाले लोगों को. गलत है। सिर्फ विरोध के नाम पर नहीं कहना चाहिये, हकीकत रखनी चाहिये। अपने गिरहवान में भी झांकना चाहिये।

(डा. सुरेश चौधरी)

बजट पर बोलने का मौका दिया, मैं बजट पर आता हूं। ये बातें इसलिये जरूरी थी कि मैं दो दिन से बड़ा दु:खी था इनके व्यवहार को देखकर कि ये क्या कर रहे हैं। बजट पर बात आते ही फिर वही बात आती है।

आप 1990 में छोड़कर गये थे सात हजार करोड़ का घाटा और जब 1998 में आप वापस आये तो आपने कहा सामान नहीं है, खाली है खजाना कितना कर्जा ले लिया? पच्चीस हजार करोड़, चौबीस हजार करोड़, छब्बीस हजार करोड़ कर्जा कर दिया। कितने साल...(व्यवधान)

श्री जुबेर खान : उस समय तो आप भी इधर ही आते अगर जीत जाते तो। 1998 की बात मत करो, अब की करो।

डा. सुरेश चौधरी : उसी समय की कर रहा हूं। आप लोगों ने आने भी तो नहीं दिया ना जीतने वालों को। जब आपसे बगावत की तब जीत के रास्ते खुले।

श्री जुबेर खान : मैं तो खुद ही आपके साथ हूं।

डा. सुरेश चौधरी : प्रतिभाशाली कार्यकर्ताओं को कहां आने देते हैं, आप तभी तो आपको ये दिन देखने पड़े हैं...

श्री महावीर प्रसाद जैन : मार मारकर मुसलमान बना दिया इनको।

डा. सुरेश चौधरी : 1990 से 1998, 1998 में जब आपकी सरकार आयी तो आपने कहा कि हमारा खजाना खाली है...

श्री श्रवण कुमार : इनमें से 50 प्रतिशत कांग्रेसी थे।

डा. सुरेश चौधरी : माननीय श्रवणजी, आप भूतकाल की तरफ देखकर भविष्य के लिए खुश मत हो, ये हालात रहे तो मुझे लगता है कि कोई नहीं रहेगा।

श्री श्रवण कुमार : मेरे पास तो बहुत रहेंगे, लेकिन जो बुरा कर्म करें उनके पास नहीं रहेंगे।

डा. सुरेश चौधरी : मेरा आपसे मतलब व्यक्तिगत आपसे नहीं. आपकी पार्टी से है।

श्री श्रवण कुमार : किसी ने कहा कि ब्राह्मण, ब्राह्मण सारे मर जाएं। तो किसी ने कहा कि कैसे मर जाएं? तो कहा कि बिना भोजन के मर जाएं। तो गलती करें उन कांग्रेसियों को कहें, हमें मत कहो। हम तो छोटे सिपाही हैं, सिपाही की ड्यूटी तो कहीं भी ट्राफिक में लगा देंगे।

डा. सुरेश चौधरी : चनों के साथ घुन भी पिस जाता है, यह कहावत अपने यहां ही ज्यादा चलती है। आप उसमें आते हैं। 1998 में आपने कहा कि हमारा खजाना खाली है, हमारे ऊपर कर्जा है, पिछली भैरोंसिंहजी की सरकार ने छोड़ा है। हमें भी बुलवाया था आप लोगों ने डायरेक्शंस देकर, हम भी झूठ बोले थे। उसमें हमें भी कहा था।

श्री हेमाराम चौधरी : अब वह तो नहीं बुलवा रहे हैं।

श्री सभापति : अब आप बीच में टोका-टोकी नहीं करें।

डा. सुरेश चौधरी : टोकने दो, मैं इनके साथ रहा हूं और बोलने का आदी रहा हूं इनके साथ भी। 1998 में आपने कहा कि 26 हजार का कर्जा छोड़ गये। आपने छोड़ा 7 हजार का, इन्होंने कर दिया 26 हजार का, 23 हजार का। 16 हजार करोड़ फालतू कर दिया आठ साल के अन्दर। 16 हजार करोड़ का कर्जा लेने के बाद में उस गवर्नमेंट ने 1990 से 1998 के बीच में जो असेट्स पैदा किये जो परिसम्पत्तियां बनाईं वे 17-18 हजार करोड़ की थीं। अब हमने यह राज सम्भला, हम कह रहे हैं कि हमने यह कर्जा कर दिया 52-53 हजार करोड़ का, लेकिन उस दौरान आपने डबल कर दिया कर्जा, 23 हजार से 52 हजार, दुगने से भी ऊपर ले गये। आपने असेट्स पैदा कितने किये? 24 हजार करोड़ टोटल और जिसमें से 17-18 हजार करोड़ उस गवर्नमेंट के थे. 1990 से 1998 वाली के तो आप यह नहीं कह सकते हैं कि इन्होंने कर्जा ज्यादा ले लिया।

सभापति महोदय, माननीय मुख्य मंत्रीजी ने जो 2004-2005 के लिए बजट पेश किया है, इतना समय राजनीतिक कार्यकर्ता रहे हैं, भले ही किसी पार्टी के रहे, मैं तो सबसे सक्रिय कार्यकर्ता रहा, करीब-करीब विपक्ष की भूमिका में रहा, तो उस समय मैं आपको बताता हूं कि बजट के बाद सोचने की जरूरत नहीं पड़ती थी प्रतिक्रिया देने के लिए क्योंकि नये-नये थे, पदाधिकारी थे यूथ कांग्रेस के या कहीं थे, तो फट्ट से अख़बार पढ़ा और उसमें प्रतिक्रिया निकालकर देते थे कि बजट खराब है। आज सिरोही

(डा. सुरेश चौधरी)

से आने वाले माननीय सदस्य बोल रहे थे, उस समय के साथ ही हैं, हम बुद्धिजीवियों में बैठकर वहां प्रतिक्रिया वगैरह बनाते थे, पत्रकार बंधुओं के बीच बैठकर. तो हाथों हाथ प्रतिक्रिया बन जाती थी। लेकिन मैं दावे से कह सकता हूं, वह अगर ईमानदारी से कह दें, 24 घंटे इस बजट को पढ़कर कि वह कोई नकारात्मक प्रतिक्रिया इस बजट के खिलाफ प्रकट कर सकते हैं क्या।

सभापति महोदय, विकास की प्राथमिकताएं तय करते समय वक्त जो छह प्राथिमकता तय की हैं उनमें सबसे पहली प्राथमिकता में माननीय मुख्य मंत्रीजी ने दरिद्रता, कुपोषण और भूख से मुक्ति की बात कही है और उसमें प्रो. एम.एस. स्वामीनाथन की अवधारण का भी जिक्र किया, भोजन के अधिकार का। मैंने राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के टाइम भी कहा था कि रोटी और काम का अधिकार आम आदमी को मिले, आम हिन्दुस्तानी को मिले यह आज वक्त आ गया है। आज हमारे पास इतने संसाधन हैं, आज हमारे पास इतना अनाज है कि रोटी का अधिकार और काम का अधिकार हर व्यक्ति को दिया जा सकता है।

सभापति महोदय, बहुत-सी घोषणाएं, बहुत-से प्रावधान इस बजट में इस प्रकार के हैं कि सोसायटी का काई भी सैक्टर अनछुआ नहीं रहा है। चाहे वह किसान का मामला हो, चाहे वह नौजवान का मामला हो, चाहे वह बेरोजगारों का मामला हो, महिलाओं का मामला हो, हर जगह उन्हें छुआ गया है। सबसे ज्यादा मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि किसानों के बारे में बहुत ध्यान दिया, इतना विशाल हृदय उन्होंने रखा। मैं दो मिनट में बोल दूंगा, अभी तो वक्त ही नहीं हुआ, सभापति महोदय, आपने लास्ट में टाइम दिया है।

सभापति महोदय, इसमें महाविद्यालय खोलने का जिक्र किया। खैरवाड़ा में, अलवर में, थानागाजी में, झुंझुनूं में महाविद्यालय खोलने की बात आयी, मैं धन्यवाद देता हूं कि इनके मन में एक दर्द है उच्च शिक्षा प्रदान करने के लिए। मैं इसमें मांग करना चाहता हूं, माननीय शिक्षा मंत्रीजी बैठे हैं, माननीय सार्वजनिक निर्माण मंत्रीजी भी बैठे हैं. मेरी पुरजोर मांग है, मेरे क्षेत्र की तरफ से हाथ जोड़कर मांग है, मैंने एक सीट निकालकर आपको दी है, गंगानगर से जो सीट निकली है यह सिर्फ भादरा.

(डा. सुरेश चौधरी)

नोहर की वजह से निकली है, सभापति महोदय, मेरी पुरजोर मांग है कि मेरे क्षेत्र में भी एक सरकारी महाविद्यालय इसी बजट में मंजूर किया जाए।

सभापति महोदय, काश्तकारों के लिए बहुत रियायतें दी गयी हैं। किसानों को उनकी उपज का सही दाम मिले, इसमें काश्तकार हस्तक्षेप योजना लागू की गयी, जिसमें चार फसलों की बात की गयी। राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना लागू की गयी जिसमें 14 फसलों को गिनाया गया है। मेरा यह मानना है, मेरी यह मांग है, मेरा एक सुझाव है कि बाजार हस्तक्षेप योजना और जो बीमा योजना है उसमें गेहूं, धान, कपास और नरमे की फसल को भी गिना जाए। किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से माननीय पूर्व प्रधान मंत्रीजी ने जो किसानों को, गरीब लोगों को स्वाभिमान से जिंदगी जीने का एक अवसर दिया, उसको आगे बढ़ाते हुए माननीय मुख्य मंत्रीजी ने उनके लिए पीड़ा व्यक्त की हैं और 42 लाख 52 हजार किसानों को इस साल क्रेडिट कार्ड देने की बात कही है।

सभापति महोदय, कृषक साथी योजना का जरूर जिक्र करना चाहूंगा जिसमें पहले 30 हजार रुपये मिलते थे। किसी परिवार से दुर्घटना में अगर कोई परिवार का सदस्य चला जाता है तो यह होता है कि वह परिवार उजड़ गया। उसको अगर 50 हजार का संबल देने की प्रस्तावना सरकार ने की है तो निश्चित रूप से उस परिवार को बड़ा संबल मिलेगा।

मैं बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जिन पर बोलना चाहता था। सभापति महोदय, आखिर में कहना चाहता हूं कि राज्य में आध्यात्मिक पर्यटन की सम्भावना को दृष्टिगत रखते हुए पर्यटन व देवस्थान विभाग की और से अजमेर में दरगाह शरीफ, पुष्कर, नाथद्वारा, श्री महावीरजी, रणकपुर, रामद्वारा जैसे प्रसिद्ध स्थलों का विकास करने की बात कही गयी है। मैं यहां कहना चाहता हूं, गंगानगर से आये हुए माननीय मंत्रीजी टी.टी. साहब भी बैठे हैं, हमारे यहां एक गोगामेड़ी का मेला है, इसी योजना में इस स्थल को भी शामिल किया जाए। हिन्दू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्मों के लोग उस मेले को मानते हैं, वहां श्रद्धा रखते हैं, वहां विश्वास रखते हैं और वह एकमात्र देवस्थान है जहां पर हिन्दू और मुसलमान दोनों तरह के पुजारी रहते हैं।

श्री सभापति : माननीय सदस्य. बिराजें।

डा. सुरेश चौधरी : सभापति महोदय, मैं सेम के बारे में भी आपसे कहना चाहूंगा, एक मिनट, मैं रावतसर के पास जाकर आया हूं, सेम नाले के निर्माण के बाद में मैंने देखा है। उस योजना की खोज करते-करते, अन्वेषण करते-करते, मेरे ख्याल से 10, 20, 30 करोड़ रुपये तो मामूली बात है खर्च होना, लेकिन सेम नाले पर रावतसर के पास में सवा-डेढ़ करोड़ रुपया खर्च हुआ है। माननीय ससंदीय कार्य मंत्रीजी, वहां करीब 1500 बीघा जमीन तीन साल से फसल भी देने लग गयी है। कहां एक-सवा करोड़ और कहां बीस करोड़ आपने जांच में ही खर्च कर दिये।

श्री सभापति : आप बिराज जाएं, माननीय सदस्य। (व्यवधान)

डा. सुरेश चौधरी : सेम की समस्या का समाधान भी प्रभावी तरीके से हो। आखिर में मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहूंगा गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर के किसानों की तरफ से कि उन्होंने उनकी बहुत लम्बे समय से लम्बित मांग-आबियाना माफ करने की मंजूर की, लेकिन मैं साथ में यह भी मांग करना चाहूंगा कि 2003-2004 के आबियाने को भी माफ किया जाए।

सभापति महोदय, अंत में मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने को वक्त दिया, धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री लालचन्द मेघवाल।

श्री लालचन्द मेघवाल (रायसिंहनगर) : माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं इस सदन में प्रदेश की मुख्य मंत्री महोदय ने जो बजट प्रस्तुत किया उसके धन्यवाद के प्रस्ताव पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। सर्वप्रथम मैं ऐसा कल्याणकारी बजट प्रस्तुत करने के लिए माननीय मुख्य मंत्रीजी का धन्यवाद प्रस्तुत करूंगा। सभापति महोदय, इस दौरान मैं आपके माध्यम से कहूंगा कि बजट प्रावधानों पर नजर डालने से पता चलता है कि सरकार ने गावों में रहने वाले गरीब तबको, दलितों, पिछड़े वर्गों और महिलाओं के उत्थान के लिए विशेष राहत प्रदान की है और इसके लिए विशेष तौर पर माननीय मुख्य मंत्री महोदय धन्यवाद की पात्र हैं।

माननीय सभापति महोदय. पिछली सरकार ने अकाल के लिए केन्द्र से अनाप-शनाप पैसा लिया था लेकिन इस पैसे से प्रदेश में अकाल राहत के तहत जो विकास होना था वह नहीं हो पाया।

(श्री लालचन्द मेघवाल)

सभापति महोदय, मैं यह कहने में नि:संकोच हूं कि माननीय मुख्य मंत्री महोदया ने 100-डेज की कार्य की योजना बनाकर इस क्षेत्र में विकास किया, उसके लिए वे धन्यवाद की पात्र हैं। मैं गंगानगर जिले के रायसिंहनगर विधान सभा क्षेत्र से जीतकर आया हूं, सरकार ने इस क्षेत्र में आबियाना माफ किया है, इसके लिए मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदया को धन्यवाद दूंगा। सभापति महोदय, मेरी आपके माध्यम से सरकार से मांग है कि जो काश्तकार 30 प्रतिशत आबियाना भर चुके हैं, उनका भी आगे निकट भविष्य में आबियाना समायोजित किया जाए।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री महोदया को कहना चाहूंगा कि जीवनदायिनी गंग कैनाल के लिए जो 72 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा है, उसके लिए वे धन्यवाद की पात्र हैं। प्रदेश की पिछली कांग्रेस सरकार के समय में यही पैसा गंग कैनाल सिस्टम के लिए किसानों को आंदोलन करके लेना पडा था, जबकि इस बजट में आपने प्रावधान रखा है, इसलिए मैं विशेष तौर से मुख्य मंत्री महोदया का आभार प्रकट करता हूं। सरकार ने जिस तरह से इन्दिरा गांधी कैनाल, गंग कैनाल और भाखड़ा परियोजना पर टी.सी. का रकबा था उसके लिए पुख्ता आबंटन का 15.1.1987 से पहले का प्रावधान था उसको 1.4.1995 से करने का प्रावधान रखा है, उसके लिए मुख्य मंत्री महोदय विशेष तौर से धन्यवाद की पात्र हैं।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि पिछली सरकार ने किसानों के प्रति, एक नम्बर मुख्य मंत्री कहलाने वाले और किसानों के विरोधी मुख्य मंत्री ने जमीन के इतने रेट बढ़ा दिये कि एक मुरब्बा जमीन जो इन्दिरा गांधी नहर परियोजना में एक लाख रुपए की थी, उसकी कीमत पांच लाख रुपये कर दी। भाखड़ा और गंग कैनाल सिस्टम में...

श्री जुबेर खान : सभापति महोदय, जो पूर्व मुख्य मंत्री हैं उनके लिए विरोधी कहना, किसानों का विरोधी, कौनसे किसानों के खिलाफ? तो यह शब्द एक्सपंज करिए। यह ठीक परम्परा नहीं है। (व्यवधान) अगर इस तरह से यह परम्परा शुरू करेंगे तो बहुत-से...(व्यवधान)।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक) : जुबेर खानजी, बताइए, क्या गलत कहा? (व्यवधान)

श्री लालचन्द मेघवाल : एक लाख रुपये जमीन का रेट था उसको पांच लाख कर दिया। (व्यवधान)

श्री जुबेर खान : सभापति महोदय, भूतपूर्व मुख्य मंत्री हैं और बड़े-बड़े पदों पर बैठे हैं...(व्यवधान) उनके प्रति फिर हमारी तरफ से भी कहा जाए तो आप दोष मत दीजिएगा। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि किसी के प्रति यह कहा जाए...(व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : सदन में सदन के हिसाब से रहें। अशोक गहलोत साहब इस सदन के सदस्य हैं। (व्यवधान)

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा) : सभापति महोदय, किसानों के हितैषी मुख्य मंत्री हैं, यह कहो न आप। (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय कासनियांजी. माननीय बाड़मेर से आने वाले सदस्य, बिराजिए। श्री हीरालालजी (व्यवधान)

श्री जुबेर खान : माननीय सभापति महोदय, विरोधी दल हो सकता है, +++ इसको सही करवाइए। आप विरोधी कह सकते हैं लेकिन आप +++ नहीं कह सकते।

श्री सभापति : आप +++ शब्द एक्सपंज कर देना। "विरोधी" लिख देना।

श्री महावीर प्रसाद जैन : विरोधी और +++ में क्या फर्क है?

श्री सभापति : +++ अलग चीज है। (व्यवधान)

श्री हीरालाल (निवाई) : माननीय सभापति महोदय, राजस्थान की डायनामिक पर्सनेलिटी माननीय वसुन्धराजी द्वारा पेश किया गया वर्ष 2004-2005 का यह बजट अब तक के बजटों में ऐतिहासिक दस्तावेज है। इस बजट को बनाने में सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने सभी से विचार-विमर्श कर मजदूर, किसान, गरीब तबके, सभी का ध्यान रखा है। मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, सब इस बजट की तारीफ कर चुके हैं, मैं भी यह जो बजट बनाया है इसकी भूरि-भूरि प्रशंसा करता हूं, माननीय मुख्य मंत्रीजी का आभार व्यक्त करता हूं।

सभापति महोदय. मेरे विधान सभा क्षेत्र की मांग है कि निवाई में मुख्यालय पर कन्या छात्रावास होना चाहिए, कन्या महाविद्यालय होना चाहिए। निवाई-कोटा रोड पर

(श्री हीरालाल)

कहीं भी कोई ट्रोमा हास्पिटल नहीं है, जयपुर-निवाई-टौंक के बीच में बजरी के ट्रक आते हैं और आए दिन दुर्घटनाएं होती हैं, दुर्घटना में गम्भीर रूप से घायल लोगों को जयपुर लाते-लाते मौत हो जाती है, ऐसी स्थिति में मैं मांग करता हूं कि निवाई में ट्रोमा हास्पिटल होना चाहिए।

निवाई में गायनी और बच्चों के चिकित्सक के पद समाप्त कर दिये गये हैं, मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं कि ये पद भी सृजित किए जाएं। आयुर्वेद हास्पिटल खोलने के लिए आपने बजट में प्रावधान रखा है लेकिन होमियोपैथिक हास्पिटल खोलने का प्रावधान नहीं रखा है। मैं आपके माध्यम से निवाई में होमियोपैथिक हास्पिटल खोलने की मांग करता हूं।

माननीय मुख्य मंत्रीजी ने ईसरदा डैम बनाने के लिए मंजूरी दी है उसके लिए मैं उनका बहुत-बहुत आभारी हूं और आपके माध्यम से मांग करता हूं कि ईसरदा डैम का पानी निवाई होता हुआ आए और निवाई की जनता को राहत मिले, मेरे विधान सभा क्षेत्र के लोगों को राहत मिले। मैं इतना ही कहना चाहता हूं। आपने मुझे अंत में समय दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद, जय हिन्द, जय भारत।

श्री सभापति : सदन की कार्यवाही दिनांक 16 जुलाई, 2004 के सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 21.58 बजे, गुरुवार, 16 जुलाई, 2004 के 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्न व उनके उत्तर

बाली के जवाई बांध डूब क्षेत्र के काश्तकारों को गैर खातेदारी अधिकार

99. श्री पुष्पेन्द्र सिंह (बाली) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) गैर खातेदारी व्यवस्था से क्या अभिप्राय है? एक किसान को गैर खातेदारी में कितने-कितने वर्ष बाद क्या-क्या अधिकार दिए जाते हैं?

(2) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र बाली के ग्राम दूदनी, सेणा, जीवदा मूरी आदि सुमेरपुर के जवाई बांध की डूब क्षेत्र में हैं?

(3) क्या यह भी सही है कि इसकी डूब क्षेत्र में आने वाले गांवों के प्रभावित किसानों ने मुआवजा राशि सरकार को लौटाकर इसी भूमि पर बतौर गैर खातेदारी कृषि काश्त करते रहना स्वीकार किया है? यदि हां, तो सरकार को मुआवजा लौटाने वाले किसानों की मय ग्राम नामजद सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) उक्त डूब क्षेत्र के गांवों के कुल कितने किसानों की कुल कितनी गैर खातेदारी भूमि पर कब-कब से कृषि काश्त कब्जा कायम है? नामजद कब्जा अवधि सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या सरकार डूब क्षेत्र के सभी किसानों को गैर खातेदारी अधिकार देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 17 में गैर खातेदार के बारे में बताया गया है उक्त धारा 17 इस प्रकार है:-

"राज्य में किसी भी हिस्से में भूमि का प्रत्येक काश्तकार जो खातेदार काश्तकार, खुदकाश्त काश्तकार या उप काश्तकार से भिन्न हो गैर खातेदार काश्तकार है।"

जिन प्रकरणों में राजस्थान भू-राजस्व (कृषि उद्देश्यों के लिये भूमि का आबंटन) नियम, 1970 के तहत आबंटन गैर खातेदारी के आधारं पर होता है उनमें आबंटी द्वारा आबंटन की शर्तों की पालना करने पर 3 वर्ष पश्चात् खातेदारी अधिकार दिये जाते है। परन्तु राजस्थान भू-राजस्व (तालाब पेटा भूमि का कृषि हेतु आबंटन) नियम 1961 के नियमों के तहत भूमि गैर खातेदारी आधार पर आबंटित की जाती है। ऐसी भूमि पर खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं।

(2) जी हां।

(राजस्व मंत्री)

(3) जी हां। सरकार को मुआवजा लौटाने वाले किसानों की मय ग्राम नामजद सूची संलग्न है। (परिशिष्ट '1')

(4) उक्त डूब क्षेत्र में ग्राम सेणा में 63, ग्राम जीवदा में 63 एवं ग्राम दूदनी में 89 कुल 215 गैर खातेदार किसानों का कुल 679.25 हैक्टेयर गैर खातेदारी भूमि पर सम्वत् 2014 से कब्जाकाश्त है। सूची संलग्न है। (परिशिष्ट-2)

(5) जी नहीं। तालाब पेटा आबंटन नियम 1961 के प्रावधानों के अन्तर्गत पात्रता रखने वाले किसानों को ही गैर खातेदारी अधिकार प्रदान किये जाते है। अन्य को नहीं।

(सूचियां विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयीं)

उद्योगों का पलायन रोकने हेतु प्रयास

100. डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि राज्य के औद्योगिक विकास हेतु गठित बी.आई.डी.आई. (बीड़ी) द्वारा स्वीकृत उद्योगों की सरकार द्वारा समीक्षा की गई? यदि हां, तो उनमें से कितने उद्योग राज्य से बाहर अन्य राज्यों में चले गए? उद्योगपतियों को जो उद्योगों राज्य में स्वीकृत हुए वे पलायन करके अन्य राज्यों में क्यों गए तथा उक्त उद्योग ने में कितना विनियोजन होना था? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) राज्य के औद्योगिक विकास हेतु सरकार की क्या नीति है तथा जो उद्योग स्वीकृत हो चुके हैं उनके राज्य में स्थापित कराने की सरकार की क्या योजना है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। गत छह माह में बीडी द्वारा स्वीकृत परियोजनाओं की समीक्षा की गयी। जिन परियोजनाओं की समीक्षा की गई उनमें से कोई भी परियोजना राज्य से बाहर नहीं गई है। परियोजनाओं की सूची संलग्न है।

(2) राज्य सरकार औद्योगिक विकास के लिये दृढ़ संकल्प है एवं इसके लिये सिंगल विंडो सिस्टम एवं 28 जुलाई, 2003 से राजस्थान निवेश नीति 2003 लागू है। राजस्थान निवेश नीति 2003 की प्रति सदन के पटल पर रख दी गई है।

(सूची व प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी।)

गंगरार की डामरविहीन सड़कें

101. श्री अर्जुन लाल जीनगर (गंगरार) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र गंगरार के पंचायत मुख्यालयों एवं एक हजार की आबादी के कौन-कौन से गांवों को अब तक डामरीकृत सड़कों से नहीं जोड़ा गया? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त सड़कों का डामरीकरण करवाने का विचार रखती है? यदि हां. तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

(3) उक्त क्षेत्र की किस-किस सड़क पर डब्ल्यू.बी.एम. किया गया है? सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार उक्त सड़कों पर डामरीकरण का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

(5) क्या सरकार उक्त क्षेत्र में मिसिंग लिंक रोड बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

(6) क्या सरकार विभाग द्वारा बनाई गई सड़कों के बीच में आने वाले गांवों के बीच की डामर की सड़कों को सीमेंट से बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र गंगरार के एक पंचायत मुख्यालय उण्ड़वा एवं 1000 की आबादी के एक गांव जालमपुरा को डामरीकृत सड़क से नहीं जोड़ा गया है।

(2) पंचायत मुख्यालय उण्ड़वा के डामरीकरण का कार्य प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना में प्रस्तावित है। जालमपुरा ग्राम जो कि वर्तमान में मेटल सड़क से जुड़ा है को प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 500 से अधिक (2001 के आधार है) की जनसंख्या वाले ग्राम बारहमासी सड़कों से जुड़ने के बाद नीति अनुसार डामरीकरण करने का कार्य प्रस्तावित किया जायेगा।

(3) उक्त विधान सभा क्षेत्र की 9 डब्ल्यू.बी.एम. सड़कों की सूची परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(4) जी हां। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत 2007 तक 500 तक की आबादी के बिना किसी प्रकार की सड़कों से जुडे गांवों को डामर सड़क से जोड़ने का प्रावधान है।

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

उसके पश्चात् डब्ल्यू.बी.एम. से जुड़े 500 से अधिक आबादी के गांवों को बारहमासी सड़कों से जोड़ने का प्रावधान है। परिशिष्ट "अ" में क्रम सं. 1 से 5 तक की सड़कें इस योजना में स्वीकृत होना सम्भावित है। शेष क्र.सं. 6 से 9 तक डब्ल्यू.बी.एम. सड़कों का डामरीकरण वर्तमान में राज्य सरकार के उपलब्ध वित्तीय संसाधनों व प्राथमिकताओं पर निर्भर करेगा।

(5) जी हां। विधान सभा क्षेत्र गंगरार में तीन मिसिंग लिंक सड़कों का कार्य स्वीकृत है। जिनका विवरण परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है।

(6) जी नहीं, वर्तमान सीमित वित्तीय संसाधनों के मद्देनजर सड़कों के बीच गांवों के हिस्सों में सीमेन्ट कांक्रीट सड़क का निर्माण सम्भव नहीं है।

परिशिष्ट "अ"

विधान सभा क्षेत्र गंगरार की डब्ल्यू.बी.एम. सड़कों की सूची

क्र.सं.	सड़क का नाम	जनसंख्या (2001 के आधार पर)	लम्बाई (कि.मी. में)
1.	सम्पर्क सड़क जालमपुरा	1150	1.80
2.	सम्पर्क सड़क लालपुरा	918	1.00
3.	भालोटा की खेड़ी दड़बा	915	1.50
4.	सम्पर्क सड़क करीथड़ा	751	1.00
5.	राश्मी बाइपास (पुराना) पुठवाड़िया	507	3.0
	पन्नाखेड़ा	153	2.50
6.	सम्पर्क सड़क चमनपुरा	403	2.0
7.	हिण्डोली-भीमगढ़ सड़क जवानपुरा	325	2.0
8.	सांखली आरनी वाया सोमी (मिसिंग लिक)	-	3.50
9.	ड़परेड़ा, जाड़ाण सड़क (मिसिंग लिंक)	-	5.0

उक्त समस्त सड़कों का निर्माण आश्वासित रोजगार योजना, अकाल राहत एवं आर.आई.डी.एफ-6 के अन्तर्गत कराया गया है।

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

परिशिष्ट "ब"

विधान सभा क्षेत्र गंगरार के स्वीकृत मिसिंग लिंक कार्यों की सूची

क्र. सं.	सड़क का नाम	प्रशासनिक स्वीकृति वित्तीय (लाखों में)	प्रशासनिक स्वीकृति लम्बाई (कि.मी. में)	प्रगति 6/04 तक वित्तीय (लाखों में)	प्रगति 6/04 लम्बाई (कि.मी. में)
1.	जवासिया से कुवालिया (0/0 से 4/300)	43.62	4.50	28.72	4.50 बी.टी कार्य पूर्ण
2.	बोलो का सांवता से गंगरार (2/500 से 10/0)	77.78	7.50	0.08	कार्य प्रगति पर
3.	ऊच से पहुना (1/0 से 4/0)	23.65	3.0	7.63	3.00 बी.टी. कार्य पूर्ण
		145.05	**15.00**	**36.43**	**7.50**

बीसलपुर परियोजना से जिला अजमेर को जलापूर्ति

102. डा. श्रीगोपाल बाहेती (पुष्कर), **श्री नन्दलाल बंशीवाल** (दौसा) एवं **श्रीमती अनिता भदेल** (अजमेर पूर्व) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि बीसलपुर योजना मूलतः जिला अजमेर की पेयजल व्यवस्था हेतु बनी है? यदि हां, तो क्या बीसलपुर का पानी पूरे जिले को मिल रहा है? यदि नहीं, तो क्यों? इस योजना से वर्तमान में कितने गांवों को पानी मिल रहा है और कितने गांव शेष हैं?

(2) अजमेर शहर व कस्बों को पानी कितने दिन के अन्तराल में व कितनी मात्रा में मिल रहा है? क्या यह जलापूर्ति पर्याप्त है? यदि नहीं, तो क्या सरकार के पास प्रतिदिन पानी देने की कोई अन्य योजना विचाराधीन है? यदि हां, तो योजना का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि बीसलपुर पाइप लाइन जो नसीराबाद होकर ब्यावर जाती है, से कतिपय गांव जैसे बिठूर, मांगलियावास और लामाना के ग्रामवासी पीने का पानी भरते हैं? यदि हां, तो क्या इसकी स्वीकृति ले ली गई? यदि नहीं, तो क्यों व इसके लिए कौन जिम्मेदार हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(डा. श्रीगोपाल बाहेती)

(4) क्या सरकार बीसलपुर योजना के द्वितीय फेज को स्वीकृति करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं तो क्यों?

(5) क्या यह सही है कि सरकार वर्तमान में ग्राम मांगलियावास के बीच जो पानी की टंकी बनी हुई है उसे बीसलपुर पानी की लाइन से जोड़ने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(6) क्या यह सही है कि बीसलपुर पेयजल योजना के पानी में से जिला अजमेर का हिस्सा काटकर जयपुर सहित अन्य जिलों को देना प्रस्तावित है? यदि हां, तो क्यों और क्या इससे जिला अजमेर को पेयजल आपूर्ति प्रभावित होगी?

(7) गत पांच वर्षों में बीसलपुर परियोजना द्वारा पेयजल उपलब्ध कराने हेतु प्रारम्भ से अब तक पाइप लाइन की मरम्मत, बदलने व संधारण पर कितनी राशि व्यय की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। मूलत: अजमेर, ब्यावर व किशनगढ़ की समस्या को देखते हुए बीसलपुर परियोजना प्रारम्भ की गई थी जिसके जीवन्त भण्डारण क्षमता में सिंचाई के अतिरिक्त अजमेर व जयपुर की पेयजल मांग सम्मिलित थी।

बीसलपुर बांध स्रोत से अजमेर जिले के 669 समस्याग्रस्त गांवों हेतु वृहद योजना में प्रावधान लिया गया। धन संसाधन की उपलब्धि के अनुसार इस कार्य को चरणबद्ध रूप में क्रियान्वित करवाना तब हुआ। अब तक 393 गांवों की पेयजल मांग के सन्दर्भ में योजना स्वीकृत की जा चुकी है तथा 138 गांवों को लाभान्वित किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त अजमेर जिले के 8 शहरों में से 6 को पूर्ण लाभान्वित तथा एक को आंशिक रूप से तथा भीलवाड़ा जिले के गुलाबपुरा को भी आंशिक रूप से लाभान्वित किया जा चुका है। विवरण (परिशिष्ट 'क') पर संलग्न है।

(2) अजमेर शहर व जिले के अन्य शहरों में जल वितरण का अन्तराल एवं उपलब्ध करवाये जा रहे जल की मात्रा का विवरण (परिशिष्ट-ख') पर संलग्न है। यह जलापूर्ति निर्धारित मापदण्ड से कम है परन्तु वर्तमान परिपेक्ष में न्यूनतम आवश्यकता के सन्दर्भ में पर्याप्त है।

(3) जी हां। यह सही है कि बीसलपुर पाइप लाइन जो नसीराबाद होकर ब्यावर जाती है जो इसके बिलकुल सहारे बसे हुए ग्राम बिठूर. मांगलियावास एवं लामाना के ग्रामवासी पी.एस.पी. के माध्यम से पीने का पानी भरते है। पी.एस.पी. स्वीकृत हैं।

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

(4) योजना का प्राथमिक प्रारूप तैयार किया गया था। सक्षम स्तर पर 5/2004 में लिए निर्णय के अनुसार विस्तृत सर्वेक्षण हेतु राशि स्वीकृत की जा चुकी है। विस्तृत परियोजना बनने के बाद प्राथमिकता तथा धन उपलब्धता के आधार पर स्वीकृति के सम्बन्ध में निर्णय लेना सम्भव हो पावेगा।

(5) जी नहीं। इस हेतु कोई प्रावधान नहीं है।

(6) जी नहीं।

(7) बीसलपुर परियोजना (अज़मेर, ब्यावर, किशनगढ़, नसीराबाद, केकड़ी तथा सरवाड़ शहरों हेतु) परियोजना के प्रारम्भ (वर्ष 1995-96) तथा गत 5 वर्षों (1999-2000 से 2003-2004) में पाइप लाइन की मरम्मत, बदलने व संधारण पर व्यय की गई राशि का विवरण परिशिष्ट-'ग' संलग्न है।

परिशिष्ट-'क'

बीसलपुर बांध स्रोत से पेयजल योजनाओं की अजमेर जिले के सन्दर्भ में स्थिति :-

शहर-अजमेर जिले के कुल 8 शहरों की स्थिति निम्न प्रकार है :-

क्रमांक	शहर	स्थिति
1.	अजमेर	लाभान्वित
2.	ब्यावर	लाभान्वित
3.	किशनगढ़	लाभान्वित
4.	नसीराबाद	लाभान्वित
5.	केकड़ी	लाभान्वित
6.	सरवाड़	लाभान्वित
7.	विजयनगर	आंशिक रूप से लाभान्वित पूर्ण। लाभान्वयन हेतु कार्य प्रगति में।
8.	पुष्कर	बीसलपुर बांध स्त्रोत से प्रस्तावित योजनाओं में शामिल नहीं है।

उपरोक्त के अतिरिक्त भीलवाड़ा जिले के गुलाबपुरा को भी आंशिक रूप से लाभान्वित किया गया है।

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

ग्रामीण क्षेत्र

स्वीकृत योजना का नाम	स्वीकृति में शामिल गांवों की संख्या	लाभान्वित गांव	टिप्पणी
केकड़ी सरवाड़ फ्लोराइड प्रोजेक्ट	100	100	
नसीराबाद फ्लोराइड प्रोजेक्ट	01	25	-
भिनाय-मसूदा ट्रंकफ्लोराइड प्रोजेक्ट	232	13	इन गांवों हेतु जल मात्रा का लाइन में प्रावधान मात्र है। ट्रंक लाइन बनने के बाद गांवों के फ्लस्टर की योजनाएं बनाना प्रस्तावित है।
योग :-	**393**	**138**	

परिशिष्ट-'ख'

अजमेर शहर व जिले के अन्य शहरों में जल वितरण का अन्तराल एवं उपलब्ध करवाये जा रहे जल की मात्रा का विवरण :-

क्र.सं.	शहर/कस्बे का नाम	वर्तमान की जनसंख्या (लगभग)	प्रतिदिन करवाये जा रहे जल की मात्रा (लाख मीटर)	सेवा स्तर (प्रति व्यक्ति० प्रतिदिन)	सप्लाई अन्तराल घंटों में
1	2	3	4	5	6
1.	अजमेर	526898	680	129	48
2.	ब्यावर	130000	120	92	48-60
3.	किशनगढ़	124867	105	84	48
4.	केकडी	36685	32	87	21
5.	सरवाड़	17409	13	75	24

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

1	2	3	4	5	6
6.	पुष्कर	15899	13	82	24
7.	विजयनगर	19765	15	50	48
8.	नसीराबाद	52794	110	शहर की सप्लाई कैन्टीनमेट बाई के अधीन है। जल वितरण 24 घंटे के अन्तराल से किया जाता है।	

परिशिष्ट-'ग'

बीसलपुर परियोजना (अजमेर, ब्यावर, किशनगढ़, नसीराबाद, केकड़ी तथा सरवाड शहर हेतु) पर हुए खर्च का विवरण :- (राशि लाख रु. में)

काल	पाइप लाइन की मरम्मत पर खर्च	पाइप लाइन बदलने पर खर्च	पाइप लाइन के संधारण पर कुल खर्च
योजना के प्रारम्भ से 2003-2004 तक	218.28	18.57	236.83
1999-2000 से 2003-2004 तक	113.84	15.87	129.71

जयपुर स्थित मेडिकेयर रिलीफ सोसायटी का आय-व्यय

103. श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि मेडिकेयर रिलीफ सोसायटी की आय में से होने वाले व्यय किये जाने के लिए नियम/उपनियम बनाये गये हैं? यदि हां, तो क्या? प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) सवाई मानसिंह चिकित्सालय, कांवटिया चिकित्सालय एवं सेटेलाइट चिकित्सालय, बनीपार्क, जयपुर में वर्ष 2000 से 2003 तक मेडिकेयर रिलीफ सोसायटी में कितनी आय हुई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री मोहन लाल गुप्ता)

(3) क्या उक्त वर्षों में व्यय की गई राशि नियमों के अनुसार व्यय की गई? यदि नहीं, तो क्या इसकी जांच करवाई गई? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां।

नियम/उपनियमों के आदेशों की प्रतियां परिशिष्ट 'अ' पर उपलब्ध है।

(2) सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर कांवटिया चिकित्सालय, जयपुर एवं सैटेलाइट चिकित्सालय, बनीपार्क, जयपुर में वित्तीय वर्ष 2000-01 से 2003-04 तक मेडिकेयर रिलीफ सोसायटी में हुई आय का संस्थावार विवरण निम्न प्रकार है :-

वर्ष	सवाई मानसिंह चिकित्सालय जयपुर	कांवटिया चिकित्सालय जयपुर	सैटेलाइट चिकित्सालय बनीपार्क, जयपुर
2000-2001	80163107.00	1896718.47	450879.00
2001-2002	74341929.00	2106566.39	39908.00
2002-2003	79487814.00	2672694.35	372101.00
2003-2004	लेखों का अंकेक्षण का कार्य चल रहा है।	3369433.08	422731.00

(3) जी हां। व्यय की गई राशि नियमानुसार व्यय की गई है।

शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान जयपुर

क्रमांक प.18(22) एम.ई./ग्रुप-1/97   **जयपुर दिनांक 2.6.1998**

आज्ञा

राज्य के अस्पतालों में गठित मेडिकेयर रिलीफ सोसायटीज की आय का समुचित उपयोग राज्य के अस्पतालों के विकास एवं आम जनता को चिकित्सा की बेहतर सुविधा उपलब्ध कराये जाने की दृष्टि से किये जाने के उद्देश्य से निर्देश दिये जाते हैं कि मेडिकेयर रिलीफ सोसायटीज की आय का उपयोग भविष्य में निम्नानुसार किया जावे :-

(1) अत्यावश्यक व्यय   कुल आय का 50%

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

(क) रोगी परीक्षण में काम आने वाली सामग्री जैसे कैमिकल्स, एक्स-रे फिल्म आदि।

(ख) रोगी परीक्षण, वार्डों एवं आपरेशन थियेटर में काम आने वाली मशीनों उपकरणों का रख-रखाव।

(ग) नई मशीनों/उपकरणों की खरीद

(2) आवश्यक व्यय — कुल आय का 30%

(क) विभिन्न सेवाओं एवं सुविधाओं का रख-रखाव जैसे बिजली, पानी, ट्रोली सुरक्षा आदि

(ख) ठेके पर सेवा लेने का खर्च जैसे सफाई, सुरक्षा

(ग) वार्ड में काम आने वाला फर्नीचर, लिनन (तौलिया, चद्दरें) की खरीद एवं रख-रखाव

(घ) अस्पताल भवन का रख-रखाव

(ड) एयरकंडीशनर, कूलरस, ट्यूबलाइट्स, पंखों, गद्दों पलंगों आदि को ठीक करवाने के लिए

(3) अस्पताल के विभागाध्यक्षों के अनुसार आवश्यकता का सामान व सेवाएं — कुल आय का 8%

(4) मेडिकल कालेजों द्वारा प्रदत्त सेवाएं — कुल आय का 2%

(5) रिजर्व (बचत) — कुल आय का 10%

उक्त बिन्दु संख्या 3 व 4 मेडिकल कालेजों के संलग्न चिकित्सालयों में गठित मेडिकेयर रिलीफ सोसायटीज पर लागू होंगे।

अन्य अस्पतालों (निदेशालय के अधीन चिकित्सालयों/जिला अस्पतालों/रैफरल अस्पतालों आदि) के लिए बिन्दु संख्या 3 व 4 में उल्लेखित 10% राशि का उपयोग उक्त बिन्दु संख्या 1 व 2 में उल्लेखित मदों पर क्रमश: 5-5% किया जा सकेगा।

यदि उक्त निर्धारित सीमा से अधिक व्यय किन्हीं मद/मदों पर किया जाना आवश्यक हो तो मेडिकेयर रिलीफ सोसायटी की पूर्ण कार्यकारिणी (फुल बोर्ड) की पूर्वानुमति आवश्यक होगी।

यह आज्ञा तुरन्त प्रभाव से लागू होगी।

आज्ञा से,

ह./

एम.डी. कोरानी

शासन सचिव

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

Government of Rajasthan
Medical & Health (Gr. I) Department

No. F-14(1)ME/Gr.I/96 **Jaipur, Dated : 13.11.1998**

CIRCULAR

In continuation of Order No. F. 18(22) ME/Gr.I/97 dated 2.6.1998. I am directed to say that against Item Nos. 4 & 5 of the above order, the following may be read as follows :

Services provided by Medical Colleges.	5% of Total Income instead of 2% of Total Income.
Revenue savings	7% of Total Income instead of 10% of Total Income.

This issues with the approval of the Competent Authority with immediate effect. This order is applicable only to the Medi Care Relief Society of S.M.S. Medical College and attached Hospitals.

Sd/-
(Tanmay Kumar)
Dy. Secretary to the Govt.

जालौर जिले के विद्यालयों में छात्र-शिक्षक अनुपात

104. श्री शंकरसिंह राजपुरोहित (आहोर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा राज्य में संचालित प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयों में विद्यार्थियों के अनुपात में शिक्षकों का पदस्थापन किया जाता है? यदि हां, तो किस अनुपात में?

(2) क्या यह भी सही है कि जिला जालौर के विद्यालयों में उक्त अनुपात में शिक्षक/शिक्षिकाऐं नहीं हैं? यदि हां, तो किस-किस विद्यालय में कितने-कितने शिक्षकों की कमी है? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) उपरोक्त शिक्षकों की आनुपातिक कमी को पूर्ण करने हेतु सरकार क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है? अब उक्त कमी पूर्ति कब तक कर दी जावेगी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र आहोर में संचालित राजकीय अम्बेडकर बालिका आवासीय विद्यालयों में गत कई वर्षों से उक्त अनुपात में शिक्षक पदस्थापित नहीं हैं? क्या उक्त अभाव में बालिकाओं के भविष्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है? यदि हां, तो अब सरकार कब तक उक्त कमी को पूर्ण करा देगी?

उत्तर

(1) प्राथमिक विद्यालयों में न्यूनतम 2 तृतीय श्रेणी अध्यापक लगाने का प्रावधान है तथा माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयों में स्वीकृत पदों के अनुसार अध्यापकों का पदस्थापन किया जाता है। मानदण्ड परिशिष्ट-क संलग्न है।

(2) जिला जालौर के प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयों में निर्धारित प्रावधानानुसार/निर्धारित मानदण्डानुसार अध्यापकों के पद सृजित हैं उनमें रिक्त पदों की स्थिति निम्नानुसार है :-

(1) माध्यमिक :-

	स्वीकृत पद	रिक्त पद
व्याख्याता	247	123
वरिष्ठ अध्यापक	641	172
अध्यापक	260	101
(2) उच्च प्राथमिक	1945	488
(3) प्राथ. विद्यालय	1842	340

(3) प्रश्न के भाग संख्या 2 के अनुसार आनुपातिक कोई कमी नहीं है व रिक्त पदों को शीघ्र भरने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। तृतीय श्रेणी अध्यापकों के पद भरने की प्रक्रिया राज. लोक सेवा आयोग द्वारा की जा रही है।

वरिष्ठ अध्यापकों के पद विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा चयनित आशार्थी उपलब्ध करवाये जाने पर भरा जाना सम्भव हो सकेगा तथा सीधी भर्ती के पद पर माननीय उच्च न्यायालय द्वारा स्थगन लगाया हुआ है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिये जाने वाले अन्तिम निर्णयानुसार ही कार्यवाही किया जाना सम्भव हो सकेगा।

व्याख्याता के पद राज. लोक सेवा आयोग एवं विभागीय पदोन्नति समिति से चयनित आशार्थी उपलब्ध होने पर भरे जा सकेंगे।

(4) जी नहीं। इस विद्यालय में शारीरिक शिक्षक का एक पद एवं द्वितीय श्रेणी अध्यापक के 6 पद स्वीकृत हैं, जो सभी भरे हुए हैं, परन्तु महिला शिक्षकों की अनुपलब्धता के कारण द्वितीय वेतन श्रृंखला के केवल एक पद पर ही महिला शिक्षक

(शिक्षा मंत्री)

कार्यरत है एवं शिक्षकों के शेष सभी पदों पर पुरुष शिक्षक कार्य कर रहे हैं।

परिशिष्ट "क"

छात्रानुपात में शिक्षकों के पदस्थापन के मानदण्ड

प्राथमिक विद्यालय में	110 छात्रों तक 2 पद
उच्च प्राथमिक विद्यालय में	260 छात्रों तक 1+5 पद

40 छात्रों पर अतिरिक्त शिक्षक देने की व्यवस्था के कारण छात्रानुपात में अध्यापकों के पदों का निर्धारण निम्नानुसार किया गया-

प्राथमिक विद्यालय	उच्च प्राथमिक विद्यालय
110 छात्रों तक-2 अध्यापक	260 छात्रों तक– 1+ 5 अध्यापक
111 से 140 छात्रों तक-3 अध्यापक	261 से 300 छात्रों तक 1+ 6 अध्यापक
141 से 180 छात्रों तक-4 अध्यापक	301 से 340 छात्रों तक 1+ 7 अध्यापक
181 से 220 छात्रों तक-5 अध्यापक	341 से 380 छात्रों तक 1+ 8 अध्यापक
221 से 260 छात्रों तक-6 अध्यापक	381 से 420 छात्रों तक 1+ 9 अध्यापक
	421 से 460 छात्रों तक 1+10 अध्यापक
	461 से 500 छात्रों तक 1+11 अध्यापक
	501 से 540 छात्रों तक 1+12 अध्यापक
	541 से 580 छात्रों तक 1+ 13 अध्यापक
	581 से 620 छात्रों तक 1+ 14 अध्यापक

माध्यमिक शिक्षा के अन्तर्गत संचालित माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में निर्धारित मानदण्ड के अनुसार पद स्वीकृत किये जाते हैं, तथा स्वीकृत पदों एवं रिक्त पदों की उपलब्धता के आधार पर अध्यापकों का पदस्थापन किया जाता है। विद्यालयों में पद स्वीकृत किये जाने के निर्धारित मानदण्ड इस प्रकार से है :-

(शिक्षा मंत्री)

उच्च प्राथमिक विद्यालय से माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत होने पर :-

	पद नाम	पदों की संख्या
कक्षा 9 हेतु स्वीकृत पद	प्रधानाध्यापक (मावि)	01
	वरिष्ठ अध्यापक	03
	शा. शिक्षक-III ग्रेड	01
कक्षा 10 हेतु स्वीकृत पद	वरिष्ठ अध्यापक	02
माध्यमिक से उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत होने पर :-		
कक्षा 11 व 12 हेतु	प्रधानाचार्य	05
स्वीकृत पद	व्याख्याता	01
	शा. शिक्षक-II ग्रेड	01

नोट :-माध्यमिक विद्यालय में स्वीकृत प्रधानाध्यापक (मावि), पुस्तकालयाध्यक्ष III ग्रेड, शा. शिक्षक-III ग्रेड के पद स्वत: ही समाप्त हो जाते हैं।

भामाशाह मण्डी, कोटा की कृषि उपहार कूपन योजना

105. श्री भरत सिंह (दीगोद) : क्या कृषि विपणन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में कृषि उपहार कूपन योजना लागू है? यदि हां, तो कब से तथा इसे चालू करने के पीछे क्या सोच है?

(2) वर्ष 2003-04 में प्रदेश की कृषि उपज मंडियों से कुल कितना राजस्व प्राप्त हुआ तथा इसके अनुपात में कितने कृषि उपहार कूपन का वितरण होना चाहिए था व वास्तव में कुल कितने उपहार कूपन किसानों को प्रदान किए गये? जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि कोटा की भामाशाह मण्डी में जहां 13 करोड़ से अधिक का राजस्व प्राप्ति हुआ है वहां इसके अनुपात में 10% से भी कम कृषि उपहार कूपन का वितरण किया गया है? यदि हां, तो इस योजना को प्रभावशाली तरीके से लागू करने की सरकार की क्या कार्य योजना है?

उत्तर

(1) जी हां। कृषक उपहार कूपन योजना दिनांक 1.1.1998 से प्रारम्भ की गई। इस योजना का उद्देश्य कृषकों को अपनी उपज मण्डी प्रांगणों के माध्यम से विक्रय करने के लिए प्रोत्साहित करना हैं।

(2) वर्ष 2003-04 में राज्य की मण्डी समितियों को मण्डी शुल्क से 160.81 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ। मण्डी शुल्क से प्राप्त राजस्व के अनुपात में वितरण योग्य एवं वास्तव में वितरित कूपन सम्बन्धी जिलेवार विवरण परिशिष्ट "अ" के अनुसार है। प्रश्न के शेष भाग से सम्बन्धित विवरण संलग्न परिशिष्ट "अ" के अनुसार हैं।

(3) जी हां। व्यापक प्रचार-प्रसार के द्वारा कृषकों को कूपन प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित कर योजना को प्रभावी बनाया जाना विचाराधीन है।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

ब्यावर को जिले का दर्जा दिये जाने हेतु गठित आयोग

106. श्री देवीशंकर भूतड़ा (ब्यावर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) नवीन जिले सृजित किए जाने के क्या मानदण्ड निर्धारित किए गये हैं?

(2) क्या यह सही है कि ब्यावर को जिला बनाये जाने हेतु कोई आयोग बनाया गया था? यदि हां, तो उक्त आयोग की रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त आयोग की रिपोर्ट के आधार पर ब्यावर को जिला बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जिले सृजित किये जाने के अधिनियम/नियमों में कोई निश्चित मानदण्ड निर्धारित नहीं हैं, किन्तु जिला सवाईमाधोपुर का पुनर्गठन कर करौली जिला स्थापित करने के प्रस्ताव पर गठित आर.एस. कूमट समिति के अनुसार जिले के गठन हेतु निर्धारित मापदण्डों में भौगोलिक स्थिति, जनसंख्या, वर्तमान में उपलब्ध आधारभूत सुविधाएं, प्रशासनिक संरचना एवं जनता की मांग जैसे मापदण्ड निर्धारित किये गये थे।

(2) जी नहीं।

(3) जी नहीं। न आयोग का गठन किया और ना ही कोई रिपोर्ट प्राप्त हुई।

सवाईमाधोपुर जिले में औद्योगिक विकास हेतु कार्य-योजना

107. श्री अशोक बैरवा (खण्डार) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि रणथम्भोर, सवाईमाधोपुर को राष्ट्रीय उद्यान घोषित किए जाने से सवाईमाधोपुर जिले में नवीन उद्योगों को स्थापित किए जाने में रोक एवं बाधाएं आई हैं? यदि हां, तो राष्ट्रीय उद्यान घोषित किए जाने से लेकर अब तक कौन-कौन से नए उद्योग एवं कारखानों को स्थापित किए जाने की स्वीकृति सरकार द्वारा नहीं दी गई है? सूची वर्षवार सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि दी जयपुर उद्योग लिमिटेड (सीमेंट कारखाना) सवाईमाधोपुर को बन्द किए जाने में राष्ट्रीय उद्यान रणथम्भोर सवाईमाधोपुर भी एक कारण रहा है?

(3) क्या सरकार कल-कारखानों एवं उद्योगविहीन जिला सवाईमाधोपुर में क्षेत्रीय ग्रामीणों. काश्तकारों एवं बेरोजगार नौजवानों के लिए रोजगार सृजित करने के सम्बन्ध में कोई कार्य योजना बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो क्या एवं कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी नहीं। राष्ट्रीय उद्यान रणथम्भोर, सवाईमाधोपुर स्थापित किए जाने से सवाईमाधोपुर जिले में नव उद्योगों को स्थापित किए जाने में कोई रोक एवं बाधाएं नहीं आई है।

(2) जी नहीं।

(3) जिला सवाईमाधोपुर में उद्योग विभाग की वे सभी योजनाएँ चालू हैं, जो राज्य के अन्य जिलों में चल रही हैं। विभाग द्वारा राज्य के सभी जिलों हेतु सभी योजनाओं में लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं, एवं विभाग उन लक्ष्यों की पूर्ति करने की पूर्ण तत्परता बरतता है, जिससे ग्रामीण काश्तकारों एवं बेरोजगार नौजवानों को रोजगार के अवसर प्राप्त होते हैं। रोजगार सृजन में प्रमुखत: लघु उद्योग/आर्टीजन इकाइयों के पंजीयन का लक्ष्य तथा भारत सरकार द्वारा संचालित प्रधानमंत्री रोजगार योजना सम्मिलित है।

कुशलगढ़ की स्वीकृत सड़कें

108. श्री फतेहसिंह (कुशलगढ़) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र कुशलगढ़ में एम.डी.आर.एफ. योजना में कितने कि.मी. सड़क निर्माण स्वीकृत है तथा अब तक इस योजना में कितने कि.मी. सड़क का निर्माण कार्य हुआ एवं शेष सड़क का निर्माण कब तक पूरा कर दिया जावेगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या कलिंजरा से भीलकुंआ व भीलकुंआ से मोनाडूंगर (गुजरात सीमा) तक की सड़क राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में स्वीकृत हुई है? यदि हां, तो क्या उक्त क्षेत्र की सड़क राष्ट्रीय राजमार्ग के अनुरूप बनी हुई है? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार कुशलगढ़ विधान सभा क्षेत्र की भोयणघाटी से वाया बिलड़ी, टिमेडा, कुशलगढ़ सड़क का सुदृढ़ीकरण कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र कुशलगढ़ में एम.डी.आर. संख्या 43 के सी.आर.एफ. योजना में 9.25 किलोमीटर नवीनीकरण का कार्य स्वीकृत था। जो पूर्ण हो चुका है। शेष किलोमीटर का नवीनीकरण वर्तमान में उपलब्ध वित्तीय संसाधनों के तहत करवाया जाना सम्भव नहीं है।

(2) जी हां। कलिंजरा-भीलकुंआ एवं भीलकुंआ से मोनाडूंगर (गुजरात सीमा) तक की सड़क राष्ट्रीय राजमार्ग के अनुरूप नहीं है, सड़क को राष्ट्रीय राजमार्ग के अनुरूप बनाना भारत सरकार के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, नई दिल्ली से प्राप्त स्वीकृति पर निर्भर करता है।

(3) जी हां, इस सड़क की कुल लम्बाई 19 किलोमीटर है जिसमें से 5 किलोमीटर में नवीनीकरण का कार्य करवाया जा चुका है तथा शेष 14 किलोमीटर सड़क का सुदृढ़ीकरण वर्तमान में उपलब्ध वित्तीय संसाधनों के तहत करवाया जाना सम्भव नहीं है।

जयपुर शहर की पेयजल व्यवस्था

109. श्री कालीचरण सर्राफ (जौहरी बाजार) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जयपुर शहर की कितनी जनसंख्या को पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है?

(2) वैज्ञानिक मानकों के अनुसार प्रति व्यक्ति कितने लीटर पानी की आपूर्ति प्रतिदिन होनी चाहिये?

(3) क्या सरकार द्वारा पेयजल की आपूर्ति मानदण्डों के अनुसार की जा रही है? यदि नहीं, तो क्यो?

(4) जयपुर शहर हेतु वर्तमान में कितने पानी की प्रतिदिन आवश्यकता है और कितना पानी उपलब्ध करवाया जा रहा है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विभाग द्वारा वर्तमान में जयपुर शहर की लगभग 22.15 लाख की आबादी (पेयजल व्यवस्था से जुड़ी) को पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है।

(2) भारत सरकार के शहरी विकास मंत्रालय के मानदण्ड के अनुसार मैट्रो एवं बड़े शहरों में जहां पर पाइप लाइन से पेयजल वितरित होता है एवं जहां पर सीवरेज नेटवर्क है, वहां पर 150 लीटर प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन पेयजल उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान है।

(3) जी नहीं। कमी का कारण बढ़ती जनसंख्या के तदनुरूप बढ़ती मांग, पिछले 4 -5 वर्षों से लगातार अपर्याप्त वर्षा व इसके कारण सतही स्त्रोत में जल की कम आवक तथा भू-जल में अपर्याप्त पुनर्भरण है।

(4) जयपुर शहर में वर्तमान में कुल आबादी 26.69 लाख के लिए मानदण्ड अनुसार 4000 लाख लीटर पानी की प्रतिदिन आवश्यकता है। जिसके विरूद्ध 3310 लाख लीटर पानी वर्तमान में उपलब्ध कराया जा रहा है।

प्रश्न संख्या-110

स्थगित

निजी शिक्षण संस्थाओं द्वारा शुल्क वसूली प्रकरण

111. श्री नवरतन राजोरिया (फुलेरा) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि अनेक निजी एवं सरकार से मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं द्वारा उनमें अध्ययनरत छात्रों से शिक्षण शुल्क, विकास शुल्क, पुन: प्रवेश शुल्क व सह-शैक्षणिक गतिविधियों व अनेक अन्य मदों में भारी भरकम शुल्क वसूल करने के साथ-साथ अभिभावकों व कर्मचारियों के शोषण की शिकायतें सरकार को प्राप्त हुई हैं?

(2) क्या सरकार अभिभावकों व उक्त संस्थाओं में कार्यरत शिक्षकों/कर्मचारियों व छात्रों के शोषण की रोकथाम के सम्बन्ध में कोई कदम उठाने का विचार रखती है? यदि हां, तो क्या?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां। इस सम्बन्ध में राजस्थान उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधिपति श्री पी.के. तिवाड़ी की अध्यक्षता में गठित कमेटी द्वारा निजी शिक्षण संस्थाओं द्वारा वसूल की जाने वाली फीस इत्यादि का परीक्षण किया जा रहा है। उक्त समिति से सिफारिश प्राप्त होने पर आवश्यक कानून नियम बनाये जाने की कार्यवाही की जायेगी।

कृषि विपणन बोर्ड में प्राप्त शिकायतें

112. डा. एन. एस. गुर्जर (टोडारायसिंह) : क्या कृषि विपणन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि कृषि विपणन बोर्ड में गत दो वर्षों में कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं? यदि हां, तो किस-किस के विरुद्ध क्या-क्या शिकायतें?

(2) क्या इन शिकायतों की जांच कर कोई कार्यवाही की गई? यदि हां, तो की गई कार्यवाही का विवरण व जांच रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। गत दो वर्षों में राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड में प्राप्त शिकायतों का विवरण परिशिष्ट 'अ' में संलग्न है।

(2) शिकायतों पर की गई कार्यवाही का विवरण संलग्न परिशिष्ट 'अ' में उल्लिखित है।

परिशिष्ट 'अ'

गत दो वर्षों में कृषि विपणन बोर्ड में कार्मिकों के विरूद्ध प्राप्त शिकायतों का विवरण

क्रम संख्या	शिकायत प्राप्ति का दिनांक	शिकायत कर्ता का नाम	शिकायत का विवरण	बोर्ड स्तर पर की गई जांच/ कार्यवाही	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6
1.	113/22.6.2002 पत्रांक बी.पी.विजय, निविदा अनियमितता। करने की चेतावनी दी गई।	श्री बाबूलाल नागर, अध्यक्ष, 251 दिनांक 8.4.04 अति. मुख्य अभियन्ता को भविष्य में सतर्कता से काम	बोर्ड के खण्ड मेड़तासिटी युवा कांग्रेस, सुल्तानपुर द्वारा राज्य सरकार को भिजवाई गई।	प्रकरण की बोर्ड स्तर पर जांच के नागौर पैकेज 03 में श्री	मूल पत्रावली करवाई गई। श्री बी.पी. विजय द्वारा में
2.	13.09.2002	राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड कर्मचारी गण	बोर्ड में श्री रामदेव सिंह, मुख्य विधि सहायक के पद पर षड्यंत्र पूर्वक समायोजन बाबत	प्रकरण प्रक्रियाधीन है।	जांच सम्बन्धित सभी पत्रावलियां दिनांक 19.9.2003 को राज्य सरकार को प्रेषित की गई है।
3.	135/29.10.2002	पवन मंगला ब्यूरो चीफ राष्ट्रीय भ्रष्टाचार निरोधक	श्री बृजलाल जावट, सहायक अभियन्ता, बीकानेर द्वारा	परीक्षण उपरान्त शिकायत निराधार पाई गई।	

1	2	3	4	5	6
		संस्थान, बीकानेर	की गई अनियमितताएं।		
4.	141/08.11.2002	मैं.विश्वकर्मा इंजि. वर्क्स, चूरू माध्यम विशेषाधिकारी, मुख्य मंत्री सचिवालय, जयपुर	बोर्ड के अधीक्षण अभियन्ता, जयपुर द्वारा फर्म को काम देने में निष्पक्षता	परीक्षण उपरान्त शिकायत निराधार पाई गई।	बोर्ड के पत्रांक 16919 दिनांक 25.01.2003 द्वारा विशेषाधिकारी, मुख्यमंत्री सचिवालय को प्रेषित की गई।
5.	151/20.12.2002	शफी मोहम्मद कुरेशी, महामंत्री राजस्थान प्रदेश, युवक कांग्रेस (आई.) जयपुर	श्री एन. के. शर्मा, अधीक्षण अभियन्ता, जयपुर द्वारा 50 हजार रुपये की रिश्वत मांगने बाबत।	परीक्षण उपरान्त शिकायत निराधार पाई गई।	बोर्ड के पत्रांक 19285 दिनांक 07.03.2003 द्वारा विशेषाधिकारी, मुख्यमंत्री सचिवालय जयपुर को सूचित किया गया।
6.	158/10.01.2003	श्री रामकिशन वर्मा, तत्कालीन मंत्रि, कृषि विपणन, राज.	श्री आर.के. विजय, अधिशाषी अभियन्ता, जयपुर (द्वितीय) द्वारा रिकार्ड में हेराफेरी कर संवेदक को कपटपूर्वक भुगतान	परीक्षण उपरान्त शिकायत निराधार पाई गई।	बोर्ड के पत्रांक 16333 दिनांक 21.01.2003 द्वारा राज्य सरकार को सूचित कर दिया गया।
7.	6/13.01.2003	श्री राधेश्याम शर्मा, विशेष	श्री आर.पी. चौधरी, अधीक्षण	श्री चौधरी लम्बे समय से	लोकायुक्त सचिवालय

1	2	3	4	5	6
		संवाददाता, नेशनल प्रेस इण्डिया, जयपुर	अभियन्ता के काले कारनामों की जांच बाबत।	जयपुर में पदस्थापित रहे हैं। शेष शिकायत में दर्शाये गये बिन्दु निराधार होना पाया गया।	को पत्र दिनांक 19.05.2003 द्वारा वस्तुस्थिति की तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रेषित की गई।
8.	159/16.1.2003	श्री हनुमान सिंह, संवेदक, जोधपुर	श्री भीम सिंह टॉक, अधिशाषी अभियन्ता, सुमेरपुर द्वारा कार्यालय भवन सुमेरपुर के निर्माण में अधिक भुगतान।	बोर्ड स्तर पर प्रकरण विचाराधीन है।	
9.	161/17.01.2003	नरेन्द्र कुमार, व्यापारी मण्डी समिति झालरापाटन माध्यम उप शासन सचिव, कृषि (ग्रुप-2) विभाग, राज. जयपुर	झालावाड़ मण्डी समिति के निर्माण में श्री नाहर सिंह मीणा, सहायक अभियन्ता द्वारा अनियमितता तथा जांच में दोषी पाये जाने पर भी अधिशाषी अभियन्ता, चित्तौड़गढ़ के पद पर स्थापित।	जांच उपरान्त कोई गम्भीर आरोप नहीं होने के कारण अधिशाषी अभियन्ता, चित्तौड़गढ़ के पद पर पदस्थापित किया गया।	बोर्ड के पत्रांक 17436 दिनांक 4.2.2003 द्वारा राज्य सरकार को सूचित किया गया।
10.	164/23.01.2003	मण्डी दलाल व मजदूर संघ	मण्डोर मण्डी की निविदाओं	परीक्षण उपरान्त निविदा	

1	2	3	4	5	6
		मण्डोर मण्डी पहाड़गंज (जोधपुर)	में श्री पी.आर. सांखला, अधिशाषी अभियन्ता द्वारा अनियमितता	निरस्त की गई एवं सम्बन्धित अभियन्ताओं को चेतावनी दी गई।	
11.	165/27.10.2003	श्री मनमोहन भाई, संवेदक, सीकर	श्री बी.पी. विजय, अति. मुख्य अभियन्ता द्वारा मण्डी यार्ड कूकरखेड़ा के आंतरिक सड़क निर्माण में सरफेस ड्रेसिंग के आईटम को अपने स्तर पर बदलकर अनियमित कार्यवाही।	जांच उपरान्त कार्य निरस्त किया तथा श्री विजय को अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर कार्य करने के क्रम में चेतावनी दी।	राज्य सरकार को पत्रांक 3515दिनांक 29.05.2003 द्वारा रिपोर्ट प्रेषित की गई।
12.	174/25.02.2003	श्री अख्तर हुसैन. पार्षद, नगरपालिका, मेड़तासिटी	अधिशाषी अभियन्ता श्री सायरसिंह शेखावत द्वारा परेशान एवं निविदा में भाग नहीं लेने देना।	शिकायत कर्ता द्वारा स्वयं शिकायत वापिस ले ली गई बोर्ड स्तर पर भी परीक्षण में कोई अनियमितता नहीं पाई गई।	
13.	182/28.04.2003	श्री सत्यनारायण कांग्रेस कार्यकर्ता, माध्यम उप	अधीक्षण अभियन्ता श्री एन.के. शर्मा द्वारा वृत्त	कोटा के प्रकरण की जांच पूर्ण हो चुकी है, जिसमें श्री शर्मा	

1	2	3	4	5	6
		शासन सचिव, कृषि (ग्रुप-2) विभाग, राज. सरकार भामाशाह मण्डी कोटा केकार्य में अनियिमतता।	हनुमानगढ़ की निविदा में अनियमितता एवं विचाराधीन है।	दोषी नहीं पाये गये। जबकि वृत्त हनुमानगढ़ की जांच विचाराधीन है।	
14.	185/13.05.2003	श्री रमेश चन्द्र जोधपुर	श्री भीम सिंह टॉक. अधिशासी अभियन्ता द्वारा बड़ली तथा भिमाणा से उपरला भिमाणा कार्य में अनियमितता।	जांच उपरान्त प्रकरण निराधार पाया गया।	
15.	186/16.05.2003	श्री बी.एल. वर्मा, सम्पादक, कामधेनु, जयपुर	बोर्ड के मुख्य अभियन्ता, जे.पी. मदान द्वारा निर्माण कार्य भीलवाड़ा के निरीक्षण कार्यों में अनियमितता।	परीक्षण उपरान्त प्रकरण निराधार पाया गया।	
16.	189/04.06.2003	मैं. सरदार पटेल एण्ड कम्पनी, पोस्ट राजोद (नागौर) माध्यम	स.स. अलतवा से मिध्यान बरनेल एवं मण्डी समिति जन अभियोग् निराकरण विभाग, राज.	परीक्षण उपरान्त शिकायत निराधार पाइर् गइ। कुचामन के आंतरिक निर्माण में अधिशाषी अभियन्ता मेड़तासिटी व	

1	2	3	4	5	6
				अधीक्षण अभियन्ता, अजमेर द्वारा संवेदक के फाईनल बिल के भुगतान में बदनीयति से कटौती बाबत।	
17.	196/12.11.2003	यूनाइटेड ट्रेडर्स मालवीय नगर, जयपुर	कृषि उपज मण्डी समिति, सूरजपोल में कूकरखेड़ा कार्य की एस.डी. को बोर्ड के स.अ. श्री सुरेन्द्र सिंह व क.अ. श्री दिनेश यादव द्वारा निर्माण कार्य पूर्ण होने पर भी नहीं लौटाने बाबत।	परीक्षण उपरान्त पाया कि निर्माण कार्य में तकनीकी कमियों की वजह से एस.डी.राशि संवेदक को नहीं लौटाई गई तथा संवेदक द्वारा बाद में इस आधार पर अपनी मूल शिकायत वापिस ले ली।	
18.	195/11.11.2003	श्री अमीचन्द	श्री भीम सिंह द्वारा खंडीय अभियन्ता अजमेर में पदस्थापन के दौरान स. स. बडली से गनाखेडी लामगरा से गना मंडी समिति विजयनगर के कार्यों में	जांच उपरान्त शिकायत निराधार पाई गई।	

1	2	3	4	5	6
			अनियमितता।		
19.	146/29.11.2003	रामकिशन (बेनामी)	श्री रमेश चन्द सरवानी, लेखाकार द्वारा अनैतिक आचरण द्वारा आय से अधिक सम्पति अर्जित करने बाबत।	परीक्षण उपरान्त शिकायत निराधार पाई गई।	
20.	199/9.12.2003	श्री अशोक कुमार विनोबा बस्ती, गंगानगर एवं गीतक्रमेशन (संवेदक) माध्यम लोकायुक्त राजस्थान।	विशेष मरम्मत कार्य अधीक्षण अभियन्ता हनुमानगढ़ एवं अधिशासी अभियन्ता गंगानगर द्वारा अधिक दर पर पूल बना कर संवेदकों को आबंटित करना।	परीक्षण उपरान्त शिकायत निराधार पाई गई।	लोकायुक्त सिचवालय को बोर्ड के पत्रांक 2276 दिनांक 8.6.2004 द्वारा रिपोर्ट प्रेषित कर दी गई।
21.	07.02.2004	श्री नवरतन राजोरिया, विधायक विधान सभा क्षेत्र फुलेरा	श्री आर.पी. गुप्ता, सहायक अभियन्ता, उपखण्ड दूदू एवं राजीव गुप्ता, कनिष्ठ अभियन्ता, फुलेरा किसानों के साथ भेदभावपूर्ण कार्य कर एक वर्ग विशेष को बढ़ावा देकर राजनैतिक गतिविधियों	प्रकरण विचाराधीन है।	

1	2	3	4	5	6
			में लिप्त होकर क्षेत्र में अराजकता फैला रहे हैं। अत: विधायक ने इन्हें तुरन्त फुलेरा विधान सभा क्षेत्र से कहीं अन्यत्र पदस्थापित करने का अनुरोध किया था।		
22.	205/11.2.2004	सलीम भारतीय राजीव बिग्रेड फोर्स कोटा	सुल्तानपुर कोटा के निर्माण कार्यों में बोर्ड के स.अ. श्री सतीश चन्द शर्मा तथा क.अ. श्री शिवभूषण शर्मा द्वारा ठेकेदार से मिलकर घटिया निर्माण से लाखों का नुकसान	प्रकरण विचाराधीन है।	
23.	208/13.3.2004	माणक कं. कम्पनी बिलाडा. जोधपुर	अधिशासी अभियंता द्वितीय द्वारा विशेष मरम्मत कार्य पाली सोजत पैकेज 01 के कार्य में रूकावट।	प्रकरण विचाराधीन है।	
24.	24.03.2004	श्री सुरेन्द्र गोयल. विधायक.	श्री आकाश चन्द मेहता.	प्रकरण विचाराधीन	

1	2	3	4	5	6
		विधान सभा क्षेत्र, जैतारण	अधिशासी अभियन्ता. खण्ड जोधपुर (द्वितीय) के विरूद्ध उनके द्वारा श्री सुन्दर नारायण माथुर सहायक अभियन्ता. उपखण्ड पाली के साथ अभद्र व्यवहार, गाली गालोच एवं मारपीट करने के मामले में श्री मेहता का स्थानान्तरण फील्ड पोस्टिंग से हटाकर अन्यत्र करने बाबत।	है।	
25.	209/19.4.2004	ब्रजराज जौदौन संवेदक, गंगापुरसिटी	आर.यू.पी. पैकेज 04 के भुगतान करने हेतु श्री आर.पी. चौधरी अधीक्षण अभियंता द्वारा 50.000/- रुपये की मांग करना।	प्रकरण विचाराधीन है।	
26.	212/15.5.2004	निदेशक, कृषि विपणन विभाग, राजस्थान	खण्डीय कार्यालय कोटा द्वारा मण्डी याई कोटा के	प्रकरण विचाराधीन है।	

1	2	3	4	5	6
			निर्माणाधीन कार्यों में गम्भीर वित्तीय अनियमितता।		
27.	215/14.6.2004	श्री इन्द्र मोहन हनी, देहात युवक कांग्रेस, कोटा	अधिशासी अभियन्ता श्री आर.के. माथुर कोटा के भ्रष्ट कार्य कलापों की जांच के क्रम में	परीक्षण उपरान्त शिकायत निराधार पाई गई।	
28.	06/18.06.2004	श्री भंवरलाल वर्मा, संवाददाता कामधेनू, जयपुर	श्री आर.पी. चौधरी, अधीक्षण अभियन्ता की	प्रकरण प्रक्रियाधीन है।	

नागौर जिले की कृषि भूमि पर अतिक्रमणों का नियमन

113. श्री रिछपाल सिंह मिर्धा (डेगाना) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि जिला नागौर में किसानों द्वारा कृषि भूमि पर किये गये अतिक्रमणों का नियमन करने हेतु जून, 2003 में शिविर आयोजित किये गये थे? यदि हां, तो कहां-कहां एवं उनकी क्या प्रगति रही? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उसी क्रम को जारी रखते हुए अतिक्रमणों को नियमित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी नहीं। माह जून, 2003 में कृषि भूमि पर अतिक्रमण नियमन से सम्बन्धित शिविरों का आयोजन नहीं किया गया था।

(2) जी नहीं। नागौर जिले में ऐसे कम ही प्रकरण शेष हैं जिनका निस्तारण कृषि भूमि पर अतिक्रमण को नियमन करने सम्बन्धी राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 के तहत निर्मित कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आबंटन नियम 1970 के अन्तर्गत सक्षम अधिकारी द्वारा किया जा सकता है।

किशनगंज के सड़कविहीन ग्राम पंचायत मुख्यालय

114. श्री हेमराज मीणा (किशनगंज) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र किशनगंज (बारां) में पिछले पांच वर्षों में नवीन सड़कों का निर्माण हुआ है? यदि हां, तो किस-किस गांव में कितनी-कितनी लम्बाई की सड़कों का निर्माण हुआ? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार अब उक्त विधान सभा क्षेत्र में नवीन सड़कों का निर्माण करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

(3) क्या यह सही है कि जिला बारां के बहुत से ग्राम पंचायत मुख्यालय डामर सड़क से जुड़े हुये नहीं हैं? यदि हां, तो कौन-कौन से? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) सरकार उक्त ग्राम पंचायत मुख्यालयों को अब कब तक डामर सड़क से जोड़ने का विचार रखती है?

उत्तर

(1) जी हां। विधान सभा क्षेत्र किशनगंज (बारां) में पिछले पांच वर्षों में नवीन सड़कों का निर्माण कार्य हुआ है निर्मित सड़क एवं लम्बाई का विवरण प्रपत्र ''अ'' पर संलग्न है।

(2) जी हां। विधान सभा क्षेत्र किशनगंज (बारां) में 14 नवीन सड़कों का कार्य प्रगति पर है जो प्रपत्र ''ब'' पर संलग्न है। अन्य नवीन सड़कों का निर्माण राज्य सरकार के पास उपलब्ध वित्तीय संसाधनों पर निर्भर करेगा। वर्तमान में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत 500 से अधिक जनसंख्या वाले गांवों को बारहमासी नवीन सड़क से वर्ष 2007 तक जोड़े जाने का लक्ष्य है।

(3) जी हां। यह सही है कि जिला बारां में 28 ग्राम पंचायत मुख्यालय अभी तक डामर सड़क से नहीं जुड़े हुये है। सभी 28 ग्राम पंचायत मुख्यालयों का विवरण प्रपत्र ''स'' पर संलग्न है।

(4) उक्त 28 ग्राम पंचायत मुख्यालय में से 6 ग्राम पंचायत मुख्यालयों को वर्तमान में डामर सड़क से जोड़ने का कार्य प्रगति पर है। 3 ग्राम पंचायत मुख्यालय प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत स्वीकृत है। शेष 19 में से 18 ग्राम पंचायत मुख्यालयों को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में वर्ष 2007 तक डामर सड़क से जोड़ने का लक्ष्य है। एक पंचायत मुख्यालय बादीपुरा की आबादी 364 है, जिसको डामर सड़क से जोड़ा जाना राज्य सरकार के पास उपलब्ध वित्तीय संसाधनों पर निर्भर करेगा। विवरण प्रपत्र ''ब'' पर संलग्न है।

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

प्रपत्र "अ"

विधान सभा क्षेत्र किशनगंज (बारां) में गत पांच वर्षों में निर्मित सड़कों का विवरण

क्रम संख्या	कार्य का नाम	स्वीकृत लागत (लाखों में)	स्वीकृत लम्बाई (किलोमीटर में)	योजना का नाम
1	2	3	4	5
1.	लक्ष्मीपुरा से खंड़ेला	70.78	7.0	नाबार्ड़
2.	सम्पर्क सड़क बिलासगढ़	51.54	6.0	नाबार्ड़
3.	सम्पर्क सड़क करवरीकलां	41.68	5.0	नाबार्ड़
4.	बालाचार से खटका	49.00	7.0	नाबार्ड़
5.	किशनगंज से बजरंगगढ़	97.69	14.0	नाबार्ड़
6.	रामगढ़ से स्टेट बार्डर वाया कालापट्टा	15.30	5.5	एम.एन.पी.
7.	नाहरगढ़ से बालापुरा	10.00	3.0	एम.एन.पी.
8.	देवरी से भोयल	21.42	3.00	नाबार्ड़
9.	बालाखेड़ा से कागला बमौरी	53.66	3.80	पीएमजीएसवाई
10.	बजरंगगढ़ से कूंड़ी	75.54	5.80	पीएमजीएसवाई
11.	सम्पर्क सड़क पगारा	43.67	2.10	पीएमजीएसवाई
12.	सम्पर्क सड़क पींजना	52.02	3.50	पीएमजीएसवाई
13.	सम्पर्क सड़क सोड़ाना	25.80	1.95	पीएमजीएसवाई
14.	समरानिया से नारायणखेड़ा	62.91	4.5	पीएमजीएसवाई

प्रपत्र 'ब'

विधान सभा क्षेत्र किशनगंज बारां में प्रगतिरत सड़कों का विवरण

क्रम संख्या	कार्य का नाम	स्वीकृति लागत (लाखों)	स्वीकृत लम्बाई (कि.मी.)	योजना का नाम	विशेष विवरण	कार्य पूर्ण होने की सम्भावित तिथि
1	2	3	4	5	6	7
1.	लक्ष्मीपुरा से जैसखों	24.42	2.60	पीएमजीएसवाई	कार्य प्रगति पर	31.12.2004
2.	सम्पर्क सड़क खैरूना	33.79	2.20	पीएमजीएसवाई	कार्य प्रगति पर	31.12.2004
3.	करवरीकलां से करवरी खुर्द	52.22	2.45	पीएमजीएसवाई	कार्य प्रगति पर	31.12.2004
4.	रेनवाल से करवरीकला से मोग्रदा	30.95	2.00	पीएमजीएसवाई	कार्य प्रगति पर	31.12.2004
5.	किशनगंज रामगढ़ सड़क से छत्रपुरा	27.31	2.10	पीएमजीएसवाई	सी.डी. वर्क्स का	31.3.2005
6.	सम्पर्क सड़क हाटड़ी	48.83	4.00	पीएमजीएसवाई	कार्य प्रगति पर	31.10.2004
7.	समरानिया से अजरौडा	24.66	0.00	पीएमजीएसवाई	कार्य प्रगति पर	31.10.2004
8.	देवरी से चौराखेड़ी	216.58	15.00	पीएमजीएसवाई	कार्य प्रगति पर	31.3.2005
9.	कचियाथाना से ओगार	63.81	4.50	पीएमजीएसवाई	कार्य प्रगति पर	31.12.2004

1	2	3	4	5	6	7
10.	नारायणखेड़ा से सिरसोदखुर्द	74.18	5.50	पीएमजीएसवाई	कार्य प्रगति पर	31.12.2004
11.	राजपुर से किराड़पहाड़ी	21.57	1.20	पीएमजीएसवाई	कार्य प्रगति पर	31.10.2004
12.	मिसिंगलिंक रामगढ़ से मांगरोल रोड़	200.85	13.00	मिसिंग लिंक	कार्य प्रगति पर	31.10.2004
13.	आगर से संदोकड़ा	186.86	6.00	पीएमजीएसवाई	कार्य प्रगति पर	17.3.2005
14.	करबाथाना से मझोला	114.76	4.85	पीएमजीएसवाई	कार्य प्रगति पर	17.3.2005

प्रपत्र "स"

जिला बारां में डामर सड़क से नहीं जुड़े हुए ग्राम पंचायती मुख्यालयों की सूची

क्रम संख्या	पंचायत मुख्यालय का नाम	जनसंख्या (1991)	जनसंख्या (2001)	विवरण
1	2	3	4	5
1.	बमुलियामाताजी	1218	1467	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत स्वीकृत
2.	महुआ	1176	1417	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत स्वीकृत
3.	हिंगोनियां	716	863	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में वर्ष 2007 तक जोड़े जाने का लक्ष्य है।
4.	पलसालां	706	851	मिसिंग लिंक योजना के तहत कार्य प्रगति पर
5.	अमलसरा	677	816	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में वर्ष 2007 तक जोड़े जाने का लक्ष्य है।
6.	नियाना	599	722	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में वर्ष 2007 तक जोड़े जाने का लक्ष्य है।
7.	रटावद	899	1146	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में वर्ष 2007 तक जोड़े जाने का लक्ष्य है।
8.	चरड़ाना	593	701	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में वर्ष 2007 तक जोड़े जाने का लक्ष्य है।
9.	दड़ा	608	719	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में वर्ष 2007 तक जोड़े जाने का लक्ष्य है।
10.	कड़ियाहाट	579	706	मिसिंग लिंक योजना के तहत कार्य प्रगति पर
11.	कड़िया नोहर	1462	1782	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत स्वीकृत

1	2	3	4	5
12.	तेलनी	899	1096	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत सड़क निर्माण कार्य प्रगति पर है।
13.	मूंडक्या	862	1051	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत सड़क निर्माण कार्य प्रगति पर है।
14.	धाटाखेड़ी	860	1046	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत सड़क निर्माण कार्य प्रगति पर है।
15.	संदोकडा	643	784	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत निर्माण कार्य प्रगति पर है।
16.	कुंभाखेडी	679	846	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में वर्ष 2007 तक जोड़े जाने का लक्ष्य है।
17.	सिमलोद	702	876	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में वर्ष 2007 तक जोड़े जाने का लक्ष्य है।
18.	बृजनगर	618	771	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में वर्ष 2007 तक जोड़े जाने का लक्ष्य है।
19.	सुवास	500	624	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में वर्ष 2007 तक जोड़े जाने का लक्ष्य है।
20.	रूंदोकडा	688	896	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत निर्माण कार्य प्रगति पर है।
21.	बिछी	588	766	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में वर्ष 2007 तक जोड़े जाने का लक्ष्य है।
22.	सनवाडा	552	719	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में वर्ष 2007 तक जोड़े जाने का लक्ष्य है।
23.	भीलखेडा डांग	504	656	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में वर्ष 2007 तक जोड़े जाने का लक्ष्य है।
24.	गणेशपुरा	493	642	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में वर्ष 2007 तक जोड़े जाने का लक्ष्य है।
25.	जारेला	443	534	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में वर्ष 2007 तक जोड़े जाने का लक्ष्य है।

1	2	3	4	5
26.	रामपुरियाटोडिया	451	563	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में वर्ष 2007 तक जोड़े जाने का लक्ष्य है।
27.	खांखरा (गणेशपुरा)	463	578	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में वर्ष 2007 तक जोड़े जाने का लक्ष्य है।
28.	बादीपुरा	292	364	वर्तमान में कोई स्वीकृति नहीं है।

जवाहर लाल नेहरू एवं जनाना अस्पताल (अजमेर) में रिक्त पद

115. श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर-पूर्व) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जिला अजमेर में जवाहर लाल नेहरू चिकित्सालय और जनाना अस्पताल में प्रोफेसर, रीडर एवं लेक्चरार के कितने पद स्वीकृत हैं? विभागवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त चिकित्सालयों में काफी पद रिक्त हैं? यदि हां, तो कितने व कब से? विभागवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार रिक्त पदों पर नियुक्ति करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) स्वीकृत पदों का विभागवार विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है (परिशिष्ट-1)।

(2) जी हां। विभागवार रिक्त पदों का विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है (परिशिष्ट-2)।

(3) जी हां। जिन पदों को पदोन्नति से भरा जाना है, उन्हें भरने के लिए विभागीय पदोन्नति समिति की बैठकें यथाशीघ्र आयोजित करवाएं जाने की कार्यवाही लगातार की जा रही है तथा सीधी भर्ती से भरे जाने वाले रिक्त पदों हेतु चयन की कार्यवाही राजस्थान लोक सेवा आयोग से तत्परता से करवाएं जाने के प्रयास किए जा रहे है।

परिशिष्ट-1

विभाग का नाम	आचार्य	सह आचार्य	सहायक आचार्य
1	2	3	4
जवाहर लाल नेहरू, अस्पताल, अजमेर			
मेडिसिन	3	4	8
सर्जरी	2	3	8
ई.एन.टी.	1	1	2
कार्डियोलोजी	1	1	2
रेडियोथैरेपी	1	1	2
शिशु रोग	1	1	3
मानसिक रोग	1	1	2
फोरेंसिंक मेडिसिन	1	1	1
एनेस्थेसिया	1	2	9
नेत्र रोग	1	2	4
चर्म एवं रति रोग	1	1	2
ओर्थोपेडिक	1	1	4
टी.बी. एण्ड चेस्ट	1	1	2
रेडियोडायग्नोसिस	1	1	5
दन्त रोग	-	1	1
यूरोलोजी	-	-	1
न्यूरो सर्जरी	-	-	1
प्लास्टिक सर्जरी	-	-	1
शिशु सर्जरी	-	-	1
एनाटोमी	1	2	3
फिजियोलोजी	1	1	3+1 बायोफिजिक्स

1	2	3	4
बायोकेमिस्ट्री	1	2	2
पैथोलोजी	1	3	3
माइक्रोबायोलोजी	1	2	2
फार्माकोलोजी	1	2	2
पी. एस. एम.	1	1	3
जनाना अस्पताल, अजमेर			
प्रसूति एवं स्त्री रोग विभाग	3	1	6
योग	**27**	**36**	**84**

परिशिष्ट-2

विभाग का नाम	पद का नाम	रिक्त पदों की संख्या	दिनांक जब से पद रिक्त है
1	2	3	4
जवाहर लाल नेहरू, अस्पताल, अजमेर			
मेडिसिन	आचार्य	2	01.04.2004. 01.05.2004
	सह आचार्य	2	09.09.2003, 09.12.2003
	सहायक आचार्य	3	07.11.2000, 16.03.2001 एवं 24.03.2001
पी. एस. एम.	आचार्य	1	01.05.2004
	सहायक आचार्य	1	26.05.2001
पैथोलोजी	आचार्य	1	01.02.2004
	सह आचार्य	2	17.08.2000. 25.04.2003
माइक्रोबायोलोजी	सह आचार्य	2	19.04.2003. 28.01.2004
कार्डियोलोजी	सह आचार्य	1	01.04.2003
	सहायक आचार्य	2	15.02.1996. 18.08.2001

1	2	3	4
रेडियोडायग्नोसिस	सह आचार्य	1	30.09.2003
	सहायक आचार्य	3	25.07.2000, 19.06.2001 एवं 16.02.2001
रेडियोथैरेपी	सह आचार्य	1	17.08.2000
	सहायक आचार्य	1	15.03.2001
नेत्र रोग	सह आचार्य	1	21.04.2002
	सहायक आचार्य	2	23.01.1997, 26.02.1997
सर्जरी	सहायक आचार्य	3	01.03.2004(2), 08.03.2004
फिजियोलोजी	सहायक आचार्य	1	19.06.2001
	सहायक आचार्य, बायोफिजिक्स	1	19.04.1995
अस्थि रोग	सहायक आचार्य	2	09.12.1999, 17.09.2001
एनेस्थेसिया	सहायक आचार्य	2	10.04.2001, 28.03.2002
दन्त चिकित्सा	सहायक आचार्य	1	30.06.1999
शिशु सर्जरी	सहायक आचार्य	1	31.01.2003
चर्म एवं रति रोग	सहायक आचार्य	1	06.05.2003
एनाटोमी	सहायक आचार्य	1	19.04.2000
जनाना अस्पताल, अजमेर			
प्रसूति एवं स्त्री रोग	आचार्य	1	06.08.2003
	सहायक आचार्य	1	08.01.2004
योग		41	

लोक जुम्बिश परिषद्, जयपुर द्वारा आयोजित साक्षात्कार

116. श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि लोक जुम्बिश परिषद्, जयपुर द्वारा माह नवम्बर, 2001 में विभिन्न पदों पर भर्ती के लिये साक्षात्कार आयोजित किये गये थे? यदि हां, तो किन -किन पदों के लिए कितनी-कितनी रिक्तियां थी?

(2) उक्त साक्षात्कार में कुल कितने अभ्यर्थी उपस्थित हुये? उपस्थित अभ्यर्थियों में से कितने अभ्यर्थियों का चयन किया गया? चयनित अभ्यर्थियों में से कितने अभ्यर्थियों को परिषद् द्वारा नियुक्तियां दी गई? शेष अभ्यर्थियों की नियुक्तियों के सम्बन्ध में सरकार क्या विचार रखती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। लोक जुम्बिश परिषद द्वारा माह नवम्बर 2001 में लोक जुम्बिशीय 13 जिला मुख्यालयों पर विभिन्न पदों हेतु साक्षात्कार आयोजित किये गये थे। विवरण परिशिष्ट-क पर संलग्न है।

(2) उक्त साक्षात्कार में लगभग 4300 अभ्यर्थी उपस्थित हुए इनमें से 2264 अभ्यर्थियों का चयन किया गया। चयनित अभ्यर्थियों में से 1332 को परिषद द्वारा नियुक्तियां दी गई। लोक जुम्बिश परियोजना का कार्यकाल 30 जून, 2004 को समाप्त हो गया है। अत: शेष अभ्यर्थियों को परियोजना के अन्तर्गत नियुक्तियां दिया जाना सम्भव नहीं है।

परिशिष्ट-क

दिनांक 8, 9 व 10 नवम्बर, 2001 को विभिन्न रिक्त पदों हेतु साक्षात्कार लिये गये :-

क्रम संख्या	पद नाम	संख्या
1.	सहायक परियोजना समन्वयक (भवन)	11
2.	सहायक परियोजना अधिकारी (भवन)	54
3.	संयुक्ता	49
4.	सहायक लेखाधिकारी	08
5.	लेखाकार	90
6.	आशुलिपिक	09
7.	संकुल प्रभारी	262
8.	संकुल सहयोगी	359
9.	विस्तार केन्द्र प्रभारी	345
10.	प्रशिक्षिका	351
	कुल योग	1538

नावां (नागौर) के पशु चिकित्सालय का क्रमोन्नयन

117. श्री हरीश चन्द्र कुमावत (नावां) : क्या पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जिला नागौर में किस-किस स्थान पर पशु चिकित्सालय, संचालित हैं इनमें किस-किस स्थान पर पशु चिकित्सक का पद कब से रिक्त है? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) पशु चिकित्सकों के रिक्त पदों को भरने के लिये सरकार ने कब-कब क्या-क्या प्रयत्न किये? अब उन स्थानों पर नई भर्ती कर सभी स्थानों पर कब तक पशु चिकित्सक लगा दिये जायेंगे? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उपखण्ड मुख्यालयों पर पशु चिकित्सालय की श्रेणी का निर्धारण किया हुआ है? यदि हां, तो आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(4) नागौर जिले के पशु चिकित्सालयों में कौन-कौन से पद सृजित हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(5) जिला नागौर के पशु चिकित्सालयों के लिए बजट प्रावधान के अनुसार प्रत्येक चिकित्सालय पर कितनी-कितनी राशि प्रति वर्ष व्यय होती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(6) क्या नावां (नागौर) उपखण्ड मुख्यालय का पशु चिकित्सालय प्रथम श्रेणी के चिकित्सालयों में क्रमोन्नत होने की पात्रता रखता है? यदि हां. तो इसे कब तक क्रमोन्नत कर दिया जायेगा?

उत्तर

(1) पशु चिकित्सालयों के स्थान. उनमें पशु चिकित्सकों के पद, कब से रिक्त हैं की सूची (परिशिष्ट ''क'') सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) 150 पशु चिकित्सकों को संविदा पर रखा गया है व 150 पशु चिकित्सकों के रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु राजस्थान लोक सेवा आयोग को भी लिख दिया गया है।

(3) जी नहीं। उपखण्ड मुख्यालय पर प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय स्थापित करने के मापदण्ड निर्धारित नहीं हैं।

(4) नागौर जिले के पशु चिकित्सालयों में सृजित पदों की सूची (परिशिष्ट ''ख'') सदन की मेज पर रख दी गई है।

(पशुपालन मंत्री)

(5) बजट का आबंटन पशु चिकित्सा संस्थावार नहीं किया जाता है। प्रति पशु चिकित्सालय पर प्रतिवर्ष औसत 4 लाख रुपये के लगभग खर्च होते हैं।

(6) वर्तमान में उपखण्ड मुख्यालयों पर स्थित पशु चिकित्सालयों को प्रथम श्रेणी में क्रमोन्नत करने का कोई मापदण्ड निर्धारित नहीं है।

परिशिष्ट-''क''

जिला नागौर के पशु चिकित्सालयों एवं पशु चिकित्सकों के रिक्त पदों का विवरण

क्रम संख्या	संस्था का नाम	पशु चिकित्सक का रिक्त पद
1	2	3
1.	पशु चिकित्सालय, नागौर (प्रथम श्रेणी)	-
2.	पशु चिकित्सालय, खींवसर (प्रथम श्रेणी)	-
3.	पशु चिकित्सालय, जायल (प्रथम श्रेणी)	-
4.	पशु चिकित्सालय, डेगाना (प्रथम श्रेणी)	-
5.	पशु चिकित्सालय, मेड़तासिटी (प्रथम श्रेणी)	-
6.	पशु चिकित्सालय, अलाय	रिक्त (7/2002)
7.	पशु चिकित्सालय, श्रीबालाजी	-
8.	पशु चिकित्सालय, गुढा भगवानदास	-
9.	पशु चिकित्सालय, कुचेरा	-
10.	पशु चिकित्सालय, पांचौड़ी	रिक्त (7/2002)
11.	पशु चिकित्सालय, खजवाना	रिक्त (7/2002)
12.	पशु चिकित्सालय, मूण्डवा	-
13.	पशु चिकित्सालय, बासनी	-
14.	पशु चिकित्सालय, रेण	-
15.	पशु चिकित्सालय, गोटन	रिक्त (2/2002)
16.	पशु चिकित्सालय, रियाबड़ी	रिक्त (4/99)
17.	पशु चिकित्सालय, थावला	-
18.	पशु चिकित्सालय, ईडवा	रिक्त (3/2000)

1	2	3
19.	पशु चिकित्सालय. सांजू	-
20.	पशु चिकित्सालय, हरसौर	रिक्त (12/1999)
21.	पशु चिकित्सालय, आलनियावास	-
22.	पशु चिकित्सालय, खुड़ीकला	-
23.	पशु चिकित्सालय, पालड़ीकला	-
24.	पशु चिकित्सालय, पून्दलौता	रिक्त (12/1999)
25.	पशु चिकित्सालय, बड़ी खाटू	रिक्त (2/2000)
26.	पशु चिकित्सालय, डेह	रिक्त (6/2000)
27.	पशु चिकित्सालय. बिरलौका	रिक्त (12/1998)
28.	पशु चिकित्सालय, जसनगर	-
29.	पशु चिकित्सालय, संखवास	रिक्त (7/2000)
30.	पशु चिकित्सालय, मेड़ता रोड	-
31.	पशु चिकित्सालय, गंगरानी	रिक्त (2/2003)
32.	पशु चिकित्सालय, भैरून्दा	-
33.	पशु चिकित्सालय, पादूकलां	रिक्त (7/2000)
34.	पशु चिकित्सालय, कठौती	रिक्त (8/2001)
35.	पशु चिकित्सालय, कडलू	-
36.	पशु चिकित्सालय, कुचामनसिटी (प्रथम श्रेणी)	-
37.	पशु चिकित्सालय, डीडवाना (प्रथम श्रेणी)	-
38.	पशु चिकित्सालय. लाडनूं (प्रथम श्रेणी)	-
39.	पशु चिकित्सालय, मकराना (प्रथम श्रेणी)	-
40.	पशु चिकित्सालय, परबतसर (प्रथम श्रेणी)	-
41.	पशु चिकित्सालय, नावां	-
42.	पशु चिकित्सालय, मारोठ	रिक्त (1/2000)
43.	पशु चिकित्सालय. लौहराना	-
44.	पशु चिकित्सालय, मिठड़ी (नावां)	-
45.	पशु चिकित्सालय, मीण्डा	-

1	2	3
46.	पशु चिकित्सालय, जिलिया	-
47.	पशु चिकित्सालय, पांचवा	-
48.	पशु चिकित्सालय, कुकनवाली	रिक्त (9/2002)
49.	पशु चिकित्सालय, निमोद	-
50.	पशु चिकित्सालय, मौलासर	-
51.	पशु चिकित्सालय, लादड़िया	-
52.	पशु चिकित्सालय, खुनखुना	-
53.	पशु चिकित्सालय, छोटीखांटू	-
54.	पशु चिकित्सालय, मिठड़ी (लाडनूं)	-
55.	पशु चिकित्सालय, रोडू	-
56.	पशु चिकित्सालय, निम्बीजोधा	रिक्त (7/2002)
57.	पशु चिकित्सालय, सिलनवाद	रिक्त (7/2002)
58.	पशु चिकित्सालय, भरनावां	रिक्त (7/2001)
59.	पशु चिकित्सालय, रताऊ	रिक्त (7/1999)
60.	पशु चिकित्सालय, मनाना	रिक्त (7/2001)
61.	पशु चिकित्सालय, गच्छीपुरा	-
62.	पशु चिकित्सालय, भीचांवा	रिक्त (8/2000)
63.	पशु चिकित्सालय, बोरावड़	-
64.	पशु चिकित्सालय, भादवां	-
65.	पशु चिकित्सालय, भकरी	रिक्त (9/2002)
66.	पशु चिकित्सालय, जावला	-
67.	पशु चिकित्सालय, पीलवा	-
68.	पशु चिकित्सालय, पीह	-
69.	पशु चिकित्सालय, लिचाना	रिक्त (4/1999)
70.	पशु चिकित्सालय, मालोट	रिक्त (4/1999)
71.	पशु चिकित्सालय, मन्डुकरा	रिक्त (4/1999)

परिशिष्ट-"ख"

जिला नागौर में पशु चिकित्सालयों में सृजित पदों की सूची

क्रम संख्या	नाम संस्था	व.प. चि.अ.	प.चि. अ.	प.चि. स.	पशुधन सहायक	स्कन्ध सहायक	सईस	जल धारी	स्वी पर	ड्रैसर	गडरिया
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	नागौर	1	1	-	2	1	2	-	1	1	1
2.	खींवसर	1	-	1	-	1	2	-	1	-	1
3.	जायल	1	-	-	2	1	2	-	1	-	1
4.	डेगाना	1	-	1	1	1	2	-	1	-	1
5.	मेडतासिटी	1	-	-	1	1	2	-	1	-	1
6.	अलाय	-	1	1	1	-	2	-	1	-	-
7.	श्रीबालाजी	-	1	1	1	-	2	-	1	-	-
8.	गुडाभगवानदास	-	1	1	1	-	2	-	1	-	-
9.	कुचेरा	-	1	1	-	-	2	-	1	-	-
10.	पांचौडी	-	1	-	1	-	2	-	1	-	-
11.	खजवाना	-	1	-	1	-	2	-	1	-	-
12.	मूण्डवा	-	1	1	1	1	2	-	1	-	1
13.	बासनी	-	1	-	1	-	2	-	1	-	-
14.	रेण	-	1	-	1	-	2	-	1	-	-
15.	गोटन	-	1	-	1	-	2	-	1	-	-
16.	रियाबडी	-	1	1	-	1	2	-	1	-	1
17.	थावला	-	1	-	1	-	1	1	-	-	-
18.	ईडवा	-	1	-	1	-	1	1	-	-	-
19.	सांजू	-	1	1	1	-	1	1	-	-	-
20.	हरसौर	-	1	1	1	1	1	1	-	-	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21.	आलनियावास	-	1	-	2	-	1	1	-	-	-
22.	खुडीकलां	-	1	-	1	-	1	1	1	-	-
23.	पालडीकलां	-	1	-	-	-	1	1	-	-	-
24.	पुन्दलौता	-	1	1	1	-	1	1	-	-	-
25.	बडी खाटू	-	1	-	1	-	1	1	-	-	-
26.	डेह	-	1	-	2	-	1	1	1	-	-
27.	विरलोका	-	1	-	1	-	1	1	-	-	-
28.	जसनगर	-	1	1	-	-	1	1	-	-	-
29.	संखवास	-	1	-	2	-	1	1	1	-	-
30.	मेडतारोड	-	1	-	2	-	1	1	1	-	-
31.	गगराना	-	1	-	2	-	1	1	1	-	-
32.	भैरून्दा	-	1	-	1	-	1	1	1	-	-
33.	पादूकलां	-	1	-	1	-	1	1	1	-	-
34.	कटौति	-	1	-	1	-	1	1	1	-	-
35.	कडलू	-	1	-	2	-	1	1	1	-	-
36.	कुचामनसिटी	1	-	1	1	1	2	-	1	-	1
37.	परबतसर	1	-	-	1	1	2	-	1	-	1
38.	मकराना	1	-	1	1	-	2	-	1	-	-
39.	डीडवाना	1	-	-	1	1	2	-	1	-	1
40.	लाडनूं	1	-	-	2	1	2	-	1	-	1
41.	नावां	-	1	-	1	-	2	-	1	-	-
42.	मारोठ	-	1	1	-	-	2	-	1	-	-
43.	लिचाना	-	1	-	1	-	2	-	1	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44.	लौहराना	-	1	1	-	-	2	-	1	-	-
45.	नालोट	-	1	-	1	-	2	-	1	-	-
46.	पांचवा	-	1	-	1	-	2	-	1	-	-
47.	मिठडीनावां	-	1	-	2	-	2	-	1	-	-
48.	बोरावड	-	1	1	-	1	2	-	1	-	1
49.	गच्छीपुरा	-	1	-	1	-	2	-	1	-	-
50.	भादवा	-	1	-	2	-	2	-	1	-	-
51.	भकरी	-	1	1	-	-	2	-	1	-	-
52.	पीलवा	-	1	1	-	-	2	-	1	-	-
53.	जावला	-	1	1	1	-	2	-	1	-	-
54.	पीह	-	1	-	2	-	2	-	1	-	-
55.	मौलासर	-	1	-	1	-	2	-	1	-	-
56.	निमोद	-	1	1	1	-	1	1	-	-	-
57.	खुनखुना	-	1	1	1	-	1	1	-	-	-
58.	छोटी खाटू	-	1	1	1	-	1	1	-	-	-
59.	खिलनवाद	-	1	-	1	-	1	1	-	-	-
60.	निम्बीजोधा	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-
61.	मिठडी (लाडनूं)	-	1	1	-	-	1	1	-	-	-
62.	भींचावा	-	1	-	1	-	1	1	-	-	-
63.	मनाना	-	1	-	1	-	1	1	-	-	-
64.	लादोडिया	-	1	1	-	-	1	1	1	-	-
65.	कुकनवाली	-	1	-	1	-	1	1	1	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
66.	रताऊ	-	1	-	2	-	1	1	1	-	-
67.	रोडू	-	1	-	2	-	1	1	1	-	-
68.	जिलिया	-	1	-	1	-	1	1	1	-	-
69.	मण्ड़करा	-	1	-	1	-	1	1	1	-	-
70.	भरनावां	-	1	-	1	-	1	1	1	-	-
71.	मीण्डा	-	1	-	1	-	1	1	1	-	-

सादुलशहर (श्रीगंगानगर) में उपखण्ड मजिस्ट्रेट का स्थाई कार्यालय

118. श्री गुरजंट सिंह बराड़ (संगरिया) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) उपखण्ड मजिस्ट्रेट कार्यालय खोलने के मानदण्ड क्या हैं?

(2) राज्य में गत 5 वर्षों में कितने नये उपखण्ड मजिस्ट्रेट कार्यालय खोले गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर में उपखण्ड मजिस्ट्रेट का कैम्प कोर्ट कार्यालय होने के बावजूद भी उपखण्ड मजिस्ट्रेट का स्थाई कार्यालय नहीं खोला गया?

(4) क्या सरकार सादुलशहर जो तहसील मुख्यालय है, में स्थाई रूप से उपखण्ड मजिस्ट्रेट कार्यालय खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) वर्ष 1999 से अब तक राज्य में 83 नये उपखण्ड स्थापित किये गये हैं, जिनमें से 82 सहायक कलक्टर कार्यालय को क्रमोन्नत कर एवं एक नया उप खण्ड सृजित किया गया। सूची परिशिष्ट "अ" संलग्न है।

(2) क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति तथा कार्यभार को दृष्टिगत रखते हुए नवीन उपखण्ड कायार्लय खोलने की कार्रवाई की जाती है।

(3) जी हां।

(4) परिसीमन आयोग द्वारा राज्य में नई प्रशासनिक इकाइयों के गठन/पुनर्गठन पर लागू प्रतिबंध को दृष्टिगत रखते हुए फिलहाल इस प्रकरण में कोई कार्रवाई सम्भव नहीं है।

परिशिष्ट "अ"

वर्ष 2002-2003

क्रमोन्नत/नवसृजित 83 उपखण्डों की सूची

नाम जिला	उपखण्ड का नाम व मुख्यालय
1	2
अलवर	1. थानागाजी
	2. बानसूर
	3. कठूमर
	4. मुण्डावर
	5. रामगढ़
	6. कोटकासिम
भरतपुर	7. बैर
	8. रूपवास
	9. नदबई
	10. नगर
	11. कुम्हेर
जयपुर	12. चौमूं
	13. शाहपुरा
	14. दूदू
	15. फागी
	16. विराटनगर
	17. जमवारामगढ़
नागौर	18. जायल
	19. डेगाना
	20. मकराना

1	2
	21. नावां
	22. लाडनूं
टोंक	23. निवाई
	24. उनियारा
	25. टोडारायसिंह
	26. पीपलू
चूरू	27. सरदारशहर
	28. सुजानगढ़
हनुमानगढ़	29. पीलीबंगा
	30. रावतसर
	31. टी.बी.
	32. भादरा
धौलपुर	33. राजाखेड़ा
	34. बसेड़ी
सीकर	35. श्रीमाधोपुर
	36. दातारामगढ़
	37. लक्ष्मणगढ़
दौसा	38. लालसोट
	39. सिकराय
	40. महुआ
पाली	41. देसूरी
	42. सुमेरपुर
कोटा	43. दीगोद
	44. सांगोद

1	2
	45. इटावा
बून्दी	46. केशवरायपाटन
	47. लाखेरी
	48. हिण्डोली
करौली	49. सपोटरा
	50. मण्डरायल
	51. टोडाभीम
बारां	52. अटरू
	53. मांगरोल
	54. किशनगंज
उदयपुर	55. धरियावद
	56. मावली
	57. कोटड़ा
चित्तौड़गढ़	58. रावतभाटा
	59. गंगरार
भीलवाड़ा	60. जहाजपुर
	61. माण्डल
	62. बनेड़ा
जोधपुर	63. ओसिंया
	64. शेरगढ़
सवाईमाधोपुर	65. बामनवास
	66. बोली
बीकानेर	67. लूणकरणसर
	68. श्रीडूंगरगढ़
अजमेर	69. नसीराबाद

1	2
	70. मसूदा
श्रीगंगानगर	71. धड़साना
झुंझुनूं	72. चिड़ावा
	73. उदयपुरवाटी
बाड़मेर	74. शिव
जैसलमेर	75. फतेहगढ़
जालौर	76. आहोर
	77. रानीवाड़ा
सिरोही	78. रेवदर
बांसवाड़ा	79. घाटोल
डूंगरपुर	80. सिमलवाड़ा (मु. धम्बोला)
राजसमन्द	81. कुम्भलगढ़
झालावाड़	82. खानपुर
	83. पिड़ावा

बाटडानाऊ ग्राम (लक्ष्मणगढ़) में सड़क निर्माण

119. श्री केसर देव बाबर (लक्ष्मणगढ़) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि एक हजार से अधिक आबादी के गांवों को सड़क से जोड़ने की सरकार की नीति है?

(2) क्या यह भी सही है कि ग्राम बाटड़ानाऊ तहसील लक्ष्मणगढ़, पंचायत समिति फतेहपुर की आबादी दो हजार है एवं उक्त ग्राम अभी तक सड़क से नहीं जोड़ा गया है?

(3) क्या यह सही है कि उक्त ग्राम बाटड़ानाऊ के चारों ओर रोड सर्किल बनाया

(श्री केसर देव बाबर)

गया है? यदि हां, तो इसकी क्या उपयोगिता है, जबकि इसके पीछे छह किलोमीटर कच्ची सड़क है।

(4) क्या यह सही है कि सड़क से नहीं जोड़े जाने के फलस्वरूप क्षेत्र में भारी रोष व्याप्त है एवं ग्राम कन्दनाऊ के वासियों ने लोकसभा चुनाव का बहिष्कार भी किया है?

(5) क्या सरकार ग्राम बाटड़ानाऊ को सड़क से जोड़ने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत प्रत्येक 1000 से अधिक आबादी वाले ग्राम को बारहमासी सड़कों से जोड़ने का प्रावधान है।

(2) जी हां। ग्राम बाटडानाऊ तहसील लक्ष्मणगढ़, पंचायत समिति फतेहपुर की आबादी जनगणना 2001 के अनुसार 2045 है। यह गांव जाजोद से डब्ल्यू.बी.एम. एवं डामर सड़क से जुड़ा है।

(3) जी नहीं।

(4) जी नहीं। बाटडानाऊ वर्तमान में डब्ल्यू.बी.एम. एवं डामर सड़क से जुड़ा हुआ है।

(5) जी नहीं। वर्तमान में बाटडानाऊ 6.5 किमी. डब्ल्यू.बी.एम. एवं 2 किमी. डामर सड़क से जुड़ा हुआ है।

गुढामालानी के ग्रामों में पेयजल आपूर्ति

120. श्री हेमाराम चौधरी (गुढामालानी) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र गुढामलानी के ग्राम जोगासरिया-सनपा-सोमेसरा, जोगासरिया-रावतसर-चवा तथा नागाना-सरली पेयजल योजना से जुड़े गांवों व ढाणियों में से अधिकांश स्थानों पर पानी नहीं जा रहा है? यदि हां, तो क्या सरकार ओगमेटशन स्कीम स्वीकृत करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(2) इन योजनाओं से जुड़े गांवों व ढाणियों, जहां पानी जा रहा है एवं जहां पानी नहीं जा रहा है की सूची पृथक-पृथक सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) वर्णित दोनों क्षेत्रीय योजनाओं से लाभान्वित एवं इनमें से जिन ग्राम/ढाणियों में वर्तमान में पानी नहीं पहुंच रहा है, का विवरण निम्नानुसार है:-

योजना का नाम	योजना का प्रकार	योजना से ग्राम/ढाणी लाभांवित		जिनमें वर्तमान में पानी नहीं पहुंच रहा है		विवरण
		ग्राम	ढाणी	ग्राम	ढाणी	
अ-जोगासरिया-सनया-सोमेसरा रावतसर	क्षेत्रीय	82	173	13	26	इन ग्राम/ढाणियों में पेयजल परिवहन चालू है।
ब-नागाना-सरली	क्षेत्रीय	25	111	0	0	-

जोगासरिया-सनय-सोमेरा-रावतसर-चवा क्षेत्रीय योजना की स्वीकृति प्राथमिकता व धन उपलब्धि अनुसार सम्भव हो सकेगी।

(2) सूची परिशिष्ट-'क' व 'ख' पर उपलब्ध है।

(सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

कनिष्ठ विशेषज्ञ (एनस्थीशिया) के पदों का सृजन

121. श्री संयम लोढ़ा (सिरोही) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राज्य में ऐसे कितने चिकित्सालय हैं, जहां कनिष्ठ विशेषज्ञ (शल्य) का पद स्वीकृत है लेकिन निश्चेतना (एनस्थीशिया) के कनिष्ठ विशेषज्ञ का पद स्वीकृत नहीं है? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त अस्पतालों में वर्ष 2003 में किस-किस स्तर की शल्य क्रिया की गई है? आंकड़ों सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार जिन स्थानों पर कनिष्ठ विशेषज्ञ (शल्य) का पद है वहां कनिष्ठ विशेषज्ञ (एनस्थीशिया) का पद भी सृजित किये जाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) राज्य में ऐसे 286 चिकित्सालय/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र हैं, जहां पर कनिष्ठ विशेषज्ञ (शल्य) का पद तो स्वीकृत है लेकिन कनिष्ठ विशेषज्ञ (निश्चेतन) का पद स्वीकृत नहीं है। उक्त चिकित्सालयों/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों की सूची परिशिष्ट "अ" पर उपलब्ध है।

(2) उक्त अस्पतालों/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में वर्ष 2003 में 17682 मेजर आपरेशन, 104836 माइनर आपरेशन, 84361 नसबन्दी आपरेशन किये गये, जिनका संस्थावार विवरण परिशिष्ट "अ" पर उपलब्ध करा दिया गया है।

(3) जी हां, राज्य में योजनान्तर्गत उपखण्ड स्तर पर स्थित चिकित्सालयों/ सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में चरणबद्ध रूप से चिकित्सा अधिकारी (निश्चेतन पीजी) के पद सृजित करवाया जाना प्रस्तावित है। इसी के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2004-05 में 10 संस्थानों पर चिकित्सा अधिकारी (निश्चेतन) के पद प्रस्तावित किये गये हैं।

(सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

बाड़मेर में कन्या प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना

122. श्री तगाराम चौधरी (बाड़मेर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र बाड़मेर के कई विद्यालय भवन रहित हैं? यदि हां, तो सरकार कब तक सम्पूर्ण विद्यालयों में पक्के भवन बनवाने का विचार रखती है?

(2) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र बाड़मेर के ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्र में कन्या प्राथमिक विद्यालय बहुत ही कम संख्या में हैं?

(3) क्या सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक ग्राम पंचायत और नगरीय क्षेत्रों में प्रत्येक नगरपालिका वार्ड में कम से कम एक कन्या प्राथमिक विद्यालय खुलवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) विधान सभा क्षेत्र बाड़मेर के ग्रामीण क्षेत्र में 05 तथा शहरी क्षेत्र में 01 बालिका प्राथमिक विद्यालय संचालित है।

(3) प्राथमिक विद्यालयों में सह शिक्षा की व्यवस्था हैं। राज्य सरकार निर्धारित मानदण्डान्तर्गत प्रस्ताव प्राप्त होने पर समग्र विचारोपरान्त उपलब्ध वित्तीय प्रावधानान्तर्गत विद्यालय खोलती है।

सुमेरपुर कृषि उपज मण्डी द्वारा सड़क निर्माण कार्य

123. डा. समरजीत सिंह (भीनमाल) : क्या कृषि विपणन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) वर्ष 2003-04 में आर.वी.पी.-I योजना के अन्तर्गत मण्डी बोर्ड सुमेरपुर द्वारा जालोर जिले में सडकों के नवीनीकरण/सुदृढ़ीकरण के अन्तर्गत कितना कार्य करवाया गया? सूची मय स्थान व राशि के सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि कार्य शुरू करने से पूर्व बोर्ड व ठेकेदारों के मध्य कार्य करने के मानदण्ड (शर्तें) निधारित की गई थी? क्या कार्य इन शर्तों के अनुसार ही किया गया? यदि हां, तो बोर्ड द्वारा निर्धारित मानदण्ड क्या थे? विवरण सदन की मेज पर रखें? यदि कार्य निर्धारित मानदण्ड के अनुसार नहीं करवाया जाकर अन्य मानदण्ड के अनुसार करवाया गया तो क्यों? आदेशों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) पूर्व निर्धारित मानदण्ड के अनुसार कार्य नहीं करवाकर अन्य मानदण्ड के अनुसार कार्य करवाने पर सरकार को कितनी आर्थिक हानि हुई व इसके लिये कौन दोषी हैं?

(4) क्या सरकार दोषी अधिकारियों के विरूद्ध कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) वर्ष 2003-04 में सड़क सुदृढ़ीकरण एवं उन्नयन परियोजना (आर.यू.पी.) के अन्तर्गत राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड, सुमेरपुर खण्ड द्वारा जालौर जिले में सड़कों के सुदृढ़ीकरण के अंतर्गत कोई कार्य नहीं करवाया गया है।

(2) उक्तानुसार प्रश्न ही नहीं उठता।

(3) उक्तानुसार प्रश्न ही नहीं उठता।

(4) उक्तानुसार प्रश्न ही नहीं उठता।

प्रश्न संख्या-124

(स्थगित)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

रतनगढ़ खण्ड के दोषी अधिशासी अभियन्ता का पदोन्नति प्रकरण

140. श्री केसर देव बाबर (लक्ष्मणगढ़) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री केसर देव बाबर)

(1) क्या यह सही है कि रतनगढ़ खण्ड में एक उच्चीकृत जलाशय धराशायी हो गया था? यदि हां, तो कौनसा व कब?

(2) उक्त जलाशय की वित्तीय स्वीकृति कब हुई तथा इस पर कितनी राशि किस-किस मद में व्यय की गई तथा इसके निर्माण का ठेका किस व्यक्ति को दिया गया?

(3) क्या यह सही है कि इस प्रकरण में तत्कालीन अधिशासी अभियन्ता को दोषी मानते हुये निलम्बित किया गया था? यदि हां, तो किसे एवं कब? निलम्बन आदेश तथा आरोप-पत्र की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(4) उक्त प्रकरण की जांच किस अधिकारी द्वारा की गई? जांच रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या यह सही है कि उक्त निलम्बित अधिशासी अभियन्ता को वापिस बहाल कर पदोन्नति दे दी गई है? यदि हां, तो किन आधारों पर? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। ग्राम गोगासर, तहसील रतनगढ़ में निर्मित उच्च जलाशय दिनांक 6 जून, 2002 को धराशायी हुआ था।

(2) उक्त जलाशय की वित्तीय स्वीकृति जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, चूरू द्वारा दिनांक 12.12.1997 को राशि रुपये 5.00 लाख की जारी की गई। विभिन्न मदों में व्यय की गई राशि का विवरण निम्नानुसार है:-

अ– उच्च जलाशय के निर्माण पर-3,48,800 रुपये

ब– निर्गमित भण्डारीय सामग्री पर-1,22,899-रुपये

कुल व्यय रुपये 4,71,699

इसके निर्माण का ठेका मैसर्स मनीराम जांघू ठेकेदार सरदार शहर को दिया गया था।

(3) जी हां। इस प्रकरण में श्री जीतसिंह आडीवाल, तत्कालीन अधिशासी अभियन्ता को दिनांक 14.06.2002 से निलम्बित किया गया था। निलम्बन आदेश एवं आरोप पत्र की प्रति क्रमश: परिशिष्ट-'अ' व 'ब' पर संलग्न है।

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

(4) उक्त प्रकरण की जांच मुख्य अभियन्ता, परियोजना प्रबन्ध प्रकोष्ठ, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, चूरू द्वारा की गई। जांच रिपोर्ट की प्रति परिशिष्ट-'स' पर संलग्न है।

(5) जी नहीं। सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता को निलम्बन दिनांक 14.6.2002 से पूर्व ही राज्यादेश दिनांक 26.7.2001 द्वारा अधीक्षण अभियन्ता के पद पर पदोन्नति दी जा चुकी थी।

(प्रतियां विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयीं)

बैराठ के नाकारा हैण्डपम्प

141. श्री राव राजेन्द्र सिंह (बैराठ) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) वर्तमान में विधान सभा क्षेत्र बैराठ में कितने हैण्डपम्प हैं? ग्रामवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त में से वर्तमान में कितने हैण्डपम्प खराब हैं और कितने हैण्डपम्प नाकारा हो गये हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त खराब हैण्डपम्प को ठीक करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र बैराठ में कुल 1703 हैण्डपम्प स्थापित हैं इनमें से 1596 चालू, 92 सूखे एवं 15 नकारा है। ग्रामवार विवरण परिशिष्ट-'क' के अनुसार है।

(2) विशेष हैण्डपम्प मरम्मत अभियान के प्रारम्भ में उक्त विधान सभा क्षेत्र में 179 खराब हैण्डपम्प मरम्मत योग्य पाये गये। विवरण परिशिष्ट-'ख' पर उपलब्ध है। नकारा हैण्डपम्पों की संख्या 15 है। विवरण परिशिष्ट-'क' में समाहित है।

(3) जी हां। विभाग द्वारा चलाये जा रहे विशेष हैण्डपम्प मरम्मत अभियान के दौरान उक्त खराब हैण्डपम्पों को ठीक कर चालू कर दिया है। यह प्रक्रिया सतत् रूप में जारी है।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

राज्य की जनता जल योजना

142. श्री अमराराम (धोद) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि राज्य में जनताजल योजना जारी है? यदि हां, तो कितनी योजनाएं दिनांक 31 मार्च, 2004 तक स्वीकृत की गयी तथा कितनी चालू की गयी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त योजना आगे भी चालू रखने का विचार रखती है? सरकार द्वारा उक्त योजना को चलाने वाली संस्था को मासिक सहयोग राशि का आज तक कितना भुगतान किया गया तथा बकाया भुगतान कब तक कर दिया जायेगा?

उत्तर

(1) जी हां। विवरण परिशिष्ट-'अ' पर संलग्न है।

(2) जी हां। परन्तु वर्तमान परिपेक्ष में इन्हें सतत् प्रक्रिया के रूप में स्वजलधारा कार्यक्रम में लाना प्रस्तावित है। उक्त योजनाओं के सन्दर्भ में सहयोग राशि (आंशिक अनुदान बाबत पम्प संचालन व मरम्मत) का भुगतान प्रारम्भ से मार्च, 2004 तक रुपये 819.72 लाख का किया जा चुका है। बकाया भुगतान करने के लिए प्राथमिकता पर धन उपलब्धता के प्रयास किए जा रहे है।

(अतारांकित प्रश्न संख्या 142 का विवरण)

परिशिष्ट 'अ'

क्रमांक	जिला	31.3.2004 तक कुल स्वीकृत योजनाएं	31.3.2004 तक चालू की गई योजनाएं
1	2	3	4
1.	सिरोही	52	52
2.	राजसमंद	74	74
3.	डूंगरपुर	34	29
4.	भीलवाड़ा	187	187
5.	झालावाड़	35	17
6.	टोंक	51	47
7.	चूरू	60	45

1	2	3	4
8.	चित्तौड़गढ़	88	85
9.	बांसवाड़ा	28	22
10.	उदयपुर	85	85
11.	नागौर	431	428
12.	धौलपुर	22	9
13.	जोधपुर	477	477
14.	जालौर	13	13
15.	सवाईमाधोपुर	53	49
16.	करोली	115	109
17.	अजमेर	30	30
18.	श्रीगंगानगर	195	195
19.	हनुमानगढ़	3	3
20.	अलवर	34	34
21.	भरतपुर	71	70
22.	पाली	139	117
23.	सीकर	372	369
24.	झुंझुनूं	729	729
25.	जयपुर	213	213
26.	दौसा	43	42
27.	कोटा	23	22
28.	बून्दी	32	23
29.	बारां	25	20
30.	जैसलमेर	0	0
31.	बाड़मेर	0	0
32.	बीकानेर	0	0
	योग	**3714**	**3595**

जनता जल योजना का जिलेवार विवरण

क्रमांक	जिला	31.3.2004 तक कुल स्वीकृत योजनाएं	31.3.2004 तक सुपुर्द योजनाएं	योजना सुपुर्दगी से 31.3.2004 तक किया गया कुल भुगतान रुपये	31.3.2004 तक भुगतान योग्य राशि में से लम्बित राशि (31.3.2004 की स्थिति)	31.3.2004 तक भुगतान योग्य परन्तु 31.3.2004 को लम्बित राशि में से 1.4.2004 के पश्चात किया भुगतान	वर्ष 2004-2005 हेतु आबंटन (बजट लाख रुपये में) लाख रुपये में) 4215 Capital Qutlay	वर्ष 2004-2005 हेतु आबंटन (बजट लाख रुपये में) 2215 Maintenance
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	सिरोही	52	52	13682820.00	262500.00	0.00	4.91	2.60
2.	राजसमंद	74	74	3215825.00	750767.00	0.00	6.14	4.00
3.	डूंगरपुर	34	29	180000.00	152500.00	0.00	3.90	1.20
4.	भीलवाड़ा	187	187	5906333.00	3219399.00	12500.00	22.59	7.50
5.	झालावाड़	35	17	849000.00	170000.00	0.00	2.30	9.70
6.	टोंक	51	47	1642000.00	566300.00	0.00	2.67	2.20
7.	चूरू	60	45	2006450.00	467255.00	0.00	0.00	3.30
8.	चित्तौड़गढ़	88	85	1562000.00	2208000.00	0.00	13.35	7.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
9.	बांसवाड़ा	28	22	1394000.00	27000.00	0.00	2.36	1.20
10.	उदयपुर	85	85	2865000.00	1050000.00	0.00	6.99	8.80
11.	नागौर	431	428	11227432.00	3447517.00	1148000.00	37.28	17.90
12.	धौलपुर	22	9	112950.00	10500.00	0.00	0.75	0.40
13.	जोधपुर	477	477	11330000.00	5943000.00	0.00	72.23	37.50
14.	जालौर	13	13	371550.00	107550.00	0.00	1.58	0.70
15.	स.माधोपुर	53	49	461500.00	831000.00	0.00	11.25	0.90
16.	करोली	115	109	1722300.00	464000.00	0.00	2.20	3.20
17.	अजमेर	30	30	827253.00	187650.00	0.00	4.95	2.70
18.	श्रीगंगानगर	195	195	3677787.00	289500.00	0.00	0.00	6.50
19.	हनुमानगढ़	3	3	83906.00	14000.00	0.00	0.00	2.60
20.	अलवर	34	34	724726.00	487850.00	0.00	4.12	1.80
21.	भरतपुर	71	70	891224.00	286500.00	0.00	4.85	4.00
22.	पाली	139	117	3437732.00	873551.00	12000.00	9.56	8.50

1	2	3	4	5	6	7	8	9
23.	सीकर	372	369	1161000.00	113731000.00	0.00	98.12	11.20
24.	झुंझुनूं	729	729	6640000.00	14051000.00	0.00	51.05	21.20
25.	जयपुर	213	213	4496620.00	1221980.00	0.00	0.00	9.30
26.	दौसा	43	42	396000.00	458000.00	0.00	0.00	0.70
27.	कोटा	23	22	511000.00	381000.00	0.00	5.54	1.10
28.	बून्दी	32	23	301000.00	280000.00	0.00	6.45	1.20
29.	बारां	25	20	295000.00	202000.00	0.00	2.42	1.70
30.	जैसलमेर	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31.	बाडमेर	0	0	0.00	0.00	0.00	4.47	3.90
32.	बीकानेर	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		3714	**3595**	**81972408**	**152141319**	**1172500**	**382.03**	**184.50**

फुलेरा की पेयजल समस्या

143. श्री नवरतन राज़ोरिया (फुलेरा) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र फुलेरा में किशनगढ़ रेनवाल कस्बे के पास स्थित खाटूवालों की ढाणी में वर्तमान में पेयजल की क्या व्यवस्था है?

(2) क्या उक्त ढाणी की पेयजल समस्या को ध्यान में रखते हुए सरकार उसके निराकरण हेतु कोई योजना बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) खाटूवालों की ढाणी में वर्तमान में टैंकर द्वारा पेयजल वितरण किया जा रहा है।

(2) उक्त ढाणी को स्वीकृत शहरी जल योजना, किशनगढ़ रेनवाल से पाइप लाइन डालकर जोड़ दिया गया है। पाइप लाइन की टैस्टिंग का कार्य वर्तमान में प्रगति में है। यह कार्य अगस्त, 2004 तक पूर्ण किया जाना लक्षित है।

सलूम्बर में सोमकमला-अम्बा परियोजना से पेयजल आपूर्ति

144. श्री अर्जुन लाल मीणा (सलूम्बर) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर के पंचायत समिति क्षेत्र सलूम्बर के कौन-कौन से गांव फ्लोराइड युक्त पानी से ग्रस्त है? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि फ्लोराइड युक्त पानी से मुक्ती दिलाये जाने हेतु सरकार द्वारा सोमकमला अम्बा योजनाएं बनाई गई हैं? यदि हां, तो किस-किस योजना पर वर्षवार कितनी-कितनी राशि व्यय की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) सरकार उक्त गांवों में स्वच्छ पेयजल कब तक उपलब्ध कराने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) सूची परिशिष्ट-'अ' पर संलग्न है।

(2) जी हां। इस योजना की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जुलाई, 2003 में

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

राशि रुपये 24.73 करोड़ की जारी हो चुकी है। वर्तमान में योजना तकनीकी स्वीकृति प्रिक्रया में है। योजना पर कोई व्यय नहीं हुआ है।

(3) धन संसाधनों की उपलब्धि के अनुसार वित्तीय वर्ष 2006-07 में क्रियान्वयन पूरा करना लक्षित है।

परिशिष्ट (अ)

पंचायत समिति सलूम्बर के फ्लोराइडयुक्त गांवों की सूची

विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर

क्रम संख्या	गांव का नाम	कोड नं.	फ्लोराइड की मात्रा पी.पी.एम.
1	2	3	4
1.	चाटपुर	53	1.60
2.	बस्सी झुंझावत	54	2.10
3.	बस्सी सामचोत	55	2.40
4.	बस्सी सिंगावत	57	4.80
5.	सूरों का कुआं	61	2.80
6.	इंशरवास	63	2.00
7.	सेन्दरी	66	2.40
8.	केरपुरा	69	2.40
9.	बारां	91	3.40
10.	नानगा	102	2.40
11.	तेजपुरा	107	2.40
12.	कलुथडा	108	2.00
13.	करगेटा	111	2.00
14.	डाल	112	3.60
15.	डांगीवाडा	113	3.50

1	2	3	4
16.	थडा	115	2.50
17.	थरोडा	116	3.50
18.	अमरा डूंगरी	117	4.20
19.	सेरिया	118	3.50
20.	अगाटीया	119	3.50
21.	टोडा	120	2.80
22.	सालेया	121	2.40
23.	खोडाव	122	2.70
24.	गुड	123	2.20
25.	नेडी भटवाडा	129	2.20
26.	हीकावाडा	144	4.10
27.	रानावतवाडा	146	2.60
28.	बामनिया	147	1.70
29.	रूआव	149	2.30
30.	नोली	150	3.40
31.	खण्डोरा	152	2.60
32.	परोडा	153	4.10
33.	इंटालीखेडा	154	1.80
34.	खैरोली	155	2.220
35.	ऐमनिया पाटला	156	2.80
36.	रन्देला	158	2.40
37.	अमलोदा	161	3.80
38.	नोखली	162	3.80
39.	मजावतों का गुडा	163	2.20
40.	समोडा	164	5.00

1	2	3	4
41.	बांदरवाडा	165	4.50
42.	देवली	166	2.30
43.	बरा	167	2.30
44.	सूआवतो का कोडा	170	2.80
विधान सभा क्षेत्र लसाडिया			
45.	भाणोर	134	2.60
46.	ओडा	135	3.50
47.	केनर	136	3.00
48.	धोलीगीर खेडा	137	3.00
49.	शेबपुर	139	2.00
50.	चौहानों का खण्डेला	140	2.00
51.	बिपली नगरी	145	3.60
52.	नया गांव	168	1.80
53.	रालावता	172	2.20
54.	भोलपान का गढा	174	2.40
55.	लाउआ	175	3.20
56.	झल्लारा	177	4.90
57.	गरडा	178	1.90
58.	कुबेरपुरा	179	3.50
59.	वीरवा खुर्द	180	3.90
60.	वीरवा कलां	181	2.60
61.	जैताना	182	3.20
62.	धावडी	184	5.00

1	2	3	4
63.	माण्डली	185	2.80
64.	सिंगपुर	187	1.80
65.	ढीकाढोला	189	2.80
66.	क्याडा	191	1.80
67.	हडमतीया कलां	195	1.80
68.	पापरा	198	2.00
69.	जोधपुर डंपी नगरी	199	1.80
70.	कल्याणा कलां	202	3.20
71.	बोरी मामडा	203	3.70
72.	मातासुला	205	4.40
73.	झडाप	206	3.50
74.	देवद	209	2.00
75.	मूल गुडा	212	2.40
76.	नया टापरा	214	2.50
77.	शकलावतों का गुडा	215	1.80
78.	भाकरतो का गुडा	224	2.30
79.	झीनझीनी खुर्द	231	5.20
80.	झीनझीनी कलां	230	3.37
81.	जोधपुर खुर्द	225	2.00
82.	मानपुर	216	2.30
83.	निम्बोदा	213	4.00

अलवर जिले में विधायक कोटे की राशि से स्वीकृत हैण्डपम्प

145. श्री जुबेर खान (रामगढ़) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जिला अलवर में पेयजल की कमी वाले ग्रामों/ढाणियों में विधायक कोटे की 10 प्रतिशत राशि के योगदान से कितने हैण्डपम्प स्वीकृत किये गए? तिथिवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त योजना के अन्तर्गत स्वीकृत हैण्डपम्पों में से कितने हैण्डपम्प लगवाकर चालू किए गए? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि शेष बचे हुए हैण्डपम्पों को अभी तक भी चालू नहीं किया गया है? यदि हां. तो क्यों? क्या देरी के लिए कोई अधिकारी/कर्मचारी या ठेकेदार उत्तरदायी है? यदि हां, तो सरकार उनके विरूद्ध क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है?

(4) सरकार शेष बचे हुए हैण्डपम्प अब कब तक खुदवा कर (ड्रिल करवाकर) चालू करवाने का विचार रखती है?

उत्तर

(1) जिला अलवर में विधायक कोटे की 10 प्रतिशत राशि के योगदान से स्वीकृत 303 हैण्डपम्पों की सूची परिशिष्ट-'अ' पर संलग्न है।

(2) उक्त स्वीकृत हैण्डपम्पों में से चालू किये गए 158 हैण्डपम्पों की सूची परिशिष्ट-'अ' पर संलग्न है।

(3) जी हां। विवरण निम्नानुसार है:-

अ.	वेधन कार्य प्रगति पर	2 हैण्डपम्प
ब.	प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी दिनांक 24.6.2004	105 हैण्डपम्प
स.	बोल्डर स्ट्रेटा में निर्माण हेतु दर संविदा दिनांक 7.7.2004 को जारी	15 हैण्डपम्प
द.	कार्यादेश जारी एवं निर्माण हेतु आवश्यक सामान आपूर्ति की प्रक्रिया में।	23 हैण्डपम्प
	कुल	**145 हैण्डपम्प**

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

उपरोक्तानुसार इन हैण्डपम्पों के निर्माण बाबत प्रक्रिया जारी है एवं कोई देरी नहीं हुई है। अत: कोई दोषी नहीं है।

(4) उक्त शेष रहे हैण्डपम्पों को बजट, उपलब्धि अनुसार प्राथमिकता पर माह सितम्बर, 2004 तक चालू करना प्रस्तावित है।

(सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

बयाना के हैण्डपम्प

146. श्री अतर सिंह भड़ाना (बयाना) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र बयाना में किन-किन स्थानों पर कहां-कहां हैण्डपम्प लगे हुये हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त हैण्डपम्पों में से कौन-कौन से हैण्डपम्प सही कार्य कर रहे हैं, कौन-कौन से खराब हैं व कौन-कौन से नाकारा घोषित कर दिये गये हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) सरकार उक्त हैण्डपम्पों को कब तक ठीक करवाने का विचार रखती है? इनमें से ठीक नहीं होने वाले हैण्डपम्पों को कब तक नाकारा घोषित कर इनके स्थान पर नये हैण्डपम्प लगा दिये जायेंगे?

उत्तर

(1) सूची परिशिष्ट-'अ' पर संलग्न है।

(2) विवरण परिशिष्ट-'अ' पर संलग्न है।

(3) वर्तमान में चल रहे हैण्डपम्प मरम्मत अभियान के प्रारम्भ में चिह्नित सभी 299 खराब हैण्डपम्पों को ठीक करवा दिया गया है एवं बाद में खराब हुए हैण्डपम्पों को ठीक करने का कार्य सतत् प्रक्रिया में किया जा रहा है।

विधान सभा क्षेत्र बयाना के 39 गांवों के 76 हैण्डपम्प नाकारा घोषित किए जा चुके हैं। इन 39 गांवों में से 38 में मानदण्डों के अनुरूप हैण्डपम्प लगे हुए हैं। ग्राम सांगौरी (जनसंख्या 1991=826) में वर्तमान में दो हैण्डपम्प कार्यरत है। इस प्रकार इस गांव में वर्तमान सेवा स्तर लगभग 60 प्रतिशत है जो वर्तमान परिपेक्ष में पर्याप्त है।

(सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

पृथ्वीराज नगर योजना (जयपुर) की पेयजल व्यवस्था

147. प्रो. बीरूसिंह राठौड़ (बनीपार्क) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि पृथ्वीराज नगर योजना में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा पेयजल उपलब्ध कराने हेतु स्थगन आदेश जारी किया गया है? यदि नहीं, तो सरकार उक्त क्षेत्र में रह रहे आम नागरिकों को पेयजल किस तरह उपलब्ध कराने का विचार रखती है?

(2) क्या यह सही है कि सरकार उक्त क्षेत्र में पाइप लाइन, ट्यूबवैल तथा हैण्डपम्प लगाने का विचार रखती है?

(3) सरकार द्वारा उक्त क्षेत्र में जनवरी, 2003 से अब तक कितने हैण्डपम्प, ट्यूबवैल तथा पाइप लाइन डाली गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। परन्तु जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर ने माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में जनहित याचिका 6709/2002 में पारित अन्तरिम आदेश दिनांक 9.4.2003 की अनुपालना में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग को पृथ्वीराज नगर योजना में नये निर्माण के लिए अस्थाई जल सम्बन्ध जारी नहीं किये जाने बाबत् निर्देशित किया है। इस क्षेत्र में स्थापित हैण्डपम्पों से तथा मांग के अनुसार टैंकर द्वारा पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है।

(2) जी नहीं। पृथ्वीराज नगर प्रकरण माननीय उच्च न्यायालय के विचाराधीन है। प्रकरण पर निर्णय के अनुसार तत्कालीन नियमों के अन्तर्गत ही कार्यवाही सम्भव होगी।

(3) पृथ्वीराज नगर क्षेत्र में जनवरी, 2003 से अब तक 48 हैण्डपम्प लगाये गये हैं। पृथ्वीराज नगर क्षेत्र में ट्यूबवैल निर्माण तथा पाइप लाइन डालने का कोई कार्य नहीं किया गया है। इस क्षेत्र में जनवरी, 2003 से अब तक लगाये गये हैण्डपम्पों की सूची परिशिष्ट-'अ' पर संलग्न है।

परिशिष्ट-अ

जनवरी 2003 के पश्चात्

पृथ्वीराज नगर योजना में लगे हुए वर्तमान में चालू हैण्डपम्पों की सूची

क्रम संख्या	स्थान
1	2
1.	वर्द्धवेश्वर महादेव मन्दिर, वर्धमान नगर
2.	वर्धमान नगर क्रोसिंग
3.	श्रवणपुरी कालोनी सिरसी रोड
4.	देवरा विलेज
5.	रंगीलावास नगर बाईपास
6.	हीरा नगर 'ए' ब्लाक
7.	रजनी विहार प. नं. 464
8.	विकास नगर 'बीइ' बाईपास
9.	इक्ता नगर हीरापुरा पावर हाउस के सामने
10.	अमर नगर पंचालयावाला
11.	गायत्री कालोनी सिरसी रोड
12.	मकरानी विहार, अजमेर रोड
13.	पीताम्बर नगर, सिरसी रोड
14.	हीरा नगर, 'ए' ब्लॉक करनी प्लेस के सामने
15.	वर्धमान नगर 'सी' ब्लाक
16.	श्याम पंचयावाला
17.	वर्धमान नगर 'ए' ब्लाक
18.	शिव मन्दिर, सिरसी रोड के पास
19.	चौहान नर्सिंग हाउस, सिरसी रोड के पास
20.	श्री आर.सी. मीणा, पवन पुत्र कालोनी के पास
21.	दीप विहार. नेहा किराना स्टोर के पास
22.	एल.एन. नगर लारपुरा

1	2
23.	कृष्णा नगर हरिजन बस्ती
24.	अहीरो की ढाणी, अजमेर रोड
25.	पीताम्बर कालोनी. अजमेर रोड
26.	जगदम्बा कालोनी, प.नं. 91 के पास
27.	काना विहार, करणी प्लेस के पास
28.	इक्टा नगर, शिव मन्दिर
29.	लारपुरा, तेजाजी का मन्दिर
30.	लारपुरा. शमशान के पास
31.	जगसिंहपुरा स्कूल के पास
32.	करणी नगर, अजमेर रोड
33.	बीरा पटेल नगर
34.	शेखावाटी कालोनी. सिरसी रोड
35.	महादेव नगर, सिरसी रोड
36.	फ्रेन्डस कालोनी, सिरसी रोड
37.	मीणा वाला, स्कूल के पीछे
38.	मोहन नगर, सिरसी रोड
39.	शेखावाटी कालोनी, सिरसी रोड
40.	अमृत विहार, सिरसी रोड
41.	बीरू विहार, लारपुरा
42.	सुन्दर नगर, अजमेर रोड
43.	अजय विहार. लारपुरा
44.	मीणा वाला के पास श्री नारायण राजोर
45.	देवश्रीनगर, हस्तीनापुर
46.	अनुपम विहार, हस्तीनापुर
47.	वर्धमान नगर. 'बी' ब्लाक
48.	वर्धमान नगर. वाटिका के पास

लूणकरणसर कस्बे की की आबादी भूमि का नियमन

148. श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (लूणकरणसर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि राजस्व रेकार्ड में लूणकरणसर कस्बे की आबादी भूमि जो पूर्व में ग्राम पंचायत लूणकरणसर के नाम दर्ज थी, वह वर्तमान में मण्डी विकास समिति के नाम दर्ज है? यदि हां, तो क्यों?

(2) क्या सरकार उक्त भूमि पर बसी बस्ती को नियमित करने हेतु पुनः ग्राम पंचायत को अधिकार देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) यह सही नहीं है कि राजस्व रेकार्ड में लूणकरणसर कस्बे की आबादी भूमि जो पूर्व में ग्राम पंचायत लूणकरणसर के नाम दर्ज थी, वह समस्त भूमि वर्तमान में मण्डी विकास समिति के नाम दर्ज हुई हो।

पूर्व में कस्बा लूणकरणसर की 2939.18 बीघा आबादी भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी। राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ. 4(4)रेव/कोल/75 दिनांक 15.4.1975 द्वारा संशोधन कर लूणकरणसर "सी" श्रेणी की मण्डी स्वीकृत की गई। पूर्व की आबादी 14 किता 2939.18 बीघा में से 6 किता की 626.13 बीघा आबादी घोषित मण्डी क्षेत्र में आने के कारण जरिये नामान्तकरण संख्या 362 मण्डी विकास समिति बीकानेर के नाम दर्ज हुई तथा शेष 2313.05 बीघा मण्डी क्षेत्राधिकार से बाहर होने के कारण राजस्व रिकार्ड में पूर्ववत आबादी दर्ज रही।

(2) राज्य सरकार द्वारा परीक्षण किया जा रहा है।

ग्रामीण अंचल के राज्य सेवकों की पैतृक सम्पत्तियों को अतिक्रमण मुक्त कराने हेतु नियम

149. श्री बन्ने सिंह राठौड़ (ओसियां) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री बन्ने सिंह राठौड़)

(1) क्या यह सही है कि शहरी क्षेत्रों में राज्य के लोक सेवकों की सेवानिवृत्ति पर उनके निजी आवासों को किरायेदारों से रिक्त कराने के सरकार द्वारा नियम बनाये गये हैं?

(2) क्या यह भी सही है कि राज्य के ग्रामीण अंचल के निवासी काफी लोक सेवक शहरी क्षेत्र व अन्य जिलों में सेवा पर्यन्त 30-35 वर्ष तक कार्यरत रहने के पश्चात् सेवा निवृत्ति पर वापस गांव में जाने तक उसकी पैतृक कृषि भूमि के ज्यादातर समस्त भाग पर कुटुम्बीजनों/अन्य ग्रामवासियों के कब्जे हो चुके होते हैं? यदि हां, तो उक्त बाबत सरकार क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है?

(3) क्या सरकार शहरी क्षेत्र के साथ-साथ ग्रामीण लोक सेवकों के हित में उनकी कृषि भूमि सेवा निवृत्ति पर तत्परता से अतिक्रमियों से मुक्त कराने का नियमों में प्रावधान कराने का विचार रखती है? यदि हां. तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। राज. किराया नियंत्रण अधिनियम, 2001 की धारा 10(1)(बी) के अन्तर्गत प्रावधान किये हुए हैं।

(2) लोकसेवकों की पैतृक कृषि भूमि पर कुटुम्बीजनों/ग्रामवासियों के कब्जे सम्बन्धी प्रकरण हो सकते हैं। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 183 में अतिक्रमियों की बेदखली के प्रावधान किये हुये हैं जो सभी के लिए समान रूप से लागू है। लोक सेवकों के लिए अलग से इस सम्बन्ध में कोई प्रावधान नहीं है।

(3) जी नहीं। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 183 में अतिक्रमियों के बेदखली के प्रावधान पूर्व में ही किये हुए हैं जो सभी के लिए समान रूप से लागू है। अत: अलग से प्रावधान करने की आवश्यकता नहीं है।

हिण्डौली एवं नैनवां के लीजदार किसानों को खातेदारी अधिकार

150. श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) तहसील हिण्डौली एवं नैनवां में कितने किसानों को कितने वर्षों पूर्व लीजदार के रूप में भूमि का आबंटन किया गया था और आबंटन से आज तक उक्त भूमि पर कौन काश्त कर रहा है?

(2) क्या सरकार उक्त किसानों को खातेदारी अधिकार देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) तहसील हिण्डोली क्षेत्र के 474 तथा तहसील नैनवां क्षेत्र के 22 किसानों को 37 वर्ष पूर्व लीज पर भूमि आबंटित की गई थी। लीज पर आबंटित भूमियों पर उक्त आबंटन से अब तक लीजदारान व उनके वारीसान द्वारा ही काश्त की जा रही है।

(2) राजस्थान उपनिवेशन (मध्यम तथा लघु सिंचाई परियोजनायें सरकारी भूमियों का आबंटन) नियम, 1968 के अन्तर्गत अधिसूचना एफ 4(15)उप/88 दिनांक 4.6.2002 जारी कर प्रावधान किया गया है कि लीजदारान नियम 17 के अधीन नियत आरक्षित कीमत का संदाय करने पर इन नियमों के अनुसार आबंटन के पात्र होंगे। इसके पश्चात् नियमानुसार खातेदारी अधिकार प्रदत्त कर दिये जायेंगे।

गांधी आश्रम परतापुर (बांसवाड़ा) का भूमि प्रकरण

151. श्री नवनीत नीनामा (घाटोल) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि जिला बांसवाड़ा में गांधी आश्रम परतापुर नाम की संस्था कार्यरत है? यदि हां, तो उस सेवा संघ संस्था के नाम से जिला बांसवाड़ा में किन-किन गांवों में कितनी-कितनी जमीन है? गांव पटवार मण्डल, सर्वे नम्बर मय रकबा के विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि सेवा संघ गांधी आश्रम परतापुर के सम्बन्धित गांव जेदला तहसील घाटोल में पटवार मण्डल चन्दूजी का गढ़ा, सेनावासा, पढ़ोली गोवर्धन पटवार मण्डलों में सेवा संघ के नाम जमीन है? यदि हां, तो गांव व सर्वे नम्बर रकबा लगान सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री नवनीत नीनामा)

(3) क्या यह सही है कि पटवार मण्डल पढ़ोली गोवर्धन तहसील घाटोल में गांव जेदला में सेवा संघ गांधी आश्रम के नाम से जमीन का खाता है? यदि हां, तो खाता संख्या सर्वे नम्बर मय रकबा मय नक्शा ट्रेस व लगान का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि गांधी आश्रम परतापुर के खाते पर वर्ष 1992 से 1994 में भू-प्रबन्ध सेटलमेंट पैमाइश हुई है? यदि हां, तो क्या सेवा संघ की जमीन के पुराने सर्वे नम्बर 559/503, 556/501, 502, 503, 590/505, 502 को सेवा संघ के नाम से हटाकर किसी अन्य काश्तकार के नाम सेटलमेंट अधिकारी द्वारा लिख दिया गया है? यदि हां, तो काश्तकार का नाम मय पिता के नाम के विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या यह सही है कि सेवा संघ संस्था की भूमि को किसी किसान ने अपने नाम कराकर उतनी ही जमीन अन्य पड़ौसी किसानों की सेवा संघ के नाम दर्ज कराई है? यदि हां, तो किसकी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। प्रश्नगत संस्था के नाम से जिला बांसवाड़ा में ग्रामवार, पटवार मण्डल सर्वे नम्बर मय रकबा सहित विवरण परिशिष्ट-1 संलग्न है।

(2) जी हां। गांव, सर्वे नम्बर, रकबा व लगान सहित विवरण परिशिष्ट-2 संलग्न है।

(3) जी हां। खाता संख्या, सर्वे नम्बर, रकबा, नक्शा ट्रेस व लगान का विवरण परिशिष्ट-3 व 4 संलग्न है।

(4) जी हां। सन् 1992-94 में हुए भू-प्रबन्ध की पैमाइश में सेवा संघ संस्था के नाम खाता हटाया नहीं गया है किन्तु नये नक्शे में इस भू-प्रबन्ध के दौरान विसंगति पाये जाने के फलस्वरूप सम्बन्धित मामला राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88 एवं भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 के अन्तर्गत प्रकरण संख्या 13/04 वागजी पिता पुनीया (बहैसियत अध्यक्ष, सेवा संघ समिति परतापुर) बनाम लक्ष्मण पिता कचरू जाति आदिवासी नि. जेदला एवं श्री सरकार (तहसीलदार घाटोल) उपखण्ड मजिस्ट्रेट घाटोल के न्यायालय में विचाराधीन है।

(5) बिन्दु संख्या 4 के अनुसार विचाराधीन है जो निर्णय होने पर स्थिति स्पष्ट होगी।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

झुंझुनूं जिले के पटवार/गिरदावर हल्कों का पुनर्गठन

152. श्रीमती प्रतिभा सिंह (नवलगढ़) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जिला झुंझुनूं में कौन-कौन से पटवार हल्का एवं गिरदावर हल्का हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) वर्ष 2001 के अनुसार इनका क्षेत्रफल एवं आबादी कितनी है? क्या इनके क्षेत्रफल में अत्यधिक असमानता है?

(3) क्या सरकार इनके पुनर्गठन का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) झुंझुनूं जिले में कुल 218 पटवार मण्डल एवं 26 गिरदावर हल्के हैं। जिनकी सूची परिशिष्ट (अ) संलग्न है।

(2) क्षेत्रफल एवं आबादी उक्त परिशिष्ट "अ" में अंकित है।

जी हां।

(3) जी हां। परन्तु राज्य में नई प्रशासनिक इकाइयों के गठन/पुनर्गठन पर परिसीमन आयोग के पत्र दिनांक 9.8.2002 द्वारा लागू प्रतिबन्ध के कारण फिलहाल इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही सम्भव नहीं है।

(सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

बांडी नदी (जयपुर) के बहाव क्षेत्र में अवैध कब्जे

153. श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि बांडी नदी जिला जयपुर के बहाव क्षेत्र में कुछ प्रभावशाली लोगों ने अवैध कब्जे कर लिये हैं? यदि हां, तो उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें। यदि नहीं, तो क्यों?

(2) क्या यह सही है कि उक्त कब्जे सरकारी अधिकारी व कर्मचारियों की मिलीभगत से किये गये हैं? यदि हां, तो उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। बांडी नदी जिला जयपुर के बहाव क्षेत्र में जयपुर तहसील के क्षेत्र में 6 व्यक्तियों द्वारा 23 बीघा, आमेर क्षेत्र में 7 व्यक्तियों द्वारा 12 बीघा, सांभर क्षेत्र में 55 व्यक्तियों द्वारा 199 बीघा (कालख बांध के पेटा क्षेत्र में), कुल 68 व्यक्तियों द्वारा 234 बीघा भूमि पर अतिक्रमण कर कब्जा दिया गया था। इनमें से तहसील आमेर के 6 व्यक्ति जयपुर विकास प्राधिकरण की खातेदारी भूमि में अतिक्रमण होने के कारण जे.डी.ए. को अतिक्रमण हटाने हेतु तहसीलदार आमेर द्वारा लिखा गया है। शेष 62 व्यक्तियों के विरुद्ध राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत उक्त भूमि से बेदखली की कार्यवाही की गई तथा तहसीलदार जयपुर एवं सांभर द्वारा फसल जप्ती एवं शास्ती की भी कार्यवाही की गई।

(2) जी नहीं।

सरकारी अधिकारी/कर्मचारियों द्वारा अतिक्रमण होते ही समय पर धारा 91 के तहत कार्यवाही की गई है। अतिक्रमियों के विरुद्ध नियमानुसार प्रभावी कार्यवाही समय पर की जाती रही है।

मसाला फसलों का समर्थन मूल्य

154. श्री भरत सिंह (दीगोद) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में मसाले की फसलों की खेती को प्रोत्साहित किया जाता है? यदि हां, तो प्रदेश में प्रमुख मसालों की कौन-कौनसी फसलें हैं तथा उनकी खेती किस-किस जिले में हो रही है?

(2) क्या यह सही है कि इन फसलों का समर्थन मूल्य तय नहीं होने से उपज का उचित मूल्य किसानों को नहीं मिल रहा है?

(3) कोटा सम्भाग में कितने क्षेत्र में लहसुन की खेती हो रही है तथा कितनी उपज हुई है? लहसुन का उचित बाजार मूल्य दिलवाने हेतु सरकार द्वारा क्या प्रयास किए गये?

उत्तर

(1) जी हां। जीरा. धनिया. मेथी, मिर्च, लहसुन. सौंफ आदि राज्य की मुख्य मसाला फसलें हैं। इनके मुख्य उत्पादक जिले निम्न हैं :-

जीरा-बाड़मेर, जालौर. जोधपुर, नागौर, पाली।

(कृषि मंत्री)

धनिया-बारां, झालावाड़, कोटा।

मेथी-नागौर, सीकर, जयपुर, कोटा, बारां, झालावाड़।

मिर्च-जोधपुर, अजमेर, सवाईमाधोपुर, टौंक, पाली, भीलवाड़ा।

लहसुन-चित्तौड़गढ़, जोधपुर, बारां, झालावाड़, कोटा।

सौंफ-सिरोही, टोंक मुख्य है।

(2) मसाला फसलों के लिए केन्द्र सरकार द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित किये हुए नहीं है। फिर भी फसलों के बाजार भाव, उत्पादन लागत से नीचे गिरने की स्थिति में राज्य सरकार केन्द्र सरकार की ''बाजार हस्ताक्षेप योजना'' के अन्तर्गत कार्यवाही करती है।

(3) कोटा सम्भाग में वर्ष 2003-04 में विभागीय अनुमान के अनुसार लहसुन का क्षेत्रफल 10,190 हैक्टेयर व उत्पादन 46,940 मैट्रिक टन हुआ है। फसल की आवक के समय लहसुन के औसत बाजार भाव उत्पादन लागत से अधिक रहे, इस कारण लहसुन की खरीद राज्य सरकार द्वारा केन्द्र सरकार की बाजार हस्तक्षेप योजना अन्तर्गत नहीं की गई।

सिंचित क्षेत्र विकास में निर्मित सड़कें

155. श्री भंवरलाल शर्मा (सरदारशहर) : क्या सिंचित क्षेत्र विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) वर्ष 1990 से 1992 तक सिंचित क्षेत्र विकास में कितने किलोमीटर सड़क का निर्माण कितनी-कितनी लागत से हुआ? उक्त सड़क निर्माण किस-किस सम्भाग के किस-किस तहसील में कितनी-कितनी किलोमीटर में हुआ? सड़क का नाम व लम्बाई सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) वर्ष 1993 से मई, 2004 तक सिंचित क्षेत्र विकास में कितने किलोमीटर सड़क का निर्माण कहां-कहां हुआ? सड़कवार, ग्रामवार सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) वर्ष 1990-1992 तक सिंचित क्षेत्र विकास, बीकानेर (इंगानप) के मद से सार्वजनिक निर्माण विभाग के जिला खण्ड-II के माध्यम से कुल 231.23 कि.मी. सड़कों का निर्माण कार्य राशि रुपये 1576.71 लाख की लागत से किया गया था। सड़क

(सिंचित क्षेत्र विकास मंत्री)

का नाम व लम्बाई. सम्भाग व तहसील का ब्यौरा संलग्न विवरण में प्रस्तुत है (परिशिष्ट "अ") इस अवधि में सी.ए.डी. कोटा में सड़क निर्माण नहीं किया गया है।

(2) वर्ष 1993 से लेकर मई, 2004 तक बांई नहर खण्ड सीएडी बूंदी में लगभग 11.49 किलोमीटर सड़क का निर्माण हुआ है। जिसका विवरण निम्नानुसार है :-

1. सड़क निर्माण कापरेन ब्रांच चैन 55 से 120 चैन तक (1.98 कि.मी.)

2. सड़क निर्माण अन्धेड डिस्ट्रीब्यूटरी चैन 263 से 525 चैन तक (7.99 कि.मी.)

3. सड़क निर्माण अलकोदिया माईनर चैन 50 से 100 चैन तक (1.52 कि.मी.)

सिंचित क्षेत्र विकास, बीकानेर के तहत मद से सार्वजनिक निर्माण विभाग के जिला खण्ड-II के माध्यम से 465.15 कि.मी. सड़कों का निर्माण हुआ है। सड़कवार एवं ग्रामवार सूची संलग्न है (परिशिष्ट "ब")

परिशिष्ट-'अ'

वर्ष 1990 से 1992 तक निर्मित सड़कों का विवरण

क्रम संख्या	सड़क का नाम	लम्बाई	सम्भाग	तहसील
1.	गोडू सुधारवाला 0/0 से 8/0	30 कि.मी.	जोधपुर	जैसलमेर
2.	आर.डी. 820 से धनजी की ढाणी 0/0 से 13/0	13 कि.मी.	बीकानेर	पूगल
3.	मकेरी से बीकानेर-पूगल मार्ग 0/0 से 33/0	29 कि.मी.	बीकानेर	पूगल
4.	धनजी की ढाणी से गोडू किमी 26/0 से वाया बिजेरी लिंक 3 पी.एल.एम. 0/0	32 कि.मी.	बीकानेर	कोलायत
5.	आर.डी. 1201 से अवाई ब्रांच किमी. 0/0 से 32/0	26.230 कि.मी.	जोधपुर	जैसलमेर
6.	मोहनगढ़-हमीरा कि.मी. 0/0 से 55/0	51.00 कि.मी.	जोधपुर	जैसलमेर
		231.23 कि.मी.		

परिशिष्ट-'ब'

वर्ष 1993 से मई 2004 तक निर्मित सड़कों का विवरण

क्र.सं.	सड़क व ग्राम का नाम	सड़क की लम्बाई	सम्भाग/तहसील
1	2	3	4
1.	गोड्डू सुथारवाला 80/0 से 133/0	53 कि.मी.	जोधपुर/जैसलमेर
2.	एस.बी.सी. सुल्ताना-पिथरवाला कि.मी.0/0 से 18/0	14.77 कि.मी.	—do—
3.	आर.डी. से पिथरवाला किमी. 0/0 से 45/0 (राधाना डिस्ट्री के साथ-साथ)	42.50 कि.मी.	—do—
4.	शेखुवाला डिस्ट्री के साथ-साथ आर.डी. से सुमेवाला माईनर से शेखुवाला टेल (Tail) तक किमी. 0/0 से 20/0	20.29 कि.मी.	—do—
5.	लिंक रोड से ए.एस.सी. जालवाली 0/0 से 16/0	16.00 कि.मी.	—do—
6.	लिंक रोड से ए.एस.सी. जिंसवाली 0/0 से 11/0	12.300 कि.मी.	—do—
7.	लिंक रोड से ए.एस.सी. ढांकलवाला 0/0 से 12/0	9.855 कि.मी.	—do—
8.	लिंक रोड से ए.एस.सी. खारिया 0/0 से 8/0	8.340 कि.मी.	—do—
9.	आर.डी. एलांग घंटयाली विन्तरिका गोड्डू सुथारवाला सड़क से भला गांव के किनारे तक 0/0 से 30/0	30.600 कि.मी.	—do—
10.	मोहनगढ़-सुथारवाला क्रोसिंग झुझुंवाला व भल्ला विन्तरिका 0/0 से 28/0	28.000 कि.मी.	—do—
11.	बिरसलपुर शाखा के अन्त से फत्तुवाला 0/0 से 23/0	14.000 कि.मी.	बीकानेर/कोलायत

1	2	3	4
12.	सड़क विस्तार नाचना अपर विन्तरिका के साथ-साथ से गोड़ू सुथारवाला किमी. 0/0 से 15/0	4.380 कि.मी.	जोधपुर/जैसलमेर
13.	लिंक रोड ए.एस.सी. किमी. 0/0 से 15/0	16.200 कि.मी.	बीकानेर/कोलायत
14.	लिंक रोड ए.एस.सी. के. एच.डी. 0/0 से 6/0	5.000 कि.मी.	—do—
15.	लिंक रोड से ए.एस.सी. गज्जेवाला 0/0 से 5/0	4.250 कि.मी.	—do—
16.	भूरासर वितरिका के साथ-साथ सड़क निर्माण	19.300 कि.मी.	—do—
17.	बीकानेर-पूगल सड़क से अदूरी 0/0 से 5/0	11.320 कि.मी.	बीकानेर/पूगल
18.	आशापुरा से आर.डी. 797	15.000 कि.मी.	—do—
19.	आशापुरा से 2 ए.एम. वाया 6 बी.एम. व 9 C.D.Y. 0/0 से 12/0	15.000 कि.मी.	—do—
20.	आर.डी. 836 से मेन केनाल 3 बी.एल.एम. मानकासर वाया 2 ए.एम., 26 ए.एम. 0/0 से 16/0	20.400 कि.मी.	बीकानेर/कोलायत
21.	आर.डी. '0' फुलासर माइनर से आर.डी. 950 आफ मेन कैनाल वाया 8 एम.एम. 0/0 से 13/0	13.850 कि.मी.	—do—
22.	6 ए.एम. से 8 डी.ओ.बी.सी. किमी. 0/0 से 9/0	8.935 कि.मी.	बीकानेर/पूगल
23.	पुलासर वितरिका के साथ वाया 7 पी.एस.डी. व 15/17 पी.एस.डी. कि.मी. 0/0 से 12/0	12.000 कि.मी.	बीकानेर/कोलायत
24.	डन्डी से रानावाला किमी. 0/0 से 5/0	5.000 कि.मी.	बीकानेर/पूगल

1	2	3	4
25.	मुख्य सड़क से घण्टियाली विन्तरिका 0/0 से 3/0	3.000 कि.मी.	जोधपुर/जैसलमेर
26.	आर.डी. 1365 से भोडू सुथारवाला कि.मी. 0/0 से 15/0	15.000 कि.मी.	—do—
27.	सुल्ताना वितरिका के साथ-साथ से सुल्ताना पिथरवाला 0/0 से 20/0	14.790 कि.मी.	—do—
28.	सुल्ताना विन्तरिका के साथ-साथ से पिथरवाला छोर एवं एस.बी.सी. के अन्त तक 0/0 से 32/0	32.070 कि.मी.	—do—
	योग	**465.15 कि.मी.**	

ह./-
अधिशासी अभियन्ता
सा.नि.वि. जिला खण्ड द्वितीय
बीकानेर

खसरा एवं मलेरिया रोगों की रोकथाम

156. श्री रामचन्द्र सराधना (जमवारामगढ़) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राज्य में मई व जून, 2004 माह में खसरा व मलेरिया से पीड़ित कितने रोगी अस्पतालों में आये और इनमें से कितने रोगियों की मौत हुई?

(2) क्या यह सही है कि इनमें से अधिकांश रोगियों की मौत समय पर समुचित चिकित्सा सुविधा नहीं मिलने के कारण हुई?

(3) क्या सरकार उक्त रोगों की रोकथाम हेतु टीकाकरण, डीडीटी का छिड़काव व अन्य प्रभावी कदम उठाने का विचार रखती है? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राज्य के राजकीय चिकित्सा संस्थानों में माह मई एवं 15 जून 2004 में खसरा व मलेरिया से पीड़ित रिपोर्टेड रोगियों एवं उक्त बिमारियों से हुई मृत्युओं का संख्या विवरण निम्न प्रकार है :-

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

माह	खसरा से पीड़ित रागियों की संख्या	पोस्ट मिजल से मृतकों की संख्या	मलेरिया से पीड़ित मृतकों की संख्या	मलेरिया से पीड़ित मृतकों की संख्या
मई 2004	679	5	10353	1
15 जून 2004	110	4	4197	शून्य

(2) जी नहीं।

(3) राज्य में मीजल्स टीकाकरण 0-1 वर्ष के बच्चों का वर्ष 2003-04 में 91.8 प्रतिशत एवं वर्ष 2004-05 में माह मई 2004 तक 15.61 प्रतिशत किया गया है। सभी जिलों में माह अप्रैल एवं मई 2004 में विशेष अभियान चलाकर 9 माह से 3 वर्ष तक की आयु के बच्चों का टीकाकरण किया गया।

राज्य में मलेरिया की रोकथाम के लिए डी.डी.टी. के छिड़काव का प्रथम चक्र दिनांक 15.5.2004 से 30.6.2004 करवाया गया तथा दिनांक 15.8.2004 से 30.9.2004 में द्वितीय चक्र करवाया जायेगा। साथ ही इस वर्ष अन्य मलेरिया कीटनाशक सिंथेटिक साईफ्ल्यूथ्रिन एवं डेल्टमिथ्रिन का छिड़काव अधिक जोखिम वाले जिले बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर, डूंगरपुर, उदयपुर, बारां, झालावाड़, एवं भीलवाड़ा में करवाया जा रहा है।

मावली में नये स्वास्थ्य केन्द्र/उपकेन्द्र

157. श्री शान्तिलाल चपलोत (मावली) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) वर्तमान में उदयपुर जिले में कितने चिकित्सा केन्द्र हैं? क्या सरकार जिले में नये चिकित्सा केन्द्र खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कहां-कहां व कब तक?

(2) विधान सभा क्षेत्र मावली में वर्तमान सीमित चिकित्सा केन्द्र होने की दृष्टि से क्या सरकार वहां नये स्वास्थ्य केन्द्र/उपकेन्द्र खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कहां-कहां एवं कब तक?

उत्तर

(1) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अधीन उदयपुर जिले में वर्तमान में 651 चिकित्सा संस्थायें स्वीकृत हैं।

उदयपुर जिले में नये सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं उप स्वास्थ्य केन्द्र खोलने हेतु वित्तीय वर्ष 2004-05 में समुचित वित्तीय प्रावधान उपलब्ध नहीं हैं।

(2) जी नहीं। पंचायत समिति मावली में भारत सरकार के ग्रामीण जनसंख्या आधारित मापदण्डों के अनुसार सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं उप स्वास्थ्य केन्द्र स्वीकृत हैं।

नागौर जिले के चिकित्सालयों में रिक्त पद

158. श्री मदन लाल मेघवाल (जायल) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) वर्तमान में जिला नागौर में कितने राजकीय चिकित्सालय हैं तथा इनमें से किस-किस संवर्ग के कितने स्वीकृत हैं तथा स्वीकृत पदों में से कितने पद रिक्त हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) विधान सभा क्षेत्र जायल में कितने राजकीय चिकित्सालय कहां-कहां पर स्थित हैं तथा उनमें किस-किस श्रेणी के पद स्वीकृत हैं तथा उनमें से कौन-कौन से पद कब-कब से रिक्त हैं?

(3) क्या सरकार उक्त रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) जिला नागौर में वर्तमान में 107 राजकीय चिकित्सालय/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कार्यरत हैं, जिनके स्टाफ के स्वीकृत एवं रिक्त पदों का विवरण परिशिष्ट-'अ' पर उपलब्ध है।

(2) विधान सभा क्षेत्र जायल के अन्तर्गत आने वाले सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के नाम तथा उनके स्टाफ के स्वीकृत एवं रिक्त पदों का मय रिक्ति अवधि, विवरण परिशिष्ट 'ब' पर उपलब्ध है।

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

(3) पदोन्नति वाले रिक्त पदों को विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित होने के उपरान्त भरा जाना सम्भव हो सकेगा।

चिकित्सा अधिकारी के रिक्त पदों को राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा भरने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

नर्स श्रेणी द्वितीय के रिक्त पदों पर संविदा के आधार पर नियुक्ति करने पर माननीय उच्च न्यायालय ने रोक लगा रखी हैं। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा रोक हटाये जाने पर रिक्त पदों को भरने की कार्यवाही किया जाना सम्भव हो सकेगा।

सीधी भर्ती वाले रिक्त पदों को प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त होने पर भरा जाना सम्भव हो सकेगा।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

राजकीय चिकित्सालय, नाथद्वारा में उपलब्ध सुविधाएं

159. डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या यह सही है कि नाथद्वारा नगर में 200 बैड का चिकित्सालय स्वीकृत है? यदि हां, तो क्या उक्त श्रेणी के स्वीकृत चिकित्सालय के मानदण्डों की सभी भौतिक सुविधा यथा चिकित्सक, भवन, पोस्ट मार्टम कक्ष. ब्लड बैंक, केन्टीन, शल्य कक्ष, लेबोरेट्रिज, एक्सरे रूम आदि उपलब्ध है? यदि नहीं, तो वहां उक्त सुविधाएं कब तक उपलब्ध करायी जायेंगी?

उत्तर

जी हां, राजकीय चिकित्सालय, नाथद्वारा को वर्ष 2002-03 में 100 शैय्याओं से 200 शैय्याओं में क्रमोन्नत किए जाने की स्वीकृति जारी की गई थी और 25 पद अतिरिक्त सृजित किए गये थे जिनको अन्य चिकित्सालयों से राजकीय चिकित्सालय नाथद्वारा में हस्तान्तरित किया जाना था। उक्त पदों में से कुछ पदों को अन्य चिकित्सालयों से तथा कुछ पदों के लिए अतिरिक्त वित्तीय प्रावधान उपलब्ध करवाए जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। वर्ष 2003-04 में उक्त चिकित्सालय में ब्लड बैंक खोले जाने की स्वीकृति जारी की गई। वर्तमान में नाथद्वारा में आऊटडोर, वार्डस, आपरेशन थियेटर. सोनोग्राफी. एक्सरे रूम, प्रयोगशाला जांच. केन्टीन एवं

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

पोस्टमार्टम कक्ष आदि के लिए भवन उपलब्ध है। ब्लड बैंक का भवन बनावाए जाने की कार्यवाही विचाराधीन है। राजस्थान हैल्थ सिस्टम डवलपमेंट प्रोजेक्ट के अन्तर्गत नाथद्वारा चिकित्सालय में रिनोवेशन/ऐडिशन व आल्ट्रेशन आदि कार्य के लिए वर्ष 2005-06 में 44.00 लाख रुपये का वित्तीय प्रावधान प्रस्तावित है।

बयाना के चिकित्सालयों में रिक्त पद

160. श्री अतर सिंह भड़ाना (बयाना) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र बयाना में वर्तमान में किस-किस श्रेणी के कौन-कौन से राजकीय चिकित्सालय हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त चिकित्सालयों में मेडिकल/पैरा मेडिकल स्टाफ के किन-किन चिकित्सालयों में कितने-कितनें पद सृजित हैं और इनमें से कौन-कौन से पद रिक्त हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) सरकार उक्त रिक्त पदों को कब तक भरने का विचार रखती है?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र बयाना के अन्तर्गत वर्तमान में 2 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं 2 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कार्यरत हैं। उक्त चिकित्सा संस्थानों के नाम परिशिष्ट 'अ' पर उपलब्ध है।

(2) विधान सभा क्षेत्र बयाना के अन्तर्गत आने वाले सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के मेडिकल एवं पैरा मेडिकल स्टाफ के स्वीकृत एवं रिक्त पदों का विवरण परिशिष्ट 'अ' पर उपलब्ध है।

(3) कनिष्ट विशेषज्ञ, वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी, नर्स श्रेणी प्रथम एवं मलेरिया निरीक्षकों के रिक्त पदों को विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित होने पर भरा जाना सम्भव हो सकेगा। चिकित्सा अधिकारियों के रिक्त पदों को राजस्थान लोक सेवा आयोग से भरने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। वाहन चालक एवं एम.पी.डब्ल्यू. के रिक्त पद सीधी भर्ती के हैं जिन्हें प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त होने पर भरा जाना सम्भव हो सकेगा।

परिशिष्ट "अ"

विधान सभा क्षेत्र बयाना के अन्तर्गत आने वाले सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के नाम तथा उनमें मेडिकल एवं पैरा मेडिकल स्टाफ के स्वीकृत एवं रिक्त पदों का विवरण निम्न प्रकार है:-

चिकित्सा संस्थान का नाम	पदनाम	स्वीकृत पदों की संख्या	रिक्त पदों की संख्या
1	2	3	4
1. सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र,	कनिष्ठ विशेषज्ञ	3	2
एवं ग्रामीण परिवार कल्याण	वरिष्ट चिकित्सा अधिकारी	1	-
केन्द्र, बयाना	चिकित्सा अधिकारी	4	1
	चिकित्सा अधिकारी (दन्त)	1	-
	नर्स श्रेणी प्रथम	5	-
	नर्स श्रेणी द्वितीय	7	-
	एल.एच.वीं.	2	-
	महिला स्वास्थ्य कार्यकर्त्ता	3	-
	सहायक रेडियोग्राफर	1	-
	वरिष्ट लैब टैक्नीशियन	1	-
	लैब टैक्नीशियन	1	-
	दन्त टैक्नीशियन	1	-
	वाहन चालक	2	1
	मलेरिया निरीक्षक	1	1
	(बी.एच.एस. (मेल/फिमेल)	2	-
2. सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र,	कनिष्ठ विशेषज्ञ	3	-

1	2	3	4
एवं ग्रामीण परिवार कल्याण केन्द्र, बसेडी	वरिष्ट चिकित्सा अधिकारी	1	1
	चिकित्सा अधिकारी	3	1
	नर्स श्रेणी प्रथम	1	1
	नर्स श्रेणी द्वितीय	7	-
	महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता	2	-
	लैब टैक्नीशियन	2	-
	वाहन चालक	1	-
	मलेरिया निरीक्षक	1	1
	सेक्टर सुपरवाईजर	1	-
	(बी.एच.एस. (मेल)	1	-
	(बी.एच.एस. (फिमेल)	1	-
3. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, ब्रह्मवाद	चिकित्सा अधिकारी	1	-
	नर्स श्रेणी द्वितीय	2	-
	एल.एच.वी.	1	-
	ए.एन.एम.	1	-
	लैब टैक्नीशियन	1	-
	एम.पी. डब्लू	1	1
4. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सिंवाडा	चिकित्सा अधिकारी	1	-
	नर्स श्रेणी द्वितीय	1	-
	ए.एन.एम.	1	-
	लैब टैक्नीशियन	1	-
	सेक्टर सुपरवाईजर	1	-
	एम.पी.डब्लू.	1	-

नेत्र सहायकों का वेतनमान

161. श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर (नदबई) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा वर्ष 1998 में आप्थेलमिक एसिस्टेंट (नेत्र सहायक) के वेतनमान में संशोधन का निर्णय लिया गया था? यदि हां, तो क्या उक्त निर्णय को लागू कर दिया गया? यदि नहीं, तो क्यों?

(2) क्या यह सही है कि उक्त वर्तमान संशोधन के आदेश को रोका गया है? यदि हां, तो क्यों? उक्त रोक कितने समय के लिए लगाई गई? रोक के आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या अब सरकार नेत्र सहायकों के वेतन संशोधन के लम्बित आदेशों को जारी करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां।

राज्य में वर्ष 1998 में विधान सभा चुनावों के कारण आदेश जारी करने पर निर्वाचन विभाग द्वारा प्रतिबन्ध लगा दिये जाने के कारण आदेश जारी नहीं किये गये थे। तत्पश्चात् प्रकरण को वेतन विसंगति निराकरण समिति को जांच हेतु प्रेषित कर दिया था।

(2) जी नहीं।

(3) श्री वाई. सिंह वेतन विसंगति निराकंरण समिति की रिपोर्ट राज्य सरकार को प्राप्त हो गई है जो वर्तमान में परीक्षणाधीन है। समिति की विभिन्न अनुशंषाओं पर जो निर्णय राज्य सरकार लेगी उसके अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

जैसलमेर जिले के सड़कविहीन ग्राम पंचायत मुख्यालय

162. श्री सांगसिंह भाटी (जैसलमेर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

जिला जैसलमेर के कितने राजस्व ग्राम व पंचायत मुख्यालय पक्की सड़कों से जोड़ दिये गये हैं? शेष बचे गांव पक्की सड़कों से कब तक जोड़ने प्रस्तावित हैं? ग्रामवार विवरण सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जिला जैसलमेर के 288 राजस्व ग्राम जिनमें 111 पंचायत मुख्यालय हैं, पक्की सड़कों से जोड़े जा चुके हैं तथा शेष बचे 400 गांवों में से 39 ग्राम जिनमें 11 पंचायत मुख्यालय हैं, विभिन्न योजनाओं में डामर सड़क से जोड़ने हेतु स्वीकृत है, जिनको माह जून, 2005 तक जोड़ा जाना प्रस्तावित है। शेष रहे 193 ग्राम जिनकी आबादी 250 से अधिक है उनको प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में जोड़े जाने का लक्ष्य है जो केन्द्र सरकार की स्वीकृति पर निर्भर करेगा तथा 168 ग्राम जो 250 से कम आबादी के हैं उनको जोड़ा जाना राज्य सरकार की उपलब्ध वित्तीय संसाधनों पर निर्भर करेगा। गांव वार सूची परिशिष्ट "अ", "ब", "स" एवं "द" पर संलग्न है।

(सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

बांसवाड़ा जिले की मिसिंग लिंक सड़कें

163. श्री फतेह सिंह (कुशलगढ़) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि जिला बांसवाड़ा में मिसिंग लिंक सड़कों के प्रस्ताव मांगे गये थे?

(2) क्या सरकार एक सड़क से दूसरी सड़क को मिसिंग लिंक में जोड़ने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी नहीं।

आसीन्द में प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत सड़क निर्माण

164. श्री हंगामी लाल मेवाड़ा (आसीन्द) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र आसीन्द में प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत कितनी ग्राम पंचायतों को डामरीकरण योजना से जोड़ दिया गया तथा कितनी ग्राम पंचायतों को इस योजना से जोड़ा जाना शेष है? ग्राम पंचायतवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) सरकार शेष रही ग्राम पंचायतों को डामरीकरण योजना से कब तक जोड़ने का विचार रखती है?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र आसीन्द में कुल 44 पंचायत मुख्यालयों में से 40 पहले से डामर सड़क से जुड़े हुए है तथा एक पंचायत मुख्यालय को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत जोड़ा जा चुका है। इस योजना के अन्तर्गत 3 पंचायत मुख्यालयों को जोड़ा जाना शेष है। इन ग्राम पंचायतों की सूची परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) शेष तीन पंचायत मुख्यालयों में से एक रूपपुरा (701) प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत स्वीकृत सम्पर्क सड़क कुराचों का खेड़ा के अन्तर्गत जुड़ेगा।

शेष दो पंचायत मुख्यालयों को जनसंख्या की प्राथमिकता के आधार पर केन्द्र सरकार से स्वीकृति के पश्चात् डामर सड़क से जोड़ा जा सकेगा।

परिशिष्ट "अ"

विधान सभा आसीन्द क्षेत्र में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत एक पंचायत मुख्यालय झालरिया (602) ग्राम पांडरू (1309) को डामर सड़क से जोड़ने पर इंसीडेंटली जुड़ गया है।

सड़क से नहीं जुड़े शेष 3 ग्राम पंचायत मुख्यालयों की सूची :-

क्र.सं.	ग्राम पंचायत मुख्यालय का नाम	जनसंख्या
1.	रूपपुरा	701
2.	जीन्द्रास	856
3.	रतनपुरा (भादसी)	458

श्रीगंगानगर से सादुलशहर की क्षतिग्रस्त सड़क

165. श्री गुरजंट सिंह बराड़ (संगरिया) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) श्रीगंगानगर जिला मुख्यालय को सादुलशहर से जोड़ने वाली सम्पर्क सड़क श्रीगंगानगर से बनवाली तक का मरम्मत कार्य कब किया गया ?

(2) सरकार इस सम्पर्क सड़क की मरम्मत कब तक करवाने का विचार रखती है?

उत्तर

(1) श्रीगंगानगर जिला मुख्यालय को सादुल शहर से जोड़ने वाली सम्पर्क सड़क की श्रीगंगानगर से बनवाली तक की लम्बाई 15 किलोमीटर है। इसमें से श्रीगंगानगर (आजाद टाकीज) से गंगनहर तक 3.50 किमी. का हिस्सा सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधीन है जिसका साधारण मरम्मत कार्य माह सितम्बर 2003 में करवाया गया है। शेष सड़क लम्बाई राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड के अधीन है जिसका नवीनीकरण वर्ष 1990-91 में राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड द्वारा तथा वर्ष 1997 -98 में सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा किया गया।

(2) श्रीगंगानगर से बनवाली तक की सड़क यातायात के लायक है। सड़क की साधारण मरम्मत का कार्य समय-समय पर वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार कराया जाता रहा है।

सांगोद (कोटा) में प्रधानमंत्री सड़क योजनान्तर्गत प्रस्तावित सड़कें

166. श्री भरत सिंह (दीगोद) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत सांगोद तहसील, जिला कोटा के ग्राम बृजनगर, कन्दाफल, देगनिया, बाछीहेड़ा, बरखेड़ा, नालोदी में सड़क बनाना प्रस्तावित है? यदि हां, तो इन सड़कों का कार्य प्रारम्भ करने में विलम्ब क्यों हो रहा है? इनके कार्य कब तक प्रारम्भ कर दिये जायेंगे?

(2) क्या यह सही है कि इन कार्यों की निविदा प्राप्त कर ठेका दिया जा चुका है? यदि नहीं, तो कब तक यह कार्य पूरा करवा दिया जावेगा।

उत्तर

(1) जी हां। यह सही है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत सांगोद तहसील जिला कोटा के ग्राम बृजनगर, कन्दाफल, देगनियां, बाछीहेडा, बरखेडा, नालौदी में सड़क बनाना प्रस्तावित है। इन कार्यों के आरम्भ होने में विलम्ब के कारण व कार्य आरम्भ करने की सम्भावित तिथी संलग्न परिशिष्ट "अ" में दर्शायी गयी है।

(2) जी नहीं। उपरोक्त कार्यों में से केवल देगनियां, बाछीहेडा, बरखेडा एवं नालोदी का ठेका दिया जा चुका है तथा बृजनगर एवं कन्दाफल का कार्य पुन: निविदा प्रक्रिया में है। ठेके पर दिये जा चुके कार्य मार्च 2005 में पूर्ण करना प्रस्तावित है व बृजनगर एवं कन्दाफल का कार्य जून, 2005 तक पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है।

परिशिष्ट "अ"

क्र.सं.	गांव का नाम	जन संख्या	प्रस्तावित सड़क की लम्बाई किमी.	स्वीकृत राशि (लाखों में)	कार्य प्रारम्भ करने में विलम्ब के कारण	कार्य प्रारम्भ करने की संभावित तिथि
1	2	3	4	5	6	7
1.	कन्दाफल	981	5.75	88.03	पूर्व में प्राप्त निविदा में दर अधिक होने के कारण पुन: होने की निविदा प्रक्रिया की जा रही है।	अक्टूबर 2004 से कार्य प्रारम्भ सम्भावना
2.	बृजनगर	917	2.60	40.04	पूर्व में प्राप्त निविदा में दर अधिक होने के कारण पुन: होने की निविदा प्रक्रिया की जा रही है।	अक्टूबर 2004 से कार्य प्रारम्भ सम्भावना
3.	देगनियां	979	7.00	98.32	लोकसभा चुनाव मेंआदर्शआचार संहिता के कारण कार्या-देश जारी करने में विलम्ब हुआ।	कार्यादेश दिया जा चुका है। कार्य शीघ्र प्रारम्भ कर दिया जावेगा।
4.	बाछी हेडा	963	2.45	35.73	लोकसभा चुनाव मेंआदर्शआचार संहिता के कारण कार्या-	कार्यादेश दिया जा चुका है। कार्य शीघ्र प्रारम्भ कर

1	2	3	4	5	6	7
					देश जारी करने में विलम्ब हुआ।	दिया जावेगा।
5.	नालोदी	925	6.00	107.74	लोकसभा चुनाव मेंआदर्शआचार संहिता के कारण कार्या-देश जारी करने में विलम्ब हुआ।	कार्यादेश दिया जा चुका है। कार्य शीघ्र प्रारम्भ कर दिया जावेगा।
6.	बरखेडा	905	2.55	47.18	लोकसभा चुनाव मेंआदर्शआचार संहिता के कारण कार्या-देश जारी करने में विलम्ब हुआ।	कार्यादेश दिया जा चुका है। कार्य शीघ्र प्रारम्भ कर दिया जावेगा।

ढहरा-मोड़ नदबई सड़क

167. श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर (नदबई) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र नदबई में ढहरा मोड़ से नदबई तक का 12 कि.मी. का सड़क मार्ग सिंगल लेन का होने व उस पर आवागमन भार ज्यादा होने से लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है तथा सड़क दुर्घटनाओं की सम्भावना भी बढ़ी है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सड़क मार्ग को डबल लेन का बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

जी नहीं। इस सड़क की लम्बाई 10 किलोमीटर है। किमी. 0/0 से 0/400 तक सीमेन्ट कंक्रीट सड़क 5.5 मीटर चौड़ी 0/400 से 2/200 तक 3.0 मीटर चौड़ी तथा किमी. 2/200 से 10/0 तक 4.25 मीटर चौडी है। यह भी सही नहीं है कि सड़क के सिंगल लेन एवं आवागमन भार ज्यादा होने के कारण लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है तथा सड़क दुर्घटनाओं की सम्भावना बढ़ी है। वर्तमान में इस सड़क पर आवागमन भार को देखते हुए डबल लेन करने की आवश्यकता नहीं है।

वागौर (करौली) की क्षतिग्रस्त सड़क

168. श्री बाबूलाल नागर (दूदू) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि जिला-करौली के ग्राम वागौर को कस्बा शहर से वागौर तक सड़क निर्माण कर जोड़ा गया है? यदि हां, तो उक्त सड़क का निर्माण कार्य किस वर्ष में किया गया?

(2) क्या यह सही है कि उक्त सड़क क्षतिग्रस्त हो गयी है और सड़क पर गड्ढे पड़ गये हैं? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सड़क का पुन: डामरीकरण करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। उक्त सड़क का निर्माण वर्ष 1989-90 में किया गया था।

(2) जी हां। इस सड़क की कुल लम्बाई 10 किमी. है जिसमें से किमी. 0/0 से 2/0 तक पेच रिपेयर द्वारा मरम्मत की जाती रही है। किमी. 2/0 से 10/0 तक पुन: डामरीकरण व मरम्मत का कार्य वर्तमान सीमित संसाधनों के तहत करना सम्भव नहीं है।

नागौर जिले में संचालित राजीव गांधी-स्वर्ण जयन्ती पाठशालाएं

169. श्री रिछपाल सिंह मिर्धा (डेगाना) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राज्य में राजीव गांधी स्वर्ण जयन्ती पाठशालायें कब से खोली गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) जिला नागौर में कुल कितनी राजीव गांधी स्वर्ण जयन्ती पाठशालायें वर्तमान में कार्यरत हैं? सूची ग्राम व ढाणीवार सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा उपरोक्त पाठशालाओं में नियुक्त पैरा टीचर्स को 4 वर्ष की सेवा के पश्चात् स्थायी करने का आश्वासन दिया गया था? यदि हां, तो क्या उक्त पैरा टीचर्स को स्थायी कर दिया गया है? यदि हां, तो कब से व नहीं. तो क्यों?

उत्तर

(1) राज्य में जुलाई 1999 से राजीव गांधी स्वर्ण जयन्ती पाठशालाऐं प्रारम्भ की गई।

(2) जिला नागौर में वर्तमान में 1052 राजीव गांधी स्वर्ण जयन्ती पाठशालाऐं संचालित है। सूची परिशिष्ट 'क' पर संलग्न है।

(3) जी नहीं। परन्तु पैराटीचर्स संघ की मांग पर राज्य सरकार पूर्व में पंचायतीराज विभाग की अधिसूचना दिनांक 14.7.2003 द्वारा राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 266 में संशोधन कर तृतीय श्रेणी अध्यापकों के 75 प्रतिशत पद उन पैराटीचर्स/शिक्षा सहयोगियों के लिये आरक्षित किये गये थे, जो तृतीय श्रेणी अध्यापक पद की शैक्षिक एवं प्रशैक्षिक योग्यता रखते है तथा लगातार चार वर्ष से पैराटीचर्स/शिक्षा सहयोगी के रूप में कार्यरत है। इस व्यवस्था पर रूगाराम जाट व अन्य द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में रिट पिटीशन संख्या 4583/2003 दायर की गई। जिसके आधार पर माननीय उच्च न्यायालय द्वारा उपरोक्त व्यवस्था पर दिनांक 04.8.2003 को रोक लगा दी गई। पुन: दिनांक 28.2.2004 को राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 एवं राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 266 में संशोधन करते हुये रिक्त पदों को राजस्थान लोक सेवा आयोग के माध्यम से लिखित परीक्षा आयोजित कर चयन कर भरने का प्रावधान किया गया है।

(सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

नोखा के विद्यालयों में रिक्त पद

170. श्री गोविन्द राम चौहान (नोखा) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र नोखा के प्राथमिक, उच्च प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों में किस-किस श्रेणी के अध्यापकों के कितने पद रिक्त हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(3) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र नोखा में नव-क्रमोन्नत उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अध्यापकों के पद स्वीकृत कर उन्हें पद स्थापित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र नोखा के प्राथमिक विद्यालयों में तृतीय श्रेणी अध्यापकों के 40 पद व उच्च प्राथमिक विद्यालयों में द्वितीय श्रेणी के 39 व तृतीय श्रेणी के 145 पद रिक्त है। माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय में श्रेणीवार अध्यापकों का विवरण परिशिष्ट-''क'' संलग्न है।

(2) व्याख्याताओं/प्रधानाध्यापकों/तृतीय श्रेणी अध्यापकों के रिक्त पदों को राजस्थान लोक सेवा आयोग/विभागीय चयन समिति द्वारा चयनित आशार्थी उपलब्ध करवाये जाने तथा प्रधानाचार्य एवं वरिष्ठ अध्यापकों के पद विभागीय पदोन्नति समिति के द्वारा चयनित आशार्थी उपलब्ध करवाये जाने पर ही भरा जाना सम्भव हो सकेगा। द्वितीय श्रेणी अध्यापकों के सीधी भर्ती पर माननीय न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश होने के परिणामस्वरूप माननीय न्यायालय के अन्तिम निर्णयानुसार ही कार्यवाही किया जाना सम्भव हो सकेगा।

(3) जी हां। वर्ष 2003-04 में क्रमोन्नत उच्च प्राथमिक विद्यालयों के लिए अध्यापकों के पद स्वीकृत किए जा चुके हैं। नियुक्ति की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

परिशिष्ट-क

क्र.सं.	विद्यालय का नाम	रिक्त पदों की संख्या							
		प्रधानाचार्य	प्र.अ.	व्या.	व.अ.	अध्या	शाशि I	शाशि II	शाशि III
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	राउमावि. पांचू	1	-	3	3	1	-	-	-
2.	राउमावि. जस्सरासर	1	-	3	3	2	-	1	-
3.	राबाउमावि, गट्टाणी नोखा	-	-	1	2	1	-	-	-
4.	राउमावि. हिम्मटसर	-	-	4	1	-	-	-	-
5.	राउमावि, बेरासर	-	-	3	4	4	-	-	-
6.	राबाबाछोटूनाथ उमावि. नोखा			12	5	1			
7.	राउमावि. सुरपुरा			3	3				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8.	राउमावि, दियातरा	1		1		1			
9.	राउमावि, झझू			2	2	2			
10.	रामावि, सारूण्डा				3	1			
11.	रामावि, कुचौर आगुणी				5	2			
12.	राबामावि, हिम्मटसर				2				
13.	रामावि,बन्धडा				4	1			
14.	रामाचि, बादनु				4	1			
15.	रामावि, साधासर				2				
16.	रामावि, देसलसर				4	1			
17.	राग..ावि, बिरमसर				4	1			
18.	रामावि, मैनसर				4				
19.	रा..मावि, काकडा				2	3			
20.	रामावि, कुचौर आगुणी				1				
21.	रामावि, हदा				4				
22.	रामावि, कूदसु				4				
23.	रामावि, जयसिंहदेसरा मगरा				2				
24.	रामावि, सिंजगुरू				2				
25.	रामावि, राठी नोखा				4				
26.	रामावि, कक्कू				4				
27.	रामावि, जागलू				2				
28.	रामावि, रासीसी								1
29.	रामावि, भामटसर					2			

नोहर के श्री बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय प्रबन्ध समिति के विरुद्ध दर्ज प्रकरण

171. श्री बहादुर सिंह गोदारा (नोहर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि श्री बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय नोहर की प्रबन्ध समिति के विरुद्ध भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो हनुमानगढ़ में प्रकरण सं. 334/2000 दर्ज करने के पश्चात् विद्यालय बन्द कर दिया गया?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त विद्यालय बन्द होने से वहां कार्यरत शिक्षक बेरोजगार हो गये तथा उनका 19 माह का वेतन व अन्य परिलाभों का भुगतान नहीं किया गया?

(3) क्या सरकार उक्त बेरोजगार शिक्षकों को राजकीय विद्यालयों में समायोजित करने व बकाया वेतन व अन्य पिरलाभों का भुगतान करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां।

(3) जी नहीं।

कार्मिकों के बकाया वेतन व अन्य परिलाभों का भुगतान नियमानुसार राज्य की वित्तीय स्थिति के अनुसार बजट उपलब्ध होने पर किया ज़ा सकेगा।

प्रदेश में कम्प्यूटर शिक्षा हेतु मान्यता प्राप्त संस्थाओं के विरुद्ध कार्यवाही

172. श्री रामनारायण मीणा (नैनवां) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या प्रदेश में कम्प्यूटर शिक्षा/जाब वर्क आदि के जरिये काम देने के लिये व्यक्तियों/कम्पनियों ने सरकार से मान्यता प्राप्त कर रखी है? यदि हां. तो सूची सदन की मेज पर रखें।

(श्री रामनारायण मीणा)

(2) उक्त में से कितनी कम्पनियां कार्यरत हैं तथा कितनी ने अपना व्यवसाय बन्द कर रखा है?

(3) क्या यह सही है कि ऐसी कम्पनियों के खिलाफ विगत तीन वर्ष की अवधि में पुलिस कार्यवाही की गई है? यदि हां, तो किसके द्वारा तथा क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) राज्य में कम्प्यूटर शिक्षा स्ववित्तपोषित योजना अन्तर्गत संचालित है इस हेतु खुली निविदा के द्वारा फर्मो का चयन कम्प्यूटर शिक्षा हेतु एजेसिंयों के साथ अनुबन्ध किया है। चयनित कम्प्यूटर फर्मे जिनके साथ अनुबन्ध किया गया है की सूची परिशिष्ट 'क' पर सदन के पटल पर रख दी गई है। मैसर्स् टू गुड कम्प्यूटर्स निम्बाहेडा (चितौड़गढ़) का कार्य संतोषजन न होने के कारण इसे हटाया गया है व इसे आबंटित 05 विद्यालयों में कम्प्यूटर शिक्षा की सम्पूर्ण व्यवस्था नियमानुसार सम्बिन्धत विद्यालय की विकास समिति द्वारा अपने स्तर पर की जा रही है।

(3) जी हां। प्रधानाचार्य राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जजावर, बूंदी द्वारा बूंदी थाने में साईवर लेन इंफोमीडिया (इण्डिया) प्रा. लिमिटेड हैदराबाद के द्वारा विद्यालय में कम्पनी द्वारा नियुक्त अनुदेशक श्री राजेन्द्र हाड़ा, गांव ब्राह्मणों का लोहारिया तहसील हिण्डोनी (बूंदी) के विरुद्ध एफ.आई.आर. दर्ज करवाई गई क्योंकि श्री हाड़ा विद्यालय में लगा हुआ कम्प्यूटर उठाकर ले गया था।

कम्प्यूटर शिक्षण के लिए अनुबन्धित कम्पनियों की सूची

परिशिष्ट 'क'

1. मैसर्स कम्प्यूकाम साफ्टवेयर लिमिटेड जयपुर
2. आई.ई.सी. साफ्टवेयर लिमिटेड नई दिल्ली
3. ई.सी.आई.एल. साफ्टवेयर लिमिटेड नई दिल्ली
4. साईबर टेल इंफोमिडिया (इण्डिया) प्रा. लिमिटेड हैदराबाद

5. एप्लाईर्स टैक्नालाजिज लिमिटेड जयपुर
6. डायमण्ड फिलवेस्ट कंसलेंट्स प्रा. लिमिटेड जोधपुर
7. मैसर्स थरमैक्स इंस्टीट्यूट आफ कम्प्यूटर शिक्षा शास्त्री नगर अजमेर
8. मैसर्स कृति क्रियेशंस अलवर
9. नेशनल एकेडमी कम्प्यूटर लिमिटेड इलाहाबाद
10. प्रतीक कुमार खातीपुरा, जयपुर
11. 2 डीआर टैक्नोवेशनस बीकानेर
12. राजेन्द्र पारीक सरदार शहर चुरू
13. मैसर्स आकाशाज कम्प्यूटेक एकेडमी पिलानी (झुंझुनूं)
14. मैसर्स सबरकॉम कम्प्यूटर शिक्षा जैसलमेर
15. कम्प्यूटरकॉम टैक्नोलाजी प्राइवेट लिमिटेड जयपुर
16. मैसर्स ए.वी. प्रोफेशनल प्राइवेट लिमिटेड जयपुर
17. मैसर्स डेल्टा परफोरमेंस प्रा. लिमिटेड जयपुर
18. मैसर्स नेटवेयर इनक जयपुर
19. राजेश कटारिया नीमकाथाना, सीकर
20. मैसर्स राजपुताना फिनस्टाक प्रा. लिमिटेड, जयपुर
21. मैसर्स पशुपति पोलीकेम प्रा. लिमिटेड पूर्व में जयपुर अब ब्रांच गुजरात
22. प्रवीण टाक जोधपुर
23. विपिन शर्मा श्रीगंगानगर
24. मैसर्स ट्रू गुड कम्प्यूटर्स निम्बाहेडा (चित्तौड़गढ़)

राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, राश्मी (गंगरार) का शहीद की स्मृति में नामकरण

173. श्री अर्जुन लाल जीनगर (गंगरार) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र गंगरार के मातृ कुण्डियां निवासी शहीद

(श्री अर्जुन लाल जीनगर)

जगदीश वैष्णव की स्मृति में सरकार राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय राश्मी का नामकरण शहीद जगदीश चन्द्र वैष्णव राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, राश्मी करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

जी नहीं। विधान सभा क्षेत्र गंगरार के मातृकुण्डिया के निवासी शहीद जगदीश चन्द्र वैष्णव की स्मृति में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, राशमी के स्थान पर जिला कलक्टर चित्तौड़गढ़ के प्रस्तावानुसार राजकीय आदर्श उच्च प्राथमिक विद्यालय, मातृकुण्डिया जिला चित्तौडगढ़ के नामकरण की स्वीकृति दिनांक 14.7.2004 को जारी की जा चुकी है।

डूंगरगढ़ में लोक जुम्बिश योजना के तहत विद्यालय भवनों का मरम्मत कार्य

174. श्री मंगला राम गोदारा (डूंगरगढ़) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र डूंगरगढ़ में लोक जुम्बिश योजना कब से चालू की गई? क्या इस योजना के अन्तर्गत राजकीय विद्यालयों में नये भवन व मरम्मत के कार्य करवाये गये हैं? यदि हां, तो किन-किन गांवों के किन-किन विद्यालयों में कितनी-कितनी राशि के कार्य करवाये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) जिन विद्यालयों में लोक जुम्बिश द्वारा मरम्मत कार्य करवाये गये या करवाये जा रहे हैं क्या उन विद्यालयों में पूर्व में भी मरम्मत कार्य करवाये गये हैं? यदि हां, तो कब तथा किस एजेन्सी द्वारा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि ग्राम रोडी व समन्दसर के राजकीय विद्यालयों में लोक-जुम्बिश द्वारा मरम्मत कार्य करवाये जा रहे हैं? यदि हां, तो कितनी राशि के?

(4) क्या यह भी सही है कि इन्हीं स्कूलों में मरम्मत का कार्य वर्ष 2003-04 में पंचायत द्वारा करवाया गया था? यदि हां, तो कितनी राशि व्यय की गयी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) श्रीडूंगरगढ़ विकास खण्ड में लोक जुम्बिश परियोजना की शुरूआत जुलाई 2002 में हुई है। परियोजना द्वारा नये विद्यालय भवनों का निर्माण नहीं करवाया गया है। परियोजना द्वारा राजकीय विद्यालयों में मरम्मत के कार्य करवाये गये है। जिनका विवरण परिशिष्ट-1 पर उपलब्ध है।

(2) लोक जुम्बिश द्वारा जिन-जिन गांवों के विद्यालयों में मरम्मत कार्य करवाये गये है। संदर्भित विद्यालयों में से निम्न विद्यालयों में पूर्व में भी अन्य एजेंसी द्वारा मरम्मत कार्य करवाये गये थे. जिनका विवरण निम्नानुसार है :-

क्र. सं.	विद्यालय का नाम	मरम्मत का प्रकार	मरम्मत वर्ष	मरम्मत पर व्यय	कार्य एजेंसी
1.	राप्रावि. कन्या धीरदेरार चोटियान	चार दीवारी मरम्मत	2002-2003	24950	ग्राम पंचायत
2.	राप्रावि. छात्र रोडी	विद्यालय भवन	2002-2003	49660	ग्राम पंचायत
3.	रा.आ.प्रा.वि. मोमासर	विद्यालय भवन	2003-2004	164000	ग्राम पंचायत

(3) जी हां। ग्राम रोडी व समन्दसर में लोक जुम्बिश द्वारा मरम्मत कार्य करवाये गये हैं जिनका राशि सहित विवरण इस प्रकार है :-

क्र. सं.	विद्यालय का नाम	खर्च की गई राशि वर्ष 2004-2005	मरम्मत का प्रकार
1.	राप्रावि छात्र रोडी	89000	छत व फर्श की मरम्मत
2.	राउप्रावि. रोडी	80000	दीवारों का प्लास्टर
3.	राउप्रावि. समन्दरसर	94000	किवाडों व खिडकियों की मरम्मत

(4) वर्ष 2003-04 में पंचायत द्वारा उक्त विद्यालयों में कोई मरम्मत कार्य नहीं करवाये गये हैं।

परिशिष्ट-1

कार्यालय परियोजना अधिकारी सर्व शिक्षा अभियान, श्रीडूंगरगढ़

आज तक किये गये मरम्मत कार्यों का विवरण दिनांक 30.06.2004

क्रम संख्या	कार्य का नाम	विद्यालय एवं गांव का नाम	खर्च की गई राशि
1	2	3	4
1.	मरम्मत	PS, गुंसाईसर	35700
2.	मरम्मत	PS, इन्दपालसर राई	5690
3.	मरम्मत	UPS, कल्याणसर	9480
4.	मरम्मत	UPS, जालबसर	8585
5.	मरम्मत	UPS, जाखासर नया	41972
6.	मरम्मत	UPS, धनेरू	42000
7.	मरम्मत	UPS, माणकरासर	42000
8.	मरम्मत	UPS, सुरजनसर	42000
9.	मरम्मत	UPS, लिखमीसर उतरादा	42000
10.	मरम्मत	UPS, अमृतवासी	42000
11.	मरम्मत	UPS, मिंगसरिया	42000
12.	मरम्मत	UPS, बिग्गा	42000
13.	मरम्मत	UPS, लिखमादेसर	42000
14.	मरम्मत	PS, उदरासर	42000
15.	मरम्मत	PS. दुसारणा पुण्ड	38135
16.	मरम्मत	PS, दुसारणा पिंपा	42000
17.	मरम्मत	PS, कोटासर	34875
18.	मरम्मत	PS, सांवतसर	42000
19.	मरम्मत	PS, सालासर	42000

1	2	3	4
20.	मरम्मत	PS, छात्र बाना	41997
21.	मरम्मत	PS, हताणा जोहड़	40319
22.	मरम्मत	PS, इन्द बड़ा बास	42000
23.	मरम्मत	PS, बिरमसर	26000
24.	मरम्मत	UPS, कुन्तासर	41148
25.	मरम्मत	PS, जाखासर भीम	42000
26.	मरम्मत	PS, सोनियासर गोदा	42000
27.	मरम्मत	PS, सोनियासर मीठि	38600
28.	मरम्मत	PS, छात्र मोमासर	41180
29.	मरम्मत	PS, बरजांगसर	37475
30.	मरम्मत	PS, कीतासर बीदा	41000
31.	मरम्मत	PS, धीरदेसर चोटि	42000
32.	मरम्मत	PS, नारसीसर	31780
33.	मरम्मत	UPS, डेलवां	42000
34.	मरम्मत	PS, शेरूणा	21398
35.	मरम्मत	PS, शीतलनगर	33106
36.	मरम्मत	UPS, जोधासर	42000
37.	मरम्मत	PS, पुनरासर	42000
38.	मरम्मत	PS, बेनीसर	42000
39.	मरम्मत	PS, धोलिया	38600
40.	मरम्मत	PS, छात्र ठुकरियासर	42000
41.	मरम्मत	UPS, धीरदेसर चोटि	10000

1	2	3	4
42.	मरम्मत	PS, उदासर चारनाण	60000
43.	मरम्मत	PS, केऊ नई	24000
44.	मरम्मत	UPS, हेमासर	100000
45.	मरम्मत	PS, तोलियासर छात्रा	60000
46.	मरम्मत	UPS, भोजास	78700
47.	मरम्मत	PS, सतासर	39700
48.	मरम्मत	PS, इन्द गुसाइसर	20000
49.	मरम्मत	PS, सोनियासर	60000
50.	मरम्मत	UPS, लखासर	80000
51.	मरम्मत	PS, सोनियासर गोदा	57000
52.	मरम्मत	PS, कन्या कीतासर	95000
53.	मरम्मत	PS, सोनियासर शिवदानसिंह	40000
54.	मरम्मत	PS, लिखमीसर दिखनादा	90000
55.	मरम्मत	PS, उदासर चारनाण ए	76000
56.	मरम्मत	PS, कन्या धीरदेसर चोटि	85000
57.	मरम्मत	PS, धर्मास ए	70000
58.	मरम्मत	PS, रीडी	80000
59.	मरम्मत	PS, कन्या गुंसाइसर बड़ा	73000
60.	मरम्मत	PS, बिग्गा कन्या	100000
61.	मरम्मत	PS, सातलेरां	74000
62.	मरम्मत	PS, हिरजन मो., मोमासर	97000
63.	मरम्मत	PS, छात्र रीडी	88000
64.	मरम्मत	PS, हजारीमल पुरी बिग्गा	67000
65.	मरम्मत	PS, पुन्दलसर	100000
66.	मरम्मत	PS, कुन्तासर	58000

1	2	3	4
67.	मरम्मत	PS, इन्द हिरावतान	93000
68.	मरम्मत	PS, राजपुरा	80000
69.	मरम्मत	PS, कन्या मोमासर	70000
70.	मरम्मत	PS, आदर्श मोमासर	81000
71.	मरम्मत	PS, समन्दसर	94000
72.	मरम्मत	PS, लाखनसन ए	81000
73.	मरम्मत	PS, सतासर	50000
74.	मरम्मत	PS, बड़ा बास बिग्गा	144000
75.	मरम्मत	PS, लधाडिया	90000
76.	मरम्मत	PS, धीरदेसर पुरी, संस्कृ	100000
77.	मरम्मत	PS, कुनपालसर	80000
78.	मरम्मत	PS, बींझासर ए	100000
79.	मरम्मत	PS, लीडेरा ए	100000
80.	मरम्मत	PS, नौसरिया	40000
81.	मरम्मत	PS, सांवतसर	68000
82.	मरम्मत	PS, बृजलाना जोहड़	72000
83.	मरम्मत	PS, धर्मार्स बी	30000
84.	मरम्मत	PS, दुसारणा बड़ा	72000
85.	मरम्मत	PS, लखानसर बी	22000
86.	मरम्मत	PS, बींझासर बी	100000
87.	मरम्मत	PS, उदासर चारनाण की	25000
88.	मरम्मत	PS, इन्दपालसर सांखलान	92000
89.	मरम्मत	PS, कीतासर बीदावतान	70000
90.	मरम्मत	PS, लोडेरा बी	17000

ह./-

(मदनसिंह नाहर)

परि. अधि. सर्वशिक्षा अभियान

श्रीडूंगररगढ़

बस्सी के विद्यालयों में मूलभूत सुविधाएं

175. श्री कन्हैया लाल मीणा (बस्सी) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र बस्सी की पंचायत समिति बस्सी एवं पंचायत समिति चाकसू की कौन-कौन से विद्यालयों में भवन, खेल मैदान, बाउंड्री वाल एवं पेयजल की सुविधा उपलब्ध नहीं है? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार विद्यालयों के उक्त अभावों को दूर करने का विचार रखती है? यिद़ हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र बस्सी की पंचायत समिति बस्सी एवं चाकसू की जिन राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय में भवन, खेल मैदान, बाउंड्री वाल एवं पेयजल सुविधा उपलब्ध नहीं है, का विवरण परिशिष्ट ''क'' संलग्न है।

(2) जी हां। विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत वित्तीय उपलब्धता के आधार पर उक्त सुविधा उपलब्ध करवाये जाने के प्रस्ताव प्राप्त होने पर ही गुणा व गुण के आधार पर समग्र विचार कर उक्त अभावों को दूर किया जाना सम्भव हो सकेगा।

परिशिष्ट ''क''

बस्सी एवं चाकसू विधान सभा क्षेत्र के वे उच्च प्राथमिक विद्यालय जिनमें खेल/मैदान/पेयजल/भवन एवं चार दीवारी की सुविधा उपलब्ध नहीं हैं :-

क्रम संख्या	नाम विद्यालय	भवन में कमरों की संख्या	खेल मैदान	चारदीवारी	पेयजल
1	2	3	4	5	6
1.	राउप्रावि., अचपुरा	06	नहीं	नहीं	हैं।
2.	राउप्रावि., बराला	12	हैं	नहीं	हैं।
3.	राउप्रावि., दयालपुरा	08	हैं	नहीं	हैं।
4.	राउप्रावि., दनाऊकला	08	हैं	नहीं	हैं।
5.	राउप्रावि., दामोदरपुरा	07	हैं	नहीं	हैं।

1	2	3	4	5	6
6.	राउप्रावि., ढाणी गिरधरवास	07	नहीं	हैं	हैं।
7.	राउप्रावि., धाटा	13	नहीं	हैं	हैं।
8.	राउप्रावि., हीरावाला	10	हैं	नहीं	हैं।
9.	राउप्रावि., हंसमहल	08	नहीं	हैं	हैं।
10.	राउप्रावि., खि, ब्राह्मणा	06	हैं	नहीं	हैं।
11.	राउप्रावि., खेड़ीमानसर	08	हैं	नहीं	हैं।
12.	राउप्रावि., कुथाडा खुर्द	07	हैं	नहीं	हैं।
13.	राउप्रावि., करणगढ़	07	हैं	नहीं	हैं।
14.	राउप्रावि., कचौलिया	08	हैं	नहीं	हैं।
15.	राउप्रावि., नगराजपुरा	08	नहीं	नहीं	नहीं।
16.	राउप्रावि., पडासोली	07	हैं	नहीं	हैं।
17.	राउप्रावि., टहटडा	08	हैं	नहीं	हैं।
18.	राउप्रावि., रामरतनपुरा	08	नहीं	हैं	हैं।
19.	राउप्रावि., टोडाभाटा	06	नहीं	हैं	हैं।
20.	राउप्रावि., उगावास	05	हैं	नहीं	हैं।
21.	राउप्रावि., कुथाडाकलां	09	हैं	नहीं	हैं।
22.	राउप्रावि.. गजपुराउस्ता	07	नहीं	नहीं	नहीं।
23.	राउप्रावि., तुंगा	06	हैं	नहीं	हैं।
24.	राउप्रावि., बा. बस्सी	06	नहीं	हैं	हैं।
25.	राउप्रावि.. बा. बासखो	07	नहीं	हैं	नहीं।
26.	राउप्रावि., झर	08	नहीं	नहीं	हैं।
27.	राउप्रावि.. कानोता	10	हैं	नहीं	हैं।

1	2	3	4	5	6
28.	राउप्रावि., तुंगा	11	नहीं	हैं	नहीं।
29.	राउप्रावि., माधोगढ़	05	नहीं	नहीं	हैं।
30.	राउप्रावि., राडोली	07	हैं	नहीं	नहीं।
31.	राउप्रावि., कोटिया	07	नहीं	हैं	हैं।
32.	राउप्रावि., खेजडीपूर्द	04	नहीं	हैं	हैं।
33.	राउप्रावि., चीमापुरा	10	हैं	हैं	नहीं।
34.	राउप्रावि., झापदाकला	08	हैं	हैं	नहीं।
35.	राउप्रावि., ठीकरिया गजरान	08	नहीं	नहीं	हैं।
36.	राउप्रावि., दहलाल	12	हैं	नहीं	हैं।
37.	राउप्रावि., खेडारानीवास	10	नहीं	नहीं	हैं।
38.	राउप्रावि., महादेवपुर छात्रा	03	नहीं	नहीं	हैं।
39.	राउप्रावि., हरिनारायणपुरा	08	नहीं	नहीं	हैं।
40.	राउप्रावि., माधोपुरा	07	नहीं	हैं	हैं।
41.	राउप्रावि., बाराकोटखावदा	08	नहीं	नहीं	हैं।

परिशिष्ट-'क'

क्रम संख्या	पंचायत समिति	नाम विद्यालय	सुविधा भवन	खेल मैदान	चारदिवारी	पेयजल	वि.वि.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	चाकसू	राउमावि कोटखावदा	है	है	है	है	
2.		रामावि रामनगर	है	है	है	है	
3.		रामावि रूपाहेड़ी कलां	है	है	नहीं है	है	
4.		रामावि महादेवपुरा	है	है	है	नहीं है	
5.		रामावि गरूडवासी	है	है	है	है	

1	2	3	4	5	6	7	8
6.		रामावि ठीकरिया मीणान	है	है	है	है	
7.	बस्सी	राउमावि बस्सी	है	है	है	है	
8.		राबाउमावि बस्सी	है	नहीं है	है	है	
9.		राउमावि तूंगा	है	है	है	है	
10.		रामावि लालगढ़	है	है	है	है	
11.		रामावि माधोगढ़	है	नहीं है	है	नहीं है	
12.		राउमावि बांसखो	है	है	है	नहीं है	
13.		राउमावि जटवाड़ा	है	है	है	नहीं है	
14.		राउमावि रोजवाड़ी	है	नहीं है	है	नहीं है	
15.		रामावि मोहनपुरा	है	है	है	है	
16.		रामावि सुजानपुरा	है	है	है	है	
17.		रामावि सांभरिया	है	है	है	है	
18.		रामावि देवगांव	है	न है	है	है	
19.		रामावि राजपुरा पातलवास	है	है	है	है	
20.		रामावि पाटन	है	है	नहीं है	नहीं है	
21.		रामावि बड़वा	है	है	नहीं है	नहीं है	
22.		रामावि झर	है	है	नहीं है	है	
23.		रामावि कानोता	है	है	है	है	

टिठोडा (जहाजपुर) का विद्यालय भवन

176. श्री शिवजीराम मीणा (जहाजपुर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, टिठोडा माफी पंचायत समिति जहाजपुर का भवन जर्जर अवस्था में है?

(2) क्या यह सही है कि उक्त भवन के जर्जर होने की शिकायत ग्रामवासियों अथवा जन प्रतिनिधि द्वारा जिला कलक्टर को की गई है? यदि हां, तो अब तक उक्त शिकायत पर क्या कार्यवाही की गई?

(3) क्या सरकार इस विद्यालय भवन के नवीनीकरण अथवा मरम्मत का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां। जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा द्वारा भवन मरम्मत के प्रस्ताव विभाग को भिजवाये जाने पर विद्यालय मरम्मत हेतु उपलब्ध वित्तीय प्रावधानान्तर्गत राशि आबंटित की जा चुकी है।

(3) जी हां। प्रश्नोत्तर के भाग संख्या-02 के अनुसार।

औद्योगिक विकास संस्थान नाथद्वारा परिसर में अतिक्रमण

177. डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा) : क्या तकनीकी शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि नाथद्वारा स्थित आई.टी.आई. में विभिन्न पद रिक्त हैं? यदि हां, तो सरकार कब तक उक्त पदों पर पदस्थापन करने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

(2) क्या यह सही है कि संस्था की चार दीवारी नहीं होने से लोग अतिक्रमण कर रहे हैं? क्या सरकार आगामी वित्तीय वर्ष 2004-05 में चार दीवारी हेतु वित्तीय स्वीकृति करने का विचार रखती है?

उत्तर

(1) जी हां। आई.टी.आई.. नाथद्वारा में रेडियो एवं टी.वी. व्यवसाय में अनुदेशक का एक पद रिक्त है। पदस्थापन की कार्यवाही शीघ्र की जायेगी।

(तकनीकी शिक्षा मंत्री)

(2) (क) आई.टी.आई., नाथद्वारा में नवीनतम कोई अतिक्रमण नहीं हुआ है। संस्थान की 2.2 बीघा भूमि पर अतिक्रमण है जो कि भूमि आबंटन समय अर्थात् वर्ष 1995 से है, जिसका वाद अतिरिक्त मुख्य न्यायाधीश, नाथद्वारा के यहां विचाराधीन है।

(ख) आर्थिक संसाधनों की सीमितता के कारण वर्ष 2004-2005 में संस्थान की बाउंड्रीवाल के निर्माण कार्य हेतु प्रावधान नहीं हुआ है।

पांचना बांध (करौली) के डूब क्षेत्र के ग्रामवासियों का पुनर्वास

178. श्री सुरेश मीणा (करौली) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरकार विधान सभा क्षेत्र करौली के कतिपय गांवों में पांचना बांध के भराव के कारण उन गांवों को खाली कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कितने परिवारों को व किस-किस स्थान से?

(2) क्या सरकार उक्त परिवारों को किसी अन्यत्र स्थान पर बसाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कहां व कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। पांचना बांध के डूब क्षेत्र में दो गांवों की आबादी प्रभावित होती है। ग्राम मांडई के 149 एवं करौली शहर की नदीगेट (ढोलीखार) के 19 परिवार प्रभावित होंगे।

(2) जी हां। ग्राम मंडाई के प्रभावित विस्थापितों को पूर्व में ही बसाया जा चुका है जबकि नदीगेट (ढोलीखार) के प्रभावित परिवारों को करौली शहर के आस-पास वर्ष 2005 के मानसून पूर्व ही बसाया जाना प्रस्तावित है।

सुमेरपुर खण्ड की अवशेष टाइल्स

179. श्री संयम लोढ़ा (सिरोही) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

विधान सभा क्षेत्र सिरोही के सुमेरपुर खण्ड में सिन्दरु के पास सीमेंट कंकरीट की कितनी टाईल्स स्टाक में पड़ी है एवं इन टाईल्स की वर्तमान में लागत क्या है? क्या सरकार उक्त टाईल्स को उपयोग में लेने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

सिंदरू बांध पर कंकरीट की 246144 टाईल्सें है जिनकी वर्तमान में लागत रुपये 812275/- (आठ लाख बारह हजार दो सौ पचहत्तर) है।

जी हां। उक्त टाईल्सों का उपयोग 31 मार्च, 2005 तक किया जाना प्रस्तावित है।

मावली की विचाराधीन सिंचाई योजनाएं

180. श्री शान्तीलाल चपलोत (मावली) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र मावली की कितनी एवं कौन-कौनसी सिंचाई योजनाएं विचाराधीन हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) सरकार उक्त योजनाओं को कब तक पूर्ण करवाने का विचार रखती है? उक्त योजनाओं को अब तक प्रारम्भ नहीं किये जाने के क्या कारण हैं?

उत्तर

(1) मावली विधान सभा क्षेत्र की वर्तमान में कोई भी सिंचाई परियोजना विचाराधीन नहीं है।

(2) उपरोक्तानुसार।

महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय अजमेर में स्थापित शोध केन्द्र हेतु स्वीकृत राशि

181. श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर-पूर्व) : क्या उच्च शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय अजमेर में पृथ्वीराज चौहान शोध केन्द्र स्थापित किया गया था? क्या यह भी सही है कि उक्त केन्द्र का बोर्ड (सूचना पट्ट) विश्वविद्यालय के एक भवन पर भी लगाया गया?

(2) गत पांच वर्षों में उक्त केन्द्र द्वारा क्या-क्या कार्यक्रम व गतिविधियां संचालित की गई व इस केन्द्र हेतु गत वर्षों में कितनी राशि स्वीकृत की गई? यदि नहीं, तो क्यों?

(3) क्या सरकार उक्त केन्द्र के संचालन में ढिलाई के लिये दोषी लोगों के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है?

उत्तर

(1) जी हां। पृथ्वीराज चौहान शोध केन्द्र का बोर्ड विश्वविद्यालय के चाणक्य प्रशासनिक भवन में इतिहास विभाग के अन्तर्गत लगा है।

(2) गत पांच वर्षों में उक्त केन्द्र द्वारा निम्नांकित गतिविधियां संचालित की गई :-

1. विश्वविद्यालय द्वारा सम्राट पृथ्वीराज चौहान तृतीय एवं उसका समय विषय पर यूजीसी नई दिल्ली एवं इतिहास विभाग म.द.स. विश्वविद्यालय अजमेर के संयुक्त तत्वावधान में दिनांक 20 एवं 21 मार्च, 1997 को एक राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया एवं संगोष्ठी में प्रस्तुत शोध पत्रों का प्रकाशन एक पुस्तिका ''सम्राट पृथ्वीराज चौहान एवं उनका समय'' में किया गया।

2. दिनांक 2-4 जनवरी. 1998 को राष्ट्रीय संगोष्ठी भारतीय रियासतों में स्वतंत्रता आन्दोलन (राजस्थान के विशेष संदर्भ में) आयोजित की गयी एवं स्मारिका भी प्रकाशित की गयी।

3. दिनांक 23.5.1998 को पृथ्वीराज चौहान जयन्ती के अवसर पर एक दिवसीय सेमीनार का आयोजन किया गया।

4. दिनांक 29-30 मार्च, 2000 को अजमेर-मेरवाड़ा में स्वतंत्रता आंदोलन विषय पर राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया।

5. विभिन्न अवधियों में प्राचीन भारतीय आर्थिक चिंतन की प्रासंगिकता एवं भारतीय रियासतों में स्वतंत्रता आंदोलन (राजस्थान के विशेष संदर्भ में) संगोष्ठी आयोजित की गई।

उक्त केन्द्र की गतिविधियों के क्रियान्वयन हेतु विश्वविद्यालय बजट में निम्नानुसार प्रावधान किया गया :-

वर्ष	रुपये
1996-97	5000
1997-98	15000
1998-99	15000
1999-2000	10000
2000-2001	15000

इसके अतिरिक्त यूजीसी नई दिल्ली द्वारा भी वर्ष 1998 में उक्त केन्द्र हेतु 3.00 लाख रुपये की स्वीकृति प्राप्त हुई। समय-समय पर हुये आयोजनों से सम्बन्धित

(उच्च शिक्षा मंत्री)

व्यय विश्वविद्यालय स्तर पर ही किया जाकर गतिविधियां सम्पादित की गई। फलस्वरूप यूजीसी द्वारा स्वीकृत की गई 3.00 लाख रुपये की राशि विश्वविद्यालय के पास जमा रही।

(3) विश्वविद्यालय स्तर पर इस केन्द्र के संचालन में उपलब्ध संसाधनों को दृष्टिगत रखते हुये किसी प्रकार की कमी नहीं रखी गयी और न ही इसके लिये किसी अधिकारी/कर्मचारी को जिम्मेदार बताया गया है।

कृषि उपज मण्डियों में आढ़त वसूली

182. श्री अशोक कुमार नवलखा (निम्बाहेड़ा) : क्या उच्च शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि राज्य की कृषि उपज मण्डियों में लागू आढ़त प्रथा से किसानों को उनकी उपज का मूल्य कम मिल रहा है तथा आढ़त वसूली से बिचौलियों को बढ़ावा मिल रहा है?

(2) क्या यह भी सही है कि सीमावर्ती राज्यों में जहां आढ़त नहीं है वहां भाव के अन्तर के कारण राज्य की कृषि जींस राज्य से बाहर जा रही है? यदि हां, तो क्या सरकार आढ़त प्रथा बन्द कर राजस्व हानि को रोकने हेतु कोई कार्य योजना बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो क्या व कब तक एवं नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) कृषि उपज मण्डियों में क्रेता द्वारा किसानों की उपज क्रय करने के लिए बोली लगाते समय उस पर देय खर्चों जिसमें कि वाणिज्य कर, मण्डी शुल्क के अलावा आढ़त भी शामिल है को ध्यान में रखकर ही सम्भवत: कृषि उपज की बोली लगाई जाती है। इससे कृषक को अपनी उपज का मिलने वाला मूल्य प्रभावित होना सम्भावित है। आढ़त वसूली की व्यवस्था राजस्थान कृषि उपज मण्डी अधिनियम के तहत होने के कारण कानूनन रूप से वैध है।

(2) कृषकों द्वारा अपनी उपज राज्य से बाहर ले जाने का मुख्य आधार उनको मिलने वाले शुद्ध भावों का अन्तर होता है। सीमावर्ती राज्यों में जिंसों के भावों में अन्तर होने के कई कारण हो सकते है। यह कहना सही नहीं है कि आढ़त प्रथा से राजस्व की हानि हो रही है। आढ़त प्रथा की विद्यमान व्यवस्था को पूरी तरह समाप्त करने की कोई योजना वर्तमान में सरकार के विचाराधीन नहीं हैं।

परिशिष्ट-1

तारांकित प्रश्न संख्या 95 का विवरण

परिशिष्ट-'अ'

विभिन्न परियोजनाओं के अन्तर्गत प्रस्तावित सिंचित क्षेत्र व सिंचाई से वंचित क्षेत्र की सूचना

क्रम संख्या	परियोजना का नाम	विधान सभा क्षेत्र	प्रस्तावित सिंचित क्षेत्र (हैक्टेयर) आई.सी.ए.	विगत वर्षों में सिंचित क्षेत्र (हैक्टेयर)	सिंचाई से वंचित क्षेत्र (हैक्टेयर)	गांवों की संख्या जिनके डी-कमाण्ड के प्रस्ताव प्राप्त हुये हैं।	डी-कमाण्ड के प्रस्ताव कहां से प्राप्त हुए
1.	बटावदी बांध	नैनवा	419	516	0	-	
2.	बंसोली बांध	नैनवा	607	168	439	-	
3.	पाई बालापुरा	नैनवा	1012	1110	0	-	जिला
4.	मोतीपुरा बांध	नैनवा	397	191	206	-	कलक्टर,
5.	दुगारी	नैनवा	1558	422	1136	-	बूंदी के
6.	गुढा बांध	हिण्डोली	10704	8856	1848	39	पत्र
7.	बून्दी का गोठड़ा	हिण्डोली	2429	2621	0	14	संख्या राजस्व/02/3001
8.	भीमलत/ अभय पुरा	हिण्डोली	1983	2550	0	14	दिनांक 27.11.2002
9.	पेच की बावड़ी	हिण्डोली	570	508	62	11	से
10.	रोणीजा	हिण्डोली	688	564	124	5	प्रस्ताव
11.	बाक्या का खाल	हिण्डोली	330	263	66	-	प्राप्त हुए।
12.	मरडिया	हिण्डोली	421	246	175	-	
13.	मेण्डी	हिण्डोली	347	204	142	-	
	योग:-		**21465**	**18219**	**569**	**83**	

परिशिष्ट-2

तारांकित प्रश्न संख्या 96 का विवरण

परिशिष्ट-"अ"

श्री कल्याण राजकीय चिकित्सालय, सीकर में वरिष्ठ विशेषज्ञ एवं कनिष्ठ विशेषज्ञों के स्वीकृत एवं रिक्त पदों का विवरण।

पदनाम	स्वीकृत पद	रिक्त पद	
वरिष्ठ विशेषज्ञ (नैत्र)	1	-	
वरिष्ठ विशेषज्ञ (सर्जरी)	1	-	
वरिष्ठ विशेषज्ञ (अस्थि)	1	-	
वरिष्ठ विशेषज्ञ (शिशु रोग)	1	-	
वरिष्ठ विशेषज्ञ (ई.एन.टी.)	1	-	
वरिष्ठ विशेषज्ञ (मेडिसिन)	1	-	क.वि. गायनी पद विरूद्ध
वरिष्ठ विशेषज्ञ (रेडियोलोजी)	1	-	क.वि. नैत्र पद विरूद्ध
वरिष्ठ विशेषज्ञ (पैथोलोजी)	1	-	चिकि. अधि. पद विरूद्ध
वरिष्ठ विशेषज्ञ (गायनी)	1	-	क.वि. गायनी पद विरूद्ध
कनिष्ठ विशेषज्ञ (मेडिसिन)	2	-	
कनिष्ठ विशेषज्ञ (सर्जरी)	1	-	
कनिष्ठ विशेषज्ञ (शिशु रोग)	1	-	
कनिष्ठ विशेषज्ञ (नैत्र)	1	-	
कनिष्ठ विशेषज्ञ (निश्चेतन)	2	-	
कनिष्ठ विशेषज्ञ (अस्थि रोग)	1	-	
कनिष्ठ विशेषज्ञ (ई.एन.टी.)	1	-	
कनिष्ठ विशेषज्ञ (चर्मरोग)	1	-	
कनिष्ठ विशेषज्ञ (दन्त)	1	-	
कनिष्ठ विशेषज्ञ (मनोरोग)	1	-	

परिशिष्ट-3

(तारांकित प्रश्न संख्या 97 की प्रतियां)

राजस्थान सरकार

शिक्षा (विधि प्रकोष्ठ) विभाग

क्रमांक:प. 17(164)शिक्षा/विप्र./2001 जयपुर, दिनांक 23/4/2003

कार्यालय आदेश

राजस्थान शिक्षक संघ द्वारा डी.बी. रिट याचिका संख्या 2779/01 माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर में दायर कर यह राहत चाही गई थी कि शिक्षकों से शिक्षण कार्य के अतिरिक्त अन्य कोई कार्य नहीं लिया जावे। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 13.2.2003 से रिट याचिका को निर्णित करते हुए यह दिशा-निर्देश दिये गये है कि शिक्षकों को उनके शैक्षिक कार्य के अलावा राज्य सरकार के द्वारा जारी आदेश (क्र.) प.5(1)शिक्षा/ग्रुप-2/1998 जयपुर दिनांक 10.6.1998 में वर्णित कार्य के अलावा अन्य कोई कार्य नहीं लिया जावे। आदेश दिनांक 10.6.1998 की प्रति पूर्व में आप सभी को प्रदत्त की जा चुकी है, जो इस प्रकार है-

शिक्षकों को गैर शैक्षिक गतिविधियों में संलग्न करने के कारण शैक्षणिक गतिविधियों से उत्पन्न होने वाले व्यवधान को कम करने के प्रयोजनार्थ निम्नांकित सेवाओं/सर्वेक्षणों/अभियानों के अलावा अन्य किसी भी गैर शैक्षिक गतिविधि में शिक्षकों का नियोजन एतद् द्वारा निषेध किया जाता है-

(1) साक्षरता एवं सतत् शिक्षा कार्यक्रम

(2) चुनाव

(3) राष्ट्रीय जनगणना

(4) आर्थिक गणना

(5) राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम तथा चिकित्सा विभाग द्वारा प्रायोजित ''पल्स पोलियो'' जैस महत्वपूर्ण अभियान।

सभी जिला कलक्टर इस आदेश की पालना सुनिश्चित करेंगे।

आप सभी को यह निर्देशित किया जाता है कि आप माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 13.2.2003 की पालना सुनिश्चित किए जाने के क्रम में भविष्य में शिक्षकों से शैक्षिक्र कार्य के अतिरिक्त आदेश दिनांक 10.6.1998 में वर्णित कार्य के अलावा अन्य कोई कार्य ना लेवे।

ह./-

(विनोद जुत्शी)

शिक्षा सचिव

राजस्थान सरकार

शिक्षा (ग्रुप-2) विभाग

क्रमांक:प. 16(7)शिक्षा/2/1998 **जयपुर, दिनांक 30.5.2003**

निदेशक,

माध्यमिक शिक्षा,

राजस्थान, बीकानेर।

विषय :- अरबन बी.पी.एल. सेंसस 2003 हेतु

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार लेख है कि क्षेत्र में गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों की पहचान हेतु अरबन बी.पी.एल. सेंसस 2003 के सर्वे कार्य हेतु शिक्षकों की सेवायें लिये जाने की सहमति प्रदान की जाती है।

भवदीय,

ह./-

उप शासन सचिव-प्रथम

राजस्थान सरकार

प्रारम्भिक एवं माध्यमिक शिक्षा विभाग

क्रमांक:प. 16(7)शिक्षा/2/98 **जयपुर, दिनांक 30.9.2003**

निदेशक,

माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,

निदेशक, बीकानेर।

प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान,

बीकानेर

विषय :- 17वीं पशुगणना वर्ष 2003 हेतु।

महोदय/महोदया,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि राज्य में 17वीं पशु गणना वर्ष 2003 का कार्य निर्धारित समय सारिणी के अनुसार पूर्ण किया जाना है। पशुगणना का कार्य आर्थिक गणना के कार्य से सम्बन्धित है। अत: पशुगणना वर्ष 2003 हेतु शिक्षकों की सेवाएं ली जाने की सहमति प्रदान की जाती है।

भवदीय,

ह./-

शासन सचिव,

प्रारम्भिक एवं माध्यमिक

शिक्षा

सदस्य सूची

गुरूवार, 15 जुलाई, 2004

नाम	पृष्ठ संख्या
श्री अतर सिंह भड़ाना (बयाना)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य	
-बयाना के चिकित्सालयों में रिक्त पद	368
जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी	
-बयाना के हैण्डपम्प	350
श्री अध्यक्ष	
स्थगन प्रस्ताव	
-दूदू के विद्यालय शिक्षकों के स्थानान्तरण से शिक्षकविहीन होना	41
-महवा में श्री हनुमान सिंह गुर्जर हत्याकाण्ड	40
-राज्य की निजी शिक्षण संस्थाओं एवं आवासीय विद्यालयों में अनुसूचित जाति/जनजाति के विद्यार्थियों के प्रवेश पर रोक	40
-सोलाया (नागौर) में सन्यासी की दिन-दहाड़े हत्या	40
श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर पूर्व)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
उच्च शिक्षा	
-महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय अजमेर में स्थापित शोध केन्द्र हेतु स्वीकृत राशि	396
आय-व्ययक	
-आय-व्ययक पर सामान्य वाद-विवाद	161
तारांकित प्रश्नोत्तर	
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य	
-जवाहर लाल नेहरू एवं जनाना अस्पताल (अजमेर) में रिक्त पद	316

नाम	पृष्ठ संख्या
श्री अमराराम (धोद)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी	
-राज्य की जनता जल योजना	339
आय-व्ययक	
-आय-व्ययक पर सामान्य वाद-विवाद	130
तारांकित प्रश्नोत्तर	
कृषि	
-फसल बीमा योजनान्तर्गत सम्मिलित कृषि जिन्स	34
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य	
-श्री कल्याण राजकीय चिकित्सालय, सीकर में आवश्यक सुविधाएं	21
याचिका	
-जिला सीकर के भूवाला से सेवद छोटी मिसिंग लिंक डामर सड़क बनवाने बाबत	74
-धोद जिला सीकर में 220 के.वी. विद्युत सब-स्टेशन का निर्माण करवाने बाबत	74
-पंचायत समिति धोद जिला सीकर का भवन नहीं बनाने से जनता को हो रही परेशानी बाबत	74
स्थगन प्रस्ताव	
-सोलाया (नागौर) में सन्यासी की दिन-दहाड़े हत्या	42
श्री अर्जुन लाल जीनगर (गंगरार)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
शिक्षा	
-राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, राश्मी (गंगरार) का शहीद की स्मृति में नामकरण	383

नाम	पृष्ठ संख्या
तारांकित प्रश्नोत्तर	
सार्वजनिक निर्माण	
-गंगरार की डामर विहीन सड़कें	281
श्री अर्जुन लाल मीणा (सलूम्बर)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी	
-सलूम्बर में सोमकमला-अम्बा परियोजना से पेयजल आपूर्ति	344
श्री अशोक कुमार नवलखा (निम्बाहेड़ा)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
उच्च शिक्षा	
-कृषि उपज मण्डियों में आढ़त वसूली	398
श्री अशोक बैरवा (खण्डार)	
तारांकित प्रश्नोत्तर	
उद्योग	
-सवाईमाधोपुर जिले में औद्योगिक विकास हेतु कार्य-योजना	295
डा. एन. एस. गुर्जर (टोडारायसिंह)	
आय-व्ययक	
-आय-व्ययक पर सामान्य वाद-विवाद	106
तारांकित प्रश्नोत्तर	
कृषि विपणन	
-कृषि विपणन बोर्ड में प्राप्त शिकायतें	298
ध्यानाकर्षण प्रस्ताव	
-जयपुर शहर में पेयजल की समस्या	67
श्री ओम बिरला (कोटा)	
स्पष्टीकरण	
-मुख्य मंत्री आवास पर हुआ परिवर्तन/परिवर्द्धन व्यय	140

नाम	पृष्ठ संख्या
श्री कन्हैया लाल मीणा (बस्सी)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
शिक्षा	
-बस्सी के विद्यालयों में मूलभूत सुविधाएं	390
श्री कान्तीप्रसाद मीणा (थानागाजी)	
नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख	
-थानागाजी में कृषि कनेक्शन	46
श्री कालीचरण सर्राफ (जौहरी बाजार)	
तारांकित प्रश्नोत्तर	
जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी	
-जयपुर शहर की पेयजल व्यवस्था	297
ध्यानाकर्षण प्रस्ताव	
-जयपुर शहर में पेयजल की समस्या	60
श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर (नदबई)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य	
-नेत्र सहायकों का वेतनमान	371
सार्वजनिक निर्माण	
-ढहरा-मोड़ नदबई सड़क	376
श्री केसरदेव बाबर (लक्ष्मणगढ़)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी	
-रतनगढ़ खण्ड के दोषी अधिशासी अभियन्ता का पदोन्नति प्रकरण	336
तारांकित प्रश्नोत्तर	
सार्वजनिक निर्माण	
-बाटडानाऊ ग्राम (लक्ष्मणगढ़) में सड़क निर्माण	332

नाम	पृष्ठ संख्या
पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुद्दे	
-लक्ष्मणगढ़ विधान सभा क्षेत्र (सीकर) में पेयजल समस्या	56
श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची)	
नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख	
-खारची में फ्लोराइडयुक्त पेयजल से मानव स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव	53
श्री गुरजंट सिंह बराड़ (संगरिया)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
सार्वजनिक निर्माण	
-श्रीगंगानगर से सादुलशहर की क्षतिग्रस्त सड़क	373
तारांकित प्रश्नोत्तर	
राजस्व	
-सादुलशहर (श्रीगंगानगर) में उपखण्ड मजिस्ट्रेट का स्थाई कार्यालय	328
श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर), मंत्री	
शासकीय वक्तव्य	
-अजमेर पुलिस लाइन में कांस्टेबल पवन कुमार सोनवाल द्वारा आत्मदाह का प्रकरण	79
श्री गोविन्द राम चौहान (नोखा)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
शिक्षा	
-नोखा के विद्यालयों में रिक्त पद	378
श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर), मंत्री	
तारांकित प्रश्नोत्तर	
शिक्षा	
-शिक्षाकर्मियों के अन्य सेवाओं में उपयोग से प्रभावित शिक्षण कार्य	27

नाम	पृष्ठ संख्या
पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुद्दे	
शिक्षा	
-विद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पद	58
स्पष्टीकरण	
-मुख्य मंत्री आवास पर हुआ परिवर्तन/परिवर्द्धन व्यय	144
डा. चन्द्रशेखर बैद (तारानगर)	
आय-व्ययक	
-आय-व्ययक पर सामान्य वाद-विवाद	171
श्री जयराम जाटव (खैरथल)	
आय-व्ययक	
-आय-व्ययक पर सामान्य वाद-विवाद	249
श्री जीतमल खांट (बागीडोरा)	
आय-व्ययक	
-आय-व्ययक पर सामान्य वाद-विवाद	166
श्री जुबेर खान (रामगढ़)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी	
-अलवर जिले में विधायक कोटे की राशि से स्वीकृत हैण्डपम्प	349
पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुद्दे	
-रामगढ़ विधान सभा क्षेत्र में विद्युत संकट	54
श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर)	
तारांकित प्रश्नोत्तर	
शिक्षा	
-लोक जुम्बिश परिषद् जयपुर द्वारा आयोजित साक्षात्कार	320

नाम	पृष्ठ संख्या
श्री टीकम चन्द कान्त (सिवाना)	
आय-व्ययक	
-आय-व्ययक पर सामान्य वाद-विवाद	184
श्री तगाराम चौधरी (बाड़मेर)	
तारांकित प्रश्नोत्तर	
शिक्षा	
-बाड़मेर में कन्या प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना	335
डा. दिगम्बर सिंह (कुम्हेर), मंत्री	
तारांकित प्रश्नोत्तर	
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य	
-श्री कल्याण राजकीय चिकित्सालय, सीकर में आवश्यक सुविधाएं	16
श्री देवीशंकर भूतड़ा (ब्यावर)	
आय-व्ययक	
-आय-व्ययक पर सामान्य वाद-विवाद	191
तारांकित प्रश्नोत्तर	
राजस्व	
-ब्यावर को जिले का दर्जा दिये जाने हेतु गठित आयोग	294
श्री धर्मपाल चौधरी (मुण्डावर)	
आय-व्ययक	
-आय-व्ययक पर सामान्य वाद-विवाद	119
श्री नन्दलाल पूनिया (सादुलपुर)	
नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख	
-राजगढ़ (चूरू) में बस स्टैण्ड के लिए भूमि का आबंटन	47
श्री नवनीत नीनामा (घाटोल)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
राजस्व	
-गांधी आश्रम परतापुर (बांसवाड़ा) का भूमि प्रकरण	356

नाम	पृष्ठ संख्या
श्री नवरतन राजोरिया (फुलेरा)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी	
-फुलेरा की पेयजल समस्या	344
तारांकित प्रश्नोत्तर	
शिक्षा	
-निजी शिक्षण संस्थाओं द्वारा शुल्क वसूली प्रकरण	298
श्री पुष्पेन्द्र सिंह (बाली)	
तारांकित प्रश्नोत्तर	
राजस्व	
-बाली के जवाई बांध डूब क्षेत्र के काश्तकारों को गैर खातेदारी अधिकार	279
नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख	
-बाली विधान सभा क्षेत्र में बालिका शिक्षा की बदतर स्थिति	50
श्री प्रकाश चौधरी (बड़ी सादड़ी)	
पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुद्दे	
-साहवा ग्राम पंचायत (चित्तौड़गढ़) में सरपंच द्वारा आबादी भूमि के फर्जी दस्तावेज	55
श्रीमती प्रतिभा सिंह (नवलगढ़)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
राजस्व	
-झुंझुनूं जिले के पटवार/गिरदावर हल्कों का पुनर्गठन	358
श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा)	
शासकीय वक्तव्य	
-अजमेर पुलिस लाइन में कांस्टेबल पवन कुमार सोनवाल द्वारा आत्मदाह का प्रकरण	85
श्री प्रभुलाल वर्मा (पीपल्दा)	
नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख	
-पीपल्दा विधान सभा क्षेत्र में सड़कों की मरम्मत	48

नाम	पृष्ठ संख्या
श्री प्रभुलाल सैनी (टनियारा), मंत्री	
तारांकित प्रश्नोत्तर	
कृषि	
-फसल बीमा योजनान्तर्गत सम्मिलित कृषि जिन्स	29
श्री फतेह सिंह (कुशलगढ़)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
सार्वजनिक निर्माण	
-बांसवाड़ा जिले की मिसिंग लिंक सड़कें	372
तारांकित प्रश्नोत्तर	
सार्वजनिक निर्माण	
-कुशलगढ़ की स्वीकृत सड़कें	296
श्री बन्ने सिंह राठौड़ (ओसियां)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
राजस्व	
-ग्रामीण अंचल के राज्य सेवकों की पैतृक सम्पत्तियों को अतिक्रमण मुक्त कराने हेतु नियम	354
श्री बहादुर सिंह गोदारा (नोहर)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
शिक्षा	
-नोहर के श्री बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय की प्रबन्ध समिति के विरुद्ध दर्ज प्रकरण	381
श्री बाबूलाल नागर (दूदू)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
सार्वजनिक निर्माण	
-वागौर (करौली) की क्षतिग्रस्त सड़क	377
पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुद्दे	
-विद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पद	57

..म	पृष्ठ संख्या
प्रो. भैरूसिंह राठौड़ (बनीपार्क)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी	
-पृथ्वीराज नगर योजना (जयपुर) की पेयजल व्यवस्था	351
ध्याना..क ण प्रस्ताव	
-जयपुर शहर में पेयजल की समस्या	71
डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर)	
तारांकित प्रश्नोत्तर	
उद्यो.	
-उद्योगों का पलायन रोकने हेतु प्रयास	280
डा. भंवरलाल राजपुरोहित (मकराना)	
आय-व्ययक	
-आय-व्ययक पर सामान्य वाद-विवाद	263
श्री भंवरलाल शर्मा (सरदारशहर)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
सिंचित क्षेत्र विकास	
-सिंचित क्षेत्र विकास में निर्मित सड़कें	360
श्री भरत सिंह (दीगोद)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
कृषि	
-मसाला फसलों का समर्थन मूल्य	359
सार्वजनिक निर्माण	
-सांगोद (कोटा) में प्रधानमंत्री सड़क योजनान्तर्गत प्रस्तावित सड़कें	374
आय-व्यय	
-आय-व्ययक पर सामान्य वाद-विवाद	203

नाम	पृष्ठ संख्या
तारांकित प्रश्नोत्तर	
कृषि विपणन	
-भामाशाह मण्डी कोटा की कृषि उपहार कूपन योजना	293
श्री मंगलाराम गोदारा (श्रीडूंगरगढ़)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
शिक्षा	
-डूंगरगढ़ में लोक जुम्बिश योजना के तहत विद्यालय भवनों का मरम्मत कार्य	384
श्री मदन लाल मेघवाल (जायल)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य	
-नागौर जिले के चिकित्सालयों में रिक्त पद	366
श्रीमती ममता शर्मा (बून्दी)	
आय-व्ययक	
-आय-व्ययक पर सामान्य वाद-विवाद	222
श्री महावीर प्रसाद जैन (टौंक), मुख्य सचेतक	
सदन की कार्यवाही	
-विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि	166
-विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि	229
-विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि	252
-विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि	209
श्री मुरारी लाल मीणा (बांदीकुई)	
नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख	
-बांदीकुई के विद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पद	52

नाम	पृष्ठ संख्या

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

राजस्व

-बांडी नदी (जयपुर) के बहाव क्षेत्र में अवैध कब्जे 358

आय-व्ययक

-आय-व्ययक पर सामान्य वाद-विवाद 152

तारांकित प्रश्नोत्तर

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य

-जयपुर स्थित मेडिकेयर रिलीफ सोसायटी का आय-व्यय 287

श्री मोहम्मद माहिर आजाद (नगर)

आय व्ययक

-आय-व्ययक पर सामान्य वाद-विवाद 144

श्रीमती राजकुमारी शर्मा (सीकर)

तारांकित प्रश्नोत्तर

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य

-श्री कल्याण राजकीय चिकित्सालय. सीकर में आवश्यक सुविधाएं 15

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू), मंत्री

तारांकित प्रश्नोत्तर

सार्वजनिक निर्माण

-चौमूं की मिसिंग सड़कें 2

स्पष्टीकरण

-मुख्य मंत्री आवास पर हुआ परिवर्तन/परिवर्द्धन व्यय 138

श्री रामचन्द्र सराधना (जमवारामगढ़)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य

-खसरा एवं मलेरिया रोगों की रोकथाम 364

नाम	पृष्ठ संख्या
तारांकित प्रश्नोत्तर	
शिक्षा	
-शिक्षाकर्मियों के अन्य सेवाओं में उपयोग से प्रभावित शिक्षण कार्य	25
सिंचाई	
-हिण्डौली एवं नैनवां की सिंचाई रहित सिंचित भूमि	12
श्री रामनारायण मीणा (नैनवां)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
शिक्षा	
-प्रदेश में कम्प्यूटर शिक्षा हेतु मान्यता प्राप्त संस्थाओं के विरुद्ध कार्यवाही	381
श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा)	
आय-व्ययक	
-आय-व्ययक पर सामान्य वाद-विवाद	124
श्री रामलाल शर्मा (चौमूं)	
आय-व्ययक	
-आय-व्ययक पर सामान्य वाद-विवाद	217
तारांकित प्रश्नोत्तर	
सार्वजनिक निर्माण	
-चौमूं की मिसिंग सड़कें	2
नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख	
-विद्युत कनेक्शनों पर किसानों का आर्थिक भार कम किये जाने वाले उपाय	51
श्री रामसिंह विश्नोई (लूणी)	
तारांकित प्रश्नोत्तर	
कृषि	
-फसल बीमा योजनान्तर्गत सम्मिलित कृषि जिन्स	29
ध्यानाकर्षण प्रस्ताव	
-जयपुर शहर में पेयजल की समस्या	68

नाम	पृष्ठ संख्या
शासकीय वक्तव्य	
-पंजाब विधान सभा द्वारा पारित प्रस्ताव के मद्देनजर रावी-ब्यास नदियों से राजस्थान को मिल रहे हिस्से की सुरक्षा से सम्बन्धित नवीन स्थिति	78
श्री राव राजेन्द्र सिंह (बैराठ)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी	
-बैराठ के नाकारा हैण्डपम्प	338
श्री रिछपाल सिंह मिर्धा (डेगाना)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
शिक्षा	
-नागौर जिले में संचालित राजीव गांधी स्वर्ण जयन्ती पाठशालाएं	377
तारांकित प्रश्नोत्तर	
राजस्व	
-नागौर जिले की कृषि भूमि पर अतिक्रमणों का नियमन	309
श्री लालचन्द मेघवाल (रायसिंह नगर)	
आय व्ययक	
-आय-व्ययक पर सामान्य वाद-विवाद	275
श्रीमती वन्दना मीणा (उदयपुर ग्रामीण)	
नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख	
-उदयपुर (ग्रामीण) में फैक्ट्रियों से प्रदूषण की समस्या	49
श्रीमती वसुन्धरा राजे (झालरापाटन), मुख्य मंत्री	
शासकीय वक्तव्य	
-पंजाब विधान सभा द्वारा पारित प्रस्ताव के मद्देनजर रावी-ब्यास नदियों से राजस्थान को मिल रहे हिस्से की सुरक्षा से सम्बन्धित नवीन स्थिति	75
श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (लूणकरणसर)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
राजस्व	
-लूणकरणसर कस्बे की आबादी भूमि का नियमन	354

नाम	पृष्ठ संख्या
श्री वीरेन्द्र मीणा (लालसोट), राज्य मंत्री	
सदन पटल पर रखे गये पत्र	
प्रतिवेदन एवं लेखे	
-नियंत्रक महालेखा परीक्षक के तीन प्रतिवेदन (राजस्व प्राप्ति) (वाणिज्यिक) व (सिविल) वर्ष 2002-2003	74
श्री शंकर सिंह राजपुरोहित (आहोर)	
आय व्ययक	
-आय-व्ययक पर सामान्य वाद-विवाद	243
तारांकित प्रश्नोत्तर	
शिक्षा	
-जालौर जिले के विद्यालयों में छात्र-शिक्षक अनुपात	290
श्री शांतिलाल चपलोत (मावली)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य	
-मावली में नये स्वास्थ्य केन्द्र/उपकेन्द्र	365
सिंचाई	
-मावली की विचाराधीन सिंचाई योजनाएं	396
श्री शिवजीराम मीणा (जहाजपुर)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
शिक्षा	
-टिठोडा (जहाजपुर) का विद्यालय भवन	394
श्री श्रवण कुमार (पिलानी)	
आय व्ययक	
-आय-व्ययक पर सामान्य वाद-विवाद	253

नाम	पृष्ठ संख्या
डा. श्रीगोपाल बाहेती (पुष्कर)	
तारांकित प्रश्नोत्तर	
जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी	
-बीसलपुर परियोजना से जिला अजमेर को जलापुर्ति	283
शासकीय वक्तव्य	
—अजमेर पुलिस लाइन में कांस्टेबल पवन कुमार सोनवाल द्वारा आत्मदाह का प्रकरण	84
श्री संयम लोढ़ा (सिरोही)	
अतारांकित्त प्रश्नोत्तर	
सिंचाई	
-सुमेरपुर खण्ड की अवशेष टाइल्स	395
आय व्ययक	
-आय-व्ययक पर सामान्य वाद-विवाद	87
तारांकित प्रश्नोत्तर	
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य	
-कनिष्ठ विशेषज्ञ (एनस्थीशिया) के पदों का सृजन	334
सिंचाई	
-हिण्डौली एवं नैनवां की सिंचाई रहित सिंचित भूमि	7
बहिर्गमन	
-कांग्रेस पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा सदन से बहिर्गमन	103
डा. समरजीत सिंह (भीनमाल)	
तारांकित प्रश्नोत्तर	
कृषि विपणन	
-सुमेरपुर कृषि उपज मण्डी द्वरा सड़क निर्माण कार्य	336

नाम	पृष्ठ संख्या
नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख	
-राऊता (भीनमाल) में 33 के.वी. सब-स्टेशन का निर्माण	49
श्री सांगसिंह भाटी (जैसलमेर)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
सार्वजनिक निर्माण	
-जैसलमेर जिले के सड़क विहीन ग्राम पंचायत मुख्यालय	371
आय व्ययक	
-आय-व्ययक पर सामान्य वाद-विवाद	210
श्री सांवर लाल (भिनाय), मंत्री	
तारांकित प्रश्नोत्तर	
सिंचाई	
-हिण्डौली एवं नैनवां की सिंचाई रहित सिंचित भूमि	4
ध्यानाकर्षण प्रस्ताव	
-जयपुर शहर में पेयजल की समस्या	60
डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य	
-राजकीय चिकित्सालय, नाथद्वारा में उपलब्ध सुविधाएं	367
शिक्षा	
-औद्योगिक विकास संस्थान नाथद्वारा परिसर में अतिक्रमण	394
स्पष्टीकरण	
-मुख्य मंत्री आवास पर हुआ परिवर्तन/परिवर्द्धन व्यय	138
श्री सुभाष चन्द्र बहेड़िया (भीलवाड़ा)	
आय व्ययक	
-आय-व्ययक पर सामान्य वाद-विवाद	197

नाम	पृष्ठ संख्या
श्री सुभाष चन्द्र शर्मा (कोटपूतली)	
आय व्ययक	
-आय-व्ययक पर सामान्य वाद-विवाद	235
श्री सुरेन्द्र पारीक (हवामहल)	
ध्यानाकर्षण प्रस्ताव	
-जयपुर शहर में पेयजल की समस्या	66
डा. सुरेश चौधरी (भादरा)	
आय व्ययक	
-आय-व्ययक पर सामान्य वाद-विवाद	269
श्री सुरेश मीणा (करौली)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
सिंचाई	
-पांचना बांध (करौली) के डूब क्षेत्र के ग्रामवासियों का पुनर्वास	395
श्री हंगामी लाल मेवाड़ा (आसीन्द)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
सार्वजनिक निर्माण	
-आसीन्द में प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत सड़क निर्माण	372
तारांकित प्रश्नोत्तर	
कृ.	
-फसल बीमा योजनान्तर्गत सम्मिलित कृषि जिन्स	32
श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली)	
अत रांकित प्रश्नोत्तर	
राजस्व	
-हिण्डौली एवं नैनवां के लीजदार किसानों को खातेदारी अधिकार	356

नाम	पृष्ठ संख्या
तारांकित प्रश्नोत्तर	
सिंचाई	
-हिण्डौली एवं नैनवां की सिंचाई रहित सिंचित भूमि	4
श्री हरीशचन्द्र कुमावत (नावां)	
तारांकित प्रश्नोत्तर	
डेयरी एवं पशुपालन	
-नावां (नागौर) के पशु चिकित्सालय का क्रमोन्नयन	321
नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख	
-नावां तहसील के ग्राम भांवता में 33 के.वी.ए. सब-स्टेशन पर पावर ट्रांसफार्मर	46
श्री हीरालाल (निवाई)	
आय-व्ययक	
-आय-व्ययक पर सामान्य वाद-विवाद	277
श्री हेमराज मीणा (किशनगंज)	
तारांकित प्रश्नोत्तर	
सार्वजनिक निर्माण	
-किशनगंज के सड़क विहीन ग्राम पंचायत मुख्यालय	309
श्री हेमाराम चौधरी (गुढामालानी)	
तारांकित प्रश्नोत्तर	
जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी	
-गुढामलानी के ग्रामों में पेयजल आपूर्ति	333
शिक्षा	
-शिक्षाकर्मियों के अन्य सेवाओं में उपयोग से प्रभावित शिक्षण कार्य	27